# खंड –1

# वैशाली जिला आपदा प्रबंधन योजना

## अध्याय : 1

**परिचय (Introduction) :** वैशाली जिला आपदा प्रबंधन योजना में इस जिले में संभावित प्राकृतिक अथवा मानवीय भूलवश उत्पन्न खतरों के विभिन्न स्वरूपों इन खतरों की चपेट में आने वाले संवेदनशील समूहों/सम्पत्तियों का ब्योरा, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने अथवा आपदा मोचन की वर्तमान क्षमता का आकलन करते हुये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–31(1) के अनुसार "राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।"

इस योजना को विभिन्न स्तर के स्थानीय पदाधिकरीगण तथा अन्य हितधारकों से मिलकर तैयार किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह समेकित जिला आपदा प्रबंधन योजना को मुर्त रूप दे जिसे अनवरत अपनाया जा सके। यह आपदा जोखिम को रोकने तथा उसे कम करने (न्यूनीकरण) में सहायक हो। विभिन्न विकास के चरण में इसे इस तरह से सन्निहित किया जायेगा ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, सहाय्य तथा पुर्नप्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। आपदा न्यूनीकरण रोड मैप के उद्देश्यों से तालमेल कर इसे अपनाया जाना जरूरी होगा।

**आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप**

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में मार्च 2015 में आयोजित हुआ था, जिसमें विश्व के 187 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु चार प्राथमिकतायें एवं सात लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। उसके आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 10.05.2016 को "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030" शीर्षक से एक राज्यादेश अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्राथमिकताओं को हासिल करने में यह जिला आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी–

- आपदा जोखिम की समझ विकसित करना।
- आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश।
- प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन तथा ''पूर्व से बेहतर'' पुर्नवासन, पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण।

वैशाली जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरांत जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं समावेशी रहा, जिससे योजना को अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अंतःक्रिया ने इसे सम्पुष्ट किया है।

### 1.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागों के सामंजित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण ।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना।
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूहो क बीच जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना।

- यथोचित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अंतः संरचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तर्गत आगामी विकास कार्यों के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम के दुष्प्रभावों में कमी लाना।
- जिलास्तर पर प्रभावी तौर पर खोज, बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यो का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमाणिक तंत्र का विकास करना।
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।
- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुर्नवास की योजना बनाकर कालबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना।

**1.2 योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan) :** आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में संपूर्ण वैशाली जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2036.68 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना में इसकी आबादी 34.95 लाख है, को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा पूर्व मध्य रेलवे जोन का कार्यालय अवस्थित है। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में यूनिसेफ तथा कई अन्य स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य है :–

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते है, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरो का चिह्निकरण, पुर्नप्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेले, बड़े–बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगीय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते है। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती है या इनके गोद में बच्चे होते है। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल है।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात,हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा हैं। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र–सयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए है।

10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

## 1.3 योजना बनाने की पद्धति (Plan Development Methodology) :

**1.3.1 जिले में कार्यरत आपातकालीन सेवा प्रदाता :** इस जिले में आपदा के दौरान विभिन्न आकस्मिक सेवाओं के लिए निम्न सरकारी कार्यालय जिला स्तर पर कार्यरत हैं जिनकी भूमिका – आपदा पूर्व तैयारी, आपदा मोचन, राहत एवं बचाव, आवश्यक सेवाओं का पुर्नस्थापन तथा पुर्ननिर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है :–

- जिला समाहर्त्ता, वैशाली
- जिला परिषद्, वैशाली
- पुलिस अधीक्षक, वैशाली
- उप विकास आयुक्त, वैशाली
- असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली
- वरीय अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन), वैशाली
- नगर पंचायत– हाजीपुर, महनार एवं लालगंज
- जिला दूरसंचार केन्द्र, हाजीपुर
- पावर होल्डिंग लि॰, हाजीपुर
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रंमडल, हाजीपुर
- बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रंमडल, लालगंज
- पथ निर्माण प्रंमडल, हाजीपुर
- भवन निर्माण प्रंमडल, हाजीपुर
- जिला जनसंपर्क कार्यालय, हाजीपुर
- जिला कृषि पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर
- जिला पशुपालन कार्यालय, हाजीपुर

**1.3.2 योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति (Methodology)** : जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं सवेदनशीलता की पहचान की गयी है।

योजना की सामग्री मुख्य रूप में दो स्त्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से एकत्रित की गई । योजना की सामग्री के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये । साथ हीं जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण कर हितधारकों से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया।

इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत है।

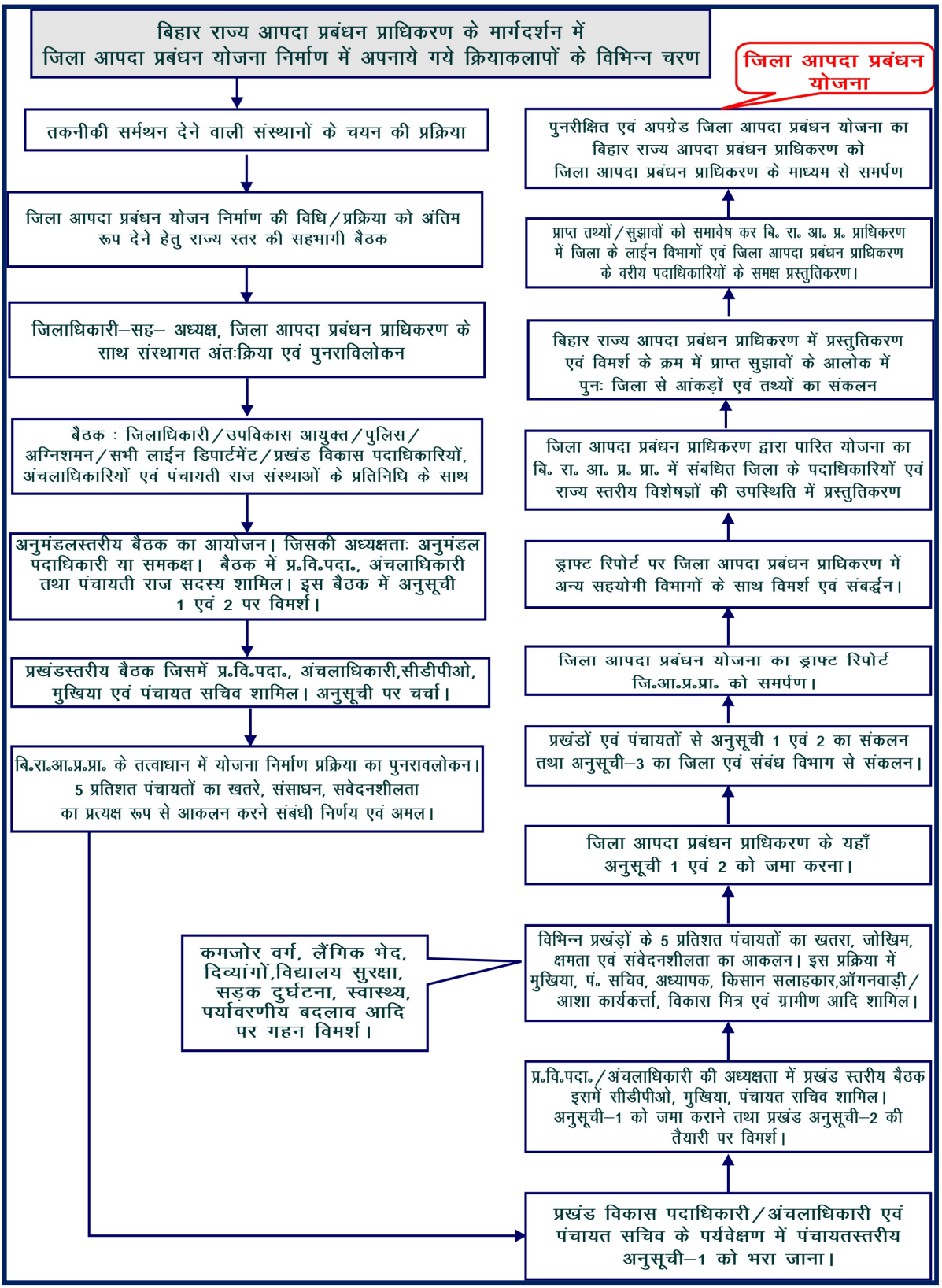

**1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMP) :** इस जिले के लिए तैयार की गयी योजना की पूरी जिम्मेवारी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संबंध में गठित विशेष कमिटि तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाना है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं से संबंधित निषेधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभाजित कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का अवलोकन तथा उससे प्राप्त सीख को संधारित किया जायेगा। जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा काल विशेष को देखते हुए अन्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होगा ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुर्नवापसी तथा पुर्नस्थापन के कार्यों को संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपदा संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न 'शिफ्ट' में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी आपदा कमान अधिकारी (इन्सिडेंट कमांडर) होगे तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारू ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंतराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

### 1.4.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

| क्र॰ | स्तर | हितधारक समूह | कार्य | दायित्व |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ग्राम पंचायत | ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति | आपदा प्रबंधन | तत्कालीन मुखिया |
| | | ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति | खोज एवं बचाव | मुखिया एवं एस॰ डी॰ आर॰एफ॰ |
| | | ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति | प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक कीट की तैयारी | ए॰पी॰एच॰सी॰ एवं रेड क्रॉस |
| | | ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति | स्वच्छता एवं पेय जल | निर्मल भारत अभियान दल |
| | | ग्राम पंचायत आश्रय एवं इवैकुएशन दल | आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल को खाली कराना | इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय विद्यालय के प्रभारी |
| | | ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति | सामाजिक रूप से असुरक्षितो की पहचान एवं मदद | सामाजिक सुरक्षा विभाग |
| | | ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य | वार्डो के हित का कार्य | स्वतः निर्वाचित |
| | | ग्राम पंचायत योजना एवं पोषण दल | भोजनादि की व्यवस्था | मध्याह्न भोजन दल |
| | | ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल | बाल विकास एवं संरक्षण | आँगनवाड़ी टीम समेकित, बाल विकास परियोजना टीम |
| | | ग्राम पंचायत शिक्षा दल | शिक्षा व्यवस्था | सर्व शिक्षा अभियान दल |
| | | ग्राम पंचायत पशुधन समिति एवं ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति | पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था | पशुधन समिति अध्यक्ष |
| 02 | प्रखंड स्तर संबद्ध प्रशाखा | स्थानीय थाना | आश्रय/राहत शिविरो की सुरक्षा | थाना प्रभारी |
| | | कृषि विभाग | सुरक्षा/कृषि संपति | प्रखंड कृषि पदाधिकारी |
| | | सहकारिता | पैक्स/सहकारी भवन | सहकारिता पदाधिकारी |
| | | श्रम | श्रमिकों की स्थिति | श्रम निरीक्षक |
| | | अग्निशमन | अग्निशमन की व्यवस्था | प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी |
| | | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य संबंधी | प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी |
| | | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | चापाकल एवं हेलोजन टेबलेट | कनीय अभियंता |
| | | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता | खाद्यान्न की व्यवस्था | प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी |
| | | शिक्षा | आश्रय स्थल/राहत स्थल आपदा में विस्थापित बच्चों के | प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | लिए शिक्षा व्यवस्था | |
| | | पशु एवं मतस्य | पशुधन सुरक्षा तथा मतस्य पालन | प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी |
| | | जल संसाधन | सिचांई | कनीय अभियंता |
| | | सामाजिक सुरक्षा | सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि | प्रखंड कल्याण पदाधिकारी |
| | | सांख्यिकी | वर्षापात एवं अन्य आकड़े | प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी |
| | | पंचायत राज | पंचायतों का सुसंचालन | ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक |
| | | स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण | सड़क एवं भवन | कनीय अभियंता |
| 03 | जिला स्तर | आपदा प्रबंधन | समन्वय एवं मॉनिटरिंग | जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी |
| | | बाढ़ एवं जल निस्सरण | तटबंधो की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना–देना | कार्यपालक अभियंता |
| | | परिवहन विभाग | विभिन्न वाहनों एवं नावो की उपलब्धता | जिला परिवहन पदाधिकारी |
| | | लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य | शरण स्थलो की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता | कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन |
| | | पशुपालन | पशुचारा एवं पशु दवा | जिला पशुपालन पदाधिकारी |
| | | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टेबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण | कार्यपालक अभियंता |
| | | खाद्य विभाग/आपूर्त्ति | खाद्य का भंडारण तथा आपूर्त्ति | जिला प्रबंधक, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी |
| | | शिक्षा विभाग | आपदा संबंधी जागरूकता की पहल/जागरूकता के अन्य कार्यक्रम | जिला शिक्षा पदाधिकारी |
| | | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | प्रचार–प्रसार | जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी |
| | | पंचायती राज | पंचायतों के काम काज की देखभाल | जिला पंचायत पदाधिकारी |
| | | अग्निशमन | अग्निशाम के वाहनो की व्यवस्था | जिला अग्निशमन पदाधिकारी |
| | | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य सेवाएँ | असैनिक शल्य चिकित्सक |
| | | पुलिस | शान्ति व्यवस्था | पुलिस अधीक्षक |
| | | कृषि | कम पानी/जल्दी होने वाली फसलो की व्यवस्था | जिला कृषि पदाधिकारी |
| | | सांख्यिकी | तथ्यो के रखरखाव | जिला सांख्यिकी पदाधिकारी |
| | | सहकारिता | भंडारण एवं आवासन | जिला सहकारिता पदाधिकारी |
| | | जल संसाधन | जल व्यवस्था | कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन |
| | | राजस्व एवं भूमि सुधार | भूमि संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता |
| | | शहरी विकास | शहरों का नियमित विकास | नगर निगम/नगर पंचायत आदि |
| | | सामाजिक सुरक्षा | सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगो की देखभाल | प्रभारी उप समाहर्त्ता |
| | | योजना एवं विकास | विकास एवं विकास की योजना | प्रभारी उप समाहर्त्ता |
| | | डाक एवं संचार | सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद | प्रबंधक डाक एवं तार |
| | | भवन निर्माण | भवनों की स्थिति का नियमित पर्यवेक्षण/आकलन | अधीक्षण अभियंता |
| | | भारत संचार निगम लि0 | दूरसंचार सुविधा बनाये रखना | प्रबंधक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | दूरसंचार के अन्य निजी उपक्रम रिलायंस, एयरटेल आदि | दूरसंचार सुविधा बनाये रखना | प्रबंधक |
| | | उद्योग | खतरनाक उद्योगों की सूची एवं देखभाल | जिला उद्योग पदाधिकारी |
| | | श्रम संसाधन | उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे पलायित श्रमिको की सूची का रखरखाव | जिला श्रम पदाधिकारी अधीक्षक |
| | | उर्जा विभाग | बिजली की नियमित आपूर्त्ति | अधीक्षण अभियंता |
| | | प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया | तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्व तैयारी हो जाए | क्षेत्रीय संवाददाता |
| 04 | अन्य हितधारक समूह | निजी शैक्षिक संस्थाएँ | आवासन/राहत केन्द्र/भंडारण | प्राचार्य/स्वशासी निकाय |
| | | एन॰सी॰सी॰ | राहत एवं बचाव में मदद | कमान अधिकारी |
| | | रेड क्रॉस | प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता | जिला सचिव |
| | | अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएँ | विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं सहायता | प्रभारी अधिकारी |
| | | विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ | स्वास्थ्य संबंधी सहयोग | अध्यक्ष/सचिव |
| | | युवा संगठन | बचाव एवं राहत | अध्यक्ष/सचिव |
| | | दलित एवं महादलित संगठन | विभिन्न प्रकार की सहायता | अध्यक्ष/सचिव |
| | | नेहरू युवा केन्द्र | राहत एवं बचाव | जिला समन्वयक |
| | | ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ | विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था | अध्यक्ष/सचिव |
| | | स्वयं सहायता समूह | सहयोग एवं सहायता | अध्यक्ष/सचिव |
| | | अभियंता, राजमिस्त्री डिप्लोमाधारी,वास्तुकार | निर्माण एवं मरम्मति | |
| | | निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक | स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद | संघ सचिव/अध्यक्ष |
| | | इंटर एजेन्सी ग्रुप | समन्वय एवं सहयोग | अध्यक्ष/सचिव |
| | | व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ | आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति | अध्यक्ष/सचिव |
| | | राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया | प्रचार प्रसार | स्थानीय संवाददाता |

**1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) :** जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारक विभागो द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करते हुये इसकी एक–एक प्रति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये मोचन कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मूल्यांकन कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)**

= = = = = =

## अध्याय–2

## जिले का परिचय

## INTRODUCTION OF DISTRICT

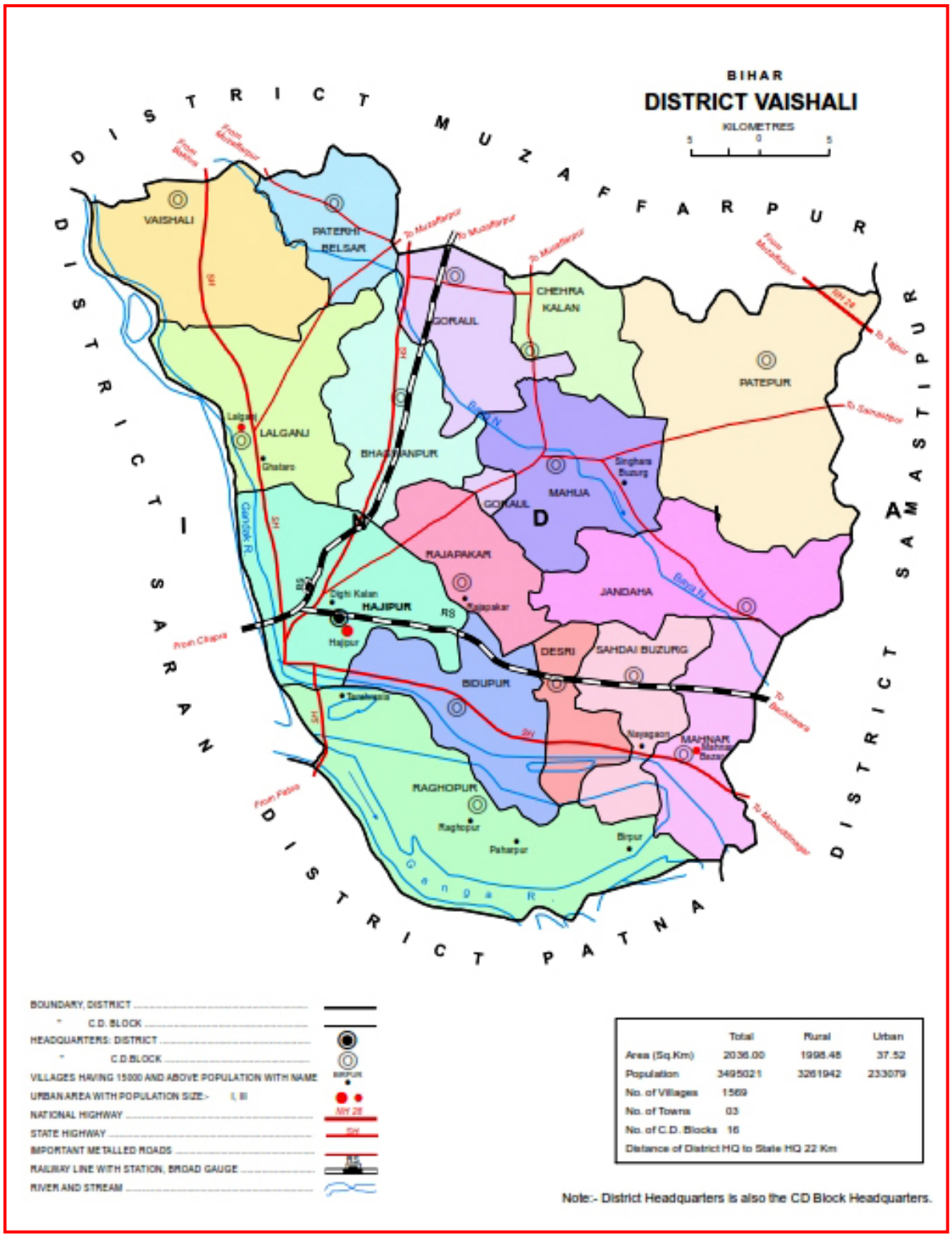

वैशाली जिला 2036 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जिले की पश्चिमी सीमा पर गंडक नदी तथा दक्षिणी सीमा पर गंगा नदी अवस्थित है। इन दोनों नदियों में जल स्तर बढ़ने पर इस जिला के उन पंचायतों/प्रखंड़ों में जो गंडक अथवा गंगा नदी के तट पर बसे हैं, बाढ़ की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। यह जिला बाढ़ के अतिरिक्त भूकंप, सूखा, आग तथा सड़क दुर्घटनाओं की चपेट में अक्सर आता रहता है जिससे बड़े पैमाने पर जान व माल की क्षति होती है। इस जिले की कुल आबादी 34.95 लाख है जिसमें 16.48 लाख महिलाएं तथा 18.47 लाख पुरूष हैं।

**2.1 भौगोलिक विवरण :**

- कुल क्षेत्रफल– 2036 वर्ग किलोमीटर
- जिले की अवस्थिति –

  देशान्तर – $84^0$ से $85^0$ पुरब,

  आक्षांश – $32^0$ 30′ से $25^0$41′ उत्तर

  समुद्र तल से उँचाई –220 फीट

■ **चौहद्दी –**

| | |
|---|---|
| उत्तर – मुजफ्फरपुर जिला | दक्षिण –गंगा नदी एवं पटना जिला |
| पूरब – समस्तीपुर जिला | पश्चिम – सारण जिला |

- बिहार राज्य की राजधानी पटना से जिला मुख्यालय की दूरी– 18–20 कि.मी.
- **प्रमुख फसले –** धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, अरहर, मूँग, सरसो, सूर्यमुखी, तंबाकू, तिल, केला, अन्य फल एवं सब्जियाँ।
- **मिट्टी का प्रकार –** इस जिले में मुख्यतः बलुआही, बहुआही–दोमट एवं दोमट मिट्टीयाँ पाई जाती है।

**2.2 जलवायु तथा मौसम :** जिले की जलवायु को तीन ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है।

- ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक) ।
- वर्षा ऋतु (मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक)।
- शीत ऋतु (मध्य अक्टूबर से फरवरी तक)।

किन्तु, जलवायु परिवर्तन ने मौसम से संबंधित उपरोक्त ऋतु चक्र में कुछ बदलाव भी लाने शुरू कर दिये है ।

ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तथा शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस प्रतिवेदित है। विगत दस वर्षों के दौरान सामान्य औसत वर्षापात 1121 मि.मी. पाया गया है तथा वर्षा ऋतु में अधिकतम 980.3 मि. मी. वर्ष 2011 में तथा न्यूनतम 381.4 मि.मी. वर्ष 2013 में रिकार्ड किया गया है।

**सारणी–(2.1) विभिन्न वर्षों का वर्षापात आकड़ा :** वैशाली जिले में (2009–16) जून से सितम्बर माह तक का वर्षापात के आंकड़े (मि॰मी॰)

| क्र॰ सं॰. | वर्ष | जून से सितम्बर माह | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य | वास्तविक | % विचलन |
| 1 | 2009 | 937.1 | 445.1 | -53 |
| 2 | 2010 | 937.1 | 466.6 | -50 |
| 3 | 2011 | 937.1 | 980.3 | -4.61 |
| 4 | 2012 | 906.5 | 861.4 | 4.975 |
| 5 | 2013 | 1022.0 | 381.4 | -63 |
| 6 | 2014 | 1021.6 | 847.1 | -17 |
| 7 | 2015 | 1021.6 | 603.3 | -41 |
| 8 | 2016 | 1021.6 | 712.3 | -30 |
| 9 | 2017 | 1021.6 | 739.1 | -28 |

स्त्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

**2.3 सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिचय :** गरिमामयी इतिहास रखने वाला यह जिला एक राज्य के रूप में इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने सर्वप्रथम वैशालिका राजवंश, विशाला और अंत में वैशाली की स्थापना की जो इक्ष्वाकु राजवंश के 24वें शासक थे। वैशाली छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले के 'बसाठ' से की गयी है। इस वंश में 33 राजा हुए। सबसे पहला राजा नमनदिष्ट तथा अंतिम शासक सुभति हुए। गंगा के उत्तर के लिच्छवि शासक राजा चेटक ने अपनी पुत्री चेल्हना का विवाह मगध नरेश विम्बिसार से किया था। राजा चेटक की बहन त्रिशला महावीर की माता थी।

लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कट्टागारशाला का निर्माण कराया। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। गुप्त वंश का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। गुप्तशासक चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया।

आम्रपाली वैशाली के नगरवधु पद पर आसीन थी। वह यहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने वैशाली प्रवास के दौरान इसी आम्रपाली नर्तकी के यहाँ भोजन किया था तथा आम्रपाली को यथोचित सम्मान दिया था। वैशाली अपने प्राचीनतम गणतंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों ने की थी।

2 अक्टूबर 1972 को पूर्ववर्ती मुजफ्फरपुर जिला के हाजीपुर अनुमंडल को उत्क्रमित कर यह जिला बनाया गया है। इस जिले में छठ, दशहरा, होली, दिवाली, ईद तथा मुहर्रम पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। नारायणी तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन से यहाँ वैशाली महोत्सव मनाया जाता है।

**2.4 जनसंख्या :**

**सारणी – (2.2) जनसंख्या विवरण :**

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल जनसंख्या | 27,18,421 | 34,95,021 |
| 2 | कुल पुरूष | 14,15,603 | 18,47,049 |
| 3 | कुल स्त्री | 13,02,818 | 16,48,191 |
| 4 | जनसंख्या वृद्धि दर | 26.39 प्रतिशत | 28.57 प्रतिशत |
| 5 | कुल अनुसूचित जाति(पुरूष) | | 3,87,827 |
| 6 | कुल अनुसूचित जाति(स्त्री) | | 3,50,204 |
| 7 | कुल अनुसूचित जनजाति(पुरूष) | | 1,042 |
| 8 | कुल अनुसूचित जनजाति(स्त्री) | | 1,232 |
| 9 | लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरूष पर) | 920 | 895 |
| 10 | कुल बच्चों की संख्या (0–6 वर्ष) | 5,43,235 | 6,01,893 |
| 11 | कुल बालकों की संख्या (0–6 वर्ष) | 2,80,442 | 3,16,129 |
| 12 | कुल बालिकाओं की संख्या(0–6 वर्ष) | 2,62,793 | 2,85,764 |
| 13 | बच्चों (0–6 वर्ष) की लिंगानुपात (प्रति 1000 पर) | 937 | 904 |
| 14 | जन्म दर | | 27.3 |
| 15 | प्रति हजार मृत्यु दर | | 7.6 |
| 16 | जनसंख्या घनत्व | 1,335 | 1,717 |
| 17 | जनसंख्या अनुपात, बिहार की जनसंख्या के तुलना में | 3.28 प्रतिशत | 3.36 प्रतिशत |
| 18 | कुल बाल अनुपात (0–6 वर्ष) | 19.98 प्रतिशत | 17.22 प्रतिशत |
| 19 | बाल (बालक) अनुपात (0–6 वर्ष) | 19.81 प्रतिशत | 17.14 प्रतिशत |
| 20 | बाल (बालिका) अनुपात (0–6 वर्ष) | 20.17 प्रतिशत | 17.32 प्रतिशत |

**सारणी – (2.3) जनसंख्या ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में :**

| क्र. सं. | विवरण | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल जनसंख्या | 32,61,942 | 2,33,079 |
| 2 | कुल जनसंख्या प्रतिशत में | 93.33 | 6.67 |
| 3 | कुल पुरूष | 17,21,221 | 1,23,314 |
| 4 | कुल स्त्री | 15,40,721 | 1,09,765 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | लिंगानुपात | 895 | 890 |
| 6 | कुल बाल जनसंख्या (0–6 वर्ष) | 5,66,520 (17.37%) | 35,373(15.18%) |
| 7 | बाल बालक जनसंख्या (0–6 वर्ष) | 2,97,503 (7.28%) | 18,626(15.10%) |
| 8 | बाल बालिका जनसंख्या (0–6 वर्ष) | 2,69,017(17.46%) | 16,747(15.26%) |
| 9 | बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) | 904 | 899 |

**सारणी – (2.4) जनसंख्या विवरण, साक्षरता/निरक्षरता के परिप्रेक्ष्य में:**

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुल साक्षर | 10,98,151 | 19,26,740 | 17,79,987 | 1,46,753 |
| 2 | पुरूष साक्षर | 7,17,734 | 11,52,576 | 10,68,503 | 84,073 |
| 3 | महिला साक्षर | 3,80,417 | 7,74,164 | 7,11,484 | 62,680 |
| 4 | औसत साक्षरता दर | 50.49% | 66.60% | 66.04% | 74.23% |
| 5 | पुरूष साक्षरता दर | 63.23% | 75.41% | 75.05% | 80.31% |
| 6 | महिला साक्षरता दर | 36.58% | 56.73% | 55.95% | 67.38% |

**सारणी – (2.5) जनसंख्या विवरण, विभिन्न धर्मावलम्वियों के संदर्भ में :**

| क्र. सं. | धर्मावलम्बी | कुल जनसंख्या | प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दू | 31,52,346 | 90.20 |
| 2 | मुसलमान | 3,33,980 | 9.56 |
| 3 | इसाई | 2,203 | 0.06 |
| 4 | सिख | 707 | 0.02 |
| 5 | बौद्ध | 363 | 0.01 |
| 6 | जैन | 246 | 0.01 |
| 7 | अन्य | 71 | 0.00 |
| 8 | नहीं बताया | 5,106 | 0.15 |

**सारणी – (2.6) जनसंख्या विवरण छत/बेछत के संदर्भ में :**

| क्र. सं. | बेघर परिवारों की संख्या | कुल जनसंख्या | प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 1,622 | 0.05 |

सभी सारणी स्त्रोत : जनगणना 2011 पर आधारित

**सारणी – (2.7) शहरी (नगर परिषद्) जनसंख्या :**

| क्र. सं. | नगर परिषद् का नाम | 2011–जनसंख्या (लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल जनसंख्या | अनु. जाति | अनु. जनजाति |
| 1 | लालगंज | 37098 | 5260 | 96 |
| 2 | हाजीपुर | 147688 | 24908 | 97 |
| 3 | महनार | 48293 | 10233 | 13 |

स्त्रोत : जनगणना 2011

**2.5 प्रशासनिक :** जिला मुख्यालय – हाजीपुर

कुल अनुमंडल – 3 (हाजीपुर, महनार, महुआ)
कुल प्रंखड – 16
कुल पंचायत – 290
कुल गाँव – 1569
कुल चिरागी गाँव – 1414
कुल बेचिरागी गाँव – 155
कुल नगर पंचायत – 3 (हाजीपुर, महनार, लालगंज)

### सारणी – (2.8) प्रखंडवार पंचायतयों की संख्या एवं जनसंख्या विवरणी :

| क्र. सं॰ | प्रखंड का नाम | पंचायतों की सं॰ | 2011–जनसंख्या (लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल जनसंख्या | अनु. जाति | अनु. जनजाति |
| 1 | भगवानपुर | 21 | 207762 | 43355 | 173 |
| 2 | बिदुपुर | 24 | 268849 | 52022 | 217 |
| 3 | चेहराकलॉ | 12 | 131004 | 26553 | 19 |
| 4 | गोरौल | 16 | 177586 | 37132 | 117 |
| 5 | हाजीपुर | 26 | 296288 | 68811 | 162 |
| 6 | जन्दाहा | 23 | 276217 | 60213 | 44 |
| 7 | लालगंज | 21 | 228286 | 51811 | 140 |
| 8 | महनार | 14 | 132046 | 30277 | 42 |
| 9 | महुआ | 24 | 284526 | 61407 | 186 |
| 10 | पातेपुर | 32 | 370182 | 84155 | 87 |
| 11 | पटेढ़ी बेलसर | 09 | 95669 | 23235 | 165 |
| 12 | देसरी | 08 | 87606 | 20035 | 22 |
| 13 | राघोपुर | 20 | 232909 | 41128 | 125 |
| 14 | राजापाकर | 13 | 158130 | 35136 | 70 |
| 15 | सहदेई बुजुर्ग | 11 | 127396 | 28431 | 142 |
| 16 | वैशाली | 16 | 187486 | 33929 | 357 |
| | **कुल** | **290** | **34,95,021** | **7,38,031** | **2,274** |

स्त्रोत : जनगणना 2011

## 2.7 प्राकृतिक संसाधन :

### ■ कृषि :

| | |
|---|---|
| • मिट्टी का प्रकार – बलुआही, बलुआही दोमट | • मिट्टी का पी.एच. – 6.5–7.5 |
| • कृषि जोन –1 (उत्तरी–पश्चिमी) | • अकृषि योग्य भूमि–55520.00 हेक्टेयर |
| • भूमि– कृषि योग्य भूमि 152348.14 हेक्टेयर | • चौर क्षेत्र–27387 हेक्टेयर |
| • दियारा क्षेत्र –16437 हेक्टेयर | • कुल सिंचित क्षेत्र–82845 हेक्टेयर |
| • कुल बुआई क्षेत्र – 146628.00 हेक्टेयर | • राजकीय नलकूप–4875 हेक्टेयर |
| • नहर–5680 हेक्टेयर | • निजी नलकूप–62655 हेक्टेयर |
| • लघु सिंचाई –3560 हेक्टेयर | • असिंचित क्षेत्र–68658 हेक्टेयर |
| • आहर, पोखर, कूप एवं अन्य – 6075 हेक्टेयर | |

स्त्रोत : कृषि कार्यलय, वैशाली

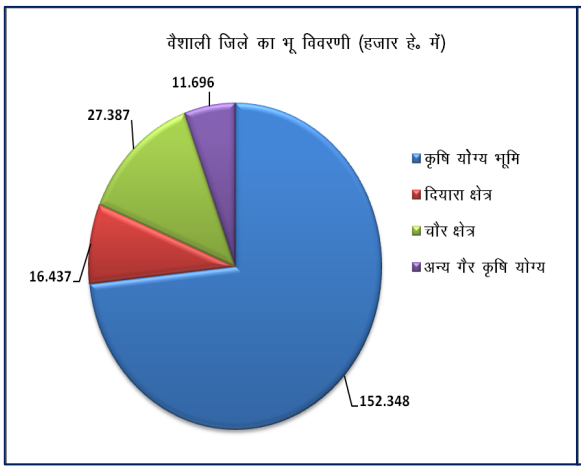


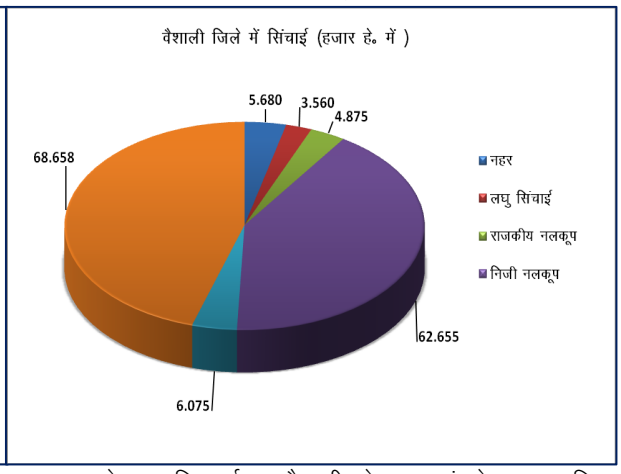


स्त्रोत : कृषि कार्यलय, वैशाली, से प्राप्त आंकड़े पर आधारित

■ **भूमि उपयोग विवरणी :**

कुल भोगौलिक क्षेत्र –1,99,049.40 हेक्टेयर

खेती योग्य कुल भूमि – 152348.14 हेक्टेयर

बंजर भूमि तथा अकृषि योग्य भूमि – 55520 हे॰

कृषि योग्य अकृषित भूमि – 545.00 हेक्टेयर

बुआई की जा रही जमीन –146628.00 हेक्टेयर

समुद्र तल से उंचाई – 220 फीट

कुल सब्जी उत्पादन क्षेत्र – 33601.00 हेक्टेयर

कुल फल उत्पादन क्षेत्र – 1804.00 हेक्टेयर

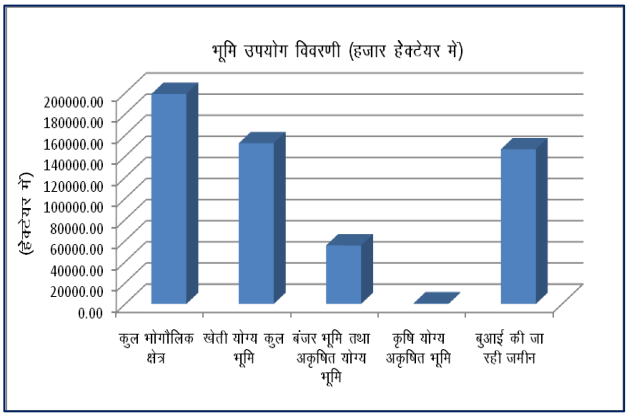


स्त्रोत : कृषि कार्यालय, वैशाली, से प्राप्त आंकड़े पर आधारित

■ **जल संसाधन –** गंगा, बाया, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि नदियाँ जिले की मुख्य नदियाँ है। जिसमें बाया नदी वैशाली जिले के मध्य भाग से गुजरती है। जिले के दक्षिण में गंगा नदी पश्चिम से पुरब की ओर तथा पश्चिम में गंडक (नारायणी) नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यहीं गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इस जिले के पातेपुर प्रखंड में बरैला झील अवस्थित है।

■ **जीविकोपार्जन :**

| | |
|---|---|
| • कुल किसानों की संख्या – 475159 | • लघु कृषक – 24214 |
| • सीमांत कृषक – 439683 | • अन्य – 11262 |
| • कुल कृषक परिवारों की संख्या – 313576 | • कुल कृषक मजदूरों की संख्या – 242459 |

■ **सिंचाई :**

| | |
|---|---|
| • सामान्य वर्षापात –1121 मि.मी. | • सिंचित क्षेत्र – 82845 हेक्टेयर |
| • नहर – 5680 हेक्टेयर (गंढक सिंचाई योजना) | • राजकीय नलकूप – 4875 हेक्टेयर |
| • लघु सिचांई – 3560 हेक्टेयर (नलकूप) | • निजी नलकूप – 62655 हेक्टेयर |
| • आहर, पोखर, कूप एवं अन्य – 6075 हेक्टेयर | • फसल सघनता – 222 प्रतिशत |

स्त्रोत : लघु सिंचाई प्रमंडल, वैशाली

**सारणी – (2.9) जिले में प्रखंडवार सिचांई संसाधन (नलकूप) :**

| प्रखंड | हाजीपुर | राघोपुर | बिदुपुर | लालगंज | वैशाली | भगवानपुर | पाटेढ़ी बेलसर | महनार | सहदेई बुजुर्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | 21 | – | 11 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| प्रखंड | महुआ | जन्दाहा | गोरौल | चेहराकलॉ | पातेपुर | देसरी | राजापाकर | कुल | |
| संख्या | 3 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 93 | |

स्त्रोत : लघु सिंचाई प्रमंडल, वैशाली

वैशाली में तिरहुत नहर गंडक नदी से निकाल कर बनायी गयी है। जिसका लाभ वैशाली के अतिरिक्त चंपारण एवं मुजफ्फरपुर को भी प्राप्त होता है। जिले में तिरहुत बांध एवं गंगा सुरक्षा बांध भी है।

■ **उद्योग :** रेशम उद्योग की स्थापना भागलपुर आदि जिलों के साथ वैशाली में भी किया गया है। कांच उद्योग हाजीपुर में स्थापित है। हाजीपुर के निकट जिला औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गयी है जहाँ, कई प्रकार के लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में उद्योग के तौर पर चीनी मिल, गुल एवं जर्दा बनाने का केन्द्र भी स्थापित है।

■ **खनिज :** जिले में खनिज की उपलब्धता नहीं के बराबर है। अतः खनिज आधारित उद्योग यहाँ नहीं है।

■ **पर्यटन :** पर्यटन उद्योग वैशाली जिले का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यह जिला बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए समान रूप से पवित्र एवं महत्व का है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म यहीं हुआ, 383 ई.पू. में यहाँ

बौद्ध धर्म का द्वितीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यह मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण जिला है। हजरत जंदाह का मकबरा एवं मामू–भग्नि मजार आदि यहाँ अवस्थित है। इसके अतिरिक्त चौमुखी महादेव, वैशाली एवं नेपाली मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।

यहाँ के दर्शनीय स्थल में अशोक स्तम्भ, जैन मन्दिर, बौद्ध स्तूप, राजा विशाल की गढ़ी, मीराजी की दरगाह, कमल वन, हरिकोटा मन्दिर, बावन पोखर आदि है। अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों में कोल्हूआ में स्थापित अशोक स्तम्भ जिस पर सिंह बैठा है, स्तम्भ के पास का रामकुण्ड तालाब एवं बौद्ध स्तूप (प्राचीन काल में निर्मित) बावन पोखर मन्दिर, अभिषेक पुष्करन, कुण्डलपुर (महावीर का जन्मस्थली), वैशाली म्यूजियम आदि है।

**2.8 भूगर्भ जल संसाधन : भूगर्भ जल धारित भू–परत –**

गंगा के समतल मैदानी भू–भाग में उत्तरी तट पर वैशाली जिला अवस्थित है। इस भाग की भू–गर्भीय संरचना ऐसी है जिसकी जलधारण क्षमता काफी अच्छी है। जमीन की सतह से 60–70 मी0 नीचे तक भूगर्भ जल भंडार में जल की उपलब्धता भरपूर है। यहाँ पर 50–100 घन मी0 प्रति घंटा की दर से भूजल प्राप्त किया जा सकता है।

**2.9 भूजल सतह की गहराई :** वर्षा ऋतु के पूर्व जमीन की सतह से भूजल सतह की औसत गहराई 7.15 मीटर से 8.90 मी0 तक रहती है। जबकि वर्षा ऋतु के बाद पुनर्भरण के कारण इसकी गहराई घटकर 3.68 मीटर से 6.35 मीटर के बीच रह जाती है। पूरे जिले में कुल वार्षिक भूजल उपलब्धता तथा मौजूदा सकल भूजल दोहन नीचे की सारणी–2.9 में दर्शाया गया है।

**2.10 भूजल की मात्रा :** केन्द्रीय भूजल बोर्ड, बिहार द्वारा इस जिले में **वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूमिगत जल** की औसत मात्रा 71,952 हेक्टेयर मीटर आकलित की गई है। इसमें से वर्तमान में घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग हेतु कुल 40,288 हेक्टेयर मीटर (लगभग 56 प्रतिशत) जल का दोहन किया जा रहा है। अभी भी घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए दोहन हेतु भूगर्भ जल उपलब्ध है।

**सारणी– (2.9) वैशाली जिले में प्रखंडवार सक्रिय भू–जल संसाधन (हेक्टेयर मीटर में) :**

| क्र. सं. | मूल्यांकन का इकाई / जिला | कुल वार्षिक भूजल उपलब्धता (पुनर्भरण क्षमता) | मौजूदा सकल भूजल दोहन सिंचाई हेतु | मौजूदा सकल घरेलू एवं उद्योग हेतु आपूर्ति के लिए भूजल | मौजूदा सकल भूजल दोहन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए(4+5) | घरेलू एवं औद्योगिक जरूरतों के लिए उपलब्ध भूजल 2025 | कुल भूजल की उपलब्धता भविष्य में सिंचाई हेतु (3–4–7) | भूजल विकास का स्टेज (प्रतिशत में) (6÷3) x 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | भगवानपुर | 3350 | 1997 | 284 | 2281 | 440 | 914 | 68.1 |
| 2 | बिदुपुर | 7840 | 2298 | 363 | 2661 | 562 | 4980 | 33.9 |
| 3 | चेहराकलॉ | 2292 | 1376 | 176 | 1552 | 273 | 642 | 67.7 |
| 4 | गोरौल | 2807 | 857 | 136 | 993 | 211 | 1739 | 35.4 |
| 5 | हाजीपुर | 3363 | 2136 | 237 | 2373 | 367 | 860 | 70.6 |
| 6 | जन्दाहा | 5237 | 3068 | 620 | 3688 | 983 | 1187 | 70.4 |
| 7 | लालगंज | 4672 | 2831 | 363 | 3194 | 563 | 1278 | 68.4 |
| 8 | महनार | 4863 | 2326 | 485 | 2811 | 561 | 1976 | 57.8 |
| 9 | महुआ | 4352 | 1360 | 413 | 1773 | 401 | 2591 | 40.7 |
| 10 | पातेपुर | 4764 | 2675 | 382 | 3057 | 592 | 1497 | 64.2 |
| 11 | पटेढ़ी बेलसर | 8623 | 5211 | 495 | 5706 | 766 | 2646 | 66.2 |
| 12 | देसरी | 2107 | 929 | 130 | 1059 | 202 | 976 | 50.3 |
| 13 | राघोपुर | 6966 | 2520 | 328 | 2848 | 509 | 3937 | 40.9 |
| 14 | राजापाकर | 2601 | 1731 | 210 | 1941 | 326 | 544 | 74.7 |
| 15 | सहदेई बुजुर्ग | 2632 | 1386 | 174 | 1560 | 269 | 976 | 59.3 |
| 16 | वैशाली | 5485 | 2029 | 256 | 2285 | 397 | 3059 | 41.7 |
| | **कुल** | **71952** | **34729** | **5558** | **40288** | **8730** | **29802** | **56.0** |

स्त्रोत : केन्द्रीय भूजल बोर्ड, पटना

= = = = = =

## अध्याय–3

# खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण

## HAZARD, RISK, VUNLNERABILITY & CAPACITY ANALYSIS

*इस अध्याय के अंतर्गत जिले में प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुये समूह/समुदाय की दैनिक गतिविधियों में अचानक रूकावट पैदा करने वाले अथवा जान–माल का नुकसान करने वाले बहु–आपदाओं के संदर्भ में यहाँ के लोगों द्वारा पूर्व में अनुभूत खतरों, खतरों के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित संवेदनशील समूह/समुदाय या पर्यावरण के लिए उत्पन्न जोखिम तथा इन आपदाओं से निपटने के लिए इनकी वर्तमान क्षमता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।*

**जिले में मुख्य आपदाएँ एवं उनका संभावित समय चक्र निम्नवत है :**

| खतरा/माह | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टुबर | नवम्बर | दिसम्बर | संवेदनशील प्रखंड/पंचायत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूकंप | | | | | | | | | | | | | राघोपुर,महनार,लालगंज,वैशाली, पटेढ़ी बेलसर प्रखंडों में अवस्थित फॉल्ट लाइन |
| बाढ़ | | | | | | | | | | | | | राघोपुर, हाजीपुर, देसरी महनार, सहदेईबुजुर्ग,, बिदुपुर |
| सुखाड़ | | | | | | | | | | | | | सभी प्रखंडों में। |
| आग | | | | | | | | | | | | | औद्योगिक परिसर, हाजीपुर राघोपुर, पातेपुर, महनार,जन्दाहा, महुआ,भगवानपुर, लालगंज, हाजीपुर। |
| गर्मी/लू | | | | | | | | | | | | | सभी प्रखंडों में। |
| ओलावृष्टि | | | | | | | | | | | | | सभी प्रखंडों में। |
| उच्चगति हवा | | | | | | | | | | | | | सभी प्रखंडों में 47 मि./से. की गति से संभावित |
| शीतलहर | | | | | | | | | | | | | सभी प्रखंडों में। |
| ठनका/वज्रपात | | | | | | | | | | | | | सभी प्रखंडों में। |
| सड़क दुर्घटना | | | | | | | | | | | | | एनएच19,77, एवं 103 के पास के क्षेत्र (9थाना क्षेत्रों में)। |
| औद्योगिक दुर्घटना | | | | | | | | | | | | | औद्योगिक परिसर, हाजीपुर |
| संदूषित जल | | | | | | | | | | | | | देसरी, गोरौल, हाजीपुर,जन्दाहा, पटेढ़ी बेलसर, राघोपुर, महुआ, राजापाकर, सहदेईबुजुर्ग प्रखंडों में आसैनिक एवं लौह की अधिकता। |
| भीड़/भगदड़ | | | | | | | | | | | | | कार्तिक पूर्णिमा, छठ,(घाटों पर तथा सड़क मार्ग) एवं वैशाली महोत्सव। |
| मानव–पशु संघर्ष | | | | | | | | | | | | | पंचायत–महसौर, नगवां, बंसता, जाफरपट्टी, सहदेईबुजुर्ग, जहाँगीरपुर, हसनपुर(द), अलिपुरहट्टा में। |
| स्वास्थ्य/महामारी | | | | | | | | | | | | | कालाजार, कुत्ते का काटना, एच.आई.भी.। |
| रेल दुर्घटना | | | | | | | | | | | | | कोई प्रतिवेदित नहीं है। |
| नाव/डुबान दुर्घटना | | | | | | | | | | | | | राघोपुर, बिदुपुर, हाजीपुर, जन्दाहा, लालगंज, महुआ। बाढ़ एवं त्योहारों के समय। |

स्त्रोत : एच.आर.भी.सी. में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

**आपदा का वर्गीकरण :** इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, बारम्बारता तथा आपदा वर्गीकरण ।

| जिला | भूकंप | बाढ़ | सुखा | आग | सड़क दुर्घटना | रेल दुघटना | औद्योगिक दुर्घटना | संदूषित जल | ओलावृष्टि | उच्चगति हवा | शीतलहर | गर्मी / लू | भीड़ / भगदड़ | मानव–पशु संघर्ष | स्वास्थ्य / महामारी | नाव दुर्घटना / डुबान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वैशाली | | | | | | | | | | | | | | | | |

| तीव्रता मापक | उच्च | मध्य | निम्न |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3.1 जिले में संभावित खतरों का पार्श्वचित्र (Hazard Profile) :

खतरों के कालखंड तथा उनकी तीव्रता का विवरण उपर के चित्र में दर्शया गया है। इन खतरों के दूष्प्रभाव तथा जिले में पूर्व में घटित आपदाओं के दौरान मानव जीवन, निजी संपति एवं सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

### 3.1.1 भूकंप :–

सिसमिक जोन के आधार पर वैशाली जिला जोन – IV में अवस्थित है। पृथ्वी की सतह पर अनुरेखीय स्वरूप (लिनामेंट) यथा "फाल्ट लाईन" के आधार पर बिहार के भूकंप प्रवण जिलों का मानचित्र जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वार निर्गत राज्य आपदा प्रबंधन योजना में मुद्रित है, में दर्शाया गया है कि वैशाली जिले के उत्तर–पूर्वी छोर से सटकर एक रोहतास– मधुबनी ''मेगा लिनामेंट फॉल्ट लाईन'' गुजरती है। इसके अतिरिक्त उत्तर–पूर्वी छोर के निकट ''पश्चिमी पटना फॉल्ट लाईन'' गुजरती है। फाल्ट लाईन के निकट भूकंपन की संभावना एवं तीव्रता अधिक होती है तथा यहाँ अपेक्षाकृत अधिक विनाश व क्षति होते है।

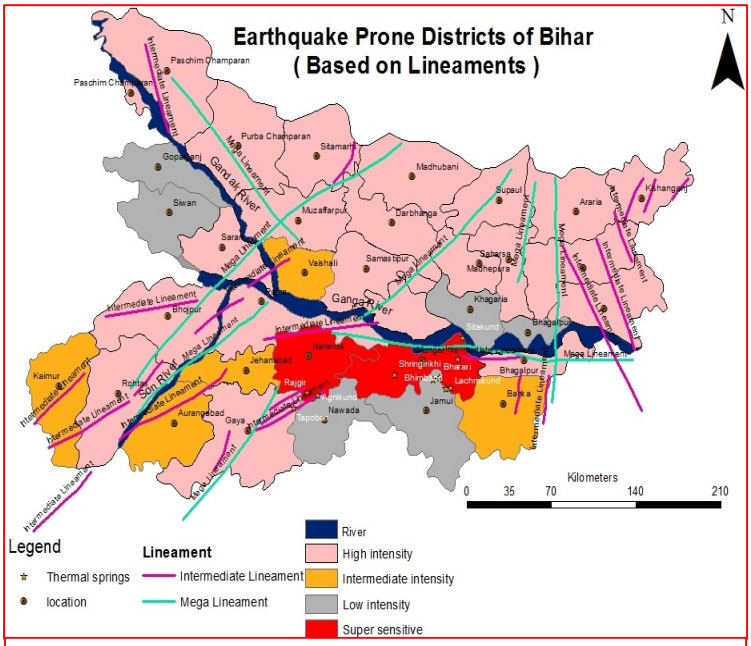


स्त्रोतः रा॰आ॰प्र॰यो॰–2014 (बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰)

**सारणी–(3.1) बिहार के बड़े भूकम्प :**

| क्र.सं. | दिनांक | स्थान | पैमाना | मृतकों की सं॰ | प्रभावित जिले |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 जून 1764 | बिहार–नेपाल सीमा | 6.0 | | |
| 02 | 23 अगस्त 1833 | नेपाल सीमा | 7.7 | | |
| 03 | 23 मई 1866 | नेपाल सीमा | 7.0 | | |
| 04 | 23 मई 1866 | झारखण्ड–बिहार सीमा | 5.5 | | |
| 05 | 30 सितम्बर 1868 | हजारीबाग | 5.7 | | |
| 06 | 7 अक्टूबर 1920 | बिहार–उत्तर प्रदेश | 5.5 | | |
| 07 | 15 जनवरी 1934 | भारत–नेपाल सीमा | 8.4 | 10,500 | पटना, गया, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर |
| 08 | 11 जनवरी 1962 | भारत–नेपाल सीमा | 6.0 | | मुंगेर एवं पूर्णियाँ |
| 09 | 21 अगस्त 1988 | भारत –नेपाल सीमा | 6.7 | 1,000 | मधुबनी, दरभंगा |
| 10 | 18 सितम्बर 2011 | सिक्कम–नेपाल सीमा | 5.7 | | |
| 11 | 25, 26 अप्रैल '15 | भारत–नेपाल सीमा | 6.6 | 60 | पटना समेत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले |

स्त्रोतः बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰

= = = = = =

### 3.1.2 बाढ़ :–

इस जिला में गंगा, गंडक, बुढी गंडक, एवं बाया नदी के अलावे कई स्थानीय छोटी–छोटी नदियाँ है।यह जिला गंगा बेसिन के मैदानी भाग में अवस्थित है जहाँ जमीन की ढाल बहुत ही कम हैं। नदी तट पर बसे सभी गाँव बाढ़ प्रवण हैं। समतल भूमि में धार, बहियार, चौर और मौन विशिष्ट जल बहाव संरचनायें हैं। नदियों के तट पर निर्मित बाढ़ सुरक्षा बाँधों के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज/बागमती प्रमंडल–1, सीतामढ़ी/बागमती प्रमंडल शिवहर तथा रूनीसैदपुर कार्यरत हैं। जिले में कमजोर तटबंधों की संख्या काफी है तथा उससे भी बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसके लिए बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडलों द्वारा प्राथमिकता तय कर बाढ़ निरोधक कारवाई किये जा रहे हैं। बिहार सरकार ने वैशाली जिला को **अति बाढ़ प्रवण** की श्रेणी में रखा है।

**सारणी– (3.2) वैशाली जिले की प्रमुख नदियाँ तथा बाढ़ प्रवणता :**

| जिले में पड़ने वाले नदी का नाम | प्रखंड का नाम |
|---|---|
| गंडक | हाजीपुर, लालगंज, वैशाली |
| गंगा | हाजीपुर, बिदुपुर, महनार |
| बाया | वैशाली, महुआ, जन्दाहा |

स्त्रोतः बाढ़ नियंत्रण एव जल निस्सरण प्रमंडल, लालंगल

**सारणी– (3.3) विभिन्न नदियों के उच्चतम जल स्तर का डाटा :**

| नदी का नाम/स्थल | जिला | पूर्व का उच्चतम जल स्तर/वर्ष | खतरे का निशान | उच्चतम जल स्तर, 2016 |
|---|---|---|---|---|
| गंडक/हाजीपुर | वैशाली | 50.93/1948 | 50.32 | 50.39(21.08.2016) |

स्त्रोत : केन्द्रीय जल आयोग, पटना

**सारणी– (3.4) वैशाली जिले की बाढ़ प्रवणता (1987–2016) :**

| क्र॰सं॰ | प्रखंड | बाढ़ प्रभावित वर्ष | कुल वर्ष | पुनरावृति काल(वर्ष) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राघोपुर | 1987,90,91,94,96,98,2000,01,03,07,08,11,13,16 | 14 | 2.5 |
| 2 | हाजीपुर | 1987,88,97,94,96,98,2001,03,07,08,11,13,16 | 13 | 2.5 |
| 3 | महनार | 1987,88,91,94,96,98,2000,03,07,08,11,13,16 | 13 | 2.5 |
| 4 | सहदेई बुजुर्ग | 1987,90,91,94,96,98,2003,07,11,13,16 | 11 | 3.0 |
| 5 | बिदुपुर | 1987,91,94,96,98,2003,07,08,11,13,16 | 11 | 3.0 |
| 6 | वैशाली | 1987,98,2001,04,07,11 | 6 | 6.0 |
| 7 | पातेपुर | 1987,2001,04,07 | 4 | 7.5 |
| 8 | जन्दाहा | 1987,2001,03,07 | 4 | 7.5 |
| 9 | लालगंज | 1987,98,2001,07 | 4 | 7.5 |
| 10 | गोरौल | 1987,2001,05,07 | 4 | 7.5 |
| 11 | महुआ | 1987,2001,07 | 3 | 10.0 |
| 12 | पटेढ़ी बेलसर | 2007 | 1 | 30.0 |
| 13 | चेहराकलाँ | 2007 | 1 | 30.0 |
| 14 | भगवानपुर | 2007 | 1 | 30.0 |
| 15 | राजापाकड़ | 2007 | 1 | 30.0 |
| 16 | नगरपरिषद् | 2008 | 1 | 30.0 |

स्त्रोतः आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार एवं अन्य

**वैशाली जिला की प्रमुख नदियाँ, आक्राम्य स्थल तथा बाढ़ प्रवणता :**

विगत 5 वर्षों में वैशाली जिला अंतर्गत तिरहुत तटबंध के 48.7 कि॰मी॰ के पास सेमरा ग्राम में, 57.6 कि॰मी॰ के पास खंजाहाचक में, 58.4 कि॰मी॰ के पास वृंदावन में, 67.7 कि॰मी॰ के पास बलहा बसंता में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये गए है। इसी प्रकार विगत 5 वर्षों के दौरान बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर, महनार प्रखंड अंतर्गत गरीबनाथ मंदिर एवं हसनपुर हबराहा में कटाव निरोधक कार्य कराये गये है। वर्ष 2016 में बाढ़ अवधि में हसनपुर बॉर्डर से तीनमुहानी के बीच गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ का पानी महनार हसनपुर रोड को Overtop कर

गया था। Overtopping को रोकने के लिए वर्ष 2017 में बॉडर से तीनमुहानी के बीच Nylon Crate एवं Geo Bag का डोवेल निर्माण करना पड़ा।

गरीबनाथ मंदिर से तीनमुहानी के बीच स्थानीय जन विरोध के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। यह कार्य कराना आवश्यक है। राघोपुर दियारा चारों तरफ से गंगा नदी से घिरी हुई है। विगत 5 वर्षों में नदी तट को कटाव से रोकने के लिए रूस्तमपुर, हेमतपुर, जफराबाद, परोहा, पुरूषोत्तमपुर, जुड़ावनपुर, राघोपुर, लंकाटोला, रामपुर, विशुनपुर, तेरसिया, बहरामपुर में कटाव निरोधक कार्य कराये गए हैं। समय–समय पर नदी की आक्रमकता के आलोक में कटाव निरोधक कार्य कराना जरूरी है।

नदियों से भू–कटाव भी एक बड़ी समस्या के रूप में जिले में चिह्नित है। खास कर गंगा नदी अपने तटीय प्रखंडों के भूखंडों को तेजी से काट रही है। कटाव निरोधक कार्य प्राथमिकता तय कर कराये जा रहे हैं।

नदी के रास्ते में आने वाले या हालिया वर्षों में बनाये गये विभिन्न अवरोधों ने भी बाढ़ की सम्भावना को बढ़ाया हैं। इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि के समय या नहर में प्रवाहित जलप्रवाह का प्राकृतिक जल निस्सरण मार्गों में अवरोध के फलस्वरूप कई दिनों तक जल जमाव के कारण भी कुछ जगहों पर व्यापक पैमाने पर फसलों की क्षति होने से वहाँ के किसान बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

**बाढ़ क्षति विवरणी :**

**सारणी– (3.5) वैशाली जिला में विगत दस वर्षों (2007–16) के बीच बाढ़ क्षति का विवरण निम्न है :**

| आपदा का प्रकार | वर्ष | प्रभावित प्रखंड/गाँव | मृत्यु सं॰ | पशु क्षति सं॰ | क्षतिग्रस्त मकान सं॰ | प्रभावित कृषि फसल रकबा (लाख हे॰) | संपति हानि लाख रू॰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| बाढ़ | 2007 | 15/1306 | 47 | 78 | 41998 | 0.78 | 4075.09 |
| | 2008 | 6/64 | 3 | — | 1279 | — | — |
| | 2009 | — | — | — | — | — | — |
| | 2010 | — | — | — | — | | — |
| | 2011 | 6/141 | 6 | — | 380 | 0.5 | 9.5 |
| | 2012 | — | — | — | — | — | — |
| | 2013 | 6/100 | 17 | 2 | 06 | 1.32 | 6.0 |
| | 2014 | — | — | — | — | — | — |
| | 2015 | — | — | — | — | — | — |
| | 2016 | 6/127 | 21 | 35 | 159.44 | 0.04 | 159.4 |

स्त्रोतः आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

(5 प्रतिशत पंचायतों के प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के अंर्तगत कुल 15 पंचायतों में से 10 पंचायतों में अर्थात 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जिले में बाढ़ को आपदा के रूप में स्वीकार किया है। अनुमंडलीय स्तर का आयोजन जिले के तीनों अनुमंडलों में संपर्क सह प्रत्यक्ष संवाद हेतु किया गया जिसमें अनुमंडल स्तर से लेकर लोक सेवक तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुऐ। इसे खंड–2 के अनुलग्नक–86 पर दृष्टांत रखा गया है)

= = = = = =

### 3.1.3 सूखा :

बिहार राज्य के जिलों में आयी सूखाड़ की स्थिति का अध्ययन यह बताती हैं कि 2009, 2010, 2013 में प्रायः सभी जिलों में सूखा का प्रभाव रहा। इससे पूर्व 2001, 2004 में भी प्रायः सभी जिलों में सूखा का प्रभाव रहा। वैशाली जिले सहित वर्ष 2001 में 37 जिले, 2004 में 19, 2009 में 26, 2010 में 38 तथा 2013 में 33 जिलों में सुखाड़ घोषित किया गया, जो यह दर्शाता है कि राज्य में सूखाड़ आपदा में निरंतर वृद्धि हो रही है। विगत पाँच वर्षों में तीन बार जिले को सुखा ग्रस्त घोषित किया जाना, यह बताता है कि ऋतु चक्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। चूँकि अधिकांश खेती वर्षा जल आधारित होती है इसलिए इसमें आये परिवर्तन खेती कार्य को प्रभावित करता है। सूखे के साथ एक खास बात है कि यह अचानक नहीं होता। वर्षा का समय–समय पर विचलन कृषि कार्य को प्रभावित करती है। ऐसे में मौसम विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग द्वारा खतरे का आकलन कर आकस्मिक फसल योजना के लिए तैयार रहना पडेगा।

- *कृषि के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है। कार्बन डॉयक्साइड, कार्बन मोनेक्साइड और मिथेन जैसी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ा है जो जलवायु परिवर्तन के रूप में सबके सामने आया है।*
- *जलवायु परिवर्तन का अर्थ है– मौसम चक्र का बदलाव। इसके दो प्रमुख आयाम है। तापमान में बढ़ोत्तरी और वर्षा पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खाद्यान उत्पादन पर पड़ता हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अपनी फसलों और कृषि के तौर तरीकों में आवश्यकतानुसार बदलाव लाने होगें। खेती किसानी में प्रकृति और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना होगा।*

सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मनानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा भी अपनी मानक संचालन प्रक्रिया में सुखाड़ घोषित करने के पैमाने को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है। (बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–1 प्रा॰आ॰–17/2011 3759/आ॰प्रा॰ दिनांक 18.10.2016), संशोधन के मुख्य बिन्दु खंड–2 के अनुलग्नक–2 पर संलग्न है।

**सूखे का संकेतक :**

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अन्ततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

**सारणी–(3.6) सूखे की स्थिति : वैशाली (1966–2015) :**

| क्र॰ | वर्ष | कुल वर्ष | कारण |
|---|---|---|---|
| 01 | 1966,70,71,79,82,2001,04,09,10,2013 | 10<br>**पुनरावृति वर्ष**<br>5 | कम मानसूनी वर्षा, तिरहुत नहर में जलप्रवाह की कमी, परम्परागत आहर तथा पईन पर अनाधिकृत कब्जा। |

स्त्रोतः आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

उपर वर्णित सारणी (3.6) के अतिरिक्त सुखाड़ घोषित करने हेतु इन्हें भी ध्यान में रखना होगा –

वैशाली की भौगोलिक ढाँचा के अंर्तगत मिट्टी की संरचना, स्थलाकृति तथा नदियों से निकलने वाली बलुआही गाद की स्थिति इस प्रकार की है कि जहाँ सामान्य स्थिति में भी यहाँ के कृषक सूखाड़ की सम्भावना से इंकार नहीं करते है। इस जिले के वर्षापात से संबंधित आकंड़े इस बात को सिद्ध करते है कि वर्षा काल में वर्षा, कई वर्षों में अपेक्षित औसत वर्षा की तुलना में काफी कम हुआ हैं।

निम्नांकित सारणी और ग्राफ में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है–

**सारणी–(3.7) विभिन्न वर्षों का वर्षापात आकड़ा :**

| वैशाली जिले में (2009–17) जून से सितम्बर माह तक का वर्षापात के आंकड़े (मि॰मी॰) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र॰ सं॰ | वर्ष | जून | | | जुलाई | | | अगस्त | | | सितम्बर | | | जून से सितम्बर | | |
| | | सामान्य | वास्तविक | % विचलन | सामान्य | वास्तविक | % विचलन | सामान्य | वास्तविक | % विचलन | सामान्य | वास्तविक | % विचलन | सामान्य | वास्तविक | विचलन (मि.मी.) |
| 1 | 2009 | 139.7 | 75.5 | -46 | 318.2 | 32.2 | -90 | 270.5 | 235.7 | -13 | 208.7 | 101.7 | -51 | 937.1 | 445.1 | -492.0 |
| 2 | 2010 | 139.7 | 68.0 | -51 | 318.2 | 134.6 | -58 | 270.5 | 149.3 | -45 | 208.7 | 114.7 | -45 | 937.1 | 466.6 | -470.5 |
| 3 | 2011 | 139.7 | 191.5 | 37 | 318.2 | 198.2 | -38 | 270.5 | 188.8 | -30 | 208.7 | 401.8 | 93 | 937.1 | 980.3 | 43.2 |
| 4 | 2012 | 139.7 | 13.7 | -90 | 318.2 | 251.3 | -21 | 255.7 | 298.5 | -16.7 | 363.2 | 258.6 | 28.8 | 906.5 | 861.4 | -45.1 |
| 5 | 2013 | 137.6 | 21.2 | -85 | 375 | 152 | -59 | 285.3 | 111.1 | -61 | 223.7 | 97.0 | -57 | 1022.0 | 381.4 | -640.2 |
| 6 | 2014 | 137.6 | 98.1 | -29 | 375 | 237.8 | -37 | 285.3 | 356.7 | 25 | 223.7 | 154.5 | -31 | 1021.6 | 847.1 | -174.5 |
| 7 | 2015 | 137.6 | 48.6 | -65 | 374.7 | 237.8 | -37 | 285.3 | 252.3 | -12 | 223.7 | 64.6 | -71 | 1021.6 | 603.3 | -418.3 |
| 8 | 2016 | 137.6 | 66.7 | -52 | 375 | 297.9 | -21 | 285.3 | 99.5 | -65 | 223.7 | 248.2 | 11 | 1021.6 | 712.3 | -309.3 |
| 9 | 2017 | 137.6 | 99.2 | -28 | 375 | 367.8 | -2 | 285.3 | 209.8 | -26 | 223.7 | 62.3 | -72 | 1021.6 | 739.1 | -282.5 |

स्त्रोतः कृषि विभाग, बिहार

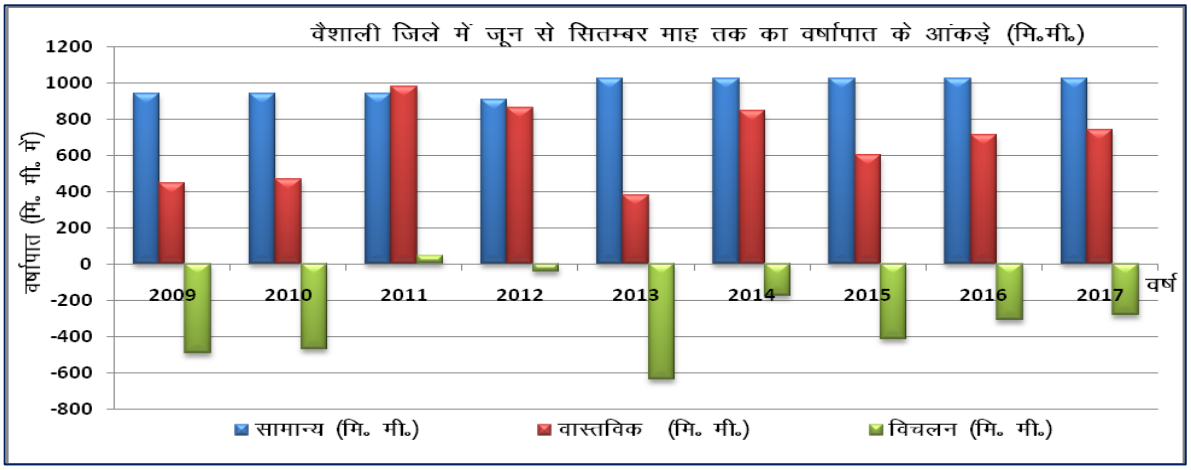


**सुखाड़ का एक कारण :** जिले में बलुआही, बलुआही दोमट तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसमें नमी बहुत दिनों तक नहीं रह पाती। कमोवेश बलुआही दोमट मिट्टी भी यहीं गुण रखती है। सूखे के यदि आर्थिक परिदृश्य को देखा जाए तो यह सीधे तौर पर भूमि और कृषि का अंतरसंबंध से जुड़ा है। स्वभाविक है कि सूखा सीधे तौर पर कृषि से जुड़ा है तथा अन्ततः स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी। जिले के कुल भूभाग का लगभग 81% जोतभूमि है जहाँ कृषि की सम्भावनाएँ बनती है।

**सुखाड़ के मानव जनित कारण :** यहाँ यह बताना अनिवार्य प्रतीत होता है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों में कुछ कारक प्राकृतिक है तो कुछ मानवीय भी। मानवीय कारक के अन्तर्गत नहर के बाँध पर हो रहे अतिक्रमण एवं स्लूइस आदि का दुरूपयोग किया जाना है। गंडक सिंचाई योजना में प्रस्तावित नहरों में से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचता है। जिन नहरों में कई वर्षों तक सिंचाई जल नहीं पहुँचा है उनकी स्थिति काफी दयनीय है। अन्य छोटी नदी से पटवन का साधन नहीं होना, बिजली लाईन का नहीं होना, सिंचाई की समुचित व्यवस्था का नहीं होना आदि भी सुखे के अन्य कारण है।

= = = = = =

### 3.1.4 आग :

इस जिले में अग्निदहन से संबंधित जोखिम एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से अग्निकांड को प्राकृतिक तथा मानव जनित खतरा के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। अधिकांशतः जब गांवों में थोड़ी असावधानी से झोपड़ियों में आग लग जाती है तब उस समय प्राकृतिक रूप से चलने वाली हवा उसके प्रभाव को बढ़ावा देती है, जबकि घरों तथा औद्योगिक संस्थानों में विद्युत फिटिंग के खराब रखरखाव एवं असावधानियाँ मानव जनित अग्निदहन का कारक बनती हैं। बिहार सरकार ने आग को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है।

**सारणी–(3.8) वैशाली जिला में अग्निकांड का विवरण (वर्ष 2006 से 2015 तक) :**

| क्र. | वर्ष | कुल घटना | | मृत्यु | | जख्मी | | सम्पति हानि (रु. करोड़ में) | | सम्पति बचाव (रु. करोड़ में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बिहार | वैशाली | बि॰ | वै॰ | बि॰ | वै॰ | बि॰ | वै॰ | बि॰ | वै॰ |
| 1 | 2006 | 2298 | 81 | 29 | 00 | 56 | 05 | 26.56 | 0.99 | 168.56 | 2.72 |
| 2 | 2007 | 1863 | 67 | 21 | 02 | 44 | 03 | 17.31 | 0.71 | 267.84 | 0.81 |
| 3 | 2008 | 2331 | 38 | 60 | 01 | 106 | 00 | 74.78 | 49.73 | 226.30 | 7.85 |
| 4 | 2009 | 3898 | 84 | 82 | 01 | 108 | 06 | 62.64 | 3.94 | 276.73 | 2.59 |
| 5 | 2010 | 4479 | 196 | 129 | 04 | 136 | 07 | 109.87 | 3.02 | 978.87 | 0.84 |
| 6 | 2011 | 3724 | 176 | 94 | 04 | 109 | 06 | 4109.16 | 2.91 | 1087.59 | 2.67 |
| 7 | 2012 | 6072 | 251 | 152 | 15 | 153 | 12 | 149.78 | 3.41 | 934.37 | 7.89 |
| 8 | 2013 | 5977 | 238 | 162 | 11 | 274 | 33 | 2015.98 | 6.03 | 642.79 | 10.05 |
| 9 | 2014 | 6449 | 325 | 127 | 04 | 187 | 02 | 224.48 | 6.02 | 717.37 | 12.48 |
| 10 | 2015 | 6144 | 188 | 55 | 03 | 126 | 03 | 140.36 | 4.71 | 5601.53 | 2.21 |
| | कुल | **43235** | **1644** | **911** | **45** | **1299** | **77** | **6930.92** | **81.47** | **10901.95** | **50.11** |

नोट : बि॰– बिहार, वै– वैशाली

स्त्रोत : बिहार अग्निशमन सेवा, पटना

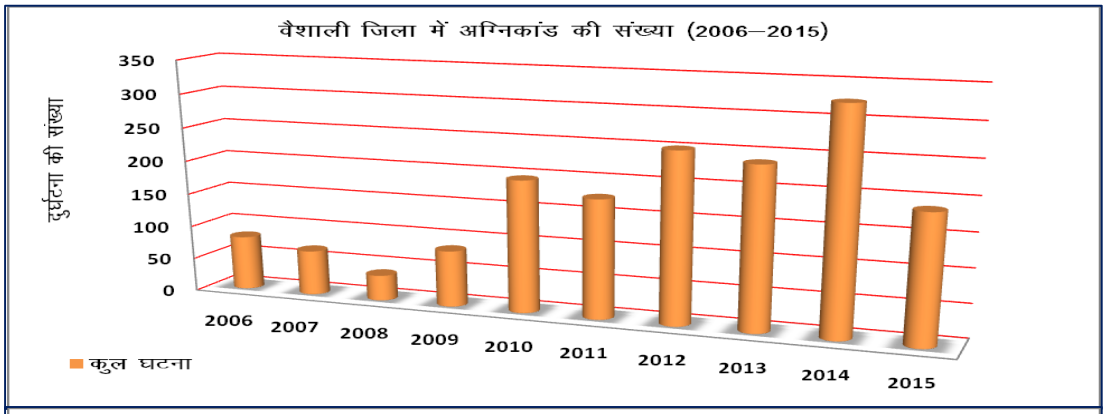


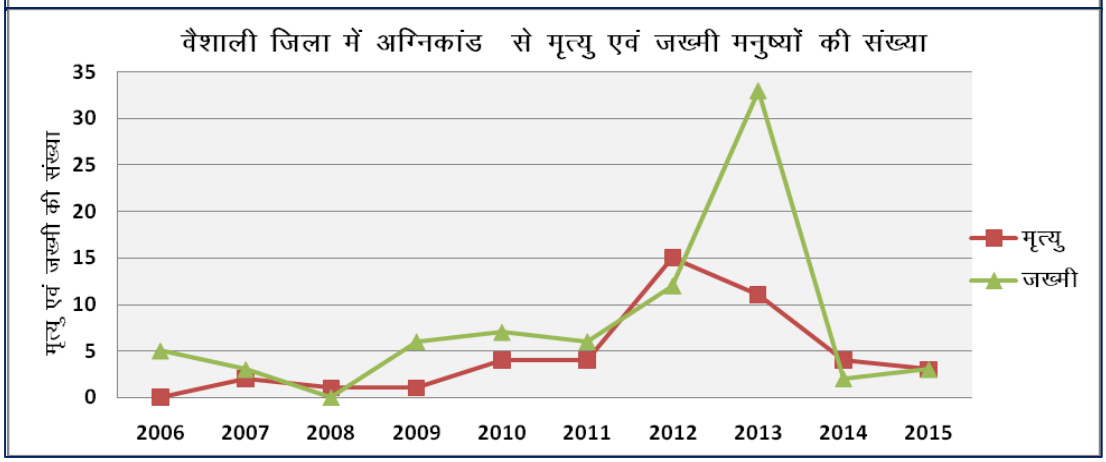

इस जिले का पिछले 10 वर्षों (2006–15) का अग्निदहन संबधी आंकड़ा यह बताता है कि इन वर्षों में कुल 1644 घटनायें प्रतिवेदित हुईं जिसमें 45 लोगों की जाने गईं एवं 77 व्यक्ति घायल हुए। कुल 81.47 करोड़ रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसे उपर की सारणी में विस्तृत रूप से देखा जा सकता है।

**खतरे का आकलन :** हर वर्ष मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में अधिक तापमान, कम नमी, तेज वायु तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग की प्रबल संभावना बनती है। इस जिला में अग्नि से ज्यादातर खतरा ग्रामीण इलाकों में फूस, खपरैल और कच्चे मिट्टी से बने झोपड़ियों की है। फसल कटने के बाद खेत में छोड़े गये डंठल, भूसौल में रखा गया भूसा तथा चूल्हे पर धान उसनने के क्रम में लगी आग को भी खतरे के रूप में पहचान किया गया है। जिले के उपनगरीय इलाकों में असुरक्षित रसोई घर तथा किरोसिन लैम्प से झोपड़ियों में आग लगने की घटना घटित होती रहती है। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों तथा कार्यालयों में पुराने जीर्णशीर्ण तारो के कारण विद्युत के शॉट सर्किट से आग लगने की घटना होती है। अग्निकांड किसी भी जगह हो सकता है। इसलिए, इसको कम करने तथा निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है।

इस जिले में कई विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसमें आग लगने की घटना घटित होती रहती है। वर्ष 2012 एवं 2013 सर्वाधिक अग्नि प्रभावित रहा। औद्योगिक परिसर, हाजीपुर में डेयरी उद्योग 2, खाद्य प्रसंस्रण उद्योग 1, कीट नाशक उद्योग 1, तथा फोम, तरल एवं सूखा पेन्ट का एक–एक कारखाना चल रहा है। शीतल पेय का भी एक कारखाना है। इन लघु/मध्यम उद्योगो से इसके निकट बसी हुई आबादी तथा आम जनों को हमेशा अग्निकांड का खतरा बना रहता है।

विगत 5 वर्षों में प्लास्टिक उत्पाद, बिस्किट कारखाना, दाल मिल आदि में आग लगने की घटनाएँ हुई है। वर्ष 2017 में प्लास्टिक के कारखाने में भीषण आग लगने की घटना हुई जिसमें वैशाली समेत पड़ोसी जिले से कुल 29 अग्निशमन वाहन को आग बुझाने में लगाया गया। आग लगने की अधिकतर घटना शॉट सर्किट, औद्योगिक परिसर में ट्रांसफर्मर तथा कार्य के समय असावधानी के कारण प्रतिवेदित हुई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हाईड्रेन्ट के सुचारू नहीं होने की वजह से भी आग बुझाने के काम में कठिनाई महसूस होती है। हाल के साई बाबा उद्योग के परिसर में आग लगने के बाद सभी 29 अग्निशमन वाहन को जोखिम के समय चार ग्रुप में बाँट कर कार्रवाई की गई। इसे एक अच्छे दृष्टांत के रूप में देखा जा सकता है।

= = = = = =

## 3.1.5 सड़क दुर्घटना :

वैशाली जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित संवेदनशीलता एवं जोखिम का आकलन राज्य तथा जिले में पूर्व में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर किया जा सकता है। राज्य में तेज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पक्के रोड के घनत्व में तेजी से वृद्धि की गई है। ये नई सड़कें घनी आबादी के बीच से गुजरती हैं। इन सड़कों पर दुर्घटनायें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं। वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में भी काफी वृद्धि हुई है। इन सड़कों पर बढ़ते हुए सड़क हादसे अर्थव्यवस्था, जनस्वास्थ्य एवं जनकल्याण के कार्यों पर ऋणात्मक प्रभाव छोड़ते है।

### खतरे का आकलन :

- वैशाली जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ तथा वृहद जिला सड़क की कुल लम्बाई 584 कि॰मी॰ हैं। सड़को की लंबाई बढ़ने के साथ–साथ इनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। परिणामतः इन सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में भी स्वतः वृद्धि होगी। नीचे की सारणी में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

**सारणी –(3.9) जिले में सड़क उपलब्धता (कि॰मी॰) :**

| जिला | वर्ष 2001 | | | वर्ष 2016 (सितम्बर तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन.एच. | एस.एच. | एम.डी.आर. | एन.एच. | एस.एच. | एम.डी.आर. |
| वैशाली | 128 | 46 | 194 | 128 | 113 | 343 |

स्त्रोत–बिहार आर्थिक संवेक्षण–2016–17

**सारणी –(3.10) वर्ष 2015–16 में जिला में निबंधित वाहनों की स्थिति :**

| ट्रक | बस | कार | टैक्सी | जीप | तीन पहिया | दो पहिया | ट्रैक्टर | ट्रेलर | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 59 | 1317 | 91 | 161 | 1103 | 24064 | 883 | 315 | 447 | 28684 |

स्त्रोत–बिहार आर्थिक संवेक्षण–2016–17

- इस जिला का सड़क सुरक्षा की दृष्टि से महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हजारों की संख्या में पटना शहर तथा अन्य जगहों से विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ महात्मा गाँधी सेतु पार कर उत्तर बिहार की ओर जाती है। उत्तर बिहार के लिए यह जिला 'गेट–वे' के रूप में काम करता है। इधर कुछ वर्षों से जन्दाहा प्रखंड की सड़कें भी उत्तर बिहार जाने के लिए 'शार्ट–कट' रूट की तरह इस्तेमाल हो रही है और सड़कों से सटे बसावट दुर्घटना का कारण बन रही हैं।

जिले से चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग – राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 19,(हाजीपुर–पटना),रा॰उ॰म॰सं॰–28 (बहुद्दिनपुर –ठोढी), रा॰उ॰म॰सं॰ –77 (हाजीपुर– मोनाचक) तथा रा॰उ॰म॰सं॰–103 (हाजीपुर–बनबीरा) के नाम से जाना जाता है। राज्य उच्च पथ की सड़कें भी इस जिले से गुजरती है। एस.एच 49 हाजीपुर से मालपुर तक, एस.एच 74 हाजीपुर से वैशाली तक है। वृहद जिला सड़कें (एम.डी.आर) जिले में अच्छी संख्या में मौजूद हैं जिसकी लंबाई कुल 343 कि॰मी॰ है।

**सारणी – (3.11) सड़क दुर्घटना :**

| वर्ष | कुल घटना | मृत | घायल |
|---|---|---|---|
| **2011** | 425 | – | – |
| **2012** | 382 | – | – |
| **2013** | 315 | – | – |
| **2014** | 331 | 116 | – |
| **2015** | 326 | 196 | – |
| **2016** | 331 | 186 | – |
| **2017** | 269 | 201 | – |
| **कुल** | **2379** | **699** | – |

स्त्रोत : पुलिस अधिक्षक कार्यालय, वैशाली

उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि विगत छः वर्षों (2011–16) में सड़क दुर्घटना की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हुई है। यह संख्या प्रतिवर्ष 300 को पार कर गई है, जिससे हम वैशाली जिला को अति सड़क दुर्घटना प्रवण की श्रेणी में रख सकते है। जिले में विगत दस सालों की सड़क दुर्घटना एवं उसमें होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या जानने के बाद ही इसके विभिन्न पहुलुओं का अध्ययन कर सड़क दुर्घटना में कमी लाने की अनुशंसा में सुधार अपेक्षित है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति परिवहन कार्यालय तथा जिला पुलिस द्वारा इस जिले में सुनियोजित ढंग से सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़ा इकट्ठा किये जाने की आवयकता है। इससे प्रत्येक वर्ष हुई कुल दुर्घटना और उससे हुई मृत्यु एवं घायलों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

= = = = = =

### 3.1.6 रेल दुर्घटना :

हाजीपुर में पूर्व–मध्य रेल का मुख्यालय अवस्थित है। साथ ही यह सोनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इस जिला में रेल मार्ग मुख्यतया हाजीपुर– मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर–बरौनी रेल पथ पर परिचालन होता है। इस जिले से जहाँ एक ओर 3 गाड़ियाँ खुलती है वहीं इस खंड पर लगभग 130 गाड़ियों का प्रतिदिन परिचालन होता है। इस जिले के प्रमुख रेल स्टेशन हाजीपुर, देसरी, भगवानपुर, महनारा रोड़, गोरौल, अक्षयवट नगर, चकसिकन्दर, सइदेई बुजुर्ग, सराय, बिठौली, ग्राम खरीका, बासुदेवपुर चाँद, चकमकरन्द एवं बेनीपट्टी पिरापुर है पटना–दीघा सड़क एवं रेल मार्ग दोनो होने से इस मंडल में सर्किट रेल की संभावना काफी बढ़ गई है। अर्थात इस रूट पर ज्यादा रेल गाड़ियाँ और बड़ी संख्या में यात्रियों की आवागमन की संभावना है। इसके लिए सुरक्षात्मक कदम उठाये जाने की जरूरत है। इस जिले में कई समपार भी है जहाँ दुर्घटना में मानव क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता । अतः इसे रोकने की आवश्यकता है।

**मानव रहित समपार पर दुर्घटना :** रेलवे के अध्ययन के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत घटनाएँ समपार के निकट होती है।

जहाँ एक ओर यह माँग सही है कि रेलवे इन जगहों पर गुमटियाँ (फाटक) का निर्माण करें, वहीं इन जगहों पर चालकों द्वारा असावधानी बरतने की वजह से भी दुर्घटनाएँ हो जाया करती है। जिले में रेल से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना न तो अनुमंडल स्तरीय बैठक में और न ही 5 प्रतिशत पंचायतों से सीधे संपर्क कार्यक्रम के दौरान प्रतिवेदित हुए।

पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने रेलवे फाटकों पर ''गेट मित्र'' तैनात करने का निर्णय लिया है जिससे संभावित मानव, पशु एवं वाहन क्षति होने से रोका जा सकेगा । फिलहाल प्रशासन ने बड़ी रेल लाईनों पर तुरंत गेट मित्र को नियोजित करने का निर्णय लिया है। इनका काम लोगों को ट्रैक पार करने से रोकने तथा चेतावनी देना होगा।

= = = = = =

### 3.1.7 नाव दुर्घटना एवं डुबान :

नाव दुर्घटना के अलावा अन्य कारणों से डूबने वाले लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। नदी के अलावा छोटे–छोटे पोखरों, नहरों तथा गढ्ढों में डूबने की घटनाएँ होती रहती हैं। वर्ष 2016 में छठ पर्व के दौरान पूरी तैयारी होने के बावजूद, लोगों द्वारा सरकार की ओर से दी गयी सलाह को अनदेखी करने के कारण, डूबने की घटना प्रतिवेदित हुई है। दुःख की बात है कि डूबने वालों में बच्चों की संख्या अधिक होती है। 23 अगस्त 2016 को पुनपुन नदी में हुई नौका दुर्घटना (7 मृत), 14 जनवरी 2017 को गंगा नदी में दुर्घटना (25 मृत) या पूर्व में वर्ष 2009 विजयादशमी के उत्सव में बागमती नदी में दुर्घटना (30 मृत) मुख्य नाव दुर्घटना हुई। इन सभी में नदी की धारा तेज होना, नौका यात्रियों में घबड़ाहट तथा ओवर लोडिंग हादसों का मुख्य कारण था। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया है और मृतकों के आश्रितों को चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस जिला में यदा–कदा ही नाव दुर्घटना प्रतिवेदित हुई है परंतु नदियों, तालाबों तथा बड़े गढ्ढों में डूबने की घटना हुई है। वर्ष 2018 में सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के इब्राहिम वाजितपुर में घाघरा नहर में नहाते वक्त दो छात्रों की मौत हो गई।

**डूबने से होने वाली मौतों के निम्न कारण प्रमुख हैः**

- खतरों की उपेक्षा या गलतफहमी एवं उचित जानकारियों का अभाव ।
- खतरों वाली जगहों तक बिना किसी बाधा, बिना किसी सूचना एवं सुरक्षा के सुलभ पहुँच।
- निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कमी ।
- बचाव के कौशल यथा तैराकी आदि या अन्य बचाव के तरीके की जानकारी का अभाव ।
- डूबने/संकट के दौरान उस व्यक्ति का बचाव करने में वहाँ उपस्थित समूह/व्यक्तियों की असमर्थता ।
- अचानक नदी की गहराई अधिक हो जाना।
- तैरना नहीं आना।
- बच्चों पर ध्यान नहीं देना।
- नावो पर अत्यधिक लदान।
- नावों पर से उतरने में शीघ्रता बरतना।
- अपरिपक्व नाविक एवं प्रति नाव नाविकों की अपर्याप्त संख्या।
- नाव पर सवार लोगों का धैर्य खोना।
- नाव के रखरखाव में कमी।
- नावों में सुरक्षा उपकरणों की कमी।
- नाव परिचालन के क्रम में निरीक्षण की कमी।
- रात में आंधी–तूफान में नावों का परिचालन करना।
- नाव में यात्रा कर रहे यात्री द्वारा नाव संचालन।
- नाव से पानी निकालने की व्यवस्था न होना।
- नाविकों द्वारा सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन नहीं करना।
- यात्री एवं जानवरों का एक साथ नावों पर यात्रा करना।
- नाव पर सेल्फी लेना।

राज्य में छठ महापर्व – 2016 के दौरान डूबने से हुई 47 मौतों का संज्ञान लेते हुये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अध्ययन करवाया। इस अध्ययन के दौरान उन प्रत्येक परिवारों से संपर्क किया गया जिनके घरों में मौतें हुई थी और साथ ही इसके विभिन्न आयामों पर भी जानकारियाँ एकत्र की गयी। प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले गये :–

- डूबने से हुई 47 व्यक्तियों की मौत राज्य के 20 जिलों में हुई।
- इन 47 व्यक्तियों की मौतों में 40 पुरूषों एवं 7 महिलाओं की मौत हुई थी।
- डूबने से हुई मौतों में बच्चों की संख्या (6–18 वर्ष) सबसे ज्यादा 39 थी। जो लगभग कुल मौतों का 82 प्रतिशत से ज्यादा है।
- जानकारी प्राप्त हुई कि इन 47 व्यक्तियों में से 43 लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था।
- डूबने के स्थान के संदर्भ में जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा मौतें तालाब और तालाब के समान अन्य संरचना (नदी का छाड़न) इत्यादि में हुई। नहर में 4 और नदी में 16 लोगों की मौतें हुई।

= = = = = =

### 3.1.8 भीड़ (मेला)/भगदड़ :

अफवाह का फैलना, असामाजिक तत्वों की सक्रियता, धैर्य का अभाव, शीघ्रता से भीड़ भरे स्थल को छोड़ने की मानसिकता, भीड़ से बच निकलने की जल्दी आदि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो भीड़ को भगदड़ में बदल डालती है। भगदड़ की स्थिति बनने के उपरान्त मरने एवं घायल होने वालों की संख्या का अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है। अपनी जान बचाने की मानसिकता के फलस्वरूप जो शारीरिक गतिविधियाँ बनती है वे दूसरों के जान की परवाह नहीं करती। तभी तो भगदड़ में यदि कोई जमीन पर गिर जाता है तो उसके शरीर के उपर से पूरी भीड़ गुजर जाती है तथा उसे उठ खड़ा होने का मौका नहीं देती। तात्पर्य यह कि दूसरों के जान की चिंता किए वगैर भगदड़ में बदल जाती है। पटना में गुरू गोविन्द सिंह के 350वीं जंयती के अवसर पर आयोजित विश्वस्तरीय प्रकाश उत्सव के दौरान सरकार द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए बनाई गयी योजना एवं इसका क्रियान्वयन एक मील का पत्थर है। राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की इस अनूठी योजना की काफी सराहना की गई है जो प्रत्येक जिले के लिए अनुकरणीय हो सकती है।

जिले में व्याप्त खतरे एवं जोखिम के दृष्टिकोण से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अवस्थित कोनहारा घाट समेत अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। ऐसे में धार्मिक रूप से जुड़े भीड़ का आवागमन के समय सड़क तथा स्नान के लिए घाटों पर संभावित दुर्घटना का कारण बन सकता है। ऐसों भीड़ों की वास्तविक संख्या की जानकारी का अभाव तथा उनके प्रवेश एवं निकास संबंधित व्यवस्था में कई बार चूक हो जाती है जो भीड़ हादसे का स्वरूप ले लेती है। इसके अतिरिक्त श्रावण के महीने में हाजीपुर – मुजफ्फरपुर मार्ग पर तथा वैशाली महोत्सव के दौरान काफी संख्या में लोग जुटते है। इस लिए इन अवसरों पर भी जोखिम की दृष्टिकोण से सुधार के लिए प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। भीड़ या भगदड़ में पूर्व से की गई तैयारी किसी संभावित जोखिम को टाल सकता है।

जिले में एकत्रित भीड़ के हादसे में बदलने की पूर्व में कोई विशेष घटना घटित नहीं है।

= = = = = =

### 3.1.9 जलवायु परिवर्तन :

वैशाली जिला की मिट्टी संरचना, कृषि जलवायु के आधार पर यह जिला बिहार के कृषि जोन –I में अवस्थित हैं। इस जोन को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले तापक्रम तथा वर्षापात के आंकड़े कृषि विभाग द्वारा संकलित किया गया है। विगत 58 वर्षों के आंकड़ों को लेकर कृषि विभाग', बिहार द्वारा कराये गये अध्ययन में वर्षापात तथा तापमान में वार्षिक परिवर्तन का रूख जानने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के आधार पर कृषि जोन–I में अवस्थित जिलों में प्रति वर्ष तापमान तथा वर्षापात् में परिवर्तन की निम्न प्रवृति देखी गई।

- अधिकतम तापमान – कमी (–0.012 डिग्री से॰/प्रति वर्ष)
- न्यूनतम तापमान – वृद्धि (+0.015 डिग्री से॰/प्रति वर्ष)
- मध्य तापमान – वृद्धि (+0.002 डिग्री से॰/प्रति वर्ष) स्त्रोतः बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

कृषि विभाग, बिहार ने एक अध्ययन रिपोर्ट 'मेनस्ट्रिमिंग क्लाइमेट स्मार्ट विलेज' के माध्यम से 'स्केलिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराया है। जिसे राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा इंडियन कॉउसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से लागू कराया जा रहा है। जनवरी, 2017 की रिपोर्ट में बिहार के सभी जिलों को जलवायु परिवर्तन के कारण संवेदनशील माना है।

इस तथ्य को उपर वर्णित अधिकतम, न्यूनतम तथा मध्य तापमान यह दर्शाता है कि वैशाली जिला में भी समय–समय पर बढ़ोतरी और कमी की संभावना है। पूर्व में (सारणी–3.7) वर्षापात के आंकड़े भी यह बताता है कि पिछले वर्षों में अपेक्षित वर्षा तथा वास्तविक वर्षा में अंतराल रहा है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक के लिए बिहार जलवायु अनुमानों में साल के विभिन्न महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान (2 से 4 डिग्री सेटीग्रेड तक) में वृद्धि के रूझान को उजागर किया है। इससे ग्रामीण जनता की कृषि, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। (देखे www.bameti.org के विषय 'क्लाइमेट चेन्ज' में )

= = = = = =

### 3.1.10 गर्मी / लू :

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापक्रम मानचित्र यह दर्शाता है कि वैशाली जिला में अब तक संकलित अधिकतम उच्चतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेन्टीग्रेड पाया गया है, तथा अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेन्टीग्रेड के बीच (मई महीने में) पाया गया है। तापक्रम संबंधी अभिलेख इस जिले की लू एवं उष्णता संबंधी जोखिम की तीव्रता बताती है।

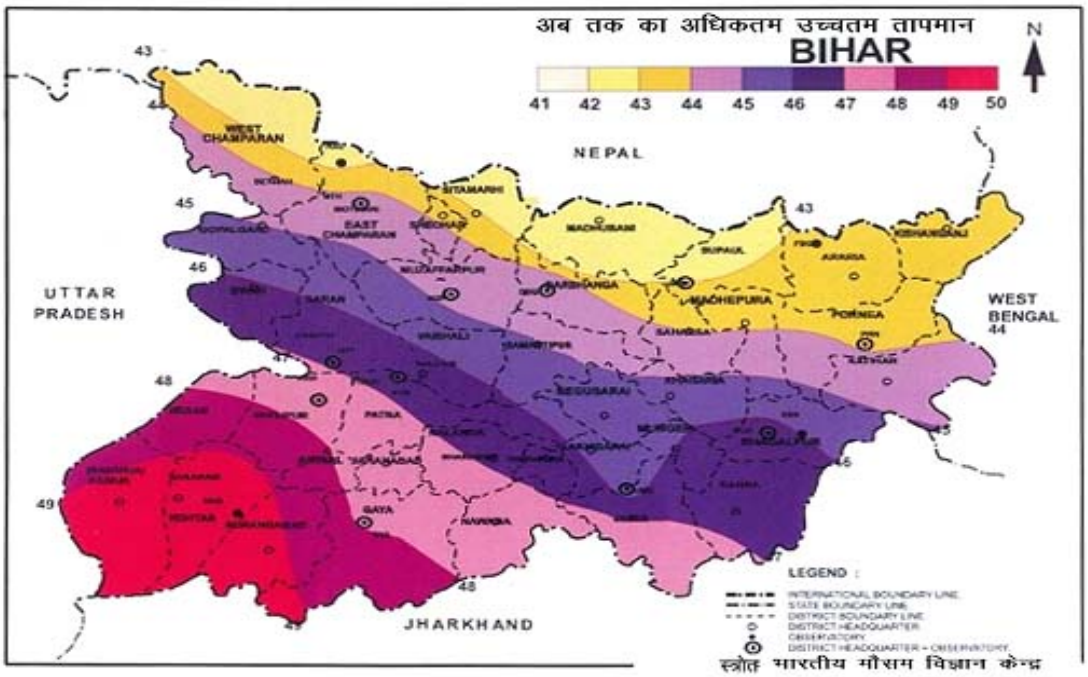


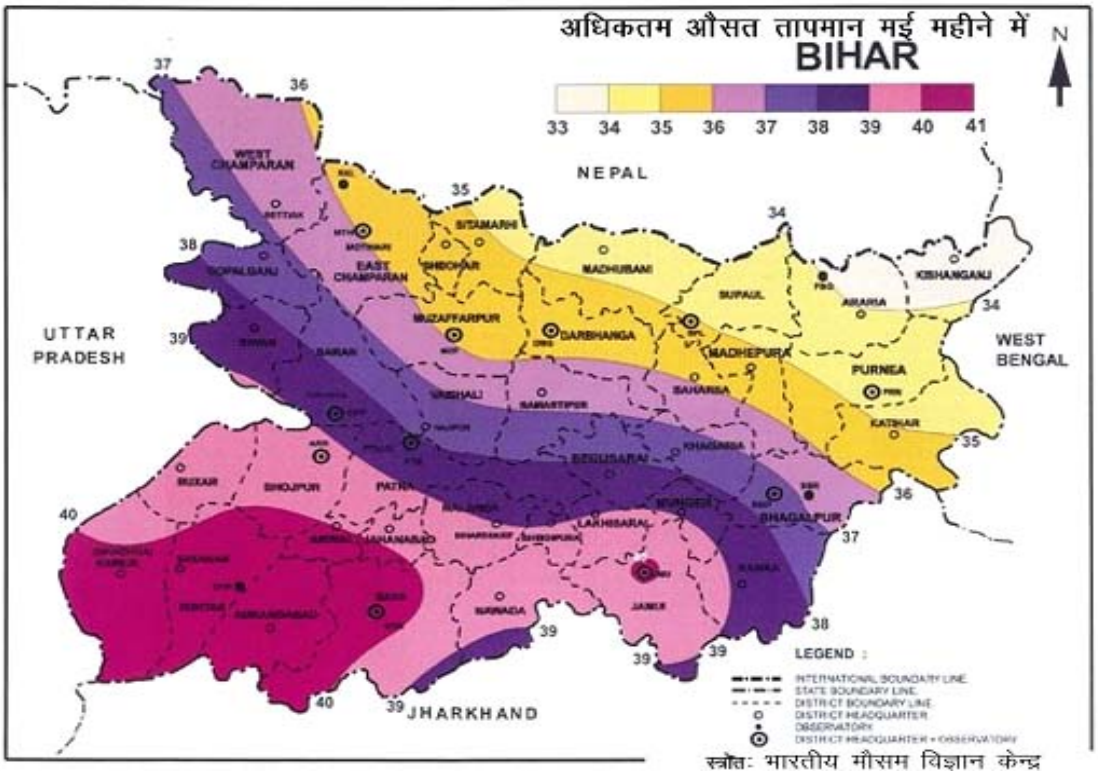

14वीं वित्त आयोग के प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने कुछ अन्य आपदाओं समेत लू को स्थानीय आपदा घोषित किया है ताकि ऐसे मौकों पर विशेष कार्य योजना बनाने तथा विशेष सहायता देने में सुविधा हो सके।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू या उष्माघात को परिभाषित किया है। केन्द्र की परिभाषा के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मी या लू की संज्ञा दी जाती हैं। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार $40^0$ सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते हैं। उपरोक्त स्थिति अगर दो–तीन दिनों तक बनी रहे तो एक कार्य योजना के तहत मौसम विभाग के पुर्वानुमान को आधार मानकर तैयारी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

**खतरे का परिणाम :**

- घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े),।
- ऐठन (गर्मी के कारण क्रैम्प),।
- बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा),।
- गर्मी से थकावट, ।
- उष्माघात (सनस्ट्रोक)।
- निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन)।

इस स्थिति में व्यक्ति आपात स्थिति में जा पहुँचता है और प्राथमिक सहायता के साथ–साथ तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू की स्थिति को 'कलर कोड' से चिह्नित किया है। इससे जनमानस को भी आसानी से समझने में सहुलियत होगी। आम जनता को गर्मी या लू संबंधित गंभीरता की जानकारी अखबार तथा जिला एवं प्रखंड में अवस्थित ''डिस्पले बोर्ड'' पर भारत सरकार द्वारा जारी कलर कोड के माध्यम से सतर्क किया जा सकता है।

नीचे की सारणी में कलर कोड को दर्शाया गया है–

**सारणी – (3.12) ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड :**

| कलर कोड | ग्रीष्म लहर की स्थिति | तापमान |
|---|---|---|
| लाल रंग<br>गंभीर परिस्थिति | अत्यन्त गर्म हवा से सचेत करने का दिन | सामान्य (अधिकतम) तापमान से लगभग $6^0$ डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा होने पर |
| नारंगी रंग<br>मध्यम परिस्थिति | गर्म हवा से सतर्क रहने का दिन | सामान्य (अधिकतम) तापमान से $4^0$ से $5^0$ डिग्री सेंटीग्रेड |
| पीला रंग<br>गर्मी की लहर की चेतावनी | गर्म दिन | सामान्य (अधिकतम) के आसपास का तापमान |
| सफेद रंग<br>सामान्य | सामान्य दिन | सामान्य से कम तापमान होने पर |

स्त्रोतः भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र

= = = = = =

### 3.1.11 शीतलहर :

सामान्यतः बिहार में यह आपदा दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंड की व्यापकता और तीक्षणता जब प्रचण्ड एवं भयावह रूप लेती है तो यह शीतलहर कहलाती है।

**खतरे का पैमाना :** शीतलहर की श्रेणी में लाने हेतु ठंड की तीव्रता का पैमाना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। बिहार सरकार, आपदा प्रबन्धन विभाग का पत्रांक 4285 दिनांक 18.10.2012 खंड–2 के अनुलग्न–56 पर देखा जा सकता है।

| शीतलहर की स्थिति | तापमान |
|---|---|
| शीतलहर | जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान $10^0$C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से $7^0$C कम हो जाए। |
| | जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान $10^0$C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान $5^0$C से कम हो जाए। |
| पाला | जहाँ तापमान $0^0$C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा। |

स्त्रोतः आपदा प्रबंधन विभाग

इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान भी किसी भी क्षेत्र के सामान्य दिन (अधिकतम) और रात (न्यूनतम) के तापमान के अन्तर को, उष्णता/शीतलहर के लिए तापमान को परिभाषित करने का आधार मानता है। शीतलहर को मध्यम या तीव्र तब माना जाता है, जब वर्तमान न्यूनतम तापमान सामान्य से (6–$7^0$C) कम हो जाए अथवा $8^0$C से अधिक कम हो जाए। अब इसके आकलन में स्थानीय जलवायु की स्थितियाँ और तापमान में हुए परिवर्तनों को भी महत्व देने की बात की जाती है।

= = = = = =

### 3.1.12 ठनका/वज्रपात :

विगत कुछ वर्षों में बिहार के कई जिलों में वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला है जिसमें कई जानें चली गई है। विगत वर्ष 2016 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु एक ही दिन वज्रपात से हो गयी। इस जिला में भी वज्रपात से लोगों की जान जाने की सूचना प्रतिवेदित है। जिसे नीचे की सारणी में देखा जा सकता है।

**सारणी– (3.13) वैशाली में वज्रपात से मृत्यु :**

| वर्ष | मृतक की संख्या |
|---|---|
| 2015–16 | 1 |
| 2016–17 | 3 |
| 2017–18 | 2 |

स्त्रोतः जिला आपदा प्रबंधन शाखा

ज्योंहीं पृथ्वी की ओर वज्रपात चलता है काफी मात्रा में विद्युत निरावेश बादलों से पृथ्वी की ओर चल देती है। विद्युत निरावेश का भय तब अधिक हो जाता है जब बादलों के भीतर विद्युत आवेश की मात्रा बढ़ती है। 'फिल्ड मिल' यंत्र बादलों के भीतर के आवेश का मापन करने में सक्षम होता है। जैसे ही यह एक निर्धारित सीमा में पहुँचती है वज्रपात के पृथ्वी पर गिरने की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है।

जिले के 10 प्रखंड़ो से प्राप्त आंकड़ों में वज्रपात की व्यापक प्रभावकता कहीं भी नहीं बताई गयी।

= = = = = =

### 3.1.13 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि :

वायु आधारित आपदाओं में तूफान, चक्रवात, बवंडर, तूफानी लहरे तथा तरंगे आदि हैं। ओलावृष्टि को भी वायु आधारित आपदा की श्रेणी में रखना ज्यादा उचित होगा।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार ने जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से मार्च में ओलावृष्टि के कारण हुई रबी फसल की क्षति तथा 21 अप्रैल, 2015 को राज्य में आये चक्रवाती तूफान से हुई क्षति के आलोक में सभी जिलों को आपदाग्रस्त घोषित किया था।

जिला/अनुमण्डल/प्रखण्डों/पंचायतों 5% से एकत्रित हुए जिसमें जिला और प्रखण्डों से प्राप्त आंकड़े प्रश्नावलियों के माध्यम से एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि चक्रवाती तूफान जिले में लगभग कमोवेश होता है। उत्तरदाताओं ने चक्रवात को एकाध बार आने वाला माना है। किन्तु यदि नमी, तापक्रम आदि में बदलाव हो तो तेज चक्रवाती तूफान से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग मेटेरियल एंड टेक्नौलोजी प्रोमोसन कॉउसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा जारी ''वलनेरेबिलीटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान की संभावना वाला जिला बताया गया है।

इसके अनुसार जिले के शत–प्रतिशत क्षेत्र में 47 मी॰/से॰ की दर से तेज तूफान आ सकता है।

**सारणी (3.14) उच्चशक्ति हवा संवेदनशीलता :**

| जिला | उच्च शक्ति हवा (हवागति मीटर/सेकेण्ड) | | |
|---|---|---|---|
| | 55 – 50 | 47 | 44 – 39 |
| वैशाली | 0 | 100 | 0 |

**स्त्रोत** :निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बी.एम.पी.टी.सी.)

**खतरे का कारण :**

- वायुमण्डलीय आद्रता, दबाव, आयतन एवं चलन (ताप का)।
- कपासी मेघ का काफी उँचाई पर बनना (ओलावृष्टि) ।

= = = = = =

### 3.1.14 संदूषित जल :

जिले में पीने की पानी का मुख्य स्त्रोत भू–जल है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के बच्चे, बुजुर्ग, महिला समेत अन्य सभी वर्ग को स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए। यदाकदा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रही है तथा पेयजल कुछ जगहों पर दूषित पाया गया है। एजेन्सियाँ मुख्यतया स्वच्छता की जाँच 15 मानक स्तर पर करती है। अधिकांश जगह पर पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड या अधिक लौह होने का मुख्यतः पता लगाया जाता है। जल में अधिकतम 1.5 मि॰ग्राम॰/ली॰ फ्लोराइड हीं पीने हेतु मान्य है। उसी तरह से लौह आदि के लिए भी स्वीकार्य मानक स्तर तय किया गया है।

जिला में समय–समय पर इसकी जाँच की जाती है एवं निवारण का तरीका ढूंढा जाता है। बिहार में राष्ट्रीय पेयजल योजना (डी॰डब्लू॰एस॰) जारी है। यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करायी जा सके।

**चिन्हित खतरा** : 5 प्रतिशत पंचायतों से प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के अंर्तगत 15 पंचायतों में प्रत्यक्ष संपर्क किया गया। जिसमें कुल 8 पंचायतों ने पेयजल अशुद्ध होने की जानकरी दी। इसमें से 8 में लौह, 3 में आर्सेनिक तथा एक–एक ने फ्लोराईड और कैल्सियम पाये जाने की जानकारी दी। प्रभावित प्रखंड़ों में जन्दाहा, पटेढी बेलसर, राजापाकर, गोरौल, सहदेई बुर्जुग, लालगंज, चेहराकलॉ, महनार आदि प्रमुख है।

जिले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के हाजीपुर स्थित प्रयोगशाला में जिले के कुल 2100 नलकूपों में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता की जाँच की गई। वैशाली जिले के 16 प्रखंडों में 70 पंचायतों के कुल 93 स्कूलों में उपलब्ध पानी का विश्लेषण करने पर पाया गया कि अधिकांश नलकूपों में उपलब्ध पानी मटमैले तथा आयरन युक्त थे। प्रयोगशाला का रिपोर्ट बताता है कि स्कूलों के पानी में आयरन की मान्य सीमा 1 मि॰ग्राम/लिटर की अपेक्षा सभी जगहों पर 1.5, 2.0 एवं 2.5 तथा कुछ जगहों पर 3.0 मि॰ग्राम/लिटर तक पाये गये। स्कूली परिसर में लौह युक्त पानी का सेवन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है।

**भूमिगत जल स्रोतों की गुणवत्ता** : वैशाली जिला में उपलब्ध भूगर्भीय जल अमूमन फसलों की सिंचाई के रूप में उपयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया है।

**वैशाली जिला में कम गहराई के कुँओं में उपलब्ध जल में घुलनशील रसायन तत्व निम्नांकित परिधि में (रेंज) पाये गये हैं :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | विद्युत संचालकता | : | 550 से 2500 **µs @25°c** |
| (ii) | pH | : | 7.48 – 8.78 |
| (iii) | हार्डनेश | : | 190 – 270 पी.पी.एम. |
| (iv) | कैल्सियम | : | 18 – 70 पी.पी.एम. |
| (v) | मैग्नेसियम | : | 6 – 101 पी.पी.एम. |
| (vi) | सोडियम | : | 32 – 265 पी.पी.एम. |
| (vii) | पोटासियम | : | 1.9 – 6.2 पी.पी.एम. |
| (vIII) | क्लोराईड | : | 18 – 426 पी.पी.एम. |
| (ix) | बाई कार्बोनेट | : | 154 – 592 पी.पी.एम. |

स्त्रोत : केन्द्रीय भूजल बोर्ड, पटना

= = = = = =

### 3.1.15 महामारी एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे :

इस जिला में स्वास्थ्य संबंधी खतरे एवं जोखिम में सर्वाधिक कालाजार के रूप में स्वास्थ्य समस्या को चिन्हित किया गया है। विगत वर्षों में कालाजार को राष्ट्रीय बिमारी घोषित करने के बाद बड़े पैमाने पर इसे समूल नष्ट करने के उपाय किये गये हैं। इसका परिणाम इस बात से स्पष्ट होता है कि विगत छः वर्षों में इस बिमारी से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसे मुख्य बिमारी मानते हुए सतत् चिकित्सीय व्यवस्था की जा रही है। अन्य मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं में टी.बी., कुष्ठरोग आदि प्रमुख हैं।

इसके अलावा जिले में कुत्ते द्वारा लोगों को काटे जाने की समस्या बड़े पैमाने पर उभर कर आयी है। विगत छः वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि जहाँ 2012 में 19473 वहीं 2017 के छः माह के अवधि में कुत्ते द्वारा 20413 लोगों को काटने की सूचना प्राप्त है। अधिकांशतः कुत्ते द्वारा काटने की सूचना जून से जनवरी के बीच ज्यादा प्रतिवेदित हुई है। इस तरह की स्वास्थ्य संबंधित खतरों को देखते हुए। इसके लिए सुनियोजित आपदा प्रबंधन की ओर ध्यान दिया जाना है।

2011 से 2016 के बीच सर्पदंश से ग्रसित 301 रोगियों का इलाज किया गया इनमें से 10 रोगियों की जान नहीं बचाई जा सकी। 2007 से 2016 के बीच कालाजार से ग्रसित 13778 रोगियों का इलाज किया गया।

**सारणी–(3.15) जिले की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ :**

| क्र॰ सं॰ | बिमारी | वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | कालाजार | 1197 | 858 | 664 | 398 | 163 | 112 |
| 2 | मलेरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | फाईलेरिया | 0 | 34 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | टी॰बी॰ | 1362 | 1402 | 1494 | 1398 | 1583 | 908 |
| 5 | मस्तिष्क ज्वर | 12 | 16 | 28 | 7 | 18 | 3 |
| 6 | स्वाईन फ्लु | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | डेंगू | 0 | 13 | 3 | 35 | 53 | 8 |
| 8 | चिकेनगुनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 9 | डायरिया/गैस्ट्रोइनट्रेटिस | 36 | 10 | 0 | 69 | 34 | 45 |
| 10 | एच॰आई॰भी॰ | 0 | 787 | 721 | 754 | 525 | 352 |
| 11 | चिकेन पौक्स | 145 | 59 | 28 | 59 | 240 | 49 |
| 12 | मिजल्स | 172 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 |
| 13 | कुत्ते का काटना | 19473 | 16298 | 20000 | 31093 | 14236 | 20413 |
| 14 | कुष्ठरोग | 462 | 447 | 428 | 335 | 300 | 375 |
| 15 | सर्पदंश | 36 | 68 | 84 | 54 | 23 | 12 |

स्त्रोतः असैनिक शल्य चिकित्सक का कार्यालय, वैशाली।

= = = = = =

## 3.2 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण (Vulnerability & Risk Analysis) :

वैशाली जिला बहु आपदा के प्रति संवेदनशील जिला है तथा इन बहु खतरों से मुकाबला करने की क्षमता में पर्याप्त कमी रहने के कारण जान–माल के नुकसान का जोखिम बना रहता है। भूकंप, बाढ़, सूखा, डुबान, अगलगी, तूफान इत्यादि खतरों के प्रति संवेदनशील तथा जोखिम का आपदावार विवरण नीचे दिया गया है।

### 3.2.1 भूकंप :

वैशाली जिला भूकंप के पैमाने पर सिसमिक जोन–IV के अंतर्गत आता है। वैशाली जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 7,32,733 मकान हैं। जिसमें 2,29,787 वैसे मकान हैं। जो पक्के मकानों की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार 1,50,782 वैसे मकान हैं जिनके छतों में हस्त निर्मित या मशीन निर्मित टाइल्स का प्रयोग किया गया है। सिर्फ 3,52,164 वैसे मकान है जिनमें फूस, प्लास्टिक, जी.आई.शीट्स का प्रयोग हुआ है। पुराने तथा भीत (फूस तथा खपड़े) के मकानों में ज्यादा क्षति होने की संभावना रहती है। जिले में मकानों के बनावट के आधार पर संभावित सर्वाधिक क्षति का आकलन सारणी– 3.16 में दर्शाया गया है।

लिनामेंट (सतह पर अनुरेखीय स्वरूप) के आधार पर बिहार के भूकंप प्रवण जिलों का मानचित्र देखने से यह स्पष्ट होता है कि रोहतास–मधुबनी ''मेगा लिनामेंट फॉल्ट लाईन'' वैशाली जिले के उत्तर–पूर्वी छोर से सट कर गुजरती है। एक दूसरा स्थानीय ''इंटरमिडिएट लिनामेंट'' लालगंज प्रखंड से होकर गुजर रहा है। साथ ही वैशाली जिला के उत्तर–पूर्वी छोर के निकट ''पश्चिमी पटना फॉल्ट लाईन'' गुजरती है। इस फॉल्ट लाईन/लिनामेंट पर किसी भी प्रकार की भू–गर्भीय कंपन होने पर इसका सबसे अधिक प्रभाव वैशाली जिले के वैशाली, लालगंज एवं पटेढी बेलसर प्रखंड में पड़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त वैशाली जिले के दक्षिण–पश्चिम छोर से सट कर ''पूर्वी पटना फॉल्ट लाईन'' गुजर रही है। यहाँ पर भूकंप केन्द्र होने पर वैशाली जिले का राघोपुर और महनार प्रखंड सर्वाधिक प्रभावित हो सकते है।

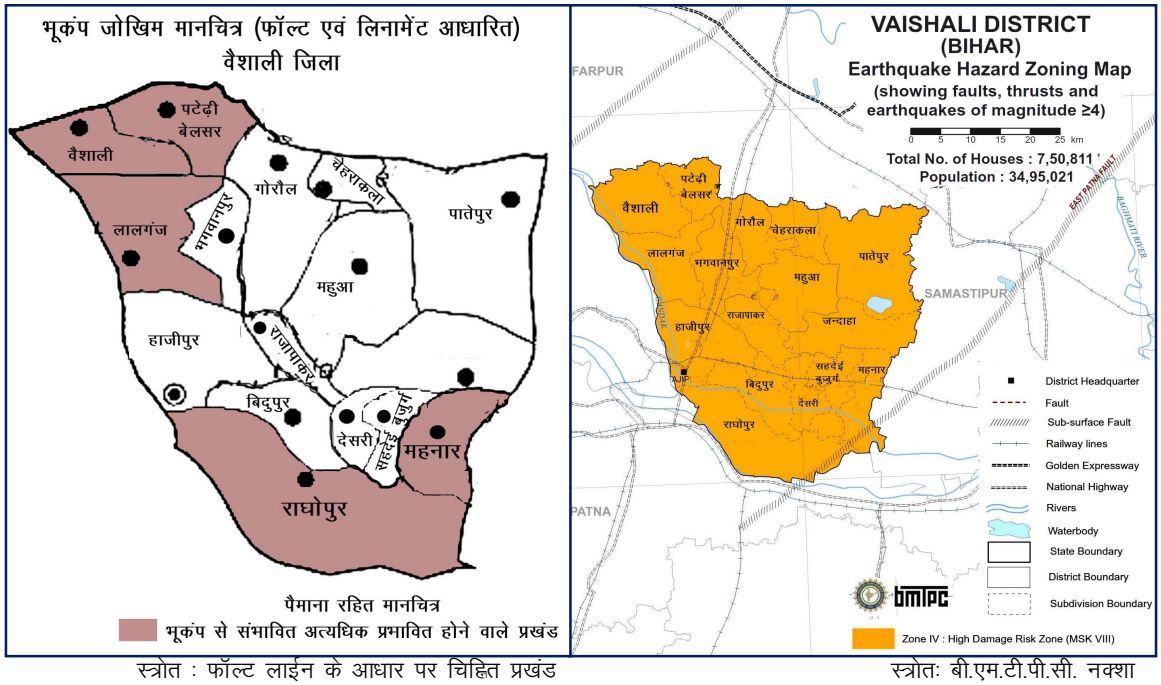


स्त्रोत : फॉल्ट लाईन के आधार पर चिह्नित प्रखंड

स्त्रोतः बी.एम.टी.पी.सी. नक्शा

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 1934 के भूकंप को सर्वाधिक खतरनाक मानते हुए एक वृहत अध्ययन कराया है। इसमें 2011 के जनगणना को ध्यान में रखते हुए, साथ ही वर्तमान में मकानों की संख्या का आकलन करते हुए यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर वैशाली जिला में 1934 के स्तर का भूकंप आये तो दिन या

रात के समय में किस स्तर की क्षति की संभावना हो सकती है। भूकंप पुनरावृत्ति का काल्पनिक क्षति नीचे सारणी में देखा जा सकता है।

**सारणी –(3.16) जिले में प्रखंडवार भूकंप के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के संदर्भ में) :**

| जिला/ प्रखंड | भूकंपीय जोन | | संभावित घरो के क्षति की श्रेणी | | | | संभावित क्षति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | मनुष्य की क्षति | | पुनः निर्माण | मरम्मति |
| | | कुल मकान | NG5 | NG4 | NG3 | NG2 | प्रतिकूल समय | अनुकूल समय | | |
| वैशाली | IV | 732,733 | 14,701 | 147,667 | 292,631 | 74,791 | 7,507 | 2,327 | 162,367 | 367,422 |
| | IV | 41,711 | 552 | 6,280 | 16,502 | 3,870 | 311 | 96 | 6,832 | 20,372 |
| पटेढ़ी बेलसर | IV | 21,703 | 281 | 3,068 | 7,441 | 1,874 | 153 | 47 | 3,349 | 9,316 |
| लालगंज | IV | 56,868 | 1,037 | 10,554 | 21,677 | 5,484 | 535 | 166 | 11,591 | 27,160 |
| भगवानपुर | IV | 44,723 | 701 | 7,582 | 18,034 | 4,488 | 379 | 118 | 8,283 | 22,522 |
| गोरौल | IV | 38,020 | 533 | 6,015 | 15,596 | 3,699 | 298 | 92 | 6,548 | 19,295 |
| चेहराकलॉ | IV | 26,823 | 501 | 4,917 | 9,089 | 2,406 | 251 | 78 | 5,418 | 11,496 |
| पातेपुर | IV | 83,974 | 1,809 | 17,607 | 31,755 | 8,181 | 902 | 280 | 19,416 | 39,936 |
| महुआ | IV | 56,673 | 1,019 | 10,523 | 22,434 | 5,527 | 532 | 165 | 11,542 | 27,961 |
| जन्दाहा | IV | 61,635 | 1,268 | 12,371 | 22,495 | 6,062 | 633 | 196 | 13,639 | 28,557 |
| राजापाकर | IV | 32,737 | 885 | 8,147 | 12,012 | 3,166 | 423 | 131 | 9,032 | 15,178 |
| हाजीपुर | IV | 88,328 | 1,798 | 19,088 | 43,539 | 10,955 | 958 | 297 | 20,886 | 54,494 |
| राघोपुर | IV | 44,000 | 1,130 | 9,881 | 11,425 | 3,340 | 520 | 161 | 11,011 | 14,765 |
| बिदुपुर | IV | 49,072 | 1,340 | 12,929 | 22,693 | 5,975 | 663 | 206 | 14,269 | 28,668 |
| देसरी | IV | 19,071 | 477 | 4,572 | 7,847 | 2,186 | 235 | 73 | 5,049 | 10,033 |
| सहदेइ बुजुर्ग | IV | 28,614 | 607 | 6,146 | 12,449 | 3,080 | 312 | 97 | 6,753 | 15,529 |
| महनार | IV | 38,781 | 763 | 7,986 | 17,644 | 4,498 | 402 | 125 | 8,748 | 22,143 |

स्त्रोतः बि.रा.आ.प्र.प्रा.– भूकंपीय अध्ययन 2013

**नोट : प्रतिकूल समय – रात का समय/अनुकूल समय – दिन का समय**

**भूकंप में घरों के क्षति का विभिन्न ग्रेडः**

**NG5**—पूर्ण क्षति। मकानों का धराशायी होना।

**NG4**—विनाश, दीवारों के बीच दरार, भवनों का कुछ हिस्सा धाराशायी होना, भवन के भीतरी दीवारों का गिरना।

**NG3**—भारी क्षति, दीवारों में लंबी तथा प्लास्टर में गहरी दरारे पड़ना, चिमनी का धाराशायी होना।

**NG2**—साधारण क्षति, दीवारों तथा प्लास्टर में छोटी हल्की दरारें, प्लास्टर का झड़ना, टाईल्स का फिसलना, चिमनी का क्षतिग्रस्त होना।

**नोट : NG=Number of Houses under Damage Grade**

(विस्तृत रिपोर्ट बि॰रा॰ आ॰ प्र॰ प्रा॰ द्वारा प्रकाशित 1934 के भूकंप तीव्रता के समतुल्य भूकंप की पुनरावृति से बिहार के विभिन्न जिलों में संभावित काल्पनिक क्षति का परिदृश्य अगस्त–2013 को वेबसाईट www.bsdma.org के पब्लिकेशन एवं रिपोर्ट सेक्शन में देखा जा सकता है।)

= = = = = =

### 3.2.2 बाढ़ :

वैशाली जिला के पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा में बहने वाली गंडक नदी अवस्थित है जो हाजीपुर के पास पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली गंगा नदी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी का दक्षिणी तट वैशाली जिला का दक्षिणी सीमा रेखा है जो पटना जिला का उत्तरी सीमा रेखा भी है। हाजीपुर से पूरब गंगा नदी के उत्तरी एवं दक्षिणी तट के बीच का दियारा राघोपुर प्रखंड में है जो तीन तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है। वस्तुतः यह प्रखंड गंगा नदी के पेट में बसा हुआ हैं। जिसे आगे संलग्न नक्शे में देखा जा सकता है। इस कारण यह पूर्णतः बाढ़ प्रवण क्षेत्र है।

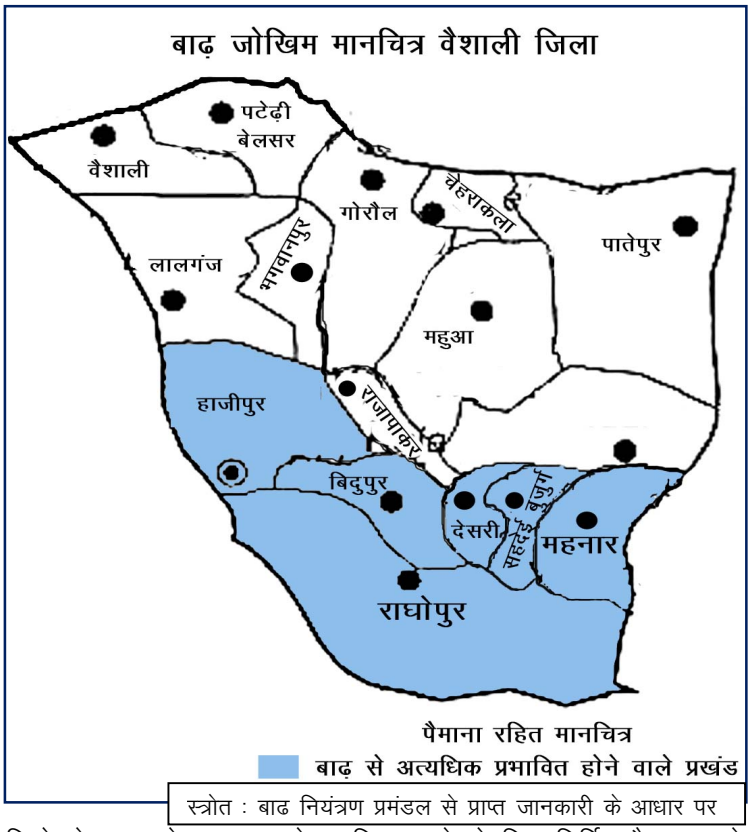

स्त्रोत : बाढ नियंत्रण प्रमंडल से प्राप्त जानकारी के आधार पर

गंगा नदी के बांये तट पर अवस्थित हाजीपुर, महनार, सहदेई बुजुर्ग तथा बिदुपुर प्रखंड भी गंगा में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इन प्रखंडों में बाढ़ के समय जन–धन की हानि बड़े पैमाने पर होती है। बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों का निर्माण तथा कटाव निरोधक उपाय कर बाढ़ की दुरूहता को कम करने का प्रयास किया जाता है।

बाढ़ आपदा जोखिम के लिए वैशाली जिला कमोवेश संवेदनशील है। इस खतरे के प्रकोप से जिले के राघोपुर, हाजीपुर, बिदुपुर, महनार, सहदेई बुर्जग और देसरी प्रखंड के कुछ पंचायत प्रभावित होते हैं। 1987 से अब तक बाढ़ से संबंधित जो आंकड़े आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये है, वे भी इसे सम्पुष्ट करते है। गंगा, गंडक (नारायणी), बुढी गंडक एवं बाया, नदी के तट पर अवस्थित प्रखंडों के कुछ पंचायत ही बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिले में गंडक नदी के बायें तट पर तिरहुत तटबंध है, जो गंडक नदी की बाढ़ से इस जिले के एक बड़े भू–भाग को सुरक्षित करने के लिए निर्मित है। बाढ़ के दृष्टिकोण से यह काफी संवेदनशील जिला है। इस तटबंध के 6 कि॰मी॰ से 9 कि॰मी के बीच पहाड़पुर बंगरा, 30–31 कि॰मी॰ के बीच फतेहाबाद, 42–43 कि॰ मी॰ के बीच अयोधपुरा, 46–47 कि॰मी॰ बीच चकपिताम्बर, फुलार एवं सिमरा, 57–59 कि॰मी॰ खंजाहाचक एवं वृन्दावन, 67–70 कि॰मी॰ की बीच बलहाबसन्ता, तिरहुत तटबंध पर रामपुरकठ, बेलवा, कोठिया, मोहाढी, खरूआ, तिलकराजपुर तथा घनौर कटरा रिंग बांध के निकट नोनिया टोली के पास का स्थल बाढ़ आपदा के लिए संवेदनशील माना गया है।

बाढ़ से जिले के विभिन्न स्थलों की संवेदनशीलता का आकलन विगत 11 मई 2016 को जिलाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही से भी ज्ञात होता है जो निम्नवत है:–

1. कार्यपालक अभियंता बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज ने बताया कि गंडक नदी के बाँये तिरहुत तटबंध है जो मुजफ्फरपुर–मोतीहारी की सीमा से प्रारंभ हो कर वैशाली जिला तक कुल 83.40 कि॰मी॰ की लंबाई में है। इस तटबंध में कई आक्रामय स्थल है, जहाँ तटबंध पर बाढ़ अवधि में दबाव बना रहता है।

2. तिरहुत तटबंध के 6.00 कि॰मी॰ से 9.00 कि॰मी॰ के बीच बंगरा निजामत आक्रामय स्थल हैं 31–32 कि॰मी॰ की बीच ग्राम फतेहाबाद नदी तटबंध के निकट है जो काफी संवदेनशील रहा है। तटबंध के 42.00 से 43. 00 कि॰मी॰ के बीच अयोधपुर ग्राम तटबंध के नजदीक है। तटबंध के चकपिताम्बर, फुलार, सेमरा गाँव के नजदीक 46–47 कि॰मी॰ पर नदी तटबंध से सटकर प्रवाहित हो रही है। यह स्थल आक्रामय स्थल की श्रेणी में आता है।

गंगा नदी के बाढ़ से प्रभावित वैशाली जिले का हाजीपुर, राघोपुर, महनार तथा बिदुपुर प्रखंड का जलभाग

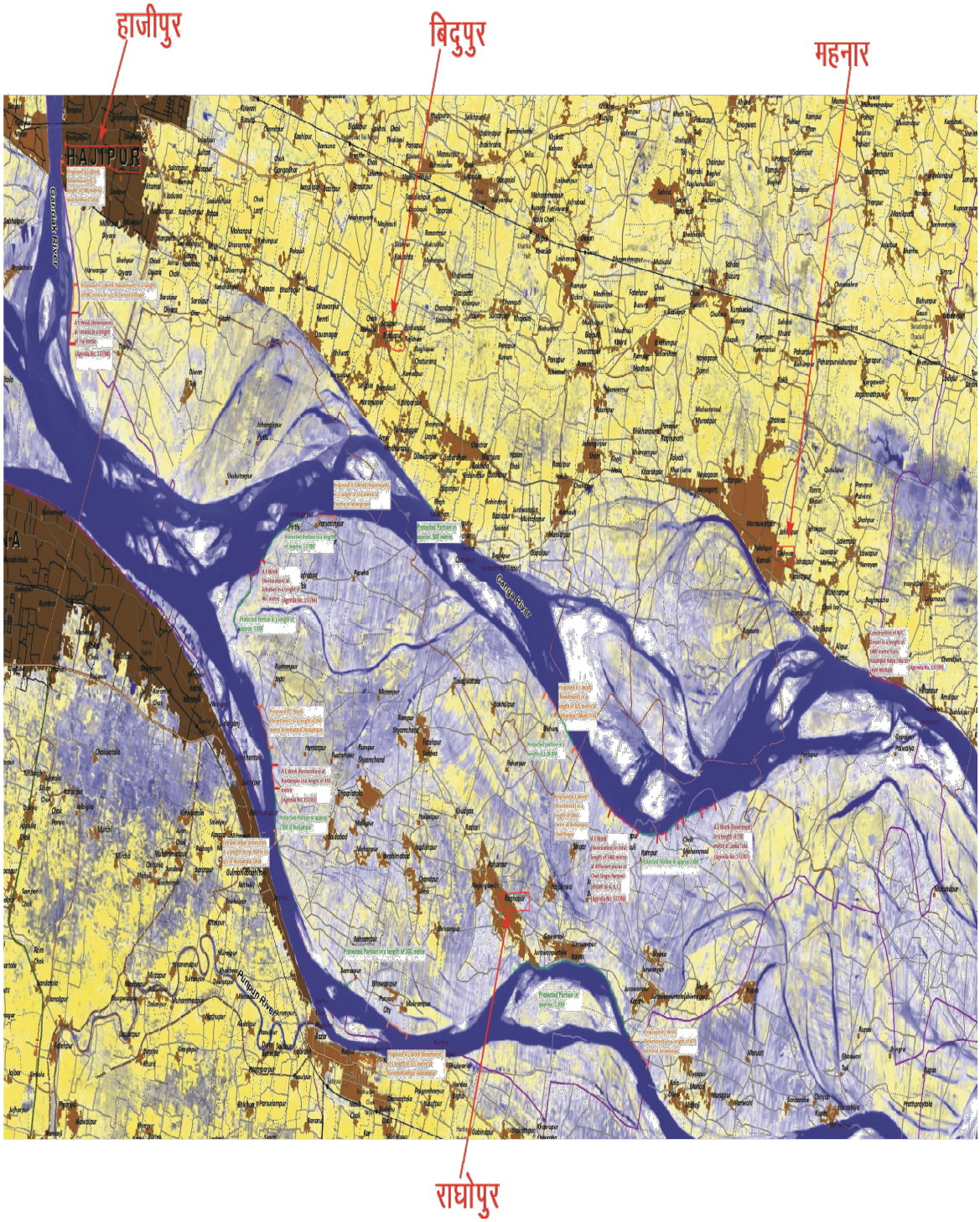


स्त्रोत : जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज

गंडक नदी के बाढ़ से प्रभावित वैशाली जिले का वैशाली, लालगंज तथा हाजीपुर प्रखंड का भू–भाग

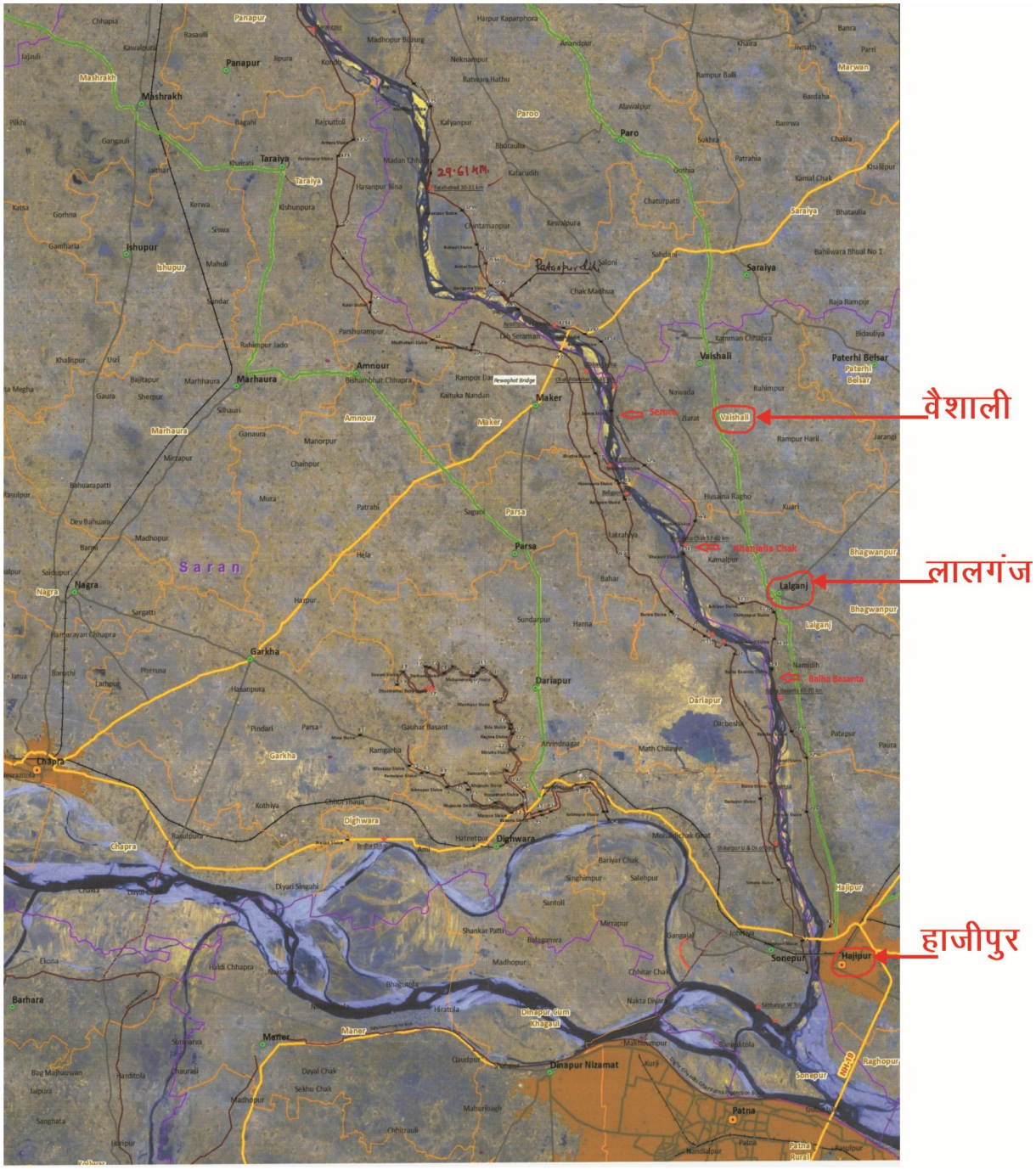


स्त्रोत : जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज

= = = = = =

### 3.2.3 सूखा :–

जिले में अधिकांश वर्षों में अपेक्षा से कम वर्षापात का होना या जरूरत के महीनों में कम वर्षा होना सूखा का मुख्य कारण रहा है। अतः वैशाली का संपूर्ण प्रखंड कृषि कार्य से प्रभावित होता है। संवेदशीलता इस कारण और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सूखा धीरे–धीरे अपना असर दिखाता है। जोखिम के रूप में गरीबी, अनाज की कमी, खाद्यान का महंगा होना, लोगों का रोजगार हेतु दूसरे जगह पलायन करना तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ मुख्य रूप से उभर कर आयी है। जलवायु में परिवर्तन भी सूखे की गंभीरता को बढ़ाता है।

उसी तरह पशुधन के चारे की कमी, पोखरा–तालाब में पानी का अभाव, पशु के स्वास्थ्य सूखे के कारण संवेदनशील हो जाते है। सूखे के महीनों में जलस्तर का नीचे चला जाना भी जोखिम का कारण बनता है। सूखा का लंबा खींचने से कुपोषण तथा भूखमरी में बढ़ोत्तरी तथा ऋण लेने के कारण भी जिले में लोगों की संवेदनशीलता बनी रहती है। लोगों के जिविकोपार्जन में क्षति एक गंभीर समस्या बन जाती है।

= = = = = =

### 3.2.4 आग :

लकड़ी/गोईठा वाला चूल्हा, रसोई गैस, किरासन तेल आधारित स्टोव एवं लैम्प, माचिस, घूरा तथा असुरक्षित विद्युत उपकरण इत्यादि से आग लगने का जोखिम बना रहता है। सरकारी योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब तबके में वितरित गैस का चूल्हा भी अग्निदहन का जोखिम समेटे हुए है। विद्युत के 11000 वोल्ट के तार से निकली चिनगारी भी यदा–कदा आग का कारण बनता है।

**सारंणी–(3.17) अंचलवार अग्निकाण्ड प्रभावित पंचायतों/गाँवों की सूची (दिनांक 1.4.16 से 12.5.16 तक)**

| क्र0 | अंचल का नाम | प्रभावित | | प्रभावित गाँवों का नाम |
|---|---|---|---|---|
| | | गाँव | परिवार | |
| 1 | हाजीपुर | 6 | 322 | 1.विशुनपुर राम, 2.चिस्ती, 3.हथसारगंज, 4.दौलतपुर चाँदी, 5.रामभद्र 6.हथसार गंज |
| 2 | लालगंज | 8 | 53 | 1.जागोडीह, 2.जारंग, 3.भटोलिया भगवानपुर, 4.घटारी, 5.एतवार सिसौला, 6.करतॉहा, 7.पौंड़ा मदनपुर, 8.पकरी जहानाबाद |
| 3 | वैशाली | 5 | 30 | 1.चिन्तामणिपुर, 2.अमृतपुर, 3.चकहबीब, 4.अबुल हसनपुर |
| 4 | पटेढ़ीबेलसर | 2 | 27 | 1.पटेढ़ा बुजुर्ग, 2.धर्मपुरजारंग |
| 5 | भगवानपुर | 5 | 62 | 1.सरमा अमरपुर, 2.हुसेना खुर्द, 3.किरतपुर, 4. महमदपुरहरि, 5.इमादपुर |
| 6 | गोरौल | 6 | 22 | 1.इनायतनगर, 2.धानेगोरौल, 3.चकव्यास, 4.महमदपुर, 5.शुखपुर, 6.गंगटी |
| 7 | महुआ | 5 | 115 | 1.मिरजानगर, 2.अख्तियारपुर, 3.हरपुर बेलवा, 4.चॉदसराय, 5.सहदुल्लाचक |
| 8 | चेहराकलॉ | 4 | 48 | 1.चेहराकला, 2.कबीलपुरा, 3.छौराही, 4.करहरिया बुजुर्ग |
| 9 | पातेपुर | 11 | 211 | 1.खेसराही, 2.सकरौलिया, 3.पताढ़, 4.कपसारा, 5.बेलादम, 6.तिसिऔता 7.गॉड़ा, 8.मुसहरटोली, 9.बरडीहा, 10.मौदहडीह, 11.मौदह चतुर |
| 10 | जन्दाहा | 10 | 469 | सोहरथी, 2.महिपुरा, 3.चॉदसराय, 4.नाड़ी खुर्द, 5.जसपरहॉ, 6.नाड़ी टोला, 7.कजरी खुर्द, 8.डीह बुचौली, 9.नारीकला |
| 11 | राजापाकर | 7 | 20 | 1.लगुरॉव, 2.विलंदपुर, 3.फरीदपुर, 4.राजापाकर |
| 12 | महनार | 9 | 52 | 1.शाहपुर, 2.पोहिसार, 3.चमरहरा, 4.गोरीगॉव, 5.फटिकवारा, 6.बासदेवपुर 7.लावापुर, 8. पहाड़पुर, 9.बहलोलपुर |
| 13 | सहदेईबुजुर्ग | 6 | 47 | 1.पहाड़पुर तोई, 2.नयागॉव पूर्वी, 3.चकेयाज, 4.चकजमाल |
| 14 | देसरी | 2 | 30 | 1.जहॉगीरपुरशाम, 2.ममरेजपुर धर्मपुररामराय |
| 15 | बिदुपुर | 7 | 36 | 1.खजबत्ता, 2.चकसिकंदर, 3.पानापुर धर्मपुर, 4.रहिमापुर, 5.चकमकरंद, 6.कल्याणडीह, 7.मोकीलचक |
| 16 | राघोपुर | 50 | 485 | 1.पहाड़पुर, 2.दिवानटोक, 3.सरायपुर, 4.तेरसिया, 5.वीरपुर, 6.बहरामपुर, 7.मदहा, 8.रामपुर, 9.सैदाबाद, 10.मल्लिकापुर |
| **कुल** | | **143** | **2029** | |

जिला आपदा प्रबंधन सेल, वैशाली

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि हाजीपुर, पातेपुर, जन्दाहा, राघोपुर तथा महुआ प्रखंड में रहने वाले ग्रामीण अग्नि की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है।

= = = = = =

### 3.2.5 सड़क दुर्घटना :

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को जानने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न आयामों को ध्यान में रखकर अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि परिणाम का आकलन कर विभिन्न कदम उठाये जा सके। राज्य में निरंतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं का आकलन करने के बाद निम्नलिखित बिन्दुओं को सड़क हादसे का जिम्मेवार पाया गया :–

ड्राइवरों द्वारा सुरक्षा नियमों की अवहेलना, सड़कों की खराब स्थिति, क्षमता से अधिक भार ढ़ोना (माल तथा पैसेंजर) वाहन चलाते समय जल्दबाजी और ओवरटेकिंग करना, बेतरतीब ढ़ग से गाड़ियों को चलाना, जहाँ–तहाँ गैर कानूनी ठोकर का निर्माण, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, नाबालिग या युवाओं के द्वारा अनियंत्रित ढंग से मोटरसाईकिल का परिचालन, सड़क उच्चीकरण के बाद सड़क के दोनों किनारों पर 'फ्लैंक' का नीचा होना या गड्ढा होना, अप्रशिक्षित लोगों द्वारा ग्रामीण इलाकों में ट्रेक्टर चलाना, सड़कों के किनारों पर दिशानिर्देश, साइनेज पट्टी तथा रेडियम स्टीकर का नहीं होना, सड़कों पर अचानक मनुष्य या जानवर का पार करना, खनन क्षेत्रों से खुले वाहनों द्वारा बालू की ढुलाई के क्रम में सड़कों पर बालू का विखराव होने के कारण दो पहिया गाड़ियों का फिसलना, खराब रोशनी/अंधेरा होना, टी (T), वाई (Y) तथा चार बाहों (+) वाली सड़के इत्यादि।

केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पटना ने वैशाली जिला अवस्थित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वर्ष 2013–15 में घटित सड़क दुर्घटनाओं का एन॰एच॰ पर 7 स्थलों को चिह्नित करते हुए। निम्नांकित मुख्य कारण अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है –

- भारी यातायात
- तीव्रगति वाहन चालन
- घनी आबादी

**सारणी –(3.18) राष्ट्रीय उच्च पथ पर चिन्हित 'ब्लैक स्पॉट' :**

| क्र॰सं॰ | एन॰एच॰ सं॰ | ब्लैक स्पॉट | पुलिस स्टेशन | रोड चेन/कि॰मी॰ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एन॰एच॰ 19 | पासवान चौक | औद्योगिक पुलिस स्टेशन | 200 मीटर |
| 2 | एन॰एच॰ 19 | महात्मा गाँधी सेतु पाया 7 से 12 | गंगा ब्रिज पुलिस स्टेशन | 2 कि॰मी॰ |
| 3 | एन॰एच॰ 19 | अंजानपीर चौक | टाउन पुलिस स्टेशन | 2 कि॰मी॰ |
| 4 | एन॰एच॰ 103 | बराती बाजार चौक | राजापाकर पुलिस स्टेशन | 6 कि॰मी॰ |
| 5 | एन॰एच॰ 19 | रामाशीष चौक | सदर पुलिस स्टेशन | 100 मीटर |
| 6 | एन॰एच॰ 77 | महुआ मोड़/पुलिस लाईन | सदर पुलिस स्टेशन | 2 कि॰मी॰ |
| 7 | एन॰एच॰ 77 | पुलिस स्टेशन से 5 कि॰मी॰ दक्षिण | सरारी पुलिस स्टेशन | 1 (सरारी बाजार) |

स्त्रोत : पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वैशाली

**नोट** :उपर्युक्त ब्लैक स्पॉट 2013–15 के बीच हुई घटना के आधार पर चिन्हित है।

वैशाली जिले में अवस्थित विभिन्न राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों पर निम्नांकित सारणी में दिये गये सड़क दुर्घटना प्रवण स्थानों की जानकारी दिनांक 29.05.2017 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है।

**सारणी –(3.19) वैशाली जिले में चिन्हित दुर्घटना प्रवण स्थानों की सूची :**

| क्र सं॰ | प्रखंड | सड़क दुर्घटना प्रवण स्थान |
|---|---|---|
| 1 | भगवानपुर | (1) गोरिया पुल के पास, (2) वीणा शाही पेट्रौल पंप के पास, (3) उपरी पुल मुस्कान होटल के पास, (4) इमारपुर चौक के पास |
| 2 | बिदुपुर | (1) चकसिकंदर जन्दाहा रोड मोड़ पर, (2) जानपुर मोड़ पर |
| 3 | चेहराकलॉ | (1) महुआ मुजफ्फरपुर रोड पर, (2) करहाना चौक से कटहारा चौक तक |
| 4 | गोरौल | (1) प्रंखड कार्यालय के ठीक पहले मुस्फपुर हरखेर सड़क पर, (2) कन्हौली |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | हाजीपुर | (1) गाँधी सेतु का उतरी भाग, (2) अजानपीर से बीएसएनएल गोलम्बर तक, (3) गाँधी सेतु के नीचे भगवारपुर रोड (4) पासवान चौक से गरदनिया मोड तक, (5) लालगंज रोड में चन्द्रालय से हरौली तक |
| 6 | जन्दाहा | (1) चांदसराय बाजार, (2) चकफतह चौक पर हाई स्कूल के पास, (3) एन.एच. 103 |
| 7 | महनार | (1) मदन चौक से स्टेशन रोड, (2) पटेल चौक से हसनपुर बॉडर, (3) अम्बेडकर चौक से सुल्तानपुर |
| 8 | महुआ | (1) महुआ–गोरौल के बॉडर पर चकपुसन चौक, (2) महुआ बाजार, रकसीय चौक से बेयार चौक |
| 9 | पातेपुर | (1) चकीर चौक, (2) बरडीह चौक के पास |
| 10 | पटेढ़ी बेलसर | बौना चौक के पास |
| 11 | देसरी | (1) जन्दाहा मोड, (2) बरूणी मठ, (3) बरूणी मठ से गाजीपुर चौक, (4) महनार रोड चाँदपुरा मोड के पास गाँधी चौक, (5) बिलट चौक से कोरमपुर वाले रोड पर |
| 12 | राजापाकर | (1) गोलकुंड़ा चौक से गाँधी पोखर, (2) जन्दाहा रोड चकसिकंदर |
| 13 | सहदेई बुजुर्ग | महनार रोड में नया गाँव से सुलतानपुर के बीच |
| 14 | वैशाली | (1) भगवापुर रत्ती, (2) अमृतपुर से भगवानपुर रोड में, (3) राघोपुर पेट्रोल टंकी तक |

स्त्रोत : समाहरणालय, हाजीपुर में दिनांक 29.05.2017 को आयोजित बैठक में संकलित सूचना

= = = = = =

### 3.2.6 नाव/डुबान

जिला में डूबने की घटना समय–समय पर होती रहती है। इधर कुछ वर्षों से देखा गया है कि जे॰सी॰वी॰ द्वारा काफी मात्रा में मिट्टी कटाई के कारण बड़े गढ्ढ़े बन जाते हैं। जिसमें डूबने की संभावना प्रबल है। मनुष्य के अलावा इन गढ्ढ़ों में जानवर के डूबने की संभावना होती है। अतः इस तरह की संरचना भी संवेदनशीलता को बढ़ाती है।

**सारणी– (3.20) वैशाली जिले में चिह्नित डुबान स्थलों की सूची :**

| क्र सं॰ | प्रखंड | नदी का नाम | डुबान स्थल |
|---|---|---|---|
| 1 | बिदुपुर | गंगा | चेचर, हंसा घाट |
| 2 | हाजीपुर | गंगा | तेलसिया घाट, गाँधी सेतु से कुदने के कारण |
| | | गंडक | नयापुल घाट से कोन्हारा घाट |
| 3 | जन्दाहा | तालाब | जन्दाहा |
| 4 | लालगंज | गंडक | घटारो, बंसता गाँव में |
| 5 | राघोपुर | गंगा | रूस्तमपुर , जोरावनपुर |

स्त्रोत : समाहरणालय, हाजीपुर में दिनांक 29.05.2017 को आयोजित बैठक में संकलित

**सारणी– (3.21) वैशाली में पोखर/तालाब में डुबान से मृत्यु**

| वर्ष | मृतक की संख्या |
|---|---|
| 2015–16 | 14 |
| 2016–17 | 7 |

स्त्रोत : आपदा प्रबंधन शाखा, वैशाली

जिले में प्रायः डुबान की घटना की सूचना गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक के साथ–साथ आहर तथा नहर से मिलती रहती हैं, खास कर बच्चों और युवाओं की। कोनहारा घाट के आस–पास के घाटों तथा गंगा के तट पर बसे गाँवों में डुबान की घटना ज्यादा पाई गई।

वैशाली जिले में कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण के महीने के लिए प्रसिद्ध कोनहारा घाट ऐसे चिह्नित स्थल है जहाँ डुबान की संभावनाएँ बनी रहती है। अनुमंडल स्तरीय बैठक तथा 5% चयनित पंचायतों से भी नाव दुर्घटना/डुबान के सम्बन्ध में कई घटनाओं की चर्चा की गई। कुल 15 पंचायतों में सीधा प्रत्यक्ष कार्यक्रम हुआ था जिसमें महनार के दो पंचायतों, लालगंज का एक पंचायत तथा जन्दाहा का एक पंचायत डुबान की घटना से प्रभावित था। इस जिले में 2015–16 में पटेढी बेलसर में 2 व्यक्तियों की तथा वर्ष 2016–17 में हाजीपुर तथा महुआ प्रखंड में 3 व्यक्तियों के पोखरा एवं नदी में डूबने की घटना हुई। वैशाली जिले में 2015 में कुल 9 व्यक्तियों की डूबने की सूचना है। वर्ष 2017 में कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन राघोपुर दियारा में बहरामपुर के पास गंगा नदी में 35 महिला समेत अन्य 7 बच्चे एक के बाद एक बालू के टापू में धंस कर मर गये। इस तरह की घटना पूर्व में नहीं देखी गयी है।

= = = = = =

### 3.2.7 भीड़ भगदड़ :

वैशाली जिले के सड़कों पर (एन.एच.–77, हाजीपुर–मुजफ्फरपुर) कांवड़ के साथ श्रावण महीने में पद यात्रियों का वृहत भीड़–भाड़ दिखती है। प्रशासन, भीड–भाड़ के कारण जिले से गुजरने वाली भारी वाहनों के लिए मार्ग बदलता है ताकि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो। जिले में हर वर्ष वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है जहाँ काफी संख्या में लोग एकत्रित होते है। इस लिए वहाँ भी भीड़ प्रबंधन तथा ऐसे मौकों पर सचेत रहने की जानकारियाँ दी जा सकती हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जिले के नदियों के कई घाटों पर बड़ी संख्या में भारी भीड़ स्नान एवं पूजा के लिए उमड़ती है। ऐसे में अप्रत्याशित घटना की सम्भावना बनती है। कार्तिक पूर्णिमा एवं छठ के मौको पर निम्न घाटों पर भीड़ का दबाव देखा गया है।

- कोनहारा घाट।
- बुटन दास घाट।
- कौशल्या घाट।
- हजुरी मठ घाट।
- सीढ़ी घाट।
- महेश्वर घाट।
- क्लब घाट,
- पुल घाट (पुराना)।
- कदम घाट तथा बालादास घाट भीड़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील है।

- **भगदड़ की स्थिति में संवेदनशीलता :** वृद्ध, बच्चे, महिला, कमजोर, बीमार, भूखे, सामान (भार उठाये) लिये लोग, बच्चों को गोद में लिए लोग एवं सामान बेचने वाले विक्रेता आदि ।

- **भगदड़ की स्थिति में जोखिम :** जान जाने का, अपंग होने का, प्रियजन के बिछुडने या मृत्यु होने पर ट्रामा में जाने का, अपनी यादाश्त खो (विस्मरण) जाने का।

- **भगदड़ के अधिकांश कारण :** अत्यंत भारी भीड़, भीड़ का निश्चित तिथि को एक ही स्थान पर एकत्रित होना, भयभीत भीड़, अनियंत्रित एवं असंतुलित भीड़, भीड़ का एक ही दिशा में प्रवाह, पंक्तिबद्ध धार्मिक भीड़ के दोनो छोर के बीच समन्वय का अभाव, रास्ते का संकरा होना, प्रवेश एवं निकास द्वार की संख्या का पर्याप्त नहीं होना, रोशनी का अभाव, वाच टावर का अभाव, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का अभाव, नक्शा एवं रूट योजना का अभाव, बिना पूर्व सूचना के मार्ग परिवर्तन, अफवाह यथा विद्युत तार का टुटना, पुल टुटना, बम फटना या अभद्रता आदि, भीड़ में किसी भी व्यक्ति या सामग्री का जमीन पर गिरना, किसी व्यक्ति का गिरना, गिरे व्यक्ति/वस्तु से ठोकर लग कर अन्य व्यक्ति का गिर पड़ना और इस प्रकार गिरते जाने का एक श्रृंखला बन जाना एवं उससे कुचलना ।

- **भगदड़ में संवेदनशील व्यक्तियों को निम्नलिखित परेशानियाँ हो सकती है :** आघात, मूर्छा, दम घुटना, हड्डी टूटना, दिल का दौरा पड़ना, कुचल जाना, शरीर पर चोट लगना, मृत्यु आदि।

= = = = = =

### 3.2.8 जलवायु परिवर्तन

**सवेदनशीलता :** अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापक्रम में परिवर्तन की प्रवृति, न्यून मानव विकास सूचकांक, छोटी जोत, पूँजी की कमी, परम्परागत तथा अल्प सक्षम (less efficient) कृषि यंत्र, बीमा सुरक्षा में कमी, अल्प समर्थन मूल्य इत्यादि कारकों से अनावृत कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कई कारको के प्रभाव को सम्मिलित करते हुये बिहार के विभिन्न जिलों का संवेदनशीलता सूचकांक की गणना कृषि विभाग, बिहार द्वारा करायी गयी है। जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक तालिका में वैशाली, सारण, सिवान, बेगुसराय, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया आदि जिलों का संवेदनशीलता सूचकांक 0.26 से 0.50 अनुमानित किया गया है। संवेदनशीलता का आकलन जलवायु परिवर्तन के विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिसका एक (1) अंक सर्वाधिक स्थिति को दर्शाता है। यह जिला संवेदनशीलता दृष्टि से मध्यम श्रेणी में आता है। (स्त्रोत : www.bameti.org, विषय 'क्लाइमेट चेन्ज' )

**सारणी–(3.22) जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक :**

| क्र॰ सं॰ | संवेदनशीलता सूचकांक | जिला का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 0.26 से 0.50 | वैशाली, सारण, सिवान, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया आदि |

(स्त्रोत : बामेती, कृषि विभाग, बिहार सरकार)

**विभिन्न जोखिम :**

- जीवों के लिए असंतुलन उत्पन्न करने वाली समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव ।
- इन बदलावों के साथ तादात्मय स्थापित करने की समस्या।
- परिवर्तन के चलते वर्षापात एवं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

**खतरे का दुष्प्रभाव :**

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप ।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- ऊर्जा समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या
- पलायन, प्रवासन और अन्ततः संघर्ष

= = = = = =

### 3.2.9 गर्मी / लू :

लू / उष्णता की प्रभावकता बहुत हद तक स्थान विशेष की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करती है। वैशाली जिले की भौगोलिक संरचना दो प्रकार की – लगभग आधे से कम बालू युक्त दिआरा तथा आधे से अधिक समतल मैदानी भाग जिसकी प्रकृति ढ़ालू है। ढालू प्रकृति होने के कारण सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ अधिक अवशोषित होती है तथा धरती को गर्म बनाती है। जहाँ तक नदियों का प्रश्न है जिले की तीन–चार नदियाँ–गंगा, गंडक, बूढी गंडक आदि में ही वर्ष भर पानी कमोवेश रहता है। इनका दूसरा पहलू यह है कि ये नदियाँ दिन प्रति दिन बालू बिखेरती जा रही है। शेष नदियों में पानी की अति अल्प मात्रा कहीं कम कहीं सूखा वाली स्थिति हो जाती है, खासकर गर्मी के महीनों में। ये दोनों हीं स्थितियाँ धरती को गर्म करने वाली हैं।

**संवेदनशीलता :**

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- संवेदनशील आयु समूह (वृद्ध, बच्चे, कमजोर स्वास्थ्य वाले, लम्बी अवधि के बीमार)
- शराबी / नशाखोर।
- संवेदनशील महिलाएँ – गर्भवती एवं छोटे बच्चों वाली।

यह विदित है कि गर्मी में लू लगने, निर्जलीकरण होने, शरीर के अंगों में ऐठन, अचेत होना आदि जैसी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस बढ़े तापमान के समय सबसे ज्यादा स्कूल तथा कॉलेज जानेवाले बच्चे तथा युवा वर्ग प्रभावित होते हैं। इसी तरह मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास कार्य तथा नगरों में दैनिक भोगी मजदूर को सीधे तेज धूप में ही काम करना पड़ता है। भीषण गर्मी से अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं। एक जगह से दूसरे जगह ट्रासपोर्ट आदि से जा रहे यात्रियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कृषि कार्य भी बाधित हो जाता है।

भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर ने एक संयुक्त अध्ययन में देश के सभी जिलों का भीषण गर्मी तथा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का मानचित्र (HVI–Hazard Vulnerability Index) तैयार किया है। इस मानचित्र को तैयार करने में उन जिलों की जनसंख्या, सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण एवं पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।

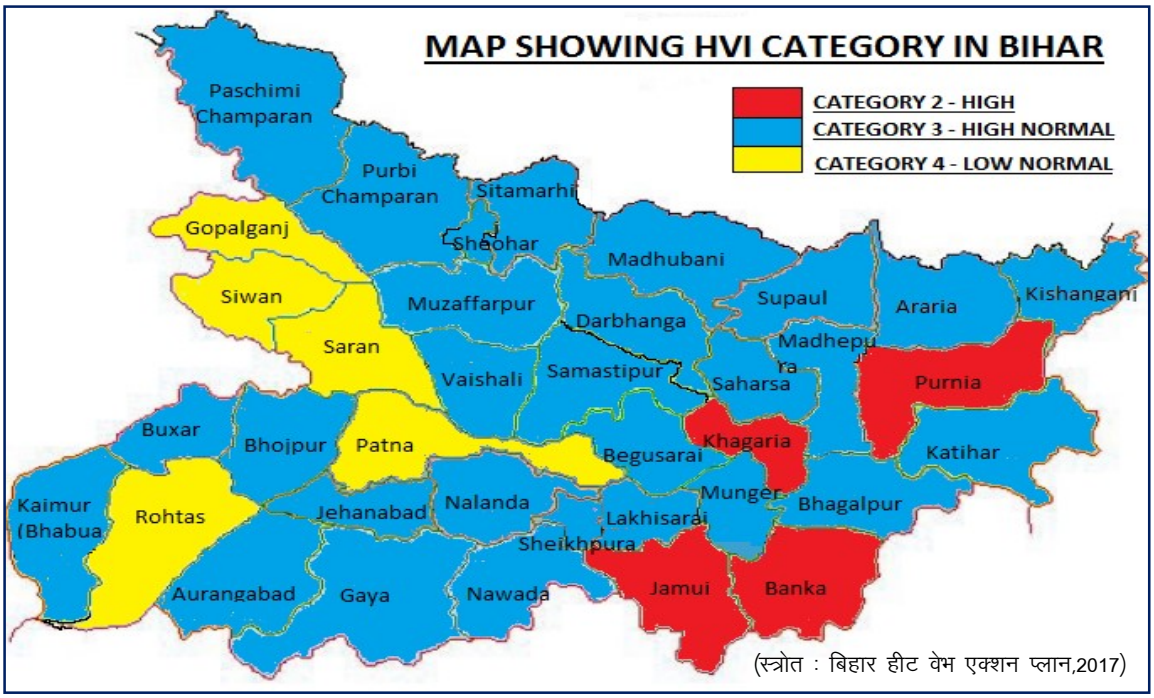

(स्त्रोत : बिहार हीट वेभ एक्शन प्लान,2017)

इस सर्वे के अनुसार वैशाली जिला श्रेणी–3 में आता है, जो सामान्य से अधिक माना जायेगा।

= = = = = =

### 3.2.10 शीतलहर :

जिले में शीतलहर का प्रकोप अधिकत्तर दिसंबर तथा जनवरी महीनों में महसूस किया जाता है। कच्चे मकान, झोपड़ी और खुले में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन अवसरों पर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंड़ों में अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है।

शीतलहर में सबसे ज्यादा गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग, वृद्ध अथवा कमजोर स्वास्थ्य वाले, कृषि उत्पादन एवं पशुधन, चिरस्थायी रूप से बीमार, कुछ नशापान करने वाले व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होते है।

**शीतलहर से संबंधित बिमारियाँ :**

- फ्रॉस्टनीप – मनुष्य के अंगों का सुन्न होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला–सफेद कर देना।
- फ्रॉस्टवाइट– तुषार उपधात (ठण्ढ़ी धातु के छूने से)।
- चिलबर्न।
- हाइपोथर्मिया – शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा कम हो जाना। यह एक आपात स्थिति है।
- हृदयघात/मष्तिष्कघात।
- विन्टर डायरिया ।

शीतलहर का प्रभाव मानव के अलावा मौसमी/माह में होने वाले फसलों यथा आलू, रबी के फसल, फल, फूल पर भी खूब पड़ता है तथा नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। शीतलहर से पशुओं पर भी मानव के समान ही प्रभाव पड़ता है।

= = = = = =

### 3.2.11 ठनका/वज्रपात :

वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो मानव तथा पशुधन पर तुरंत संघात करती है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। जिले में इस तरह की घटना अधिकतर जून से सितम्बर महीनों में होती है। वज्रपात की घटना अचानक होती है तथा अधिकांशतः गरीब, मजदूर, खेतो में काम करने वाले तथा झोपड़ी में रहने वाले इसके चपेट में आते है। इस हादशा के प्रति प्रायः खुले मैदानो में रहने वाले निवासी, निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले समुदाय एवं सीधे आवेग के सम्पर्क में रहने वाले लोग भी ज्यादा संवदेनशील होते है।

इसके प्रभावकता के चलते अधिकतर जन हानि, पशु हानि एवं धन हानि होता है।

= = = = = =

### 3.2.12 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि :

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में ज्यादातर घटित होती है। ऐसी हालात में सबसे ज्यादा क्षति एवं खतरे का प्रभाव फसल क्षति (खाद्यान, सब्जी एवं आलू), आवास क्षति (फूस/बांस निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/घायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, संरचनात्मक ढ़ाँचों को नुकसान एवं जल में वेग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से संपूर्ण जिला प्रभावित होता है जहाँ 47 मीटर/सेकेण्ड की दर से तेज हवा आने की आशंका बनी रहती है।

= = = = = =

### 3.2.13 संदूषित जल :

वैशाली जिले के 9 प्रखंड़ों के 149 पंचायतों में उपलब्ध पेयजल स्त्रोतों के जलगुणवत्ता की जाँच की गई। इनमें से 54 पंचायतों में आर्सेनिक की मात्रा 10 पीपीबी (पार्ट पर बिलियन) से ज्यादा पाई गयी तथा 95 पंचायतों में आर्सेनिक की मात्रा 10 पीपीबी (पार्ट पर बिलियन) से कम पाई गयी। पेयजल के स्त्रोतों में 10 पीपीबी तक आर्सेनिक की मात्रा को मानक के अनुसार स्वीकार योग्य माना जा सकता है। 54 पंचायतों में आर्सेनिक मानक के अनुसार स्वीकार योग्य मात्रा से अधिक पाई गई है। प्रभावित होने वाले प्रखंड देसरी, राजापाकर, सहदेई बुजुर्ग तथा राघोपुर में क्रमशः 91, 29, 55 तथा 100 प्रतिशत जलस्त्रोत में आर्सेनिक–प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पाई गई है। इसके अतिरिक्त जिले में लौह युक्त पानी की भी समस्या है। उपरोक्त प्रखंड के लोग संवेदनशील हो सकते है।

**सारणी–(3.23) आर्सेनिक युक्त जल स्त्रोतों की पहचान एवं चिह्निकरण :**

| प्रखंड का नाम | जल गुणवत्ता जाँच (पंचायत की सं॰) | आर्सेनिक–10 पीपीबी से अधिक (पंचायत की सं॰) | आर्सेनिक –10 पीपीबी से कम (पंचायत की सं॰) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| देसरी | 11 | 10 | 1 |
| गोरौल | 2 | 0 | 2 |
| हाजीपुर | 26 | 3 | 23 |
| जन्दाहा | 29 | 3 | 26 |
| महुआ | 10 | 0 | 10 |
| पटेढ़ी बेलसर | 10 | 1 | 9 |
| राघोपुर | 20 | 20 | 0 |
| राजापाकर | 21 | 6 | 15 |
| सहदेइ बुजुर्ग | 20 | 11 | 9 |
| कुल | **149** | **54** | **95** |

स्त्रोतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, वैशाली

यह बताना जरूरी है कि पानी में पाये जाने वाले आयरन व्यक्ति में नौसिया, हड्डी जोड़, कब्जीयत आदि की समस्या उत्पन्न करता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डी संबंधी बिमारियाँ हो जाती है और पैर फूलने की शिकायत होती है। दाँत पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। वहीं आर्सेनिक युक्त पानी गंभीर बिमारियों का कारण बन सकता है।

= = = = = =

## 3.3 क्षमता विश्लेषण (Capacity Analysis) :

किसी भी समुदाय के लिए क्षमता वह स्थिति होती है जिसके बलबूते वह किसी भी आपदा के दौरान संभावित नुकसान को टालने का प्रयास करता है। पुनः क्षमता की चर्चा में संरचनात्मक ढाँचे तथा असंरचनात्मक ढाँचे को चिह्नित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमें कुछ क्षमताओं का तो संज्ञान होता है तथा कुछ का नहीं भी। पुनः, यदि हमें हमारी क्षमताओं का संज्ञान है तो हो सकता है कि हमें इनके प्रयोग में लाने की युक्ति का ज्ञान नहीं हो। किसी एक क्षमता का प्रयोग कई प्रकार से भिन्न आपदाओं में कैसे हो, इसकी जानकारी हो तो, हम आपदाओं के नुकसान को काफी कम कर पाएँगे।

**सारणी (3.24) जिले के विभिन्न विभाग/एजेन्सी के पास उपलब्ध संसाधन :**

| क्र.सं. | क्षमता/संसाधन | संख्या/विवरण | अतिरिक्त विवरण |
|---|---|---|---|
| 01 | नलकूप/नहर | 93/5680 हेक्टेयर | गंडक तथा बागमती तटबंध |
| 02 | संचार | बी.एस.एन.एल. कार्यालय<br>टेलीग्राफ/टेलीफोन कार्यालय<br>एक्सचेंज<br>मोबाइल<br>इण्टरनेट | लगभग सभी परिवार<br>लगभग सभी बाजार एवं व्यक्तियों के पास मोबाइल फोन है।<br>सूचना सप्रेषण हेतु जिला समाहरणालय एन.आई.सी. कार्यालय इण्टरनेट सुविधा से युक्त है। |
| 03 | टी॰वी॰/रेडियो सेट | – | सूचना सप्रेषण हेतु जिले में टी.वी. सेट केबुल कनेक्सन होने की वजह से उपलब्धता घनत्व पर्याप्त है। |
| 04 | सड़क सम्पर्क | एन.एच.–19, 28,77,103<br>एस.एच– 49,74 | वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर। महात्मा गाँधी सेतु से राजधानी पटना से जुड़ा है। |
| 05 | रेलवे | मीटर गेज<br>बड़ी लाईन<br>पूर्व मध्य रेलवे | जिलो के प्रायः सभी शहर रेल पथ से जुड़े है। जो राहत सामग्री लाने में उपयोगी हो सकते है।<br>क्षेत्रीय मुख्यालय। |
| 06 | संभावित शिविर स्थल | प्राथमिक विद्यालय – 1089<br>मध्य विद्यालय– 964<br>बुनियादी विद्यालय– 22<br>उच्च विद्यालय– 92 | इन स्थलों को शरण स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।<br>देखें खंड–2 अनुलग्नक –74 एवं 75 |
| 07 | प्रशिक्षित कर्मी | जिला समाहरणालय एवं अधीनस्थ<br>होमगार्ड – 18<br>चिकित्सक –339<br>पारा मेडिकल कर्मी –1731<br>दमकल कर्मी –61<br>राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित होमगार्ड एवं नागरिक – 24<br>विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रशिक्षित कर्मी –16<br>एन॰सी॰सी॰ कैडेट | आपदा के समय में तथा प्रशिक्षण के कार्य में इनका उपयोग हो सकता है।<br>देखें खंड–2 अनुलग्नक –72 एवं 73 |
| 08 | बाल विकास | आँगनबाड़ी केन्द्र – 2692<br>संचालित आँगनवाड़ी केन्द्र – 2652 | राहत कैम्प प्रबंधन में सहयोग लिया जा सकता है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09 | राज्य आपदा मोचनबल | बिहटा, पटना<br>गायघाट,पटना<br>कोनहारा घाट, हाजीपुर<br>कोशी कॉलेज, खगड़िया<br>तिलकामाझी, भागलपुर<br>बरियारपुर मिडिल स्कूल, सीतामढी<br>जिला स्कूल, पूर्णिया<br>मधेपुर, मधुबनी तथा<br>मधेपुरा | वैशाली जिले से निकटतम दूरी पर कोनहारा घाट, हाजीपुर<br>गायघाट, पटना<br>बिहटा, पटना में अवस्थित है। इनके पास आपदा से निपटने हेतु सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध है। (देखे खंड–2 के अनुलग्नक – 81) |
| 10 | राष्ट्रीय आपदा मोचन बल | बिहटा, पटना<br>कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)<br>आगरा (उत्तर प्रदेश)<br>कटक (उड़ीसा) | हाजीपुर से 40 कि॰मी॰ की दूरी पर बिहटा, पटना में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, जिनमें प्रशिक्षित मानवबल एवं उपक्ररण उपलब्ध है। (देखे खंड–2 के अनुलग्नक – 80) |
| 11 | नजदीकी क्षेत्रीय आई॰एम॰डी॰ कार्यालय | पटना, छपरा और मुजफ्फरपुर | मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। |
| 12 | आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव बल | एन.डी.आर.एफ. द्वारा प्रशिक्षित –187<br>एस.डी.आर.एफ. द्वारा प्रशिक्षित–03<br>प्रशिक्षित गोताखोर– 20<br>मोटर वोट चालक – 3 | इसकी सूची www.bsdma.org वेबसाई पर उपलब्ध है जिनका उपयोग किया जा सकता है। |
| 13 | जिला ई॰ओ॰सी॰ | कुछ आवश्यक उपकरणों के साथ जिला मुख्यालय में स्थापित | टेलीफोन, कम्प्यूटर, सेटेलाईट फोन उपलब्ध |
| 14 | अग्नि शमन | हाईड्रेन्ट – 33<br>बड़ी अग्निशमन वाहन–06<br>छोटी अग्निशमन वाहन–11<br>विभागीय बल–11<br>गृह रक्षा वाहिनी– 50<br>उपलब्ध हाईड्रेन्ड में 14 प्रखंडों में स्थापित है।<br>मिस्ट टेकनोलौजी वाहन– 10<br>वाटर टेंडर – 06 | सारणी 3.31 एवं 3.32 पर नक्शा समेत उपलब्ध है। |
| 15 | स्वास्थ्य सुविधाएँ | जिला स्तरीय अस्पताल–01<br>रेफरल अस्पताल–02<br>अनुमण्डलीय अस्पताल–01<br>पी॰एच॰सी॰–16<br>ए ॰पी॰एच॰सी॰–25<br>कुल बेडों की सं॰ –330<br>कुल निजी बेडों सं॰ –250<br>कुल चिकित्सक–144<br>नर्सों की संख्या–460<br>अन्य कर्मी–185 | खंड–1 के सारणी 3.25 से 3.29 तक देखा जा सकता है। चिकित्सीय पदाधिकारियों का संपर्क खंड–2 के अनुलग्नक – 64 पर देखा जा सकता है।<br><br>पशु चिकित्सालयों की सूची सारणी 3. 30 पर उपलब्ध है। |
| 16 | बाढ नियंत्रण | बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रंमडल –लालगंज एवं हाजीपुर | बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधी कार्य में संलग्न। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | नाव | एफ.आर.पी. –02<br>इनफलेटेबल वोट–10<br>सरकारी नाव बिना इंजन के–<br>(बड़ी–07, मंझली–12, छोटी–80)<br>निजी नावो की संख्या–109 | खंड–2 के अनुलग्नक – 79 पर देखा जा सकता है। |
| 18 | महाजाल | महाजाल–05 | |
| 19 | जनवितरण प्रणाली की दुकाने | सभी ग्राम पंचायत | |
| 20 | टेन्ट की दूकाने | सभी ग्राम पंचायत | – |
| 21 | निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि | सभी ग्राम पंचायत | मुखिया, वार्ड सदस्य आदि के संपर्क हेतु www.biharprd.bih.nic.in वेबसाई के विषय 'पीआरआई मेम्बर्स' देखे। |
| 22 | गैर सरकारी संगठन | कार्यशील संस्थाएँ :–<br>इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा हाजीपुर | – |
| 23 | संचार माध्यम | सभी प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं छायाकार जिला मुख्यालय के साथ–साथ प्रखण्डों के मुख्यालय में उपलब्ध रहते है। | – |
| 24 | वैशाली जिला में निबंधित यातायात एवं परिवहन वाहनों का ब्योरा – | 1. ट्रक – 244<br>2. बस – 59<br>3. कार – 1317<br>4. टैक्सी – 91<br>5. जीप – 161<br>6. तिपहिया वाहन – 1103<br>7. दोपहिया वाहन – 24026<br>8. ट्रैक्टर – 883<br>9. ट्रेलर – 315<br>10. अन्य – 447<br>कुल – 28684 | |

स्त्रोतः विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर

**सारणी –(3.25) अस्तपतालों की संख्या एवं चिकित्सक बल :**

| | सदर | रेफरल | अनुमंडलीय | पी॰एच॰सी॰ | ए॰पी॰एच॰सी॰ | उपकेन्द्र | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या | 1 | 2 | 1 | 16 | 25 | 337 | **382** |
| चिकित्सक | 17 | 7 | 7 | 66 | 47 | – | **144** |

**सारणी–(3.26) प्रखंडों में नियुक्त नर्सों की संख्या :**

| भगवानपुर | बिदुपुर | चेहराकलॉ | गोरौल | हाजीपुर सदर | देसरी | पटेढ़ी बेलसर | जन्दाहा | लालगंज | महनार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 61 | 14 | 33 | 53 | 12 | 19 | 32 | 63 | 15 |
| राजापाकर | महुआ | वैशाली | सहदेई बुजुर्ग | कुल | | | | | |
| 35 | 34 | 31 | 18 | **460** | | | | | |

**सारणी –(3.27) स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मी बल :**

| | ग्रेड 'ए' नर्स | ए.एन.एम. | स्वास्थ्यप्रशिक्षक | एल.एच.भी. | प्रखण्ड प्रसार प्रशिक्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत बल | 85 | 764 | 25 | 26 | 11 |
| कार्यरत बल | 44 | 326 | 25 | 4 | 0 |
| रिक्त | 41 | 438 | 0 | 22 | 11 |

सारणी –(3.28) गैर चिकित्सीय स्वास्थ्य कर्मी :

| | बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | प्रयोगशाला प्रावैधिक | स्वच्छता निरीक्षक | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत बल | 64 | 48 | 36 | 12 | |
| कार्यरत बल | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| रिक्त | 62 | 39 | 30 | 10 | |
| | फिजियोथेरेपिस्ट | एक्सरे टेकनीशियन | परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता | लिपिक | जीप चालक |
| स्वीकृत बल | 1 | 4 | 33 | 79 | 30 |
| कार्यरत बल | 1 | 2 | 19 | 68 | 10 |
| रिक्त | 0 | 2 | 14 | 11 | 20 |
| | अनुसेवी | विशेष हैजा पर्यवेक्षक | नेत्र सहायक | अन्य | |
| स्वीकृत बल | 33 | 8 | 7 | 5 | |
| कार्यरत बल | 29 | 0 | 7 | 1 | |
| रिक्त | 4 | 8 | 0 | 4 | |

सारणी –(3.29) चिकित्सकों की विशेषज्ञता :

| सर्जरी | स्त्रीरोग | हड्डी | नेत्र | होमियोपैथ | आयुर्वेद | औषधि | डी.सी.पी. | इएमओसी | डीजीओ | डीआरएमडी | डीवीडीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |

स्त्रोत : जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली

सारणी –(3.30) प्रखंडों में पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध पशु चिकित्सालय की सूची :

| क्र॰ | प्रखंड का नाम | पशु चिकित्सालय का नाम | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | हाजीपुर | पशु औषधालय, (24x7) | हाजीपुर शहर वार्ड नं 19 |
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बरॉटी | ग्राम– बरॉटी, हाजीपुर– जन्दाहा सड़क के किनारे |
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मनुआ | ग्राम– मनुआ, हाजीपुर– लालगंज रोड में सड़क के किनारे |
| 2 | लालगंज | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लालगंज | लालगंज प्रखंड के जलालपुर गाँव में। |
| 3 | वैशाली | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली | वैशाली प्रखंड परिसर के बगल में। |
| 4 | पटेढ़ी बेलसर | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलसर | पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के बगल में। |
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, चकगुलामुद्दीन | चकगुलामुद्दीन गाँव में। |
| 5 | गोरौल | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोरौल | गोरौल प्रखंड परिसर |
| 6 | भगवानपुर | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सराय | शुभाई चौक सराय। |
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, प्रतापटॉड | प्रतापटॉड गाँव में। |
| 7 | राजापाकर | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, राजापाकर | राजापाकर बाजार (पोस्ट ऑफिस के बगल में) |
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, बैद्यनाथपुर | हाजीपुर– महुआ |
| 8 | महुआ | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महुआ | महुआ प्रखंड परिसर |
| 9 | चेहराकलॉ | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, दुल्लापुर | चेहराकलॉ प्रखंड परिसर के बगल में। |
| 10 | पातेपुर | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पातेपुर | पातेपुर प्रखंड परिसर |
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, तिसिऔता | तिसिऔता ग्राम (बाजार में) |
| 11 | जन्दाहा | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जन्दाहा | जन्दाहा प्रखंड परिसर |
| 12 | देसरी | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, देसरी | देसरी रेलवे स्टेशन के बगल में |
| 13 | सहदेई बुजुर्ग | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदा॰, सहदेई बुजुर्ग | सहदेई बुजुर्ग प्रखंड परिसर |
| 14 | महनार | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महनार | महनार थाना के पास |
| 15 | बिदुपुर | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बिदुपुर | बिदुपुर प्रखंड परिसर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोखुला | बिदुपुर प्रखंड के गोखुला गाँव में |
| 16 | राघोपुर | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राघोपुर | राघोपुर प्रखंड परिसर |

स्त्रोतः जिला पशुपालन कार्यालय, वैशाली

**सारणी –(3.31) वैशाली जिला में उपलब्ध अग्निशामक वाहनों की विवरणी :**

| क्र॰ | थाना/अनुमण्डल का नाम | छोटी अग्निशामक वाहन (वाटर मिस्टटेक्नोलॉजी) | मझोला (टेम्पू एक्शल) | बड़ी अग्निशामकवाहन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राघोपुर | 01 | – | – |
| 2 | जुड़ावनपुर | 01 | – | – |
| 3 | रूस्तमपुर | 01 | – | – |
| 4 | वैशाली थाना | 01 | – | – |
| 5 | जन्दाहा थाना | 01 | – | – |
| 6 | पातेपुर थाना | 01 | – | – |
| 7 | लालगंज थाना | 01 | – | – |
| 8 | भगवानपुर थाना | 01 | – | – |
| 9 | बिदुपुर थाना | 01 | – | – |
| 10 | हाजीपुर अनुमंडल (कोनहारा घाट) | 01 | 01 | 02 |
| 11 | महुआ अनुमंडल मुख्यालय | – | – | 02 |
| 12 | महनार अनुमंडल मुख्यालय | – | – | 02 |
| **कुल** | | **10** | **01** | **06** |

स्त्रोत : जिला अग्निशमन सेवा, वैशाली

**सारणी –(3.32) वैशाली जिला में उपलब्ध हाईड्रेन्ड स्थल की विवरणी :**

| क्र॰ सं॰ | स्थल का नाम | व्यवस्थापक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | कोन्हारा घाट पानी टंकी हाजीपुर | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 2 | पी॰एच॰डी॰ कार्यालय हाजीपुर, हॉस्पीटल रोड | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 3 | सिने कृष्णा टॉकीज सिनेमा रोड, हाजीपुर | बी॰के॰ बुबना–9506521100 |
| 4 | बिग बाजार सुभाष चौक, हाजीपुर | सोनु गुप्ता–7091285436 |
| 5 | नवी टॉकीज बाग दूल्हन हाजीपुर | नवीन सिंह–9431030601 |
| 6 | सोना बिस्कुट फैक्ट्री, इंडस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर | संदीप कुमार–9955995534 |
| 7 | सुधा डेयरी, इंडस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर | सुधा डेयरी |
| 8 | एक्सल पेपर फैक्ट्री, इंडस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर | एक्सल पेपर फैक्ट्री |
| 9 | रीभर भैली फ्लावर मिल, इंडस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर | |
| 10 | पेपसी फैक्ट्री,नाईपर हाजीपुर | मनोज खिलानी–8405902000 |
| 11 | ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री, नाईपर हाजीपुर | |
| 12 | अनमोल बिस्कुट फैक्ट्री, नाईपर हाजीपुर | मनीष पाण्डेय–9006705645 |
| 13 | ए॰एफ॰पी॰कुकरे फैक्ट्री, नाईपर हाजीपुर | मनीष कुमार–9939922980 |
| 14 | आसमा फुड्स प्रोडक्ट, नाईपर हाजीपुर | पांडेय जी–9097000100 |
| 15 | गोदरेज एग्रोघेट लि॰, नाईपर एरिया हाजीपुर | जोगेश जी–7631997935 |
| 16 | एवन साईकिल फैक्ट्री, नाईपर हाजीपुर | संजय कुमार–7766913188 |
| 17 | घड़ी सर्फ फैक्ट्री, हाजीपुर | सत्य नारायण साह |
| 18 | लक्ष्मी विनायक फलावर मिल, नाईपर एरिया हाजीपुर | सत्य नारायण साह |
| 19 | गौरव गुप्ता राईस मिल, मोहम्मदपुर सराय | गौरव गुप्ता–9955542443 |
| 20 | आर॰एस॰पी॰एल गड़ी सर्फ फैक्ट्री बिठौली भगवानपुर | प्रशांत शुक्ला–8603041440 |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | बिदुपुर पानी टंकी, बिदुपुर | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 22 | लालगंज पानी टंकी, लालगंज | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 23 | महनार प्रखंड कार्याल, महनार | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 24 | डेढ़पुरा पंचायत नारायणपुर, महनार | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 25 | सहदेई ब्लॉक, सहदेई | पी॰एच॰इ॰डी॰ |
| 26 | फायर स्टेशन, महुआ | विभागीय |
| 27 | नगर पंचायत भवन, महुआ | विभागीय |
| 28 | जाफा कम्फेट प्रा॰ लि॰, चकजागो, महुआ | एस॰एम॰ दास |
| 29 | पी॰एच॰इ॰डी॰ पानी टंकी, चेहराकला | राजीव कुमार |
| 30 | पी॰एच॰इ॰डी॰ पानी टंकी, पातेपुर | रामचंद्र झा–9631986550 |
| 31 | पी॰एच॰इ॰डी॰ पानी टंकी, राजापाकर | प्रवेश कुमार झा |
| 32 | पी॰एच॰इ॰डी॰ पानी टंकी मालपुर पंचायत, मालपुर | चंदन कुमार–9298918210 |
| 33 | पुलिस लाईन, हाजीपुर | विभागीय |

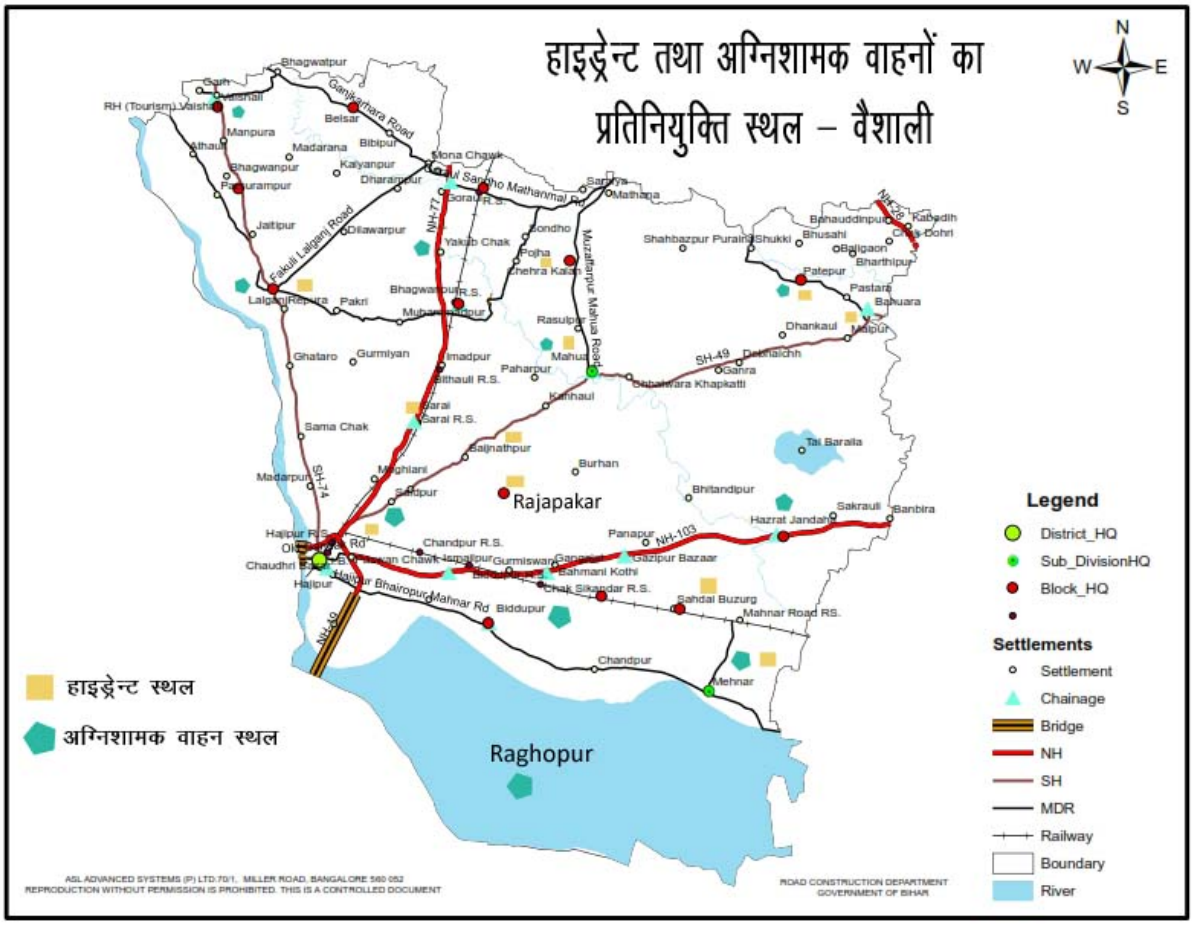


स्त्रोतः जिला अग्निशमन, वैशाली से प्राप्त सूचना के आधार पर मानचित्र का निर्माण

वैशाली जिले मे हाईड्रेन्ट तथा अग्निशामक वाहन पड़ाव स्थल दर्शाता मानचित्र।

## पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन :

जिला आपदा प्रबंधन योजना में सबसे पहले काम आने वाले (फर्स्ट रिस्पौन्डर) स्थानीय लोग ही होते है। ऐसे उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग किसी पंचायत में खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता की पहचान न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर में किया जा सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायत स्तरीय सहायता हमेशा से अपेक्षित रही है। सामान्यतः जिले के प्रत्येक पंचायत में निम्न औसतन मानव संसाधन उपलब्ध हैं :–

**सारणी –(3.33) पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन का वर्गीकरण :**

| क्र॰ | मानव संसाधन | औसत उपलब्धता | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 01 | मुखिया | 01 | • ये सभी या तो चुने हुए प्रतिनिधि है या सरकारी कर्मचारी है।<br>• इनमें लगभग सभी स्तर पर महिलाएँ भी उपलब्ध है।<br>• कुल उपलब्ध मानव संसाधन में कम से कम 50% युवा है।<br>• यह मानव संसाधन सभी पंचायत के विभिन्न गाँवों में वास करते हैं तथा अपने इलाके की पूर्ण जानकारी रखते हैं। |
| 02 | वार्ड सदस्य | 11 | |
| 03 | पैक्स अध्यक्ष | 01 | |
| 04 | पैक्स सदस्य | 12 | |
| 05 | ग्राम कचहरी एवं पंच | 05 | |
| 06 | न्याय मित्र | 01 | |
| 07 | ग्राम कचहरी सचिव | 01 | |
| 08 | कृषि सलाहकार | 01 | |
| 09 | पंचायत सचिव | 01 | |
| 10 | आंगनबाड़ी सेविका + सहायिका | 20 | |
| 11 | आशा कार्यकर्त्ता | 11 | |
| 12 | रोजगार सेवक | 01 | |
| 13 | विकास मित्र | 01 | |
| 14 | टोला सेवक | 01 | |
| 15 | इन्दिरा आवास सहायक | 01 | |
| 16 | प्रेरक (15–40 वर्ष तक को शिक्षित करने हेतु)। | 01 | |
| 17 | स्कूल शिक्षक / शिक्षिका | 10 | |
| | **कुल** | **80** | |

**नोट** :– यह संख्या औसत के आधार पर है तथा वह पंचायत के आकार (वार्डों की संख्या) एवं विद्यालयों की संख्या पर बढ़ या घट भी सकता है।

5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान पंचायतों में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया गया है। इस नमूना सर्वेक्षण के दौरान पर जो आंकडे प्राप्त हुये है उन्हें संकलित कर खंड–2 के अनुलग्नक– 86 एवं 87 पर रखा गया है।

वैशाली जिलान्तर्गत जिला, प्रखंड एवं अनुमंडल में कार्यरत पदाधिकारियों की सूची तथा उनका संपर्क नं॰ खंड–2 के अनुलग्नक–61 से 71 तक संलग्न है।

= = = = = =

## अध्याय : 4

# संस्थागत ढांचा

# INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

*आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढांचा का प्रावधान किया गया है। ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एंव जिला स्तर पर चिह्नित किये गये हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के कार्यकलाप तथा उनको दिये गये कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तद्नुसार इसका कालबद्ध क्रियान्वन करने, सभी विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सामर्थ्यवान संस्थाओं द्वारा जोखिम शमनीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तर तथा पुर्नस्थापन इत्यादि कार्य के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाया जाना अनिवार्य है। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य निजी एंव सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में सभी कार्य सम्पादित करेगें।*

वैशाली जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन कमिटि का भी गठन किया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी से संबंधित लाइन विभागों द्वारा कृषि सूखा तथा पशुधन से संबंधित खतरे एवं जोखिम को लेकर विशेष तैयारी रहती है। आपदा प्रबंधन शाखा अलग भवन में अवस्थित है।

### आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–41
### स्थानीय प्राधिकारों के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारों, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुननिर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकार ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

## 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में (वैशाली सहित) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

- जिलाधिकारी – पदेन अध्यक्ष
- जिला परिषद् के अध्यक्ष – सह अध्यक्ष

- पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- उपविकास आयुक्त – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- वरीय अपर समाहर्ता – सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- जिला के वरीयतम अभियंता – सदस्य

**4.2 पंचायती राज संस्थाये :** भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030 में ''रेजिलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉंडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सह ग्राम/शहर/स्कूल/अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक इस चेतावनी सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेगें।

चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु (Panchayat Support Functionary) समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पांस) तथा पुर्नवासन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है। तदनस्वरूप पंचायत राज अधिनियम में वर्णित सभी छः समितियों का गठन करेगी ताकि उसके द्वारा पंचायत के अंदर आने वाले गाँवो में उपस्थित खतरे, जोखिम, संसाधन–मानव एवं प्राकृतिक–आदि का संकलन किया जा सकेगा। इससे आपदा के पूर्व,दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर'' बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मोड्यूल का उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी।

जिले के सभी नये निर्मित 'पंचायत सरकार भवन' में आपदा प्रबंधन हेतु एक कमरा तथा सभी कार्यों हेतु आई.टी. सेल कम्प्यूटर की व्यवस्था है जिसे आपदा के कार्यों से जोड़ा जा सकता है।

### 4.3 समुदाय आधारित संस्थायें :

#### ■ नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा की स्थापना आम नागरिकों को हवाई हमले से उत्पन जोखिम से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। समय के साथ इसके उद्देश्य में बदलाव आया तथा परिस्थितियों के अनुरूप नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित था, में बदलाव 2009 में किया गया। इसी के साथ नागरिक सुरक्षा को रक्षा मत्रांलय तथा गृह मत्रांलय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया तथा इसे **आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया।** नागरिक सुरक्षा निदेशालय प्रत्येक राज्य में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा से कोई वरीय पदाधिकारी होता है जिसे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है।

अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। जिले का जिलाधिकारी इसका नियंत्रक होता है तथा यह अपने अधीन किसी वरीय समाहर्त्ता को इसके उपनियंत्रक की जबाबदेही सौंपता है। (विस्तृत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखें)

#### ■ बिहार राज्य नागरिक परिषद् –

मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं॰ ए॰/ना॰प॰ 1–104/37 मं॰स॰–705 दिनांक 24.04.1987 के द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के साथ–साथ सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन किया गया था। बिहार सरकार ने पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए संकल्प सं॰ मं॰मं॰–2/बी॰रा॰रा॰प॰–502/03–1218/सी दिनांक 14.06.2007 के द्वारा

**नागरिक परिषद् को आपदाओं से बचाव में जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया।** इसका निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया है – (क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा (ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सदभाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् को संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुर्नगठित किया गया जो निम्नवत है :

- राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्
- जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्
- थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है दोनों ही संस्थाए आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज–बचाव के कार्यो में उपयोगी हो सकते है।

### 4.4 जिला आपदा संचालन केन्द्र (DISTRICT EMERGENCEY OPERATION CENTRE (DEOC) ) :

आपातकालीन संचालन केन्द्र जैसा कि परिलक्षित है, जिला स्तरीय अनुमण्डल स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय एवं समुदाय स्तरीय होगा। जहाँ आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित होगा या जिस भवन में यह अवस्थित होगा वहाँ अनिवार्य या आवश्यक सहायता कार्य (ई॰एस॰एफ॰) टीम के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। केवल नोडल ई॰एस॰एफ॰ दल ही आपातकालीन संचालन केन्द्र में बैठेंगे। वे साथी/सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करेंगे। आपातकालीन संचालन केन्द्र में कारगर संचार सुविधाएँ चालू रहेगी।

जिला में आपदा संचालन केन्द्र अलग भवन में संचालित है। इस केन्द्र में टेलीफोन तथा कंप्यूटर स्थापित है। आपदा में विभिन्न पालियों में काम करने वालों के लिए विश्राम रूम का भी प्रावधान है। जिला को त्वरित कारवाई करने हेतु जिलाधिकारी के ऑफिस में सैटेलाईट फोन स्थापित है।

■ **इ॰ओ॰सी॰ का सशक्तिकरण** :

- जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को प्रस्तावित उपकरणों से सुसज्जित करना होगा जिनमें प्रमुख है – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, GPRS, Doppler Radar, SW Radio Receiver, Satellite Phone और उपग्रह आधारित मौसम अनुश्रवण स्टेशन आदि।
- अनुमण्डल स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र में – VSAT, VHF एवं जल गुणवता एवं स्तर मापक संयंत्र आदि होना चाहिए।
- प्रखण्ड स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र में – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, SW Radio Receiver, Telemetric Rain Gauge, Computer with email Facility, Video Conferencing Facilities, Power Back-Up आदि होना चाहिए।
- ग्राम पंचायत स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र में – VHF Wireless, GSM Mobile, SW Radio receiver, Ham Radio, Computer with Internet, Printer & Genset, Public Address System आदि होना चाहिए।
- समुदाय स्तर पर – Public Addrrss System, SW Radio Receiver होना चाहिए।

■ **प्रत्येक स्तर की इ॰ओ॰सी॰ की भूमिका** : आपदा की स्थिति में।

**चेतावनी का सप्रेषण :** जिला स्तर पर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार के सभी सहयोगी विभाग सहित आम जनता के लिए चेतावनी जारी कर दिया जाए।

इसी सूचना को अनुमण्डल स्तरीय ई॰ओ॰सी॰, प्रखण्ड स्तरीय ई॰ओ॰सी॰ तथा ग्राम पंचायत स्तरीय ई॰ओ॰सी॰ मौसम विभाग की भविष्यवाणी आधारित चेतावनी को अपने अधीन के विभाग सहित आम जनता के लिए इसे प्रेषित करेगी/प्रचारित करेगी। इस प्रकार ई॰ओ॰सी॰ का प्राथमिक कर्तव्य है ससमय सही चेतावनी जारी कर देना। इसके लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के ई॰ओ॰सी॰सुनियोजित संचार व्यवस्था से अनिवार्यतः युक्त हो। जिले में जिला

पदाधिकारी, अनुमण्डल में अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पंचायतों के लिए मुखियाँ चेतावनी जारी करने हेतु सक्षम होंगें।

- **जिला स्तर से निम्नांकित संस्थाओं को जानकारी/चेतावनी संप्रेषित की जानी चाहिए**
  - इ॰एस॰एफ॰, आवश्यक सहायता कार्य के सभी दलों को।
  - जिला आपदा प्रबंधन के सभी सदस्यों को।
  - जिलाधिकारी कार्यालय को।
  - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार को।
  - पड़ोसी जिलों के आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰ ) को आवश्यकतानुसार।
  - राज्य/राष्ट्र आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰) को आवश्यकतानुसार।
  - जिला के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को।
  - अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।
- **अनुमण्डल स्तर से :**
  - प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।
  - विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को, एजेन्सियों को।
  - जन प्रतिनिधि को।
  - मीडिया कर्मियों को।
- **प्रखण्ड स्तर से :**
  - सभी प्रभावित होने वाले पंचायतों को।
  - विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों एवं एजेन्सियों को।
  - जन प्रतिनिधियों को।
  - मीडिया कर्मियों को।
- **ग्राम पंचायत स्तर से :**
  - सभी वार्ड सदस्यों को।
  - सभी समुदाय आधारित केन्द्र को।
  - सभी प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को।
  - जन प्रतिनिधियों को।
  - मीडिया कर्मियों को।

प्रत्येक स्तर के इ॰ओ॰सी॰, जिला आपदा संचालन केन्द्र अपने परिसर/भवन में आवश्यक सहायता कार्य, इ॰एस॰एफ॰ से सहयोग लेने हेतु एवं कार्यों के समन्वय हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक स्थान उपलब्ध कराएंगे। हर स्तर के आपातकालीन संचालन केन्द्र लगातार अपने से नीचे के आपातकालीन संचालन केन्द्र के सम्पर्क में रहकर आपदा की परिस्थिति की नवीनतम जानकारी लेते रहेगे।

- **सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र क्या करें ?**

जिलाधिकारी अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा तथा इसे आपातकालीन संचालन केन्द्र से जुड़े कार्यों के प्रति जबावदेह होगा। यह पदाधिकारी सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों का सम्पादन करेगा।

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र चालू रूप में है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेन्ट से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।

■ **क्षेत्रीय आपातकालीक संचालन केन्द्र :** यह एक ऐसा आपातकालीक संचालन केन्द्र है जो आपदा प्रभावित स्थल के पास अस्थायी तौर पर स्थापित किया जाएगा। यह क्षेत्रीय केन्द्र जिला स्तरीय आपातकालीक संचालन केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से समन्वय करते हुए कार्य करेगा। सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी इस क्षेत्रीय इ॰ओ॰सी॰ का नेतृत्व करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर पर तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रक होगे। जिला इन्सीडेंट कमाण्डर सह जिलाधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय कमाण्डर अपने निर्देशन में अपने स्थानीय प्रबंधन दल के सहयोग से समन्वय कर सभी कार्य करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधियाँ निष्पादित करने के लिए जबावदेह होगे। लेकिन कार्य नोडल डेस्क अधिकारियों के माध्यम से जिला इ॰ओ॰सी॰ से नियंत्रित एवं समन्वित किए जाएंगे।

■ **आपातकालीन संचालन केन्द्र :** इस केन्द्र में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं पाली वार उनके काम का निर्धारण किया जायेगा। आपातकालीन संचालन केन्द्र जिलाधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा तथा अपर समाहर्ता के स्तर के पदाधिकारी इसके वरीय प्रभार में रहेंगे। इनके अनुपस्थिति में जिले के उप विकास आयुक्त स्वतः इसके प्रभार में रहेंगें।

प्रत्येक पाली के प्रभारी पदाधिकारी सूचनाओं को प्राप्त करेंगे तथा उन्हें संबंधित पंजी में अंकित करने के बाद सूचनाओं को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों को प्रेषित करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या प्रतिनियुक्ति आदेश के साथ अंकित होगा।

■ **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन बल :** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार प्रांत की आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल को भी बिहटा में ही स्थापित कर तैयार किया गया है। यह दोनों ही इकाईयॉ राज्य के विभिन्न आपदाओं की स्थिति में निश्चित ''प्रोटोकॉल'' के तहत् जिलों में उपलब्ध कराया जाता रहा है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मानक संचलन प्रक्रिया जारी करते हुए इसमें अपनाए जाने वाले प्रोटोकोल की चर्चा की है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक–ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है। प्रोटोकॉल से संबंधित जानकारी खंड–2 के अनुलग्नक–6 पर संलग्न है।

■ **राज्य आपदा मोचन बल :** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। इसकी इकाईयाँ –

i. गायघाट (पटना),
ii. कोनहारा घाट, हाजीपुर (वैशाली),
iii. कोशी कॉलेज, खगड़िया,
iv. तिलकामाझी, भागलपुर,

v. बरियारपुर मिडिल स्कूल, सीतामढ़ी,

vi. जिला स्कूल, पूर्णिया,

vii. मधेपुर, मधुबनी तथा

viii. मधेपुरा में अवस्थित है।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारिणी परिषद् है जो आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में विभिन्न कार्यों में मदद पहुँचा सकती है। इस प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) स्थापित है जो जिले तक सूचना प्रवाह को बनाये रखने में कारगर होगा। खतरा, जोखिम के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय–समय पर 'गाईडलाइन्स' जारी है। अतः आवश्यकतानुसार संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता प्रबंधन के कार्य को सुचारू बना सकती है।

**आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्तर :**

**एल–0 स्तर**

यह शांति का समय है जब कोई आपदा घटित नहीं हो रही है। इस काल में जोखिम क्षमतावर्द्धन तथा न्यूनीकरण के अधिकांश काम किये जायेगें।

**एल–1 स्तर**

इसमें डी.डी.एम.ए. मुख्य संस्था होगी तथा जिलाधिकारी घटना समादेष्टा होंगें। उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी डी.डी.एम.ए., डी.ई.ओ.सी., प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 'कंट्रोल रूम' होगा तथा संचालन का मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा।

**एल–2 स्तर**

जिला के बूते के बाहर की हालात होने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, समादेष्टा होंगें। राज्य आपातकालीन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.) आपात सहाय्य हेतु कंट्रोल रूम तथा संचालन का केन्द्र बिन्दु होगा। एन.डी.आर.एफ. एवं एस.डी.आर.एफ. तैयार रहेगी।

**एल–3 स्तर**

इस स्तर की आपदा में राज्य को केन्द्र से सहायता की आवश्यकता होती है और ऐसे में मुख्य सचिव अग्रणी रोल में होगें जिसमें संकट प्रबंधन समूह/ राज्य कार्यकारिणी घटना प्रबंधन दल में शामिल रहेंगें।

= = = = = =

## अध्याय : 5

# आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय

## PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

*विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में आपदा निवारण, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।*

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति (UNISDR) में अंकित परिभाषायें।

**निवारण (Prevention) :** वर्तमान अथवा संभावित नये आपदा जोखिम को उपेक्षित (avoid) करने की कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा।

**न्यूनीकरण (Mitigation) :** खतरे के संधातिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई और उठाये गये कदमों को न्यूनीकरण कहा जायेगा।

**पूर्व तैयारी (Preparedness) :** आपदा मोचन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए उत्तरदायी कोई संस्था, समुदाय व्यक्ति या कोई सरकार संभावित अथवा विद्यमान आपदा का सटीक अनुमान लगाकर प्रभावी प्रत्युत्तर या पुर्नप्राप्ति की क्षमता और ज्ञान हासिल या विकसित कर ले उसे पूर्व तैयारी कहेंगे।

**5.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :** जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विर्निमाण इसका क्रियान्वयन तथा समन्वयकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :–

| विशिष्ट कार्य | जिम्मेवारी |
|---|---|
| निदेशन नियंत्रण और समन्वय | जिलाधिकारी |
| सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन | जिलाधिकारी |
| संचार | जिला दूरसंचार केन्द्र |
| खोज व बचाव | परिवहन, नागरिक सुरक्षा परिषद्, जिला पुलिस,राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं आपूर्ति पदाधिकारी |
| सहाय्य एवं शरण स्थल | राजस्व एवं भूमि सुधार |
| स्वास्थ्य सेवा | जिला स्वास्थ्य समिति |
| पेयजल एवं स्वच्छता | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| पशु शरणागाह एवं चारा | पशुपालन पदाधिकारी |
| ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन | ऊर्जा विभाग, पावर होल्डिंग कम्पनी |
| आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन | अंतः संरचना निर्माण निगम, पथ विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम |
| निपटान एवं साफ सफाई | नगर पालिका, नागरिक सुरक्षा |
| जन संपर्क पूर्व सूचना एवं चेतावनी मिडिया प्रबंधन | जिला जनसंपर्क कार्यालय |
| कानून एवं व्यवस्था | जिलाधिकारी, जिलापुलिस अधीक्षक |

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायती राज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजि क्षेत्र की एजेंसियां भी उपरोक्त तीनों कार्य में सहयोग दे सकेगी। इन कार्यों में पंचायत चूंकि ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है। अतः उसे खतरा, जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निभानी पड़ सकती है।

### 5.2 सभी विभागों एवं एजेसियों के लिए समान कार्य :

योजना के तहत आपदा जोखिम पर समझ विकसित करना, जोखिम संवेदी प्रशासन प्रणाली को सशक्त करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों में निवेश तथा प्रभावी रिस्पांस की तैयारी कुछ ऐसी बिंदुऐं हैं जिनको ध्यान में रखकर कारवाई की जानी चाहिए।

## 5.3 विभागों/एजेसियों के आपदानुरूप कार्य :

भूकंप :–

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | • निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना । | • जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य यथा भूकंपीय जोन के अनुरूप भवन निर्माण का अनुश्रवण ।<br>• प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण।<br>• ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं के तकनीक को शामिल कराने की पहल करना।<br>• क्षमतावर्द्धन के कार्य–पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्रामस्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण। | • संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन ।<br>• विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण ।<br>• भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल ।<br>• ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना।<br>• भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रील का अभ्यास कराना । |
| 2 | भवन निर्माण | • भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता–2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। | • रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों का रेट्रो फिटिंग। | • पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकंप रोधी क्षमता का आकलन–रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग करना।<br>• भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज–मिस्त्री, शटरिंग–मिस्त्री तथा बार–बाईंडर का प्रशिक्षण। |
| 3 | नगर निकाय | • भवन निर्माण के अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना।<br>• जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।<br>• सिसमिक जोन –IV को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण से पूर्व 'रेरा' | • भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों का रेट्रो फिटिंग कराना। | • निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना।<br>• आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अधिनियम के अंतगर्त रजिस्ट्रेशन की अनुमति देना। | | |
| 4 | स्वास्थ्य विभाग (सिवील सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय) | | • भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपिडिक क्लिनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना ।<br>• अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।<br>• अस्पतालों का ''रेट्रो फिटिंग'' का कार्य ।<br>• अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना। | • जिला स्तरीय संभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।<br>• एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना ।<br>• प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्त्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना<br>• इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रहना। |
| 5 | अग्निशमन विभाग | | • खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण।<br>• भवनों में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना। | • भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना। |
| 6 | एन.डी.आर.एफ/ एस.डी.आर.एफ/रेड क्रॉस/सिविल डिफेन्स | | • मॉकड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं जन प्रशिक्षण करना।<br>• समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना। | |
| 7 | शिक्षा विभाग | • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना। | • विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।<br>• स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु सुनिश्चित करना। | • राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों के पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन।<br>• जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूंकप के दौरान अपने आप को सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर मॉक ड्रिल कराना।<br>• प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपातकालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनका नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना । |

बाढ़ :–

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** | • आवश्यकतानुसार तटबंधों का निर्माण /मरम्मति सुनिश्चित करना।<br>• स्लूईस गेट के निर्माण संचालन संबंधित विभागों को निदेशित करना।<br>• ''फ्लड प्लेन जोनिग'' करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना। | • जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े निर्माण का शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण।<br>• पंचायत स्तर पर की जा रही शमनीकरण, न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण।<br>• बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन। | • बाढ़ पूर्वानुमान, चेतावनी तथा आवश्यक सूचना सभी हितधारकों तक तत्काल पहुँचाने के लिए प्रभावी सूचना तंत्र की स्थापना।<br>• बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना।<br>• बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार (अनुलग्नक–48 पर संलग्न) प्रत्येक वर्ष तैयारी सम्पन्न करना। |
| 2 | **जल संसाधन विभाग (बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण)** | • बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण।<br>• पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन।<br>• संभावित जलजमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपन एवं निर्माण। | • गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक नदी के तट पर निर्मित बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों का सुदृढ़ीकरण।<br>• नदी के आक्रामय स्थलों को चिह्नित करना। जहाँ पर बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनती हो वहाँ शीघ्रता से तत्परता पूर्वक नदी के बहाव की दिशा परिवर्तित करने के लिए समुचित संरचनाओं का निर्माण।<br>• बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह /जानकारी का प्रचार – प्रसार।<br>• गंडक नहर प्रणाली में जल सुनिश्चित करना।<br>• तिरहुत मुख्य नहर के शाखा नहरों एवं वितरणियों के द्वारा सिंचाई सुविधा। | • आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण ।<br>• संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना।<br>• जमींदारी बांध, अन्य बांध, नहरों, नालों, तालाबो आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ–सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मती करा लेना।<br>• बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण।<br>• वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव पठन हेतु ''रीभर गेज'' की स्थापना, दैनिक जलश्राव पठन की निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान।<br>• आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन ।<br>• संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रीयों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | भूमि एवं राजस्व | | | • हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना।<br>• शरण स्थल का चयन। |
| 4 | शिक्षा | **बाढ़ प्रवण पंचायतों में :**<br>• बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना। | **बाढ़ प्रवण पंचायतों में :**<br>• तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक की नियुक्ति करना।<br>• विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।<br>• बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बिमारियों से बचाव हेतु छात्र–छात्राओं को जानकारी देना।<br>• जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी के प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त निषेधात्मक गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना। | • बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिन्हित कर रखना तथा शिविरों में शरणार्थी बच्चों के पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापको का प्रतिनियोजन।<br>• विद्यालय में आपदा से सबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल का गठन तथा इनका नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना । |
| 5 | ग्रामीण अभियंत्रण संगठन | | • सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को समेकित ढ़ंग से शामिल करना। | • बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना। |
| 6 | सड़क निर्माण विभाग | • बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के लिए कार्य करना। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | स्वास्थ्य | | • जिला अस्पतालों/अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ यथा हैलोजन की गोली, क्लोरीन टैबलेट, डायरिया की रोकथाम के लिए ओ. आर.एस. पैकेट, साँप काटने की सुई, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का भंडारण।<br>• विभिन्न बिमारियों केलिए टीकाकरण करना।<br>• चलनत चिकित्सा केन्द्र में बाढ़ पीडितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना।<br>• आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में संभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।<br>• प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ–साथ चिकित्सकों का नियोजन। | • स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना।<br>• फर्स्ट एड कीट तैयार रखना ।<br>• बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।<br>• पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर. एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।<br>• विभिन्न बिमारियों के टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना।<br>• आपूर्त्ति किये जा रहे दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। |
| 8 | खाद्य एवं आपूर्त्ति | | | • बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान का भण्डारण कर लेना ।<br>• बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना। |
| 9 | पंचायती राज | • विकास के कार्यो में आपदा प्रबंधन को समाहित करना। | • बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना।<br>• समुदाय को बाढ़ प्रबंधन की ट्रेनिंग देकर जागरूक बनाना। | • बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना। |
| 10 | कृषि | | • आपदा प्रबंधन में कृषकों एंव अन्य संबंधित हितधारकों को प्रशिक्षित करना।<br>• कृषि क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना।<br>• कृषि कार्य से संबंधित जन–जागरूकता अभियान का संचालन ।<br>• धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कुछ दिन डुबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं | • बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि योजना तैयार करना।<br>• चौर क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानो को प्रेरित करना।<br>• अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | होती है, का प्रचार–प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना । | • अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले चारे और फसल के बीज, खाद आदि का भंडारण ।<br>• बाढ़ के तुरंत बाद जिस फसल को कम समय में उगाया जा सके उस हेतु प्रोत्साहित करना। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | पशुपालन | | • बाढ़ के पहले एक समेकित कार्य योजना तैयार करना।<br>• पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में होने वाले पशुरोग एवं रोकथाम का प्रशिक्षण देना।<br>• लोगो में जागरूकता अभियान चलाना। | • बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना।<br>• सभी पशुओं को खुरहा तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना।<br>• पशुओं के लिए पशु शरण–स्थल चिन्हित करना।<br>• मत्स्य पालन क्षेत्र में चारो तरफ से उँची जाली लगाकर घेर देना, ताकि मछली के बहाव को रोका जा सके। |
| 12 | परिवहन | | • नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना।<br>• राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का संचालन करना। | • बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचीकरण । |
| 13 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | | • प्रभावित क्षेत्रों में खराब पड़े चापाकल का 36 घंटे के अंदर मरम्मति सुनिश्चि करना। | • शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं समुचित भंडारण। |
| 14 | एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. एवं अन्य एजेन्सियाँ | | • प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। | • नागरिक सुरक्षा दल का गठन।<br>• बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण।<br>• मॉकड्रिल का आयोजन करना।<br>• बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण । |
| 15 | केन्द्रीय जल आयोग/ मौसम विभाग | | | • बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर संप्रेषित करना। |

सूखा :–

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** | | • सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।<br>• मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना ।<br>• जमाखोरी को सख्ती से रोकना।<br>• फसल क्षति बीमा योजना में शामिल होने हेतु बढ़ावा देना। | • ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना।<br>• सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण।<br>• अकाल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना। |
| 2 | **कृषि विभाग**<br>सभी पंचायतों में वर्षामापक यंत्रों के अधिष्ठापन कराने का निदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में स्थल चयन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंडों का जिला पदाधिकारी, वैशाली के पंत्रांक 655/सां॰ दिनांक 14.09.17 द्वारा निदेश दिया जा चुका है।<br>साथ ही साथ सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) अधिष्ठापन प्रस्तावित है। अभी सिर्फ एक ही AWS जिला कृषि कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) के समीप पुलिस लाईन में अधिष्ठापित है। आपदा से संबंधित महत्वपूर्ण आकड़े जैसे तापमान, वर्षा, पवन वेग, आर्द्रता आदि का स्वतः आकड़ा प्रत्येक AWS से प्राप्त होता है।<br>(स्त्रोतः जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली) | • ड्रीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना।<br>• सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना<br>• भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन।<br>• प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन सह कृषि को प्रोत्साहित किया जाना। | • सूखा की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार–प्रसार।<br>• कीड़ो से बचाव के उपाय करना ।<br>• चारा से जुड़ी फसलों को लगाने हेतु प्रोत्साहित करना<br>• चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना।<br>• प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का प्रत्यक्षण खेतों में करना।<br>• सूखा एवं जलवायु परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।<br>• सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना। | • सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखा की आशंका बढ़ जाती हैं ऐसे समय में आवश्यक कदम उठाने के लिए समय–समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना। वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को ससमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।<br>• जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखा से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन ।<br>• उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दीवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीवीजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है।<br>• कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण।<br>• वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **पंचायती राज विभाग**<br>**जिला परिषद्/**<br>**पंचायत समिति/**<br>**ग्राम पंचायत** | • समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल के पुर्नउपयोग पर बल देना। | • सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंन्मुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना। | • तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना।<br>• सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भंडारण करके रखना।<br>• पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना। |
| 4 | **जल संसाधन**<br>**(सिंचाई सृजन)**<br>सूखा से निपटने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उन्नयन योजनाएं चलायी जा रही हैं। सूखे से सामना करने के दृष्टि से सरकार ने शताब्दी नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का इंतजाम किया है साथ ही बंद पड़े सरकारी नलकूपों की यांत्रिक मरम्मति एवं इन्हें पर्याप्त बिजली मुहैया करायी जा रही है। भू–जल की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए जिले में ''ऑटोमैटिक डिजिटल वाटर रेकॉडर'' अधिष्ठापित किया गया है। (स्त्रोत : कृषि विभाग एवं लघु जलसंधान विभाग, बिहार) | • वैशाली जिले में तिरहुत नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/ अर्धनिर्मित/ अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना।<br>• सिंचाई नहरों के कमान्ड क्षेत्र में खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मती एवं निर्माण।<br>• जल वितरण नियंत्रण। सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।<br>• जल संसाधन के नहर आदि पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना। | • सुखाड़ की आपदा की चेतावनी के मद्देनजर ''आकस्मिक फसल योजना'' तैयार करना। जिससे सुखाड़ के समय उपलब्ध पानी का संचित उपयोग हो सके। | • जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण।<br>• निर्मित सिंचाई योजनाओं का मरम्मति एवं जिर्णोद्धार।<br>• नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी–बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना। |
| 5 | **लघु जल संसाधन** | | • सभी सिंचाई योजनाओं में शतप्रतिशत सिंचाई क्षमता हासिल करना।<br>• वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/ घरेलू/सार्वजनिक स्थान पर, प्रोत्साहन करना।<br>• ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना। | • सभी नलकूपों को उर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना।<br>• सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखरों से गाद को हटाना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** | • प्रति व्यक्ति कम–से–कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना।<br>• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना।<br>• हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। | • सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना।<br>• जल स्त्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना।<br>• लाईफ लाईन भवनो यथा अस्पतालों/विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध बनाना। | • सभी पेयजल स्त्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुआँ के डिसइन्फेक्सन की व्यवस्था करना।<br>(संदर्भ : बिहार सरकार का SOP देखें खंड–2, के अनुलग्नक– 2 एवं 5 पर संलग्न)<br>• ब्लिचिंग पावडर तथा हैलोजन टेबलेट की प्र्याप्त व्यवस्था सुरक्षित रखना। |
| 7 | **पशुपालन** | • पशुओ का ससमय टीकाकरण सुनिश्चित करना। | • पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारा की आपूर्ति।<br>• कृषि अनुषांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु डेयरी, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना। | • जानवरों के लिए सामूहिक चारा, पानी, शिविर स्थल को चिह्नित करना।<br>• मौसम विशेष की बिमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण करना। |
| 8 | **समाज कल्याण (ICDS)** | | • आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।<br>• उपलब्ध सुविधा का प्रचार–प्रसार करना। | • आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माताएँ आदि की सूची को अद्यतन करना। |
| 9 | **उर्जा** | | • विद्युत की नियमित आपूर्त्ति बनाए रखना।<br>• राजकीय नलकूप के पंप को उर्जान्वित बनाये रखना। | • सूखे की स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक इंतजाम करना। |
| 10 | **ग्रामीण विकास** | | • मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित ''सात निश्चय योजना'' के तहत रोजगार मुहैया कराना। | |
| 11 | **स्वास्थ्य** | | • सूखा से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बिमारियों की निगरानी करना।<br>• आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेट का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना।<br>• जन–जागरूकता अभियान चलाना। | • स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना।<br>• फर्स्ट एड कीट तैयार रखना ।<br>• पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण। |
| 12 | **गृह** | | | • चारा वितरण केन्द्र, अन्य खाद्य पदार्थ वितरण केन्द्रों पर वितरण के समय पुलिस बल की तैनाती। |
| 13 | **मौसम विभाग** | | | • मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की ससमय घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | बैंक | | • सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना।<br>• विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना। | |
| 15 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | | • सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना। | • क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना। |
| 16 | सहकारिता संभाग | | • कृषि यांत्रिक बैंक की स्थापना तथा किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराना। (किराया पर) | |

**अग्नि :–**

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/<br>जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | • बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन।<br>(*www.home.bih.nic.in/Fire/bfs.htm*)<br>• बिहार भवन निर्माण रूल्स 2014 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।<br>(*www.bcd.bih.nic.in*) | • अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एंव रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पंत्राक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना। खंड–2 के अनुलग्नक–52 पर संलग्न है।<br>• अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़ी एक चेक लिस्ट तैयार करना।<br>• इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। | • आपातकालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना।<br>• अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण– पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित आयोजन करना।<br>• अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कालबद्ध कार्यक्रम योजना बनाना। |
| 2 | अग्निशमन सेवा | | • बहुमंजिली इमारतों एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना। | • जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल नं॰, सार्वजनिक करना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय–समय पर इसे मॉकड्रिल के माध्यम से परीक्षण करना।<br>• अग्निशमन कर्मी के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना।<br>• लोंगो के लिए अग्नि बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। | • अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना।<br>• अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़को का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना।<br>• अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। |
| 3 | **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण** | • ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि॰मी॰ पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो। (पत्रांक 6554 दि॰ 24.12.2015 राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक) | • प्रति 2 कि॰मी॰ पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। संबंधित राज्यादेश अनुलग्नक–53 पर संधारित है।<br>• पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना। | • नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना। |
| 4 | **शिक्षा विभाग** | • विद्यालयों के भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करना। | | • सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।<br>• सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना। |
| 5 | **भवन निर्माण विभाग** | • बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन।<br>• बिहार भवन निर्माण रूल्स 2014 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन।<br>• विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंको, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनों को अग्निरोधी बनाने युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना। | अग्निकांडों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निदेशों में समय–समय पर आवश्यक सुधार करना। | • भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थो का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना। |
| 6 | **पंचायती राज विभाग** | • आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना।<br>• अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना। | • ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा दीपक रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना।<br>• गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। | • गाँवों के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अगलगी की स्थिति में पहुँच आसान हो सके।<br>• गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल स्त्रोतों को बनायें रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | • अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन। | सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।<br>• गाँव आधारित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। | • अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना।<br>• ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलस्त्रोत, पंपिग सेट, हौज पाईप, नोजल, लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सूचिबद्ध करना। |
| 7 | नगर पालिका | | • अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना/लगाना।<br>• वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़को पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके। | • घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना।<br>• विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना। |
| 8 | स्वास्थ्य विभाग | | | • अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना।<br>• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त ''बर्न यूनिट'' की स्थापना का प्रयास।<br>• एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरूस्त रखना। |
| 9 | पशुपालन | | | • पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना।<br>• अग्निकांड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समूचित भंडारण करना। |

**भीड़/भगदड़ :–**

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **जिला प्रशासन/**<br>**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**<br><br>**भगदड़ के चार मूल कारक (FIST)**<br>**(Force) भीड़ का बल** – संख्या आधारित।<br>**(Infromation) सूचना** – सही या गलत।<br>**(Space) जगह** – बैठने की, कॉरिडोर, निकास आदि।<br>**(Time) समय** – घटना का कार्यकाल। | • भीड़ प्रबंधन की मानक संचलन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा इसका अनुश्रवण करना।<br>• एकत्रित भीड़ द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय सीमा के अंदर उनके उद्देश्यों को संपन्न करा देना। | • मुख्य त्योहारों तथा अन्य अवसरों पर भीड़ नियंत्रण योजना बनाना जिसमें हितधारकों की भूमिका सुनिश्चित हो।<br>• संभावित भीड़ में बच्चों/बूढ़ों/महिलाओं/दिव्यांगों हेतु परिचय पत्र का निर्माण एवं वितरण।<br>• चिह्नित स्थल पर महत्वपूर्ण विभाग यथा पुलिस कंट्रोल रूम, अस्पताल, पीने के पानी का स्थल, शौचालय, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विश्राम स्थल इत्यादि को तैयार करना तथा इसकी अवस्थिति के बारे में जगह–जगह पर जानकारी(साईनेज सहित) उपलब्ध कराना।<br>• भीड़ मनोविज्ञान, पूर्व के हादसे तथा की जानेवाली कारवाई पर फिल्म का प्रदर्शन कर जागरूकता फैलाना।<br>• पंजीकरण की व्यवस्था।<br>• भीड़/भगदड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर का निर्माण। | • भीड़/मेला वाले स्थान का नक्शा बनाना तथा प्रवेश, निकासी एवं सुरक्षा के स्थान को चिह्नित कर प्रभावी भीड़ प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना।<br>• किसी भी स्थान विशेष एवं खास समय पर जुटने वाली संभावित भीड़ की संख्या का पूर्वानुमान।<br>• पुलिस एवं स्वयंसेवकों को भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण ।<br>• मॉकड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास।<br>• कार्य योजना का लिखित रूप में आवश्यक होना।<br>• जिले में यदि भीड़–भाड़ वाले चिन्हित स्थान हो तो इसका जोखिम विश्लेषण–हितधारक के दायित्वों का निर्धारण। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **पुलिस**<br>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने 34 तरह की आपदा की स्थितियों की पहचान की है। इसमें भीड़ प्रबंधन भी शामिल है। भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए चार तंत्र विकसित किये जाने चाहिए–<br>**पहला–** पंजीकरण की व्यवस्था।<br>**दूसरा–** पुलिस एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत ।<br>**तीसरा–** मॉकड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास।<br>**चौथा–** कार्य योजना का लिखित रूप में होना। | • जहाँ सुरक्षा संदिग्ध हो वहाँ भीड़ एकत्र न होने देना।<br> 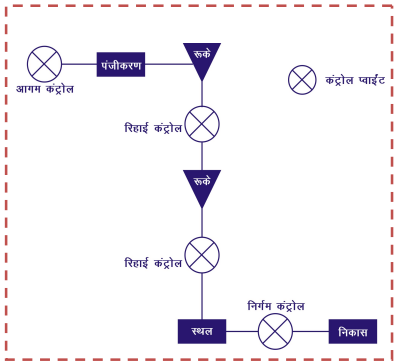 <br> | • यदि निकास एवं प्रवेश मार्ग पर्याप्त क्षमता वाली हो तो दोनो को हीं आने–जाने के लिए खोल कर रखना।<br>• कार्तिक पूर्णिमा, दुर्गा पूजा या छठ के मौके पर मेला कैम्प सह नियत्रंण कक्ष की स्थापना।<br>• किसी समय यदि भीड़ ज्यादा हो तो आवश्यकातनुसार निकास के समय प्रवेश मार्ग को भी निकास मार्ग में परिवर्तित करते हुए प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना।<br>• निकास एवं प्रवेश मार्ग एक हीं हो तो आने एवं जाने के लिए बारी–बारी से खोलना।<br>• वाहन पार्किंग स्थल का चिह्निकरण एवं उद्धोषणा।<br>• भीड़ वाले स्थल से अस्पताल के मार्ग को अवरोध रहित रखना।<br>• असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना।<br>• अफवाहों और अफवाह फैलाने वालों पर नियंत्रण रखना। | • भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।<br>• त्यौहार के अवसर पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकरियों की गंडक पुल (नया एवं पुराना) पर प्रतिनियुक्ति करना।<br>• प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों एवं स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण । |
| 3 | **स्वास्थ्य** | | • भीड़–भाड़ वाले अवसरों/स्थानों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य योजना बनाना।<br>• संभावित स्थल पर एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या रखना। | • संभावित भगदड़ वाले स्थल के निकटवर्ती अस्पतालों को चिन्हित कर तैयार रहने का आदेश निर्गत करना।<br>• स्थानीय अस्पतालों को संसाधन युक्त रखना।<br>• पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना । |
| 4 | **अग्निशमन** | | • भीड़ एकत्रित होने वाले स्थलों पर निर्मित टेन्ट अथवा पंडाल की ''फॉयर प्रुफ'' होने की जाँच कर स्वीकृति प्रदान करना एवं अस्वीकृत करना।<br>• अग्निशमन वाहन/दल की सभी स्थलों पर पहुँच पथ सुनिश्चित करना।<br>• पंडाल अथवा टेन्ट आदि लगाने के लिए मानकों (एंटी फॉयर) की मार्गदर्शिका तैयार करना। | • भीड़–भाड़ वाले स्थान पर हाईड्रेन्ट स्थल की पहचान कर रखना।<br>• अग्निशमन वाहन तथा हाईड्रेन्ट के चालू हालत में रखना।<br>• मॉकड्रिल आयोजित करना। |

## सड़क/रेल सुरक्षा :–

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/<br>जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | | • Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना।<br>(खंड–2 के अनुलग्नक–11 पर सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार संलग्न है)<br>• हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह (9–15 जनवरी) का आयोजन। एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं का वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम लेना।<br>• चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना। | • जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन एवं नियमित बैठक।<br>• कॉम्यूनिटी पुलिसिंग को प्रोत्साहित करना।<br>• पर्व, त्यौहार एवं अन्य अवसरों पर सड़क सुरक्षा का संदेश का प्रचार–प्रसार करना। |
| 2 | परिवहन | • मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन ।<br>• वाहन चलाने के समय मोबाईल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना।<br>• परिवहन विभाग,बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय का निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना–<br>✓ गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी।<br>✓ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु ''गति नियंत्रक'' लगाने की बाध्यता होगी।<br>✓ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता | • वाहनों का नियत समय पर फिटनेश की जाँच तथा चालाकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालको को प्रतिबंधित करना।<br>• सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना।<br>• सड़क सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता अभियान चलाना। | • सरकारी/गैर सरकारी वाहनो में प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **"गति नियंत्रक" लगाने की बाध्यता**<br>• गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी।<br>• सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु "गति नियंत्रक" लगाने की बाध्यता होगी।<br>• दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं है।<br>• डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा<br>परिवहन विभाग,बिहार सरकार<br>दिनांक 9 जनवरी,2017 | नहीं होगी।<br>✓ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा<br>• परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08.2016 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना –<br>✓ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के "रिफ्लेक्टीव टेप" (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं। अनुलग्नक–58 पर संलग्न है। | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3** | **पुलिस** | • ट्रैफिक नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना। | | • सड़क दुर्घटना के संबंध में 17 बिन्दुओं वाली परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी फॉर्मेट में जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदित करना। (अनुलग्नक– 59 पर संधारित है)<br>• सभी मुख्य सड़कों एवं चौराहों पर विभिन्न समयों पर ट्रैफिक घनत्व का अध्ययन कर आवश्यकतानुसार ट्रैफिक लाईट की स्थापना तथा ट्रैफिक पुलिस का प्रतिनियोजन।<br>• सड़कों की परिवहन क्षमता तथा ट्रैफिक घनत्व के आलोक में "नो–इंट्री" तथा "वन–वे" ट्रैफिक का निर्धारण। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • विशेष समारोहों/आयोजनों के समय एवं उसके इर्द–गिर्द के सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण।<br>• दुर्घटना प्रवण स्थलों के आस–पास क्रेन/अग्निशमन वाहन की तैनाती। |
| 4 | स्वास्थ्य | | • पर्याप्त पारामेडिकल कर्मी को ड्यूटी पर नियोजित करना ताकि घायलों को अस्तपताल ले जाने में कठिनाई नहीं हो।<br>• सड़कों के आस–पास कोई ट्रॉमा सेन्टर, तथा रेफरल अस्पताल हो उसकी जानकारी सड़क के किनारे संकेतक एवं दूरी के साथ लगवाना। | • Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप के PHC को उत्क्रमित कर एम्बुलेंस सेवा युक्त चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना।<br>• Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रखना।<br>• अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना ।<br>• प्रत्येक अस्पताल में नजदीकी ब्लड बैंक, एमआरआई, एक्सरे सेन्टर तथा ब्लड डोनर एवं विशेषज्ञ सर्जन की जानकारी संधारित कर रखना।<br>• समुदाय के स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना।<br>• प्रत्येक अस्पताल में आपदा प्रभावित जनसंख्या की चिकित्सा सहायता के लिए त्वरित मोचन दल (Quick Response Team) का गठन। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **सड़क निर्माण/ग्रामीण सड़क निर्माण**<br>**सड़क सुरक्षा के10"गोल्डेन रूल्स"**<br>• वाहन चालक रूकें या धीरे करें – पैदल चलने वालों की सुरक्षा हेतु।<br>• सीट बेल्ट का सुनिश्चित प्रयोग – इससे दुर्घटना में मृत्यु की संभावना में कमी होगी।<br>• ट्रैफिक नियम और चिन्ह (साइनेज) – सड़क दुर्घटना कम करने हेतु।<br>• स्पीड लिमिट – घनी आबादी, स्कूली क्षेत्र, मार्केट (20–30 मि.मी. /घंटा)<br>• वाहन की हालत – अच्छी हालत में ब्रेक डाउन या दुर्घटना में कमी।<br>• मोबाईल उपयोग प्रतिबंध – वाहन चलाते हुए मोबाईल का उपयोग से दुर्घटना की संभावना।<br>• हेलमेट – माथे में चोट से सुरक्षा।<br>• खतरनाक चालन – स्वयं, परिवार एवं दूसरों की सुरक्षा हेतु इससे बचें।<br>• दूसरों का आदर – सबों का ध्यान रखकर सड़क का प्रयोग करें।<br>• शराब वर्जित – शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक। (बिहार में शराब बंदी लागू)। | • निर्मित सड़कों से अनाधिकार ठोकरों को हटाना एवं नये ठोकर निर्माण पर पाबंदी लगाना।<br>• उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित गठित समिति ने तीन प्रमुख दिशा निर्देश जारी किये है। वे है –<br>✓ उभय पक्ष द्वारा सड़कों के डिजाईन, निर्माण एवं उपयोग की अवस्था में इन सड़क नेटवर्क 'उपयोगकर्त्ता के अनुकूल' हो, इसको ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (रोड सेफ्टी ऑडिट) की जाय।<br>✓ दस करोड़ से ज्यादा लागत वाली सड़कों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण सुनिश्चित की जानी चाहिए।<br>✓ राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ तथा मुख्य जिला सड़कों पर तीखा मोड़ या विभिन्न मिलान वाली सड़कों पर गाड़ियों को धीमा किये जाने संबंधी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट का संकलन। | • सड़क पर Black spot को चिह्नित कर Signage लगाना।<br>• सड़क सुरक्षा के दस गोल्डेन रूल्स के अनुपालन पर बल देना।<br>• सड़क पर बने पुलों की चौड़ाई बढ़ाना।<br>• वैकल्पिक सड़कों का निर्माण।<br>• सड़क अनुरेखन में सुधार यथा 'ब्लाईंड कर्व' को सीधा करना।<br>• खतरनाक सड़को की पहचान।<br>• सड़क सुरक्षा पर समय–समय पर नियमित अध्ययन करना।<br>सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े विहित प्रपत्र में एकत्रित करने संबंधी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाना है। (अनुलग्नक–59 पर संधारित है)<br>• डीपीआर तैयार करते समय दुर्घटना के विभिन्न कारकों एवं निराकरण को डिजाईन में शामिल करना। | • सड़क पर सफेद रंग का विभाजक चिन्ह् से सभी लेन का स्पष्ट चिह्निकरण ।<br>• सड़क सुरक्षा चिह्नों को निश्चित तौर पर सभी आवश्यक स्थानों पर लगाना।<br>• तीखें मोड़ पर स्टील के चमकीले पट्ट लगाना।<br>• पैदल पथ पार के लिए जेबरा क्रॉसिंग बनाना।<br>• घनी बस्ती के बीच से जा रही सड़कों से सुरक्षा के लिए बसावट वाले गाँवों में सड़क सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता चलाना। |
| 6 | **शिक्षा** | | • विद्यालयों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन।<br>• विभिन्न सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी तथा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान छात्र–छात्राओं को देना। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **भारतीय रेल** | • सभी फाटक रहित रेलवे कॉसिंग पर रेल मित्र की नियुक्ति करना।<br>• रेलवे सेफ्टी रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराना।<br>• (रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 181 के अन्तर्गत असावधानी पूर्वक मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पार करना दण्डनीय अपराध है तथा इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।) | • सभी मानवरहित रेल पथ समपार से गुजरने वाले वाहनों के लिए निम्नांकित निर्देश पट्टिका स्थापित करना :–<br>✓ गाड़ी फर्स्ट गेयर में डालकर ही पार करें।<br>✓ गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बन्द कर दें।<br>✓ समपार फाटक पार करते समय इयरफोन का प्रयोग न करें। | • ट्रैक का उचित मेन्टेनेंस करना।<br>• निर्धारित गति सीमा के अनुसार रेल का परिचालन सुनिश्चित करना।<br>• आपातकाल मेडिकल भान, आपातकाल एस एण्ड आर दल भान एवं रेल प्रोटेक्शन फोर्स को तैयार रखना।<br>• चलंत अस्पताल को चिकित्सक, पारा मेडिकल एवं आपातकालीन चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित एवं तैयार रखना।<br>• समपार के दोनो छोरों पर उँची झाड़ियों की नियमित कटाई एवं सफाई । |

## नाव दुर्घटना एवं डुबान (नदी, तालाब, गढ्ढ़े): –

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** | • बंगाल नौ–घाट अधिनियम 1885 के अधिन आदर्श नियमावली – मॉडल बोट रूल्स, 2011 का अनुपालन।<br>• नदी, पईन, तालाब, झील, आदि उपलब्ध होना तथा खतरनाक नदी/घाटों पर जोखिम चेतावनी पट्ट लगाना। | • खतरनाक घोषित स्थलों तक परिचालन प्रतिबंधित करना।<br>• खतरों की जगह पर बच्चों की पहुँच को प्रतिबंधित करना।<br>• चिह्नित खतरनाक जगहों में ढांचागत सुधार लाना और चेतावनी संकेत आदि लगाना।<br>• नदी, तालाब के पास वाले गाँव के बच्चों का तैराकी प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।<br>• बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा चलाये जा रहे 'Safe-Swim' कार्यक्रम को सफल बनाना। | • नाविकों का प्रशिक्षण।<br>• नदी घाट का निर्माण।<br>• तालाबों की घेराबंदी।<br>• स्थानीय लोगों को जहाँ नाव से नदी/नहर पार करने का स्थान हो, गोताखोरी एवं तैराकी का प्रशिक्षण ।<br>• विभिन्न घाटो पर बांस–बल्ला तथा नाव एवं नाविकों की व्यवस्था। |
| 2 | **परिवहन** | • बिहार आदर्श नौ घाट नियमावली–मोटर वोट रूल्स, 2011 के अर्तगत नाव एवं नाविक का निबंधन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।<br>(देखे परिवहन विभाग, बिहार का वेबसाईट) | नाव की बनावट, उसके विभिन्न हिस्से, आकार एवं प्रकार नाव का रख–रखाव। नौका की भार वाहन व यात्रियों की क्षमता निर्धारित किया जाना। नाव पर भार आलेख (लोडलाईन) चिह्नित किया जाना। नाव पर यात्री एवं सामग्री की एक साथ ढुलाई में सावधानियाँ बरतना। (**संदर्भ** – बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार सुरक्षित नौका | • नावों का निबंधन।<br>• नावों पर निबंधन संख्या अंकित करना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | परिचालन का प्रशिक्षण मोड्यूंल) | |
| 3 | पुलिस | | • खतरनाक घाटों का चिह्निकरण एवं पहरा देना। | |
| 4 | ग्रामीण अभियंत्रण संगठन | | | • नदी, नहर, तालाब, झील, झरना की घेराबंदी ।<br>• घाट का निर्माण करना। |
| 5 | स्वास्थ्य | | | • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना। |

**गर्मी लू/शीतलहर/ठनका : –**

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/<br>जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | **(क) गर्मी–लू**<br>• स्कूल/कॉलेज तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना।<br>• बच्चों का विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना।<br>• मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। खंड–2 के अनुलग्नक–7 पर संलग्न ।<br>**(ख) शीतलहर**<br>• बच्चों का विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। | **(क) गर्मी–लू**<br>• बाजार/रेलवे स्टेशन/बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था।<br>**निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार–**<br>• यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले।<br>• पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढ़क कर निकले।<br>• गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें।<br>• पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें।<br>• फेसमास्क का प्रयोग जरूर करें।<br>**(ख) शीतलहर**<br>• शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन।<br>• सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यस्था करना।<br>• खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले | **(क) गर्मी–लू**<br>• मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना।<br>• पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।<br>**(ख) शीतलहर**<br>• अलाव की व्यवस्था रखना।<br>• जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना।<br>• शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धो की जानकारी से लोगों को अवगत कराना।<br>• मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना।<br>**(ग) ठनका –**<br>• ऊँचे भवनों में तड़ित चालक लगाना। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | गृह विहिन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने एवं ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध कराना।<br>**(ग) ठनका –**<br>• ठनका की आंशका वाले मौसम में उँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना।<br>• ठनका की समभावना के मद्देनजर मोबाईल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना।<br>• घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना।<br>• नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना। | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | स्वास्थ्य विभाग | | **(क) गर्मी–लू**<br>• समुदाय के लिए गर्मी–लू से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना ।<br>**(ख) शीतलहर**<br>• समुदाय के लिए शीतलहर से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना इलाज करना। | **(क) गर्मी–लू**<br>• गर्मी–लू जनित बीमारी यथा घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े), ऐठन (गर्मी के कारण क्रैम्प), बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा), गर्मी से थकावट, उष्माघात (सनस्ट्रोक), निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन) की चिकित्सा हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भंडारण।<br>**(ख) शीतलहर**<br>• शीतलहर जनित बीमारी यथा फ्रॉस्टनीप – मनुष्य के अंगों में सुन्नपन होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला सफेद पड़ जाना/फ्रॉस्टवाइट, तुषार उपधात – ठंडी धातु के छूने से/चिंलब्लेन /हाइपोथर्मिया के इलाज हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भंडारण। |
| 3 | पशुपालन विभाग | | • पशुधन/पॉल्ट्री फार्म/डेयरी फार्म को गर्मी–लू एवं शीतलहर से बचाव के उपायों के लिए उचित सलाह का प्रचार–प्रसार। | • पशु संबंधित दवाईयों का भडारण करना। |

संदूषित जल : –

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/<br>जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | | | • जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन |
| 2 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | • दूषित चापाकल को चिन्हित कर लाल रंग से रंगना।<br>• लौह कीट लगा कर पानी शुद्धिकरण।<br>• संक्रमित पंप की पहचान कर उसके उपयोग पर रोक लगाना।<br>• हर घर नल का जल योजना का विस्तार। | • ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति के माध्यम से पानी के सप्लाई के स्त्रोत में ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना।<br>• आर्सेनिक सुधार में निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है–<br>✓ सुरक्षित एवं दूषित पानी के स्त्रोतों की पहचान।<br>✓ गाँव स्तर की जोग्रेफिक इन्फॉमेशन सिस्टम (जी॰आई॰एस॰) डाटा का संकलन।<br>✓ सभी हितधारकों हेतु जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के बीच पारदर्शी सूचना प्रणाली विकसित करना।<br>✓ वैकल्पिक पेयजल स्रोत प्रदान करना।<br>• पारंपरिक जल स्रोतों, को स्वच्छ कुँओं में कनवर्ट करना।<br>• जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और जल स्रोतों की गुणवत्ता का मैपिंग । | • सामुदायिक स्वयंसेवकों, पदाधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठन हेतु, इन्फॉरमेंशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन (आइ॰ई॰सी॰) सामग्री विकसित करना। इन सामग्रियों के माध्यम से मिथकों (Myth) तथा वास्तविकताओं (Reality) पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर तैयार कर पोस्टर पर संकेत एवं लक्षण, सामान्य जागरूकता आदि चित्र तैयार करना। इसी प्रकार से फील्ड स्टाफ के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना।<br>• उपचार संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव।<br>• प्रभावित क्षेत्रों में 'लाल और नीले' रंग में रंगे हैण्ड पम्प का अर्थ प्रचारित प्रसारित करना।<br>• संकटग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली और रिचार्जिंग सिस्टम का व्यापक निर्माण करना।<br>• पाइप जलापूर्ति के लिए सबसे सुरक्षित सतही अथवा भूगर्भ जल भंडार का पता लगा कर उपयोग में लाना। |

## चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : –

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | | • ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बाँस वाली संरचनाओ के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी। इसकी विशिष्टि का विवरण चित्र सहित अनुलग्नक–54 पर देखा जा सकता है। | • मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित–प्रसारित करना। तथा सभी हितभागियों को सचेत करना।<br>• सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना।<br>• गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना।<br>• सरकार द्वारा जारी 'एडवाईजरी' का प्रचार–प्रसार करना।<br>• ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।<br>• सुरक्षित भवन निर्माण के लिए इंजिनियर एवं राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिलाना। |
| 2 | स्वास्थ्य विभाग | | | • प्रभावित इलाके के ट्रॉमा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7 रहने का आदेश देना।<br>• आस–पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत् सतर्क रहने का हेतु निर्देश देना। |

## स्वास्थ्य समस्याएँ : –

| क्र. | विभाग/संभाग का नाम | निषेधीकरण कार्य | न्यूनीकरण कार्य | पूर्व तैयारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला प्रशासन/ जिला स्वास्थ्य समिति (सिविल सर्जन) | • कालाजार, चिकित्सा केन्द्र, सदर अस्पताल, हाजीपुर, महनार, पातेपुर, महुआ में विशेष चिकित्सा व्यवस्था। | • सभी स्वास्थ्य केन्द्र पर आर.के.–39 जाँच की सुविधा उपलब्ध करना।<br>• लावारिस कुत्तों की संख्या में कमी लाना।<br>• सभी स्वास्थ्य केन्द्र पर वैक्सीन (ARV) की उपलब्धता। | • कालाजार चिह्नित पंचायतों में विशेष छिड़काव।<br>• डेगूं/चिकेनगुनिया के मौसम में पूर्व से प्रचार–प्रसार, स्वच्छता अभियान चलाना। |

## 5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी :

### स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक परिसर तथा पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा (School, Hospital, Industrial Area & Archaeological Safety) :

आपदा प्रबंधन के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जोखिम निराकरण अथवा न्यूनीकरण का प्रयास पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। खतरो की चपेट में आई आबादी का बचाव करने के उपरांत स्कूलों में स्थापित अस्थाई राहत शिविर में सुरक्षित स्थानान्तरण करना होता है। घायलों की चिकित्सा नजदीकी अस्पताल में की जाती है।

औद्योगिक प्रतिष्ठान आपातकालीन संचालन केन्द्र के तौर पर उपयोग में लाये जा सकते है। कुछ खतरों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान विशेष संवेदनशील होते हैं। इनके विध्वंस अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नये खतरे की संभावना बन जाती है। अतः इस आपदा प्रबंधन योजना में स्कूल सुरक्षा, अस्पताल सुरक्षा तथा औद्योगिक परिसर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वैशाली जिला अपनी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर के लिए विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ ऐतिहासिक एंव पुरातात्विक महत्व के स्थल तथा उस स्थल पर निर्मित संरचना हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अन्यथा इनका पुर्नस्थान या पुर्ननिर्माण पूर्व की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। भविष्य की पीढ़ियो के लिए इसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

### अस्पताल सुरक्षा :

हाल के दिनों में भारत के तीन प्रमुख राजधानियों, लखनऊ, कोलकाता एवं भुवनेश्वर के अस्पतालों में लगी आग तथा उसके उपरांत हुए नुकसान तथा गुजरात के भुज में भूकंप के बाद अस्पतालों की स्थिति ने हमें सोचने पर विवश किया है कि अस्पतालों के लिए भी खुद का आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारी होनी चाहिए। इसका सुखद परिणाम यह होगा कि अस्पताल में भरती रोगी, आपदाओं के बाद अस्पताल में आने वाले रोगियों, उनके सहायक तथा अस्पताल में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित और आश्वस्त सेवा मुहैया कराया जा सकेगा।

योजना से दूसरा लाभ यह होगा कि अस्पताल के संसाधन तथा सुविधाओं को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

इस योजना के हितधारक के रूप में अस्पताल के सभी स्तर के कर्मचारी होगें तथा सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड भी। आपदा से संबंधित अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जुड़ी प्रत्युत्तर तथा पुर्नप्राप्ति योजना से युक्त होगी। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी विभाग अपनी आंतरिक एवं वाह्य प्रत्युत्तर हेतु योजना रखेगें। यही नहीं, समन्वय तथा अभ्यास के साथ–साथ प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था करेगें।

इस क्रम में दो प्रकार से दस्तावेज संधारण किये जायेगें – (1) घटना सुरक्षा पंजी तथा (2) सुरक्षा अभ्यास पंजी।

योजना निर्माण के क्रम में बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा दिये गये निर्देश के आलोक में भवन निर्माण एवं भवन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अस्पताल सुरक्षा योजना को सभी स्तर के अस्पताल यथा सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लागू करने का प्रयत्न किया जायेगा।

निम्नांकित तालिका विभिन्न प्रकार के आपदाओं से जुड़ी गतिविधियों से युक्त हैं। वैशाली जिला में अस्पतालों में उपलब्ध बेड (शय्या) की संख्या निम्नवत है –

- सरकारी अस्पतालों में कुल बेड क्षमता की संख्या–330
- उपलब्ध कुल बेड संख्या–270
- निजी अस्पतालों में कुल बेड संख्या–250 (स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली)

**अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारियां –**

| क्र.सं. | आपदा का प्रकार | घटना प्रबंधन | जबाबदेही |
|---|---|---|---|
| 1 | आग | • आग से जुड़े खतरों को आपातकालिक प्रत्युत्तर दल नियमित रूप से जाँच करेगा।<br>• किसी को भी यदि आग या धुएँ की सूचना मिले या आभास हो तो अस्पताल के टेलीफोन संचालक को इस संबंध में सूचना देना।<br>• टेलीफोन संचालक, सुरक्षा प्रबंधक, प्रशासक तथा सभी | सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं अग्नि पर्यवेक्षक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना देगा।<br>• एलिवेटर से सभी अलग खड़े होगे।<br>• यदि टेलिविजन या एयर कंडीशनर चल रहा हो तो उसे बंद कर देगे।<br>• सुरक्षा प्रबंधक, तत्काल घटना स्थल पर पहुँचेगें तथा स्थिति का आकलन करने के उपरांत, अस्पताल में उपलब्ध संसाधन से, जैसे अग्निशामक आदि की व्यवस्था करायेगें।<br>• बाकी सारे लोग अपने लिए निर्धारित स्थल पर खड़ा रहेगें तथा सुरक्षा प्रबंधक के आदेश/निर्देश का इंतजार करेगें।<br>• यदि अग्नि अस्पताल के साधन के नियंत्रण के बाहर हो या जन–धन की हानि संभावित हो तो मुख्य प्रशासक से संपर्क कर अग्निशमन कार्यालय को सूचित करेगें।<br>• प्रशासक से सलाह कर अस्पताल को पूरी तरह खाली करने का आदेश निर्गत करेंगे तथा सभी रोगी, कर्मचारी, आगत अतिथि तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कर देगें।<br>• अंतःरोगी विभाग से रोगियों को वाह्यरोगी विभाग में स्थानांतरित किया जायेगा और आवश्यकता हुई तो उन्हें अस्पताल के भवन से बाहर ले जाया जायेगा। इस कार्य में रोगियों को चिकित्सक/परिचारिका, तकनिशियन तथा अन्य संबंधित कर्मी सुरक्षित स्थान तक ले जायेगे।<br>• दुर्घटना पंजी में इस दुर्घटना का अंकण किया जायेगा।<br>• इस हेतु सभी को प्रशिक्षित किया जायेगा।<br>• आग नियंत्रक पैनल पर अग्नि सूचक दर्शाने वाले उपकरण को विभिन्न जगहों पर स्थापित किया जायेगा।<br>• यदि अग्नि सूचक यंत्र असफल हो जाये तो इसकी सूचना प्रबंधक, सभी विभाग को देगें।<br>• इसके मरम्मती की कार्रवाई करेंगं तथा इसकी सूचना सभी विभाग को देगें। | |
| 2 | भूकंप | • सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा तत्काल प्रत्युत्तर के कदम उठाये जायेगें।<br>• ज्योहीं प्रारंभिक कंपन की अनुभूति सुरक्षा पर्यवेक्षक करेगें, सुरक्षा नियत्रंण कक्ष के कर्मी तत्तकाल इसकी सूचना आपातकालिक प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को देगें जो किसी खास फोन नम्बर पर उपलब्ध रहेगें।<br>• सभी कर्मी कंपन की सूचना के साथ अपने स्थान पर शांति पूर्वक खड़े होगे तथा अगली सूचना की प्रतीक्षा करेगें।<br>• शांत रहते हुए अन्य को भी ऐसा हीं करने को कहेगें।<br>• यदि भवन के भीतर हों तो प्लास्तर को गिरने को देखेगें, दिवालों ओर छत पर जो वस्तु लगाई गई है उन पर नजर रखेंगें, उँचे उपकरण तथा अन्य गिरने वाले उपकरणों से सचेत रहेगें, जो फिसल या गिर सकता है।<br>• अपनी सुरक्षा के लिए पूर्व में दिये गये निर्देश का पालन करेगे।<br>• खिड़की और आईने से दूर रहेगें तथा किसी भी स्थिति में बाहर नहीं भागेंगे।<br>• ज्योहीं आरंभिक कंपन समाप्त हो जायगी तथा एक अंतराल बीत जायेगा और पुनः कोई कंपन नहीं होगी तो तत्काल चारों तरफ के घायलों एवं नुकसान का सर्वेक्षण करेगें।<br>• घायलों का प्राथमिक उपचार करेगें।<br>• गंभीर घायलों को यदि जीवन का खतरा नहीं हो तो धैर्य के साथ इस प्रकार प्राथमिक सहायता देंगे कि उन्हें और नुकसान न हों।<br>• आग से जुड़ी खतरों की जाँच करेंगें जिसकी संभावना टूटे | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | बिजली के तारों या शॉट सर्किट से हो सकता है। यदि आग मिलता है तो तत्काल उसके शमन की कार्रवाई करेंगें।<br>• किसी भी रोगी को अस्पताल की सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास नहीं करेंगें यदि ऐसा करने का निर्देश नहीं मिला हो।<br>• मलबे या टूटे शीशे के पास के रोगियों को बिना जूते के नहीं निकलने का निर्देश जारी करेगें।<br>• तत्काल भूकंप के कारण बर्बाद हुई दवाओं तथा नुकसान दायक पदार्थों को हटवाने का निर्देश जारी करेगें।<br>• जल–मल निकास की जाँच कर शौचालयों के प्रयोग को सुरक्षित घोषित करेगें।<br>• भंडारण एवं इसके पास के क्षेत्र का पड़ताल करेगें तथा छोटे और बड़े अलमारियों के उपर रखें वस्तुओं का आकलन करेगें। | |
| 3 | बम की चेतावनी | **फोन करने वाले की सूचना लिखेंगे –**<br>• फोन आने पर सूचना देने वाले की आवाज, पुरूष/महिला, सूचना के समय शांत या घबराहट होने तथा बोलने के तरीके पर ध्यान देगें।<br>• सूचना में निम्नलिखित बातों को दर्ज करेंगें<br>▪ सूचना पाने वाले का नाम/सूचना का समय<br>▪ फोन करने वाले की आवाज : पुरूष/महिला<br>▪ बोली–स्थानीय/बाहरी/गंवई/मजाकिया<br>▪ बम कहां रखा है।<br>▪ अन्य मौजूद शोरगुल जैसे गली/यातायात/हवाई जहाज/संगीत/रेल गाड़ी आदि।<br>**अस्पताल के कर्मी करेंगें :**<br>• सुरक्षा नियत्रंण कक्ष को इसकी सूचना देंगें। सूचना किसी संकेत, आवाज या संचार उपकरण से देगें।<br>• किसी भी स्थिति में अलार्म नहीं बजायेंगें।<br>• सुरक्षा नियत्रंण कक्ष सुरक्षा प्रबंधक को सूचित करेगा। सुरक्षा प्रबंधक, प्रशासक को, मुख्य प्रशासक को तथा अस्पताल प्रबंधक (अनुरक्षण) को सूचना देगें।<br>• संदिग्ध वस्तु से दूरी बना कर रखेंगें और किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छुऐगें ।<br>• संदिग्ध वस्तु पर नजर रखेंगें।<br>• संदिग्ध वस्तु के पास गलती से या उद्देश्य के साथ अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं जाने देंगें।<br>• दरवाजे को बल पूर्वक न तो खोलेगे न तो बंद करेंगें।<br>**सुरक्षा नियत्रंण कक्ष की गतिविधियाँ –**<br>• आपातकालिक प्रत्युत्तर दल के आने के पहले क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देंगें।<br>• आसपास के क्षेत्र को खाली करायेगें।<br>• पुलिस नियत्रंण (100) तथा बम निष्क्रमण दल को सूचित करेगें।<br>• अस्पताल प्रबंधन के स्वीकृति उपरांत हीं अस्पताल को खाली करायेगें।<br>• बम निष्क्रमण की कार्रवाई के निर्धारण के उपरांत हीं बम संबंधी चेतावनी का समापन किया जायेगा।<br>सब कुछ समाप्त का संकेत देकर सामान्य स्थिति की प्राप्ति की जायेगी। | **कॉल सेन्टर**<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>**सुरक्षा कर्मी** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | **व्यापक जन हताहत** | • मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्रशासक (निदान), चिकित्सा अधीक्षक को सूचना देना।<br>• व्यापक जन हताहत को लेकर आपातकालिक प्रत्युत्तर की तैयारी करेगें।<br>• स्थिति को नियत्रंण में करने के लिए अतिरिक्त कर्मी को लगायेगें और यदि आवश्यक हो तो दूसरे क्षेत्र या वार्ड से भी कर्मी को लगा जायेगा।<br>• आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कुछ शय्या आरक्षित कर रखा जायेगा।<br>• सहयोगी कार्य करने वाली इकाईयों जिनमें प्रयोगशाला, रक्तअधिकोष तथा एक्सरे आदि को सूचित कर तैयार रखना।<br>• गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) तथा शल्य चिकित्सा कक्ष (ओ.टी.) को सूचित कर तत्काल कारवाई के लिए तैयार करेगें।<br>• आनेवाले रोगियों के लिए व्यवस्था करना तथा उनकी उपचार की प्राथमिकता तय की जायेगी।<br>• एम्बुलेंस से आने वाले रोगी को यथाशीघ्र प्राप्त करना तथा पिछले एम्बुलेंस के लिए जगह खाली कराई जायेगी।<br>• सुरक्षा गार्ड की मदद से उपचार में शुभचिंतकों के हस्तक्षेप को रोका जायेगा।<br>• रोगियों के साथ पहुँचने वाले शुभचिंतकों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित किया जायेगा। | |
| 5 | **दंगा तथा आंतकी हमला** | • असैन्य/पुलिस/सैन्य अधिकारियों को सूचित किया जायेगा तथा परिसर को सुरक्षित करने के लिए सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति कराई जायेगी।<br>• एक सप्ताह के लिए आवश्यक दवायें एंव खाद्य सामाग्री के भंडारण को सुनिश्चित किया जायेगा।<br>• अस्पताल परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के प्रवेश पर कड़ी नजर रखी जायेगी तथा सभी अतिरिक्त प्रवेश द्वार को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।<br>• जोखिम वाले क्षेत्र, जैसे पानी टंकी, पेट्रोल एवं डीजल टंकी, गैस टंकी, जेनेरेटर आदि को अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाकर सुरक्षित कर दिया जायेगा। | |

= = = = = =

## स्कूल सुरक्षा :

विभिन्न आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। आपदा प्रबंधकों ने माना है कि चूँकि बच्चे भविष्य के मूल्यवान नागरिक हैं, अतः उन्हें बार–बार के अभ्यास से संभावित आपदाओं में, उससे लड़ने और बचने हेतु मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाय। ऐसा करने से बच्चे खुद और साथ हीं उन परिवारों को भी आपदा से निपटने के गुणों से वाकिफ करा सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि कम उम्र के बच्चें होने की वजह से उनकी निर्भरता दूसरो पर बनी रहती है। विद्यालय भवन चूंकि सार्वजनिक होते है अतः इनका निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से युक्त होना चाहिए या जो विद्यालय भवन पहले से निर्मित है उनमे भूकंपरोधी तकनीक के अधीन सुधार लाया जाना चाहिए।

**विद्यालयों में घटित कुछ हादसे –**

शिक्षा विभाग बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय है। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7480 विद्यालय प्रभावित हुए। जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के गंडामन प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याहन् भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 3 मध्य विद्यालय पानी के तेजधार में विलुप्त हो गये।

**स्त्रोत–मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज, 2017**

भारतीय संदर्भ में विद्यालय सुरक्षा के क्षेत्र में दो घटनाएँ – तमिलनाडू के कुंभाकोनम के विद्यालय में लगी आग जिसमें 300 से ज्यादा बच्चो की मौत हुई तथा गुजरात के भुज में आई भूकंप, जो झंडोत्तोलन के समय आया, में भी काफी बच्चे हताहत हुये थे, अति महत्वपूर्ण हैं।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं जिला आपदा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी स्तर से किये गये प्रयासों की वजह से सभी जिलों में स्कूलों के शिक्षक तथा छात्र–छात्राएँ, मॉकड्रिल के माध्यम से भूकम्प तथा आग से बचने के विभिन्न तरीकों से परिचित हो चूके है। अब आवश्यकता है कि इन प्रयासों की निरंतता बनाये रखा जाय ताकि वे भविष्य में स्वयं की सुरक्षा तो कर ही सके साथ में समाज को भी लाभ मिल सके। आपदा में बच्चे सबसे ज्यादा कष्ट झेलते है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु स्कूल सुरक्षा को जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य अंग बनाया गया है।

स्कूल हमारे समाज निर्माण का अभिन्न हिस्सा है अतः शिक्षा विभाग को भी इन तैयारियों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्कूल सुरक्षा को हम निम्नलिखित छः चरणों में हासिल कर सकते है–

## पूर्व तैयारी :

1. स्कूली स्तर की खतरे एवं संवेदनशीलता के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए स्कूल से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच इसका रेखांकन करना।
2. खतरों और कमजोरियों, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक ढाँचे, अंदर की क्षमता और भूमिकाओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों को सुचारू योजना बनाने में मददगार साबित होगी।
3. निकासी योजना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी।
4. चेतावनी दल, जागरूकता कार्य दल, निकासी कार्य दल, खोज एवं बचाव कार्य दल, प्राथमिक चिकित्सा कार्य दल, अग्नि सुरक्षा कार्य दल, मनोवैज्ञानिक सहायता कार्य दल, साइट सुरक्षाटास्क फोर्स आदि सहित विभिन्न कार्य दलों का गठन।
5. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सभी संसाधन एजेंसियों से संपर्क एवं उनके संबंध में जानकरी प्राप्त करना।
6. आपातकालीन निकास मार्ग, प्रदर्शन और निकासी, बचाव, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा छात्रों द्वारा प्राप्त कौशल का परीक्षण करने की कार्यकुलशता का मॉक ड्रिल का आयोजन कर छात्र/छात्राओं की समझ को बढ़ाना ।

**जागरूकता :**

पूर्व में किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए इसे विस्तार कर, भूकंप एवं अग्नि के अलावे, अन्य आपदायें जैसे लू, शीतलहर, सड़क सुरक्षा आदि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने से निम्नलिखित सीख प्राप्त होगें।

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित होना।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार होना।
4. सुचना, शैक्षणिक एवं संचार (आई॰ई॰सी॰) सामग्रियों से बच्चों का जागरूक होना।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन में व्यापकता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से जिला स्तरीय एंव प्रखंड स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय गतिविधियों एवं भूमिकाओं की रूप रेखा तैयार की जायें।

**जिला विद्यायल सुरक्षा योजना –**
शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय हैं। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री विद्यायल सुरक्षा योजना के अतंगर्त बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया तथा इसका परिणाम सफल रहा है।

**साप्ताहिक कार्यक्रम :** आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार द्वारा पारित बहु–आपदा न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में भी शिक्षा संबंधित विषय के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस रोडमैप को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं जिला स्तर के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे। इसे प्रत्येक सप्ताह शनिवार या सुविधानुसार किसी अन्य दिन आयोजित किये जा सकते है।

**साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्देश्य :**

- बच्चों को आपदा जोखिम से परिचित कराना ।
- बच्चों को जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना।
- बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदा के कुप्रभाव से बचाना।
- बच्चों का आपदा प्रबंधन कौशल विकास करना।
- आपदा से होने वाली मौतों को कम करना।
- आपदा से होनेवाले नुकसान को पूर्व तैयारियों के माध्यम से कम करना।
- विद्यालयों को सुरक्षित बनाना।
- आपदा से बचाव के तरीकों को समाज तक फैलाना एवं आत्मनिर्भर करना।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्कूलों में 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार निम्न विषयों में से किसी एक का चुनाव कर विवेचना करने का सुझाव दें सकती है–

1. मौसम आधारित आपदाएँ ।
2. सामान्य समय में होनेवाली आपदाएँ/घटनाएँ ।
3. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ।
4. पोषण संबंधी परेशानियाँ।
5. स्वच्छता संबंधी।

6. बाल सुरक्षा संबंधी।

7. जलवायु परिवर्तन एवं

8. बच्चों की आदतों में सुधार संबंधी।

पंचायतों के प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के अंर्तगत जिन विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किये गये उन सभी विद्यालय में छात्र–छात्राओं द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन सफलता पूर्वक किया गया। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को भी समझा जाये कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों के प्रकार, इन विद्यलायों में नामांकित बच्चों तथा इनमें कार्यरत शिक्षकों की दृष्टि से आपदाजनित खतरों के लिए यह कितना संवेदनशील है? निम्नाकित तालिकाऐं इन्हीं सारी संवेदनशीलताओं से जुड़ी है।

**सारणी–(5.1) जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की संख्या (2014) :**

| प्राथमिक | प्राथमिक सह उच्च प्राथमिक | इंटर, मध्यमिक एवं उच्च सहित प्राथमिक | केवल उच्च प्राथमिक | इंटर, मध्यमिक सहित उच्च प्राथमिक | माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक सहित प्राथमिक | उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 1054 | 7 | 1 | 2 | 50 | 14 | **2283** |

स्त्रोत–बिहार अर्थिक सर्वेक्षण (2016–17)

**सारणी–(5.2) जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की संख्या (2014):**

| प्राथमिक | प्राथमिक सह उच्च प्राथमिक | इंटर, मध्यमिक एवं उच्च सहित प्राथमिक | केवल उच्च प्राथमिक | इंटर, मध्यमिक सहित उच्च प्राथमिक | माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक सहित प्राथमिक | उच्च प्रथामिक के साथ माध्यमिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3959 | 9410 | 183 | 13 | 71 | 699 | 116 | **14451** |

स्त्रोत– बिहार अर्थिक सर्वेक्षण (2016–17)

**सहयोगी संस्था :** सुरक्षित स्कूल कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभाग, संस्थानों एवं संभाग के सहयोग से सफलता हासिल करना होगा। वे है :–

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिला शिक्षा परियोजना परिषद्।
- जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
- स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

**स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन) :** जैसा कि विदित है, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना, इसलिए सभी स्कूलों से यह अपेक्षा होगी कि वो स्कूल स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेगें ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्धन हो। दल निम्नवत होगा–

| क्र॰सं॰ | टीम | टीम की बनावट | मुख्य काम |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | इन्सीडेन्ट कमांडर | प्रधानाचार्य | 1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से कराना।<br>2. किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेसिंयां स्कूल परिसर में पहुँचती है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना। |
| 2 | स्कूल आपदा प्रबंधन समिति | प्रधानाचार्य / उपप्रधानाचार्य, शिक्षक–2 (1पुरूष,1महिला) स्कूल स्टाफ–2 | 1. 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना।<br>2. समयान्तराल पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना।<br>3. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव संबंधित तकनिकी प्रशिक्षण का आयोजन करना।<br>4. समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों के मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलूओं पर मॉकड्रिल कराना।<br>5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का संपर्क नंबर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल पर उसे अपडेट करना।<br>6. आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। |
| 3 | जागरूकता अभियान दल | 5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) | 1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।<br>2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पम्पलेट, आसान तरीका 'क्या करें–क्या न करें' प्रदर्शित करना।<br>3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख / निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना। |
| 4 | आपातकालीन अलार्म दल | शिक्षक –2, स्कूल स्टॉफ–1 | 1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से सावधान करना।<br>2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म मुकर्रर किये जा सकते है जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालुम हों। |
| 5 | निकासी दल | 5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) | 1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से क्लास रूम से बाहर निकालना व एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा करना।<br>2. ऐसेम्बली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'स्कूल आपदा प्रबंधन समिति' व खोज एवं बचाव दल को देना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | खोज व बचाव दल | 5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में स्कूल के सीनियर छात्रों के सेक्शन को भी शामिल किया जाये। | एसेम्बली प्वाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरंत खोज एवं बचाव के कार्य करना। |
| 7 | प्राथमिक उपचार दल | स्कूल डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक स्कूल के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये। | 1. घायल छात्रों, अध्यापकों या अन्य स्कूल स्टॉफ का प्राथमिक उपचार।<br>2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना। |
| 8 | फायर फाईटिंग दल | 5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) | 1. स्कूल में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना।<br>2. मुख्य बिजली आपूर्ति 'कट' के बारे में जानकारी होना ताकि शॉट सर्किट की स्थिति में मेन लाईन काटा जा सके।<br>3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना। |
| 9 | परिवहन प्रबंधन दल | स्कूल के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2 | 1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना।<br>2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना। |
| 10 | मीडिया प्रबंधन दल | उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टॉफ | 1. पत्रकार सम्मेलन से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना।<br>2. आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के संपर्क में रहना। |

**नोट :** आपदा जोखिम, न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संबंधित स्कूल द्वारा दलों के स्वरूप में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा।

= = = = = =

## औद्योगिक सुरक्षा :

किसी भी राज्य के विकास के लिए कृषि के अलावा उद्योग धंधे का होना बहुत हीं जरूरी है। किसी उद्योग की स्थापना से उत्पादन प्रक्षेत्र में सीधे तौर से रोजगार की संभावना बढ़ती है और साथ हीं बड़ी संख्या में लोग अप्रत्यक्ष रोजगार से भी जुड़ते है। लेकिन यह भी सच है कि जहाँ उद्योग विकास के लिए जरूरी है, वहीं वह आंतरिक दुर्घटना एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय भी है। आंतरिक दुर्घटना, उस उद्योग में उपयोग की जा रही सामग्री एवं सुरक्षा के अवयवों की अनदेखी के कारण होती है, जबकि उस उद्योग से वायु या जल में उत्सर्जित की जा रही पदार्थ पर्यावरण को दूषित करने का कारण माना जाता है।

सन् 2015 में देश भर में पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्रियों ने बैठक में यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया कि एक ओर जहाँ उद्योगों की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं हो वही कुछ मानक बना लिए जाये ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि उद्योगों को उसमें व्यवहृत की जाने वाली सामग्री और उसके उत्पादन के आधार पर उत्सर्जन – (वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खतरनाक कचड़ा एवं उपयोग के उपरांत बेकार हो गये संसाधन) उसको रंग (कलर कोड) के आधार पर चिह्नित किया जाय। इस आशय का पत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ने अपने 17 मार्च 2016 के पत्र से भी सभी राज्यों का ध्यान आकृष्ट किया है। कलर कोड की विशिष्ट एवं विस्तृत सूची बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध है। संक्षेप में वो इस प्रकार है :

**सारणी– (5.3) प्रदूषण मापने के स्कोर :**

| क्रम सं॰ | प्रदूषण स्कोर | रंग (कलर कोड) | उत्पादन के आधार पर उद्योगों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 60+ | लाल (रेड) | 60 |
| 2 | 30-59 | नारंगी (औरेंज) | 83 |
| 3 | 15-29 | हरा (ग्रीन) | 63 |
| 4 | 15 से कम | सफेद (व्हाईट) | 36 |

स्त्रोतः पी॰आई॰बी॰–2016

## खतरे का आकलन :

इस जिले में कई बड़े, मंझोले एवं छोटे आकार के उद्योग लगे है तथा वे उपरोक्त श्रेणियों में आते है। जिला प्रशासन को इन उद्योगों में प्रदूषण (वायु/जल) को कम करने तथा मानक स्तर पर बनाये रखने हेतु सतत् प्रयास करना होगा। जिले से उद्योगों की सूची मुख्यतया बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, जिला उद्योग केन्द्र तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना से प्राप्त हैं।

**दुर्घटना के प्रकार**

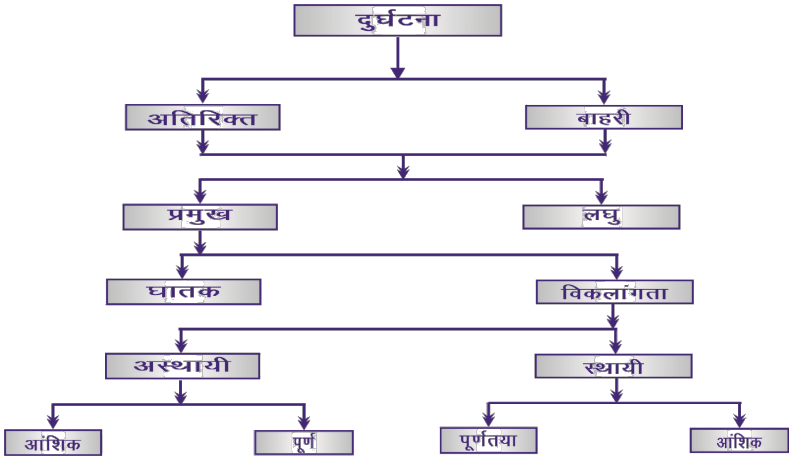


**न्यूनीकरण :** उद्योग स्थापना की पूर्ण जानकारी हासिल करते हुए एक सुनियोजित ढंग से, उद्योगों के प्रकार, उसकी क्षमता, उत्पादन की प्रक्रिया, उपयोग किये जा रहे उपकरण, खतरे एवं संवेदनशीलता का संपूर्ण आंकड़ा सर्वे के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा। इसके उपरांत जिला उद्योग केन्द्र, श्रम संसाधन विभाग, कारखाना निरीक्षक के

संयुक्त प्रयास से औद्योगिक दुर्घटना के दोनों हीं आयाम, उद्योग में आग लगने एवं वायु प्रदूषण फैलने वाली घटनाएँ कम की जा सकेंगी।

औद्योगिक अग्निकांड में मुख्यतया गलतियाँ ऐसे उद्योग के आंतरिक फिंटिंग, उपयोग की जाने वाली मशीनरी का समुचित रख रखाव का अभाव एवं व्यॉलर का समय–समय पर पर्यवेक्षण का अभाव मुख्य कारण बनता है। इसके लिए कारखाना अधिनियम,1948 के सुरक्षा उपायों को लागू करना उचित होगा।

**सारणी (5.4) वैशाली जिला में कार्यरत (चालू) उद्योग :**

| क्र॰ स॰ | उद्योग का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या | उत्पादित वस्तु का नाम एवं प्रकार | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | फैक्ट्री / उद्योग का प्रकार | सभांवित खतरा (समुदाय के लिए) | सभांवित खतरा (कार्यरत कर्मी के लिए) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M/S. Lumbani Wevrage (P) Ltd. Ind. Area, Hajipur | शीतल पेय | 200 | खतरनाक | आग, गैस लिकेज आदि | आग, गैस लिकेज आदि |
| 2 | M/S. Plant Remedies (P) Ltd. , Ind. Area, B-51-54 Hajipur Sri. Bipin Kr.Chauhan Sri. Anil Kr. Jain | मरम्मति कार्य | 20 | खतरनाक | आग, गैस लिकेज आदि | आग, गैस लिकेज आदि |
| 3 | M/S. Opel Paints & Chemicals (P) Ltd. Ind. Area, Hajipur Mr. Manoj Kr. Mr. Ranjan Kr. | तरल एवं सुखा पेन्टस | 20 | खतरनाक | आग, गैस लिकेज आदि | आग, गैस लिकेज आदि |
| 4 | M/S. Swastic Crop Care (P) Ltd., Plot No. 7-8, Phase -2, Ind. Area, Hajipur | कीटनाशक दवा | 20 | खतरनाक | आग, गैस लिकेज आदि | आग, गैस लिकेज आदि |
| 5 | मेसर्स अनुज डेयरी प्रा॰ लि॰, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, | डेयरी | – | – | गैस लिकेज | गैस लिकेज |
| 6 | मेसर्स मिल्क चिलिंग सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, | डेयरी | – | – | गैस लिकेज | गैस लिकेज |
| 7 | मेसर्स आसमा फूड एवं वेवरेज प्रा॰ लि॰, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, | खाद्य प्रसंस्करण | – | – | – | – |

स्त्रोतः मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद्,पटना

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने इस जिला आपदा प्रबंधन योजना के संवृद्धि हेतु जिले में उद्योग से जुड़ी विभिन्न पहलूओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करेगी। खंड 2 के अनुलग्नक–60 पर दृष्टव्य ।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् को राज्य के सभी जिलों के वायु प्रदूषण के अनुश्रवण का दायित्व सौपा गया है। इस जिले की जनसंख्या तथा उनके मुख्यालय स्तर की जनसंख्या में दशकीय बढ़ोतरी हुई है। साथ हीं विभिन्न प्रकार के कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से उत्सर्जन एवं अन्य विकास के कार्य परिवेशी वायु के गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

जबकि राज्यों पर प्रदूषण की दृष्टि से वायु के मानक स्तर को बनाये रखने पर जोर है अतः यह आवश्यक हो गया है कि पटना में अवस्थित दो प्रदूषण मापक स्टेशनों के अलावा इस जिलें में भी वायु प्रदूषण अनुश्रवण स्टेशन की

स्थापना की जाय। राज्य में पटना के इंदिरा गाँधी विज्ञान कॉम्पलेक्स (प्लेनिटेरियम) में लगातार वायु गुणवत्ता प्रदर्शन हेतु एक केन्द्र जुलाई 2011 में स्थापित किया गया है, जिसे जिला स्तर पर भी ले जाने की आवश्यकता है।

बिहार एनवीस सेन्टर, पटना द्वारा प्रदूषण के विभिन्न स्तरों का मानक मान निर्धारित किया है जो निम्न है–

**सारणी (5.5) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण :**

| प्रदूषण का स्तर | वार्षिक औसत उपस्थिति (सान्द्रण) की सीमा($\mu g/m^3$) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्र | | | पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र | | |
| | $SO_2$ | $NO_2$ | $PM_{10}$ | $SO_2$ | $NO_2$ | $PM_{,10}$ |
| निम्न Low (L) | 0-25 | 0-20 | 0-30 | 0-10 | 0-15 | 0-30 |
| मध्यमेModerate (M) | 26-50 | 21-40 | 31-60 | 11-20 | 16-30 | 31-60 |
| उच्चHigh (H) | 51-75 | 41-60 | 61-90 | 21-30 | 31-45 | 61-90 |
| गंभीरCritical (C) | >75 | >60 | >90 | >30 | >45 | >90 |

स्त्रोतः बिहार एनवीस सेंटर, पटना

= = = = = =

## पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा :

अभिषेक पुस्करण तालाब

वैशाली जिले के राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के अनुरक्षण : ''प्राचीन स्मारक'' से कोई संरचना या संस्मारक या कोई स्तूप या दफनगाह या कोई गुफा, शैल–रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है।

वैशाली जिला प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस जिले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुरातत्व एवं प्राचीन चिह्न घोषित किये गये है :

1. जामा मस्जिद, हाजीपुर वैशाली।
2. अस्थि अवशेष (रैलीक) स्तूप, हरपुर बंसत, वैशाली।
3. राजा विशाल का गढ़, वैशाली।

इसके अतिरिक्त भी प्राचीन स्मारक एवं चिह्न इस जिले में मौजूद हैं जिनका काफी महत्व है। उपर वर्णित पुरातत्व स्थलों में संग्रहालय भी है जिनमें सामयिक महत्व के अवशेष एवं दस्तावेज रखे गये हैं। इनके भी आपदा के दृष्टिकोण से सुरक्षित संग्रहण की व्यवस्था आवश्यक हैं। वो हैं–

1. कोल्हुआ में अवस्थित 18.3 मीटर उँचा जंगरोधी मिश्रीत धातु का बना अशोक स्तंभ।
2. बावन पोखर मंदिर (पाल काल) ।
3. अभिषेक पुस्करण (अभिषेक तालाब), यहाँ प्राचीन काल में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जलाभिषेक करने के उपरांत उन्हें राज काज में प्रवृत किया जाता था।
4. कुंडलपुर : 2550 वर्ष पूर्व जैन तीर्थांकर भगवान महावीर का जन्म स्थल।

## आपदा के दृष्टिकोण से उठायें जाने वाले कुछ आवश्यक कदम :

### ■ संभावित खतरों की पहचान :

- इन संरचनाओं की अवस्थित, जगह/इलाके का अध्ययन।
- उन सभी कारणों को संज्ञान लेना जिससे संरचना में क्षति या हो रही गिरावट (डिटोरियेशन)।
- प्रत्येक खतरे की सम्भावना का मूल्यांकन।
- पर्यावरण का अध्ययन, ताकि खतरा/जोखिम को कम करने हेतु भूगर्भीय, जलीय तथा मौसम की दृष्टि से तैयारी की जा सके।

- पूर्व में हुए किसी खतरा/जोखिम की पहचान।

■ **तैयारियाँ :**

- उपरोक्त का गहन अध्ययन करने के बाद उस अनुरूप तैयारी करना।
- पुरातत्व स्थल की मजबूत घेराबंदी।
- पुरातत्व महत्व के इमारतो/खंडहरों का अनवरत निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मति ।
- संरक्षित अवशेषों का रासायनिक संरक्षण ।
- चिह्नित आपदाओं के दृष्टिकोण से रिस्पॉन्स योजना ।

■ **प्रत्युत्तर :**

पुरातत्व विभाग को राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना क्योंकि वर्तमान में उक्त विभाग के पास इस तरह की कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं है।

= = = = = =

## अध्याय : 6

# क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

# CAPACITY BUILDING & TRAINING

*जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निषेधीकरण एवं न्यूनीकरण के कार्यो को टिकाउ बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन में नियोजित सभी हितभागी/सह कर्मियों का गहन प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितभागियों तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सुचारू आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (concept), जानकारी (information), कौशल (skill), दृष्टिकोण (attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (personal quaility) विकसित किया जा सकेगा।*

## 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

क्षमतावर्द्धन एंव प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होगें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा– अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा– रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रेस्पॉस, पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

**6.1.1** विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेगे। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते है। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत क्षमता निर्माण हेतु जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारिया त्वरित रूप से हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है।

## 6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है ओर पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉस हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूँकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉडर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में प्रशिक्षित किया है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेगें। इस जिले के जिन पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण हासिल किया है। उसका विवरण खंड–2 के अनुलग्नक – 84 पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती है उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस संबंध में बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार, ''मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका'', देखा जा सकता है।

### 6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्त्रीयों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में शिक्षको को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किये जा रहे है ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध हितभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

### 6.4 प्रशिक्षण संस्थाये तथा अन्य सुविधायें (Training Institutes & Other Facilities) :

आपदा विषय की व्यापकता को देखते हुए यह जरूरी है कि हम उन प्रशिक्षण संस्थाओं को चिह्नित किया जायेगा जहाँ लोगों को गुणवता पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला स्वास्थ्य समिति, शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही प्रशिक्षिण के कार्यक्रमों में आपदा संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाय।

| क्र.सं. | राज्य/जिला स्तर | राष्ट्रीय स्तर |
|---|---|---|
| 1 | बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट |
| 2 | बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान | नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथिरिटी |
| 3 | नेशनल इनलेण्ड नेविगेशन इंस्टिच्यूट (नीनी), गायघाट, पटना | नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद |
| 4 | अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा, पटना | लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, मसूड़ी, उत्तराखंड |
| 5 | राज्य एंव जिला स्तर गैर सरकारी संस्थान | यशवंत राव चह्वाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा) |
| 6 | नेशनल डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स (एन.डी.आर.आर.एफ.) बिहटा | इन्ड्रियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, पूणे |
| 7 | स्टेट डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स, हाजीपुर | नेशनल अकादमी फॉर फायर सेफ्टी, नागपुर, महाराष्ट्र |
| 8 | जिला अग्निशमन इकाई | गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद |
| 9 | जिला स्वास्थ्य समिति | उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भुवनेश्वर, उड़ीसा |
| 10 | समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) | |

इस प्रबंधन योजना में पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है–

**6.5 पंचायत स्तरः** पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

### क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषय :

### पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

| क्र॰ | पंचायत स्तर के हितधारक | प्रशिक्षण का विषय |
|---|---|---|
| 01 | (क) मुखिया<br>(ख) वार्ड सदस्य<br>(ग) सामुदायिक संगठन | 1. पंचायतस्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन,तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल।<br>2. पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन।<br>3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता।<br>4. खोज,बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि।<br>5. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुर्नस्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी |

| | | |
|---|---|---|
| | | रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता।<br>6. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी। |
| 02 | स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य | 1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव।<br>2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण।<br>3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन । (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एंव स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिकज्वर आदि से बचाव की जानकारी। |
| 03 | (क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका<br>(ख) आशा कार्यकर्त्ता | 1. बच्चों का कुपोषण से बचाव।<br>2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव।<br>3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन। |
| 4 | स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ | भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण । |

**6.6 प्रखंड स्तरः** प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

**प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :**

| क्र॰ | प्रखंड स्तर के हितधारक | प्रशिक्षण का विषय |
|---|---|---|
| 01 | (क) प्राथमिक सहकारिता साख समिति(पैक्स)<br>(ख) कृषि सलाहकार | 1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी।<br>2. मौसम विज्ञान की जानकारी।<br>3. सूखे के आगाज की पहचान।<br>4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य।<br>5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन।<br>6. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी।<br>7. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार–प्रसार। |
| 02 | (क) पंचायत सचिव<br>(ख) विकास मित्र | 1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना।<br>2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण।<br>3. लेखा संधारण। |
| 03 | ग्राम कचहरी/न्याय मित्र | गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण। |
| 04 | स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ | भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण । |

**6.7 अनुमण्डल स्तर** : अनुमण्डल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमण्डल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

**अनुमण्डल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :**

| क्र॰ | अनुमण्डल स्तर के हितधारक | प्रशिक्षण का विषय |
|---|---|---|
| 01 | (क) अनुमंडल पदाधिकारी<br>(ख) अनुमंडल स्तरीय अन्य पदा॰<br>(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी<br>(घ) अंचल अधिकारी | 1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन।<br>2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखंडस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता।<br>3. प्रखंडस्तरीय बहु–आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण।<br>4. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुर्नस्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी |

| | | |
|---|---|---|
| | | रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता।<br>5. आपदा रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी।<br>6. अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान।<br>7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण। |
| 02 | अंचल निरीक्षक कम्प्यूटर ऑपरेटर | नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या की पहचान के तरीके। |
| 03 | प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य | 1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंडस्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व।<br>2. पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंडस्तर पर समेकित कराना(योजना की दृष्टि से)। |
| 04 | स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री /बार बांईडर/मेठ एवं स्थानीय संवेदक तथा अभियंता | भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण। |

**6.8 जिला स्तर** : जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

**जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम** :

| क्र॰ | जिला स्तर | प्रशिक्षण का विषय |
|---|---|---|
| 01 | (क) वरीय उप समाहर्त्ता<br>(ख) सभी लाइन विभाग | 1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार।<br>2. इंसिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम।<br>3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA)<br>4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय।<br>5. संचार माध्यम।<br>6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ./एस. डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय।<br>7. बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग वायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में। |
| 02 | स्थानीय संवेदक तथा अभियंता लाईन विभाग के अभियंता/ राज मिस्त्री/बार बाईन्डर/ शटरींग मिस्त्री/मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक | भूकंप रोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज। |
| 03 | (क)कार्यपालक पदा॰<br>(ख) सिटी मैनेजर<br>(ग) वार्ड पार्षद | 1. बिल्डिंग वायलॉज।<br>2. नगर योजना।<br>3. आपदा प्रबंधन।<br>4. अग्नि सुरक्षा।<br>5. भीड़ प्रबंधन।<br>6. अवशिष्ट प्रबंधन।<br>7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण। |
| 04 | कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी) | सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण। |

**नोट :–** प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

### 6.4.1 प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module) :

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम से ही आपदा प्रबंधन के कार्य में लगे पदाधिकारीगण तथा अन्य हितधारक को आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी में सजग किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्तरूप देने में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई सफल कदम उठाये है। इसने विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन शाखा का यह कर्तव्य होगा कि इन प्रशिक्षित लोगों को रिस्पॉस कार्य में उपयोग करें। जिले से यह अपेक्षित है कि बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा पूर्व से प्रशिक्षत मास्टर ट्रेनर एवं उसके द्वारा तैयार 'प्रशिक्षण माड्यूल' का उपयोग करेगा।

■ **प्रशिक्षित लोगों की सूची ( List of Trained Persons) ★ :**

- प्राधिकार द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु जिला में प्राशिक्षिण प्राप्त 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सूची।
- प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेक्षकों एवं निबंधकों की सूची।
- भूकंपरोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदको, राजमिस्त्रीयों की सूची।
- भूकंपरोधी मकान से संबंधित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों हेतु जिले का 'मास्टर ट्रेनर्स' ' की सूची।
- पशुचिकित्सा सेवा पदाधिकारियों द्वारा 'आपदा में पशुओं का प्रबंधन' विषय में प्राप्त प्रशिक्षित लोगों की सूची।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतगर्त प्रशिक्षित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।

■ **प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :**

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका–1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुख्यिा, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल–2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण मॉड्यूंल ।

★ **नोट : उपरोक्त संदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों की सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई प्रशिक्षण मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉडयूल का सहारा लिया जायेगा, साथ हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।**

### 6.5 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेगें।

विभिन्न आपदाओ के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखंड तथा पंचायत में गठित आपात्कालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियो तथा सहायक एजेसियों के नोडल पदाधिकारियों को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये है। आपदावार तैयार इन सुझावों को योजना के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है –

- साधारण सावधानियाँ अपनाकर गर्मी/लू से अपने को सुरक्षित रखें – अनुलग्नक – 8
- सड़क दुर्घटना – अनुलग्नक – 11
- आगजनी से बचाव हेतु उपाय – अनुलग्नक – 12
- जापानी इन्सेफेलाइटिस/डेगू की रोकथाम – अनुलग्नक – 15
- वज्रपात एवं ठनका क्या करें –क्या न करें – अनुलग्नक – 16
- शीतलहर या ठंड लगने से बचाव – अनुलग्नक – 17
- सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल – अनुलग्नक – 19
- नाव दुर्घटना से बचाने के उपाय तथा सवारी करने वाले नाविको, नाव मालिकों एवं प्रशासन के लिए सुझाव/सलाह – अनुलग्नक – 20
- नदियों/तालाबों में डूबने की घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन /आम जनता को जरूरी सलाह– अनुलग्नक – 21
- भीड़/भगदड़ में क्या करें, क्या न करें – अनुलग्नक – 22
- दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें – अनुलग्नक – 23
- छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव – अनुलग्नक – 23 (क)

= = = = = =

## अध्याय : 7

# प्रत्युत्तर योजना

## RESPONSE PLANNING

*आपदा की शुरूआत होने पर इससे निबटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासो का, जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्युत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा की पूर्व सूचना तथा इसकी तीव्रता तथा विस्तार का अनुमान होते ही मोचन तंत्र स्वतः स्फूर्त कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करने में प्रवृत हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।*

**7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया –** आपदा कार्यो के संचालन की जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के कमान अधिकारी के रूप में कार्यरत होते है। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात हादसा कमान अधिकारी को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

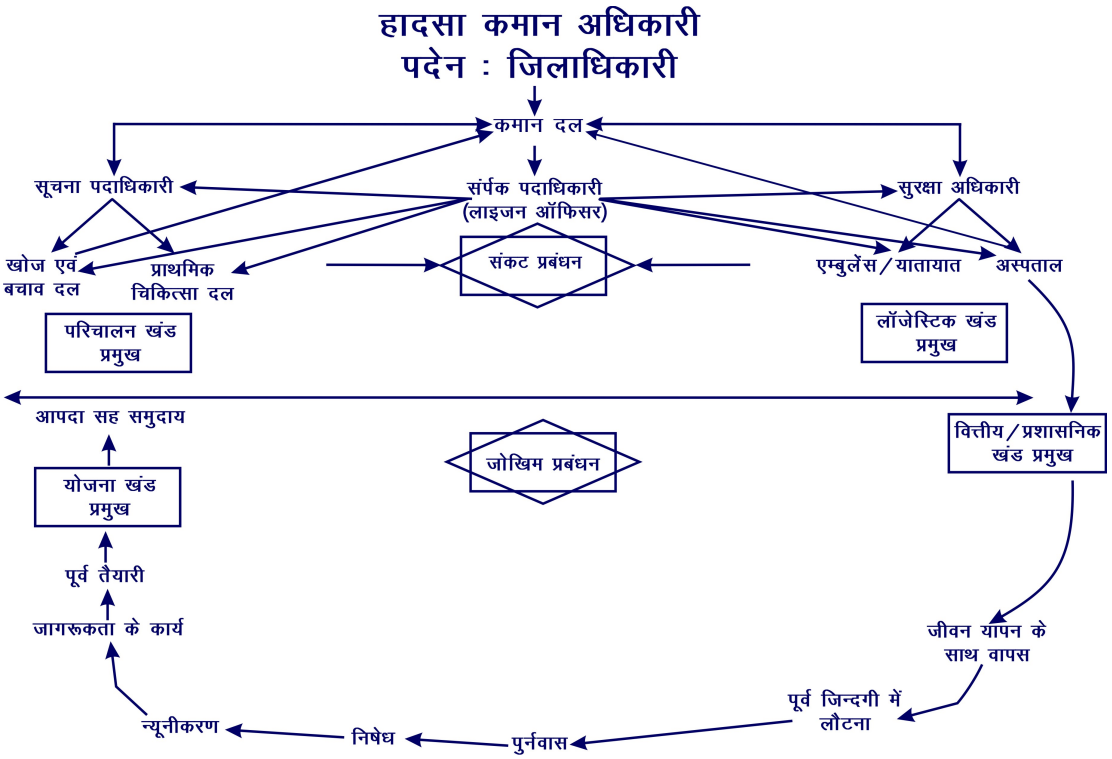


आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की

गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

ज्यों ही हादसा कमान अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्त्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे हादसा कमान अधिकारी के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)**

हादसा कमान अधिकारी द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते है। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते है उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते है और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते है।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र हादसा कमान अधिकारी ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपाटमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेगें। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इनपदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के हादसा कमान अधिकारी होते है।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

### 7.1.1 हादसा कमान अधिकारी का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगो के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,

- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- हादसा कमान अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु , आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

**7.1.2 जिला में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजना :** हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए है।
2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते है जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है।
3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगो के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेष्ट रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

   व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते है। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते है। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते है।

हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

## 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

(क) पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगो को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्वयं से प्रयास कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपातकालीन सेवा कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत –

- आपातकालिक संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रिस्पॉस दल (क्यू॰आर॰टी॰) को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉस दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
- आपातकालिक संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- आपातकालिक संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपातकालिक संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (क्यू॰आर॰टी॰), आपदा प्रबंधन दल (डी॰एम॰टी॰), आपातकालिक समर्थक कार्य (ई॰एस॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपातकालिक संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपातकालिक संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, क्यू॰आर॰टी॰, एफ॰आर॰टी॰, कार्य प्रत्युत्तर दल, ई॰एस॰एफ॰ आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा । इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेगें ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियां प्राप्त की जायगीं जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौपेगी।

■ **प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :**

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियाँ को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी॰एम॰टी॰ आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

7.3 सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :–

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System)।
2. कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination)।
3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search Rescue & Relief operation )।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response)।
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris)।
6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses)।
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) ।
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations)।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management)।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination)।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले सयम की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

### 7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेंसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण<br>• जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य आपातकालीन केन्द्र<br>• जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग।<br>• दूरसंचार निगम,<br>• आकाशवाणी,<br>• दूरदर्शन,<br>• पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच.एफ./भी.एच.एफ.<br>• मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष | **भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना** | • आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना।<br>• संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन ।<br>• अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय।<br>• मौसम विभाग से संपर्क। | आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)। |
| | **बाढ़** | • बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुचाना।<br>• तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना।<br>• क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य।<br>• बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन ।<br>• वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है। | |
| • पंचायत<br>• अग्निशमन दल | **अग्नि** | • अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना। | |
| • आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग | **सूखा** | • मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी। | |

### 7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेंसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना | • आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)।<br>• जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन सेवा कार्य तथा आपातकालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना ।<br>• आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की सक्रिय करना।<br>• नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। | आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक। |
| • अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी।<br>• जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर | **बाढ़, भूकंप** | • बाढ़ की गंभीरता का आकलन।<br>• बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन।<br>• राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| आपदा प्रबंधन विभाग।<br>• जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा।<br>• राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति। | | आपदा मोचन दल की माँग।<br>• सेना की माँग।<br>• हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/हेलीकाप्टर की माँग।<br>• हेलीकाप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण।<br>• बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई।<br>• राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/ पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी। | |
| • जिलाधिकारी ।<br>• वरीय पुलिस अधिक्षक/ पुलिस अधिक्षक।<br>• अग्निशमन दल। | **अग्नि** | • भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना।<br>• कंट्रोल रूम को चालू रखना।<br>• अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ं को दूर रखना।<br>• डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को अवाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना। (अग्निकांड हेतु मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक – 4 पर देखें) | |
| • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स<br>• आपदा प्रबंधन विभाग | **सूखा** | • अनुश्रवण।<br>• सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र। | |

### 7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation ) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला प्रशासन,<br>• अंचलाधिकारी,<br>• अग्निशमन दल,<br>• नागरिक सुरक्षा समिति,<br>• पुलिस,<br>• होमगार्ड<br>• राज्य आपदा मोचन दल,<br>• राष्ट्रीय आपदा मोचन दल,<br>• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,<br>• स्वयंसेवी संगठन | **भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़** | • खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल को आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना।<br>• खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना।<br>• जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना।<br>• अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का | आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।<br><br>(राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रतिनियोजन संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक–6 पर अंकित है।) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना। | |
| | **बाढ़, भूकंप** | • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट)<br>• बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरो तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन (राहत केन्द्रों का संचालन के लिए राज्यादेश अनुलग्नक–26 पर संलग्न)।<br>• बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पोलीथीन शीट का वितरण। (विभागीय निदेश अनुलग्नक–56 पर संलग्न)<br>• राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध।<br>• तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण। | |
| • अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन)<br>• एस॰डी॰ओ॰/अंचलाधिकारी<br>• फायर ब्रिगेड | **अग्नि** | • राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना।<br>• मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना।<br>• अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य।<br>• सहायता केन्द्र स्थापित करना।<br>• क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना।<br>• अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना। | सामान्य स्थिति बहाल होने तक। |
| • कृषि विभाग<br>• आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग<br>• सहकारिता विभाग<br>• वित्त विभाग/कृषि विभाग<br>• सहकारिता विभाग<br>• पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग<br>• समाज कल्याण विभाग<br>• शिक्षा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग<br>• ग्रामीण विकास विभाग<br>• आपदा प्रबंधन विभाग | **सूखा** | • आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन।<br>• फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण।<br>• फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान।<br>• किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण।<br>• बैंक ऋणों का पुनर्निधारण।<br>• पशु संसाधन की देखभाल<br>• सामाजिक सुरक्षा<br>• मध्याहन भोजन की व्यवस्था<br>• रोजगार सृजन।<br>• मुफ्त साहाय्य। | |

### 7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला स्वास्थ्य समिति,<br>• रेड क्रास सोसाइटी,<br>• निजी नर्सिंग होम,<br>• स्वयंसेवी संगठन<br>• जिला पशुपालन पदाधिकारी | **भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़** | • चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाइल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन।<br>• घायलों, बिमार की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेंस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना।<br>• महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना।<br>• नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना। | आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक। |
| • बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल मेडिकल टीम। | **बाढ़, भूकंप** | • महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नेपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना।<br>• आवश्यकतानुसार पशुशिविरो की स्थापना, पशु चारा का प्रबंध।<br>• जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण।<br>• गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था। (राज्यादेश खंड–2 में अनुलग्नक –25 पर संलग्न) | |
| • सिविल सर्जन | **अग्नि** | • चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना।<br>• अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना। | |
| • स्वास्थ्य विभाग<br>• समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग | **सूखा** | • स्वास्थ्य सेवाएँ ।<br>• महामारी की रोकथाम।<br>• महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल। | |

### 7.3.5 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला पुलिस<br>• जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी। | **बाढ़, भूकंप** | • शवों का फोटो रखना।<br>• मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान।<br>• आपदा के कारण मृत पशुओं के शवो का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान। (विभागीय निदेश खंड–2 में अनुलग्नक–32 पर संलग्न) | शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक। |
| • नगर निकाय<br>• ग्राम पंचायत<br>• पुलिस प्रशासन<br>• रेड क्रॉस सोसाईटी<br>• स्वयंसेवी संगठन<br>• जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी | **भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना आदि** | • आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान। | |

### 7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला प्रशासन<br>• जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी)<br>• जिला पुलिस बल<br>• भवन निर्माण संभाग<br>• पथ निर्माण संभाग<br>• जल संसाधन प्रमंडल<br>• लघु जल संसाधन प्रमंडल<br>• पावर होल्डिंग कम्पनी<br>• पशु पालन संभाग<br>• कृषि विभाग<br>• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल<br>• जिले के अन्य संबंधित विभाग | **भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना आदि** | • आपदा के कारण मृत/ घायलों की सूची तैयार करना।<br>• क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का व्योरा संकलन।<br>• क्षतिग्रस्त सड़क, पुल– पुलिया, नहर बाँध का व्योरा संकलित करना।<br>• क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना।<br>• पशुधन क्षति/फसल क्षति का व्योरा एकत्रित करना।<br>• तटबंधो में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति।<br>• बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति।<br>• कृषि क्षति का आकलन करना।<br>• मृतकों के आश्रितो को सरकार द्वारा निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण। (विभागीय निदेश खंड–2 में अनुलग्नक–30 पर देखें) | स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत। |

### 7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिला प्रशासन<br>• खाद्य एंव आपूर्ति संभाग<br>• अंचल/प्रखंड कार्यालय<br>• स्वयंसेवी संगठन<br>• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल<br>• फायर ब्रिगेड<br>• सिविल सर्जन | **भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना आदि** | • राहत शिविरों में तथा खतरों से घिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में रसद–पानी का संग्रहण करना।<br>• राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यस्था सुनिश्चित करना।<br>• राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना।<br>• अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना।<br>• अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना।<br>• अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना। | • सामान्य स्थिति बहाल होने तक।<br>• अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात्। |

### 7.3.8 राहत कार्य (Relief Wrok) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिलाधिकारी<br>• आपदा प्रबंधन प्रभाग<br>• जिला आपदा संचालन केन्द्र<br>• गृह/पुलिस<br>• आपूर्ति संभाग<br>• सहकारिता संभाग<br>• रेड क्रॉस सोसाईटी<br>• नागरिक सुरक्षा<br>• जिला नागरिक परिषद्<br>• एन.सी.सी./स्काउट गाईड<br>• स्वंयसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर) | **बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।** | • स्थल पर राहत शिविर लगाना<br>• निम्नांकित केन्द्र का निर्माण–<br>▪ राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र<br>▪ सामग्रीयों का पैकेजिंग केन्द्र<br>▪ राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र<br>▪ स्वयंसेवक आवासन केन्द्र<br>• राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना।<br>• राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ ही प्राप्त करना।<br>• पैकेट/बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना।<br>• राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इस बात का दस्तावेज तैयार कर रखना ।<br>• वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं आराम का ख्याल रखना। | सामान्य स्थिति बहाल होने तक। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| • जिलाधिकारी<br>• विकास आयुक्त<br>• अंचल/प्रखंड कार्यालय<br>• शिक्षा संभाग<br>• कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस.) | **भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।** | • राहत शिविरो में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना।<br>• सहाय्य सामग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना।<br>• स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना।<br>• महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना। | सामान्य स्थिति बहाल होने तक। |

### 7.3.9 सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management) :–

| उत्तरदायी विभाग/एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • जिलाधिकारी<br>• आपदा प्रबंधन प्रभाग<br>• जिलाधिकारी द्वारा मनोनित पदाधिकारी<br>• आपूर्ति संभाग<br>• वेयर हाउस<br>• सहकारिता संभाग<br>• रेड क्रास | **बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।** | • आपदा स्थल पर दान–प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना।<br>• निम्नांकित तीन केन्द्र का निर्माण।<br>कोष/सहाय्य/सेवाएँ।<br>• दान प्राप्ति रसीद तथा मुहर की व्यवस्था करना। (चेक /ड्राफ्ट)<br>• सहाय्य सामग्रियों के भंडारण केन्द्र की पहचान करना। यहाँ भंडारण के साथ–साथ पैकेट निर्माण तथा वितरण की व्यवस्था करना।<br>• इस बात के दस्तावेज तैयार रखना कि आपूर्ति किसके द्वारा एवं कब की गई है।<br>• सहाय्य वस्तु दान करने के पूर्व संबंधित एजेंसी जिले की आवश्यकताओं की जानकारी लेगें। | • मानव संसाधन एवं सामग्री प्रबंधन में स्वैच्छिक संगठनों का उन्मुखीकरण करना।<br>• उन्हें सामग्री प्रबंधन यथा रख–रखाव, पैकेजिंग तथा वितरण में प्रशिक्षित करना। |

### 7.3.10 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :–

| उत्तरदायी विभाग / एजेसी | आपदा का प्रकार | मुख्य गतिविधियाँ | पूर्ण करने का समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| • सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय<br>• मिडिया–प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक<br>• सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप<br>• एन.सी.सी. / नेहरू युवा केन्द्र<br>• स्वंयसेवी संस्थाएँ | **बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य** | • आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना।<br>• वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना।<br>• मिडिया से सूचना प्राप्त करना।<br>• अफवाहों का रेडियो, टेलिविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना।<br>• मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना।<br>• राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना।<br>• टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना।<br>• सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना। | सामान्य स्थिति बहाल होने तक। |

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या , जनहानि, पशुहानि तथा सरंचनात्मक ढांचे के साथ फसल बाग बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

**2016 बाढ़ के दौरान उठाये गये कदमों के अनुकरणीय पहलू**

- *बाढ़ प्रभावितों को विद्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में ठहराया गया तथा प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरा एवं ग्लास उपलब्ध कराया गया।*
- *बड़ी संख्या में लोगों को उत्तम गुंणवत्ता का भोज्य पदार्थ दिया गया।*
- *कई कैम्पों में आर0ओ0 युक्त पी॰एच॰ई॰डी॰ वाहन द्वारा शुद्ध जल मुहैया कराया गया।*
- *कुछ कैम्पों में सुधा डेयरी के आधा लीटर के पैक में शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया।*
- *आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं ने जहाँ बच्चों को पठन–पाठन में सम्मिलित कराया वहीं सेविकाओं ने बच्चों हेतु भोजन तैयार किया।*
- *प्रथम बार गणेश उच्च विद्यालय, बख्तियारपुर में रोटी बनाने हेतु मशीन का उपयोग किया गया।*
- *गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया। सभी महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गयी। आवश्यकता पड़ने पर दवा उपलब्ध कराया गया। कैम्प में कई महिलाओं का सुगम ढंग से प्रसव निष्पादित हुआ।*
- *कैम्प के आस–पास सफाई हेतु ब्लिचिंग पावडर का छिड़काव किया गया।*
- *पशुधन की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गयी।*
- *राघोपुर (वैशाली) के 5500 बाढ़ पिड़ितों हेतु दीदारगंज, पटना सिटी में आश्रय स्थल बनाया गया, वहीं लगभग 800 लोगों को फतुहा के विद्यालय मे आश्रय स्थल बनाया गया।*
- *सर्वाधिक प्रभावित राघोपुर प्रखंड के विस्थापितों हेतु सामुदायिक पाकशाला 8 दिनों तक कार्यरत रहा।*

## 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र :–

### समन्वय तंत्र

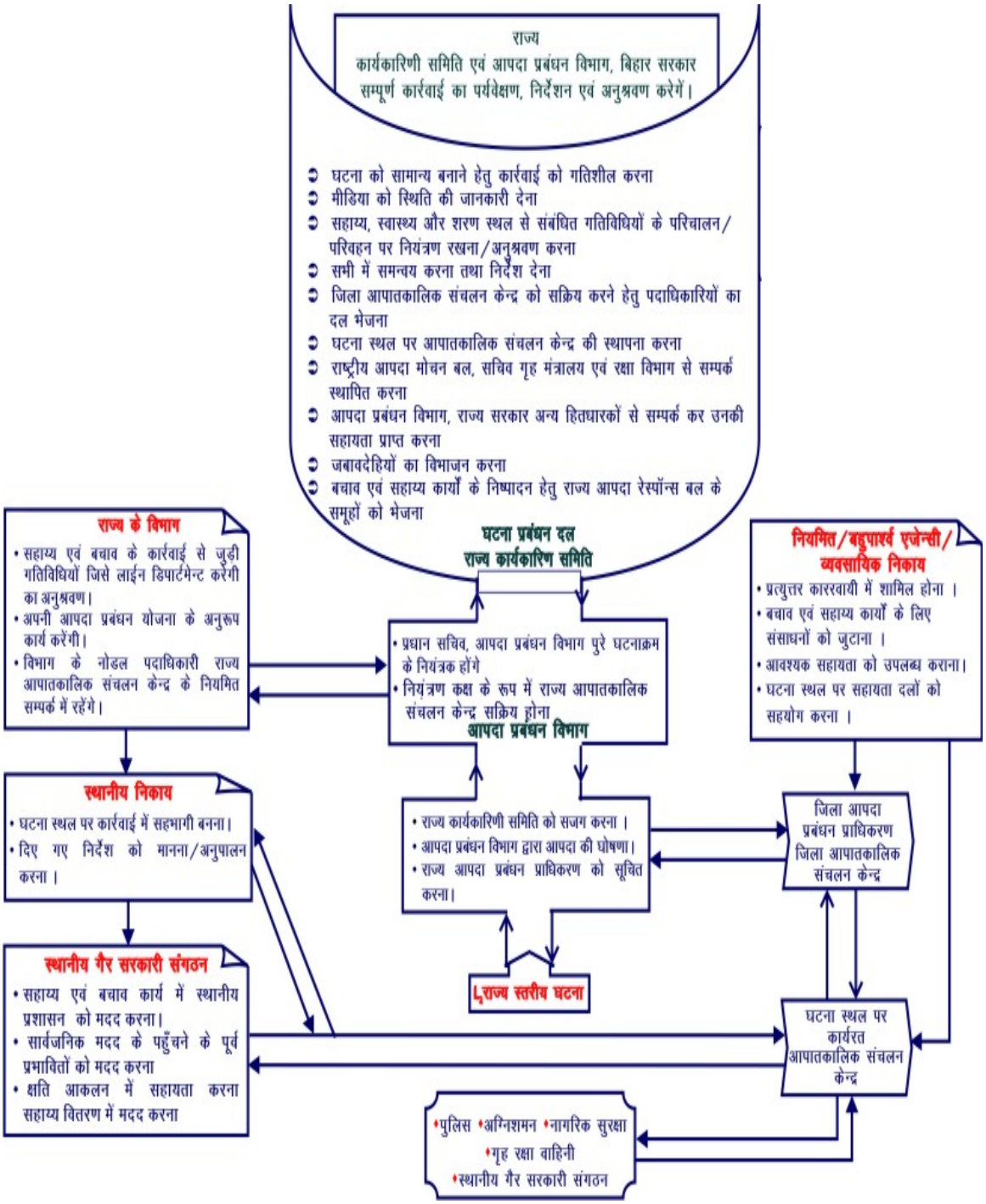

## संबंधित आदेश प्रवाह एल 2 ( 0 से 6 घंटे)

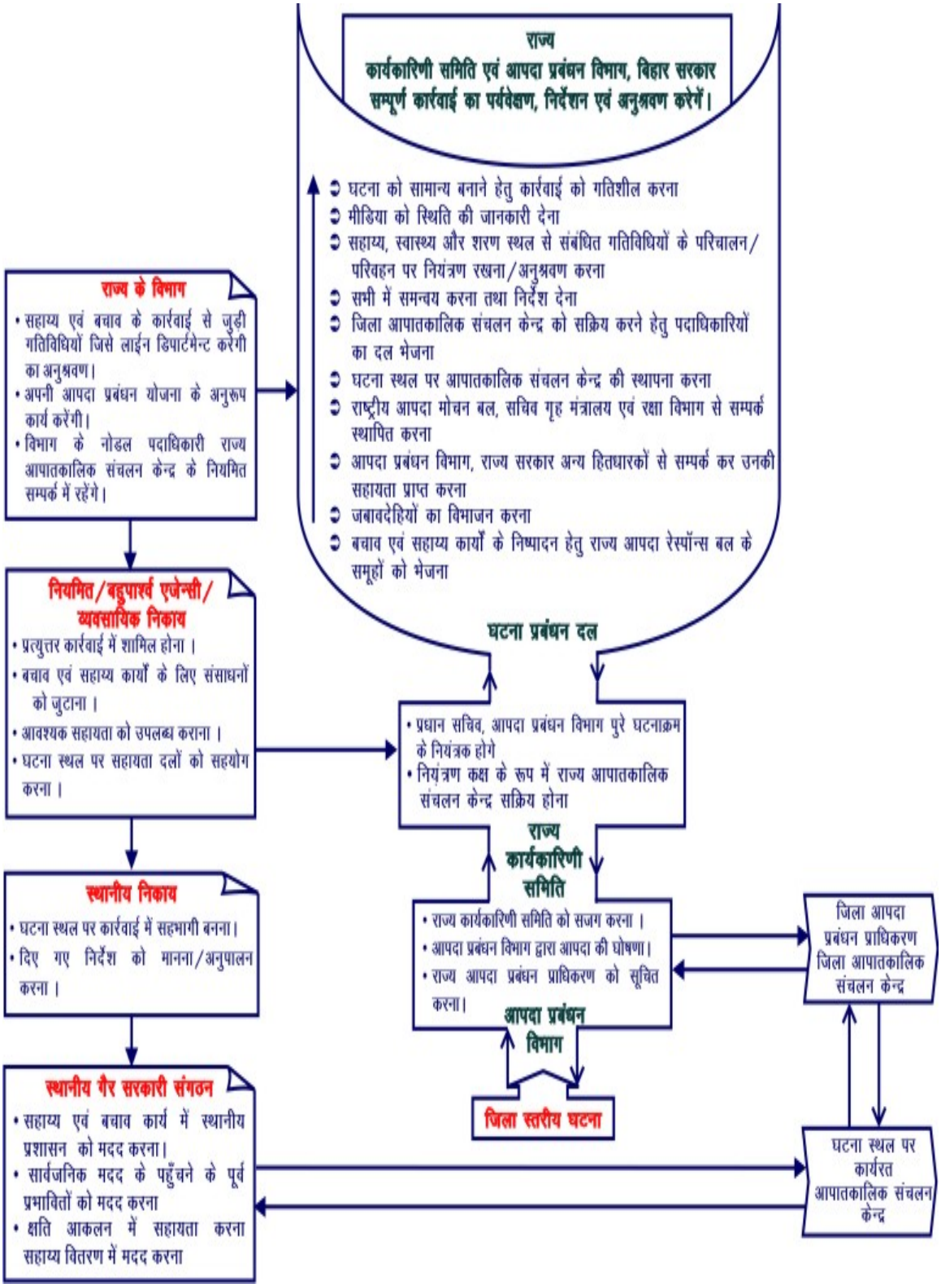

## घटना प्रत्युत्तर एल–2 ( 6 घंटे उपरांत)

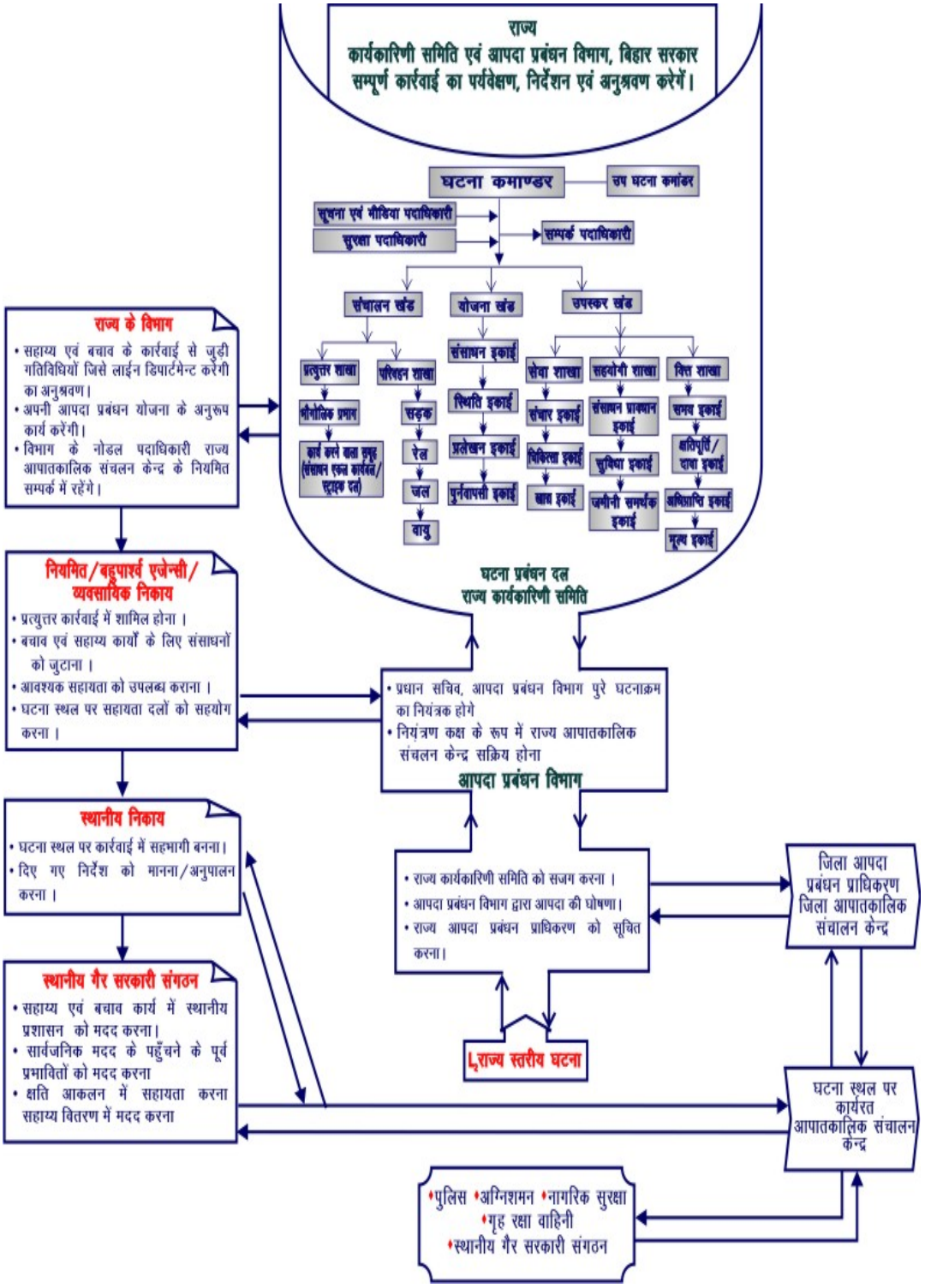


= = = = = =

## अध्याय : 8

# पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति

## RECONSTRUCTION, REHABILITATION, RECOVERY

*आपदायें विध्वंशकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना में मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिषिका के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होगें तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।*

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के कई घटित होने के साथ ही दैन्दिनी की गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हों, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'टिकाउ विकास 'तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम से प्रभावित न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation) :** किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो के त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery) :** आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं सवास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं टिकाउ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिसे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तात्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तात्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल निर्धारित प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेगें। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण, स्वास्थ्य कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) :** आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उन्हें रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया

जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

**8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) :** आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है। खंड–2 में अनुलग्नक–32 पर द्रष्टव्य है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

**आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –**

- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

**संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –**

| क्र.सं. | प्रभावित संभाग | पद्धति | उत्तरदायी एजेंसी |
|---|---|---|---|
| 1 | मानव क्षति | • मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना।<br>• अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान।<br>• लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया। | समुदाय, मुखिय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी<br>अंचल पदाधिकारी<br>जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक |
| 2 | घायल | • घायलो को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना।<br>• घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा। | पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन<br>जिला स्वास्थ्य समिति |
| 3 | आधारभूत संरचना | • आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेगें। | भवन निर्माण प्रमंडल |
| 4 | जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण, | • संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें। | संबंधित विभाग |
| 5 | निजी मकान | • निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना। | अंचलाधिकारी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | कृषि / पशु संसाधन | • फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के व्योरा का संकलन।<br>• पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीमा कम्पनी |
| 7 | मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक) | • चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी।<br>• आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए। | सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति |
| 8 | जीविका के साधन बहाल करना | • जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित / संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना। | बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग |

**8.2 पीड़ितो को राहत (Relief to the Victims) :** भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र / अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत। *(खंड–2 के अनुलग्नक–24 पर संलग्न)*
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत। *(खंड–2 के अनुलग्नक–25 पर संलग्न)*
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत। *(खंड–2 के अनुलग्नक–26 पर संलग्न)*
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों / तालाबों / गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। *(विभाग द्वारा निर्गत आदेश खंड–2 के अनुलग्नक–28 पर संलग्न है)*
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। *(खंड–2 के अनुलग्नक–30 पर संलग्न है)*
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। *(खंड–2 के अनुलग्नक–31 पर संलग्न है)*

- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है। विस्तृत विवरण खंड–2 में धारित अनुलग्नक पर देखा जा सकता है :–
    - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा, अनुलग्नक – 37
    - अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन, अनुलग्नक –38
    - अग्निकांड से होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान, अनुलग्नक – 39
    - गैस लीक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान, अनुलग्नक – 40
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितो को राहत वितरण के संबंध में *राज्यादेश खंड–2 में अनुलग्नक–41* पर संधारित है। वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को भी समतुल्य अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंधी *राज्यादेश खंड–2 में अनुलग्नक – 42* पर संधारित किया गया है।

**8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) :** आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेगे।

**8.4 जीवन प्रदायी भवनो की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) :** बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

**अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुर्ननिर्माण :** अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

**जीविका का पुर्नस्थापन :** आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

**चिकित्सीय पुर्नस्थापन :** आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकीत्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

**दीर्घकालिक पुर्नवापसी :** बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

= = = = = =

## अध्याय : 9

# बजट एवं वित्तीय संसाधन

# BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

*वैशाली जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतगर्त बहु–आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ हीं इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत् प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पाँस) कार्य करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन–कौन से संभाव्य तरीके हो सकते है जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु, निधि के स्त्रोत की तलाश की गयी है।*

**9.1 अधिनियम में प्रावधान :** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा –48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किये जाने के ठीक पश्चात्, निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

**9.2 विभिन्न निधि स्त्रोत :** इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से 'रिस्पॉस एवं मिटिगेशन' कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यो के लए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ घोषित कर रखी है जिस हेतु 'रिस्पॉस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खर्च में उपयोग किया जा सकता है।

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरांत पुननिर्माण प्रक्रिया में यदा–कदा स्थानीय सांसदो हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना के तहत् निम्नलिखित शीर्षो में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। वे है –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- आवर्ती गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापन
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना खर्च ।

**9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :–**

| क्र. सं. | संपोषित योजना का नाम | आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि | लागू करने वाले विभाग/संभाग/एजेंसी |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि रोड मैप | इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। | कृषि विभाग |
| 2 | मनरेगा | • पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है।<br>• सामाजिक वानिकी। | ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन |
| 3 | सात निश्चय कार्यक्रम | गली–नाली का स्थापना एवं हर घर नल का जल अंतगर्त पाईप से पानी की आपूर्ति। | ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं पेयजल एवं स्वच्छता |
| 4 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं। | कृषि विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | **बिहार राज्य फसल सहायता योजना** | 20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि। | सहकारिता |
| 6 | **शताब्दी अन्न कलश योजना– 2011** | निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता। | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आपूर्ति) |
| 7 | **बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना** | आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना। | आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार |
| 8 | **जीविका** | महिला सशक्तिकरण । | बिहार स्टेट रूरल लाईवलीहुड मिशन |
| 9 | **आंगनवाड़ी** | इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। | आई.सी.डी.एस. |
| 10 | **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** | पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन। | पेयजल एवं स्वच्छता |
| 11 | **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** | चिकित्सालयों का निर्माण। | जिला स्वास्थ्य समिति |
| 12 | **मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम** | शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना। | शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना |
| 13 | **सर्व शिक्षा अभियान** | स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन। | शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना |
| 14 | **प्रधानमंत्री सिंचाई योजना** | सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना। | जल संसाधन |
| 15 | **आशा कार्यकर्त्ता** | गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना। | जिला स्वास्थ्य समिति |
| 16 | **मिड–डे–मील योजना** | स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। | मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम |
| 17 | **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** | गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना। | |
| 18 | **सड़क सुरक्षा निधि** | राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग। | परिवहन विभाग |
| 19 | **चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)** | प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना। | आपदा प्रबंधन विभाग |
| 20 | **पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)** | पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग। | पंचायती राज/नगर पालिका |
| 21 | **आपदा मोचन (Responce) निधि** | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता। | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| 22 | **आपदा शमन (Mitigation) निधि** | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता। | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| 23 | **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** | गरीबों को अनाज मुहैया कराना। | खाद्य एवं आपूर्ति |

**9.4 अन्य स्त्रोत (Other Options) :** इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि को इन कार्यो में उपयोग किया जा सकता है।

= = = = = =

## अध्याय–10

# अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

# MONITORING, EVALUATION & UPDATION

*प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में इसका सतत् अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है। यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल किया गया ? यदि लक्ष्य को हासिल करने में कोई चूक हुई है तो उसके मुख्य कारण क्या – क्या हो सकते है ? अतः सतत् क्रियान्वित होने वाली योजना का समय–समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार–बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत् अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। प्रत्येक आपदा से निपटने के उपरांत इसका मूल्यांकन एंव समीक्षा दस्तावेज तैयार किये जायेंगे। इन दस्तावेजो के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना का अद्यतीनीकरण (Updation) किया जायेगा।*

**10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) :** योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायेगी–

**10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–**

**31(4)** – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायगा।

**31(5)** – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

**31(6)** – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

**31(7)** – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

**धारा 32** – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये– **(ग)** योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

**10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :–** अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं का जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुर्नमूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

**10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच :–** प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुर्नप्राप्ति या पुर्नस्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

**10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :–** जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयंसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे–बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/ अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते है। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

**10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :–** योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गांरटी सुनिश्चित करता है।

**10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :–** जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

**10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :–** जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन,

समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

**10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :–** सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

**10.1.9 समन्वय (Co-ordination) :–** सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने के सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें तथा दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

**10.1.10 जन जागरण (Public Awareness) :–** जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्वयं सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

= = = = = =

# जिला आपदा प्रबंधन योजना, वैशाली(हाजीपुर)

## खंड–1

## बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

अशोका स्तभ, वैशाली

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
वैशाली, हाजीपुर

# जिला आपदा प्रबंधन योजना, वैशाली (हाजीपुर)
# DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN, VAISHALI (HAJIPUR)

## बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

## खंड–1

## MULTI-HAZARD ANALYSIS RISK REDUCTION & RESPONSE PLAN

## VOLUME-1

**जिला आपदा प्रबंधन योजना, वैशाली**

**प्रकाशक : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,** वैशाली (हाजीपुर), पिन कोडः 844128

**मार्गदर्शन एवं सम्पुष्टि : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,**
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना ।
पिन कोड : 800001

**तकनीकी सहयोग : प्रो॰ जी॰पी॰सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,**
रोड नं॰ 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड : 800016
दूरभाष : 0612–2671820, मो॰ 9334766107
**Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com**

## आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा–2 (घ) ''आपदा'' से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा–2 (ड.) ''आपदा प्रबंधन'' से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है –

i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,

ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,

iii. क्षमता निर्माण,

iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,

v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव

vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,

vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,

viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

**United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) द्वारा फरवरी 2017 में आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में प्रकाशित कुछ अन्य प्रमाणिक परिभाषायें :–**

- **आपदा (Disaster) :** कोई भी समुदाय या समाज की संवेदनशीलता तथा आपदा से मुकाबला करने की क्षमता किसी खतरे के सम्मुख अनावृत (Exposure) होने की स्थिति में इनके बीच अंतक्रिया के फलस्वरूप मानव जीवन या संपत्ति अथवा आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति या संघात (Injury) होने से सामान्य क्रिया कलापों पर गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो जाय उसे आपदा कहते है।
- **खतरा (Hazard) :** कोई ऐसी दुर्घटनायें प्रक्रियायें या मानवीय गतिविधियाँ जो मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य के लिए संघातिक हो अथवा जिनसे संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो एवं दैन्दिनी समाजिक–आर्थिक क्रिया कलापों में अकस्मात व्यवधान उत्पन्न हो जाय तो इसे खतरा (Hazard) कहा जायेगा। खतरे के प्रकार :–
    - जैविक
    - पर्यावरणीय
    - भू–गर्भीय या भू–भौतिकी
    - जलवायु संबंधी
    - तकनीकी
- **आपदा जोखिम (Disaster Risk) :** किसी व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय एवं स्थानिक पर्यावरण की संवेदनशीलता, आपदा से मुकाबला करने की क्षमता तथा प्रभावकता के बावजूद होने वाले मृत्यु, शारीरिक संघात, अथवा संपति विनाश/क्षति की संभावना को आपदा जोखिम कहा जायेगा।
- **स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) :** तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिस सीमा तक जोखिम को नजर अंदाज किया जा सकता है उसे ही स्वीकार्य जोखिम (acceptable risk) कहेगें।
- **अवशेष जोखिम (Residual Risk) :** जोखिम न्यूनीकरण के लिए यथा संभव जरूरी उपाय करने के बावजूद यदि आपदा जोखिम अवशेष रहे, जिसके लिए आकस्मिक आपदा मोचन अथवा पुनर्प्राप्ति की क्षमता अनिवार्य रूप से हासिल कर ली गई हो तो ऐसे जोखिम को अवशेष जोखिम कहा जायेगा।
- **आपदा जोखिम शासन (Disaster Risk Governance) :** जिन संस्थानों, प्रक्रियाओं, नीतियों, नियम–कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी सामंजस्य के साथ आपदा जोखिम का सफलता पूर्वक निषेधीकरण अथवा न्यूनीकरण को तत्पर व्यवस्था को आपदा जोखिम शासन कहेंगे।
- **आपदा जोखिम सूचना (Disaster Risk Information) :** आपदा जोखिम के सभी आयामों सहित किसी खतरे के दायरे में अवस्थित संवेदनशील समूह संपत्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति, समूह, संस्थान या राज्य एंव उनकी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारियों को आपदा जोखिम सूचना कहा जायेगा।
- **आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management) :** नये आपदा जोखिम का निषेधीकरण, वर्तमान जोखिम का न्यूनीकरण तथा अवशेष आपदा जोखिम का प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों तथा रणनीतियों का प्रयोग करते हुये आपदा क्षति में कमी लाना तथा आपदा से मुकाबला करने की शक्ति में अभिवृद्धि करना ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।
- **संवेदनशीलता (Vulnerability) :** किसी व्यक्ति समुदाय संपत्ति या व्यवस्था को परिस्थिति विशेष में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों अथवा प्रक्रियाओं के चलते उत्पन्न खतरों की विभिषिका से मुकाबला करने को विवश होना पड़े तो इसे संवेदनशीलता कहते है।
- **क्षमता (Capacity) :** किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।
- **आपदा से मुकबला करना (Coping Capacity) :** किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनके पास उपलब्ध कौशल एवं संसाधन का उपयोग करते हुये विपरीत परिस्थितियों में आपदा जोखिम से मुकबला करने की क्षमता आयाम लेती है।

# राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

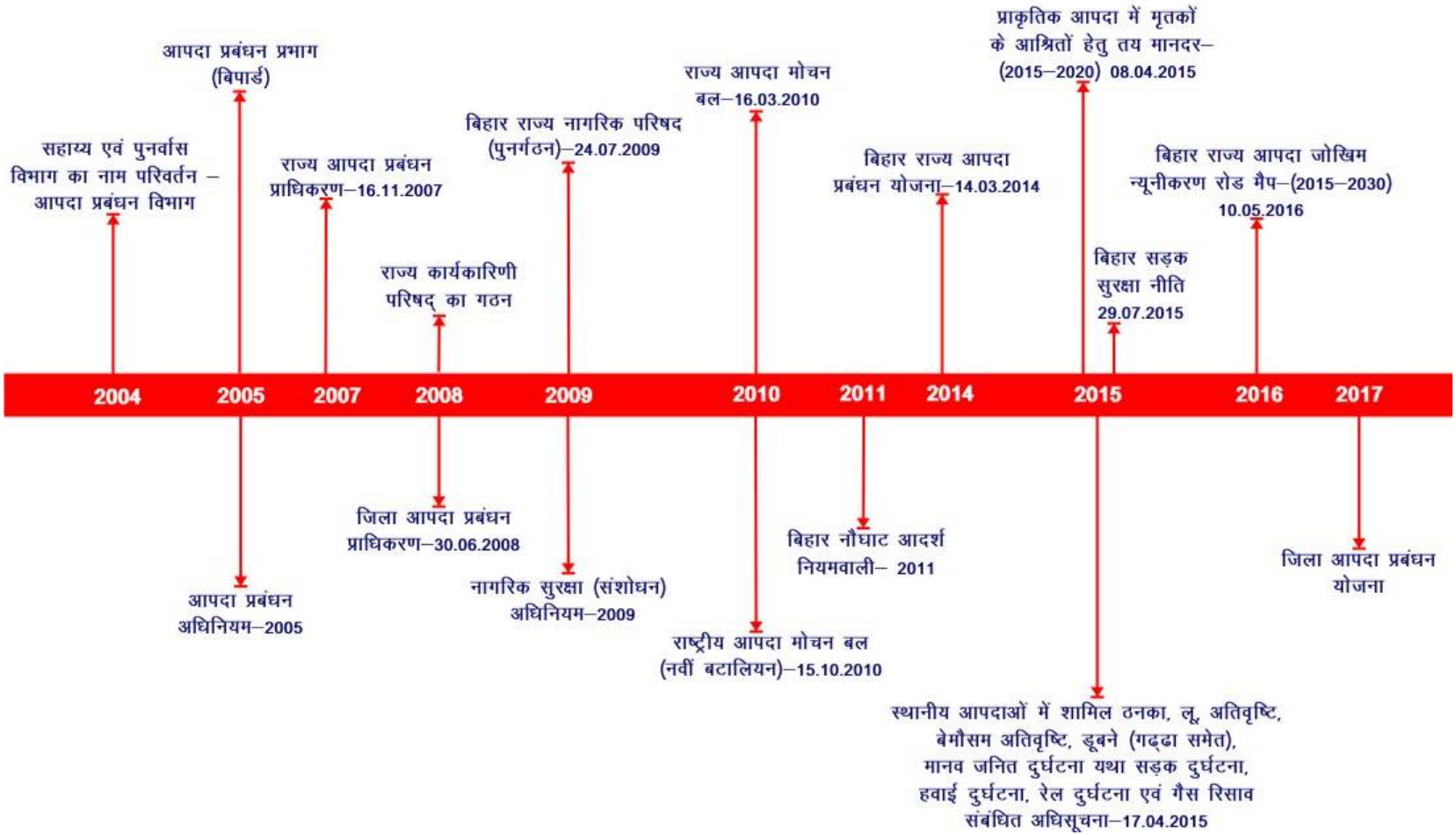

## खण्ड–1

## बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

### अनुक्रमणिका


| अध्याय | विषय | पृष्ट सं॰ |
|---|---|---|
| | कार्यकारी सारांश Executive Summary | |
| 1 | परिचय<br>**Introduction**<br>1.1 उद्देश्य<br>1.2 योजना का कार्यक्षेत्र<br>1.3 योजना निर्माण पद्धति<br>1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व<br>1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरन | 1–7 |
| 2 | जिले का परिचय<br>**District Profile**<br>2.1 भौगोलिक विवरण<br>2.2 जलवायु तथा मौसम<br>2.3 सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिचय<br>2.4 जनसंख्या<br>2.5 प्रशासनिक ढाँचा<br>2.6 प्राकृतिक संसाधन | 8–14 |
| 3 | खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण<br>**Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis**<br>3.1 जिला में संभावित खतरों का पार्श्व चित्र<br>3.2 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण<br>3.3 क्षमता विश्लेषण | 15–55 |
| 4 | संस्थागत ढाँचा<br>**Instituional Arrangement**<br>4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण<br>4.2 पंचायतें<br>4.3 समुदाय आधारित संगठन<br>4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र<br>4.5 समन्वय तंत्र | 56–61 |
| 5 | आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय<br>**Prevention, Mitigation and Preparedness Measures**<br>5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य<br>5.2 सभी विभाग/एजेंसी के लिए कार्य<br>5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य<br>5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी | 62–99 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण**<br>**Capacity Building and Training**<br>6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण<br>6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित<br>6.3 पेशेवर विशेषज्ञ<br>6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा<br>6.5 जागरूकता सृजन | 100–105 |
| 7 | **प्रत्युत्तर योजना**<br>**Response Planning**<br>7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया ( हादसा कमान अधिकारी)<br>7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य<br>7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक<br>7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र | 106–122 |
| 8 | **पुर्ननिर्माण, पुर्नस्थापन तथा पुर्नप्राप्ति**<br>**Reconstruction, Rehabilitation and Recovery**<br>8.1 क्षति आकलन<br>8.2 पीड़ितो को राहत<br>8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन<br>8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुर्ननिर्माण | 123–126 |
| 9 | **बजट एवं वित्तीय संसाधन**<br>**Budget and Financial Resources**<br>9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम<br>9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम<br>9.3 अन्य स्त्रोत | 127–128 |
| 10 | **अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण**<br>**Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP**<br>10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन | 129–131 |

## खण्ड–1 (सारणी)


| | | |
|---|---|---|
| 1 | सारणी – (2.1) विभिन्न वर्षों का वर्षापात आंकड़ा | 9 |
| 2 | सारणी – (2.2) जनसंख्या विवरण | 10 |
| 3 | सारणी – (2.3) जनसंख्या ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य मे | 10 |
| 4 | सारणी – (2.4) जनसंख्या विवरण, साक्षरता/निरक्षरता के परिप्रेक्ष्य म | 11 |
| 5 | सारणी – (2.5) जनसंख्या विवरण, विभिन्न धर्मावलम्वियों के संदर्भ में | 11 |
| 6 | सारणी – (2.6) जनसंख्या विवरण छत/बेछत के संदर्भ में | 11 |
| 7 | सारणी – (2.7) शहरी (नगर परिषद्) जनसंख्या | 11 |
| 8 | सारणी – (2.8) प्रखंडवार पंचायतों की संख्या एवं जनसंख्या विवरणी | 12 |
| 9 | सारणी – (2.9) जिले में प्रखंडवार सिचांई संसाधन (नलकूप) | 13 |
| 10 | सारणी – (2.10) वैशाली जिले में प्रखंडवार सक्रिय भू–जल संसाधन (हेक्टेयर मीटर में) | 14 |
| 11 | सारणी – (3.1) बिहार के बड़े भूकम्प | 16 |
| 12 | सारणी – (3.2) वैशाली जिले की प्रमुख नदियाँ तथा बाढ़ प्रवणता | 17 |
| 13 | सारणी – (3.3) विभिन्न नदियों के उच्चतम जल स्तर का डाटा | 17 |
| 14 | सारणी – (3.4) वैशाली जिले की बाढ़ प्रवणता (1987–2016) | 17 |
| 15 | सारणी – (3.5) वैशाली जिला में विगत दस वर्षों (2007–16) के बीच बाढ़ क्षति का विवरण | 18 |
| 16 | सारणी – (3.6) सूखे की स्थिति : वैशाली (1966–2015) | 19 |
| 17 | सारणी – (3.7) विभिन्न वर्षों का वर्षापात आंकड़ा | 20 |
| 18 | सारणी – (3.8) वैशाली जिला में अग्निकांड का विवरण (वर्ष 2006 से 2015 तक) | 21 |
| 19 | सारणी – (3.9) जिले में सड़क उपलब्धता (कि॰मी॰) | 23 |
| 20 | सारणी – (3.10) वर्ष 2015–16 में जिला में निबंधित वाहनों की स्थिति | 23 |
| 21 | सारणी – (3.11) सड़क दुर्घटना | 24 |
| 22 | सारणी – (3.12) ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड | 30 |
| 23 | सारणी – (3.13) वैशाली में वज्रपात से मृत्यु | 31 |
| 24 | सारणी – (3.14) उच्चशक्ति हवा संवेदनशीलता | 32 |
| 25 | सारणी – (3.15) जिले की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ | 34 |
| 26 | सारणी – (3.16) जिले में प्रखंडवार भूकंप के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के संदर्भ में) | 36 |
| 27 | सारणी – (3.17) अंचलवार अग्निकाण्ड प्रभावित पंचायतों/गाँवों की सूची | 40 |
| 28 | सारणी – (3.18) राष्ट्रीय उच्च पथ पर चिन्हित 'ब्लैक स्पॉट' | 41 |
| 29 | सारणी – (3.19 वैशाली जिले में चिन्हित दुर्घटना प्रवण स्थानों की सूची | 41 |
| 30 | सारंणी – (3.20) वैशाली जिले में चिह्नित डुबान स्थलों की सूची | 43 |
| 31 | सारणी – (3.21) वैशाली में पोखर/तालाब में डुबान से मृत्यु | 43 |
| 32 | सारणी – (3.22) जिलावार सामान्यीकृत संवेदनशीलता सूचकांक | 45 |
| 33 | सारणी – (3.23) आर्सेनिक युक्त जल स्त्रोतों की पहचान एवं चिह्निकरण | 48 |
| 34 | सारणी – (3.24) जिले के विभिन्न विभाग/एजेन्सी के पास उपलब्ध संसाधन | 49 |
| 35 | सारणी – (3.25) अस्पतालों की संख्या एवं चिकित्सक बल | 51 |
| 36 | सारणी – (3.26) प्रखंडों में नियुक्त नर्सों की संख्या | 51 |
| 37 | सारणी – (3.27) स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मी बल | 51 |
| 38 | सारणी – (3.28) गैर चिकित्सीय स्वास्थ्य कर्मी | 52 |
| 39 | सारणी – (3.29) चिकित्सकों की विशेषज्ञता | 52 |
| 40 | सारणी – (3.30) प्रखंडों में पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध पशु चिकित्सालय की सूची | 52 |
| 41 | सारणी – (3.31) वैशाली जिला में उपलब्ध अग्निशामक वाहनों की विवरणी | 53 |
| 42 | सारणी – (3.32) वैशाली जिला में उपलब्ध हाईड्रेन्ट स्थल की विवरणी | 53 |
| 43 | सारणी – (3.33) पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन का वर्गीकरण | 55 |
| 44 | सारणी – (5.1) जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की संख्या (2014) | 92 |
| 45 | सारणी – (5.2) जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की संख्या (2014) | 92 |
| 46 | सारणी – (5.3) प्रदूषण मापने के स्कोर | 95 |
| 47 | सारणी – (5.4) वैशाली जिला में कार्यरत (चालू) उद्योग | 96 |
| 48 | सारणी – (5.5) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण | 97 |

| मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश, दिशा निर्देश, संसाधन सूची एवं अन्य खण्ड–2 (अनुलग्नक–अनुक्रमनिका) | | |
|---|---|---|
| अनु. सं. | मानक संचालन प्रक्रिया | पृष्ट सं. |
| 1 | सुखाड़ आपदा प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 1–33 |
| 2 | सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन (SOP) | 34 |
| 3 | बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 39 |
| 4 | अग्निकाण्ड से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 55 |
| 5 | पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 59 |
| 6 | NDRF के प्रतिनियोजन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 64 |
| 7 | भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में | 73 |
| | **आपदाओं से बचाव के उपाय एवं सुझाव** | |
| 8 | गर्मी/लू लगने पर क्या करें | 77 |
| 9 | परित्यक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायो के संबंध में | 78 |
| 10 | सड़क दुर्घटना दावा निपटारा | 81 |
| 11 | सड़क सुरक्षा के उपाय | 82 |
| 12 | आगजनी से बचाव हेतु उपाय/बचाव के टिप्स/बचाव हेतु सुझाव | 83 |
| 13 | बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गापूजा, दीपावली एंव छठ पूजा सुरक्षा उपाय | 86 |
| 14 | फसल अवशेष न जलाये | 87 |
| 15 | जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम/डेंगू से बचाव | 88 |
| 16 | वज्रपात (ठनका) क्या करें– क्या न करें | 89 |
| 17 | शीतलहर से बचाव | 90 |
| 18 | 2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध में | 91 |
| 19 | सर्दी के मौसम में पशुओं के देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव | 94 |
| 20 | नाव दुर्घटना से बचने के उपाय | 95 |
| 21 | नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जरूरी सलाह | 97 |
| 22 | भीड/भगदड़ में क्या करें–क्या न करें | 98 |
| 23 | दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें | 99 |
| 23 (क) | छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव | 100 |
| | **पीड़ितो को राहत प्रदान करने संबंधी राज्यादेश** | |
| 24 | भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित सहाय्य मानदर के अनुरूप सहाय्य मुहैय्या करने के संबंध में | 101 |
| 25 | आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड | 117 |
| 26 | राहत केन्द्र के सम्बन्ध में | 124 |
| 27 | राहत के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय | 128 |
| 28 | राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देश | 130 |
| 29 | अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन | 132 |
| 30 | मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता | 133 |
| 31 | अनुदान की राशि RTGS/NEFT या A/c Payee के माध्यम से भुगतान | 134 |
| 32 | प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम पदाधिकारी | 135 |
| 33 | प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुदान की शर्त्त | 136 |
| 34 | बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ॰आई॰आर॰ के अनुग्रह अनुदान का भुगतान | 137 |
| 35 | राज्य के अन्य जिलों में मृत व्यक्तियों के अनुग्रह अनुदान के संबंध में | 138 |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वालों के बीच मुफ्त सहाय्य वितरण | 139 |
| 37 | आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के मुआवजा के सम्बन्ध में | 140 |
| 38 | अग्निकाण्ड से प्रभावितों के बीच विशेष राहत केन्द्रों का संचालन (जून 2012) | 141 |
| 39 | अग्निकाण्ड में होने वाली फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान के सम्बन्ध में | 142 |
| 40 | गैस लीक से अग्निकाण्ड से पीड़ित को अनुदान | 145 |
| 41 | ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण | 146 |
| 42 | वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान | 149 |
| 43 | शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011 | 151 |
| 44 | शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन | 158 |
| 45 | एक क्विंटल के स्थान पर रूपये 3000/– की राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में | 163 |
| 46 | पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में | 165 |
| | **दिशा निर्देश** | |
| 47 | नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में | 166 |
| 48 | सहाय्य कार्य में लगे नाविकों की मजदूरी दर | 168 |
| 49 | संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारी | 169 |
| 50 | नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन | 176 |
| 51 | प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी दल का गठन | 178 |
| 52 | वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन | 180 |
| 53 | अगलगी से बचाव हेतु कार्रवाई के सम्बन्ध में | 182 |
| 54 | अग्निशमन सेवा हेतु हाईड्रेन्ट का निर्माण | 186 |
| 55 | आँधी/चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि से जुड़ी तैयारी, राहत, बचाव एवं बांस निर्मित घरो एवं ढाल वाले छतो की विशिष्ट तैयारी | 187 |
| 56 | शीतलहर (पाला) को आपदा की श्रेणी में रखने के संबंध में | 191 |
| 57 | पॉलीथीन शीट्स खरीदी के सम्बन्ध में | 192 |
| 58 | आर्सेनिक युक्त जल स्त्रोतों की पहचान एवं चिह्निकरण | 193 |
| 59 | केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 118 अंतर्गत गति नियत्रंक (Speed Governor) लगाये जाने की बाध्यता | 196 |
| 60 | सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रपत्र | 200 |
| 61 | उद्योग से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रपत्र | 208 |
| | **संसाधन सूची** | |
| 62 | जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की सूची | 209 |
| 63 | पुलिस प्रशासन की संपर्क सूची | 210 |
| 64 | आपातकाल हेल्पलाईन संपर्क सूची | 210 |
| 65 | चिकित्सीय पदाधिकरियों की संपर्क सूची | 211 |
| 66 | प्रखंड अंचल पदाधिकरियों की संपर्क सूची | 211 |
| 67 | प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियो की संपर्क सूची | 211 |
| 68 | कार्यपालक अभियंताओं की संपर्क सूची | 211 |
| 69 | प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी की संपर्क सूची | 212 |
| 70 | सहदेई बुजुर्ग, महनार, भगवानपुर प्रखंड बाल विकास पर्यवेक्षिका की सूची | 212 |
| 71 | मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों की संपर्क सूची | 212 |
| 72 | प्रखंडवार आंगनवाड़ी सेविकाओं का विवरण | 213 |
| 73 | राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षक की संपर्क सूची | 213 |
| 74 | प्रशिक्षित होम गार्ड एवं नागरिकों की संपर्क सूची | 213 |
| 75 | प्रखंडवार निर्धारित विद्यालयों में शरण स्थलों की सूची | 216 |

| | | |
|---|---|---|
| 76 | पंचायत भवन के शरण स्थलों की सूची | 222 |
| 77 | मुखिया एवं सरपंचों की संपर्क सूची | 222 |
| 78 | पंचायत समिति की संपर्क सूची | 228 |
| 79 | वर्षामापन यंत्र के निगरानी कर्मचारी की संपर्क सूची | 230 |
| 80 | बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए जिला में उपलब्ध संसाधनों की विवरणी (2018) | 231 |
| 81 | प्रखंडों का नक्शा | 232 |
| 82 | राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण | 237 |
| 83 | राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण | 239 |
| 84 | आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण | 243 |
| | **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य** | |
| 85 | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य | 245 |
| | **5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान संकलित आंकड़े** | |
| 86 | उपलब्ध भौतिक संसाधन | 247 |
| 87 | उपलब्ध मानव संसाधन | 248 |
| 88 | आपदा चिह्निकरण | 249 |
| 89 | खतरा उत्पन्न करने वाले कारक | 250 |
| 90 | संवेदनशीलता आकलन | 251 |
| 91 | संवदेनशील भवनों की प्रकृति | 252 |

## संक्षिप्तियाँ

- **ए.आई.डी.एम.आई** – ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीच्यूट
- **ए.टी.एल.एस.** – एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट
- **ए.टी.आई** – एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
- **बी.एस.डी.एम.ए.** – बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- **बिपार्ड** – बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन्स एडं रूरल डेवलपमेंट
- **बी.एम.टी.पी.सी.** – बिल्डिंग मैटिरियलस एंड टैक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल
- **बामेती** – बिहार एग्रिकल्चर मार्केटिंग एक्टेन्सन एंड ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
- **सी.बी.डी.एम.** – कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैंनेजमेंट
- **सी.बी.डी.पी.** – कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस
- **सी.एल.डब्ल्यू.** – कम्युनिटी लेवल वर्कर
- **सी.पी.सी.** – कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंसलटेंट
- **डी.ई.ओ.सी.** – डिस्ट्रीक्ट इमरजेंसी ऑपरेसन सेन्टर
- **डी.आर.आर.** – डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- **डी.डी.एम.ए.** – डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- **ई.आर.सी.** – इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर
- **जी.आई.एस.** – जियोग्राफिक इफोरमेशन सिस्टम
- **एच.पी.सी.** – हाई पावर्ड कमेटी
- **एन.डी.एम.ए.** – नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी
- **एन.डी.आर.एफ.** – नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- **एन.जी.ओ.** – नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
- **निनी** – नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीच्यूट
- **एन.आई.डी.एम.** – नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
- **पी.आर.आई.** – पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
- **एस.एच.जी.** – सेल्फ हैल्प ग्रुप
- **एस.टी.एफ.** – स्पेशल टॉस्क फोर्स
- **एस.डी.आर.एफ.** – स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- **एस.ओ.पी.** – स्टैडंर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर
- **यू.एल.बी.** – अर्बन लोकल बॉडी
- **यू.एन.डी.पी.** – यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
- **क्यू.आर.टी.** – क्वीक रिस्पॉन्स टीम
- **डब्ल्यू. एच.ओ.** – वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन
- **यशदा** – यशवंतराव चह्वाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिसट्रेशन

## संदर्भ
## REFERENCES


- Bihar State Disaster Management Authority–2013, Mass Gathering Event Management : A case study of Chhath Pooja, Patna.
- Bihar State Disaster Management Authority – 2013-16 Table Top Calander.
- BSDMA– Website : www.bsdma.org, Training Modules
- BSDMA–2017, Heat Wave action Plan.
- Bihar State Pollution Control Board
- BSDMA–2017, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (क्रियान्वयन दस्तावेज),
- BSDMA–2017,डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
- Disaster Management Dept. GoB,– Website: www.disastermgmt.bih.nic.in, Standard Operating Procedures (SOPs).
- Department of Labour Resources, Bihar
- Flood Management Information System– Website : www.fmis.bih.nic.in.
- Govt. of Bihar – (2015-16 & 2016-17), Economic Survey.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. –2014,Bihar State Disaster Management Plan.
- Govt. of India– 2016, National Disaster Response Plan.
- Govt. of India, –2011, Ministry of Home Affairs, Census of India.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. – 2016, Damage Scenario - In Various Districts.
- Govt. of India–2007, BMTPC, (First Revision), Vulnerability Atlas of India.
- Govt. of India –2016, Ministry of Transport, Road Accidents in India/Bihar.
- Hari Narayan Srivastava & Rajendra Pd.– Prakritik Aapdayan Evam Bachao.
- IGNOU– 2012, Aapda Prabhandhan Mein Aadhar Pathyakram.
- IGNOU –2012, Understanding Natural Disaster.
- Ministry of Home Affairs – 2015, Disaster Risk Reduction : The Indian Model.
- Ministry of Agriculture & Cooperation, GoI–2001 High Powered Committee on Disaster Management.
- NCERT, Geography of India.
- NDMA–Website:www.ndma.gov.in
- National Institute of Disaster Management – April 2010, Journal, Disaster & Development.
- NIDM–Website : www.nidm.gov.in
- National Remote Sensing Centre & BSDMA –2012, Flood Hazard Atlas for Bihar.
- Radha Kant Bharti, NBT –2015, Rivers in India.
- State Environment Impact Assessment Authority– Website : www.seiaabihar.org

# कार्यकारी सारांश
# EXECUTIVE SUMMARY

1. विभिन्न स्तरों पर बढ़ते हुए बहुआयामी खतरे/जोखिम एवं उनका न्यूनीकरण एवं टिकाउ विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता महसूस की गयी है जिसमें पंचायते और प्रखंडों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसा इसलिए ताकि स्थानीय प्रशासन संभावित आपदाओं से लड़ने हेतु पूर्व से तैयार हो, साथ हीं आपदा पश्चात् उसका प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स) बेहतर हो।

2. तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, सेंडई, जापान की बैठक के बाद बिहार सरकार ने 10.05.2016 को बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, (2015–30) से संबंधित राज्यादेश अधिसूचित किया है। इसी के अनुरूप जिला आपदा प्रबंधन योजना में निम्नलिखित चार बिंदूओं पर ध्यान रखा गया है। वे है –

   - आपदा जोखिम की समझ विकसित करना।
   - आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
   - आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश।
   - प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन तथा ''पूर्व से बेहतर'' पुनर्वासन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निमाण पर जोर ।

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद–31(1) के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु योजना का निर्माण किया जाना है। इसी के आलोक में प्रस्तुत योजना का निर्माण राज्य आपदा प्रबंधन योजना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पदाधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् किया गया हैं।

4. इस जिला योजना का मुख्य दृष्टिपथ है कि –

   - जिले के विभिन्न हितधारकों का क्षमतावर्द्धन करना ताकि आपदा में प्रत्युत्तर कार्य सहज हो सके।
   - वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से जिला में आपदा मृत्यु दर, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या तथा समग्र घरेलू उत्पाद में आपदाओं से होनेवाली आर्थिक क्षति को कम करना।
   - आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं की क्षति को कम करना ।
   - राज्य एवं स्थानीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति से युक्त पंचायतों की संख्या में वृद्धि।
   - आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रमों में पर्याप्त एवं सतत् सहायता हेतु सहयोग को बढ़ावा देना।
   - आपदा जोखिम सूचनाओं एवं जोखिम मूल्यांकन की उपलब्धता तथा पूर्व चेतावनी तंत्र तक आम लोगों की पहुँच बढ़ाना।

5. जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला के निचले स्तर से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं संवेदनशीलता की पहचान की गयी है। इस क्रम में जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर तथा जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों में भी आपदाओ को ध्यान में रख कर अध्ययन किया गया। तत्पश्चात् इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदित कराते हुए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया। तदनुपरांत प्राप्त सुझावों को पुनः समाहित करते हुए जिला आपदा प्रबंधन योजना को मुर्त रूप प्रदान किया गया है।

6. इस बात का ख्याल रखा गया है कि बहु–आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30) के अनुरूप जोखिमों की पहचान तथा पूर्व में घटित आपदाओं के असर को चिह्नित किया जाय। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को हासिल करने में वैशाली जिला की आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी।

7. वैशाली जिला की कुल जनसंख्या 34,95,021 (महिलायें 16,48,191) है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,99,049.40 हेक्टेयर है। कृषि योग्य भूमि 1,52,348.14 हेक्टेयर है। जिला में तीन अनुमंडल–हाजीपुर, महनार एवं महुआ है। पंचायतों की संख्या 291 है जबकि कुल गाँव 1569 है नगर पंचायत हाजीपुर, महनार एवं महुआ में अवस्थित है। वैशाली जिला में कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ ग्रामीण आबादी 93.33 प्रतिशत, साक्षरता दर 66.60 प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धि 28.57 प्रतिशत तथा आबादी घनत्व 1711 प्रति वर्ग कि॰मी॰ है।

8. किसी भी क्षेत्र की आपदा संवेदनशीलता (Vulnerability) वहाँ के भौतिक एवं सामाजिक ताने–बाने पर निर्भर करती है। अतः योजना तैयार करते हुए इन विषयों पर गहन अध्ययन किया गया है।

9. जिले में व्याप्त विभिन्न खतरा जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता को देखते हुए विभिन्न आपदाओं का चिह्निकरण किया गया है जिससे उसकी उच्च, मध्य एवं निम्न तीव्रता को सहज जाना जा सके तथा इससे निपटने हेतु पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण के प्रयास किये जा सकें।

| जिला | भूकंप | बाढ़ | सुखा | आग | सड़क दुर्घटना | रेल दुघटना | औद्योगिक दुर्घटना | संदूषित जल | ओलावृष्टि | उच्चगति हवा | शीतलहर | गर्मी/लू | भीड़/भगदड़ | मानव–पशु संघर्ष | स्वास्थ्य/महामारी | नाव दुर्घटना / डुबान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वैशाली | | | | | | | | | | | | | | | | |

| उच्च | मध्य | निम्न |
|---|---|---|

10. भूकंप की दृष्टि से यह जिला सिस्मिक जोन–IV में आता है। भू–गर्भीय नक्शे के अनुसार भू–गर्भीय कंपन होने पर वैशाली जिले के वैशाली, लालगंज, पटेढी बेलसर, राघोपुर और महनार प्रखंड सर्वाधिक प्रभावित हो सकते है।

11. जिले की पश्चिमी सीमा पर गंड़क नदी तथा दक्षिणी सीमा पर गंगा नदी है। जिसके कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस जिले में वर्ष 2007 तथा 2016 में भयंकर बाढ़ आई थी। जिले में औसतन राघोपुर, हाजीपुर, महनार, बिदुपुर, सहदेई बुजुर्ग एवं देसरी प्रखंड़ों में पूर्ण या आंशिक रूप से बाढ़ का प्रभाव बनता है।

12. आपदा प्रबंधन विभाग तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त आंकड़े बताते है कि 1966 से 2015 तक की अवधि में कुल 10 बार सूखे का प्रभाव जिले में दिखता है। यह औसत 5.0 वर्ष के अंतराल पर है। वर्ष 1966 से 2000 के बीच सूखा 5 बार विभिन्न वर्षों में आया। जबकि 2000–2015 के बीच 5 बार सूखे का प्रभाव हुआ। सूखे की अवधि 2009–2013 के बीच कम अंतरालों में 3 बार हुआ। वर्षापात में लगातार विचलन देखा गया है।

13. वर्ष 2016 सर्वाधिक अग्निकांड के रूप में जाना गया है। इस वर्ष जिले में 143 गाँवों में आग की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई है जिसमें 2029 परिवार प्रभावित हुये। वर्ष 2006 से 2015 के मध्य जिले में कुल 1644 आग की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई जिसमें 45 लोगों की जानें गई तथा लगभग 77 लोग जख्मी हुये। हर वर्ष मार्च से मई के बीच तापमान अधिक होने तथा हवा चलने से आग की घटनाएँ ज्यादा हो रही हैं।

14. जिले से चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग, दो राज्य मार्ग गुजरते है। जिले में सड़क दुर्घटना एक आपदा का स्वरूप ले चुकी है। छः वर्षो (2011–16) में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हुई है। यह संख्या प्रतिवर्ष 300 को पार कर गई है, जिससे हम वैशाली जिला को अति सड़क दुर्घटना प्रवण की श्रेणी में रख सकते है।

15. डूबने की घटना गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक के साथ–साथ आहर तथा नहरों में घटती रहती हैं, खास कर बच्चों और युवाओं के साथ। कोनहारा घाट के आस–पास के घाटों तथा गंगा के तट पर बसे गाँवों में डुबान की घटना ज्यादा पाई गई। वैशाली जिले में कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण के महीने के लिए प्रसिद्ध कोनहारा घाट ऐसे चिह्नित स्थल है जहाँ डुबान की संभावनाएँ बनी रहती है।

16. जिले में हर वर्ष वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है जहाँ काफी संख्या में लोग एकत्रित होते है। कार्तिक पूर्णिमा एवं छठ के मौको पर घाटों पर भीड़ का दबाव देखा गया है। कोनहारा घाट, बुटन दास घाट, कौशल्या घाट, हजुरी मठ घाट, सीढ़ी घाट, महेश्वर घाट, क्लब घाट, पुल घाट (पुराना), कदम घाट तथा बालादास घाट भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से संवेदनशील है।

17. वैशाली जिला में अब तक संकलित अधिकतम 'उच्चतम तापमान' तथा अधिकतम 'औसत तापमान' संबंधी अभिलेख इस जिले की लू एवं उष्णता संबंधी जोखिम की तीव्रता बताती है। यह जिला घातकता की दृष्टि से श्रेणी–3 में आता है, जो सामान्य से अधिक का माना जायेगा। 58 वर्षों के आंकड़ों को लेकर ''बामेती''(कृषि विभाग), बिहार द्वारा कराये गये अध्ययन में वर्ष 2050 में संभावित मासिक अधिकतम एवं न्यूनतम तापक्रम की गणना की गई है।

18. बिल्डिंग मेटेरियल एंड टेक्नौलोजी प्रोमोसन कॉउसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा जारी ''वलनेरेबिलीटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान की संभावना वाला जिला बताया गया है। जिले के लगभग शत–प्रतिशत क्षेत्र में 47 मी॰/से॰ की दर से तेज तूफान आ सकता है।

19. 5 प्रतिशत पंचायतों से प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के अंर्तगत 15 पंचायतों में से 8 पंचायतों ने पेयजल अशुद्ध होने की जानकारी दी है। पेयजल स्त्रोतों में तय मानक से काफी ज्यादा आर्सेनिक मिले है जो कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे का सूचक है। जिले के 9 प्रखंड़ों के 149 पंचायतों के 54 पंचायतों में आर्सेनिक की मात्रा 10 पीपीबी (पार्ट पर बिलियन) से ज्यादा पाई गयी तथा 95 पंचायतों में आर्सेनिक की मात्रा 10 पीपीबी (पार्ट पर बिलियन) से कम पाई गयी।

20. इस योजना में विशेष तौर पर अस्पताल सुरक्षा, स्कूल सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं ऐतिहासिक महत्व के संरचनाओं की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। जिला में स्वास्थ्य संबंधी खतरे एवं जोखिम में सर्वाधिक कालाजार को स्वास्थ्य समस्या के रूप में चिह्नित किया गया है।

21. जिला आपदा प्रबंधन योजना के निरूपण, सफल क्रियान्वयन, निर्देशन, समन्वय, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन एवं सुधार के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है जो इस जिले में प्रत्येक आपदा के दौरान प्रभावी निराकरण, शमनीकरण कार्य करने में सक्षम है। इसके साथ ही समग्र समन्वित तथा त्वरित प्रत्युत्तर अभियान को सफलतापूर्वक पूरी करने में समर्थ है।

22. जोखिम शमनीकरण के लिए खतरों से मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि करना एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इस योजना की सफलता तथा प्रभावकता में वृद्धि के लिए 'विभिन्न स्तरों हेतु जिला से पंचयात स्तर तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम निरूपित किया गया है। जिला में उपलब्ध प्रशिक्षित लोगों की सूची, प्रशिक्षण संस्थान का विवरण तथा प्रशिक्षण के विषयों को निर्धारित कर लिया गया है।

23. प्रत्युत्तर (रिस्पांस) हेतु जिला प्रत्युत्तर योजना में संचार कार्यो का निर्देशन, जिम्मेदारियाँ, शव निपटान के लिए उत्तरदायी विभाग/एजेसी उनकी मुख्य गतिविधियाँ तथ पूर्ण करने का समय निरूपित किया गया है।

आपदा प्रबंधन के क्रम में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेश, मानदर तथा आपदा से संबंधित सभी 'एडवाइजरी' एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अनुलग्नक के रूप में द्वितीय खंड में रखा गया है।

24. आपदा के उपरांत उसकी विभिषिका तथा क्षति की वास्तविक जानकारी होती है इसके लिए क्षति आकलन की पद्धति तथा जवाबदेही विभिन्न एजेंसी को दिया गया है। क्षति आकलन के उपरांत आवश्यकता तथा उपलब्ध तय संसाधन के बीच समन्वय स्थापित करते हुये पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति के कार्यो का निरूपण इस योजना में किया गया है। पीड़ितो को दिये जाने वाले राहत की स्वीकृति वितरण तथा राहत के अनुश्रवण के लिए समय–समय पर आपदा प्रबंधन द्वारा निर्गत आदेशों, अनुदेशो के आलोक में राहत पहुँचाने का कार्यक्रम निरूपित है।

25. योजना के क्रियान्वयन के लिए निधि स्त्रोतो की पहचान की गई है इसके लिए सरकार की योजनायें जो वर्तमान में बजट से वित्त पोषित है या बजट में नये प्रावधान अथवा अन्य स्त्रोतों से संसाधन जुटाने पर विस्तार से चर्चा की गई है।

26. योजना के खंड दो में उन सभी दस्तावेजो का संकलन किया गया है जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं यथा पूर्व सूचना/चेतावनी, मानक संचालन प्रक्रिया, बचाव हेतु मार्गदर्शन सुझाव एवं सलाह तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण से संबंधित रहे हैं। इसके अनुक्रमणिका (Index) में उन विषयों को अंकित किया गया है जिसके बारे में उस दस्तावेज में सूचना/निदेश/मानक संसूचित किया गया है।

27. जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत समय–समय पर किये गये कार्यों के वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा अनुश्रवण (मोनिटरिंग) प्रावधान का जिक्र भी किया गया है।

+ + + + + +

# जिला आपदा प्रबंधन योजना, वैशाली(हाजीपुर)

## खंड–2

## मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

कोनहारा घाट, (कार्तिक पूर्णिमा) वैशाली

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
वैशाली, हाजीपुर

# जिला आपदा प्रबंधन योजना, वैशाली (हाजीपुर)

# DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN, VAISHALI (HAJIPUR)

## मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

## खंड–2

## SOPs, ADVISORIES & GOVERNMENT CIRCULARS

## VOLUME-2

**जिला आपदा प्रबंधन योजना,** वैशाली(हाजीपुर),

**प्रकाशक : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,** वैशाली(हाजीपुर), पिन कोडः 844128

**मार्गदर्शन एवं सम्पुष्टि : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,**
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना ।
पिन कोड : 800001

**तकनीकी सहयोग : प्रो॰ जी॰पी॰सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,**
रोड नं॰ 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड : 800016
दूरभाष : 0612–2671820, मो॰ 9334766107
**Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com**

## आपातकालीन संपर्क

जिलाधिकारी – 06227–272201 (कार्यालय)

06224–272202 (आवास)

पुलिस अधिक्षक – 94318 22985

## हेल्पलाईन –

पुलिस (100), आग (101), स्वास्थ्य सेवायें (102) और (108) बाल सुरक्षा (1098)

## अनुमंडल पदाधिकारी –

हाजीपुर– 94731 91312

महनार– 94731 91313

महुआ – 91996 26799

# राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

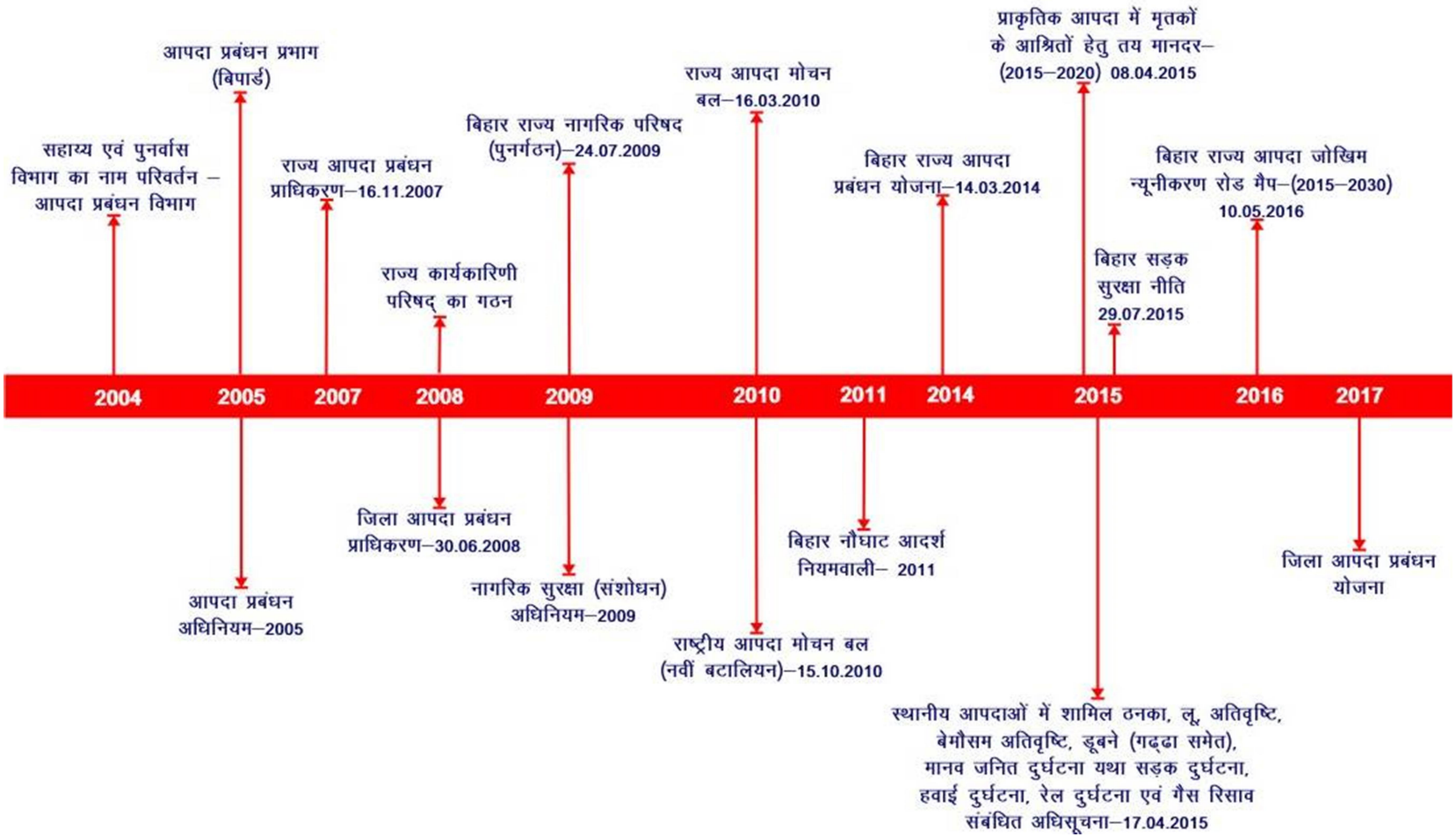

## मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश, दिशा निर्देश, संसाधन सूची एवं अन्य
## खण्ड–2 (अनुलग्नक–अनुक्रमनिका)


| अनु. सं. | मानक संचालन प्रक्रिया | पृष्ट सं. |
|---|---|---|
| 1 | सुखाड़ आपदा प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 1–33 |
| 2 | सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन (SOP) | 34 |
| 3 | बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 39 |
| 4 | अग्निकाण्ड से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 55 |
| 5 | पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 59 |
| 6 | NDRF के प्रतिनियोजन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 64 |
| 7 | भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कारवाई करने के संबंध में | 73 |
| | **आपदाओं से बचाव के उपाय एवं सुझाव** | |
| 8 | गर्मी/लू लगने पर क्या करें | 77 |
| 9 | परित्यक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायो के संबंध में | 78 |
| 10 | सड़क दुर्घटना दावा निपटारा | 81 |
| 11 | सड़क सुरक्षा के उपाय | 82 |
| 12 | आगजनी से बचाव हेतु उपाय/बचाव के टिप्स/बचाव हेतु सुझाव | 83 |
| 13 | बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गापूजा, दीपावली एंव छठ पूजा सुरक्षा उपाय | 86 |
| 14 | फसल अवशेष न जलाये | 87 |
| 15 | जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम/डेंगू से बचाव | 88 |
| 16 | वज्रपात (ठनका) क्या करें– क्या न करें | 89 |
| 17 | शीतलहर से बचाव | 90 |
| 18 | 2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध में | 91 |
| 19 | सर्दी के मौसम में पशुओं के देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव | 94 |
| 20 | नाव दुर्घटना से बचने के उपाय | 95 |
| 21 | नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जरूरी सलाह | 97 |
| 22 | भीड/भगदड़ में क्या करें–क्या न करें | 98 |
| 23 | दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें | 99 |
| 23 (क) | छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव | 100 |
| | **पीड़ितो को राहत प्रदान करने संबंधी राज्यादेश** | |
| 24 | भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित सहाय्य मानदर के अनुरूप सहाय्य मुहैय्या करने के संबंध में | 101 |
| 25 | आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड | 117 |
| 26 | राहत केन्द्र के सम्बन्ध में | 124 |
| 27 | राहत के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय | 128 |
| 28 | राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देश | 130 |
| 29 | अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन | 132 |
| 30 | मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता | 133 |
| 31 | अनुदान की राशि RTGS/NEFT या A/c Payee के माध्यम से भुगतान | 134 |
| 32 | प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम पदाधिकारी | 135 |
| 33 | प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुदान की शर्त्त | 136 |
| 34 | बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ॰आई॰आर॰ के अनुग्रह अनुदान का भुगतान | 137 |
| 35 | राज्य के अन्य जिलों में मृत व्यक्तियों के अनुग्रह अनुदान के संबंध में | 138 |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वालों के बीच मुफ्त सहाय्य वितरण | 139 |
| 37 | आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के मुआवजा के सम्बन्ध में | 140 |
| 38 | अग्निकाण्ड से प्रभावितों के बीच विशेष राहत केन्द्रों का संचालन (जून 2012) | 141 |
| 39 | अग्निकाण्ड में होने वाली फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान के सम्बन्ध में | 142 |
| 40 | गैस लीक से अग्निकाण्ड से पीड़ित को अनुदान | 145 |
| 41 | ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण | 146 |
| 42 | वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान | 149 |
| 43 | शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011 | 151 |
| 44 | शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन | 158 |
| 45 | एक क्विंटल के स्थान पर रूपये 3000/– की राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में | 163 |
| 46 | पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में | 165 |
| | **दिशा निर्देश** | |
| 47 | नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में | 166 |
| 48 | सहाय्य कार्य में लगे नाविकों की मजदूरी दर | 168 |
| 49 | संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारी | 169 |
| 50 | नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन | 176 |
| 51 | प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी दल का गठन | 178 |
| 52 | वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन | 180 |
| 53 | अगलगी से बचाव हेतु कार्रवाई के सम्बन्ध में | 182 |
| 54 | अग्निशमन सेवा हेतु हाईड्रेन्ट का निर्माण | 186 |
| 55 | आँधी/चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि से जुड़ी तैयारी, राहत, बचाव एवं बांस निर्मित घरो एवं ढाल वाले छतो की विशिष्ट तैयारी | 187 |
| 56 | शीतलहर (पाला) को आपदा की श्रेणी में रखने के संबंध में | 191 |
| 57 | पॉलीथीन शीट्स खरीदी के सम्बन्ध में | 192 |
| 58 | आर्सेनिक युक्त जल स्त्रोतों की पहचान एवं चिह्निकरण | 193 |
| 59 | केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 118 अंतर्गत गति नियत्रंक (Speed Governor) लगाये जाने की बाध्यता | 196 |
| 60 | सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रपत्र | 200 |
| 61 | उद्योग से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रपत्र | 208 |
| | **संसाधन सूची** | |
| 62 | जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की सूची | 209 |
| 63 | पुलिस प्रशासन की संपर्क सूची | 210 |
| 64 | आपातकाल हेल्पलाईन संपर्क सूची | 210 |
| 65 | चिकित्सीय पदाधिकरियों की संपर्क सूची | 211 |
| 66 | प्रखंड अंचल पदाधिकरियों की संपर्क सूची | 211 |
| 67 | प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियो की संपर्क सूची | 211 |
| 68 | कार्यपालक अभियंताओं की संपर्क सूची | 211 |
| 69 | प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी की संपर्क सूची | 212 |
| 70 | सहदेई बुजुर्ग, महनार, भगवानपुर प्रखंड बाल विकास पर्यवेक्षिका की सूची | 212 |
| 71 | मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों की संपर्क सूची | 212 |
| 72 | प्रखंडवार आंगनवाड़ी सेविकाओं का विवरण | 213 |
| 73 | राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षक की संपर्क सूची | 213 |
| 74 | प्रशिक्षित होम गार्ड एवं नागरिकों की संपर्क सूची | 213 |

| | | |
|---|---|---|
| 75 | प्रखंडवार निर्धारित विद्यालयों में शरण स्थलों की सूची | 216 |
| 76 | पंचायत भवन के शरण स्थलों की सूची | 222 |
| 77 | मुखिया एवं सरपंचों की संपर्क सूची | 222 |
| 78 | पंचायत समिति की संपर्क सूची | 228 |
| 79 | वर्षामापन यंत्र के निगरानी कर्मचारी की संपर्क सूची | 230 |
| 80 | बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए जिला में उपलब्ध संसाधनों की विवरणी (2018) | 231 |
| 81 | प्रखंडों का नक्शा | 232 |
| 82 | राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण | 237 |
| 83 | राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण | 239 |
| 84 | आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण | 243 |
| | **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य** | |
| 85 | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य | 245 |
| | **5 प्रतिशत पंचायतों में नमूना सर्वेक्षण के दौरान संकलित आंकड़े** | |
| 86 | उपलब्ध भौतिक संसाधन | 247 |
| 87 | उपलब्ध मानव संसाधन | 248 |
| 88 | आपदा चिह्निकरण | 249 |
| 89 | खतरा उत्पन्न करने वाले कारक | 250 |
| 90 | संवेदनशीलता आकलन | 251 |
| 91 | संवदेनशील भवनों की प्रकृति | 252 |

## संक्षिप्तियाँ

- **ए.आई.डी.एम.आई** – ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट
- **ए.टी.एल.एस.** – एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट
- **ए.टी.आई** – एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
- **बी.एस.डी.एम.ए.** – बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- **बिपार्ड** – बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन्स एडं रूरल डेवलपमेंट
- **बी.एम.टी.पी.सी.** – बिल्डिंग मैटिरियलस एंड टैक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल
- **सी.बी.डी.एम.** – कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैंनेजमेंट
- **सी.बी.डी.पी.** – कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस
- **सी.एल.डब्ल्यू.** – कम्युनिटी लेवल वर्कर
- **सी.पी.सी.** – कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंसलटेंट
- **डी.ई.ओ.सी.** – डिस्ट्रीक्ट इमरजेंसी ऑपरेसन सेन्टर
- **डी.आर.आर.** – डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- **डी.डी.एम.ए.** – डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी
- **ई.आर.सी.** – इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर
- **जी.आई.एस.** – जियोग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम
- **एच.पी.सी.** – हाई पावर्ड कमेटी
- **एन.डी.एम.ए.** – नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी
- **एन.डी.आर.एफ.** – नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- **एन.जी.ओ.** – नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
- **निनी** – नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट
- **एन.आई.डी.एम.** – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
- **पी.आर.आई.** – पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
- **एस.एच.जी.** – सेल्फ हैल्प ग्रुप
- **एस.टी.एफ.** – स्पेशल टॉस्क फोर्स
- **एस.डी.आर.एफ.** – स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
- **एस.ओ.पी.** – स्टैडंर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर
- **यू.एल.बी.** – अर्बन लोकल बॉडी
- **यू.एन.डी.पी.** – यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
- **क्यू.आर.टी.** – क्वीक रिस्पॉन्स टीम
- **डब्ल्यू. एच.ओ.** – वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन
- **यशदा** – यशवंतराव चह्वाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिसट्रेशन

## संदर्भ

## REFERENCES


- Bihar State Disaster Management Authority–2013, Mass Gathering Event Management : A case study of Chhath Pooja, Patna.
- Bihar State Disaster Management Authority – 2013-16 Table Top Calander.
- BSDMA– Website : www.bsdma.org, Training Modules
- BSDMA–2017, Heat Wave action Plan.
- Bihar State Pollution Control Board
- BSDMA–2017, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (क्रियान्वयन दस्तावेज),
- BSDMA–2017,डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
- Disaster Management Dept. GoB,– Website: www.disastermgmt.bih.nic.in, Standard Operating Procedures (SOPs).
- Department of Labour Resources, Bihar
- Flood Management Information System– Website : www.fmis.bih.nic.in.
- Govt. of Bihar – (2015-16 & 2016-17), Economic Survey.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. –2014,Bihar State Disaster Management Plan.
- Govt. of India– 2016, National Disaster Response Plan.
- Govt. of India, –2011, Ministry of Home Affairs, Census of India.
- Govt. of Bihar, Disaster Management Dept. – 2016, Damage Scenario - In Various Districts.
- Govt. of India–2007, BMTPC, (First Revision), Vulnerability Atlas of India.
- Govt. of India –2016, Ministry of Transport, Road Accidents in India/Bihar.
- Hari Narayan Srivastava & Rajendra Pd.– Prakritik Aapdayan Evam Bachao.
- IGNOU– 2012, Aapda Prabhandhan Mein Aadhar Pathyakram.
- IGNOU –2012, Understanding Natural Disaster.
- Ministry of Home Affairs – 2015, Disaster Risk Reduction : The Indian Model.
- Ministry of Agriculture & Cooperation, GoI–2001 High Powered Committee on Disaster Management.
- NCERT, Geography of India.
- NDMA–Website:www.ndma.gov.in
- National Institute of Disaster Management – April 2010, Journal, Disaster & Development.
- NIDM–Website : www.nidm.gov.in
- National Remote Sensing Centre & BSDMA –2012, Flood Hazard Atlas for Bihar.
- Radha Kant Bharti, NBT –2015, Rivers in India.
- State Environment Impact Assessment Authority– Website : www.seiaabihar.org

अनुलग्नक–(1) सुखाड़ आपदा प्रबन्धन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP) :

# सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया

## 1. संस्थात्मक ढाँचा

### 1.1 राज्य कार्यकारिणी समिति

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है जो सुखाड़ आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। उक्त समिति सुखाड़ आपदा प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग या किसी प्राधिकार या निकाय को आवश्यक निदेश दे सकेगी।

### 1.2 नोडल विभाग

सुखाड़ प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग नोडल होगा।

### 1.3 आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group)

राज्य स्तर पर सुखाड़ की स्थिति से निपटने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) का होगा। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक आमंत्रित किया जाएगा। प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग आपातकालीन प्रबंधन समूह के सदस्य–सचिव होंगे।

आपातकालीन प्रबंधन समूह के निम्नवत सदस्य हैं–

| | | | |
|---|---|---|---|
| | विकास आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त | 10. | पर्यावरण एवं वन विभाग |
| | प्रधान सचिव/सचिव | 11. | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
| 1. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 12. | समाज कल्याण विभाग |
| 2. | आपदा प्रबंधन विभाग | 13. | सहकारिता विभाग |
| 3. | कृषि विभाग | 14. | सांख्यिक वित्त |
| 4. | ग्रामीण विकास विभाग | 15. | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड |
| 5. | स्वास्थ्य विभाग | | |
| 6. | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 16. | निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय |
| 7. | ऊर्जा विभाग | 17. | निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, पटना |
| 8. | जल संसाधन विभाग | 18. | केन्द्रीय भूमि जल निदेशालय, पटना |
| 9. | लघु जल संसाधन विभाग | | |

संभावित की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्न विभागों से उनके द्वारा संभावित आपदा प्रबंधन के लिए की जानेवाली कार्रवाइयों की समीक्षा एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। सदस्यीय विभागों के अतिरिक्त अन्य सरकारी/गैर सरकारी विभाग/संस्था इत्यादि को भी CMG की बैठक में आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा।

### 1.4 जिला पदाधिकारी

जिला प्रशासन के मुखिया होने के नाते, जिला के आपदा प्रबंधन का निदेश एवं नियंत्रण (Command and Control) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो सरकार की नीतियों, मानदंडों एवं दिशा निदेश के आलोक में कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार जिला पदाधिकारी "घटना कमाण्डर" (Incident Commander) के रूप में कार्य करेंगे। आवश्यक होने पर वे इस उत्तरदायित्व को जिले के किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी सौंप सकेंगे। जिले में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी/एजेन्सी "घटना कमाण्डर" (Incident Commander) के निदेशानुसार कार्य करेंगे। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा वे समस्या से निपटने हेतु अनुमण्डल/प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करेंगे। साथ ही वे अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर Incident Command टीम का गठन करेंगे जो अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी।

### 1.5 जिला टास्क फोर्स

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिला में जिला टास्क फोर्स गठित रहेगी जिसमें कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स में जिला पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जिला के स्वयंसेवी संगठन/सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विषय–विशेषज्ञों को विवेकानुसार शामिल कर सकते हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) इस टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। यह टास्क फोर्स नियमित बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को आवश्यक निर्णय लेने में सहायता करेगी।

## 2. मानसून का आगमन एवं संकेतांकों के आलोक में वर्षापात/ धान का आच्छादन आदि के आंकड़ो का विश्लेषण

2.1. राज्य में धान की फसल खरीफ के मौसम की मुख्य फसल मानी जाती है। हालांकि धान के अलावा मक्का जैसी फसल भी किसानों द्वारा बोयी जाती है, परंतु धान का आच्छादन लगभग 34 लाख हेक्टेयर में होने के कारण धान ही राज्य में खरीफ की मुख्य फसल है। धान का आच्छादन मानसून की वर्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके बिचड़े को खेत में डालने से लेकर रोपनी तक पानी की भारी आवश्यकता होती है। फसल के पकने के पूर्व भी सिंचाई कार्य हेतु पानी की आवश्यकता होती है। अतएव भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण-पश्चिमी मानसून के आगमन के प्रथम चरण के दीर्घकालीन पूर्वानुमान के जारी होने तथा मानसून के आगमन के साथ ही वर्षापात/धान का आच्छादन के आंकड़ो का विश्लेषण किया जाना आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग एवं सभी जिला पदाधिकारियों के लिए आवश्यक होगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अप्रैल के तृतीय/चतुर्थ सप्ताह में मानसून के प्रथम चरण का दीर्घकालीन पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसे उक्त विभाग के वेबसाइट www.imd.gov.in पर देखा जा सकता है। इसी वेबसाइट पर मानसून के आगमन तथा उसके दिन-प्रतिदिन के सरकण की गतिविधि मंथ तथा पूर्व विज्ञप्ति के माध्यम से अपलोड की जाती है जिसका अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग/ कृषि विभाग एवं सभी जिला द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। जून माह के प्रथम सप्ताह में मानसून के द्वितीय चरण का दीर्घकालीन पूर्वानुमान उक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। साथ ही मानसून की वापसी की भी जानकारी अपलोड की जाती है। मानसून के सरकण के साथ ही उक्त विभाग प्रतिदिन अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान (All India weather forecast) भी उक्त वेबसाइट पर अपलोड करता करता है।

राज्य में मानसून के आगमन की सम्भावित तिथि 10 जून मानी गयी है। वर्षापात के आंकड़ो का विश्लेषण सामान्य वर्षापात के सापेक्ष वास्तविक वर्षापात के आंकड़ो के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार बिचड़ा एवं धान की रोपनी के आंकड़ो का विश्लेषण सामान्य के सापेक्ष वास्तविक आच्छादन के आधार पर किया जाएगा।

माह जून से सितम्बर 30 यानी राज्य में मानसून-अवधि में जिलावार सामान्य वर्षापात की विवरणी अनुलग्नक 1 पर उपलब्ध है।

खरीफ मौसम में जिलावार धान एवं मक्का के सामान्य आच्छादन की विवरणी अनुलग्नक 2 पर उपलब्ध है।

2.2 वर्षापात के आंकड़ो का इकट्ठा करने का दायित्व राज्य स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का होगा। अतएव उक्त निदेशालय मानसून पूर्व ही सुनिश्चित कर लेगा कि पंचायत में अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्र कार्यरत स्थिति में हो। निदेशालय 1 जून से प्रारंभ कर सामान्य के सापेक्ष प्रतिदिन के वास्तविक वर्षापात का प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग/ कृषि विभाग को भेजना सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त दैनिक वर्षापात प्रतिवेदन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से भी प्राप्त किया जाएगा।

2.3 खरीफ फसलों के आच्छादन का दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि विभाग आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराएगा। कृषि विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में गत वर्ष के आंकड़ो के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा।

2.4 संकेतांकों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण:

यदि वर्षापात सामान्य अथवा उससे अधिक रहे तो सूखाड़ की सम्भावना प्रायः नहीं रहती अपितु राज्य में बाढ़ की सम्भावना प्रबल हो जाती है। वैसे भी राज्य में "बाढ़ आपदा हेतु मानक

संचालन प्रक्रिया" के अनुसार बाढ़ पूर्व तैयारियां प्रत्येक वर्ष की जाती हैं। वर्षापात सामान्य अथवा सामान्य से अधिक रहने की दशा में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर आपदा प्रबंधन विभाग/ जिला प्रशासन ध्यान केन्द्रित करता। किन्तु वर्षापात के सामान्य से कम होने अथवा मानसून के प्रथम चरण के दीर्घकालीन पूर्वानुमान में मानसून के कमजोर रहने की जानकारी प्राप्त होने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (CMP) में वर्णित संकेतांक के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण कर सूखाड़ की स्थिति के संबंध में यथासंभव आपदा प्रबंधन समूह/ राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। आपदा प्रबंधन समूह यथासंभव स्थिति की समीक्षा कर संबंधित विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्रवाइयां करेगा।

इसी प्रकार जिला स्तर पर जिले में वर्षापात/ आच्छादन की स्थिति की समीक्षा कर सूखाड़ की स्थिति के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक में आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई पालन की जाएगी।

सुखाड़ की स्थिति के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपातकालीन प्रबंधन योजना (**Crisis Management Plan**) में वर्णित संकेतांक एवं यथास्थिति निरपांस के लिए की जाने वाली कार्रवाईयाँ निम्न है:-

निगरानी/सतर्कता संकेतांक (**Watch/Alert Indicator**)

| संकेतांक | निरपांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ दक्षिण-पश्चिम मानसून का विलंब से आगमन के पूर्वानुमान के साथ जल संकट तथा गर्म हवाओं की लहर<br>➢ पूर्व में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मानसून के विलंब से आगमन एवं अगस्त-जून माह में अल्प वर्षापात (-19% अथवा उससे कम ) का पूर्वानुमान | ❖ आवश्यकतानुसार आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक कर स्थिति की समीक्षा एवं निदेश जारी किया जाना<br>❖ आकस्मिक फसल योजना तैयार करना तथा इसका प्रभावी प्रचार प्रसार<br>❖ अल्पकालिक जल संरक्षण के उपाय करना<br>❖ उचित स्वास्थ्य संबंधी परामर्श/ सलाह प्रसारित करना तथा आकस्मिक चिकित्सीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना<br>❖ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से अनुरक्त रोजगार हेतु सम्पूर्ण आंकड़े पाकेट तैयार करना<br>❖ गैर कृषि कार्यों यथा आद्योगिक, व्यावसायिक उपयोग में भू-जल के दोहन पर निगरानी |

चेतावनी संकेतांक (Warning Indicator)

| संकेतांक | रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का विलम्ब से आगमन<br>➢ जून से मध्य जुलाई के बीच दो सप्ताह से अधिक अवधि तक अल्प वर्षापात (–19% अथवा उससे कम)<br>➢ गंभीर जल संकट<br>➢ भू–जल एवं सतही जल के स्तर में पूर्व वर्षा के सामान्य आंसत की तुलना में कमी | ❖ आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न लाइन एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा<br>❖ आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन पालन<br>❖ जल संरक्षण की अल्पकालीन योजनाओं का कार्यान्वयन |

आपातकालीन संकेतांक (Emergency Indicator)

| संकेतांक | रिस्पांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ रोपनी के मौसम में अल्प वर्षा या वर्षा का नहीं होना<br>➢ मानसून की समयपूर्व वापसी<br>➢ चार अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा का न होना<br>➢ –20% से –40% तक अल्प वर्षापात<br>➢ गर्म हवा एवं पानी की कमी के कारण फसलों का सूखना (Wilting of crops)<br>➢ छः सप्ताह से अधिक अवधि तक सामान्य से –25% तक कम वर्षापात | ❖ आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न लाइन एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा<br>❖ विवेक एवं फसलों का बचाव हेतु डिजल सब्सिडि का वितरण<br>❖ आकस्मिक फसल योजना के अनुसार वैकल्पिक फसल की रोपनी के लिए कार्रवाई करना<br>❖ पेय जल संकट से निपटने के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार पेयजल योजनाओं की मरम्मति एवं नए योजनाओं की अधिष्ठापन<br>❖ सिंचाई हेतु नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई<br>❖ खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना<br>❖ राजकीय नलकूपों की वार्षिक एवं विद्युत दाम को दूर करना<br>❖ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना<br>❖ मनरेगा के अन्तर्गत अनुपूरक राजस्व की |

| | |
|---|---|
| | व्यवस्था<br>❖ पशु शिविर स्थलों का चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कार्रवाई करना |

**विकट संकेतांक (Acute Indicator)**

| संकेतांक | निरपांस हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ |
|---|---|
| ➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का निर्धारित समय से पूर्व वापसी<br>➢ दक्षिण–पश्चिमी मानसून का मानसून अवधि (जुलाई–अक्टूबर) के बीच में वापसी<br>➢ अत्यन्त अल्प वर्षापात (–25% अथवा उससे कम)<br>➢ मृदा नमी में गंभीर कमी<br>➢ बाढ़ वाले क्षेत्र में 4 – 6 सप्ताह से अधिक वर्षा का नहीं होना<br>➢ भू–जल एवं सतही जल की उपलब्धता में गंभीर कमी | ❖ आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न लाइन एजेंसियों की द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा<br>❖ बिचड़ा एवं फसल का बचाव हेतु डिजल सब्सिडि का वितरण<br>❖ आकस्मिक फसल योजना के अनुसार वैकल्पिक फसल की बोवनी के लिए कार्रवाई करना<br>❖ पेय जल संकट से निपटने के लिए आकस्मिक कार्य योजना के अनुसार पेयजल योजनाओं की मरम्मति एवं नए योजनाओं की अधिष्ठापन<br>❖ सिंचाई हेतु नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई<br>❖ खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना<br>❖ राजकीय नलकूपों की वार्षिक एवं विद्युत दोषों को दूर करना<br>❖ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना<br>❖ मनरेगा के अन्तर्गत अनुपूरक रोजगार की व्यवस्था<br>❖ पशु शिविर स्थलों का चिन्हित करना तथा पशुचारा की उपलब्धता हेतु कार्रवाई करना<br>❖ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण एवं आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में की जा रही कार्रवाइयों का अनुश्रवण |

## 2.5 सुखाड़ की अनुमानित परिस्थितियाँ

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार

| क्र०सं० | अनुमानित परिस्थितियाँ | वर्षापात की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य वर्षापात (Normal Rainfall) | सामान्य वर्षापात से ± 19% तक वर्षापात |
| 2 | अल्प वर्षापात (Deficient Rainfall) | सामान्य वर्षापात से -20% से -59% तक वर्षापात |
| 3 | अपर्याप्त वर्षापात (Scanty Rainfall) | सामान्य वर्षापात से -59% से -99% तक वर्षापात |
| 4 | वर्षापात में अन्तराल (Dry Spell) | दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होना |
| 5 | मॉनसून की समय पूर्व वापसी (Early withdrawal of Monsoon) | सितम्बर माह से पहले मॉनसून की वापसी एवं वर्षापात न होना |
| 6 | वर्षा का नहीं होना (No Rainfall) | सामान्य वर्षापात से -100% |

2.6 जैसा कि द्वितीय अध्याय की कंडिका 2.4 में अंकित है, यदि वर्षापात सामान्य अथवा उससे अधिक रहे तो सुखाड़ की सम्भावना प्रायः नहीं रहती, अपितु राज्य में बाढ़ की सम्भावना प्रबल हो जाती है। किन्तु (i) अल्प अथवा अपर्याप्त वर्षापात, (ii) वर्षापात में अन्तराल (Dry Spell) अथवा (iii) मॉनसून की समय-पूर्व वापसी के कारण सुखाड़ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जहां तक वर्षा के बिलकुल भी नहीं होने का प्रश्न है, उस स्थिति में सुखाड़ स्वतः उत्पन्न हो जाता है। राज्य में 1967 के अकाल के बाद वर्षा के बिलकुल न होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अतएव आगे के अध्याय में उपरांकित 3 (तीन) स्थितियों में की जाने वाली कार्यवाइयों को कन्द में रखकर "मानक संचालन प्रक्रिया" तैयार की गयी है।

## 3. संचार योजना

3.1 प्रखण्ड स्तर से राज्य स्तर तक सूचनाओं का प्रवाह

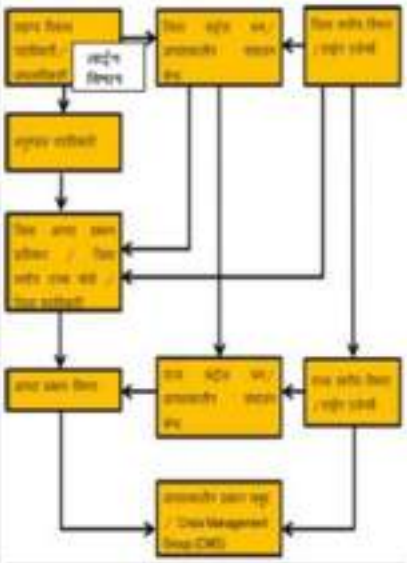

3.2 राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक सूचनाओं का प्रवाह

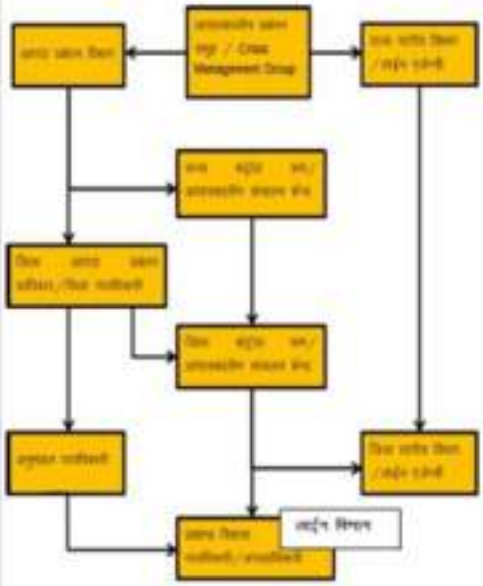

### 3.3 आम जनता तक सूचना का प्रवाह

यह आवश्यक है कि *संकाट की स्थिति आसन्न होने की सही जानकारी सही समय पर आम जनता तक पहुंचे। इस कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग आवश्यक कदम उठायेगा तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से आवश्यकतानुसार पुरा सम्प्रेषण तथा अन्य गतिविधियां करेगा।*

*इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग/एजेन्सी तथा कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उर्जा विभाग इत्यादि भी अपने विभाग से संबंधित कार्यों, संकाट के सम्भावित प्रभावों से निपटने संबंधी उपायों की सही एवं समय जानकारी जनता तक पहुंचाने का प्रबंध करेंगे।*

*जिला पदाधिकारी वर्षापात एवं फसल आच्छादन के संबंध में निम्न वेबसाइट से सूचना प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए एनएआइएसएस के जिला संचार विज्ञान पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी:–*

| | |
|---|---|
| ➢ Indian Meterological Department - | http://www.imd.gov.in and www.mausam.gov.in |
| ➢ Department of Agriculture, Govt. of Bihar - | http://www.agriculture.bih.nic.in |
| ➢ Disaster Management Department, Govt. of Bihar - | http://www.disastermgmt.bih.nic.in |
| ➢ Central Water Commission, Govt. of India - | http://www.india-water.com |
| ➢ National Remote Sensing Centre (NRSC) - | http://www.nrsc.gov.in |
| ➢ National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System - | http://www.dsc.nrsc.gov.in |
| ➢ Ministry of Agriculture & Cooperation, Govt. of India - | http://agricoop.nic.in |

## 4. अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई

राज्य में 1–2 साल के अंतराल के पश्चात अल्प वर्षापात के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। सामान्यतः गया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जिले सुखाड़ प्रवण माने जाते हैं, परन्तु विगत कुछ वर्षों से यह भी पाया गया है कि गया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित जिले बाढ़ प्रवण के साथ–साथ सुखाड़ से भी ग्रसित रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा माह अप्रैल में मानसून के पूर्वानुमान की घोषणा में अगर मानसून कमजोर अथवा अल्प वर्षा या छिटपुट वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की जाती है तो यह आवश्यक है कि राज्य एवं जिलों में सुखाड़ का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु पूर्व तैयारियाँ कर ली जाएँ। ऐसा होने पर सुखाड़ की स्थिति से निपटने एवं राहत पहुंचाने में सहायता होगी तथा जनता को होनेवाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। सुखाड़ की पूर्व तैयारियों के संबंध में निम्न कार्रवाइयां की जाएंगी (चेकलिस्ट अनुलग्नक–6 पर संलग्न) :–

सारणी–1

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वर्षापात की निगरानी<br>✓ जिला स्तर पर नियमित तौर पर वर्षापात के आंकड़ों का संग्रहण (प्रखण्ड स्तर पर) एवं विश्लेषण | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय | जिला पदाधिकारी / अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | 1 जून से 31 अक्टूबर तक |
| 2. | पीने के पानी की उपलब्धता एवं इसके लिये आकस्मिक योजना<br>✓ पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अनुरूप पूर्व तैयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक योजना का अद्यतन करना। (पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | जिला पदाधिकारी / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय | 15 मई तक |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | देखी जा सकती है)<br>✓ निर्माणाधीन पाइप जलापूर्ति योजनाओं का यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना।<br>✓ बन्द पड़े बायोगैस की मरम्मति<br>✓ नए बायोगैस का अधिष्ठापन | | पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स | |
| 3. | आकस्मिक फसल योजना<br>✓ सूखाड़ की स्थिति हेतु खरीफ फसल के लिए आकस्मिक योजना का सृजन/ आकस्मिक योजना का अद्यतन करना। पशु धारा को भी आकस्मिक योजना में शामिल किया जायेगा। (आकस्मिक फसल योजना कृषि विभाग के वेबसाईट http://krishi.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है) | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी/कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स | 15 जून तक |
| 4. | फसल बीमा<br>सूखाड़ के सकेतों और तात्कालिक रूझानों को देखते हुए मौसम आधारित फसलों का बुआई से पूर्व ही विशेष अभियान चला कर एवं किसानों को आवश्यक कर फसल बीमा कराना। | सहकारिता विभाग | जिला पदाधिकारी/ सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स | तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप 15 अगस्त से पूर्व। |
| 5. | सिंचाई हेतु आवश्यक प्रबंध<br>✓ जिन जिलों में अल्प वर्षापात/सूखाड़ के कारण सिंचाई के पानी की कमी होने की संभावना है, स्थानीय स्थितियों के अनुरूप आकस्मिक योजना तैयार करना। आकस्मिक योजना में खरीफ की फसल के लिए बिचड़ा लगाने के लिए पानी की व्यवस्था एवं धान की रोपनी तथा इसके पश्चात supplementary irrigation के लिए विभिन्न स्तरों पर की जानेवाली कार्रवाइयों को सम्यक रूप से | लघु जल संसाधन/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग | जिला पदाधिकारी/ लघु जल संसाधन/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ | 15 जून |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | व्याख्या होगी।<br>✓ सिंचाई हेतु अधिष्ठापित सभी ट्यूबवेल का समय पाक्षिक दोषों के निवारण हेतु आवश्यक मरम्मति कराना। ट्यूबवेल के विद्युत दाबा को दूर करने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय करना।<br>✓ राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी ट्यूबवेल में आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार करना।<br>✓ विद्युत दाबा के कारण बंद पड़े ट्रांसफार्मर/ ट्यूबवेल को चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।<br>✓ ऊर्जा विभाग द्वारा आकस्मिक योजना का सृजन करना। (आकस्मिक योजना ऊर्जा विभाग के वेबसाईट http://energy.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है)<br>✓ आकस्मिक योजना पत्रक वर्ष अद्यतन करना आवश्यक होगा।<br>✓ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मजबूत सिंचाई से संबंधित विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं संसाढ के लिए स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।<br>✓ नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। | | जिला टास्क फोर्स | तक |
| 6. | जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध<br>प्रारंभिक संकेतकों के विश्लेषण से यदि सूखे का आभास हो तो<br>✓ कम अवधि की जल संरक्षण (Short Term Water Conservation) संबंधी उपाय किया जाना।<br>✓ मनरेगा के अन्तर्गत Water Harvesting की योजनाएं जैसे आहर, पाइन एवं तालाबों की मरम्मति इत्यादि का कार्य कराना।<br>✓ पारंपरिक सूखी एवं गैरम जलस्रोत जैसे – | लघु जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी/ लघु जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स | 15 अप्रैल से 30 जून तक |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | तालाब, पोखर, आहर, पाइन आदि का रिचार्ज करने हेतु आवश्यक कदम उठाना। | | | |
| 7. | खाद्यान्न की उपलब्धता<br>✓ राज्य खाद्य निगम के कार्यालयों / गोदामों में खाद्यान्न उपलब्धता का आकलन तथा आवश्यकतानुसार भंडारण सुनिश्चित करना। | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | जिला पदाधिकारी / खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | 15 जून तक। |
| 8. | भुखमरी से बचाव<br>✓ शताब्दी अन्न कलश योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में दो-दो क्विंटल खाद्यान्न चक्रीय स्टॉक (Revolving Stock) के रूप में रखना सुनिश्चित करना।<br>(शताब्दी अन्न कलश योजना को आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट http://www.dhastermgmt.bih.nic.in पर देखा जा सकता है) | आपदा प्रबंधन विभाग | जिला पदाधिकारी / जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) / जिला टास्क फोर्स | सतत निगरानी। |
| 9. | मानव स्वास्थ्य की देखभाल<br>✓ सूखाड़ की स्थिति में संभावित बिमारियों की रोकथाम हेतु की जानेवाली कार्रवाइयों के संबंध में संशोधित अनुदेश सभी सिविल सर्जन / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को निर्गत करना। उक्त अनुदेश में वर्णित निर्देशों के अनुरूप तैयारियाँ की जाएगी।<br>स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 603 (11) दिनांक-14.07.2015 द्वारा निर्गत अनुदेश की प्रति अनुलग्नक – 3 | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी / स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | 15 मई तक |
| 10. | पशु संसाधन की देखभाल<br>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आकस्मिक योजना तैयार करना, जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ भी | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / | जिला पदाधिकारी / पशु | 15 जून तक |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | शामिल होगी :–<br>✓ पशुओं के लिए पानी एवं चारे की व्यवस्था करना।<br>✓ जलस्रोतों की पहचान एवं जल के संग्रहण के लिए लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित करना<br>✓ पशु राहत शिविर का स्थल चिन्हित करना। पशु शिविर यथा संभव सामुदायिक टबबतला अथवा अन्य जल स्रोतों के आस–पास स्थापित किए जाए<br>✓ पशुचारा का संग्रहण एवं आपूर्ति।<br>✓ सुखाड़ के समय पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था पूर्व से ही करना। कम नमी में जमने वाली घास बरसीम, शो बबल एवं अन्य दूसरे पशु आहार की व्यवस्था या उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी लाइजन रखना होगा।<br>✓ सुखाड़ के दौरान पशुओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बिमारियों के लिए पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयां/टीका इत्यादि का पूर्वाग्रह करना।<br>✓ इस योजना का पूर्वक्रम अद्यतन करना।<br>✓ मृत पशु/ पक्षियों के मृत शरीर का जलाने अथवा दफनाने का स्थान चिन्हित करना। | लघु जल संसाधन विभाग | एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स | |
| 11. | रोजगार की उपलब्धता<br>✓ रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार किये जानेवाले विभिन्न कार्यों की पहचान की जाएगी।<br>✓ मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर Shelf of Project or Bank of Sanctions पूर्व से ही तैयार रखना। | ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स | 30 मई तक। |
| 12. | सामाजिक सुरक्षा<br>✓ वृद्धावस्था पेंशन का वितरण सुनिश्चित करना।<br>✓ छात्रवृति का वितरण समय कराना ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटे। | समाज कल्याण विभाग/ शिक्षा विभाग | जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग/ | 30 मई तक। |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | ✓ बच्चा एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं का कुपोषण से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का पूर्णतः ढंग से कार्यान्वयन करना।<br>✓ स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन का कार्यान्वयन कराना। | | शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स | |
| 13 | सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन<br>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग से प्राप्त वर्षापात एवं फसल आच्छादन के आकड़ों का विश्लेषण कर सूखाड़ से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का प्रसारित करने हेतु मिडिया को जानकारी देना। | आपदा प्रबंधन विभाग / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग | जिला पदाधिकारी / सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी | |

## 5. वर्षापात में अन्तराल के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई

### (दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न होना)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पथम/द्वितीय दीर्घकालीन पवानमान के आलोक में दक्षिण–पश्चिमी मानसून की स्थिति कमजोर होने पर अध्याय–4 में वर्णित कार्रवाइयां अपेक्षित होगा, परन्तु यह भी संभव है कि दक्षिण–पश्चिमी मानसून की स्थिति सामान्य होने पर भी मानसून के दौरान दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा न हो तो ऐसे स्थिति में यह आवश्यक होगा कि लगाए गए बिचड़ा/ फसलों को बचाने हेतु निम्न कार्रवाई कर ली जाय जो अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगी (चेकलिस्ट अनुलग्नक–7 पर संलग्न)।

सारणी –2

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग/एजेन्सी | लाईन विभाग/एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य में फसल आच्छादन/ वर्षापात/ सिंचित क्षेत्र/ भूगर्भ जल की स्थिति आदि के आंकड़ों की गहन समीक्षा करना तथा लिए गए निर्णय के आलोक में सभी संबंधित को तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई के लिये आदेश निर्गत करना | राज्य आपातकालीन प्रबंधन समूह/आपदा प्रबंधन विभाग | जिला पदाधिकारी/जिला टास्क फोर्स |
| 2 | डीजल अनुदान के माध्यम से लगाये गए बिचड़ा/फसलों को बचाने हेतु समुचित उपाय करना। | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी/कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 3 | नहरों के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई में तेजी लाना एवं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर कठिनाइयों को दूर करना | जल संसाधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 4 | ट्यूबवेलों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र सिंचित करने हेतु बंद पड़े ट्यूबवेलों की यांत्रिक एवं विद्युत दोष तुरन्त ठीक करना। | लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग | जिला पदाधिकारी/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई हेतु विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना | ऊर्जा विभाग/ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड | जिला पदाधिकारी/ ऊर्जा विभाग/ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 6 | पेयजल संकट से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करना | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | जिला पदाधिकारी/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |

## 6. मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयाँ

दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान यह संभव है कि मानसून समय पूर्व वापसी हो जाए। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित जिला में फसल का बचाव, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करना, सिंचाई, पेयजल, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, पशु संरक्षण का सही रख–रखाव करना, इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार अध्याय–4 एवं 5 में अंकित कार्रवाइयों के अतिरिक्त निम्न कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी। इस दौरान अन्य सहायक कार्य चलाना आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। संबंधित विभागों द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित कार्य किया जाएगा (चेकलिस्ट अनुलग्नक–8 पर संलग्न)।

सारणी 3

| क्र म | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 1. | पेयजल (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मानव तथा पशु संरक्षण के लिए) आपूर्ति<br>✓ संसाधनरत क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हेतु पंप में लगाये गये चापाकल/नलकूप की मरम्मति करना।<br>✓ आवश्यकता का आकलन कर पूराने चापाकल का ऑर गहरे स्तर तक गाड़ जाने की व्यवस्था करना।<br>✓ जरूरत के अनुसार नये नलकूप/चापाकल लगाना।<br>✓ पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय कर विद्युत आपूर्ति कराना।<br>✓ जरूरत के अनुसार पानी भरकर टंकर/ट्रक/ट्रैक्टर पर पी०वी०सी० टंक बनाकर पहुंचाने की व्यवस्था करना।<br>✓ ग्रामीण क्षेत्र में जल भंडारण की व्यवस्था करना।<br>✓ संसाधनरत क्षेत्र में अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप रखना ताकि कहीं खराबी आने पर उसे तुरंत बदलकर जलापूर्ति चालू रखा जा सके।<br>✓ टंकर एवं ट्रैक्टर पर पी०वी०सी० टंकी को भरने के लिए हाइड्रेंट का निर्माण करना।<br>✓ कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाइन की व्यवस्था करना।<br>✓ इस संबंध में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का क्रियान्वित किया जायेगा।<br>(पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाए जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (ग्रामीण क्षेत्र)/नगर विकास विभाग (शहरी क्षेत्र) | जिला पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| | http://www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखा जा सकता है)<br>✓ शहरी अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति की शिकायत दर्ज करने एवं समस्या के त्वरित निष्पादन हेतु हेल्पलाइन की व्यवस्था करना। | | |
| 2. | वैकल्पिक / आकस्मिक फसल योजना<br>✓ पूर्व से तैयार आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन करना।<br>✓ किसानों को आकस्मिक फसल योजना में निहित उपायों का इस्तेमाल करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना। | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 3. | फसल बीमा / कृषि ऋण<br>✓ फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि सभी कृषक आच्छादित न हो तो अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित करना। इस कार्य में छोटे किसानों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।<br>✓ कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना। | सहकारिता विभाग / सांख्यिक वित्त | जिला पदाधिकारी / सहकारिता विभाग / सांख्यिक वित्त के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 4. | बीजल अनुदान वितरण<br>आवश्यकतानुसार चिवड़ा एवं फसलों की रक्षा एवं बचाव के लिए बीजल अनुदान उपलब्ध कराना। फसल बचाव के लिए कितनी बार बीजल अनुदान दिया जाय इसका निर्णय आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप किया जायेगा।<br>✓ बीजल अनुदान का वितरण पंचायत सहायता एवं अनुश्रवण समिति की देखरेख में कराना।<br>✓ अनुदानित बीज का वितरण कराने की व्यवस्था करना।<br>✓ कृषि रक्षा / बुलेटिन का समाचार पत्र एवं अन्य सीढ़ियों माध्यमों से पंचायत कृषकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कराना। | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 5. | वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था<br>✓ सिंचाई हेतु अधिष्ठापित सभी ट्यूबवेलों को कार्यरत रखना। समुचित आवश्यक मरम्मति कराना। ट्यूबवेलों के विद्युत एवं यांत्रिक दोषों को भी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।<br>✓ ग्रामीण क्षेत्रों (अति पंचायतों) के लिए पर्याप्त (कम से कम 8 घंटे) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। | लघु जल संसाधन विभाग / बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन | जिला पदाधिकारी / लघु जल संसाधन विभाग / बिहार पावर |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| | सिंचाई आदि के लिए आवश्यक है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल का समुचित प्रबंधन किया जाए :–<br>✓ विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा– उद्योग, कृषि आदि में जल की मांग का आकलन करना।<br>✓ किसानों को सिंचाई के लिए नहर से आच्छादित क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक प्रबंध करना।<br>राज्य के प्रमुख जलाशयों एवं अन्य सतही जल स्रोतों पर निगरानी रखना ताकि इसके दुरूपयोग से बचाया जा सके। | जि0 / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग | हाल्डिया कॉरपोरेशन जि0 / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 6. | खाद्यान्न सुरक्षा<br>✓ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न की उपलब्धता एवं इसके उठाव का अनुश्रवण करना।<br>✓ मुफ्त सहायता वितरण हेतु खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था करना।<br>✓ केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करना।<br>✓ खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि पर सतत निगरानी करना। मूल्य में अनावश्यक वृद्धि से राज्य सरकार को अवगत कराना।<br>✓ मूल्य वृद्धि रोकने हेतु जमाखोरी, काला बाजारी आदि पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना। | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | जिला पदाधिकारी / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 7. | पशु संसाधन की देखभाल<br>✓ पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।<br>✓ चिन्हित पशु शिविरों में जल की व्यवस्था करना।<br>✓ पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण करना। एंटी–बायोटिक्स, एनालजेसिक, पारासिटामोल, एंटी–हिस्टामिनिक, एंटी–डायरियल, लीवर टॉनिक, नॉर्मल सलाइन, एलक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन सिरिंज, आदि का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।<br>✓ मृत पशुओं के शवों के सुरक्षित निपटान (विसर्जन) की त्वरित | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | जिला पदाधिकारी / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| | व्यवस्था करना। | | |
| 8. | विद्युत आपूर्ति<br>✓ कृषि एवं अन्य कार्यों जैसे पम्प, नहर योजनाएं, राजकीय नलकूप, सिंचाई योजनाएं एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।<br>✓ सुस्थापित पंचायत वार्डों/ग्रामों में पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करते हुए इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना। | ऊर्जा विभाग / बिहार पावर हाल्डिंग कम्पनी लि० | जिला पदाधिकारी / ऊर्जा विभाग / बिहार पावर हाल्डिंग कम्पनी लि० के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 9. | सूचना प्रबंधन एवं मीडिया के साथ समन्वय<br>सुस्थापित आपदा के पूर्व सूचना के संकेतकों एवं आपदा के समय कृषि विभाग के द्वारा फसलों के बचाव आदि से संबंधित बुलेटिन जारी किया जाना। समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना। | कृषि विभाग / सूचना एवं जन संपर्क विभाग | जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग एवं सूचना एवं जन संपर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |

## 9. सुखाड़ के घोषणा के पश्चात् की जानेवाली कार्रवाइयाँ

*प्रभावित क्षेत्र का सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने के उपरांत उस क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाइयाँ निम्नानुसार की जाएगी :–*

1. *अधिसूचित जिला में सुखाड़ से निपटने हेतु राज्य आपदा रिस्पांस निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस निधि (NDRF) से दी जानेवाली सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। SDRF/ NDRF से दी जानेवाली सहायता का मानदंड अनुलग्नक 10 पर अंकित है। यह मानदंड समय–2 पर पुनरीक्षित किया जा सकता।*
2. *अधिसूचित जिला में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली उस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित रहेगी।*
3. *वित्त विभाग/ सांस्थिक वित्त के सहयोग से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण की वसूली हेतु पुनर्निर्धारण हेतु अनुरोध किया जाएगा।*
4. *जहाँ सुखाड़ के कारण रिस्पांस एवं राहत की आवश्यकता पड़ती है, वहीं सुखाड़ की घोषणा के पश्चात दीर्घकालीन सहायता के कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतएव सुखाड़ की घोषणा के पश्चात आवश्यकतानुसार अध्याय 6 में अंकित कार्रवाइयों के अतिरिक्त निम्न कार्रवाइयाँ अपेक्षित होंगी (चेकलिस्ट अनुलग्नक–9 पर संलग्न)*

सारणी–5

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग/ एजेन्सी | लाईन विभाग/एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 1. | आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन<br>*पूर्व से तैयार आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना। आकस्मिक फसल योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना तथा इसमें निहित उपायों का इस्तेमाल करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना।* | *कृषि विभाग* | *जिला पदाधिकारी/ कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स* |
| 2. | फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण<br>*सुखाड़ की घोषणा के बाद फसल क्षति के लिए SDRF के निर्धारित मानदंड के अनुसार कृषि इनपुट अनुदान वितरण पर विचार करना/ जिला में फसल क्षति की सूचना प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन कर्मी तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मी प्रारंभिक सूची तैयार करेंगे। इस सूची की रैण्डम जाँच जिला में पदस्थापित अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी/ क्षेत्रीय उपसमाहर्ता/ अनुमंडल अधिकारी/ मंडल सहायक उपसमाहर्ता के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार फसल* | *आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग* | *जिला पदाधिकारी/ जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन)/कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | क्षति से प्रभावित किसानों की सूची पंचायत के नोटिस बोर्ड/ जिला के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तदोपरान्त SDRF के मानदंड के अनुसार कृषि इनपुट अनुदान की राशि सीधे लाभुकों के खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरण किया जाएगा। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1602/आ0प्र0 दिनांक 02.05.15 अनुलग्नक 5 पर दृष्टव्य है। | | |
| 3. | फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान<br>यदि अधिसूचित फसल, फसल बीमा से आच्छादित हो तो सहकारिता विभाग द्वारा यथासीघ्र विभागीय योजनानुसार फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। | सहकारिता विभाग | जिला पदाधिकारी/ सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 4. | किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण<br>यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबद्धवर्ष क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आगामी फसल की बुआई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना कर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। | वित्त विभाग (साख्यिक वित्त)/ राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति/ कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/ जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति |
| 5. | **बैंक ऋणों का पुनर्निर्धारण (Rescheduling of Bank Loan)**<br>✓ राष्ट्रीयकृत एवं सहकारिता बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण की वसूली का पुनर्निर्धारण (Re-scheduling) करवाना। | वित्त विभाग/ राज्य स्तरीय बैंकर समिति/ सहकारिता विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति |
| 6. | पशु संसाधन की देखभाल<br>✓ पशु शिविरों का आवश्यकतानुसार संचालित करना।<br>✓ पशुचारा/ आरोग्य रिहाइड्रेशन हेतु आवश्यक दवाओं/ एलक्ट्रोलाइट पैकेट की वितरण सुनिश्चित करना।<br>✓ मृत पशुओं के शवों का सुरक्षित निपटान (विसर्जन) करना।<br>✓ पशु चिकित्सकों/अन्य पशुचिकित्सा कर्मी का शिविरों में | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | जिला पदाधिकारी/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पतिनियुक्त करना। | | |
| 7. | स्वास्थ्य सेवाएँ<br>✓ प्रभावित जिले में मोबाइल मेडिकल कयर यूनिट की पतिनियुक्ति करना। प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक सिविल सर्जन के अधीन एक मॉनटरिंग सेल का गठन होगा जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे कार्यरत रहेंगे।<br>✓ सुखाड़ के समय सदय (Vulnerable) समूह यथा बच्चे, दूध पिलाने वाली/गर्भवती महिलाएँ, वृद्ध एवं निःशक्त व्यक्तियों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना।<br>✓ स्वास्थ्य विभाग एक अनुदेश सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारियों/सिविल सर्जनों को भेज रखा है। उक्त अनुदेश के आलोक में कार्रवाइयां की जायेगी। (अनुलग्नक–3) | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 8. | महामारी की रोकथाम<br>सूखा के पश्चात सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना के आलोक में महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोधात्मक उपाय करना। | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स |
| 9. | महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल<br>✓ सुखाड़ क्षेत्रों में बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था करना। इसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों से आच्छादित बच्चे तथा वैसे बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिला जो आंगनबाड़ी केन्द्रों से आच्छादित न हो पाए हैं, शामिल होंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक राशि जिलों को उपलब्ध करायी जाएगी।<br>✓ प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओआरएस एवं पारासिटामोल दवा का रखा जाना। इसके अतिरिक्त जहां–जहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं वहां आशा कार्यकर्ता के द्वारा यह व्यवस्था करना।<br>✓ प्रभावकारी एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु नियमित एवं विधिवत अनुश्रवण करना। | समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | सामाजिक सुरक्षा<br>✓ चयनित बद्धावस्था पेंशनधारियों का नियमित भुगतान अभियान चलाकर किया जाना।<br>✓ छूट हुए पात्र बद्धावस्था पेंशन के लाभुकों का चयन अभियान चलाकर किया जाना। | समाज कल्याण विभाग | जिला पदाधिकारी/ समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 11. | मध्याह्न भोजन की व्यवस्था<br>✓ जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इस कार्य के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। | शिक्षा विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | जिला पदाधिकारी/ शिक्षा विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 12. | रोजगार सृजन<br>✓ संस्थानरत क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कार्यक्रम में वृद्धि करना।<br>✓ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत परियोजनाओं के बैंक ऑफ सक्षेत्र का क्रियान्वयन करवाना, जिसमें जल संरक्षण की योजना यथा– तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगवेल, वृक्षारोपण इत्यादि की परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।<br>✓ रोजगार सृजन हेतु मनरेगा को व्यापक रूप से कार्यान्वित करना।<br>अन्य संबंधित विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराना। | ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स |
| 13. | मुफ्त सहायता<br>✓ आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं यथानुसार राज्य स्तरीय आपदा संसाधन कोष समिति द्वारा मुफ्त सहायता वितरण का निर्णय आवश्यकतानुसार लिया जाएगा। मुफ्त सहायता का वितरण SDRF के मानदंड के अनुसार आवश्यकतानुसार पारित किया जाएगा।<br>✓ वृद्ध, विधवा, विकलांग, निराश्रित (destitute), अल्पाय्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त सहायता वितरण किया जाएगा। इसमें समस्त जनजातियों के भी उपरोक्त श्रेणी के व्यक्ति शामिल होंगे। | आपदा प्रबंधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) / जिला टास्क फोर्स |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | वन्य जीवों के लिए व्यवस्था<br>✓ वन अभयारण्य में पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पेय जल की व्यवस्था करना। | वन एवं पर्यावरण विभाग | जिला पदाधिकारी/ प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी |
| 15. | अनुश्रवण<br>जिला स्तर:<br>✓ जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सूखाड़ सहायता कार्य चलाए जायें।<br>✓ सूखाड़ के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24X7 क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसके दूरभाष संख्या का समाचार पत्र के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में सेक्टर में सिविल पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी संकाय के पदाधिकारी भी पदाभिहित किये जाएंगे।<br>✓ जिला पदाधिकारी के अधीन गठित टास्कफोर्स सूखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का साप्ताहिक अनुश्रवण करेगी।<br>✓ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 1971 दिनांक 16.07.2009 के आलोक में कार्रवाई की जाएगी (अनुलग्नक 4)।<br>राज्य स्तर पर:<br>✓ आपदा प्रबंधन विभाग में सतत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष 24X7 क्रियाशील रहेगा।<br>✓ उर्जा विभाग, कृषि विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाएंगे जो 24X7 क्रियाशील रहेंगे।<br>✓ राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) निरंतर क्रियाशील रहेगा तथा सूखाड़ग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत अनुश्रवण करेगा।<br>उपरोक्त के आलोक में संबंधित विभाग विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम पाँचकोर का अनुमोदन प्राप्त कर अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे। | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिला टास्क फोर्स<br>आपदा प्रबंधन विभाग/ आपातकालीन प्रबंधन समूह | जिला पदाधिकारी/ जिला स्तर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी<br>आपातकालीन प्रबंधन समूह के सदस्य से संबंधित सभी विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र<br>राहत कार्यों के लिए निधि का आवंटन राज्य आपदा रिस्पांस कोष से किया जाता है। अतएव आपदा राहत में जो भी निधि व्यय की जाती है उस निधि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत विहित प्रक्रिया अपना कर व्यय की गयी राशि का डेबिट करना पड़ता है। अतएव राहत कार्यों में खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र भेजने की व्यवस्था जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी ताकि उक्त कोष में राशि डेबिट होती रहे। इसके लिए पूरी राशि व्यय होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी अपितु जितनी राशि व्यय हो चुकी हो उतनी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाएगा। साथ ही विस्तृत आकस्मिकता विपत्र भी निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कोषागार/महालेखाकार को भेजकर एसडीए विपत्र निकासी की गई राशि का समायोजन करा लिया जाएगा।<br>▪ सामग्रियां जो राहत कार्य के लिए वितरित की गयी उनका मदवार अभिलेख के रूप में संधारण किया जाएगा।<br>▪ इन वितरित की गई सामग्रियों पर जो व्यय हुए उनके अभिश्रव प्रमाण सहित संधारित किया जाना आवश्यक होगा। | आपदा प्रबंधन विभाग | जिला पदाधिकारी/ संबंधित विभाग/ जिला टास्क फोर्स |
| 17 | सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन<br>सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सूचनाओं को प्रसारित करने हेतु मिडिया को जानकारी देना। | आपदा प्रबंधन विभाग/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | जिला पदाधिकारी/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |

नोट: उपरोक्त कार्यवाइयों में होने वाला व्यय SDRF के अंतर्गत अनुमान्य होने की दशा में राशि का आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा। किन्तु जो व्यय SDRF के अंतर्गत अनुमान्य न होगा, उसकी व्यवस्था संबंधित विभाग अपने विभागीय बजट से करेंगे।

## 10. कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)

सुखाड़ की समाप्ति के पश्चात जिला एवं राज्य टास्कफोर्स की बैठकों में सुखाड़ के दौरान विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के द्वारा कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) करते हुए भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt) ग्रहण की जाएगी। इन बैठकों में संबंधित विभाग/एजेन्सियां इमानदारी पूर्वक आत्म चिंतन करते हुए कृत कार्रवाइयों से सबल एवं दुर्बल पक्षों का गहन विश्लेषण करेंगी, जिनसे भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके। इस प्रकार इन सीखों का उपयोग करते हुए आगामी वर्षों में सुखाड़ आपदा प्रबंधन के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

## 11. सुखाड़ न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाईयाँ :–

सुखाड़ आपदा धीमी गति से (Slow onset) आने वाली आपदा है, परन्तु इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके न्यूनीकरण हेतु लगातार प्रयास किए जाय, जिसमें निम्न कार्रवाइयां की जाय :–

सारणी–6

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 11.1 | कृषि प्रक्षेत्र | | |
| 11.1.1 | सुखाड़रोधी फसलों एवं किस्मों की कम आवश्यकता वाली फसलों का प्रोत्साहन। | कृषि विभाग | जिला पदाधिकारी / जिला / ब्लॉक स्तर के कृषि पदाधिकारी |
| 11.1.2 | फसल विविधीकरण। | | |
| 11.1.3 | कृषि सह मत्स्य में सुखाड़ न्यूनीकरण के उपायों का समावेश। | | |
| 11.1.4 | सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में फसल बीमा योजना का प्रोत्साहन। | | |
| 11.2 | पशुपालन प्रक्षेत्र | | |
| 11.2.1 | पशुओं का नियमित बीमा। | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | जिला पदाधिकारी / जिला / ब्लॉक स्तर के पशुपालन अधिकारी |
| 11.2.2 | पशुओं का नियमित टीकाकरण। | | |
| 11.3 | स्वास्थ्य प्रक्षेत्र | | |
| 11.3.1 | सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा का प्रोत्साहन। | स्वास्थ्य विभाग | जिला पदाधिकारी / जिला में पदस्थापित सिविल सर्जन |
| 11.3.2 | सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में होने वाली बिमारियों से बचाव के उपाय की व्यवस्था। | | |
| 11.4 | जल संसाधन प्रक्षेत्र | | |
| 11.4.1 | परम्परागत जलस्रोतों यथा आहर, पाइन के संरचनाओं का संधिकरण। | लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी / जिले में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी |
| 11.4.2 | सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों यथा तालाब, पोखर, आहर का रिचार्ज करने हेतु कदम उठाया जायगा। | लघु जल संसाधन | जिला पदाधिकारी / जिले में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी |

| क्रम | कार्रवाईयाँ | नोडल विभाग / एजेन्सी | लाईन विभाग / एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| 11.4.3 | परम्परागत जलस्रोतों के संचिकरण के पश्चात रखरखाव की व्यवस्था। | जल संसाधन विभाग / वन एवं पर्यावरण विभाग | जिला पदाधिकारी / प्रमंडलीय वन पदाधिकारी / जिले में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी |
| 11.4.4 | संस्थाओं/संघों में जलसंरक्षण एवं वानिकी योजनाओं को प्रोत्साहन। | | |
| 11.4.5 | संस्थाओं/संघों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम का निर्माण। | | |
| 11.4.6 | संस्थाओं/संघों में वर्षा जल संग्रहण (Rainwater Harvesting) की विधि का प्रोत्साहन। | | |
| 11.5 | सभी हितधारियों का संवर्धीकरण। | बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| 11.6 | पेयजल : | लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग | जिला पदाधिकारी / लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |
| 11.6.1 | संस्थाओं/संघों में उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। | | |
| 11.6.2 | पेयजल के संचित रख-रखाव व उसके संरक्षित उपयोग के लिये समुदाय को जागरूक किया जायेगा। | | |
| 11.7 | जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये आवश्यक है कि वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाय। सामाजिक वानिकी/कृषिवानी जैसे कार्यक्रमों से जन सहभागिता बढ़ेगी। | वन एवं पर्यावरण विभाग / उद्यान निदेशालय / ग्रामीण विकास विभाग | जिला पदाधिकारी / ग्रामीण विकास विभाग / वन एवं पर्यावरण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |
| 11.8 | भूगर्भ जल एवं सतही जल संरक्षण हेतु योजना तैयार करना। | लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | जिला पदाधिकारी / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |
| 11.9 | लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत चलायी जा रही मनरेगा योजना से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं संस्थाओं के लिए स्तरीय पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। | लघु जल संसाधन विभाग | जिला पदाधिकारी / लघु जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी |

## अल्प वर्षा अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

| कम | की जाने वाली कार्रवाई | हॉ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | वषापात की निगरानी | | |
| 2 | पयजल सकट पबधन हत मानक सचालन पक्रिया अनरूप पव तयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन | | |
| 3 | सखाड की स्थिति हत खरीफ फसल क लिय आकस्मिक याजना का सत्रण तथा आकस्मिक याजना का अद्यतन | | |
| 4 | फसल बीमा हत विशेष अभियान चला कर एवं किसानों को जागरूक करना | | |
| 5 | सिचाइ हत आकस्मिक याजना तयार | | |
| 6 | जल संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध | | |
| 7 | खाद्यान्न की उपलब्धता | | |
| 8 | शताब्दी अन्न कलश योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों में दो–दो क्वीटल खाद्यान्न चकीय स्टांक (Revolving Stock) क रूप म रखना | | |
| 9 | मानव स्वास्थ्य की दखभाल हत की जानवाली कारवाइया हत अनुदेश निर्गत एवं अनुदेश में वर्णित निर्देशों के अनरूप तयारिया | | |
| 10 | पश सासाधन की दखभाल हत आकस्मिक याजना तयार | | |
| 11 | राजगार की वकल्पिक व्यवस्था करन क लिए आकस्मिक याजना तयार | | |
| 12 | सामाजिक सरक्षा | | |

## वर्षापात में अन्तराल के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

| कम | की जाने वाली कार्रवाई | हॉ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला स पाप्त फसल आच्छादन/ वषापात/ सिचित क्षत्र/ भगभ जल की समीक्षा तथा अगतर कारवाइ क लिय आदश निगत | | |
| 2 | डीजल अनदान क माध्यम स लगाय गए बिचडा/फसला का बचान हत समचित उपाय | | |
| 3 | नहरा क माध्यम स अतिम छार तक पानी पहचान की कारवाइ म तजी | | |
| 4 | टयबवला की यात्रिक एव2विद्यत दाष ठीक करना | | |
| 5 | राटशन पर गामीण क्षत्रा म सिचाइ हत विद्यत की आपति सनिश्चित | | |
| 6 | पयजल सकट स निपटन हत मानक सचालन पकिया क अनरूप कारवाइ | | |
| 7 | जिला स्तरीय बठक म नियमित समीक्षा तथा आकस्मिक याजना क अनरूप निष्पादन | | |

## मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का चेकलिस्ट

| क्रम | की जाने वाली कार्रवाई | हाँ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मानव तथा पशु संरक्षण के लिए पर्याप्त आपूर्ति | | |
| 2 | पूर्व से तैयार आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन | | |
| 3 | फसल बीमा/कृषि ऋण हेतु अपेक्षित कार्रवाई | | |
| 4 | बिजली एवं फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए डीजल अनुदान उपलब्ध कराना | | |
| 5 | वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था हेतु अपेक्षित कार्रवाई | | |
| 6 | खाद्यान्न सुरक्षा हेतु अपेक्षित कार्रवाई | | |
| 7 | पशु संरक्षण की देखभाल | | |
| 8 | कृषि एवं अन्य कार्यों जैसे पम्प, नहर योजनाएं, राजकीय नलकूप, सिंचाई योजनाएं एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना | | |
| 9 | सूचना प्रसारण एवं मीडिया के साथ समन्वय | | |

## सूखाड़ के घोषणा के पश्चात की जानवाली कारवाई का चेकलिस्ट

| क्रम | की जाने वाली कार्रवाई | हाँ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | आकस्मिक फसल योजना का स्तर पर क्रियान्वयन | | |
| 2 | कृषि इनपुट अनुदान वितरण | | |
| 3 | फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान | | |
| 4 | किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का ऋण का वितरण | | |
| 5 | बैंकों के माध्यम से कृषकों का के०सी०सी० एवं अन्य कृषि ऋण मुहैया कराना। | | |
| 6 | पशु संरक्षण की देखभाल | | |
| 7 | स्वास्थ्य सेवाएं हेतु अपेक्षित कारवाई | | |
| 8 | महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोधात्मक उपाय करना | | |
| 9 | महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल हेतु अपेक्षित कारवाई | | |
| 10 | सामाजिक सुरक्षा हेतु अपेक्षित कारवाई | | |
| 11 | मध्याह्न भोजन की व्यवस्था | | |
| 12 | रोजगार सृजन हेतु अपेक्षित कारवाई | | |
| 13 | मुफ्त सहायता वितरण | | |
| 14 | वन अभयारण्य में पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पेय जल की व्यवस्था करना | | |
| 15 | अनुश्रवण | | |
| 16 | राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र | | |
| 17 | कृत कारवाइयों का अन्तर्निरीक्षण एवं भविष्य के लिए सीख | | |

अनुलग्नक–(2) सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन :

पत्रांक–1प्रा0आ0–17 / 2011 3759 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक– 13/10/2016

विषयः– **"सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया" में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 3087 / आ0प्र0 दिनांक–19.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाए जिसके द्वारा स्वराज अभियान बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में वर्णित सुखाड़ घोषित करने के आधारों एवं कारकों को मात्र अनुशंसात्मक (Recommendatory) घोषित किये जाने के आलोक में सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के आध्याय 7 एवं 8 में सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक संशोधन किया गया था। वर्तमान में वर्षापात की स्थिति तथा विगत 10 वर्षों के आंकड़ो तथा वर्षापात के अंतराल (Periodicity of Rainfall) के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अध्याय 7 एवं 8 में पुनः संशोधन किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तदनुसार संशोधित मानक संचालन प्रकिया विभागीय Website- http://disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड कर दी गई है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथोक्त।

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

## 7. सुखाड़ घोषणा के पूर्व उसके संकेतांकों का विश्लेषण

यदि रोपनी की अवधि में बिलकुल वर्षा न हो अथवा खरीफ फसलों का आच्छादन तथा वर्षापात की स्थिति चिन्तनीय हो जाए तो सरकार द्वारा विभिन्न संकेतांकों का विश्लेषण कर प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। राज्य में खरीफ फसलों का आच्छादन प्रायः 15 अगस्त तक किया जाता है। अतएव उक्त तिथि के आस–पास आच्छादन/ वर्षापात के आंकड़ों के विश्लेषण के आलोक में आवश्यकतानुसार सुखाड़ की घोषणा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष उपस्थापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

सुखाड़ की घोषणा के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में संकेतांकों का उल्लेख किया गया है। इन संकेतांकों में निम्न चार संकेतांक प्रमुख हैं:–

- जून एवं जुलाई माह में औसत से 50% कम वर्षापात
- जुलाई–अगस्त माह में 50% से कम आच्छादन
- वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index)
- नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index)

इनके अतिरिक्त सुखाड़ प्रबंधन हस्तक में कतिपय अन्य कारकों पर विचार करने का परामर्श राज्य सरकारों को दिया गया है :–

- पशु चारे की आपूर्ति तथा सामान्य मूल्यों के सापेक्ष प्रचलित मूल्यों की तुलना
- पेय जल आपूर्ति की स्थिति
- लोक कार्यों (Public Works) में रोजगार की मांग तथा मजदूरों का रोजगार की खोज में असमान्य गतिविधि
- सामान्य स्थिति के सापेक्ष प्रचलित कृषि कार्यों एवं गैर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की तुलना
- खाद्यान्न की आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति

वर्षापात के आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, बिहार के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। बिचड़ों के डालने की स्थिति

तथा फसलों की रोपनी एवं आच्छादन के संबंध में कृषि विभाग, बिहार के द्वारा आकड़े उपलब्ध कराया जाते हैं। वानस्पतिक संकेतांक (Vegetation Index) तथा नमी पर्याप्तता संकेतांक (Moisture Adequacy Index) के आंकड़े National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System (NADAMS) instituted by National Remote Sensing Centre (NRSC) के माध्यम से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, कृषि विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा।

कृशि मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रांक–Do No.16/9/2015-DMI दिनांक–22.06.2016 सुखाड़ प्रबंधन हस्तक (Manual for Drought Management) में जो भी संकेतांक एवं आधार दिये गये हैं, वे अनुशंसात्मक हैं, राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें अंकित है कि वर्षापात, फसलों का आच्छादन, वानस्पतिक संकेतांक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक, तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण आधार हैं जिनपर सुखाड़ की घोषणा के पूर्व राज्यों को विचार करना चाहिए। परन्तु राज्य सुखाड़ से जुड़े सभी पहलुओं पर समेकित रूप से विचार करते हुए, जिसमें राज्य की स्थानीय स्थिति का आधार भी शामिल है, सुखाड़ घोषित करने संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थितियों के मद्देनजर सुखाड़ की घोषणा निम्न आधार एवं प्रकिया के अनुरूप की जाएगी :–

**I <u>सुखाड़ घोषित करने की इकाई</u>** : किसी जिले अथवा प्रखण्ड की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार सम्पूर्ण जिले अथवा प्रखण्ड में सुखाड़ घोषित करने का निर्णय ले सकती है। ज्ञातव्य हो कि स्वराज अभियान के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रखण्ड स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण कर निर्णय लेने का निदेश दिया है।

**II <u>सुखाड़ घोषित करने का आधार</u> :**

(i) <u>वर्षापात</u> : राज्य की मुख्य खरीफ फसल धान है। कतिपय जिलों में मक्के की बुआई भी बड़े भू–भाग पर की जाती है। धान की बुआई प्रायः 15 अगस्त तक किसान करते हैं। परन्तु कुछ स्थानों पर धान की बोआई अगस्त माह के अन्त तक किसानों के द्वारा किया जाता है। चूँकि राज्य में मॉनसून का आगमन 10 जून के आसपास होता है, अतएव किसान प्रायः मॉनसून के आगमन के साथ परम्परागत नक्षत्रों में खेतों में धान का बीचड़ा लगाते हैं ताकि वे, जहाँ तक संभव हो, जुलाई माह में ही रोपनी का कार्य पूरा कर लें। अतएव यदि जून से 31 अगस्त के बीच वर्षापात में 50% अथवा उससे अधिक की कमी हो तो इसे सुखाड़ का आधार बनाया जा सकता है। यह सुखाड़ की घोषणा का आधार में से एक आधार हो सकता है।

(ii) खरीफ फसलों का आच्छादन : यह देखा गया है कि राज्य में वर्षा अनियमित रूप से होती है, अर्थात् मॉनसून के आगमन के बाद कभी हफ्तों तक वर्षा नहीं होती और सहसा किसी दिन काफी वर्षा हो जाती है। मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाता। यह भी देखा गया है कि एक ही जिले के कुछ भागो में अच्छी वर्षा हो गयी एवं शेष भाग में अल्प वर्षापात हुआ है। ऐसा होने से वर्षापात का आंकड़ा जमीनी हकीकत को प्रतिबिम्बित नहीं कर पाता। अतएव सुखाड़ की घोषणा का दूसरा आधार खरीफ फसल (धान एवं मक्का) का आच्छादन माना जा सकता है। यदि खरीफ फसलों का आच्छादन 31 अगस्त तक 50% से कम हो तो इसे सुखाड़ घोषित करने का आधार माना जा सकता है।

(iii) जहाँ तक वानस्पतिक एवं नमी पर्याप्तता संकेतांक का प्रश्न है, ये संकेतांक भारत सरकार के माध्यम से कृषि विभाग को प्राप्त होने चाहिएं परन्तु देखा गया है कि ये संकेतांक यथा समय भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो पाते अतएव इन संकेतांकों पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(iv) अन्य आधार : जून से 31 अगस्त के बीच में वर्षापात में 50% अथवा उससे अधिक की कमी अथवा 31 अगस्त तक खरीफ फसल आच्छादन में 50% अथवा उससे अधिक की कमी के आधारों के साथ निम्न आधारों पर भी समेकित रूप से विचार किया जा सकता है –

(1) मॉनसून के आगमन में देरी अथवा मॉनसून के कमजोर रहने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान
(2) वर्षा की कमी के कारण भूजल एवं सतही जलस्रोतों के स्तर में कमी
(3) वर्षापात में कमी के कारण फसलों का सूखना / मुरझाना (wilting)
(4) वर्षापात की कमी के कारण धान के खेतों में नमी का कम होना
(5) मॉनसून की समय पूर्व वापसी

यदि राज्य में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून अवधि में बिलकुल ही वर्षा न हो, तो उपरोक्त संकेतांकों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती एवं राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर सुखाड़ की घोषणा करेगी।

## 8. सुखाड़ की घोषणा

दक्षिण–पश्चिमी मानसून अवधि में 31 अगस्त के बाद अध्याय 7 में उल्लिखित स्थितियों की समीक्षा एवं संकेतांकों के सम्यक विश्लेषण के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। सुखाड़ की घोषणा के संबंध मे संबंधित जिला पदाधिकारियों से उनके जिलों/प्रखण्डों में खरीफ फसलों के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेतांकों के आलोक में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलो के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेजकर जिलों/प्रखण्डों की जमीनी हकीकत का पता लगा सकती है तथा सुखाड़ घोषित करने के संबंध में उनकी अनुशंसा प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार यथानुसार सर्वदलीय बैठकों/ जिला के प्रभारी माननीय मंत्रीगण के माध्यम से भी जिलों/ प्रखण्डों की जमीनी हकीकत की सूचनाएँ प्राप्त कर सकती है एवं उन सूचनाओं पर सम्यक रूप से विचार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

प्राप्त अनुशंसाओं पर सम्यक् विचार कर आपातकालीन प्रबंधन समूह प्रभावित क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त (आपदाग्रस्त) घोषित करने के संबंध में राज्य स्तर पर अनुशंसा करेगा। तत्पश्चात् कृषि विभाग के द्वारा विधिवत प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संलेख तैयार किया जाएगा तथा इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रि परिषद) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा हेतु अधिसूचना निर्गत किया जाएगा, जिसके आलोक मे विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों एवं विभागों से प्राप्त क्षति के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरेण्डम तैयार किया जाएगा, जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। यदि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों मे क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण का समन्वय का कार्य संबंधित विभागों / जिला पदाधिकारियों के साथ भ्रमण के दौरान समन्वय का कार्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक–(3) बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया **(SOP) :**

# बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया
## STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.) FOR FLOOD MANAGEMENT

## अनुक्रमणिका


| क्र० सं० | विषय |
|---|---|
| 1. | सामान्य |
| 2. | बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा |
| 3. | बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई |
| 4. | बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई |
| 5. | परिशिष्ट<br>(I) बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'क' |
| | (II) बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाईयों का चेक लिस्ट 'ख' |

# बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया
## STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.) FOR FLOOD MANAGEMENT

### 1. सामान्य

बिहार राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। राज्य में बाढ़ का सामना करने के लिए बाढ़ के पूर्व तथा बाढ़ के दौरान की जानेवाली तैयारी एवं कार्रवाई के संबंध में कतिपय निदेश/अनुदेश/मार्गदर्शन निर्गत हैं, जिन्हें समेकित करते हुए यह मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है, जिसका अनुपालन संबंधित अभियंताओं/पदाधिकारियों के लिए आवश्यक होगा।

### 2. बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

#### 2.1 बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन हेतु संस्थात्मक ढाँचा निम्नवत् है–

जल संसाधन विभाग में मुख्यालय स्तर पर अभियंता–प्रमुख (उ०) के नेतृत्व में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग तथा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा बाढ़ प्रबंधन के अनुश्रवण की कार्रवाई की जाती है।

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए 10 मुख्य अभियंता कार्यालय, 23 अंचलीय कार्यालय एवं 65 प्रमंडलीय कार्यालय कार्यरत हैं।

## 2.2 बाढ़ प्रबंधन से सम्बद्ध राज्य/केन्द्र सरकार के अन्य विभाग

बाढ़ प्रबंधन के क्रम में निम्न विभागों एवं संगठनों से समन्वय रखा जाता है:–

### राज्य सरकार के विभाग/प्राधिकार

1. गृह विभाग
2. आपदा प्रबंधन विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. ग्रामीण कार्य विभाग
5. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
7. पर्यावरण एवं वन विभाग
8. बाढ़ प्रवण जिलों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक

### केन्द्र सरकार के विभाग/संगठन

1. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार
2. केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार
3. भारतीय मौसम विभाग, भारत सरकार

## 3.0 बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई (16 अक्टूबर से 14 जून )

3.1 राज्य मे बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु मानसून अवधि आरम्भ होने के पूर्व सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय ताकि बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। बाढ़ पूर्व तैयारियों के अन्तर्गत की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'क' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–I)। ये सभी कार्य निम्नांकित मानक बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे–

### मानक बाढ़ कैलेन्डर

| क्र० | घटनाक्रम (Events) | निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण | 17 सितम्बर से 20 सितम्बर |
| 2 | कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण | 21 सितम्बर से 23 सितम्बर |
| 3 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण<br>(क) गंडक (पी०पी०) तटबंध<br>(ख) कोशी तटबंध | <br><br>24 सितम्बर से 26 सितम्बर<br>27 सितम्बर से 30 सितम्बर |
| 4 | टी०ए०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | 01 अक्टूबर |
| 5 | टी०ए०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन | 08 अक्टूबर से 14 अक्टूबर |
| 6 | कोशी/गंडक नदी के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण<br>(क) गंडक (पी०पी०) तटबंध<br>(ख) कोशी तटबंध | <br><br>15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर<br>18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | टी०ए०सी० की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | 17 अक्टूबर |
| 8 | 12.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी०एफ०सी०सी० के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक | 18 अक्टूबर |
| 9 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | 24 अक्टूबर |
| 10 | एस०आर०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन | 25 से 29 अक्टूबर |
| 11 | बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की संभावित बैठक | 10 नवम्बर |
| 12 | **कार्यक्रम** | |
| | (क) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति | 12 नवम्बर |
| | (ख) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि | 14 नवम्बर |
| | (ग) निविदा आमंत्रण की तिथि * | 16 से 20 नवम्बर |
| | (घ) निविदा प्राप्ति की तिथि ** | 10 से 13 दिसम्बर |
| | (ड.) निविदा निष्पादन की तिथि | 28 दिसम्बर |
| | (च) कार्य आवंटन की तिथि | 31 दिसम्बर |
| | (छ) कार्य आरम्भ की तिथि | 01 जनवरी |
| | (ज) कार्य समाप्ति की तिथि | 15 मई |
| 13 | कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम | 07 जनवरी |
| 14 | बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश | 02 मई |
| 15 | कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन | 31 मई |
| 16 | बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन | 03 जून |
| 17 | बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन | 05 जून |

| स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा | | |
|---|---|---|
| 18 | विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण | 15 मार्च से 15 अप्रैल |
| 19 | विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण | 01 से 15 मई |
| 20 | विभागीय मंत्री/उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा | 01 से 15 जून |

* पुनर्निविदा के मामले में तीन दिनों के अन्दर अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा निविदा प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर निविदा निस्तार किया जाएगा।

** निविदा प्राप्ति की तिथि मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के लिए 10 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर एवं वाल्मीकिनगर के लिए 11 दिसम्बर, मुख्य अभियन्ता, वीरपुर, पूर्णिया एवं भागलपुर के लिए 12 दिसम्बर एवं अन्य सभी मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के लिए 13 दिसम्बर होगी।

## 3.2 बाढ़ मौसम के पूर्व कार्यान्वित की जानेवाली कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप का निर्धारण

बाढ़ मौसम के उपरान्त जल संसाधन विभाग द्वारा **मानक बाढ़ कैलेन्डर** के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के क्रम में कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जायेंगी :–

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षतिग्रस्त स्थलों को चिन्हित करते हुए कटाव निरोधक योजनाओं को तैयार किया जाना।

(ii) तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा योजना तैयार किया जाना।

(iii) मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति, जिसमें सम्बन्धित मुख्य अभियंता के अतिरिक्त अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता सम्मिलित रहते हैं, द्वारा कटाव निरोधक योजनाओं का स्वरूप निर्धारित कर विहित रूप में इसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

## 3.3 तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन :

मुख्य अभियंता कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा के आधार पर सूत्रित योजनाओं को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। यह समिति निम्नवत् गठित है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान | सदस्य |
| 5 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर | सदस्य |
| 6 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,पूर्णियाँ | सदस्य |
| 7 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर | सदस्य |
| 8 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर | सदस्य |
| 9 | मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना | सदस्य |
| 10 | मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 11 | मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना | सदस्य |
| 12 | निदेशक, कृषि विभाग, पटना | सदस्य |
| 13 | मुख्य वन संरक्षक, पटना | सदस्य |
| 14 | केन्द्रीय (नदी प्रबन्धन) जल आयोग–212 द्वितीय तल, दक्षिण खंड, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली का एक सदस्य | सदस्य |
| 15 | मुख्य अभियंता (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उ0 प्रदेश | सदस्य |
| 16 | मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर | सदस्य |
| 17 | मुख्य अभियंता (ब्रीज), उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी (आसाम) | सदस्य |
| 18 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 19 | अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना | सदस्य |
| 20 | अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना | सदस्य सचिव |

## 3.4 कोशी/गंडक नदी (पी०पी० तटबंध) से संबंधित योजना हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ विशेष व्यवस्था

### 3.4.1 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति :

कोशी नदी के तटबंधों एवं गंडक नदी के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध संबंधी मामलों में प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित कटाव निरोधक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। इन्हें कोशी एवं गंडक नदी के लिए पृथक–पृथक गठित उच्चस्तरीय समिति के उप–समितियों के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

ये उप–समितियाँ निम्नवत गठित है–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, बिहार | अध्यक्ष |
| 2 | गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक मनोनीत पदाधिकारी | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, प्रभारी कोशी तटबंध / प्रभारी गंडक पिपरासी–पिपराघाट तटबंध | सदस्य सचिव |

उपर्युक्त उप–समितियों के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता निम्नलिखित अभिलेखों को उप–समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे –

- ✔ नदी का रिजिम प्लान, जिसमें पूर्व के वर्षों के कटावों की स्थिति अंकित हो;
- ✔ स्थल का प्रोविंग चार्ट;
- ✔ पूर्व के वर्षों में कराये गये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का विवरण एवं फलाफल;
- ✔ पूर्व के वर्षों में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का ब्यौरा;
- ✔ निकटतम स्थल पर अवस्थित गेज स्टेशनों के गेज पठन एवं जलस्तर आँकड़े;
- ✔ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य एवं अनुमानित लागत का विवरण;
- ✔ कोई अन्य वांछित सूचना।

### 3.4.2 कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति

कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप–समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता, वीरपुर एवं सिवान क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक के पिपरासी–पिपराघाट तटबंध की सुरक्षा हेतु योजनाएँ अनुमानित लागत के साथ बनाकर कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। ये समितियाँ निम्नवत् गठित हैं :–

#### कोशी उच्चस्तरीय समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक, शोध संस्थान, पूणे अथवा उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | केन्द्रीय (बाढ़) जल आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य/उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 5 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा | सदस्य |
| 6 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 7 | मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना | सदस्य |
| 8 | निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, विराटनगर, नेपाल | सदस्य |
| 9 | उप–महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, काठमांडू | सदस्य |
| 10 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर | सदस्य सचिव |

#### गंडक उच्चस्तरीय समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना | सदस्य |
| 3 | अभियंता प्रमुख, डी.एण्ड पी., सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, सिंचाई भवन, कैनाल कॉलौनी, लखनऊ–226001 | सदस्य |
| 4 | निदेशक, केन्द्रीय जल व उर्जा अनुसंधान स्टेशन, पो०– खड़कवासला, पूणे–411024 | सदस्य |
| 5 | मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 6 | निदेशक, सिंचाई शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, रूड़की | सदस्य |
| 7 | निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | सदस्य सचिव |

कोशी एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति क्रमशः कोशी तटबंध एवं गंडक (पिपरासी–पिपराघाट) तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करते हुए संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा समर्पित योजना का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा करेगी।

### 3.5 योजना समीक्षा समिति (एस०आर०सी०) के समक्ष बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का उपस्थापन

तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में मुख्य अभियंता द्वारा योजना प्राक्कलन तैयार कर विभागीय योजना समीक्षा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। विभागीय योजना समीक्षा समिति निम्नवत् गठित है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| 2 | गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक सदस्य (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 4 | मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना–सह–अध्यक्ष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति | सदस्य |

### 3.5.1 योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पण

योजना समीक्षा समिति, तकनीकी सलाहकार समिति/उच्चस्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आवश्यक योजनाओं का चयन उपलब्ध निधि सीमा के अन्तर्गत करेगी। योजनाओं की समीक्षा एवं उनका चयन करते समय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा निर्धारित निम्नांकित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जायेगा :–

**प्रथम प्राथमिकता–** तटबंधों एवं निकृष्ट तटबंधों की सुरक्षा।

**द्वितीय प्राथमिकता–** बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ, बड़े–बड़े शहरों एवं पुरानी घनी आबादी वाले बस्तियों की सुरक्षा।

**तृतीय प्राथमिकता–** कृषि योग्य भूमि एवं विद्यारा क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य।

### 3.6 बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण

योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं के आधार पर विभाग एक कार्यावली तैयार करेगा, जिसमें बाढ़ प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय तथा 30.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सम्मिलित रहेगा। विभाग यह कार्यावली बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेगा। यह पर्षद् निम्नवत् गठित है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य मंत्री, बिहार | अध्यक्ष |
| 2 | वित्त मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 3 | जल संसाधन मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 4 | योजना मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 5 | राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 6 | मुख्य सचिव, बिहार | सदस्य |
| 7 | प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार | सदस्य |
| 8 | विकास आयुक्त, बिहार | सदस्य |
| 9 | अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना | सदस्य |
| 10 | अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | सदस्य |
| 11 | मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर | सदस्य |
| 12 | मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर | सदस्य |
| 13 | प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार | सदस्य सचिव |

### 3.7 अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया

अनुशंसित योजनाओं में सामान्यतः रू० 12.50 करोड़ तक लागत राशि वाली योजनाएँ राज्य सरकार के निधि–स्रोत से कार्यान्वित की जाती है एवं रू० 12.50 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाएँ भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर कार्यान्वित की जाती है। इसकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् हैं :–

### 3.7.1 योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–

| क्र० | योजना की राशि | स्वीकृति प्राधिकार |
|---|---|---|
| (i) | रू० 2.50 करोड़ तक की योजना | विभागीय सचिव |
| (ii) | रू० 2.50 करोड़ से रू० 10.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय मंत्री |
| (iii) | रू० 10.00 करोड़ से रू० 20.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री |
| (iv) | रू० 20.00 करोड़ से अधिक की योजना | मंत्रिपरिषद् |

### 3.7.2 गैर योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृति प्राधिकार :–

| क्र० | योजना की राशि | स्वीकृति प्राधिकार |
|---|---|---|
| (i) | रू० 1.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय सचिव |
| (ii) | रू० 5.00 करोड़ तक की योजना | विभागीय मंत्री |
| (iii) | रू० 5.00 करोड़ से अधिक की योजना | मंत्रिपरिषद् |

### 3.7.3 केन्द्र सम्पोषित योजनाओं का वर्गीकरण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:–

योजनाओं की प्रकृति एवं लागत राशि के अनुसार केन्द्रीय स्रोत से निधि प्राप्ति की निम्नांकित व्यवस्था है :–

(क) केन्द्रांश : राज्यांश – (75 : 25)

(ख) केन्द्रांश : राज्यांश – (90 : 10)

(ग) केन्द्रांश – (100%)

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 12.50 करोड़ से उपर की योजनाओं को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित की जाती है। इनमें से रू० 25.00 करोड़ तक की लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के स्तर से किया जाता है एवं रू० 25.00 करोड़ से अधिक लागत राशि वाली योजनाओं का टेक्नीकल एप्रेजल जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार के स्तर से विनिवेश की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति की जाती है। नये कार्यों के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 रहता है जबकि क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्स्थापन के मामले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 रहता है।

''सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य कलाप'' (River Management Activities & Works related to Border Areas – RMAWBA) शीर्ष के अन्तर्गत कोशी उच्चस्तरीय समिति एवं गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित योजनाओं को लिया जाता है। इस शीर्ष के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य विहित अभिलेख के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा केन्द्र सरकार को समर्पित किया जाता है।

### 3.8 कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का प्रबोधन

बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति के प्रबोधन हेतु विभाग द्वारा मुख्य अभियंता प्रमंडवार विशेष जाँच दलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा–निवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

### 3.9 कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रगति की समीक्षा

मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्य की प्रगति का एजेण्डावार साप्ताहिक प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित किया जायेगा जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से की जायेगी।

## 4.0 बाढ़ अवधि के दौरान तैयारी एवं कार्रवाई (15 जून से 15 अक्टूबर)

4.1 राज्य में बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सुव्यवस्थित ढंग से सामना करने हेतु बाढ़ अवधि में की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'ख' में उल्लिखित है (परिशिष्ट–II)।

4.2 प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व बाढ़ से संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन स्थलों का निरीक्षण कर तटबंधों के दरार, कटाव, क्षरण, चूहा एवं अन्य जानवरों से निर्मित छिद्र, रेन कट्स, पॉट होल्स एवं अन्य क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मती 31 मई के पूर्व निश्चित रूप से करा लेंगे। इस कार्य को अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

## 4.3 संभावित आक्राम्य स्थलों की सूची

4.3.1 पिछले दिनों में नदी के रिजिम में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की अद्यतन स्थिति के समीक्षोपरान्त यदि कोई नया आक्राम्य स्थल परिलक्षित हो रहा हो तो इसकी सूची कार्यपालक अभियंता 15 मई से 22 मई के बीच स्थल निरीक्षण कर अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे।

तत्पश्चात् जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ 23 मई से 25 मई के बीच संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं यदि कुछ नये आक्राम्य स्थल परिलक्षित होंगे तो तदनुसार उपर्युक्त सूची को संशोधित कर लिया जायेगा।

मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता के साथ 26 मई से 31 मई के बीच इन आक्राम्य स्थलों का निरीक्षण करेगें एवं यदि आवश्यक हो तो मुख्य अभियंता अपने स्तर से समीक्षा करते हुए अन्तिम सूची तैयार करेंगे और इसे 1 जून तक विभाग में समर्पित करेंगे।

4.3.2 मुख्य अभियंता की यह भी जिम्मेवारी होगी कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तटबंधों की गश्ती के संबंध में विभागीय स्तर से निर्गत सभी परिपत्रों को समेकित करते हुए तथा उपर्युक्त आक्राम्य स्थलों की सूची के साथ सभी अभियंताओं का कार्यक्षेत्र अंकित करते हुए बाढ़ अवधि के लिए **''बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका''** निर्गत करेंगे। इस बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका को मुख्य अभियंता जून के प्रथम सप्ताह में विभाग तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

## 4.4 तटबंध सुरक्षा की जिम्मेवारी

- कनीय अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ प्रबंधन निर्देशिका के प्रावधान के तहत प्रत्येक दिन चार बार तटबंधों/संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे। कनीय अभियंता का बाढ़ अवधि के दौरान मुख्यालय उनके परिक्षेत्राधीन पड़ने वाले तटबंध के अतिसंवेदनशील स्थल पर अस्थायी निर्मित कैम्प कार्यालय रहेगा। कनीय अभियंता मोटर साईकिल से गश्ती करेंगे एवं इस गश्ती हेतु कनीय अभियंता को प्रतिदिन दो लीटर पेट्रोल अनुमान्य रहेगा। सूचनाओं का आदान–प्रदान कनीय अभियंता VPN/CUG मोबाईल के माध्यम से करेंगे। स्थल की संवेदनशीलता के संबंध में किसी भी स्रोत से सूचना मिलने पर कनीय अभियंता आधा घंटा के अन्दर उस स्थल पर पहुँचकर बाँध की स्थिति से तत्काल सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को अवगत करायेंगे एवं सुरक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर देंगे। कनीय अभियंता अपने कार्य क्षेत्राधीन सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर स्थल पंजी, गेज पंजी, क्रेट लेईंग रजिस्टर, साउन्डिंग रजिस्टर एवं भंडार पंजी संधारित करेंगे।
- बाढ़ अवधि के दौरान सहायक अभियंता का मुख्यालय अधीनस्थ तटबंध के सर्वाधिक संवेदनशील स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय होगा। बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक सहायक अभियंता को एक निरीक्षण वाहन उपलब्ध रहेगा। कनीय अभियंता अथवा किसी भी माध्यम से किसी स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही वे एक घंटा के अन्दर स्थल पर पहुँचकर, स्थिति से तत्काल कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत कराते हुए सुरक्षा की कार्रवाई को सम्पुष्ट करेगें। सहायक अभियंता कार्य से संबंधित सभी पंजियों को जाँच कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं अन्य किसी भी स्रोत से स्थल की संवेदनशीलता की जानकारी होते ही दो घंटे के भीतर कार्यपालक अभियंता स्थल पर पहुँचकर इसकी सुरक्षा हेतु वांछित कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करेंगे एवं इस संबंध में अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल को सूचित करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों के अलावा कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को तत्काल इसकी सूचना देंगे एवं अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करेंगे। बाँध में यदि जान–बूझकर क्षति (sabotage) पहुँचाने की आशंका हो तो तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंगे। आवश्यकतानुसार जनसहयोग के लिए जन–प्रतिनिधियों को भी सूचित करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 8.00 बजे पिछले चौबीस घंटे का खैरियत प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों तथा संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देंगे। इसके अतिरिक्त स्थलवार कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के परिमाण एवं राशि विहित प्रपत्र में, नदी का गेज पठन एवं जलश्राव की सूचना मुख्यालय को दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कार्यपालक अभियंता का यह दायित्व होगा कि आपातकालीन कार्य हेतु सूचीबद्ध संवेदकों में से किसी एक को नामांकित कर कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

- अधीक्षण अभियंता स्थल की संवेदनशीलता की सूचना प्राप्त होते ही तीन घंटे के अन्दर स्थल पर पहुँचकर सुरक्षात्मक कार्य की प्रगति से संतुष्ट होते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे एवं मोबाईल/बेतार संवाद द्वारा मुख्य अभियंता तथा विभाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

  कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की राशि जब अधीक्षण अभियंता को नामांकन की प्रदत्त शक्ति से अधिक हो जाय तो कार्य में लागत की वृद्धि एवं इसके औचित्य की सूचना अविलम्ब मुख्य अभियंता/विभाग को देते हुए इसपर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अभियंता प्रमुख (उ०) की यह जिम्मेवारी होगी कि चौबीस घंटे के भीतर नामांकन प्रस्ताव गुण–दोष के आधार पर स्वीकृत कर इसकी सूचना मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को दें।

- मुख्य अभियंता स्थल के संवेदनशीलता के बारे में सूचना पाने के चार घंटे के अन्दर अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल के साथ स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक निदेश देंगे।

  मुख्य अभियंता स्थल पर आवश्यकतानुसार स्थल को अतिसंवेदनशील अथवा संवेदनशील घोषित करते हुए परिक्षेत्राधीन गठित विशेष दल के सदस्यों को प्रतिनियुक्त करेंगे।यदि स्थिति अधिक संवेदनशील हो तो वहाँ पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना करायेंगे एवं एक आत्मभारित प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब भेजते हुए आवश्यकतानुसार मोबाईल से भी सूचना देंगे।

  मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से तटबंधों का खैरियत प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। मुख्य अभियंता दैनिक खैरियत प्रतिवेदन, साप्ताहिक सामग्री से संबंधित प्रतिवेदन तथा पाक्षिक प्रपत्र–24 मुख्यालय में समर्पित करेगें एवं आकस्मिक परिस्थिति में अद्यतन स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग एवं अभियंता प्रमुख (उत्तर) को तुरन्त अवगत करायेंगे।

- जब नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से उपर रहे या तटबंध के टो में नदी का पानी सट जाय तो कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक रात–दिन तटबंधों की गश्ती करेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित श्रमिकों को तटबंध के गश्ती में प्रतिनियुक्त करेंगे।

- सभी स्परों/आक्राम्य स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मजदूर रखने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।

- तटबंधों पर गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में गृह–रक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक कि०मी० पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। गृह–रक्षकों की गश्ती बीट–वार की जायेगी।

- गृह–रक्षकों का मुख्यालय तटबंध के उस प्रभाग के प्रभारी कनीय अभियंता का मुख्यालय रहेगा, जहाँ वे कनीय अभियंता को गश्ती के दौरान प्राप्त सूचनाओं को देंगे। इन सूचनाओं का कनीय अभियंता द्वारा एक पंजी में संधारण किया जायेगा। कनीय अभियंता गृह–रक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी सहायक अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को देंगे। कार्यपालक अभियंता अनुपस्थिति की सूचना जिला समादेष्टा, गृह–रक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

## 4.5 संवेदनशील स्थलों का वर्गीकरण

स्थल की संवेदनशीलता के अनुसार संवेदनशील स्थलों को निम्नांकित दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा:–

(क) अतिसंवेदशील स्थल

(ख) संवेदनशील स्थल

### 4.5.1 अतिसंवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर नदी का कटाव संरचना/तटबंध के टो अथवा स्लोप पर आरंभ हो गया हो जिससे संरचना/तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो।
- मुख्य अभियंता अतिसंवेदशील स्थल पर विशेष दल, जिसमें प्रत्येक पाली के लिए एक कार्यपालक अभियंता एवं दो सहायक अभियंता/कनीय अभियंता होगें, को प्रतिनियुक्त करेंगे। यह विशेष दल अधीक्षण अभियंता के समग्र निर्देशन में कार्य करेगा। तीन दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

### 4.5.2 संवेदनशील स्थल

- इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर यह महसूस हो कि संरचना/तटबंध से नदी कुछ दूरी पर है, परन्तु इसकी कटाव की तीव्रता इस प्रकार की है कि यदि इसे अविलम्ब नहीं रोका गया तो यह संरचना/तटबंध के निकट शीघ्र पहुँच कर स्थिति को गंभीर बना सकती है।
- मुख्य अभियंता संवेदनशील स्थल पर आवश्यकतानुसार विशेष दल को प्रतिनियुक्त करेंगे। लगातार सात दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम अविलम्ब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेगी।

## 4.6 बाढ़ नियंत्रण आदेश का निर्गमन

बाढ़ अवधि में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के निराकरण हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से **"बाढ़ नियंत्रण आदेश"** निर्गत किया जायेगा, जो सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधितों को प्रेषित होगा।

## 4.7 बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन

बाढ़ के दौरान आक्रामकता की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँचकर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का स्वरूप निर्धारण कर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परामर्श देने के निमित्त नदी बेसिनवार बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष अनुभवी सेवा निवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता होंगे।

## 4.8 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का गठन

- जून की 15 तारीख से मुख्यालय स्थित सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग कार्य करना आरंभ कर देगा जो रात–दिन 31 अक्टूबर तक कार्यरत रहेगा। ये तिथियाँ किसी आपात बाढ़ स्थिति के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती हैं। मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना इस बाढ़ नियंत्रण कोषांग पर अपना सीधा नियंत्रण रखेंगे और अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग इस कोषांग के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। उन्हें यह प्राधिकार होगा कि वे बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में किसी भी दूसरे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता से कर्मचारी, वाहन तथा मशीनरी आदि की माँग कर सकें।
- क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के ही सदृश संबंधित अभियंताओं द्वारा मार्ग–निर्देश तैयार किये जायेंगे।

### 4.8.1 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना का कार्य

- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में कार्य किया जायेगा।
- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा क्षेत्रीय अभियंताओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर सारांश प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक दिन दो बार अर्थात् 10.00 बजे सुबह एवं 5.00 बजे संध्या अभियंता प्रमुख (उत्तर), प्रधान सचिव के आप्त सचिव एवं माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को उपस्थापित किया जायेगा।
- पाली प्रभारी अपने पाली में क्षेत्रीय कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक से उनके VPN/CUG मोबाईल पर सम्पर्क करेंगे तथा उनके लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को प्रत्येक दिन उपलब्ध करायेंगे।
- स्थलवार कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के परिमाण एवं राशि का व्यौरा दैनिक रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्यालय में भेजा जायेगा। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के स्तर पर संबंधित मोनिटर द्वारा इसका संकलन कर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग के स्तर से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अभियंता प्रमुख (उ०)/प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

### 4.8.2 मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन

विभागीय मुख्यालय में छः विशेष दल का गठन किया जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थल विशेष पर भेजा जायेगा। इस विशेष दल में एक अधीक्षण अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता एवं एक सहायक अभियंता सम्मिलित रहेंगे। स्थल निरीक्षण हेतु इस विशेष दल को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

### 4.9 क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन

क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ से संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार अतिसंवेदनशील स्थल पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा, जो चौबीसो घंटे कार्यरत रहेगा।

### 4.10 सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/वी.पी.एन. मोबाईल सेटों को क्रियाशील रखना

- कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा सूचनाओं के द्रुत गति से आदान प्रदान करने हेतु उन्हें उपलब्ध कराए गए VPN/CUG मोबाईल को क्रियाशील रखा जाएगा।
- बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिए सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा।
- बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी। वायरलेस सेट 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। आवश्यकतानुसार पुलिस वायरलेस सेट का भी उपयोग किया जायेगा।
- सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित दूरभाष/फैक्स/ई–मेल सुविधा का उपयोग किया जायेगा।

### 4.11 बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्राम्य स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई

- प्रत्येक वर्ष 15 जून तक बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण आक्राम्य स्थलों पर एवं केन्द्रीय भण्डार में कर लिया जायेगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की आवश्यकताओं की सूचना 15 जनवरी तक अधीक्षण अभियंता को देंगे जो उसकी सम्यक् जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता को 22 जनवरी तक भेजेंगे। मुख्य अभियंता अपने पूरे परिक्षेत्र में सामग्रियों की आवश्यकता की

समीक्षा कर उनकी प्राप्ति एवं संचयन के लिए अधियाचना विभाग में 31 जनवरी तक समर्पित करेंगे। विभाग में इसकी समीक्षा कर क्रयादेश की कार्रवाई तत्काल की जायेगी।

- कार्यपालक अभियंता भंडार स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की प्राप्ति, निर्गमन तथा अवशेष का सही लेखा–जोखा रखे जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जाँच पदाधिकारी जब चाहें उसकी सम्यक् जाँच कर इनकी पर्याप्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट हो सके।

## 4.12 आक्रामय स्थलों पर कैम्प/आवश्यक व्यवस्था

- बाढ़ अवधि में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति में झोपड़ीनुमा कैम्प कार्यालय कार्यरत होगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएँ यथा– पेयजल, शौचालय, रात्रि में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों के आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

## 4.13 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से जिलावार समिति का गठन

- तटबंध तथा उनके आक्रामय स्थलों की सुरक्षा एवं गश्ती के निमित्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करने हेतु जिला में एक समिति निम्नवत् गठित किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला पदाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3 | कार्यपालक अभियंता (बाढ़ नियंत्रण कार्यों से संबंधित) | सदस्य |
| 4 | आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित जिलास्तर के एक पदाधिकारी | सदस्य |

- बाढ़ संबंधी कार्य के लिए व्यवहृत निरीक्षण वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए अधियाचित नहीं किया जायेगा।

- जिला पदाधिकारी, आपात स्थिति में मजदूरों तथा सामग्रियों को आपात विन्दुओं पर पहुँचाने में त्वरित सहयोग करते हुए ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

- यह पाया गया है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में यदा कदा असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है जो कार्य की प्रगति को बाधित भी करता है। संबंधित जिला पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय तकनीकी पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें तथा गतिरोधों को तत्परतापूर्वक दूर करें, ताकि कार्य की प्रगति बनायी रखी जा सके। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जाँच कर रहे विशेष जाँच दलों को भी, उनके द्वारा मांगे जाने पर वे आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे।

- जब किसी तटबंध की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाय तो मुख्य अभियंता तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता स्तर तक के पदाधिकारी, स्थिति की सूचना तुरंत जिला पदाधिकारी को देंगे तथा इस स्थिति से केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग पटना को भी अवगत करायेंगे जिसमें इस आशय का भी उल्लेख होगा कि संभावित टूटान से कितने क्षेत्र प्रभावित होंगे।

- उपर्युक्त सूचना के आधार पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC), पटना इनन्डेशन मैप तैयार करेगा।

- जिला पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उपर्युक्त मैप के आधार पर संभावित क्षेत्र के आम जनता के बीच बाढ़ चेतावनी निर्गत कर देंगे तथा संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वालों के लिए साहाय्य की व्यवस्था एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

- साहाय्य एवं सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के कार्यों का संचालन आपदा प्रबंधन विभाग करेगा।

- अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर हो जाय, तब सैन्य सहायता की अधियाचना की जायेगी। स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा ऐसी सहायता की मांग राज्य के गृह विभाग से परामर्श करने के बाद ही की जायेगी।

## 4.14 सूचनाओं का प्रसारण

- बाढ़ से संबंधित सूचनायें निम्नलिखित वेब साईटों पर उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, क्षेत्रीय स्तर पर गठित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इनका उपयोग किया जायेगाः–
- Meteorological Forecasting Division, Govt. of Nepal
  http://www.mfd.gov.np
- Central water Commission
  http://www.india-water.com
- Water Resources Department, Govt. of Bihar
  http://wrd.bih.nic.in
- India Meteorological Department
  http://www.imd.gov.in and www.mousam.gov.in
- Disaster Management Department, Govt. of Bihar
  http://disastermagmt.bih.nic.in
- Ganga Flood Control Commission, Patna, Ministry of Water Resources, Govt. of India
  http://gfcc.bih.nic.in
- National Informatics Centre-Weather Resource System for India
  http://weather.nic.in
- Weather forecast for Nepal
  http://www.mfd.gov.np
- Weather forecast for Bihar from Yahoo
  http://weather.yahoo.com/India/bihar-2274908
- Flood Management Improvement Support Centre, Bihar
  http://www.fmis.bih.nic.in

## 4.15 बाढ़ अवधि के दौरान आपात् स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जानेवाली कार्रवाई

- तटबंधों की देखभाल तथा सुरक्षा के समय यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाय तो जिला पदाधिकारी अविलम्ब इसके लिए कार्रवाई करेंगे।
- जिला पदाधिकारी संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थलों का बार–बार निरीक्षण करेंगे, ताकि तटबंधों की सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाईयों पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस कार्य में पुलिस अधीक्षक को भी विश्वास में रखा जायेगा ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था पर काबू पाने तथा गश्ती के लिए आवश्यक सशस्त्र बलों का आकलन संयुक्त रूप से किया जा सके।
- जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी तटबंधों और इनके ढालों पर अतिक्रमण न रहे।

## 4.16 तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई

- कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की देख–रेख में टूटान बिन्दु के दोनों कट–इन्ड को होल्ड करने एवं ब्रीच को क्लोज करने की कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ कर देंगे।
- सूचना मिलने पर जिला पदाधिकारी अविलंब स्थल का निरीक्षण करेंगे एवं स्थिति के संबंध में अपना आकलन आपदा प्रबंधन विभाग को द्रुततम संचार माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- ब्रीच क्लोजर के समय स्थल पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जायेगी एवं मरम्मती की देख–भाल वरीय अभियंताओं के अतिरिक्त जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी करेंगे।

- टूटान/कटान की मरम्मती से संबंधित प्रगति की जानकारी संबंधित वर्गपालक अभियंता नियमित रूप से विभाग तथा जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

### 4.17 सूचना/मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई

बाढ़ अवधि में आवश्यक सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए रेडियो, टी०वी० एवं प्रिन्ट मीडिया जैसे संचार माध्यमों का उपयोग किया जायेगा एवं जनता को सही तथ्यों की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय स्तर पर जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को सूचना दी जायेगी।

परिशिष्ट–I

## बाढ़ उपरान्त एवं आगामी बाढ़ के पूर्व की जानेवाली कार्रवाइयों का चेकलिस्ट 'क'

| क्र०सं० | की जानेवाली कार्रवाई | हाँ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण | | |
| 2 | आगामी बाढ़ पूर्व कराये जानेवाले कटाव निरोधक योजनाओं के स्वरूप निर्धारण हेतु आक्रामय स्थलों का समिति द्वारा निरीक्षण | | |
| 3 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप समिति का स्थल निरीक्षण | | |
| 4 | तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन | | |
| 5 | तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक एवं अनुशंसा | | |
| 6 | कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति का स्थल निरीक्षण | | |
| 7 | तकनीकी सलाहकार समिति एवं कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति से अनुशंसित योजनाओं का योजना समीक्षा समिति (एस.आर.सी.) के समक्ष उपस्थापन | | |
| 8 | योजना समीक्षा समिति की बैठक एवं अनुशंसा | | |
| 9 | बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण | | |
| 10 | अनुशंसित कटाव निरोधक योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति | | |
| 11 | स्वीकृत कटाव निरोधक योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रण/निष्पादन | | |
| 12 | कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर निगरानी रखते हुए विशेष जॉच दलों का गठन | | |
| 13 | मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण | | |
| 14 | मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के पूर्ण होने संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण | | |

परिशिष्ट–II

# बाढ़ अवधि के दौरान बाँधों का अनुरक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु की जानेवाली कार्रवाइयों का

## चेकलिस्ट 'ख'

| क्र०सं० | की जानेवाली कार्रवाई | हाँ | नहीं |
|---|---|---|---|
| 1 | तटबंधों के दुर्बल स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई | | |
| 2 | जिला प्रशासन के साथ तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण | | |
| 3 | संभावित आक्रान्त/संवेदनशील स्थलों की पहचान कर सूची का विभाग में प्रेषण | | |
| 4 | बाढ़ नियंत्रण आदेश का प्रकाशन | | |
| 5 | बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का आक्रान्त स्थल/अन्य स्थल/केन्द्रीय भंडार में भंडारण की कार्रवाई | | |
| 6 | आक्रान्त स्थलों पर क्रैश/आवश्यक व्यवस्था | | |
| 7 | बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से होमगार्ड/सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति | | |
| 8 | बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन | | |
| 9 | बाढ़ प्रबन्धन निर्देशिका का प्रकाशन | | |
| 10 | केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग का अधिष्ठापन | | |
| 11 | क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन | | |
| 12 | आक्रान्त स्थलों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन | | |
| 13 | सूचनाओं के संप्रेषण हेतु बेतार संयंत्रों/भी.पी.एन. मोबाईल सेटों का अधिष्ठापन एवं क्रियाशील रखना | | |
| 14 | तटबंध सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना | | |
| 15 | सूचनाओं/प्रतिवेदनों के प्रकाशन एवं प्रसारण की व्यवस्था | | |
| 16 | बाढ़ अवधि में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त करना | | |
| 17 | तटबंध टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाई करना | | |
| 18 | सूचना/मिडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई | | |

अनुलग्नक–(4) अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP) :

फैक्स/ई–मेल

अत्यावश्यक

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24/2006/ 1061/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8/3/16

विषयः **अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।**

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 818/आ0प्र0, दिनांक 04.03.2015 का उल्लेख करें जिसके अनुसार अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित की गयी थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (SEOC) दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ, बिहार के पत्रांक--1042 दिनांक--02.03.2016 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौंपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ ही उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सकें, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :–

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी–सिगरेट पीकर इधर–उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें–क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015–2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी

बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं है, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय वेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

**अनु0– यथा उपर्युक्त।**

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

**अनुलग्नक–(5) पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP) :**

**नोडल विभाग :** मानव पेयजल प्रबंधन का मुख्य कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मवेशियों के लिए पेयजल प्रबंधन का उतरदायी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। परंतु पेयजल संकट के गंभीर हो जाने की दशा में संकट प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

**राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन :** पेयजल संकट प्रबंधन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की अहम भूमिका होती है। सभी विभाग अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका का निवर्हन करेंगे। जिन विभागों/संगठनों की पेयजल संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वे हैं

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- लघु जल संसाधन विभाग
- नगर विकास विभाग
- उर्जा विभाग
- बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी
- संबंधित नगर निकाय

**राज्य स्तर पर गठित :** आपातकालीन प्रबंधन समूह पेयजल संकट की तीव्रता को देखते हुए समय–समय पर बैठके आयोजित करेगा तथा संकट से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की आकस्मिक योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा लिये गये निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे। आपातकालीन प्रबंधन समूह में मुख्य सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा संगठन को आमंत्रित किया जा सकेगा।

**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :** आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है। उक्त प्राधिकार पेयजल संकट प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। पेयजल संकट प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण (कमांड एवं कन्ट्रोल) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति/आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं सरकार की नीति, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करेंगे। वे घटना कमांडर (Incident Commander) के रूप में करेंगे तथा आवश्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को जिले के किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी सौप सकेंगे। पेयजल संकट से जुड़े हुए विभागों के जिला स्तरीय तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के जिला पदस्थापित पदाधिकारी घटना कमांडर के निर्देशानुसार पेयजल संकट प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर के नीचे की तमाम प्रशासनिक ईकाईयाँ, यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन के लिए घटना कमांडर के पर्यवेक्षक एवं दिशा निर्देशन में संबंधित विभागों के कार्यों का समन्वय करेगी।

**विभागीय नोडल पदाधिकारी :** सभी विभाग पेयजल संकट प्रबंधन के लिए किसी वरीय विभागीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेगा। नोडल पदाधिकारी आपातकालीन प्रबंधन समूह तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुपालन तथा पेयजल संकट से निटपने हेतु विभागीय आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वयक का कार्य करेगा।

**पेयजल संकट की पहचान :** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय मापदंड के अनुसार भूजल स्तर की माप समय–समय पर की जाएगी। यदि यह ज्ञात होता है कि भू–जल का सामान्य स्तर गत वर्ष की तुलना में नीचे जा रहा हो, चापाकलों से पानी आहरित करने में दिक्कत आ रही हो अथवा चापाकल बेकार हो रहे हो एवं कुआँ–आहर–तालाब सूख रहे हो, तो उक्त विभाग संबंधित जिला पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन विभाग को ससमय सूचित करेंगे। इस विभागों से यह अपेक्षा की जायगी कि वे यथानुसार भू–जल स्तर का सतत् अनुश्रवण करेगे ताकि पेयजल संकट से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाईयाँ समय पर सुनिश्चित की जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट की सूचना प्राप्त होते ही उसे मुख्य सचिव एवं यथानुसार आपदा प्रबंधन समूह के अभिज्ञान में लाया जायेगा ताकि संकट से निपटने के लिए ससमय आवश्यक तैयारियाँ की जा

सकें। आपदा प्रबंधन समूह यथानुसार जल संकट प्रबंधन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

**आकस्मिक योजना का सूत्रण :** पेयजल संकट की संभावना नजर आते ही संबंधित जिलों में मानव तथा पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने की लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जायेगा। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियताओं तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होगी जो विभागीय अनुदेशों एवं जिला पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। इस कार्य में लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य पावर होल्डिग कंपनी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। आकस्मिक योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्न तत्वों का समावेश रहेगा :

- पारंपरिक जल स्त्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार उनकी सफाई/गहरीकरण की योजना। पारंपरिक जल स्त्रोतों से अभिप्रेत है, वे जल स्त्रोत जो मानव एवं पशुओं की प्यास बुझाने के काम आते हैं, जैसे कुआँ, तालाब, आहर इत्यादि।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों/निकायों द्वारा गाड़े गये चापाकलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा अकार्यरत चापाकलों की विशेष/साधारण मरम्मति की योजना।
- नए चापाकलों के गाड़ने की चालू एवं आकस्मिक योजना।
- लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक दोष/विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना। इस योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने विभागीय अनुदेशों के अधीन किया जाएगा। परंतु यह योजना भी जिला आकस्मिक योजना के अविभाज्य अंग के रूप में रहेगी।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक/विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना।
- उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ पेयजल संकट है अथवा जहाँ पेयजल संकट होने की संभावना है।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। अतएव जलापूर्ति करने हेतु जल स्त्रोतों एवं रास्तों की पहचान की जाएगी। जल स्त्रोतों के रूप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति संयंत्रों एवं लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की पहचान की जाएगी। ऐसे जल स्त्रोतों की पहचान की जायगी जहाँ से पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों की दूरी न्यूनतम हो।
- आवश्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जलापूर्ति की जाएगी।
- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करने हेतु रूट चार्ट।
- जलापूर्ति हेतु टैंकरों तथा ट्रैक्टरों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था। इस हेतु नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या अन्य विभाग के टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। अधिक टैंकरों की जरूरत पड़ने पर यथानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस हेतु दर का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। आवश्यक होने पर विभाग द्वारा दर निर्धारण किया जा सकेगा।
- अगर टैंकरों की कमी हो तो सिन्टेक्स जैसी टंकियों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।
- ट्रैक्टर के साथ–साथ आवश्यकतानुसार बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि का उपयोग भी टैंकरों/टंकियों के माध्यम से जल पहुँचाने के कार्य में किया जा सकता है। अतएव स्थानीय संसाधनों की पहचान कर लेनी होगी।
- बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों से जल की लिफ्टींग हेतु डी॰जी॰ सेट की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार इसके भाड़े का निर्धारण।
- प्रंखड स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन गैंगमैन की टीमों का गठन तथा टीमों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण । स्थानीय गैंगमैन की कमी की स्थिति में संविदा/आउटसोर्सिग के आधार पर गैंगमैनों की व्यवस्था।
- आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था ताकि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके।
- पशु शिविरों के लिए उचित स्थलों की पहचान। इस बात का विशेष ध्यान दिया जायगा कि पशु शिविर यथा संभव जल स्त्रोतों के पास हो।

- नगरीय क्षेत्रो के लिए नगर विकास विभाग के अनुदेशों के अनुसार पेय जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। यह योजना भी जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश में नगर निकायों के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

**अन्य संबंधित विभागों द्वारा पूर्व तैयारियाँ :**

- **लघु जल संसाधन विभाग :** यह विभाग पेय जल संकट की सूचना प्राप्त होते ही अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही भूजल रिचार्ज की विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नलकूपों की स्थिति की सघन एवं नियमित समीक्षा प्रारंभ करेगा। विभाग का दायित्व होगा कि वह अधिकाधिक नलकूपों को कार्यरत बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए।
- **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग :** यह विभाग पशुओं के समक्ष उत्पन्न होने वाले पेय जल एवं चारा संकट की सतत निगरानी करेगा। पेय जल एवं चारा संकट की सूचना मिलते ही यह अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही पशु शिविरों हेतु आकस्मिक योजना सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु यह विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। आकस्मिक योजना में निम्नांकित बिन्दु अवश्य शामिल किए जाऐंगे :
    - पशु शिविरों हेतु स्थल चयन (स्थल ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ जल की पर्याप्त व्यवस्था असानी से हो सके। जैसे– लघु जल संसाधन विभाग के चालू नलकूप के समीप का स्थल।
    - पशुओं को पशु शिविरों में पहचाने की व्यवस्था।
    - पशु शिविर के अंतर्गत अस्थायी शेड का निर्माण।
    - पीने का पानी एवं नाद की व्यवस्था।
    - पशु चारा की व्यवस्था।
    - बीमार पशु के इलाज के लिए दवा की व्यवस्था।
    - पशुपालकों एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था।
    - मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था।
- **बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी :** जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु सभी आवश्यक कदम ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए कंपनी द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय कर आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जाएगा।
- **नगर विकास विभाग :** यह विभाग नगर निकायों में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही पेय जल संकट की आहट मिलते ही संबंधित नगर निकायों को विभाग द्वारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

**जिला टास्क फोर्स का गठन :** जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी। टास्क फोर्स में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन तथा लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। यथानुसार उक्त टास्क फोर्स में संबंधित नगर निकायों के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा।

**जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी :** जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर पर जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा जो पेय जल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो अपने–अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।

**जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना :** जिला स्तर पर संकट की सतत् निगरानी की जाएगी तथा जल संकट की आहट मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/ फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी ताकि जनसाधरण द्वारा जल संकट की सूचना प्रशासन को दी जा सके तथा प्रभावी कदम उठाया जा सके।

**राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना :** राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मानव पेयजल प्रबंधन की आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन का मुख्य नोडल विभाग होगा तथा राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। राज्य नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष आम जन तथा अन्य स्त्रोंतों से पेयजल संकट के संबंध में प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं पर विभाग के स्तर पर उचित कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। साथ ही पेयजल संकट से निबटने हेतु की गई कार्रवाई से आम जन एवं मीडिया को भी समय–समय पर अवगत करायेगा। जल संकट गहराने की दशा में आपदा प्रबंधन विभाग में गठित आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय कर दिया जाएगा। आपात्कालीन संचालन केन्द्र सभी संबंधित जिलों एवं विभागों के साथ समन्वय का कार्य करेगा।

**पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था :** संबंधित विभाग यथा संभव अपने विभागीय बजट से पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था करेंगे। यथानुसार राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष के मानदर के अनुसार विभागों/जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी।

**आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का शिथिलीकरण :** यदि आकस्मिक योजना के त्वरित कार्यान्वयन में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं के शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा।

**पेयजल संकट के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ :** भू–जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण किसी क्षेत्र विशेष में चापाकलों से पानी खींचने में कठिनाई होने लगे अथवा चापाकल सूखने की स्थिति में पहूँच जाए तथा कुएँ, आहर एवं तालाब सूखने लगें तो माना जाएगा कि उक्त क्षेत्र विशेष में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पेयजल संकट के दौरान मानव तथा यथानुसार मवेशियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी –

**नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना :** राज्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए जाएगा। इन नियंत्रण कक्षा में प्राप्त होने वाली सूचनाएँ तथा उन पर कृत कार्रवाईयों से संबंधित कागजातों का दस्तावेजीकरण (Documentation) किया जाएगा। इसके लिए नियंत्रण कक्षों में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें आने वाली सूचनाओं तथा की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

**जिला टास्क फोर्स की बैठक :** पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आवश्यकतानुसार प्रतिदिन की जाएगी। स्थिति सुधरने पर साप्ताहिक बैठक होगी।

**टैंकरों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था :** आकस्मिक योजना के अनुसार पहचाने गये गाँवों, जहाँ पेयजल संकट शुरू हो गया हो, में टैंकरों के माध्यम से जल पहुँचाने एवं वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य जिला प्रशासन की देख–रेख में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। टैंकरों से जल पहुँचाने एवं वितरण के समय विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवश्यतानुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। टैंकरों से जिस गाँव/टोला में जल वितरण किया जाना होगा, वहाँ जल वितरण के कार्य में पूर्ण पादर्शिता बरती जाएगी। किसी गाँव में प्रतिदिन भेजे जानेवाले टैंकरों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति का आंकलन कर तद्नरूप कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जल स्त्रोतों से जल भेजा जा रहा है वह जल पीने योग्य है। विभागीय कनीय/सहायक अभियंता अपने–अपने क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जल पहुँचाने एवं वितरण कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

**नये जल स्त्रोतों की पहचान :** जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू–जल श्रोतों की पहचान के लिए राष्ट्रीय भू–जल बोर्ड की मदद ली जाएगी। इस प्रकार चिह्नित जल श्रोतों से जल के दोहन के लिए लोक स्वास्थ्य आभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

**नये चापाकलों एवं नलकूपों का अधिष्ठापन :** जहाँ भू–जल उपलब्ध हो वहाँ भू–जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये चापाकलों के अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जाएगी। उसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नये नलकूलों का अधिष्ठापन कर जल के नए श्रोत उपलब्ध कराए जाएँगे। कड़े एवं चट्टानी भू–भागों में नए नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक रिंग मशीन की व्यवस्था किराए के आधार पर की जा सकेगी।

**पुराने चापाकलों की मरम्मति :** अकार्यरत तथा कालक्रम में खराब होने वाले चापाकलों की मरम्मती के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित गैंगमैनों की टीम पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएगी। टीम को पर्याप्त साजो–समान से लैस किया जाएगा। यदि नियमित गैंगमैन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लोक स्वास्थ्य

अभियंत्रण विभाग संविदा/आउट सोसिंग से गैंगमैन की सेवाएँ ले सकेगा। प्रखंड स्तर पर गैंगमैनों की टीमों के बीच क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया जाएगा, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण करती रहेगी तथा अकार्यरत चापाकलों की मरम्मत करती रहेगी। अकार्यरत चापाकलों की सूचना नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने पर भी गैंगमैनों की संबंधित टीमों को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। गैंगमैनों की टीम दिन भर किये गये कार्य का ब्यौरा उसी दिन शाम को प्रखंड नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अकार्यरत चापाकलों के मरम्मति का सघन एवं अनुश्रवण करेंगे।

**शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुकाबला :** नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों मं पेयजल संकट से निटपने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएगें । जहाँ कहीं चापाकलों में पानी का स्तर नीचे जाने चापाकलों के अकार्यरत हो जाने अथवा जलापूर्ति योजनाओं के द्वारा जलापूर्ति नहीं होने को स्थिति में जल संकट के दृष्टान्त प्रकोष में आयेगें, वहाँ आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। टैंकरों से जल वितरण के समय विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

**नलकूपों को कार्यरत बनाए रखना :** लघु जल संसाधन विभाग नलकूपों को कार्यरत रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। चूँकि टैंकरों से जल पहुँचाने के लिए नलकूपों से जल निकालन की आवश्यकता पड़ेगी, अतएव जिन–जिन नलकूपों की पहचान जल श्रोतों के रूप में की गयी हो, उन्हें चालू रखने के लिए ऑपरेटरों सहित विभाग की मोबाईल टीमें कार्य पर लगी रहेंगी। मोबाईल टीमों में सामान्य यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। इन मोबाईल टीमों को आवश्यक साजो–सामानों एवं वाहनों से लैस किया जाएगा। इनके बीच नलकूपों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि जिले के सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके।

**जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण :** बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकायों के साथ सतत् संपर्क कर जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे जाएँगे।

**जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति :** बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकेगी। परंतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आम जल तद्नुसार अपने घरों में जल का प्रबंधन कर सकें।

**मवेशी शिविरों को कार्यरत करना :** आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेयजल एवं चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु शिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरिये आम जन तक पहुँचाई जाएगी।

**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक :** आवश्यकतानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जिले में उत्पन्न जल संकट तथा उससे निपटने के लिए किये जा रहे कार्रवाईयों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जब कभी प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार संबंधित एजेन्सियों को निर्देष देने की आवश्यकता पड़ेगी प्राधिकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निदेश देगा था अन्य प्रबंधन करेगा।

**आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक :** आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा नियमित बैठक कर जिलों में व्याप्त जल संकट से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की जाती रहेगी। जहाँ कहीं वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, आपातकालीन प्रबंधन समूह आवश्यक निर्णय ले सकेगा। उक्त निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे।

**रेलवे से पानी की ढुलाई :** पेयजल संकट की स्थिति गहराने के साथ संभव है कि रेलवे से भी प्रभावित जिलों में जल के टैंकर भेजने पड़ें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन तक जल पहुँचाने के व्यवस्था की जाएगी। उक्त रेलवे स्टेशन से संबंधित जिलों तक जल ले जाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

**अनुलग्नक–(6) NDRF के प्रतिनियोजन से जुड़ी मानक संचलन प्रक्रिया (SOP) :**

**Directorate General, National Disaster Response Force**
Ministry of Home Affairs
( Ops Directorate )
A-Wing, 2nd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Ph. No. 24611519, Fax No.24611519

No. 17018/1635/1641/Ops / SOP/HQ-NDRF/2015 5828 Dated 17 Jan' 2015

To

The Relief Commissioners
All States/ UTs,

**Subject: Forwarding of Standing Operating Procedure (SOP) for deployment of NDRF.**

Kindly find enclosed herewith a copy of Standing Operating Procedure (SOP) for deployment of NDRF for information and necessary action please.

2. Please acknowleadge receipt.

Encl. SOP ( 08 pages)

(S S Guleria)
Dy.Inspector General/Ops
HQ DG NDRF, New Delhi

Copy to :
Guard File.

# STANDING OPERATING PROCEDURES (GENERAL)

## 1. INTRODUCTION :-

### DISASTER

**"A catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, and degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area"**

India has traditionally been vulnerable to natural disasters on account of its unique geo-climatic conditions and it has, of late, like all other countries in the world, become equally vulnerable to various man-made disasters. The periodicity and intensity of disasters have increased manifold in the last few decades. In many disasters, human and economic losses could have been minimized by taking preventive, mitigation and preparedness measures. Anti-national elements find terrorism easy to adopt and cost-effective. A terrorist attack involving Nuclear, Biological and Chemical agents differs from a normal terrorist attack as it results in specific effects on health and can cause fatal injuries, creates panic, affects the morale of the community, and lowers its faith in the government. The important ingredients of an effective response system are integrated institutional arrangements, state of the art forecasting and early warning systems, failsafe communication system, rapid evacuation of threatened communities, quick deployment of specialized response forces and coordination and synergy among various agencies at various levels in dealing with any disaster. Most importantly, all the agencies and their functionaries must clearly understand their roles and responsibilities and the specific actions they have to take for responding to disaster or disaster threatening situations. **THIS SOP LAYS DOWN, IN A COMPREHENSIVE MANNER, THE SPECIFIC ACTIONS REQUIRED TO BE TAKEN BY NDRF BNS FOR RESPONDING TO NATURAL AND MAN MADE DISASTER OF ANY MAGNITUDE AND ANY DIMENSION.**

(i) Major Natural Disasters:-

a) Earthquakes
b) Floods
c) Cyclones
d) Landslides
e) Tsunamis
f) Avalanches

(ii) Man Made Disasters:

a) Chemical disasters.
b) Biological disasters.
c) Radiological and Nuclear events
d Train Accidents.
d) Building collapse events

(iii) Any other disaster, for which the State / District authorities make a specific requisition, with the exception of fire accidents.

## 3.ROLE OF NDRF

1) Provide specialised response for rescue and relief in case of disasters-natural and manmade.
2) Deployment in case of impending disasters.
3) Assistance to civil authorities in distribution of relief material during/after disaster.
4) Co- ordination with other agencies engaged in rescue/relief work

## 4. NDRF TASKS

1) Deployment in case of impending disaster.
2) Provide specialist response in case of disasters which covers :
   a) NBC Disaster (Decontamination of the area and personnel).
   b) Removal of debris.
   c) Extrication of victims live or dead.
   d) First medical response to victims.
   e) To extend moral support to victims.
   f) Assistance to civil authorities in distribution of relief material.
3) Co-ordination with sister agencies.

## 5. PURPOSE OF SOP

To provide, in a concise and convenient form, a list of major executive actions involved in responding to natural and manmade disasters and the necessary measures for preparedness, response and relief required to be taken. To achieve maximum result in minimum time for any force, a well defined Operating Procedure is required to be framed. This procedure is called the Standard Operating Procedure (SOP). The SOP is made keeping in view the role and the objectives of the force. In the case of NDRF, the force has to respond within the minimum time frame to reach the place of disaster with the designated required equipment. The SOP has been prepared keeping in mind the motto of NDRF, i.e."**AAPADA SEWA SADAIV**".

## 6. REQUISITION FOR RESPONSE OF THE NDRF DURING PRE-DISASTER PHASE

State Government may request for pre-positioning of the Unit/Sub-units of the NDRF as a measure of pro-active response to deal with the impending disaster when there are plausible reasons to believe that gravity of the disaster will be unmanageable for the State Government. The Contact numbers and place of deployment of NDRF units are given at Appendix-"A"

## 7. REQUISITION FOR RESPONSE OF THE NDRF DURING DISASTER PHASE

State Government or the concerned District Magistrate may request for the specialized disaster response of the Team (s) or Coy (s) of the NDRF to deal with the disaster when it is of Level-III, i.e. when the gravity of the disaster is so severe that it becomes unmanageable for the State Government to deal with even after having made the proper use of SDRF.

## 8 REQUISITION AUTHORITY

The following State Government Authorities can seek requisition for NDRF teams alongwith complete details of the disaster which takes place in their area of responsibility :-

- Principal Secretaries of the States dealing with Disaster Management
- Relief Commissioners of the States
- Collectors/DCs /DMs of the districts

Maximum available details which would be required to provide rescue and relief should be passed on to the identified NDRF Bn, as per requisition form attached at Appendix - A.

## 9 AUTHORITY TO ACCEPT REQUISITION

NDRF Teams can be requisitioned for natural as well as manmade disasters. This requisition can be sent to the following :-

- MHA
- NDMA
- HQ DG NDRF
- NDRF BNs.

MHA & NDMA in turn will direct HQ DG NDRF for deployment of NDRF personal which will be done accordingly after consultation with respective Commandant and same will be intimated to MHA & NDMA.

In case the requisition is placed directly to NDRF Bns due to emergent nature of situation, the Commandants will deploy NDRF personnel immediately and intimate the same to HQ DG NDRF/ MHA / NDMA.

## 10 DECISION OF DEPLOYMENT

As per the provision of DM act 2005, the District Disaster Management Authorities chaired by District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector of a District shall be responsible for overall supervision and monitoring of Disaster Management in the district. The District Authorities will give the detailed information about any disaster to the respective NDRF unit. The Unit Commandant, after getting detailed information from the Nodal officer, will consult HQ NDRF and decide the quantum of deployment for the said disaster i.e how many teams to be deployed for the subject operation. HQ NDRF will

intimate the subject deployment to MHA DM(Div) and NDMA through the fastest mode of communication available. This will be followed by a written communication also. The team which will move for rescue work will be self contained and carry tentage, medicines, ready-made food for 72 hrs, ration and utensils with them.

## 11.MOBILISATION PHASE

Bn Commandant in consultation with the State authority will decide mode of conveyance of the teams to be deployed for the said emergency response. Firstly, one advance party will rush for the disaster site followed by the main body in their own transportation. If the air lifting is to be done, then the requisition will go to Air Authority through the State Authority. The State Authority will arrange accommodation, if possible and transportation at disaster site. The State will be responsible for providing security backup to the teams during deployment.

## 12.OPERATIONAL PHASE

It is important to mention here that NDRF is not tasked with the maintenance of law and order in a disaster zone area. Furthermore, the safety and security of the victim and personnel involved in the search, rescue and relief operations including the NDRF personnel shall also be the responsibility of State/Local Authorities.

## 13.DE-MOBILISATION PHASE

This phase describes the actions required to be taken when coys/teams have been instructed that disaster management operations are to be ceased and withdrawal has to be commenced by Coy Comdr/Team Comdr in consultation with the nodal officer and after getting clearance from HQ DG NDRF. The exit strategy will be executed as per the initial plan of action. All coy comdrs/team comdrs must try and ensure a handover note specifying what is being handed over and to whom to ensure proper preparedness and a smooth transition. A detailed report should be prepared by the Bn after the operation is over and file for record with HQs NDRF. This report should make a clear mention of immediate steps to be taken to fill the gaps or seek any improvement in the existing system. Following actions are to be ensured:-

1. Mode of transportation will be decided for de-induction in consultation with the State Authority. The State authorities

shall be responsible for providing the transport to the NDRF teams to return to their units.

2. Clearance from Local authorities.
3. EOC, along with the adm base, shall be the last to demobilize from the disaster site.

## 14. POST DISASTER PHASE

It is a phase for critical analysis of the entire rescue operations carried by the Bn. The joint appraisal report of the performance shall also be prepared by the Bn commandant and State authority after de-induction of the rescue teams. After this, a report regarding the shortcomings of the rescue operations and the lessons learnt will also be drawn up. The post disaster phase will also include:

a) Submission of the post-disaster report.

b) Conducting of a lesson-learnt review to improve the overall effectiveness and efficiency for response to future disaster.

c) Repair and maintenance of equipments

d) Condemnation of equipments.

e) Medical checkups of all members of operational groups.

f) Treatment for injured troops during rescue operations.

g) Accounting for rescue material used and not used.

h) Accounting for rescue material lost/not retrieved.

i) Drawing a case study of entire disaster rescue operation.

j) Post psychometric treatment i.e. men must be sent to meet their family members.

## 15. CONCLUSION

This SOP is a guideline for successful response in any kind of disaster. It should be followed in letter and spirit. It is only then that NDRF will prove its worth in an effective manner and be seen as an elite force in the field of disaster management.

| [illegible] | [illegible] | Office [illegible] |
|---|---|---|
| 1. | DG | 011-26712851 |
| 2. | IG | 011-26160252 |
| 3. | DIG | 011-24611518 |
| 4. | Control Room | 011-26107953 |

## DEPLOYMENT OF NDRF BATTALIONS

| S/No | Name of Bn | Rank/Contact No. | Area of responsibility (State wise) | Control Room Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Bn NDRF, Guwahati (Assam) | Commandant 09435545951 (M) 0361-2840027 (O) 0361-2841464 (R) | Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh & Nagaland. | 0361-2849081 |
| 02 | 02 Bn NDRF Haringhata, Nadia (WB) | Commandant 09434742836 (M) 033-25264302 (O) | West Bengal, Sikkim, Jharkhand | 033-25873801 Exch No 033-25875032 (Fax) |
| 03 | 03 Bn NDRF Mundali (Odisha) | Commandant 09437984571 (M) 0671-2879710 (O) | Orissa, Eastern MP (19 district)& Chattisgarh. | 0671 – 2879711 |
| 04 | 04 Bn NDRF Arakkonam (Tamilnadu) | Commandant 09442105169 04177- 246269 (O) | Kerala, Tamilnadu, Puducherry, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep. | 04177-246594 (CR/Fax) |
| 05 | 05 Bn NDRF Pune ( Maharashtra) | Commandant 09423506765(M) 02114-231245 (O) 02114-231343 (R) | Maharashtra & Goa | 02114-237008 (CR/Fax) |
| 06 | 06 Bn NDRF, Gandhinagar/ Vadodara (Gujarat) | Commandant 09428826446 (M) 079-23202540 (O) | Gujarat, Western MP (31 district), Rajasthan, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu | 079-23202540 (Fax) 079-23201551(CR) |
| 07 | 07 Bn NDRF, Bhatinda (Punjab) | Commandant 9417802031 (M) 9417802032(M) 0164-2246030(O) 0164-2246930 (R) | Punjab, Himachal Pradesh, J&K | 0164 – 2246570 (Fax) 0164-2246193 (CRoom) |
| 08 | 08 Bn NDRF, Ghaziabad (UP) | Commandant 07503361998 (M) 0120-2768013 (O) | Delhi, Haryana, Uttranchal Western Uttar Pradesh(43 Distt.) | 0120 – 2768618 (Fax) 0120-2768012 (CR) |
| 09 | 09 Bn NDRF Patna (Bihar ) | Commandant 07762884444 (M) 06115-253842 (O) | Bihar, Eastern Uttar Pradesh(27 distt.) | 06115-253839 (Fax/CR) |
| 10 | 10 Bn NDRF, Guntur (Andhra Pradesh) | Commandant 07382298621(M) 0863-2293178 (O) | Andhra Pradesh, Karnataka & Telangana | 0863-2293050 (Fax/CR) |

## REQUISITION FORM

From: Date of Report:

To:

a. Nature of calamity
b. Date & Time of occurrence
c. Affected area (number and names of affected districts)
d. Population affected (Approx )
e. Nearest Railhead
f. Nearest Airport
g. Relief measures undertaken in brief
h. Immediate response & relief assistance required
i. Forecast of possible future developments including new risks
j. Any other relevant information.

**Relief Commissioner/DM**

अनुलग्नक–(7) भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में :

पत्रांक 1प्रा0आ0–20/2015 ...../आ0प्र0

अत्यावश्यक

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ परिवहन विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ शिक्षा विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

पटना–15, दिनांक–

विषय: **भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भीषण गर्मी पड़ने एवं लू (Heat waves) चलने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भी अप्रैल माह से जून 2017 तक राज्य में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जतायी गयी है। अवगत हैं कि भीषण गर्मी के कारण जन–जीवन प्रभावित होता है एवं आम जनता को स्वास्थ्य एवं पेय जल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास कर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याएँ आती हैं। साथ ही पेय जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पानी की भी कमी हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के विभागों के द्वारा आम जनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय एवं कार्रवाई की जाय।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय इकाई से लू की पूर्व चेतावनी एवं इसकी सूचना प्राप्त कर सभी प्रमुख Stakeholder तक पहुँचाने की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही लू की पूर्व चेतावनी आम जनता को भी TV, रेडियो, प्रिंट मिडिया, प्रेस विज्ञप्ति एवं Bulk SMS आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी।

अतएव भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु विभिन्न विभागों के स्तर से निम्न कारवाईयाँ अपेक्षित हैं :

**1. नगर विकास एवं आवास विभाग**

i. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा पियाऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि आम जन इनसे भली भाँति अवगत हो सकें।

ii. अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर करायी जानी चाहिए।

iii. नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेय जल तथा आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था स्लम के निवासियों हेतु की जानी चाहिए।

**2. स्वास्थ्य विभाग**

i. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ रेफरल अस्पतालों/ सदर अस्पतालों/ अनुमंडलीय अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0 भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।

ii. अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए एवं लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बिमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगह हेतु स्टैटिक/ चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

**3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

i. खराब चापाकलों को मरम्मत युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

ii. जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

iii. भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एवं इस पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए।

**4. शिक्षा विभाग**

i. स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाँय। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए भी बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

ii. सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

iii. गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/ पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

**5. समाज कल्याण विभाग**

i. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

i. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढा खुदवा कर पानी इक्कठ्ठा किया जाए, ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।

ii. पशुओं के बिमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जायेगी।

**7. ग्रामीण विकास विभाग**

i. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों/ आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कठ्ठा कर पशु–पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ii. लू चलने पर मनरेगा की कार्य अवधि को सुबह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

iii. कार्य स्थल पर पेय जल तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**8. पंचायती राज विभाग**

i. विभाग के द्वारा पंचायतों में लू चलने के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

ii. गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु पंचायतों को कार्य योजना बनाने हेतु निदेशित किया जा सकता है तथा जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

**9. श्रम संसाधन विभाग**

i. लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6.30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

ii. कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था करना चाहिए।

**10. परिवहन विभाग**

i. लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।

ii. सार्वजनिक परिवहन के गाड़ियों में पेय जल तथा ओ0आर0एस0 की व्यवस्था करने हेतु विभाग के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जा सकता है।

**11. ऊर्जा विभाग**

i. प्रायः बिजली के तारों के ढीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं, जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन

चिनगारियों के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती है। अतएव बिजली के ढीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था कर ली जाए।

ii. निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**12. वन एवं पर्यावरण विभाग**

i. गर्मियों के दिनों में लू चलने से वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अतः वन्य जीव उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ii. वन्य जीव उद्यानों में जानवरों के पिंजड़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. अभ्यारण्यों में गड्ढे खोदकर वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**13. राज्य अग्निशमन निदेशालय**

भीषण गर्मी के कारण आग लगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। आग लगी की घटनाओं से निबटने एवं उनके रोकथाम के लिए एतद् विषयक विभागीय मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

**14. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाय। साथ ही गर्म हवाएं/ लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी राज्य के एफ एम एवं आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अपने विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन के आप्त सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1194 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 29/04/2017

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(8) गर्मी/लू (सुरक्षा के उपाय एवं लू लगने पर क्या करें) :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

बिहार

**राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

**गर्मी/लू से साधारण सावधानियाँ अपना कर अपने आपको सुरक्षित रखें**

मौसम विभाग के द्वारा ऐसा पूर्वानुमान किया जा रहा है कि इस वर्ष भी बिहार राज्य में मार्च–मई तक गर्म हवाएं एवं भयानक लू चलने की संभावना है। गर्म हवाओं एवं लू का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है जो कभी–कभी जानलेवा साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।

| सुरक्षा के उपाय | लू लगने पर क्या करें ? |
|---|---|
| ▪ जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।<br>▪ जितनी बार हो सके पानी पीयें, प्यास न भी लगें तो भी पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।<br>▪ जब भी बाहर धूप में जायें हल्के रंग के ढ़ीले–ढ़ाले सूती कपड़ें पहनें। धूप के चश्में का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें और हमेशा जूते या चप्पल पहनें।<br>▪ अधिक तापमान में कठिन काम न करें।<br>▪ हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले फल जैसे– तरबूज, खीरा, नींबू, संतरा आदि का सेवन करें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन न करें, जैसे– माँस व मेवे, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं।<br>▪ घर में बना पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।<br>▪ चाय, कॉफी, मादक पेय पदार्थ आदि का सेवन न करें।<br>▪ बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।<br>▪ जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने को दें।<br>▪ रात में खिड़कियाँ खुली रखें।<br>▪ स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में सतर्क रहें।<br>▪ अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डाक्टर से संपर्क करें। | ▪ लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढ़ीला कर दें अथवा हटा दें।<br>▪ ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।<br>▪ व्यक्ति को ओ॰आर॰एस॰/नींबू/पानी/नमक–चीनी का घोल पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा बढ़ा सके।<br>▪ यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या बेहोश हो, तो उसे कुछ भी खाने व पीने न दें।<br>▪ लू लगे व्यक्ति की हालत में एक घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाएं।<br> |

अनुलग्नक – (9) परित्यिक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायो के संबंध में :

महत्वपूर्ण
अत्यावश्यक

पत्रांक 2526 /आ०प्र०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ भवन निर्माण विभाग/गृह विभाग/कृषि विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/ऊर्जा विभाग
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना–15, दिनांक– 7/7/15

विषय– **परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चो के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में।**

महाशय,

अवगत कराना है कि बिहार राज्य में बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से घातक दुर्घटनाओं की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। विगत वर्ष गया जिले में बोरवेल में गिरने से एक 5 वर्षीय बालक की मृत्यु की सूचना है। इसी प्रकार दिनांक–28.06.2015 को पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड में 5 वर्षीय बालिका की मृत्यु बोरवेल में गिरने से हो गई। यद्यपि आपदा प्रबंधन विभाग इन दोनों घटनाओं में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से बच्चों को बोरवेल से निकालने में सफल हुआ, परन्तु दोनों बच्चों के जीवन की रक्षा नहीं की जा सकी। बोरवेल में गिरने के दौरान दम घुटने से छोटे बच्चों की मृत्यु होना एक अत्यंत ही दुखद एवं कारूणिक घटना होती है, जिस पर तत्काल दृढ़ता पूर्वक रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। विहित हो कि परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं के रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा CWJC No. 36/2009 में दिनांक–11.02.2010 एवं पुनः दिनांक–06.08.2010 को यथा संशोधित आदेश में सभी राज्यो के लिए सुरक्षा उपाय एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. अतएव उपरोक्त के आलोक में परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं के रोकने के संबंध में निम्नांकित उपाय एवं दिशा–निर्देशों का अविलम्ब पालन किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके : –

i. किसी भूमि/परिसर के मालिक द्वारा बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण हेतु किसी कदम के उठाने के कम से कम 15 दिन पूर्व संबंधित प्राधिकार यथा– जिला पदाधिकारी/ग्राम पंचायत के सरपंच/किसी अन्य वैधानिक (Statutory) प्राधिकार/भू–गर्भ जल स्रोत विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगरपालिका

के संबंधित पदाधिकारी, जैसी की स्थिति हो – को बोरवेल/ट्यूबवेल की निर्माण की सूचना अनिवार्य रूप से लिखित रूप में देना होगा।

ii. खुदाई (Drilling) करने वाली सरकारी /अर्द्धसरकारी/निजी इत्यादि एजेंसी को अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन/वैधानिक प्राधिकार, जैसा कि लागू हो, के यहां निबंधित होना आवश्यक है।

iii. बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई के पूर्व उसके समीप निम्नांकित सूचनाओं के साथ साईन बोर्ड लगाया जाय –

- बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के समय खुदाई (Drilling) करने वाली एजेंसी का पूर्ण पता
- बोरवेल/ट्यूबवेल के उपभोगकर्ता/मालिक का सम्पूर्ण पता

iv. बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के दौरान उसके चारों ओर बारबेड वायर अथवा किसी अन्य उपर्युक्त बेरीयर (अवरोध) के द्वारा घेराबंदी की जायेगी।

v. बोरवेल/ट्यूबवेल के चारों ओर भूमि की सतह से .30 मीटर उपर एवं भूमि की सतह .30 मीटर नीचे तक सीमेंट/कंक्रीट का .50 x .50 x .60 मीटर आकार के चबूतरे का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

vi. बोरवेल/ट्यूबवेल के पाईप के उपर स्टील प्लेट के वेल्डिंग के द्वारा अथवा बोल्ट और नट के साथ मजबूत ढक्कन लगाया जाय।

vii. यदि पम्प की मरम्मति की जानी हो तो ट्यूबवेल/बोरवेल को बिना ढके हुए नहीं छोड़ा जाय।

viii. कार्य की समाप्ति के बाद मिट्टी के गड्ढो को एवं चैनलो को भर दिया जाय।

ix. परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल को आधार (bottom) से भूमि–सतह तक अच्छी तरह से मिट्टी/बालू एवं बोल्डर से भर दिया जाय।

x. किसी स्थान पर खुदाई समाप्ति के उपरान्त कार्य स्थल के चारो ओर की भूमि की स्थिति (Ground Condition) को पुनः खुदाई से पूर्व की स्थिति में लाया जाय।

xi. जिला पदाधिकारी सरकारी/निजी एजेंसियों के द्वारा उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन एवं बोरवेल/ ट्यूबेल की स्थिति के संबंध में उनके द्वारा पर्याप्त सुरक्षा एवं सावधानियाँ बरतने को सुनिश्चित कराएंगे।

- ➢ जिला स्तर पर प्रखंडवार एवं ग्रामवार खुदाई किये गये बोरवेल/ट्यूबवेल के आकड़ो को संधारित किया जायेगा, जिसमें खुदाई किये गये बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या, उपयोग में आने वाले बोरवेल/ ट्यूबवेल की संख्या, परित्यक्त (Abandoned) एवं खुले हुए बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या, परित्यक्त किन्तु अच्छी तरह से भूमि–सतह तक भर दिये गये बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या एवं परित्यक्त बोरवेल/ ट्यूबवेल की संख्या जिन्हें अच्छी प्रकार से भरा जाना है।

➢ ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त अनुरूप अनुश्रवण मुखिया/सरपंच एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त के अनुरूप अनुश्रवण संबंधित विभागों के कनीय अभियंता एवं पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

xii. यदि कोई बोरवेल/ट्यूबवेल परित्यक्त किया जाता है तो खुदाई करने वाली सरकारी /अर्द्धसरकारी/निजी इत्यादि एजेंसी को संबंधित विभागों/निजी संवेदकों से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल भूमि की सतह तक अच्छी तरह से भर दिया गया है।

xiii. संबंधित एजेंसीयों एवं विभागों के कार्मिकों/ पदाधिकारियों द्वारा परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल का रैण्डम निरीक्षण किया जायेगा तथा तत्संबंधी आंकड़ों का संधारण जिला एवं प्रखंडस्तर पर किया जायेगा।

3. उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 7/7/15

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों में सभी प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 7/7/15

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 7/7/15

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 7/7/15

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक – (10) सड़क दुर्घटना दावा निपटारा :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

## सड़क दुर्घटना

**सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने की प्रक्रिया**

- सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत Motor Accidents Claims Tribunal-MACT (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए दावा याचिका दायर कर सकता है।
- No Fault Liability (अंतरिम राहत) के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत आवेदन दिया जा सकता है और पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए धारा 166 के तहत आवेदन दिया जा सकता है।
- MACT के समक्ष दायर मामले, समझौता के लिए लोक अदालत में त्वरित निपटान के लिए उपस्थित किए जा सकते है।
- दुर्घटना करने वाले वाहन के मालिक, ड्राइवर और इंश्यूरेंस कम्पनी के विरूद्ध दावा दायर किया जाता है।

**सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कागजात**

- FIR की प्रमाणित प्रति।
- पुलिस अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटना से मृत्यु के मामले में)।
- शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि (मृत्यु के मामले में)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (गंभीर चोट के मामले में)।
- दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- दुर्घटना में शामिल वाहन के कागजात (रजिस्ट्रेशन/परमिट/फिटनेस इत्यादि)।
- दुर्घटना में शामिल वाहन की इंश्योरेंस की प्रति।
- मृतक का आय प्रमाण–पत्र।
- दावेदार का निर्भरता प्रमाण–पत्र।
- दावेदार का पहचान प्रमाण–पत्र।

**सभी रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) निर्माता कंपनी कृपया ध्यान दें–**

बिहार राज्य में परिचालित परिवहन यानों/वाहनों में रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) लगाये जाने के संबंध में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 784 (अ) दिनांक 12.11.2008 के आलोक में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या – 5148 दिनांक 24.08.2016 के संदर्भ में बिहार राज्य के अन्दर रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) लगाया जाना है।

(1) रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) निर्माता कंपनी को निर्धारित मानक AIS:090-2005 के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सियों या अभिकरणों में से रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) का Type Approval Certificate प्राप्त हो।

(2) कंपनी द्वारा प्राधिकृत डीलर/वितरक वाहनों में लगाये गये रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक टेप) की सूचना वाहन संख्या, वाहन का प्रकार के साथ संबंधित जिला परिवहन कार्यालय एवं परिवहन विभाग, मुख्यालय को प्रत्येक माह वेबसाईट– www.transportdepartment.bih.nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**श्रोत : राज्य परिवहन आयुक्त,बिहार,पटना।**

अनुलग्नक – (11) सड़क सुरक्षा के उपाय

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

**द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001**

- सड़क के बायें चलें एवं यातायात नियमों का अनुपालन करें।
- सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बायें देख कर पार करें। यदि तेज वाहन आ रहा हो, तो उसके गुजर जाने के बाद सड़क पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयर फोन लगा कर न चलें।
- जहाँ जेब्रा क्रासिंग हो, वहाँ से ही सड़क पार करें।
- वाहन हमेशा सड़क के बायीं ओर एवं निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- कार या अन्य चार पहिया वाहनों में या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बाँध कर गाड़ी चलायें।
- नशे की हालत में गाड़ी न चलायें।
- दायें या बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय, गाड़ी धीमे करते समय संकेतक अवश्य दें।
- गाड़ी रोकने पर सावधानी बरतें। दरवाजा खोलते समय सावधानी बरतें।
- किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें।
- वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं फॉयर ब्रिगेड की गाड़ियों के जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- सड़क का चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व सावधानी बरतें।

## स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा के उपाय

**बच्चों को सिखायें कि जब वे स्कूल बस में चढ़े तो –**

- जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें।
- रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें।
- देख लें कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं भी न फंसे।

**बस में यात्रा करते हुए –**

- सीट पर सुरक्षित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें।
- अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें।
- पायदान पर यात्रा न करें।
- बस का गलियारा खाली रखें।
- शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं।
- ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें।

**बस से उतरते समय –**

- जल्दीबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें।
- बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें।

अनुलग्नक–(12) आगजनी से बचाव हेतु उपाय/आग से बचाव के टिप्स/अग्निकांड से बचाव हेतु सुझावः

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

## आगजनी से बचाव हेतु उपाय

| क्या करें ? | क्या न करें ? |
|---|---|
| ▪ स्टोव या लकड़ी, गोईठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनावें।<br>▪ राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है एवं पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में दिन का खाना 9 बजे सुबह तक एवं रात का खाना 6 बजे शाम के बाद बनावें। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूरी तरह बुझा दें।<br>▪ गेहूँ ओसनी का काम हमेशा रात में तथा गाँव के बाहर खलिहान में जाकर करें।<br>▪ राज्य में भीषण गर्मी एवं पछुआ हवा चलने की स्थिति बनी है। अतएवं हार्वेस्टिंग के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग नहीं लगावें।<br>▪ घर व खलिहान पर समुचित पानी व बालू की व्यवस्था रखें।<br>▪ जलती हुई बीड़ी–सिगरेट इधर उधर न फेंके। बीड़ी–सिगरेट पीकर उसे बुझाने के बाद ही फेंके।<br>▪ खाना पकातें समय रसोईघर में वयस्क मौजूद रहें, बच्चों को अकेला न छोड़ें।<br>▪ खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुँच पाए, इस बात की पुरी तसल्ली कर लें।<br>▪ सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी संपति से आग लगाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद कर जागरूक नागरिक अवश्य बनें।<br>▪ तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।<br>▪ खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपकों मदद चाहिए।<br>▪ गैस चूल्हे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सिलिंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें।<br>▪ घर के बिजली तारों एवं उपकरणों की नियमित जाँच करें।<br>▪ घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालिन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में पता हो।<br>▪ आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बतायें फिर दमकल विभाग जैसा कहें वैसा ही करें। | ▪ बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास न जाने दें।<br>▪ बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहाँ–तहाँ न फेंकें, उसे पुरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें।<br>▪ चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोडे।<br>▪ अनाज के ढेर, फूस या खपड़ैल की झोपड़ी के निकट अलाव नहीं जलाएँ व डीजल इंजन नहीं चलाएं।<br>▪ सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएँ।<br>▪ आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटकर गोल–गोल घुमते हुए आग बुझावें।<br>▪ खाना बनाने के समय ढीले–ढाले कपडें न पहने।<br>▪ अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।<br>▪ गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्वीच को न छुऐं।<br>▪ खाना पकाते समय रसोई घर में बच्चों को अकेला न छोड़े। |

### आग से बचाव के टिप्स :

- शरीर के कपड़े में आग लगने पर भागे नहीं, बल्कि लेटे तथा दाये–बाये लूढ़के।
- सिगरेट या बीड़ी जलाने के बाद जलती हुई माचिस की तीली अथवा बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इसका अधजला टुकड़ा इधर उधर न फेकें।
- तेल की आग के लिए फोम कंपाउड या ए.बी.सी. अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करें।
- सिनेमा घरों में सभी दरवाजों/निकासी द्वार पर EXIT ग्लो साईन बोर्ड लिखे जो अंधेरे में भी दिखाई दे एवं आपातकालीन रौशनी की व्यवस्था रखें।
- गैस सिलिण्डर लीक होने पर सर्वप्रथम आग के सभी श्रोतों को बंद कर दें, तत्पश्चात सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को खोल दें।
- विद्युत उपकरण में एम.सी.बी. अवश्य लगावे।
- चूंकि धुंआ उपर उठेगी इसलिए झुक कर चले एवं मुंह तथा नाक को गीले कपड़े से ढ़क लें।
- घर में हमेशा बाल्टी में पानी भर कर रखें।
- सावधानी ही आग के समय आपका सच्चा दोस्त है।

**सौजन्यः बिहार अग्निशमन सेवा, पटना**

### खेत (फसल) के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें

| | |
|---|---|
| 1. | फसल कटने तक बोरिंग पर पम्पिंग सेट तैयारी हालत में रखें। |
| 2. | अगर खेत में आग लग गई हो तो फैलने वाली दिशा में थोड़ी दूरी पर फसल काट (फायर ब्रेक) दें। |
| 3. | फसल ढुलाई के लिए खेतों के बीचों–बीच से ट्रैक्टर, पिकअप भान आदि वाहनों को लाने एवं ले जाने का प्रयोग न करें। |
| 4. | अगर खलिहान के पास तालाब या अन्य कोई जल श्रोत हो तो वहाँ से पाईप या पम्पिंग सेट तैयार रखें। |
| 5. | खेतों से गुजरने वाली बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढ़ीला य खुला न छोड़े। |
| 6. | खेतों से गुजरने वाली बिजली के तार के किसी भी जोड़ को ढ़ीला या खुला न छोड़े। |
| 7. | बाँस के खम्भे के द्वारा नंगे बिजली के तार खेतों में न रखें। |
| 8. | खेत के आस–पास बीड़ी–सिगरेट आदि नहीं पीये तथा न हीं किसी को पीने दें। |
| 9. | खेत के आस–पास पूजा एवं हवन न करें और न ही करने दें। |
| 10. | कटनी के बाद खेत में छोड़ें डंठलों में आग न लगायें, इससे आग फैलता है तथा वातावरण दूषित करता है। |
| 11. | सूखे फसल के खेतों के इर्द–गिर्द अलाव, चूल्हे की राख न फेकें। |
| 12. | पकी फसल के खेतों के अगल–बगल पेड़ से गिरे पत्ते या झाड़ियों में आग न लगायें। |
| 13. | पकी फसलों के आस–पास खेतों में थ्रेशिंग का कार्य न करें। |
| 14. | किसी भी उत्सव के दौरान पकी फसल के आस–पास आतिशबाजी का प्रयोग न करें ना ही करने दें। |

**श्रोतः गृह (आरक्षी) विभाग, बि॰स॰**

आयुक्त
आ प्रमंडल, पटना

आपदा
Disaster

सत्यमेव जयते

दूरभाष सं० : (0612) 2219205 (का०)
: (0612) 2233578
फैक्स : (0612) 2230788

दिनांक 16.3.2015

अद्य सरकारी पत्रांक 124 /गो0

वर्ष 2015 में गरमी का मौसम प्रारम्भ होते ही यदाकदा आगलगी की सूचनायें प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह उपयुक्त समय मानता हूँ।

गरमी के मौसम में यह देखा गया कि छोटी सी गलती या असावधानी के कारण आगलगी की घटनायें घटती है। फलस्वरूप सम्पति का अपूरनीय क्षति होता है एवं जानमाल भी कुप्रभावित होता है। ऐसी घटनाओं के अनेक कारण हो सकते है, लेकिन साधारण एवं सामान्य precautions एवं safety tips से अधिकांश मामलों में निवारण संभव होता है। उदाहरण के रूप में परम्परागत ढंग से यथा संभव सूर्योदय के पश्चात् चुल्हा जलाने के कार्य कई जगहों पर समाज में अपनाया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि आपके जिला के अन्दर आगलगी के लिए निरोधात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना नितान्त आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी संभव माध्यम से जनमानस में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

भवदीय,

(ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद)

श्री कार्तिकेय धनजी
जिला पदाधिकारी, नालंदा।

**अनुलग्नक–(13) बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के अवसर पर बनने वाले पंडालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय :**

**बिहार अग्निषमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा– 2016 के अवसर पर बनने वाले पण्डालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय।**

- ''फायर रिटारडेन्ट सोल्यूशन'' में उपचारित किया हुआ कपड़े का पण्डाल बनाया जाय क्योंकि साधारणतः ऐसे कपड़ों में आग नहीं लगती है।
- पण्डाल में कम–से–कम तीन द्वार रखे जाए – एक सामने से तथा दो पार्श्व में।
- बिजली के तारों को कपड़ों अथवा तिरपाल के सम्पर्क में न रखें।
- बिजली के तारों को पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाईप के अन्दर से ले जायें और जोड़ों के उपर टेप लगाये जाए।
- पंडालों में बिजली व्यवस्था हेतु मोटे एवं नये तारों का व्यवहार करें।
- प्रत्येक पण्डाल के लिए अलग से फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगाये जाएं।
- पण्डाल निर्माणकर्त्ता विद्युत अभियंता से सलाह प्राप्त करें। प्रत्येक पण्डाल का विद्युत विभाग द्वारा पूर्व निरीक्षण कराना श्रेयष्कर होगा।
- हवन की व्यवस्था पण्डाल के बाहर एवं थोड़ी दूरी पर सुरक्षित एवं खुले स्थान पर करें।
- अगरबत्ती एवं दीपक जलाने की व्यवस्था जमीन पर रखें तथा कपड़े से दूरी पर रखें।
- प्रत्येक पण्डाल में पानी से भरा हुआ कम से कम चार ड्राम, चार बाल्टी, चार मग एवं दो वाटर सी॰ओ॰टू॰ एवं ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र आकस्मिकता से निपटने के लिए सुरक्षित रखें।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन खुले स्थान पर अथवा तीन ओर से खुला पण्डाल में रखें। यदि उसे चारों ओर से घेरने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक 15 फीट की दूरी पर निकास द्वार अवश्य रखें। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करें कि निकास द्वारों के सामने अवरोध न हो।
- पण्डाल एवं घेरा बनाते समय इस बात का ध्यान दिया जाय कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक वाहन के लिए रास्ते में रूकावट न हो।
- पटाखा बिक्रेता को कम से कम दो ''वाटर सी॰ओ॰टू॰'' तथा दो ''डी॰सी॰पी॰'' (09 लीटर क्षमता के) पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें जिसके संचालन की जानकारी उन्हें हो तथा दो ड्रम पानी भी रखें। इसका सर्वेक्षण अग्निशामालय पदाधिकारी से भी कराया जाय।
- बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को तंग गली में पटाखा न छोड़ने दें। बल्कि खुले स्थान में अपनी निगरानी में पटाखा छोड़ा जाए।
- आसमान तारा (आतिशबाजी) कभी–कभी दूसरे के घरों में प्रवेश कर आगजनी का कारण बनती है। यथासंभव इससे परहेज करें।
- घर में अथवा बिना लाइसेंस के दुकान में अधिक मात्रा में पटाखा का भण्डारण नहीं करें।
- पण्डाल एवं पूजा स्थलों पर अग्निशाम सेवा का आपातकालीन दूरभाष नं॰– 101 या स्थानीय अग्निशामालय के दूरभाषा सं॰..... की तख्ती टांगी जाये।
- आयोजक तकनीकी सलाह लेने हेतु निकटतम अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी से संपर्क कर सकते है।

**श्रोतः पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएँ, बिहार (2016)**

अनुलग्नक – (14) फसल अवशेष न जलाये :

बिहार सरकार

कृषि विभाग

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

# किसान भाईयों एवं बहनों से अपील

सामान्यतया यह देखा जा रहा है कि किसान भाई/बहन फसलों के अवशेष (पुआल, भूसा आदि) को खेतों में जला देते हैं। ऐसा करने से मिट्टी पर निम्नलिखित बुरा प्रभाव पड़ता है :-

- फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है जिसके कारण मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम है और भी जल कर नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मिट्टी की उर्वराशक्ति कम हो जाती है।
- फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केंचुआ आदि मर जाते हैं। इनके मिट्टी में रहने से ही मिट्टी "जीवन्त" कहलाता है। अवशेषों को जलाने से हम मिट्टी को "मरनासन" अवस्था की ओर ले जा रहे हैं।
- जमीन के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
- अवशेष को जलाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन घटता है।
- फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में कार्बनडाइऑक्साइड ($CO_2$) की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन में हम भागीदार हो रहे हैं।

**फसल अवशेष जो जलायें । पर्यावरण, उर्वरा, उत्पादकता खोयें ।।**

**अतः आप किसान भाईयों एवं बहनों से अपील है कि**

- यदि धान की कटनी हार्वेस्टर से की गई हो तो खेत में फसलों के अवशेष पुआल, भूसा आदि को जलाने के बदले खेत की सफाई हेतु बेलर मशीन का प्रयोग करें तथा हैप्पी सीडर से गेहूँ की बुआई करें।
- अपने फसल के अवशेषों को खेतों में जलाने के बदले वर्मी कम्पोस्ट बनाने, मिट्टी में मिलाने, पलवार विधि (Mulching) से खेती आदि में व्यवहार कर मिट्टी को बचायें तथा संधारणीय कृषि पद्धति में अपना योगदान दें।

PR_8670 D (Agriculture) 2016-17

## अनुलग्नक – (15) जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम/ डेंगू/चिकुनगुनिया से बचाव :

**जापानी इन्सेफेलाइटिस के रोकथाम**

**रोकथाम**

- सभी बच्चों को नियमित टीकाकरण के अंतर्गत दो बार जापानी इन्सेफेलाइटिस का टीका अवश्य लगवायें, यदि जिले में इसकी होने की सूचना प्राप्त होती हो।
- घर के आस–पास पानी जमा नहीं होने दें।
- शरीर के खुले भाग पर मच्छर भगाने वाली क्रीम लगायें।
- सूअर बाड़ों को आवासीय जगहों से दूर रखें।

**श्रोतः राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम,2016,भारत सरकार**

**डेंगू/चिकुनगुनिया से लक्षण एवं बचाव :**

**लक्षण –**

- बदन दर्द, सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द एवं त्वचा पर लाल धब्बे, नाक, मसूढ़ों या उल्टी से रक्त स्त्राव होना एवं काला पैखाना होना इस बीमारी के गंभीर लक्षण है।

**बचाव हेतु क्या करें–**

- दिन में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।
- मच्छर भगाने वाली दवा/क्रीम का प्रयोग दिन में भी करें।
- पूरे शरीर को ढँकने वाले कपड़े पहने, घर एवं सभी कमरों को साफ–सुथरा एवं हवादार बनाए रखें।
- टूटे–फूटे बर्तनों, कूलर, ए.सी./फ्रिज के पानी निकासी ट्रे, पानी टंकी एवं घर के अंदर एवं अगल.बगल में अन्य जगहों पर पानी न जमने दें।
- गमला, फुलदानी इत्यादि का पानी हर दूसरे दिन बदलें।
- अपने आस–पास के जगहों को साफ–सुथरा रखें एवं जमा पानी एवं गंदगी पर Temephos50% EC 2ml/lit का साफ पानी के साथ छिड़काव करें।
- मॉल दुकानदारों/प्रबंधकों से भी अनुरोध है कि खाली पड़ें जगहों पर रखे डब्बों/कार्टनों में पानी जमा न होनें दें।
- जमे हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालें।
- याद रखें हर बुखार डेंगू /चिकुनगुनिया नहीं है।
- बीमारी के लक्षण होने पर बिना समय गंवाये चिकित्सक से सम्पर्क करें।
- समय पर उपचार कराने से डेंगू के मरीज पूर्णतः स्वस्थ्य हो सकते हैं।

**श्रोत : पटना नगर निगम(2018)**

**अनुलग्नक – (16) वज्रपात (ठनका) क्या करें–क्या न करें :**

**आमजनों को बरसात में वज्रपात (ठनका) से बचाव के सुझाव पर अमल करने हेतु परामर्श**

**क्या करें –**

- किसी पक्के मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें, खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें।
- बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचे व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।
- यदि आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं, त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुक कर कान बंद कर लें। यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। जमीन पर न लेटें और न ही हाथ टिकाएं।

**क्या न करें –**

- बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, तार वाले टेलीफोन का उपयोग न करें।
- खिड़कियाँ, दरवाजें, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएँ जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें, धातु से बने, पाईप, नल, फब्बारा, वॉश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहें।
- ऊँचे वृक्ष आसमानी बिजली को आकर्षित करते हैं। कृपया उनके नीचे न खड़े रहें। ऊँची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न ले। समूह में न खड़े रहें, बल्कि अलग–अलग हो जाएं।
- बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन, टेलीफोन, टेलीविजन टावर आदि से दूर रहें।

**श्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार**

**नोट :** आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को सीपीआर (कार्डियों पल्मोनरी रिससिटेशन) यानि कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुलग्नक – (17) शीतलहर से बचाव :

**स्वास्थ्य विभाग**

**स्वास्थ्य सेवा निदेशालय**

**शीतलहर या ठंड लगने से बचाव के उपाय**

शरीर का तापमान $95^0$ फारेनहाईट या $35^0$ सेल्सियश से कम होने को ठंड लगना या शीतलहर का असर होना कहते हैं।

| शीतलहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते है : | शीतलहर या ठंड से बचाव हेतु निम्न उपायों का ध्यान दें: |
|---|---|
| 1. शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना।<br>2. अत्याधिक कपकपी या ठिठुरण का होना।<br>3. बार–बार उल्टी की इच्छा या उल्टी का होना।<br>4. अत्याधिक सुस्त होना या थकान।<br>5. अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना। | 1. जब तक बाहर जाने की जरूरत/आवश्यकता न हो यथासंभव घर के अंदर सुरक्षित रहे (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।<br>2. यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो शरीर पर समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़ें पहन कर ही निकले तथा अपने सिर, चेहरा हाथ एवं पैर को भी यथोचित गर्म कपड़े से ढ़क लें।<br>3. स्थानीय समाचार पत्र/रेडियों/टेलिविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।<br>4. शरीर को निर्जलीकरण से बचाने हेतु शराब इत्यादि का सेवन न करे।<br>5. शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिये पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।<br>6. बंद कमरों में जलते हुए लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएँ के निकास का उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें एवं इसके प्रयोग के बाद अच्छी तरह से बुझा दें।<br>7. हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्वीच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।<br>8. राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।<br>9. उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।<br>10. विशेष परिस्थिती में नजदीकी सरकारी अस्पताल से चिकित्सीय परमर्श ले अथवा रोगी वाहन एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या 102 या 108 पर संपर्क करें। |

**श्रोतः स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग (2016)**

अनुलग्नक – (18) 2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध में :

अत्यावश्यक

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-36/2011...4942/आ0प्र0

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,

अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना-15, दिनांक- 12.12.12

**विषयः- वर्त्तमान वर्ष 2012-13 में शीतलहर/पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर/पाला से निपटने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठण्ड की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी-कभी प्रचण्ड एवं भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष दिसम्बर माह के प्रारम्भ से ही ठंड प्रारम्भ हो गयी है। संभावना है कि शीतलहर भी शीघ्र ही शुरू हो जाए। गरीब एवं निःसहाय व्यक्ति जो फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं, विशेष रूप से शीतलहर के शिकार हो जाते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह शीतलहर से बचाव हेतु ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करे।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-32-3/2010-एन0डी0एम0-1, दिनांक-13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है जिसका संसूचन विभागीय पत्रांक-4285/आ0प्र0, दिनांक-18.10.2012 द्वारा किया गया है। साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित मानदर निर्धारित किया गया है :-

(क) किसी क्षेत्र को शीतलहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायेगा :-

I. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

II. वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।

राज्य में किसी जिले को शीतलहर/पाला (Frost) से प्रभावित मानने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया

जायगा। रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा।

3. इस वर्ष 2012-13 में सम्भावित शीतलहर को ध्यान में रखते हुए गरीबों की शीतलहर से रक्षा के लिये निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

(क) जिला विशेष में ज्योंही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी अपने विवेक से गरीब वर्गों को शीतलहरी के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करेंगे। अलाव की व्यवस्था यथानुसार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तरीय सभी शहरी/अर्द्ध शहरी स्थानों में की जाएगी। जिला पदाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाएं, जहाँ अधिक-से-अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हों या एकत्र होते हों, उदाहरणार्थ धर्मशालाएं, अस्पताल परिसर, रैन-बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/ बस स्टेशन, अन्य सार्वजनिक स्थान आदि, ताकि इस प्रकार के लोग लाभान्वित हो सकें।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर जिला दण्डाधिकारी (साहायुय) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाए। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) रिक्शा चालक (शहरों में), दैनिक मजदूर, एवं ऐसे सदृश श्रेणी के गरीब, नि:सहाय व्यक्ति, बच्चे, जिनका कोई आवास न हो को शीतलहर के समय रैन-बसेरा, सामुदायिक भवन इत्यादि में शरण दिया जाये ताकि शीतलहर से उनका बचाव हो सके। ऐसे शरण स्थलों का व्यापक प्रचार भी कराया जाय। जहाँ सार्वजनिक भवन उपलब्ध नहीं हों, वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलिथीन शीट्स, तारपोलीन शीट्स, टेंट का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण-स्थली बनायी जाय । इन शरण स्थलियों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखें जायें । कम्बल किसी शरणार्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा मात्र शरण लेते समय उपयोग किया जाएगा । शरण-स्थली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि जन-सामान्य को इसकी पूर्व जानकारी रहे तथा वे सरकार द्वारा एतत् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सके तथा इस व्यवस्था की मोनिटरिंग/निगरानी भी उच्चस्तर से की जा सके।

(घ) शीतलहर से बचाव के लिए किये जाने वाले उपाय से जनता को अवगत कराया जाय। शीतलहर से बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग पम्पलेटों, समाचार पत्रों के माध्यम से, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगा कर एवं अन्य साधनो से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था करायेगा।

(ङ) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में शीतलहर से मृत्यु की सूचना यदाकदा प्रकाशित होती है ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाय तो उनका खण्डन समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। शीतलहर से उत्पन्न होने वाले प्रकोप से बचाव, अपनाये गये उपायो व किये गये राहत कार्यो की जानकारी समय-समय सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित भी करायी जाय।

(च) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं निःसहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरूपयोग न हो। साथ ही मितव्ययिता बरती जाय।

(छ) अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

(4) अतः अनुरोध है कि वर्त्तमान वर्ष 2012-13 में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होने पर उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिसका टेलीफैक्स नं0 **0612-2217305** है। जिलों द्वारा प्रत्येक दिन संलग्न प्रपत्र में तापमान एवं दैनिक प्रतिवेदन राज्य नियंत्रण कक्ष को भेजा जाएगा।

कृपया उपरोक्त निदेशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त।

(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही वे जिलों के भ्रमण के समय उन स्थानों का भी औचक निरीक्षण करें जहाँ अलाव जलाए जा रहे हैं।

अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपिः सचिव, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ । शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अपर सचिव

ज्ञापांक 4942/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/12/12

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ। निदेशानुसार अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

अपर सचिव

**अनुलग्नक – (19) सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव :**

| सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव |
|---|
| 1. सर्दी के मौसम में पशुओं को ठंढ, ओस एवं कोहरे से बचाने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए पशुओं को गर्म स्थान पर जैसे छत के नीचे या घास–फूस की छप्पर के नीचे रखना चाहिए। रात में पशुओं को कभी भी खुले में नहीं बांधना चाहिए। फर्श गीले व ठंडे नहीं रहनी चाहिए। ठंढ़ से बचाव हेतु फर्श पर पुआल बिछा कर रखना चाहिए। |
| 2. धूप निकलने की स्थिति में पशुओं को खुले धूप में बाँधे। क्योंकि सूर्य की किरणों में जीवाणु एवं विषाणु को नष्ट करने की बहुत क्षमता होती है तथा विटामिन 'डी' की प्राप्ति होती है। |
| 3. अधिक ठंढ़ होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर पर कपड़ा या जूट की बोरी बाँध दें। पशुगृह को गर्म रखने के लिए अलाव/धुआं इत्यादि का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए ताकि आगजनी की समस्या न हो। |
| 4. पशुओं को नियमित व्यायाम करायें। रोगी, कमजोर, गाभिन और अपाहिज पशुओं को टहलाकर तथा स्वस्थ एवं वयस्क पशुओं को हल्का या तेज दौड़ाकर व्यायाम कराना चाहिए। इससे पशुओं के सभी अंगों में रक्त संचार सुधरती है। |
| 5. उन्हें स्वच्छ एवं ताजा पानी, जो अत्यधिक ठंढ़ा न हो, पीने को दें। |
| 6. ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखा जाए तथा उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर संतुलित भोजन दिया जाय। |
| 7. खुरहा–मुंहपका रोग, गलाघोंटू, लंगडी, पी॰पी॰आर॰, बकरी/भेंड़ चेचक आदि रोगों से बचाव हेतु टीके, यदि अभी तक नहीं लगवाएं हो तो, कृपया समय रहते अवश्य लगवा लें। |
| 8. अंतः एवं बाह्य परजीवी से बचाव हेतु उचित कृमिनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। |
| 9. इस मौसम में कफ, निमोनिया (बछड़ों में) और खांसी से संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से यथाशीघ्र परामर्श लेकर उचित औषधी पशुओं को देना चाहिए। |
| 10. दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें और दूध दूहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक (फिटकिरी, लाल पोटाश) घोल से धो लेना चाहिए। |
| 11. पशुओं को नमक एवं खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या चारे में मिलाकर दें। |
| 12. सर्दियों के मौसम में दलहनी किस्म का हरा चारा जैसे बरसीन, ल्यूसर्न, जई आदि रसदार चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसलिए इन्हें पशुओं को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। शुष्क पदार्थ का एक तिहाई भाग हरा चारा होना चाहिए। महंगे दाने की मिश्रण की मात्रा को दलहनी किस्म के हरे चारे के प्रयोग से कम किया जा सकता है। हरे चारे की मात्रा एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ाना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में हरा चारा देने से पशुओं में दस्त, अफारा इत्यादि की समस्या हो सकती है। |
| 13. पशुओं को खिलाने के पश्चात् अतिरिक्त हरा चारा अगर बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर सूखी घास 'हे' के रूप में संरक्षित कर लें। यह हरे चारे की अनुपलब्धता में इस्तेमाल किया जा सकता है। |
| 14. पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। दानों में अनाज, खल तथा भूसी की समान मात्रा मिलाएं। खल में मूंगफली की खल का प्रयोग करना चाहिए। दानें मं 10 प्रतिशत शीरा का प्रयोग करना चाहिए। |
| 15. सर्दी में अक्सर अधिकतर भैंसे गर्म हो जाती हैं, इसे उचित समय पर गर्भाधान करवाएं। |

**श्रोतः पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

**अनुलग्नक – (20) नाव दुर्घटना से बचने के उपाय– सवारी करने वालों, नाविको, नाव मालिकों एवं जिला प्रशासन हेतु**

## नाव दुर्घटना से बचने के उपाय

### नाव की सवारी करने वाले ध्यान दें

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान हो, उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओभर लोडडे नाव पर न बैठें।
- नाव चलाने के पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरन्त उतर जाए।
- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी–तूफान एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढ़ोये जा रहे हों, उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी–फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय, के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठे व उतरते–चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें।

### नाविक एवं नाव मालिक ध्यान दें

- तेज हवा/खराब मौसम/आँधी/तूफान एवं बारिश में नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो उस नाव पर 2 नाविक का होना अनिवार्य है। 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढ़ोया जा रहा हो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठाएँ।
- किसी भी तरह की नाव चाहे, उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उस पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलिचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें।
- मानसून अवधि में सर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

**जिला प्रषासन ध्यान दें।**

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत/संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन/मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।
- घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोता खोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाय कि नावों पर लदान क्षमता तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सके कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार, बंगाल नौ–घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए।

**अनुलग्नक–(21) नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह**

**नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रषासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह ।**

- खतरनाक घाटों के किनारे न स्वयं जाये न ही बच्चों को जाने दें।
- बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोके।
- बच्चों को पुल/पुलिया/ऊँचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें।
- यदि बहुत आवश्यक हो तो नदी के किनारे जायें, परन्तु नदी में उतरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- यदि तैरना जानते हो तभी नदियों/तालाबों/घाटों के किनारे जाएं।
- डूबते हुए व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। तैरना नहीं जानते हो तो पानी में न जाएं और सहायता के लिए अन्य किसी को पुकारे।
- गाँव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस–पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें। किस कारण से इस तरह की घटना हुई और ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की घटना फिर कभी न हो आदि।

**डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकाल कर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें :–**

- सबसे पहले देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, यदि है तो उसे निकालें।
- नाक व मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की साँस चल रही है।
- नब्ज की जाँच करने के लिए गले के किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नब्ज चल रही है कि नहीं।
- नब्ज व साँस का नहीं पता चलने पर डूबे हुए व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर साँस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3–4 बार दुहराएँ। ऐसा करने से घड़कन वापस आ सकती हैं व साँस चलना शुरू हो सकता है।
- देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति का पेट यदि फुला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया है। अतः नीचे दी गई विधि से पेट से पानी निकालने कि प्रक्रिया शुरू करें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ। पेट के नीचे तकिया या छोटा घड़ा जैसा बर्तन जो भी उपलब्ध हो सके लगा दें। अन्यथा किसी स्वस्थ्य व्यक्ति को पहले पेट के बल सुलाएँ तथा उसके ऊपर डूबे हुए व्यक्ति को इस तरह सुलाएँ कि उसका पेट नीचे सोये हुए व्यक्ति की पीठ पर पड़े। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे–धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।
- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेन्स बुला लें।

**श्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(2016)**

अनुलग्नक–(22) भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ?

| भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ? | |
|---|---|
| **क्या करें ?** | **क्या न करें ?** |
| ▪ मेले में चलते–फिरते रहें | ▪ अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएँ। |
| ▪ यदि आप परिवार या समूह के साथ है तो किसी आपात स्थिति में स्थान सुनिश्चित करे लें। एक दूसरे का फोन नम्बर साथ रखें। | ▪ निर्धारित स्थल पर मिलने की योजना बनना न भूले तथा योजना की जानकारी सबों को दें। |
| ▪ भगदड़ के समय संयमपूर्ण व्यवहार करें। | ▪ घबराएँ नहीं। |
| ▪ यदि आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर जा रहे है तो उनके जेब या गले में घर का पता एवं फोन नं॰ जरूर डाल दें। | ▪ छोटे बच्चों का हाथ छोड़े नहीं। पहने हुए कपड़े का रंग भूले नहीं। |
| ▪ मेले में बहुमूल्य सामानों की रक्षा स्वयं करें। | ▪ पॉकेट या पर्स में अपना नाम एवं मोबाईल/फोन नं॰ लिख कर रखना न भूले। |
| ▪ बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें। | ▪ बिजली के तारों को न छुएँ एवं खुले तारों से दूर रहें। |
| ▪ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नजदीकी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। | ▪ मेले में किसी भी प्रकार का अफवाह ने फैलाएँ। |
| ▪ मेले में प्रशासन की घोषणा सुने और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। | ▪ धुम्रपान/आतिशबाजी नहीं करें। |

**अनुलग्नक – (23)** **दशहारा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें :**

**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

**दशहारा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें**

| **जिला प्रशासन : (क्या करें)** | | **सामान्य नागरिक : (क्या करें)** | |
|---|---|---|---|
| मेले में आगमन एवं निकास की समुचित व्यवस्था (पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग यथा आवश्यकता बैरिकेडिंग की व्यवस्था। | बिजली के तारों एवं उपकरणों में सुरक्षा के पूर्ण उपायों की व्यवस्था। | मेले में चलते–फिरते रहें, अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ न लगाएं। | यदि आप परिवार या समूह के साथ है तो किसी आपास स्थिति में मेला क्षेत्र के बाहर मिलने का एक स्थान सुनिश्चित कर लें। एक दूसरे का फोन नंबर साथ रखें। |
| | आग से बचाव की समुचित व्यवस्था । | भगदड़ के समय संयम पूर्ण व्यवहार करें और घबराएं नहीं। | |
| मेले के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना/लाउड स्पीकर से लगातार आवश्यक सूचनाओं की घोषणा। | मेला स्थल पर पाकिंग की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था। | यदि आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता और फोन नंबर अवश्य रख दें। | मेले में अपने बहुमूल्य सामनों की रक्षा स्वयं करें। |
| | मेला स्थल पर समुचित रोशनी की व्यवस्था | | बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें। |
| चिकित्सा दल एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था। | विसर्जन में प्रयुक्त नावों में सुरक्षा संबंधी उपाय एवं गोताखोरों की व्यवस्था। | किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें। | मेले में प्रशासन की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें और उसके अनुसार व्यवहार करें। |
| दुर्गा पूजा के अवसर पर विसर्जन हेतु घाटों एवं स्थलों को चिह्नित कर लिया जाय। | विसर्जन क्रमबद्ध रूप से कराया जाए। | **सामान्य नागरिक : (क्या न करें)** | |
| | | मेले में किसी प्रकार की अफवाह ने फैलाएं और न ही उन पर ध्यान दें। | मेले में साथ लाये बच्चों को अकेला न छोड़े न ही उन्हें इधर–उधर जाने दें। |
| मेला या विसर्जन स्थल पर पटाखा आदि का इस्तेमाल न हो। | | | |
| **जिला प्रशासन : (क्या न करें)** | | दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में तैराकी न जानने वाले पानी की भीतर न जाएं। | मेले में किसी भी प्रकार के पटाखें/ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं तथा धुम्रपान न करें। |
| भीड़ को एक जगह एकत्रित न होने दे। | बिजली एवं उपकरणों के पास लोगों को न जाने दे। | | |
| एक ही ओर से भीड़ को आने और जाने न दिया जाय। | किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलने दिया जाय। | मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं। | |
| मेले में किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलने दिया जाए। | मूर्ति विसर्जन के समय नावों में निर्धारित/लदान क्षमता से ज्यादा लोगों को न बैठने दिया जाय। | | |

**श्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2016)**

अनुलग्नक – (23 क) छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव :

**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**
**छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव**

| सामान्य नागरिक : (क्या करें) | सामान्य नागरिक : (क्या न करें) |
|---|---|
| • निर्धारित मार्गों पर ही चले और गाड़ियाँ निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें। | • अफवाहें न फैलाएँ न उन पर विश्वास करें। |
| • यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता एवं फोन नंबर अवश्य रख दें। | • बैरिकेडिंग को न पार करें और खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जायें। |
| • बच्चों/महिलाओं/बुजुर्गों के पास अपने घर का पता और फोन नंबर अवश्य हो। | • छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी न करें। |
| • समस्या होने पर अतिकृत पदाधिकारियों/स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें। अगर आवश्यक हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। | • किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएँ। |
| **प्रशासन : (क्या करें)** | |
| • सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें। | • खतरनाक घाटों का चिह्निकरण एवं बैरिकेडिंग करें ताकि श्रद्धालु वहाँ न जायें। |
| • घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई हो। | • घाट पर जाने वाले रास्तों की समुचित साफ–सफाई हो। |
| • घाटों पर साफ पेयजल की व्यवस्था हो। | • मार्गों का चिह्निकरण/संकेतीकरण किया जाए। |
| • मार्गों एवं घाटों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था हो। | • बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अवांचित विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित की जाए। |
| • पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एंव अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए। | • छठ पर्व में तैनात विभिन्न महत्वपूर्ण एजेसिंयो के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान के लिए अलग–अलग रंग के जैकेट की व्यवस्था हो। |
| • नहाय–खाय के दिन से ही निजी नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। | • आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। |
| • अग्निशाम की गाड़ियों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए। | • छठ पूजा समितियों के स्वयं–सेवकों का सहयोग लिया जाए। |
| • सरकारी/निजी अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निबटने की व्यवस्था हो। | • घाटों पर गोताखोरों एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए। |
| • घाटों पर विभिन्न स्थानों पर 'हेल्पलाइन नंबर' का प्रदर्शन किया जाए। | **श्रोत : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2018)** |

अनुलग्नक (24) – भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित साहाय्य मनादर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या करने के संबंध में :

1973

पत्रांक 1प्रा0आ0–17/2015/.....[illegible]/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/5/15

विषयः **वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ***यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।***

| क्र0 सं0 | मद का नाम/ITEM | भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014/एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance |
|---|---|---|
| 1 | **GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदानः–** | |
| | a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons | **Rs.4.00 lakh** per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. |
| | (क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। | **₹ 4.00 लाख प्रति मृतक (राहत कार्यो एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो।** |
| | b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s). | **Rs. 59,100/-** per person, when the disability is between 40% and 60%.<br>**Rs. 2.00 Lakh** per person, when the disability is more than 60%.<br>Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability. |
| | (ख) हाथ–पैर या ऑखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान। | **₹ 59,100.00 प्रति व्यक्ति**<br>(जब विकलांगता 40 से 60 प्रतिशत के बीच हो)<br><br>**₹ 2.00 लाख प्रति व्यक्ति**<br>(जब विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो)<br><br>बशर्ते सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो। |
| | c) Grievous injury requiring hospitalization | **Rs 12,700/-** per person requiring hospitalization for more than a week.<br>**Rs. 4,300/-** per person requiring hospitalization for less than a week |
| | (ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्ती होना पड़े। | **₹ 12,700 प्रति व्यक्ति**<br>(एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)<br>**₹ 4,300 प्रति व्यक्ति**<br>(एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर) |
| | d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity. | **Rs.1,800/-** per family, for loss of clothing.<br>**Rs.2,000/-** per family, for loss of utensils/ household goods |

| | | |
|---|---|---|
| | (घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो। | **₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए** |
| | e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected. | **Rs.60** per adult and **Rs. 45** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise.<br><br>Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. |
| | (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान। | **₹ 60.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।**<br><br>राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं।<br>साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी।<br>➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी।<br>➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना |

| | | |
|---|---|---|
| | | widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.<br>Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM). |
| | (क) आपदा प्रभावित/निष्कासित/राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। | 30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति/ भूकम्प/ बाढ़ से बड़े पैमाने की तबाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है। |
| | b) Air dropping of essential supplies | As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).<br>- The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only. |
| | (ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण। | ➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।<br>➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी। |
| | c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas | As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time |

| | | |
|---|---|---|
| | | period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. |
| | (ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति | एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| 4 | **CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई** | |
| | a) Clearance of debris in public areas. | As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF |
| | (क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई | सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| | b) Draining off flood water in affected areas | As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF). |
| | (ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी | सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| | c) Disposal of dead bodies/ Carcases | As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). |
| | (ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन। | वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । |
| 5 | **AGRICULTURE/ कृषि** | |
| **(i)** | **Assistance farmers having landholding upto 2 ha ./ 2** | |

| | | |
|---|---|---|
| | हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को साहाय्य। | |
| I | **Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य** | |
| | a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.) | **Rs. 12,200/-** per hectare for each item.<br><br>(Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme) |
| | b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas | |
| | c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms | |
| | (क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो) | ₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए<br><br>(बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो) |
| | (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेबरिस (मलवा) हटाने के लिए | |
| | (ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति | |
| | d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers. | **Rs. 37,500/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records. |
| | (घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति। | ₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर<br><br>सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं। |
| **B** | **Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।)** | |
| | a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops | **Rs. 6,800/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas .<br>**Rs. 13,500/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas. |
| | (क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए | ₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।<br>₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । |

| | | |
|---|---|---|
| | b) Perennial crops | **Rs. 18,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas |
| | (ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए | ₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत ) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहायय राशि 2000/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी । बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। |
| | c) Sericulture | **Rs. 4,800/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar<br>**Rs. 6,000/-** per ha. for Muga. |
| | (ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए | ₹ 4,800/– प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलबेरी" एवं "तसर" के लिए<br>₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए |
| **(ii)** | **Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding .** | **Rs.6,800/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas .<br>**Rs.13,500/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas<br><br>**Rs. 18000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas<br><br>- Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer . |
| **(ii)** | कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो। | ₹ 6,800/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br><br>₹ 13,500/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br><br>₹ 18,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए।<br>33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक। |
| 6 | **ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता** | |
| | i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage. | ***Milch animals -***<br>**Rs.30,000/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc.<br>**Rs.3,000/-** Sheep/ Goat/Pig |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Draught animals -***<br>**Rs.25000/-** Camel/ horse/ bullock, etc.<br>**Rs.16,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule<br><br>- The assistance may be restricted for the actual loss of<br>economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government).<br><br>***Poultry:-***<br>Poultry **@ 50/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 5000/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity.<br><br>*Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners. |
| | i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन। | **दूध देने वाला जानवर**<br>भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन इत्यादि<br>₹ 30,000/- की दर से<br>भेंड़/बकरी ₹ 3,000/- की दर से<br><br>**अदुग्धकारी जानवर**<br>ऊँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से<br>बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 16,000 की दर से<br><br>सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 30 छोटे अदुग्धकारी जानवर या 3 बड़े अदुग्धकारी जानवर या 6 छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी)<br>**पॉल्ट्री**<br>₹ 50/– प्रति चिड़ियों की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/– रू0 की अधिकतम सीमा |

| | | |
|---|---|---|
| | | के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा।<br><br>**टिप्पणी**:– इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो। |
| | ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps. | Large animals- **Rs. 70/-** per day<br><br>Small animals- **Rs. 35/-** per day,<br><br>Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.<br>Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent wih estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related. |
| | ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु। | बड़ा पशु ₹ 70/– प्रतिदिन की दर से ।<br>छोटा पशु ₹ 35/– प्रतिदिन की दर से ।<br><br>साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनों तक एवं गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।<br>राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले |

| | | |
|---|---|---|
| | | में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा। |
| | iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps | As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census. |
| | iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन | वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधरित होगा। |
| 7 | **FISHERY/ मत्स्य पालन** | |
| | i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost<br>-- Boat<br>-- Dugout-Canoe<br>-- Catamaran<br>-- net<br>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.) | **Rs. 4,100/-** for repair of partially damaged boats only<br><br>**Rs.2,100/-** for repair of partially damaged net<br><br>**Rs.9,600/-** for replacement of fully damaged boats<br><br>**Rs.2,600/-** for replacement of fully damaged net |
| | (i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती / पुर्नस्थापन–<br>क्षतिग्रस्त या खो जाने पर –<br>• नाव<br>• डोगी<br>• कटमरैन<br>• जाल<br>(यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।) | ₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए<br><br>₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए<br><br>₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए<br><br>₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | ii) Input subsidy for fish seed farm | **Rs. 8,200** per hectare.<br>(This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.) |
| | (ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी | ₹ 8,200/- प्रति हेक्टर<br>(यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।) |
| 8 | **HANDICRAFTS/HANDLOOM - ASSISTANCE TO ARTISANS/** हस्तशिल्प/ हस्तकरघा– कारीगरों के लिए सहायता | |
| | i) For replacement of damaged tools/ equipment | **Rs. 4,100** per artisan for equipments.<br>- Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement. |
| | (i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए | ₹ 4,100/– प्रति शिल्पी<br><br>बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो। |
| | ii) For loss of raw material/ goods in process/<br>finished goods | **Rs. 4,100** per artisan for raw material.<br>- Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement. |
| | (ii) कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए | ₹ 4,100/– प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए<br><br>बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो। |
| 9 | **HOUSING/ अवास/मकान** | |
| | a) **Fully damaged/ destroyed houses** | |
| | i) Pucca house<br>ii) Kutcha House | **Rs. 95,100/-** per house, in plain areas.<br>**Rs. 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए**<br>**Rs.1,01,900/-** per house, in hilly areas |
| | (क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान | |

| | | |
|---|---|---|
| | (i) पक्का मकान<br>(ii) कच्चा मकान | including Integrated Action Plan (IAP) districts.<br>**Rs.1,01,900/-** प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आईएएपी० जिलो सहित |
| | **b) Severely damaged houses** | |
| | i) Pucca House<br>ii) Kutcha House | |
| | **(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान** | |
| | (i) पक्का मकान<br>(ii) कच्चा मकान | |
| | (c) **Partially Damaged Houses -** | |
| | (i) Pucca (other than huts) where the damage is a at least 15% | **Rs. 5,200/-** per house |
| | (ii) Kutcha (other than huts) where the damage is a at least 15% | **Rs. 3,200/-** per house |
| | **(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान ।** | |
| | **(i)** पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो | ₹ 5,200/– प्रति मकान |
| | (ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो | ₹ 3,200/– प्रति मकान |
| | d) **Damaged / destroyed huts:** | **Rs. 4,100/-** per hut,<br>*(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)*<br><br>*Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government |
| | **(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी** | ₹ 4,100/– प्रति झोपड़ी<br><br>(झोपड़ी का मतलब– अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)<br><br>टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए। |
| | e) Cattle shed attached with house | **Rs.2,100/-** per shed. |
| | **(ङ) घर के साथ संलग्न पशु शेड** | ₹ 2,100/– प्रति पशु शेड |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | **INFRASTRUCTURE/ अधारभूत संरचना** | |
| | Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure:<br><br>(1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.*<br><br>Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded. | **Activities of immediate nature :**<br>Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix**.<br><br>***Assessment of requirements :***<br><br>Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).<br><br>- As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are<br><br>• Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR)<br><br>• Hills: upto 20% of total of OR and PR.<br>• In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States.<br>• In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh pe damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case |

| | | |
|---|---|---|
| | | of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes.<br>• Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure.<br>• Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure.<br>• Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, polets and trasfrormers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer. |
| | अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के)<br>(1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ।<br>Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) हैं। | **तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :**<br><br>तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।<br><br>**आवश्यकताओं का आंकलन :**<br><br>आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा।<br>➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख–रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चकवात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जायः<br>• सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चकिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत<br>• पहाड़ी क्षेत्र– कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चकिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • सड़कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए रू0 1.00 लाख/कि0मी0 एवं ग्रामीण सड़कों के लिए रू0 0.60 लाख/कि0मी0 की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा।<br>• पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता रू0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा।<br>• क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता रू0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा।<br>• क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता रू0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा।<br>• क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर रू0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए रू0 0.50 लाख प्रति कि0मी0 तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए रू0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा। |
| 11. | **PROCUREMENT/ खरीद** | SDRF. | |

| | | |
|---|---|---|
| | आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय | ➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा।<br>➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| 12 | **Capacity Building / क्षमता निर्माण** | Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC)<br>- The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF. |
| | | ➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर 0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा।<br>➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assisace is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भांति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ङ) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/– (तीन हजार) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा– वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा में भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(25) आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड :

पत्रांक /202 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिलापदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/8/16

विषय– **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के लिए शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के लिए शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता से संबंधित राहत उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं आपदाओं के दौरान विधवा एवं अनाथ हो गए लोगों के लिए की जाने वाली विशेष व्यवस्था करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी राज्य में आपदा पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राहत के मानदंड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों से कम नहीं होने चाहिए। NDMA द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शिका पत्रांक NDMA/R&R/621/(FTS:7315)/2015 दिनांक– 26.02.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है।

2. अवगत हैं कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा राहत केन्द्रों में की जाने वाली व्यवस्था संबंधी परिपत्र सभी आपदा प्रभावित जिलों को प्रेषित किया गया था। विभाग द्वारा निर्गत 'बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' में इस परिपत्र को शामिल करते हुए तदनुसार ही सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों में आवश्यकतानुसार राहत केन्द्रों के संचालन का निदेश पूर्व में दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना में भी राहत केन्द्रों के संचालन एवं प्रबंधन का समावेश किया गया है।

3. अवगत हों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों की मार्गदर्शिका की प्रति को माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 26.02.2016 को रिट याचिका 444/2013 की सुनवाई के दौरान दायर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 26.02.2016 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निदेशित किया गया है कि NDMA के द्वारा निर्धारित उपर्युक्त विषयों से संबंधित न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही की जाए।

4. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में उपर्युक्त विषयों से संबंधित राहत के न्यूनतम मापदण्डों को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुरोध है कि किसी भी आपदा के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभागीय पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 के अनुसार जिन मामलों में मापदण्ड इन न्यूनतम मापदण्डों से अधिक होंगे, वही लागू माना जाएगा, परन्तु विभागीय निदेशों में वस्त्र का मानदंड अद्यतन मानदंड के अनुरूप होगा।

**अनु0– 1. NDMA द्वारा निर्धारित राहत के न्यूनतम मापदण्डों की प्रति।**
**(अंग्रेजी एवं हिन्दी में)**
**2. विभागीय पत्रांक 2493, दिनांक 05.09.2008 की प्रति।**

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/3/16

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/ सचिव, गृह विभाग/ कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/3/16

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/3/16

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/3/16

प्रतिलिपि: सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1202/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/3/16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

# बिहार सरकार
# आपदा प्रबंधन विभाग

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राहत के न्यूनतम मापदण्ड

### 1. राहत और पुनर्वास शिविर की परिभाषा

आपदा से प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से आवासित करने हेतु राहत एवं पुनर्वास शिविरों की स्थापना की जाएगी। राहत और पुनर्वास शिविर सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ अस्थायी प्रकृति के होंगे। इन शिविरों में रहने वाले लोगों को, सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर, पुनः स्थायी आवासों में जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। चूँकि आपदाओं के प्रथम दिन से एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित मूल दिशा–निर्देशों का अनुपालन कभी–कभी संभव नहीं हो सकेगा, अतः वैसी परिस्थिति में निम्नांकित प्रकिया का अनुपालन होगा :–

1. **प्रथम 3 दिन** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित आधारभूत मानदंडों का यथा संभव अनुपालन।

2. **4 से 10वें दिन तक** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित अधिकांश आधारभूत मानदंडों का अनुपालन करने का प्रयास किया जाएगा।

3. **11वें दिन और उसके पश्चात** – एन0डी0एम0ए0 द्वारा निर्धारित आधाभूत मानदंडों का अनुपालन

राहत उपलब्ध कराने के कम में देश, मौसम एवं परिस्थिति के कारण राहत की आवश्यकता एवं उसे उपलब्ध कराने में प्रशासन एवं अन्य दावेदारों की क्षमता प्रभावित होगी, अतः न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप राहत उपलब्ध कराने में इन सीमाओं/प्रभावों का भी ख्याल रखना चाहिए।

### 2. राहत शिविरों में शरण स्थल के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) किसी क्षेत्र में आपदा आने के समय लोगों को आवासित करने हेतु, राज्य/जिला प्रशासन द्वारा स्थलों/ भवनों यथा स्थानीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, समुदायिक केन्द्र, विवाह भवन आदि की पूर्व पहचान के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। ऐसे चिन्हित स्थल, उस क्षेत्र विशेष में, आपदा आने के समय राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त होंगे, जहाँ लोगों को आवासित किया जाएगा। ऐसे केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएँ यथा

पर्याप्त शौचालय, जलापूर्ति, आपदा के समय ऊर्जा की पूर्ति हेतु ईंधन के साथ जेनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

b) आपदा आने के पश्चात आपदा पीड़ितों को आवासित करने हेतु बड़े ढँके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के Last minute arrangement and high cost से बचने के लिए पूर्व से ही निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्त्ताओं से फैक्ट्री निर्मित प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर/ टेंट/ टायलेट/ मोवाईल टायलेट एवं शौचालय आदि की आपूर्ति हेतु अग्रिम समझौता किया जाएगा। ऐसे प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर/ टेंट/ टायलेट/ मोवाईल टायलेट एवं शौचालय आदि को आपदा समाप्त होने पर संकलित कर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था से राहत शिविरों एवं आवश्यक आपूर्तियों की स्थापना में होने वाले विलंब एवं उच्च राशि के व्यय से बचा जा सकेगा।

c) आपदा पीड़ितों के लिए राहत केन्द्रों पर प्रति व्यक्ति 3.5 वर्ग मी0 आवश्यक ढँका हुए प्रकाशित क्षेत्र की व्यवस्था की जायेगी। शिविरों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा एवं निजता हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा, विशेषकर महिला, विधवा एवं बच्चों के लिए विकलांग, वृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

d) राहत शिविर अस्थायी प्रवृति के होगें एवं क्षेत्र में सामान्य स्थिति होते ही इन्हें बंद कर दिया जायेगा।

e) मेट्रो/शहर एवं नगरों की योजना एवं विकास के लिए पूर्व में ही राहत केन्द्रों की स्थापना के लिए, जनसंख्या के घनत्व के अनुरूप, पर्याप्त स्थलों को चिन्हित कर लिया जायेगा।

## 3. राहत शिविरों में भोजन की आपूर्ति के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) बच्चों एवं धातृ माताओं को दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराये जायेगें। परिस्थितियों के अनुरूप आपदा पीड़ितों को, विशेषकर शिविरों में निवास करने वाले वृद्ध एवं बच्चों को, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्रयास किये जायेगें।

b) राहत शिविरों में बनाये गये रसोईघर/समुदायिक रसोईघर की स्वच्छता हेतु पर्याप्त कदम उठाये जायेगें। वितरण के पूर्व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के निर्माण की तिथि एवं एक्सपाईरी तिथि का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

c) पुरूष/महिलाओं एवं बच्चों/नवजात को आपूरित किये गये भोजन पदार्थों में न्यूनतम किलो कैलोरी क्रमशः 2400 एवं 1700 किलो कैलोरी सुनिश्चित किया जायेगा।

## 4. राहत शिविरों में जल की आपूर्त्ति के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) राहत शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं हाथ धोने के लिए पर्याप्त जल की आपूर्त्ति की जायेगी।

b) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 लीटर पेयजल को राहत शिविरों में उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य एवं जिला प्रशासन पानी की न्यूनतम मात्रा के संबंध में क्षेत्र विशेष के भूगोल, जनसंख्या एवं सामाजिक क्रियाकलापों के आलोक में निर्णय ले सकेगें। यदि स्वच्छ पेयजल आपूर्त्ति सम्भव नहीं हो, तो दुगनी मात्रा में Double Chlorinated जल उपलब्ध कराया जायेगा।

c) पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्त्ति सुनिश्चित कराने के लिए जल के स्त्रोत को राहत शिविरों के परिसर में ही स्थापित करना होगा। फिर भी, Tapped Water उपलब्ध होने पर, राहत शिविरों से पेयजल स्त्रोतों की अधिकतम दूरी 500 मीटर तक हो सकेगी।

## 5. राहत शिविरों में स्वच्छता के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड

a) **शौचालय की संख्या** – 30 व्यक्ति पर 1 शौचालय की व्यवस्था/निर्माण किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग–अलग शौचालय स्नानागार की व्यवस्था होगी। नहाने एवं शौच हेतु प्रति व्यक्ति 15 लीटर पानी की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित कराई जायेगी। बीमारियों के फैलने को रोकने हेतु कदम उठाये जायेगें। महिलाओं को **Diginity kits एवं Sanitary napkins and disposable paper bags with proper labeling** उपलब्ध कराये जायेगें।

b) राहत शिविरों से शौचालय की दूरी 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। भूगर्भीय जलस्त्रोत से Pit Latrines and Soak ways की न्यूनतम दूरी 30 मीटर एवं वाटर लेवल से किसी लैट्रिन का आधार कम से कम 1.5 मीटर उपर होगा।

c) गंदगी प्रवाहित करने वाली नालियां जलस्त्रोत एवं सतही भूगर्भीय जल स्त्रोतों से दूर होगें।

## 6. राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को मोवाईल मेडिकल टीम द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। फैलने वाले बीमारियों को रोकने हेतु के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

b) अगर राहत शिविर लंबे समय के लिए चलाये जाते हैं तो सामाजिक–मनोवैज्ञानिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

c) हेल्पलाईन की व्यवस्था की जाएगी तथा कॉन्टैक्ट नम्बर तथा अन्य जानकारियाँ कैम्पों में तथा बाहर के लोगों को प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जाएगी।

d) गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा आधारभूत व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।

e) सरकारी तथा प्राईवेट अस्पतालों में अग्रिम व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अल्प सूचना पर राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों की देखभाल हेतु आवश्यक डॉक्टर तथा पारामेडिकल कर्मियों की उपलब्धता हो सके। जिन व्यक्तियों को चिकित्सा/ऑपरेशन हेतु रेफर किया गया है, उनके लिए उचित परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

f) आपदा के समय mass casualty के प्रबंधन के लिए Advance Contingency Plan का निर्माण किया जायेगा।

## 7. विधवा और अनाथों के संबंध में न्यूनतम मानदंड

a) प्रत्येक आपदा राहत शिविर में आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं एवं अनाथ हो गए बच्चों के सम्पूर्ण विवरण को दर्ज करते हुए अलग–अलग पंजियाँ संधारित की जाएँगी। इन पंजिओं में दर्ज सम्पूर्ण विवरण को शिविर प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा साथ ही, इन्हें जिला प्रशासन के स्थायी दस्तावेज (रिकार्ड) के रूप में संधारित किया जाएगा।

b) शिविरों में आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हो गए बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी महिलाओं को 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यह दर्ज रहेगा कि "आपदा के दौरान इन्होंने अपने पति को खो दिया है।"

c) ऐसी विधवा महिलाएँ /परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं; इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इन्हें अपने पति के दाह–संस्कार के लिए उचित राशि उपलब्ध करायी जाएगी और इस राशि की कटौती उस

विधवा/परिवार को दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान/राहत राशि में से कर लिया जाएगा।

d) आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हुए बच्चों को सम्पूर्ण अनुग्रह की राशि 45 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अनाथ हुए बच्चों के संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा ऐसा ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे अनाथ हुए बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि सरकारी बैंको में संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जहाँ जिला समाहर्त्ता ऐसे खातों को प्रथम खाताधारी होंगे। ऐसे खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि बच्चे को/उसके अभिभावक को बच्चे की देखभाल हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक – (26) राहत केन्द्र के सम्बन्ध में

पत्रांक-1प्रा0आ0-32/2008...2493.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया, मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां।

पटना-15, दिनांक-5 सितम्बर, 2008

**विषय:** **राहत केन्द्र के संबंध में ।**

महाशय,

बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के संबंध में अभी भी कतिपय जिला पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हैं। बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था करनी है:

1. **पंजीकरण** – कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/सेविका/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/साक्षरता/सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/शिक्षक/पंचायत रोजगार सेवक की सेवा ली जा सकती है।

2. **पका हुआ भोजन** – विस्थापितो को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह-शाम) मुहैय्या कराया जाना है । इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। आपको मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु चावल का आवंटन किया गया है, जिसे इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवाएं इस कार्य हेतु में ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग की निर्धारित दर पर किया जाएगा।

पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।

3. दरी/चटाई - विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।

4. वस्त्र - सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत विभागीय पत्र संख्या 2462 दिनांक 12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या 1(ड) के आलोक में कपड़ा के लिए 1000रु0 प्रति परिवार वैसे परिवारों के लिए अनुमान्य है जिनका घर बह गया है/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। इस राशि का वितरण कर लिया जाय। इससे प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र का क्रय कर लेंगे।

5. **बच्चों के लिए दूध** - पाँच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह-शाम) आवश्कतानुसार कम्फेड द्वारा दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा ।

6. **रोशनी** - कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए । इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।

7. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता** - पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए । सफाई के लिए साबुन/डिटर्जेन्ट पाउडर, फेनाईल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।

8. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा** - कैम्प में औषधी के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे ।

9. **सुरक्षा व्यवस्था** - अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायगी ।

10. **संचार सुविधा** -आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

11. **मानदर** - कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:-

| | |
|---|---|
| 1. पका हुआ भोजन | (क) दो वक्त (सुबह-शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा । |
| | (ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा । |
| | (ग) चावल प्रति व्यस्क- 500 ग्राम, प्रति अवयस्क- 200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा । |
| | (घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा । |

| | |
|---|---|
| | (ङ0) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से । |
| | (च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से । |
| | (छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा ।<br>(ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा । |
| 2. रोशनी | (क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था । |
| | (ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा । |
| | (ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा । |
| | (घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा । |
| 3. दरी/ चादर | इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था/ स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी । अनउपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे । |
| 4. बच्चों के लिए दुग्ध | (क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा। |
| | (ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। |
| 5. वस्त्र | (क) विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या-1(ड0) के आलोक में 1000 रूपया अनुमान्य है इस राशि का वितरण वैसे परिवारों को किया जाएगा जिनका घर बह गया है/ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है । |
| 6. पेयजल/ अस्थायी शौचालय/ स्वच्छता | इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी । इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी । |
| 7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी । |
| 8. संचार | शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय सी0 आर0 एफ0 मद से अनुमान्य होगा । |
| 9. कैम्प व्यवस्था | परिवहन तथा आकस्मिक व्यय- यथा आवश्यकता। |

उपरोक्त मानदर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

12. **लेखा/पंजियों का संधारण** - कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियां संधारित की जाएगी।

(क) लेखा से संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा ।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा । इसे सुनिश्चित किया जाय । भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(घ) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा । बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे ।

(ङ) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा-जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

**कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा:-**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | भोजन सामग्री | 2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति |
| 2 | दरी/चटाई एवं रोशनी | 2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण |
| 3 | वस्त्र एवं बर्तन | 2245-02-101-0004-वस्त्र/ बर्तन |
| 4 | बच्चों के लिए दूध | 2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार |
| 5 | पेयजल | 2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्ति |
| 6 | अस्थायी शौचालय | 2245-02-109-0001- खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना |
| 7 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | 2245-02-282-0001-मानव दवा<br>2245-02-282-0003- पी0ओ0एल0 की आपूर्ति |
| 8 | संचार सुविधा | 2245-02-112-0004- संचार उपकरणों का क्रय |

विश्वासभाजन,

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(27) राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय :

पत्रांक-1/[illegible]-0-1-06/08 2283 (प्रारूप)

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आशा कोटा सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

पटना-15, दिनांक 26/9/08

विषय: मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग एवं व्यय किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत विभिन्न लघु/ उपशीर्षों के अधीन कौन से कार्य पर होने वाला व्यय विकासशील होगें इस संबंध में जानियम विभाग/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा पृच्छाएँ की जाती रही हैं। आपदा राहत कोष की बैठक दिनांक 23.09.2008 की कार्यवाही संख्या (2) में लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है, इसकी सूची निम्न प्रकार है:-

| क्रमांक | शीर्ष | किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण | 1. बस/मोटरबोट/स्टीमर का भाड़ा<br>2. गाड़ियों /मोटरबोट चालक (प्राईवेट) की मजदूरी<br>3. पीनीपीन का क्रय<br>4. सेवा की पार्कि/पूर्वाग<br>5. सेवा के अस्थायी भोजन<br>6. निष्क्रमण कार्य में लगे वाहन (प्राईवेट) का भाड़ा/ ईंधन पर व्यय।<br>7. जनसंख्या के डेनीकोटिंग का किराया<br>8. राहत शिविरों में रोशनी/टेन्ट/छप्पर की व्यवस्था पर व्यय<br>9. अस्थायी राहत शिविर के निर्माण पर व्यय<br>10. निष्क्रमण के कार्य में लिए बहाल कर्मी के पारिश्रमिक का भुगतान<br>11. चलन्त चिकित्सा दलों का अहाराव्यय<br>12. अस्थायी/शिविर अस्पतालों का संचालन |
| 2. | 2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति | 1. खाद्यान्न खाद्यान्न के क्रीमत का भुगतान<br>2. हस्तांतरण एवं परिवहन<br>3. वितरण का प्रतिशिक्षण कार्य |

| शीर्ष | किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है। |
|---|---|
| 2 | 3 |
| | 4. संदूषण/मुरझा<br>5. राहत शिविर में खाद्य सामग्री सहित तेल-मसाला आदि;<br>6. सूखा राशन यथा- चूड़ा, सत्तू, गुड़, नमक, चीनी, मोमबत्ती, दियासलाई आदि पर व्यय। |
| 2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान का भुगतान | 1. वृद्ध, अपाहिज एवं निःसहाय व्यक्तियों को अनुदान |
| 2245-02-102-0001-पेयजल की आपूर्ति। | 1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में टंकी/टैंकरों से पेयजल की ढुलाई।<br>2. जल का शुद्धिकरण |
| 2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति। | 1. पशुचारे का क्रय/ ढुलाई/ परिवहन/ भंडारण (जिलाधीश मानदंड के अनुरूप) |
| 2245-02-105-0001- पशुओं के लिए दवा | 1. आवश्यक पशु दवाओं का क्रय<br>2. परिवहन/भंडारण/टीकाकरण एवं अन्य पशु जनित रोगों की रोकथाम की व्यवस्था<br>3. मृत पशु के शवों के disposal पर व्यय |
| 2245-02-109-0001- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति एवं मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन | 1. क्षतिग्रस्त जलापूर्ति/मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन<br>2. अस्थायी शौचालय/स्नानागार का निर्माण<br>3. राहत शिविरों में स्वच्छता की व्यवस्था<br>4. अस्थायी चापाकल का निर्माण/मरम्मति<br>5. कुएँ/तालाबों की मरम्मति |
| 2245-02-282-0001- मानव सेवा | 1. आवश्यक मानव दवा/उपकरण का क्रय/परिवहन/भंडारण |
| 2245-02-282-0003- चलन्त चिकित्सा केन्द्र हेतु पी०ओ०एल० की आपूर्ति। | 1. चिकित्सीय कार्य में लगे वाहन का ईंधन<br>2. एम्बुलेंस सेवाएँ |

कृपया समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप उपर्युक्त मदों में आवंटित राशि का कॉलम 3 (किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है) में वर्णित कार्यों पर व्यय का संकलन सुनिश्चित की जाय।

जिलाधिकारी

(आशा कौ) सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2783 /आ०प्र०) पटना-15, दिनांक- 26/9/08

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला/ प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–(28) राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देश :

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या 1/प्रो0आर0–0–3–31/14...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

## अधिसूचना

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4/2015–NDM-1 दिनांक 20.03.2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को रेखांकित करते हुए राज्य की विशेष स्थानीय–प्रकृति की आपदाओं से पीड़ितों को तुरन्त राहत पहुंचाने में होने वाले व्यय के संबंध में दिशा–निर्देशों को ज्ञापित किया गया है। पत्र द्वारा भारत सरकार की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं होने वाली राज्य की विशिष्ट प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में SDRF (राज्य आपदा रिस्पांस फंड) के तहत उपलब्ध राशि के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए राज्य कार्यकारिणी समिति से राज्य की विशिष्ट आपदाओं की सूची, उनके मानदर और इन आपदाओं से पीड़ितों के चयन की प्रकिया का अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत कराने का निदेश दिया गया है।

2. राज्य में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा) नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित आपदाएं यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव से होने वाली दुर्घटनाएं विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जानोमाल की क्षति होती है।

3. दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्र की तिथि दिनांक 20.03.15 एवं उसके पश्चात कंडिका 3 में अंकित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) के घटित होने की दशा में कारण होने वाली क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक 17/4/15

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/4/15

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/4/15

प्रतिलिपि: सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1418 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/4/15

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव (DM), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (आपदा प्रबंधन प्रभाग), नई दिल्ली को उनके पत्रांक 33–4/2015–NDM-1 दिनांक 20.03.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(29) अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन :

पत्रांक–01 / गै०द्रा०आ०–03 / 2013 / ..... / आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

पटना–15, दिनांक–

विषय– अनुग्रह अनुदान के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक–675 / आ०प्र०, दि०–30.12.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामूहिक दुर्घटना में एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने या घायल होने अथवा एक व्यक्ति की मृत्यु एवं दूसरे व्यक्ति के घायल होने पर ही उक्त दुर्घटना को सामूहिक दुर्घटना माना जाएगा एवं तदनुसार ही SDRF के मानदंड के अनुसार अनुग्रह अनुदान देय होगा।

सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 295 / आ०प्र०, पटना–15 दि०– 21/1/16

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, (मधेपुरा जिला को छोड़कर)/आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/16

सरकार के विशेष सचिव।

अनुलग्नक–(30) मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता :

पत्रांक-I प्र0आ0-63/2007.....-२८...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्राकृति आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में पत्र

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 13/1/09

विषय: प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का/शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या- 32-34/2005- NDM-I, दिनांक 27.06.2007 से संसूचित अद्यतन मानदंड के आलोक में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। सामान्यत: जिन मामलों में मृतक के शव मिल जाते हैं, उनमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा मृत्यु का कारण प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रभावित किए जाने पर अनुग्रह अनुदान देने में कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु ऐसे मामले जिसमें प्राकृतिक आपदा के कारण यथा- बाढ़ की वजह से नौका दुर्घटना या फ्लैश फ्लड आने से मृतक का शव नहीं मिलता है उन मामलों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है । ऐसे मामलों में अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए दिनांक 31.10.08 को आयोजित आपदा राहत कोष समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदा के कारणों से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक माह की प्रतीक्षा की जाएगी । इन मामलों में स्थानीय थाना में लापता व्यक्ति के परिजनों द्वारा उसके लापता/ मृत्यु होने से संबंधित सूचना/ प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जाँच कराई जायेगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उस व्यक्ति के Next of kin को अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिला पदाधिकारी करेंगे। भुगतान करने से पूर्व इस आशय का बंधपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि यह पाया गया कि व्यक्ति जीवित है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुग्रह अनुदान की पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

( आर0 के0 सिंह )

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(31) अनुदान की राशि **RTGS/NEFT** या **A/c Payee** के माध्यम से भुगतान :

पत्रांक– 1प्रा0आ0–17/2015 ...1692.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक 22/4/16

विषय : आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 1432/आ0प्र0 दिनांक– 04.04.2016 का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र के कंडिका 4 एवं 5 में निदेश है कि आपदा प्रभावितों को मुफ्त साहाय्य के रूप में नगद अनुदान के मद में 3,000/– रु0 तथा खाद्यान्न मद हेतु 3,000/– रु0 कुल 6,000 रु0 की राशि तथा बर्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे– बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदंड के अनुसार क्रमशः 1,800/– रु0 एवं 2,000/– रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी। इसके पूर्व विभागीय पत्रांक 1602 दिनांक 02.05.16 द्वारा निदेशित है कि कृषि इनपुट सब्सिडी तथा गृह क्षति अनुदान की राशि भी यथानुसार RTGS/NEFT/ A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

2. दिनांक 22.04.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ हुई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कतिपय जिला पदाधिकारियों/ प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा सूचित किया गया कि अग्निकांड/ बाढ़ आदि में घर नष्ट हो जाने के कारण कागजातों के जल जाने तथा बैंकों में खाता नहीं रहने के कारण प्रभावित परिवारों को RTGS/NEFT अथवा A/C payee Cheque के माध्यम से अनुदान की राशि उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उनके द्वारा अग्निकांड एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल साहाय्य के रूप में दिए जाने वाले वस्त्रादि, नगद एवं खाद्यान्न हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि को नगद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. सम्यक विचारोपरांत, उपरोक्त परिपत्रों को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए निदेश दिया जाता है कि अग्निकांड एवं बाढ़ में अगर मुफ्त साहाय्य मद में अनुग्रह अनुदान की राशि NEFT/RTGS/ A/c payee cheque के माध्यम से देना सम्भव न हो तो अपरिहार्य स्थिति में जिला पदाधिकारी अपने विवेक से आपदा प्रभावितों को देय अनुदान की राशि नकद उपलब्ध कराने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

4. यह भी स्पष्ट करना है कि उपरोक्त कंडिका 3 के अपवाद को छोड़कर SDRF मानदंड के अनुसार आपदा प्रभावितों को देय सभी तरह के अनुदान की राशि यथानुसार NEFT/ RTGS अथवा A/c payee चेक के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाएगी।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(32) प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम पदाधिकारी :

FAX

संख्या– 1प्रा0आ0(2)–03/2010/...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान हेतु सक्षम स्वीकृति पदाधिकारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1176 दिनांक–26.08.2014, द्वारा निदेश माँगा गया है कि प्राकृतिक आपदा से मृत पशु के अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में स्वीकृति पदाधिकारी तथा क्षति आंकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी कौन होंगे ? उल्लेखनीय है कि "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष भी हैं एवं Incident Commonder भी हैं, जिला पदाधिकारी को प्राकृतिक आपदा तथा गैर प्राकृतिक आपदा दोनों के मामले में सक्षम पदाधिकारी माना गया है।

अतएव प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामलों में क्षति आंकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी उक्त कार्यों के लिए अपने अधीनस्थों के बीच Power Delegate कर सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–3601/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–30/9/14.

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी (जहानाबाद को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9/14
विशेष सचिव

अनुलग्नक–(33) प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुदान की शर्त्त :

पत्रांक–01/गै0प्रा0आ0–01/2009 (खंड)/ 4052 /आ0प्र0

बिहार सरकार

**आपदा प्रबंधन विभाग**

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

पटना–15, दिनांक– 13/11/14

**विषयः– श्री राम, पिता–स्व0 बुधन राम, ग्राम–कुढ़नी का दिनांक–31.05.2014 को रात्रि में अचानक आँधी–तूफान से मृत्यु हो जाने के संबंध में।**

**प्रसंगः– आपका पत्रांक 253 दिनांक–10.10.2014.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आँधी–तूफान प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत आता है, परंतु आपके द्वारा मृत्यु का स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया है।

अतएव, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय है जब जिला पदाधिकारी संतुष्ट हो लें कि मृत्यु प्राकृतिक आपदा जनित कारण से हुई हो।

अतः उपर्युकत के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

13/11/14

(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–(34) बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ॰आई॰आर॰ के अनुग्रह अनुदान का भुगतान :

पत्रांक –1गैर प्रा0आ0–01/2010/...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा-प्रबंधन विभाग

प्रेषक

अनिरुद्ध कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

2 6 FEB 2016

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

पटना–15, दि0–

विषय : **बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 के अनुग्रह अनुदान का भुगतान स्वीकृत करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।**

**प्रसंग: आपका पत्रांक– 67, दिनांक–28.01.2016.**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में आपके द्वारा याचित मार्गदर्शन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले में जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं FIR दर्ज न हो, इस स्थिति में अनुग्रह अनुदान के संबंध में विभागीय पत्रांक–4052 दि0–13.11.2014 निर्गत है (प्रतिलिपि संलग्न)जिसके अनुसार प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय है जब जिला पदाधिकारी संतुष्ट हो ले कि मृत्यु प्राकृतिक आपदा जनित कारण से हुई हो। तदनुरूप अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। उक्त पत्र विभागीय website – disastermgmt.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक –यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 889 /आ0प्र0 दिनांक – 25/2/16

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी, (मुजफ्फरपुर जिला को छोड़कर)/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

23/2/16
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–(35) जिले के अन्य जिलों में मृत व्यक्तियों के अनुग्रह अनुदान के संबंध में :

पत्रांक-I प्रा0आ0-64/07....272...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

कृष्ण मोहन,

उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सारण (छपरा)/शिवहर ।

पटना-15, दिनांक- 29/1/08

**विषय: अपने जिले के निवासी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अन्य जिलों में होने के कारण अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी, सारण ने पत्रांक 414, दिनांक 06.09.07 तथा जिला पदाधिकारी, शिवहर ने पत्रांक 359, दिनांक 02.10.07 से यह बिन्दु उठाया है कि उनके जिले के निवासी की मृत्यु अन्य जिलों में नौका दुर्घटना से हुई। जिन जिलों में दुर्घटना हुई वहां से उन्हें मृतकों के परिवार को अनुग्रह अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि क्या वे अन्य जिलों में घटित घटनाओं से ऐसे मृत्यु के मामले में, जिसमें मृतक उनके जिले का निवासी है, उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान दिया जाना अपेक्षित होगा अथवा जहां घटना घटी है वहां के जिला से।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2007 को संपन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए:

भारत सरकार के पत्र सं0-32-34/2005/एन0डी0एम0 I दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (2005-2010 तक के लिए; दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी), जिसे विभागीय पत्रांक 2462, दिनांक 12.08.2007 से बिहार राज्य में भी 27.06.2007 से प्रभावी सूचित किया गया है, के मद संख्या 1(क) से स्पष्ट है कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटना, कीट आक्रमण, सुनामी) से हुई मृत्यु में उक्त मानदर के अनुरूप भारतीय नागरिक के विदेश में मृत्यु एवं विदेशी नागरिक का भारत में मृत्यु की दशा में कोई अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है। किन्तु किसी जिला का दूसरे जिला या दूसरे राज्य में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान नहीं दिये जाने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त उक्त संशोधित मानदर में कोई निदेश या कोई प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–(36) भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वालों के बीच मुफ्त सहाय्य वितरण :

पत्रांक–1प्रा0आ0–15/2015 1544 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 29/4/15

विषय– दिनांक–25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आए भूकम्प के झटकों के फलस्वरूप पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों/बर्बाद झोपड़ियों में रहनेवाले परिवारों के बीच मुफ्त साहाय्य के वितरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आए भूकम्प के झटकों के फलस्वरूप जिन परिवारों के कच्चे/पक्के मकान पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गए हैं अथवा जिनकी झोपड़ियाँ बर्बाद/क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उन्हें मुफ्त साहाय्य का वितरण अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदंड के अनुरूप किया जाए। साथ ही पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त (Severely Damaged) मकानों/बर्बाद झोपड़ियों के लिए गृह क्षति अनुदान के वितरण में व्यय होने वाले राशि की गणना कर अधियाचना शीघ्र भेजी जाए।

विदित हो कि नये मानदंड के अनुसार पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त (Severely Damaged) मकानों के लिए अनुदान की दर रूपये 95,100/– तथा बर्बाद झोपड़ियों के लिए 4100/– रूपये है। यदि Cattle shed बर्बाद हो गए हों तो 2100/– अनुदान देय होगा। इसी प्रकार मुफ्त साहाय्य के रूप में बर्तन के लिए 2000/– रूपये, वस्त्र के लिए 1800/– रूपये, नगद अनुदान 2000/– रूपये तथा 1 क्वी0 खाद्यान्न प्रति परिवार देय है।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में मुफ्त साहाय्य (GRATUITOUS RELIEF) का वितरण अविलंब प्रारम्भ करते हुए एवं पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों/बर्बाद झोपड़ियों के लिए राशि की अधियाचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन
29/4/15
(अनिरुद्ध कुमार)
विशेष सचिव

अनुलग्नक–(37) आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के मुआवजा के सम्बन्ध में :

पत्रांक –1प्रा0आ0(2)–03/2010/ 2875 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
विशेष सचिव

आपदा
Disaster

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

पटना–15, दिनांक–17/6/13

विषय– बाजार समिति, बिहारशरीफ के प्रांगण में लगी आग से क्षतिग्रस्त दुकानों एवं माल का मुआवजा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 269 दिनांक–10.05.2013 के प्रसंग में कहना है कि अग्निकांड से आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने पर ही नियमानुकूल अनुदान प्रभावित परिवार को दिया जा सकता है। दुकानों या व्यवसायिक/औद्योगिक भवनों के लिए अनुदान का प्रावधान नहीं है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार सिंह)
विशेष सचिव

अनुलग्नक–(38) अग्निकाण्ड से प्रभावितों के बीच विशेष राहत केन्द्रों का संचालन (जून 2012) :

पत्रांक–1 / प्रा0आ0(2)–24 / 2006...1834/ आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

नालन्दा समाहरणालय, बिहारश
जिला गोपनीय शाखा
दिनांक...
RELIEF
मुहर लगाने वाले कर्मी का ...
पत्र देखने पदा० का ...

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8.6.12

विषय– भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–52(प्र0) दिनांक–26.05.2012 के द्वारा भीषण अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निदेश भेजा गया है, जिसमें पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त सुबह–शाम आवश्यकतानुसार दूध मुहैय्या कराने का प्रावधान भी किया गया है। दूध की आपूर्ति कॉम्फेड द्वारा किया जाना है तथा वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में जिलों से पृच्छा की गई है कि बच्चों को मुहैय्या कराये जाने वाले दूध की मात्रा क्या होगी तथा कॉम्फेड द्वारा दूध उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दूध का क्रय कहाँ से किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि राहत कैम्पों में सुबह–शाम 250–250 मि0ली0 दूध 5 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जाय। कॉम्फेड द्वारा दूध नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता का दूध का क्रय किया जा सकता है। दूध संक्रमणमुक्त हो, इसकी जांच भी जिला पदाधिकारी करा लेंगे।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(39) अग्निकाण्ड में होने वाली फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान के सम्बन्ध में :

पत्रांक -1 प्र0आ0-05/2007 1023 /अ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर॰ के॰ सिंह,
प्रधान सचिव।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
जिला गोपनीय शाखा
दिनांक 04 MAR 2015
RELIEF
मुहर लगाने वाले कर्मी का हस्ताक्षर
पत्र देखने वाले पदा० का नाम ह०

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना-15, दि0- 21/4/08

विषय :राज्य के कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अग्निकांड से खेत और खलिहान के फसल की क्षति को सी0आर0एफ0 के अनुमान्य मदों में समावेशित करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गयी थी। विभागीय पुनर्समीक्षा में यह स्थिति सामने आयी कि सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत केन्द्रीय मानदर के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के निर्धारित कृषि इनपुट अनुदान का मानदर अग्निकांड से फसल क्षति (खेत एवं खलिहान) में भी लागू होगा । इस बिन्दु की सम्पुष्टि हेतु विभागीय पत्रांक -1127 दि0-4.4.2007 द्वारा भारत सरकार, गृहमंत्रालय से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने इसे संपुष्ट किया है।

तत्पश्चात भारत सरकार के पत्र संख्या 32-34/2005/एन0डी0एम0-I दिनांक 27.02.2007 से निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (वर्ष 2005-2010 के लिए) प्राप्त हुआ। इस परिचारित मानदर की मद संख्या 29 (1) में प्राकृतिक आपदा फायर (अग्निकांड) के लिए वर्तमान मानदर में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अग्निकांड के पश्चात दी जानेवाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात जीवन, अंग, फसल, संपत्ति इत्यादि की क्षति/हानि के मदों में निर्धारित है तथा साहाय्य की अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी।

अत: यह स्पष्ट है कि कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में वर्तमान मानदर के अनुसार साहाय्य निम्न रूप से देय होगा; जहां फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।

| | |
|---|---|
| 3. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/सीमान्त कृषकों को साहाय्य: 50% एवं अधिक फसल की क्षति होने पर । | |
| (i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए। | ➢ 2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए ।<br>➢ 4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए ।<br>(क) परती (fallow) पड़े जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा।<br>(ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों की सहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नही दी जाएगी। |
| (ii) "पेरिनियल" (शाश्वत) फसल के लिए। | 6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए।<br>(क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नही दिया जाएगा।<br>(ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नही दी जाएगी। |
| 4. लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी। | 50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक; अनुवर्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक (उनके land holding अधिक ही क्यों नहीं हो) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा ।<br>➢ 2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br>➢ 4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।<br>➢ 6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए।<br>o बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। |

कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी -

अग्निकांड की घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय अंचलाधिकारी अविलम्ब परन्तु किसी भी हालत में 24 घंटे के अन्दर उसकी जांच कराएंगे। जांच हल्का कर्मचारी तथा VLW की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। जांच उपरान्त निम्न बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन होगा:

i. खेत अथवा खलिहान में आग लगने से निश्चित रूप से फसल की क्षति हुई है।

ii. जिस फसल की क्षति हुई है, उसका विवरण तथा फसल किस खेत में लगाया गया था, उसका विवरण तथा सत्यापन।

iii. यह सत्यापित करेंगे कि क्षति उक्त भूमि के वास्तविक उपज का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है अथवा नहीं ।

iv. जिन परिवारों की फसल की क्षति हुई उनका विवरण वे लघु/सीमान्त कृषक परिवार हैं या भिन्न।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन का अंचल निरीक्षक तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करेंगे। उपर्युक्त सत्यापन के पश्चात अग्निकांड में हुई फसल क्षति का ब्यौरा अंकित करते हुए कृषक के नाम से अभिलेख तैयार की जाएगी तथा स्पष्ट अनुसंशा के साथ घटना के कारणों तथा क्षति का ब्यौरा अभिलेख में अंकित करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से जांच कराकर एवं संतुष्ट होकर अभिलेख की स्वीकृति देंगे तथा प्रभावित परिवार को निर्धारित मानदर के अनुरूप अनुदान का भुगतान अंचल पदाधिकारी के द्वारा चेक के माध्यम से की जाएगी। अनुदान का भुगतान मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के कप के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष 0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मद से की जाएगी। आवंटन में कमी होने या अनुपलब्धता पर जिला पदाधिकारी पूर्व के आवंटन के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अतिरिक्त आवंटन की मांग करेंगे, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग नियमानुसार तथा बजट में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर यथोचित कार्रवाई तत्परता से करेगा ।

विश्वासभाजन,

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - I प्रा०अ०-05/2007 1023 /अ०प्र० दिनांक - 21/4/08

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(40) गैस लीक से अग्निकाण्ड से पिड़ित को अनुदान :

जिला गोपनीय शाखा
29 MAR 2016
मा. प्रेषित

पत्रांक–01 / प्रा0आ0–25 / 2015 / ..... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– खाना बनाने के क्रम में गैस लीक से हुई अग्निकांड में मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–26 दि0–08.03.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि अग्निकांड की घटना किसी भी कारण से हो, को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है तथा साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुदान अनुमान्य है।

अतः अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–.....1307...../आ0प्र0, पटना–15 दि0– 29/3/16

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, (पश्चिम चम्पारण, बेतिया को छोड़कर), बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–(41) ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण :

पत्रांक– 1587 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अत्यावश्यक
महत्वपूर्ण

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 1/5/15

विषय : **राज्य में आए ओलावृष्टि/ चक्रवातीय तूफान/ भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश।**

महाशय,

अवगत हैं कि राज्य में ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा एवं शीतलहर के कारण बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति की सूचना विभिन्न जिलों द्वारा विभाग एवं सरकार को भेजी गयी। जिलों से प्राप्त फसलों के क्षति प्रतिवेदन के आलोक में कृषि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किया गया कि लगभग 19.00 लाख से अधिक किसानों की फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। तद्नुसार कृषि विभाग द्वारा S.D.R.F. के नए मानदर के अनुसार राशि की गणना कर 37 जिलों के लिए 1764.00 करोड़ से अधिक राशि की मांग कृषि इनपुट अनुदान मद में की गयी। राज्य सरकार ने उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं 416.00 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस विभाग द्वारा कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी है एवं तद्नुसार केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए मेमोरेण्डम केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अब कृषि विभाग ने कई जिलों से प्राप्त अतिरिक्त फसल क्षति प्रतिवेदन का आंकड़ा भेजते हुए सूचित किया है कि स्वीकृत राशि से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा/ वज्रपात के कारण 20 व्यक्तियों की जानें भी गयी।

2. ओलावृष्टि आदि से प्रभावित किसानों के लिए राहत वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ ही की जा रही थी कि इसी बीच दिनांक 21 अप्रैल, 2015 की रात्रि में राज्य के कई जिले चक्रवातीय तूफान की चपेट में आ गए। चक्रवातीय तूफान के कारण 59 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कई जिलों में गृहक्षति हुई तथा फसलों की भी क्षति हुई। खासकर पूर्णियां जिले में व्यापक क्षति की सूचना प्राप्त हुई।

3. इसी बीच दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आए भूकम्प का असर राज्य के सभी जिलों में पड़ा तथा अबतक 58 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई जिलों से गृहक्षति की सूचना प्राप्त है।

4. अवगत हैं कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के बीच त्वरित राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध एवं कृत संकल्प है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर विभिन्न जिलों को इस विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये एवं आवंटन भी भेजा गया। निर्देश दिया गया कि जिन लोगों की मृत्यु इन आपदाओं के कारण हुई है उनके आश्रितों को तुरंत 4.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाए। प्रसन्नता का विषय है कि संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुदान का भुगतान कर दिया गया। जिलों को यह भी निदेशित किया गया कि चक्रवातीय तूफान के कारण गृहक्षति/फसल क्षति का आकलन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजें ताकि केन्द्र सरकार को मेमोरेण्डम

भेजा जा सके। साथ ही निदेशित किया गया कि जिनके कच्चे–पक्के मकान पूर्णतया नष्ट या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गये हों अथवा जिनकी झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हों, वैसे परिवारों को मुफ्त साहाय्य तथा कपड़ा एवं बर्तन के लिए अनुदान राशि का वितरण किया जाए। तदनुसार जिलों की अधियाचना पर राशि का आवंटन किया गया एवं किया जा रहा है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण हेतु कृषि विभाग को आवंटित 416.00 करोड रुपये की राशि का भी उपावंटन उक्त विभाग द्वारा विभिन्न जिलों को किया गया है।

5. भूकम्प से जिनके कच्चे–पक्के मकान पूर्णतया नष्ट या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हों अथवा जिनकी झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हों, वैसे परिवारों को भी मुफ्त साहाय्य तथा कपड़ा/बर्तन के लिए अनुदान राशि के वितरण का भी निदेश भेजा गया है।

6. यह आशा की जाती है कि उपरोक्तानुसार सभी प्रकार की आपदा से प्रभावितों की सूची पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलास्तर पर जिला के वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में तैयार की गई होगी एवं उक्त सूची के अनुसार ही निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की देखरेख में पंचायत स्तरीय कैम्पों के माध्यम से साहाय्य मद में राशि का भुगतान किया जा रहा होगा। अवगत हैं कि मुफ्त साहाय्य मद में 1.00 क्वी0 अनाज, 2,000/– रु0 नकद अनुदान, 1,800/– रु0 कपड़ा एवं 2,000/– रु0 बर्तन के मद में दिया जाना है। फसल क्षति एवं गृहक्षति के लिए देय अनुदान की दरें विभागीय बेवसाइट पर देखी जा सकती हैं।

7. परन्तु कतिपय स्रोतों से यह सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जनता को बरगलाकर आपदा प्रभावित नहीं होने पर भी आपदा प्रभावितों की सूची में उनका नाम जुड़वाने का प्रयास किया गया है। यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय सरकारी कर्मियों की संलिप्तता भी इस कार्य में है। साथ ही, कृषि विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग को ओलावृष्टि से फसल क्षति के संबंध में किसानों का जो विवरण एवं संख्या प्रतिवेदित की गई है, उसके अनुसार पूर्ण सूची कतिपय जिलों में संधारित नहीं है। गृह क्षति के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही है कि बिना जॉच पड़ताल के कतिपय जिलों में सूची तैयार कर ली गयी है एवं उसी के अनुसार मुफ्त साहाय्य का वितरण हो रहा है। फलतः कई जगह विधि–व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए पूर्णिया जिले में 41,000 मकानों के चक्रवातीय तूफान से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से दी गयी थी, परन्तु अब वहां क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या काफी ज्यादा बतायी जा रही है।

8. अतएव राहत वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने एवं प्रभावितों तक सही ढंग से राहत पहुँचाने हेतु निम्न निदेश दिए जाते हैं :

(i) सभी जिला पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा तैयार सूची की रैण्डम जांच करा लें ताकि ऐसा नहीं हो कि जो लोग वास्तव में आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनमें से किसी का नाम छूट जाए एवं गैर प्रभावितों का नाम सूची में जुड जाए। यह प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि वे सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर इसे सुनिश्चित करें।

(ii) गृह क्षति के आंकड़ों की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि जो भी गृह क्षति हुई है उसकी फोटोग्राफी कराकर रिकॉर्ड में संधारित किया जाए एवं गृह क्षति का प्रतिवेदन

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजा जाए। ज्ञातव्य हो कि पूर्णतया नष्ट एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे–पक्के घरों तथा क्षतिग्रस्त झोपड़ियों के लिए ही मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाना है। साथ ही सभी क्षतिग्रस्त घरों के लिए S.D.R.F. के मानदर के अनुसार गृहक्षति का भुगतान किया जाना है। फोटोग्राफी पर होनेवाला व्यय बाढ़ प्रवण जिलों में आबादी निष्क्रमण मद तथा आकस्मिक मद में दी गयी राशि से विकलनीय होगा तथा शेष जिलों में आवश्यकतानुसार विभाग से राशि आवंटित की जाएगी।

(iii) जैसा कि पूर्व में निदेशित है, ओलावृष्टि आदि से जिन किसानों की फसल क्षति हुई है, उनकी सूची जिलों के बेवसाइट पर प्रदर्शित करनी है। उसी प्रकार से गृहक्षति की भी फोटोयुक्त सूची जिलों के बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) राहत वितरण पंचायत स्तरीय निगरानी समिति–सह–अनुश्रवण समिति के समक्ष कैम्पों में किया जाना है। किन्तु फसल क्षति/गृहक्षति/अन्य लाभुकों की सूची का अनुमोदन उक्त अथवा किसी अन्य समिति द्वारा नहीं किया जाना है। यदि बेवसाइट पर प्रदर्शित सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हो तो आपत्तियों की जाँच वरीय पदाधिकारियों की टीम से कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(v) जो भी राशि वितरित की जा रही है, उसका रेकॉर्ड सही ढंग से संधारित किया जाएगा एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को बिना देर किए भेजा जाएगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1587/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/5/15

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव/मा0 मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(42) वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

पत्रांक 1 प्रा०आ०-बजट-उप०-58/2009...../आ0प्र0

बिहार सरकार

**आपदा प्रबंधन विभाग**

**संकल्प**

**विषय:** **वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में ।**

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 48(1) अन्तर्गत गठित राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मार्गदर्शिका के अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवातीय तूफान, सुनामी, बादल का फटना तथा कीट आक्रमण के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मापदण्ड निर्धारित है। वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। फलस्वरूप राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना संभव नहीं है।

2. दिनांक 10.05.2010 को सम्पन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2009-10 में घटित वज्रपात से मृत्यु की घटनाओं एवं उसके बाद की अवधि के लिए मृतकों के आश्रितों को राज्य के बजट से प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार आपदा राहत कोष के अंतर्गत ही अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि आपदा राहत कोष का नाम परिवर्तित होकर अब राज्य आपदा रिस्पांस कोष हो गया है।

3. उक्त निर्णय के अनुसरण में एक नया शीर्ष "गैर योजना मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि - लघुशीर्ष -101- अनुग्रहित अनुदान उपशीर्ष 0010 -वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान" खोला गया है। इसी शीर्ष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

4. अतः आदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं उसके बाद की अवधि में वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार राज्य कोष से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय प्रेस, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रति मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2203...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 11.7.12

प्रतिलिपि: सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(43) शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011:

# बिहार सरकार
## आपदा प्रबंधन विभाग

## शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011

अधिसूचना संख्या .....2388...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/7/11

चूँकि राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य/कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, और चूँकि, समाज के समाज के आघातयोग्य वर्गों का राज्य के भौतिक संसाधनों पर वैधानिक स्वामित्व एवं नियंत्रण है। इसलिए बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ –

(1) यह नियमावली "शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा

जब तक कि, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(i) "अंचल अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।

(ii) "प्रखण्ड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।

(iii) "आपदा प्रबंधन विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग।

(iv) "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

(v) "समाज कल्याण विभाग" अभिप्रेत है बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग।

(vi) "जिला दण्डाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला के जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता।

(vii) "निधि" से अभिप्रेत है इस योजना के अधीन गठित निधि,

(viii) "मुखिया" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में कार्यरत व्यक्ति,

(ix) "नियमावली" से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011,

(x) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(xi) "वार्ड पार्षद" से अभिप्रेत है किसी नगरीय वार्ड का पार्षद जैसा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन परिभाषित है।

(xii) "कल्याणकारी योजनाएँ" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा बिहार राज्य में क्रियान्वयन के अधीन केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ,

(xiii) "योजना" से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही होंगे जो बिहार राज्य की आम भाषा में समझे जाते हैं।

3. निधि/कोष का गठन एवं प्रबंधन–(1) राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि के नाम एवं शैली से राज्य स्तर पर राज्य निधि नामक एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नामक नामक जिला निधि का गठन, इस योजना अधीन कमजोर/आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के भुगतान करने के प्रयाजनार्थ किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(3) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य निधि का प्रबंधन करेगी। हालाँकि समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव/प्रधान सचिव समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(4) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार जिला निधि का प्रबंधन करेगा। हालाँकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(5) बिहार सरकार प्रारंभिक निधि के रूप में रू0 10 करोड़ राज्य निधि को आवंटित करेगी तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से, वार्षिक आवंटन करेगी। इस

प्रकार से किये गये आवंटन, आपदा प्रबंधन विभाग के वार्षिक गैर–योजना बजट का भाग होगा।

(6) राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्णीत मानदण्डों के अनुसार राज्य निधि से किश्तों में आवंटन जिलों को दिया जायेगा। यद्यपि कि अगली किश्त पूर्ववर्ती किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त ही विमुक्त की जायेगी।

4. निधि का लेखा एवं अंकेक्षण – (1) इस निधि को संबंधित निधि के नाम से खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखा जाएगा तथा इससे मिलने वाली ब्याज भी इसी निधि का भाग होगी।

(2) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधारण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

(3) इस निधि का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग को सौंपी जाएगी।

5. इस नियमावली अधीन मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत सदस्य एवं अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों के कर्त्तव्य – (1) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों तथा नगर क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे गरीब, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य वर्गों/परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में सतर्क/चौकस रहें। वे उन आघातयोग्य परिवारों, जो संसाधन विहीन हों तथा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो या जो, उनके नियंत्रण से परे हालातों के कारण, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम बना दिये गये हों, के लिए को खाद्यान्न की उपलब्धता पर विशेष चौकसी/सतर्कता रखेंगे।

(2) इस नियमावली में निर्देशित पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जन सेवक आदि शामिल होंगे।

(3) यथा स्थिति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य या वार्ड पार्षद को चौकसी बरतने में अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के कृत्यकारियों से सहायता प्राप्त

करने का अधिकार होगा। उन्हें सिविल सोसाईटी संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(4) किसी अघातयोग्य/परिवार की भूखमरी की दशा की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थित, मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त कृत्यकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन सौंपेंगे।

6. शताब्दी अन्न कलश योजना : (1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक नामनिर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल गेहूँ/चावल का चक्रीय स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्नों का चक्रीय स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(2) राज्य खाद्य निगम के गोदामों से चक्रीय स्टॉक के उठाव के लिए भुगतान संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा किया जायेगा।

(3) भूखमरी की दशा का सामना कर रहे निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघात योग्य समूहों/परिवारों को इस नियमावली में विर्निदिष्ट रीति से तथा मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न इस चक्रीय स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) इस नियमावली के अधीन इस चक्रीय स्टॉक से निकाले गये खाद्यान्नों के लिए संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला निधि से शीघ्रता से किया जायेगा।

(5) चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्नों के लिए जिस दर पर जन वितरण प्रणाली की दूकान को भुगतान किया जाएगा वह, समय-समय पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परामर्श से, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निश्चित की जायेगी।

(6) आघातयोग्य वर्गों का कोई व्यक्ति यदि भूखमरी की दशा का सामना करते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को चक्रीय स्टॉक से निम्नलिखित स्केल पर संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति तुरंत करने हेतु निर्देश देगा :

(i) 10 कि0ग्रा0 (दस किलोग्राम) एक व्यस्क को एक सप्ताह के लिए

(ii) 7 कि0ग्रा0 (सात किलोग्राम) एक अव्यस्क को एक सप्ताह के लिए

(7) यथास्थिति मुखिया या वार्ड पार्षद, के निर्देश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान का मालिक शीघ्रता से खाद्यान्नों की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा किया जायेगा।

(8) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को देंगे।

(9) सूचना की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, बिना किसी विलंब के भूखमरी के कारण के संबंध में संयुक्त जाँच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता एवं आजीविका के साधनों का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह संयुक्त जांच 3 (तीन) दिनों के भीतर संचालित कर ली जायेगी।

(10) यदि, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी में से कोई एक, यदि मुख्यालय में उपस्थित न हों, तो उपस्थापित पदाधिकारी बिना दूसरे के योगदान करने का इंतजार किये, इस जांच को संचालित करेगा।

(11) यदि जांच पड़ताल के उपरांत, पदाधिकारियों का समाधान हो जए कि संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आगे भी आपूर्ति की आवश्यकता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में विहित स्केल पर अतिरिक्त 3 (तीन) सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु तुरंत निर्देश देगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त रीति से एवं मात्रा में, शुरू में चार सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जायेगी।

(12) उपर्युक्त संबंधित व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् तुरंत संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा। अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी, संबंधित व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराने/अन्य कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने और संबंधित व्यक्तियों को 4 (चार) सप्ताह के अतिरिक्त आगे खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का आकलन करेंगे।

(13) सभी ऐसे व्यक्तियों का एक अभिलेख, जिन्होंने चक्रीय स्टॉक से खाद्यान्न प्राप्त किया है, पंचायत, नगरीय वार्ड तथा प्रखण्ड स्तर पर क्रमशः मुखिया, वार्ड पार्षद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

(14) पदाधिकारियों से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हो, आच्छादित किया जाय। यदि वह पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं के अधीन आच्छादित हो तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी असम्यक बिलंब के, संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो जाय। वे इस विषय में आगे की जांच के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित व्यक्ति की समुचित देखभाल हो रही है, अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेंगे।

(15) यदि जिला पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि संबंधित व्यक्ति की दशा ऐसी हो कि उसे एक माह से अधिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को खाद्यान्न आपूर्ति करने का निर्देश देंगे।

परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर देंगे।

(16) यदि चक्रीय स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी आपूर्ति हेतु बाजार से खाद्यान्नों का क्रय करने का आदेश दे सकेंगे। सभी ऐसे मामलों में ऐसे खाद्यान्नों के लिए भुगतान जिला निधि से भी किया जायेगा।

(17) सभी मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य तथा अन्य सरकारी कृत्यकारियों से, जिन्हें इस नियमावली के अधीन कोई कार्य सौंपे गये हैं, अपेक्षा की जायेगी कि वे तत्परता के साथ तथा बिना असम्यक् विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबूझ कर समनुदेशित कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं तो यह कदाचार के तुल्य होगा तथा संसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमावली के अधीन उनसे कड़ाई से निपटा जायेगा।

7. अनुश्रवण तंत्र तथा नोडल प्राधिकार : (1) इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य, नगरीय वार्ड स्तर पर वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

8. पारदर्शिता : (1) इस योजना के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि कोई एक स्तर क्रियाशील नहीं है तो उससे ऊपर के स्तर द्वारा इस नियमावली के अधीन नीचे के स्तर को न्यस्त दायित्व स्वयं तत्परता से ग्रहण कर लिया जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाईट (Website) पर, पूर्ण ब्योरे के साथ किया जायेगा।

9. विवेचना तथा कठिनाईयों का समाधान : यदि इस नियमावली के निर्वचन में अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग उसका निर्वचन करने के लिए सक्षम होगा तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अनुदेश जारी करेगा। ऐसे सभी विषयों में उस विभाग का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

अनुलग्नक – (44) शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन :

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

संख्या–1/आ0प्र0यो0–13/2010 2419 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक 27/7/11

विषय– राज्य में शताब्दी अन्न कलश योजना 2011 का कार्यान्वयन।

राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु शताब्दी अन्न कलश योजना के नाम से एक योजना स्वीकृत की गयी है। तत्संबंधी शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या–2388 दिनांक–25.07.2011 द्वारा निर्गत है। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक –1 पर संलग्न है। तदनुसार शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

2. इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

(i) इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से कोष का गठन किया जायेगा, जिसमें से कमजोर/ आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधरण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इस निधि/ कोष का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे निर्धन, बूढ़े, कमजोर, विधवा,

निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/ परिवारों को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर नजर रखें। वे ऐसे परिवारों, जो संसाधन विहीन हो तथा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो या जो, परिस्थितियों के दबाव से, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम हो गये हों, को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर विशेष चौकसी/ सतर्कता रखेंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद को यथा स्थिति में चौकसी बरतने में अपने क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत/ वार्ड/ नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मियों/ पदाधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। वे असैनिक सामाजिक संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति/ परिवार के भूखमरी की स्थिति की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त सरकारी कर्मी/ पदाधिकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन सौंपेंगे।

(v) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक निर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक कवीटल खाद्यान्न का रिवाल्विंग स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डाधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्न के रिवाल्विंग स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(vi) भूखमरी की स्थिति का सामना कर रहे कमजोर, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/ परिवारों को इस नियमावली में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार तथा निर्दिष्ट मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न इस रिवाल्विंग स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उपरोक्तानुसार चिन्हित कमजोर वर्गों के किसी व्यक्ति अथवा परिवार के समक्ष भूखमरी का संकट उत्पन्न होने पर मुखिया, वार्ड पार्षद, यथास्थिति, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता को संबंधित व्यक्ति को रिवाल्विंग स्टॉक से निम्न मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु निदेशित करेंगे:

(a) प्रति वयस्क 10 कि०ग्रा० (दस किलोग्राम) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(b) प्रति अवयस्क 7 कि0ग्रा0 ( सात किलोग्राम ) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(viii) मुखिया या वार्ड पार्षद, यथास्थिति, के निर्देश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता तत्परतापूर्वक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। रिवाल्विंग स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया जायेगा। उक्त विक्रेता को खाद्यान्न का भुगतान जिला निधि से किया जाएगा।

(ix) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को देंगे।

(x) सूचना की प्राप्ति अथवा अपनी पहल पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, बिना किसी विलंब के भूखमरी के कारणों के संबंध में जाँच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता एवं उसकी आजीविका के साधन का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह जांच तीन दिनों के भीतर कर ली जायेगी।

(xi) यदि जाँच के उपरांत, पदाधिकारी( गण ) संतुष्ट हैं कि संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो वह शीघ्रताशीघ्र जनवितरण प्रणाली विक्रेता को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार अतिरिक्त तीन सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु निदेशित करेगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त प्रक्रियानुसार एवं मात्र में, दो चरणों में चार सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति रिवाल्विंग स्टॉक से की जायेगी।

(xii) संबंधित व्यक्ति को उपर्युक्त तरीके से खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को आजीविका उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का सुझाव देंगे। साथ ही उसे चार सप्ताह के लिए दिए गए मुफ्त

खाद्यान्न के अतिरिक्त भी खाद्यान्न आपूर्ति करने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।

(xiii) पदाधिकारी( गण ) से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की संबंधित व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हों, आच्छादित किया जाय। यदि संबंधित व्यक्ति पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित हों तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के संबंधित व्यक्ति को मिल जाय। वे इस विषय में अग्रेतर जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेंगें। जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ससमय मिल रहा है।

(xiv) यदि जिला पदाधिकारी संतुष्ट हों कि संबंधित व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि उसे एक माह से अधिक के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न आपूर्ति करने का निदेश निर्गत करेंगे। परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर देंगे।

(xv) यदि रिसाल्विंग स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी बाजार से क्रय कर खाद्यान्न आपूर्ति करने का आदेश दे सकेंगे। इस प्रकार के सभी मामलों में खाद्यान्न के लिए भुगतान जिला निधि से किया जायेगा।

(xvi) सभी मुखियागण, वार्ड पार्षदगण, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यगण, तथा अन्य सरकारी कर्मी जिन्हें इस नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित कर्त्तव्य सौंपें गये हैं, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे तत्परता तथा बिना विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबुझ कर अपने नियत कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होतें हैं तो यह कदाचार के तुल्य माना जायेगा तथा सुसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमों के अन्तर्गत उनसे सख्ती से निपटा जायेगा।

(xvii) इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, नगरीय क्षेत्र में वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(xviii) - राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(xix) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

(xx) इस योजना के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। इस नियमावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके वेबसाईट पर, पूर्ण ब्योरे (Web site) के साथ किया जायेगा।

3. राज्य में शताब्दी अन्न कलश योजना का कार्यान्वयन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2419 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/7/11

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2419 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/7/11

प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को (साफ्ट कॉपी सी0डी0 सहित) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विभाग गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियां आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–(45) एक क्विंटल के स्थान पर रूपये 3000/– की राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

पत्रांक– 1प्रा0आ0–17/2015 1432 /आ0प्र0 4/4/16.

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय : आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में उपलब्ध कराए जानेवाले 1 क्वीं0 खाद्यान्न के स्थान पर ₹ 3,000/– (तीन हजार रुपये) की राशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महाशय,

कृपया अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को वर्ष 2015–20 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 की तिथि से प्रभावी साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में प्रेषित विभागीय पत्रांक 1913 दिनांक 26.05.2015 का उल्लेख किया जाए। अवगत है कि प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल मुफ्त साहाय्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है । संसूचित मानदर के अनुसार मुफ्त साहाय्य के रूप में प्रति वयस्क 60/– रु0 प्रतिदिन एवं प्रति अवयस्क 45/– रु0 प्रतिदिन की राशि निर्धारित है। तद्नुसार उक्त पत्र में अंकित किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में 01 क्विटल खाद्यान्न (50 किलो गेहूँ+ 50 किलो चावल) तथा 3,000/– नकद अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि यह मुफ्त साहाय्य एक माह की अवधि के लिए दिया जाता है।

2. अवगत है कि अभी तक प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न से कर ली जाती है तथा भारत सरकार से O.M.S.S. (Open Market Sales Scheme) योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने पर व्यवहृत खाद्यान्न का समायोजन तद्नुसार किया जाता है। परन्तु वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने एवं OMSS योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों के मुफ्त साहाय्य के रूप में उपयोग करने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के घटित हो जाने के बाद भारत सरकार से मुफ्त साहाय्य मद में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त किया जाता है, परन्तु आवंटन प्राप्त होने एवं उसके उठाव में काफी समय लग जाने के कारण आपदा पीड़ितों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने में व्यावहारिक कठिनाई होती है।

3. अतएव सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने तथा OMSS को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति में मुफ्त साहाय्य के रूप में खाद्यान्न के मद में प्रति परिवार 3,000/– रु0 नकद राशि उपलब्ध करायी जाए। यह राशि नकद अनुदान मद में दिये जानेवाले 3,000/– रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

4. इस प्रकार अगले आदेश तक मुफ्त साहाय्य के रूप में कुल 3,000/– रु0 + 3,000/– रु0 = 6,000 रु0 की राशि पीड़ितों को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।

5. साथ ही उपरोक्तानुसार मुफ्त साहाय्य तथा बर्त्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे– बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदर के अनुसार क्रमशः 1,800/– रु0 एवं 2,000/– रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी।

6. कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक – (46) पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में :

पत्रांक–1प्रा0आ0–13/2016..3236/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर/ भोजपुर/ पटना/ वैशाली/ सारण/ समस्तीपुर
बेगूसराय/ खगड़िया/ लखीसराय/ मुंगेर/ भागलपुर एवं कटिहार

पटना–15, दि0– 28/8/16

विषय : **पशु राहत शिविर के संचालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए विभिन्नि जिलों में पशु राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है। पशु राहत शिविरों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाय :–

1. पशु राहत शिविरों में रखे गये/लाये गये पशुओं एवं उनके पशुपालकों का पंजीकरण हेतु एक रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला जाय जो रजिस्ट्रेशन –सह–नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष में एक ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था की जाय।

2. पशु शिविरों में रखे गये पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु चारा यथा भूसा, चुन्नी एवं चोकर आदि की व्यवस्था की जाय।

3. प्रत्येक पशु राहत शिविर में आवश्यक पशु दवाओं के साथ एक पशु चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया जाय।

4. पशुओं को खुले में न रखा जाय बल्कि उनके लिए पशु शेड के रूप में त्रिपाल की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन
28/8/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3236 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–28/8/16

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3236 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–28/8/16

प्रतिलिपि– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/16
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक – (47) नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-4-1 (नाव) 7/90 - 920/सा0पु0

बिहार सरकार,

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक,

श्री एन0 के0 सिंह,

साहाय्य आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-23.06.95

**विषय:-** **नाव एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में।**

महाशय,

बाढ़ के समय गैर-सरकारी नावों एवं नाविकों की उपयोग से संबंधित मुद्दों, यथा नावों का भाड़ा, नाविकों की मजदूरी इत्यादि को लेकर जिलों से समय-समय पर जिज्ञासाएँ की जाती रही हैं। विधान मंडल में भी इसके संबंध में प्रश्न होते रहे हैं।

2. बिहार अकाल-बाढ़-साहाय्य संहिता के नियम 191, 192, 193 एवं 194 में उपर्युक्त के संबंध में यथेष्ठ एवं आवश्यक अनुदेश अंकित हैं। विभागीय पत्रांक 3072, दिनांक 23.08.90 के द्वारा भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. बाढ़ के समय नावों एवं नाविकों के उपयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर भली-भाँति विचार करने के बाद निदेशानुसार कहना है कि:

3.1. जैसा कि पूर्व में निदेशित है, बाढ़ के पहले ही, मई मास के आखिर तक, सरकारी नावों की उपलब्धता आँक कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मति करा ली जाय। मरम्मति के लिए विहित प्रपत्र में उपलब्ध सरकारी नावों की संख्या, मरम्मति योग्य नावों की संख्या, प्रति नाव मरम्मति की दर और इस प्रकार मरम्मति पर आनेवाले कुल व्यय की राशि अंकित करते हुए निधि के लिए विभाग को प्रस्ताव दिये जाय ताकि आवंटन ससमय दिया जा सके।

3.2. जिला में बाढ़ से प्राय: प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए, नावों की कुल आवश्यकता आँक ली जाए। कई बार सरकारी नावों से आवश्यकता पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में निजी नाव भाड़े पर लेना लाजिमी हो जाता है। अतएव सरकारी नावों के अलावा जितनी गैर-सरकारी (निजी) नावों को भाड़े पर लेने की आवश्यकता हो, उसका अन्दाजा लगा लिया जाय और तदनुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। ससमय उन की अधियाचना भी कर ली जाय। अगर मरम्मति की आवश्यकता हो तो अधियाचित नावों के मालिकों से बाढ़ से पहले ही उनकी मरम्मत करा ली जाय ताकि बाढ़ के समय चालन के लिए तुरंत उपलब्ध हो सकें।

3.3. गैर-सरकारी (निजी) नावों के आकार एवं भार-वहन क्षमता के आधार पर बड़ी नावों और छोटी नावों की दो श्रेणियों में नावों को रखा जाए और बड़ी एवं छोटी नावों की अलग-अलग प्रतिदिन की दर से भाड़ा निर्धारित किया जाए। प्रमंडल के सभी जिलों में नावों के भाड़े एकरूप हो, इसके लिए आवश्यक है कि भाड़े का प्रस्ताव जिलाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजें जो नावों के आकार, भार वहन क्षमता एवं स्थानीय प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए भाड़ा की दर का अनुमोदन करेंगे।

3.4. नावों के आकार और भार वहन क्षमता को मद्देनजर रखते हुए चालन के लिए एक नाव पर कितने नाविक रखे जायेंगे, यह संख्या जिलाधिकारियों के प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त निर्धारित करेंगे ताकि इस संबंध में भी एकरूपता बनी रहे।

3.5. नाविकों की मजदूरी के निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी अपने प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को भेजेंगे और प्रमंडलीय आयुक्त अनुमोदन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि उनके क्षेत्र के सभी जिलों में एकरूप मजदूरी निर्धारित हो। मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/ अधिघोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.6. भाड़े पर ली गई गैर-सरकारी नावें का उपयोग सभी बाढ़ पीड़ितों के द्वारा किया जाना है, सिर्फ उसके मालिक द्वारा ही नहीं।

3.7. बाढ़ के समय उपयोग में आनेवाले नावें, सरकारी या गैर-सरकारी दोनों पर लाल झण्डा लगाया जाना चाहिए ताकि लोग पहचान सकें कि राज्य सरकार द्वारा उनके उपयोग के लिए प्रबंधित नाव हैं।

3.8. प्रखंड/ अंचल स्तर पर निजी नावों और नाविकों के लिए लौग-बुक संधारित किया जाए, जिसमें नावों एवं नाविकों की संख्या, अवधि जिसमें उनका उपयोग किया गया इत्यादि अंकित हो, जैसा कि पूर्व निर्देशित है।

3.9. बाढ़ समाप्ति के बाद विहित-प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन दिया जाय जिसमें बाढ़ में उपयोग में लाई गई नावों एवं नाविकों की संख्या, अवधि, नावों के कुल भाड़े और नाविकों की कुल मजदूरी का पूरा विवरण हो ताकि सरकार द्वारा यथेष्ट राशि समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा हो और बकाया की नौबत न आवे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एन0 के0 सिंह)

साहाय्य आयुक्त, बिहार।

अनुलग्नक–(48) सहाय्य कार्य में लगे नाविकों की मजदूरी दर :

पत्रांक–I प्रा0आ0–19/2007 3438 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

विषयः साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2020 दिनांक 22.07.2009 द्वारा साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के लिए मजदूरी की दर 129 (एक सौ उनतीस) रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी। परन्तु श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू किये जाने के फलस्वरूप श्रम विभागीय अधिसूचना संख्या 3521 दिनांक 29.09.09 के अनुसार प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 132.00 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। अतएव निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से साहाय्य कार्य में लगे नाविकों की दैनिक मजदूरी रू. 132.00 (एक सौ बत्तीस रूपया) होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी देय होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 3438 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

प्रतिलिपिः संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3542 दिनांक 30.09.2009 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 3438 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

प्रतिलिपिः मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अनुलग्नक– (49) संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारी :

पत्रांक 1प्रा0आ0–06 / 2016 / ..... / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**जिला पदाधिकारी,**
सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, भागलपुर (अति बाढ़ प्रवण 15 जिले)।
बक्सर, सारण (छपरा), नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णियाँ, अररिया, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, किशनगंज, पटना, भोजपुर, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज (बाढ़ प्रवण 13 जिले) एवं नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल।

पटना–15, दिनांक–

**विषयः संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण माने जाते है। इनमें से 15 अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। गत् वर्ष भी राज्य के 19 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2013 में गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण मुंगेर जिला भी बाढ़ से प्रभावित जिला रहा है। वर्ष 2016 में भी यह जिला बाढ़ से प्रभावित रहा। इसके अतिरिक्त स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी में पानी बढ़ जाने के कारण नवादा, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं अरवल के भी कुछ हिस्से यदा–कदा बाढ़ से प्रभावित होते रहे है। वर्ष 2016 में गया जिले में भी फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अतः बाढ़ आने के पूर्व की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में आप सबको बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भेजी गयी है, जिसमें अद्यतन आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन किया गया है। जो परिपत्र पुराने पड़ गए हैं, उनके स्थान पर समय–समय पर विभाग से परिपत्र निर्गत किए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानदर के संबंध में **विभागीय पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 द्वारा वर्ष 2015–2020 तक के लिए अद्यतन संशोधित मानदर को परिचारित किया गया है।** सभी अद्यतन परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर को विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड करते हुए **Circular** के अन्तर्गत रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया भी विभागीय website पर अपलोड की गयी है। मानक संचालन प्रक्रिया एवं नए अद्यतन परिपत्रों / संशोधित मानदर के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ की जानी है। साथ ही बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं। परन्तु यदि हमारी तैयारियाँ (Preparation) ससमय पूर्ण हो जाएगी तो बाढ़ आपदा का मुकाबला हम सक्षमता एवं प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

1. **वर्षा मापक यंत्र**

वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति एवं उनको चालू हालत में रखा जाय। वर्षा मापक यंत्रों के रिडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों का निर्धारण किया जाय, साथ ही वर्षापात् आंकड़े के त्वरित प्रेषण की व्यवस्था की जाय।

2. **संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान**

बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर ली जाय। इस कार्य हेतु विगत वर्षों में आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आंकड़ों का उपयोग किया जाय। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निराश्रितों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं की सूची विशेष रूप से तैयार की जाय।

3. **संसाधन मानचित्रण**

बाढ़ सुरक्षा हेतु गाँव, पंचायतो एवं प्रखंड मे उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण किया जाय। अंचल में उपलब्ध निजी नाव मालिकों से एकरारनामा कर लिया जाय। पुरानी सरकारी नावों की गहनी/मरम्मति कराकर उन्हें प्रचालन योग्य बनाया जाय एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भेजी गयी राशि से नई सरकारी नावों का निर्माण कर लिया जाय। निजी नाव मालिकों एवं चालकों के पूर्व के बकाये भुगतानों के मामलों को तुरंत निपटा दिया जाय। नाव की सुरक्षा हेतु नावों पर भार क्षमता का चिन्ह लगाया जाय। जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष रूप से मानचित्रण किया जाय एवं इनके आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय।

4. **तटबंधों की सुरक्षा**

जिला के अन्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण करा संवेदनशील स्थलों पर तटबंधों का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करवाई जाए। इस क्रम मे जल संसाधन विभाग से सतत सम्पर्क रखा जाय।

जल संसाधन विभाग संबंधित पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं जहां सुदृढ़ीकरण करना हो उसे मॉनसून आने के पूर्व तक अवश्य कर लें। जल संसाधन विभाग से यह भी अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, लोहे का जाल तथा बालू की व्यवस्था रखे ताकि तटबंध सुरक्षा का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने पर तटबंधे की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कर लिया जाय। इसके लिए चौकीदार/होमगार्ड की सेवाएं ली जा सकती है और जल संसाधन एवं अन्य विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ उन्हें प्रतिनियुक्त कर पेट्रोलिंग टीम बनाई जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि किसी भी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत दें। यह भी आशंका रहती है कि ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिया जाए। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफल न हो।

5. **सूचना व्यवस्था**

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कर लिया जाए कि जिला के अन्तर्गत आनेवाली नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे। यह सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी (जन सेवक, कर्मचारी, पंचायत सेवक) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा प्रखंड/अंचल से आपको किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरंत दे। जिला स्तर पर ऐसी संचार योजनाएं बनायी जाय जिससे कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों और मोटरबोट चालकों के साथ लगातार व्यवधान रहित सम्पर्क रखा जा सके।

6. **नाव**

सरकारी नावों की मरम्मति करा लें। साथ ही, विभागीय निदेश के आलोक में नयी नावों का निर्माण/क्रय निविदा के आधार पर ससमय कर लें। निधि की अधियाचना प्राप्त होने पर राशि आबंटित की जायेगी। जिला के अन्तर्गत उपलब्ध निजी नावों का ब्यौरा प्राप्त कर इसका सत्यापन (Verification) करा लें। जहां नाव देने की आवश्यकता होती है उसकी सूची बना लें तथा उन स्थलों पर तैनात किए जाने वाले नाव तथा नाविक को पहले से चिन्हित कर दें। बाढ़ आने पर प्रतिनियुक्ति आदेश तुरंत जारी कर दें तथा उपर्युक्त स्थल पर नाव चल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर करवायें। चलाये जा रहे नावों पर तख्ती लगा रहे जिसपर अंकित रहे कि "**यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है**"। चलाये जाने वाले नाव निश्चित स्थल/घाट से चलेंगे। उक्त घाट पर सूचना पट्ट लगा रहना आवश्यक है, जिसमें नाविक का नाम तथा संचालन अवधि अंकित रहेगी। नावों की भार क्षमता का आकलन मोटर यान निरीक्षक से कराकर नावों की निर्धारित भार क्षमता अंकित करा दिया जाए ताकि ओवर लोडिंग के कारण नाव दुर्घटनाएँ न हो सके।

7. **पालीथीन शीट्स, सत्तु गुड़, चूड़ा आदि की व्यवस्था**

आवश्यकतानुसार विस्थापितों के लिए पालीथीन शीट्स का क्रय एवं भंडारण मॉनसून पूर्व तक सुनिश्चित कर लें। पूर्व क्रय मात्रा उतनी हो जितना खपत हो जाने की आशा है, शेष के लिए rate contract करके रखें ताकि आवश्यकतानुसार उससे अतिरिक्त आपूर्ति तुरत प्राप्त किया जा सके। बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तु आदि की उपलब्धता का जायजा कर लें तथा rate contract करा लें ताकि आवश्यकतानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। पैकेट तैयार करने हेतु टीम का भी गठन कर लिया जाय।

8. **शरण स्थल**

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा रोड किनारे शरण लेते हैं। शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लें। यह स्थल उंचे स्थानों पर स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य उंची भूमि आदि हो सकती है। बांध पर अथवा सड़क के किनारे जहां लोग अमूमन शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए। बाढ़ आपदा के पूर्व उँचे शरण स्थलों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। संभावित शरण स्थलों की पहचान और उनके प्रबंधन की विशेष

योजना पूर्व से बना ली जाय। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, मेडिकल कैम्प, पंजीकरण, संचार, प्रकाश, नवजात शिशुओं के टीकाकरण, प्रसव की व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, भोजन बनाने के उपस्कर एवं स्थल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टेन्ट, मच्छरदानी, 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष भोजन, सेनेटरी किट जैसे–महत्वपूर्ण एवं मानवीय बिन्दुओं पर विशेष रूप से योजनाएं बना ली जाय। अत्यन्त बाढ़ प्रवण जिला में मेगा शिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाय, ताकि आकस्मिकता के समय इसे व्यवहृत किया जा सके।

9. **मानव दवा की व्यवस्था**

जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन के परामर्श से आवश्यक दवाओं का आकलन एवं भंडारण सुनिश्चित कर लें। बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना होती है। अतः जिला अस्पतालों/ अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्रों पर सर्प काटने की दवाएं, क्लोरिन टैबलेट, ओ0आर0एस0 घोल के पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एन्टी रेबीज की सूईयां, एन्टीबायोटिक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाय।

10. **मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्प**

यथा सम्भव सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सा/पारा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराये जाएँ। बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाएं तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाइल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थली सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय से पूर्व ही कर ली जाए।

11. **पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था**

बरसात के दौरान/बाढ़ के समय पशुएं विभिन्न प्रकार की बिमारियों के शिकार होते हैं। चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के दौरान सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार पशु संसाधन विभाग के परामर्श से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ प्रवण जिलों में पशु आश्रय स्थल के साथ–साथ पशु–चारा की उपलब्धता एवं आवश्यकता का ऑकलन पूर्व से कर ली जाय ।

12. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था**

बाढ़ प्रभावित गॉवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकल को उँचे स्थानों पर गाड़ने की व्यवस्था तथा पेयजल के परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाय। पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए एवं बाढ़ प्रवण पंचायतों में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से समय–पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।

13. **जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/महाजाल की व्यवस्था**

जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष से मानचित्रण किया जाय एवं इनके आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय। जिलों को महाजाल क्रय करने का निर्देश पूर्व में दिया गया है। जहाँ महाजाल का क्रय नहीं हो सका हो वहाँ महाजाल का क्रय ससमय कर लिया जाए। अधियाचना प्राप्त होने पर महाजाल के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

14. **राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हितकरण**

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का आंकलन कर लिया जाय तथा संभावित बाढ़ के पूर्व ही आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कराया जाय। इसके लिए पंचायत एवं प्रखंडस्तर पर सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाय जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न के वितरण केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। राज्य खाद्य निगम का पूर्व से लंबित बकाये का भुगतान शीघ्र कर लिया जाय।

15. **सड़कों की मरम्मत**

बाढ़ के पूर्व जिले की मुख्य सड़कों विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मति कर ली जाय। पुल–पुलियों की भी मरम्मति करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाय।

16. **नाव/लाईफ जैकेट/मोटरबोट के परिनियोजन की आकस्मिक व्यवस्था**

बाढ़ के समय जिले के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः नाव, लाईफ जैकेट, मोटरबोट आदि के परिनियोजन हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाय। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित किया गया है एवं उन्हें आपदा राहत एवं बचाव दल का किट भी उपलब्ध कराया गया है। अतः जिलों में मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की प्रतिनियुक्ति हेतु भी योजना तैयार कर ली जाय। **इनके मानदेय/ भत्ता भुगतान हेतु निदेश विभागीय पत्रांक 2274 दिनांक 15.07.11 द्वारा प्रेषित है, जो विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।**

17. **नोडल पदाधिकारी/ जिलास्तरीय टास्क फोर्स**

बाढ़ पूर्व तैयारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। **नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटरबोट चालकों आदि की प्रतिनियुक्ति 15 जून से पूर्व कर लिये जाय।** मानव संसाधनों का समन्वय इनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है। जिलास्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाय। टास्क फोर्स द्वारा समय–समय पर बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जाय।

18. **नियंत्रण कक्ष**

राज्य स्तर के अनुरूप जिला स्तर पर भी संचार माध्यमों से लैस स्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय। जिले मे उपलब्ध बाढ़ के पूर्व खोज एवं बचाव यंत्रो की सूची तैयार कर नियंत्रण कक्ष में रखा जाय। नियंत्रण कक्ष में टॉल फ्री दूरभाष/ टेलीफोन की व्यवस्था की जाय, ताकि आम जनता से विभिन्न क्षेत्रों से शीघ्र सूचना प्राप्त की जा सके। राज्य स्तर से बेल्ट्रॉन के सहयोग से सभी जिलों एवं प्रमण्डलों में सेटेलाइट फोन लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। किसी वरीय पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बना दिया जाए। जिला नियंत्रण कक्ष हमेशा राज्य नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहेंगे।

19. **गोताखोरों का प्रशिक्षण**

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे व्यक्तियों का शव बरामद करने हेतु गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है एवं इन्हे राहत बचाव संबंधित किट उपलब्ध कराया गया है। इन प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची एवं मोबाईल/ दूरभाष नम्बर जिले के नियंत्रण कक्ष में संधारित कर रखा जाय एवं आवश्यकता के अनुरूप इनका उपयोग किया जाय। **गोताखोरों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 4400 दिनांक 26.12.2011 द्वारा आपको प्रेषित है, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।**

20. **समुदाय का प्रशिक्षण**

किसी भी आपदा के समय समुदाय आपदा का पहला रेस्पांडर होता है। बाढ के दौरान समुदाय के लोगों को राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाने हेतु **क्षमतावर्द्धन (Capacity Building)** योजना के तहत प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में पंचायतों से तथा विशेष रूप से कमजोर समुदाय, अनुसूचित जाति टोलों, से अनुसूचित जाति के युवकों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। समुदाय के इन प्रशिक्षित लोगों का उपयोग बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर **राहत एवं बचाव दल** के रूप में किया जाए एवं **प्रतिनियुक्ति के दौरान इन्हें आबादी निष्क्रमण मद से दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाय।**

21. **राहत एवं बचाव दल का गठन**

बाढ़ प्रवण प्रखण्डों के पंचायतों में यथानुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड/अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार मे दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, होमगार्डों , नागरिक सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु "राहत एवं बचाव दल" गठित किया जाय एवं उनकी विस्तृत सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में संधारित की जाय।

22. **तैयारियों का अभ्यास**

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वयंसेवकों/ क्षेत्रीय कर्मचारियों/ गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/ Mockdrill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय। इसमें बाढ़ प्रवण पंचायतों के NGO का उचित प्रशिक्षण भी जिला स्तर से की जाय।

23. **आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण**

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाय। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराना एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

**जिला स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा के लिए बैठक 31 मई, 2016 तक आयोजित किया जाय तथा तैयारी के संबंध में विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा विभाग द्वारा यथा समय विडियो कॉफ्रेन्सिंग एवं प्रमण्डलीय स्तर पर बैठको के माध्यम से की जायेगी।**

आशा है **सभी जिले इस वर्ष के संभावित बाढ़ से निपटने हेतु पूरी तैयारी दिनांक 30 जून 2018 तक** कर लेंगे ताकि जन सामान्य को बाढ़ आपदा से राहत पहुँचाने में हमलोग सफल हो सके।

**नोटः–** 1. बाढ़ पूर्व तैयारियो के संबंध में उठाए जाने वाले उपरांकित कदम उदाहरण स्वरूप (illustrative) हैं, परिपूर्ण (exhaustive) नहीं। जिला– विशेष अपने जिले में बाढ़ के इतिहास एवं समय–समय पर विभिन्न स्रोतों से मानसून एवं नदियों में जलस्तर के संबंध में प्राप्त पूर्वानुमानों को ध्यान में रख बाढ़ पूर्व तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे।

2. बाढ़ पूर्व तैयारियो हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलो को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ। कृपया अपने प्रमण्डलों में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि विभाग/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/ समाज कल्याण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/गृह विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/शिक्षा विभाग/नगर विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ निदेशक सांख्यिकी निदेशालय/क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय कर ली जाँय एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिलास्तर पर आकस्मिक योजना शीघ्र तैयार कर ली जाए।

अनुलग्नक–(50) नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन :

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-2-0-17/2001 1004 /आ0प्र0।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8/7/05

विषय-**नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवंज न-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्य तथा राहत सामग्रियों के वितरण, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु नगर क्षेत्र के लिए निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु)

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति- अध्यक्ष

(II) अध्यक्ष जिला परिषद/महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निकाय- सदस्य

(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद- सदस्य

(IV) प्रखंड प्रमुख- सदस्य

(V) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य

(VI) जिला पदाधिकारी- सदस्य सचिव

(VII) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी- सदस्य

वर्तमान राष्ट्रपति शासन अवधि में प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के स्थान पर प्रमंडलीय आयुक्त जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु) के अध्यक्ष होंगे।

2. नगर राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष- अध्यक्ष

(II) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य- सदस्य

(III) विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी)- सदस्य

(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य

/

(V) नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य सचिव।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा अन्न, नकद राशि आदि का नगर वार्ड सदस्य और नगर वार्ड सदस्य के पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में नगर के मुहल्लों में वितरण किया जायेगा।

3. वितरण की जानेवाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नगद राशि के संबंध में पूरी सूचना नगरपालिका/नगर निकाय के सूचना-पट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा वितरण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी, द्वारा मुद्रित पर्चों के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदेय) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श नगर निकाय/नगरपालिका स्तर पर नगर क्षेत्र राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति एवं जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जायें।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी से प्रकाशित/प्रचारित कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव

अनुलग्नक – (51) प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी दल का गठन :

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-2-0-17/2001 1388 /आ0प्र0 ।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग ।

प्रेषक,

श्री0 अशोक वर्धन,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 24/7/04

**विषय- जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर निम्न रूप से अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है :-

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

| | | |
|---|---|---|
| (I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति | - | अध्यक्ष । |
| (II) अध्यक्ष, जिला परिषद | - | सदस्य । |
| (III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद एवं प्रखण्ड प्रमुख | - | सदस्य । |
| (IV) (सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि) | - | सदस्य । |
| (V) जिला पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव । |
| (VI) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी | - | सदस्य । |

(ख) प्रखण्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

| | | |
|---|---|---|
| (I) प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख | - | अध्यक्ष । |
| (II) सांसद, विधायक और मुखियागण | - | सदस्य । |
| (III) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि | - | सदस्य । |
| (IV) अंचल अधिकारी | - | सदस्य सचिव । |
| (V) संबंधित विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी | - | सदस्य । |

(ग) पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

| | | |
|---|---|---|
| (I) मुखिया | - | अध्यक्ष । |
| (II) पंचायत वार्ड के सदस्यगण | - | सदस्य । |
| (III) विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए | | |

निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी) - सदस्य ।
(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।
(V) पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों - सदस्य ।
(VI) पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी - सदस्य सचिव ।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा- अन्न, नकद राशि आदि का मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पद के लिये हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में गांवों/टोलों में वितरण किया जाएगा।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नकद राशि के संबंध में पूरी सूचना प्रखण्ड/पंचायत के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदेय) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श पंचायत स्तर पर पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड राहत-सह-निगरानी समिति और जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र संख्या 1435 दिनांक 20.08.01 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04
प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)

अनुलग्नक– (52) वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन :

पत्र संख्या-1प्र0आ0-2-0-17/2001 3883 /आ0प्र0

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 11/12/07

**विषय- वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु विभागीय पत्रांक-1388, दिनांक-24.07.04 द्वारा जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित किया है । जिलों के नगर क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय वार्ड भी पूर्णतः या आंशिक रूप से वर्तमान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । प्रभावित ऐसे वार्डों में बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है । जिसके आलोक में पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के समानान्तर वार्डों में निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति का गठन किया जाता है :-

वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) संबंधित वार्ड आयुक्त - अध्यक्ष

(II) विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य) - सदस्य

(III) सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य - सदस्य

(IV) स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि - सदस्य

(V) संबंधित वार्ड के तहसीलदार - सदस्य सचिव

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य), स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख-रेख में वार्ड में वितरण किया जाएगा ।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री के संबंध में पूरी सूचना वार्ड के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी ।

Mukesh Mv doc O P Pandey/Ward Anudhrwan Samiti

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुग्रह राहत (मानदंड) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श वार्ड स्तर पर वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

अनुलग्नक – (53) अगलगी से बचाव हेतु कार्रवाई के सम्बन्ध में :

पत्रांक ...../

**मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना**

प्रेषक,

पी0एन0 राय,
महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय:– आगलगी से बचाव संबंधी कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

आप भलीभाँति अवगत हैं कि मार्च से लेकर जून माह तक देहाती क्षेत्र में आग की घटनायें बढ़ जाती हैं। इनके कारणों से भी आप अवगत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आग घरों में अथवा खेत–खलिहानों में लगती है। अग्निशमन वाहन और कर्मी घटना स्थल से दूरी पर प्रतिनियुक्त रहते हैं, इसलिए जल्दी पहुँचने में कठिनाई है।

2. आप अवगत हैं कि कुछ थानों में मिस्ट–टेक्नोलॉजी के वाहन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर भी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त हैं। इनका भरपूर उपयोग करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से आवश्यकता है कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध साधनों को व्यवस्थित किया जाय। अर्थात् वाहनों एवं संसाधनों की उपलब्धता की जाँच कर, यदि उनको कार्य में लाने में कोई कमी हो तो उसे ठीक करने की कार्रवाई की जाय। चालक उपलब्ध हैं अथवा नहीं, अग्निक हैं अथवा नहीं, इसकी भी जाँच की जाय।

3. राज्य अग्निशाम निदेशालय को निदेशित किया जा रहा है कि वह अपने स्तर से भी वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा कर लें और जहाँ–जहाँ पर कमी है वहाँ उपलब्ध करायें। अभी हाल ही में लगभग 500 अग्निकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें संवेदनशील स्थानों पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। कुछ जिलों में मिस्ट–टेक्नोलॉजी के वाहन थानों में प्रतिनियुक्त नहीं हुए हैं, जैसे– पटना, जमुई इत्यादि। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि इन वाहनों को थानों में तत्काल प्रतिनियुक्त करें। इन वाहनों के ईंधन के संबंध में भी पत्रांक 1036 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा निदेश भेजा गया है, कृपया इस पर भी कार्रवाई की जाय।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आग से बचने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अगर इन क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से लोगों को सावधान रहने

के लिए जागरुक किया जाता है तो लाभदायक होगा। इसी दिशा में एक अपील की प्रति संलग्न की जा रही है। इस अपील में अंकित बातें ध्यान देने वाली हैं। इस प्रकार की अपील लीफलेट, पोस्टर के माध्यम से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचारित करने की आवश्यकता है। दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से इनको जिला स्तर से प्रसारित कराया जा सकता है। पिछले वर्ष इस विषय पर एक पैम्पलेट बी०एस०डी०एम०ए० एवं महानिदेशालय, अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्डस, भारत सरकार के द्वारा निर्गत हुआ था, इसकी प्रतियाँ पंचायत स्तर पर बँटाई जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाय।

अनु० – यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह० / –
(पी०एन० राय)

ज्ञापांक...../ पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

ह० / –
महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1042 / पटना, दिनांक 02/03/2016

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–I

प्रपत्र (अग्निकांड)

| जिला का नाम | प्रखंड का नाम | प्रभावित गाँवों की संख्या | प्रभावित परिवारों की संख्या | क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या | | | मृतकों / घायलों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्ण | आंशिक | योग | मनुष्य | | पशु | |
| | | | | | | | मृत | घायलों की सं0 | मृत | घायलों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| मुफ्त खाद्यान्न के लिए कुल राशि | कपड़ा / बर्तन के लिए कुल राशि | पूर्ण क्षतिगस्त मकानों के लिए कुल राशि | आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कुल राशि | अनुग्रह अनुदान मृतकों के लिए कुल राशि | घायलों के लिए अनुदान मद में कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## प्रपत्र–II

### वित्तीय वर्ष 2014 में अग्निकांड से हुई क्षति एवं वितरित साहाय्य संबंधी विवरणी

| जिला का नाम | प्रभावित प्रखंड का नाम | प्रभावित पंचायतों की सं0 | प्रभावित गांवों की सं0 | प्रभावित परिवारों की सं0 | क्षतिग्रस्त मकानों की सं0 | | | क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य | क्षतिग्रस्त सार्वजनिक क्षति का अनुमानित मूल्य | मृतकों की संख्या | | नगद अनुदान | वितरित अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पूर्ण | आंशिक | योग | | | मनुष्य | पशु | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| मुफ्त खाद्यान्न | चूड़ा | चना | गुड़ | मोमबत्ती | दियासलाई | किरासन तेल | पॉलिथीन | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## प्रपत्र–III

### ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों एवं ऐसे जले मकानों के लिए उपलब्ध कराई गई इन्दिरा आवास की सूची वर्ष 2013

जिला का नाम .....

| प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों की अंचलवार संख्या | प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) से जले मकानों के लिए निर्मित इन्दिरा आवास की संख्या | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | निर्मित | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–(54) अग्निशमन सेवा हेतु हाईड्रेन्ट का निर्माण :

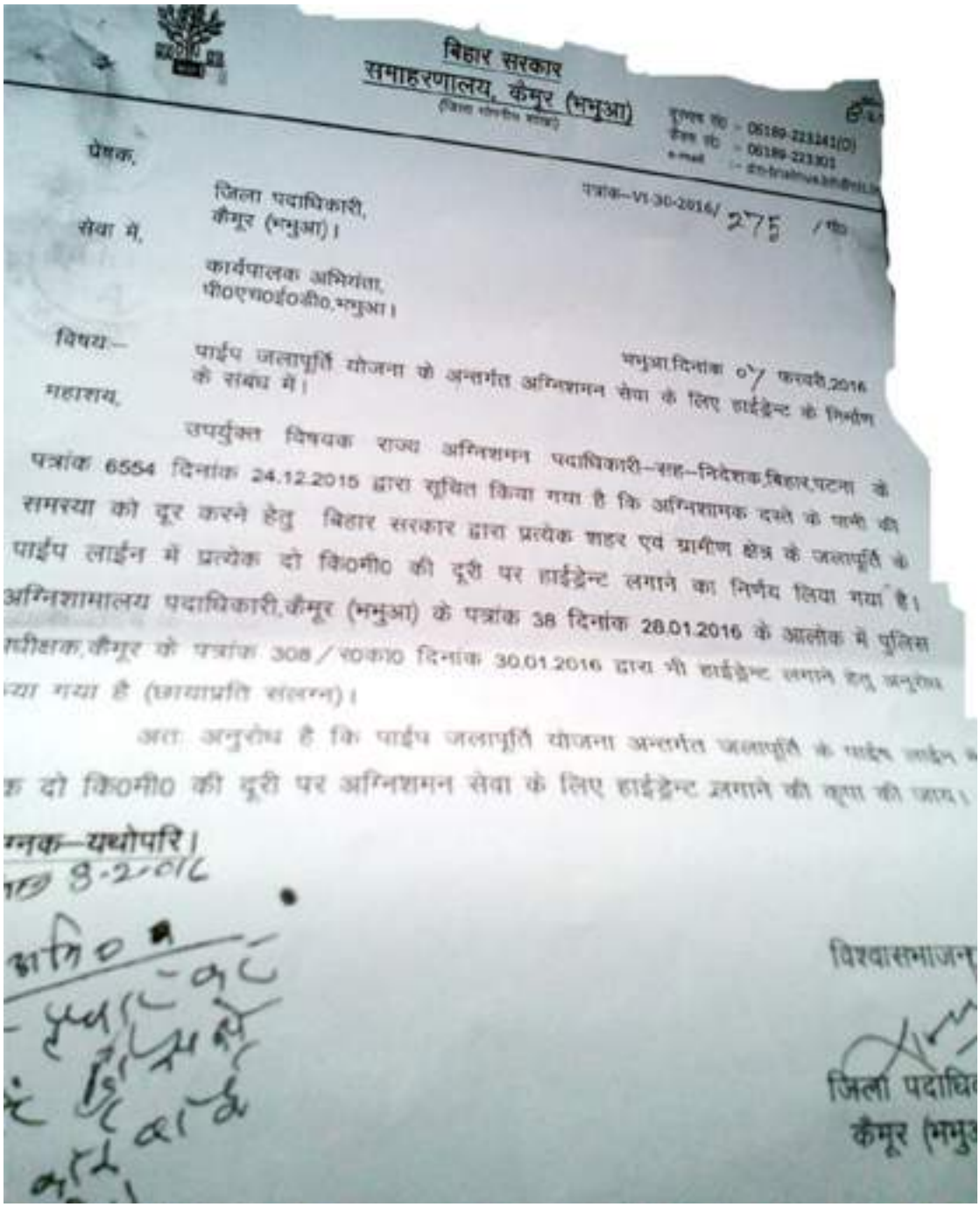

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय)

दूरभाष सं0 – 06189-221241(O)
फैक्स सं0 – 06189-221301
e-mail – dm-bhabhua.bih@nic.in

प्रेषक,

पत्रांक–VI-30-2016/ 275 /पी0

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

कार्यपालक अभियंता,
पी0एच0ई0डी0,भभुआ।

विषय– पाईप जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत अग्निशमन सेवा के लिए हाईड्रेन्ट के निर्माण के संबंध में।

भभुआ,दिनांक 07 फरवरी,2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,बिहार,पटना के पत्रांक 6554 दिनांक 24.12.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि अग्निशामक दस्ते के पानी की समस्या को दूर करने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के जलापूर्ति के पाईप लाईन में प्रत्येक दो कि0मी0 की दूरी पर हाईड्रेन्ट लगाने का निर्णय लिया गया है। अग्निशामालय पदाधिकारी,कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 38 दिनांक 28.01.2016 के आलोक में पुलिस अधीक्षक,कैमूर के पत्रांक 308/स0का0 दिनांक 30.01.2016 द्वारा भी हाईड्रेन्ट लगाने हेतु अनुरोध किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि पाईप जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जलापूर्ति के पाईप लाईन में प्रत्येक दो कि0मी0 की दूरी पर अग्निशमन सेवा के लिए हाईड्रेन्ट लगाने की कृपा की जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन

जिला पदाधि
कैमूर (भभु

अनुलग्नक–(55) आँधी/चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि से जुड़ी तैयारी, राहत, बचाव एवं बाँस निर्मित घरों एवं ढाल वाले छतो की विशिष्टि

पत्रांक — 1प्रा0आ0–06/2010/...../आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,
व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15, दिनांक–

**विषयः आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के प्रबंधन हेतु पूर्व तैयारियों एवं राहत एवं बचाव के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2013 को उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के तटों पर चकवाती तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है, जिसके कारण तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है।

2. इस पृष्ठभूमि में यह उचित होगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वेबसाईट पर इस संबंध में अंकित चेतावनी का अनुसरण करते हुए यदि आप के जिले में चकवाती तूफान आने की संभावना बतायी जाए तो इससे निपटने हेतु निम्नानुसार तैयारियों की जाँय तथा पूर्व सतर्कता बरती जाए ताकि कम से कम क्षति हो तथा जान–माल को सुरक्षा प्रदान किया जा सके :–

(क) सर्वसाधारण को प्रचार के माध्यमों द्वारा एवं पंचायतों के माध्यम से सूचित किया जाए कि आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि की आशंका होने पर पेड़ों के नीचे तथा कमजोर आधारभूत संरचनाओं के नीचे शरण न लें।

(ख) जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया जाय जिसमें पाली ड्यूटी 24 X 7 पदाधिकारी/कर्मी प्रतिनियुक्त किये जायें।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य अस्पतालों में घायलों को अहर्निश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था रहे तथा प्राथमिक उपचार तथा जीवन रक्षक दवाओं का भंडार पूर्व से ही कर लिया जाय। अस्पतालों में एम्बुलेंस तैयार स्थिति में रहें ताकि घायलों की सूचना प्राप्त होते ही उन तक चिकित्सा सुविधा तीव्र गति से पहुँच सके। ज्ञातव्य हो कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में एक–एक एम्बुलेंस का कय करने हेतु निधि उपलब्ध करायी गयी है तथा एम्बुलेस का कय कर उसे जिलों को उपलब्ध कराया गया है। ये एम्बुलेंस जिला पदाधिकारी की देखरेख में आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(घ) किसी भी आपदा के समय समुदाय एवं पुलिस प्रथम रिस्पांडर होते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सभी थानों एवं संभावित क्षेत्रों को इस विषय से अवगत कराते हुए सतर्क रहने का निदेश दिया जाय। आपदा आते ही राहत एवं बचाव का कार्य त्वरित गति से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष 24 X 7 सक्रिय कर दिया जाय तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का फोन तथा मोवाईल नं0 संधारित किया जाय।

(च) प्रखंड/अंचल स्तर पर राहत एवं बचाव दल गठित कर उन्हें सतर्कता की स्थिति में रखा जाए ताकि आपदा आते ही वे राहत एवं बचाव कार्यों में लग जॉय।

(छ) आँधी/तूफान/ओलावृष्टि आदि आने की स्थिति में अविलंब द्रुततम संचार माध्यम से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (फैक्स संख्या 0612 2217305/2217786) को सूचना भेजी जाय तथा यथाशीघ्र सर्वेक्षण करा कर विस्तृत क्षति प्रतिवेदन यथा फसल क्षति, गृह क्षति आदि की सूचना एवं राशि की अधियाचना विभाग को प्रेषित की जाय। दूरभाष/मोवाईल के माध्यम से भी अधोहस्ताक्षरी एवं विभागीय पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाए।

(ज) आँधी, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि से बचाव हेतु मकानों/झोपड़ियों को अधिक से अधिक आँधी/ चक्रवाती तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

(झ) मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को शीघ्रताशीघ्र निर्धारित दर पर अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराते हुए आवंटन की शीघ्र माँग की जाए।

3. यदि राज्य स्तर से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो द्रुततम माध्यम से अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4599 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 9/10/13

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

यदि टीन का छत 'जे–बोल्ट' द्वारा कसा बना है तो बोल्ट आदि खोल कर छत में लगे टीन को निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस आपदा से बचने के लिए निम्न बातों पर भी हितधारियों का ध्यान देना आवश्यक है –

I. लगातार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बनने वाले टावर एवं खम्बों की उँचाई को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रकार के धातु का उपयोग।

II. झोपड़ियों, तार के खम्बों की नींव की गहराई काफी पर्याप्त हो और भवन निर्माण के नियमानुकूल हो।

III. आवासन यदि झोपड़ीनुमा है तो इसके छत में टीन के सीट का प्रयोग न करने की जागरूकता पैदा करना तथा इसके जगह प्लास्टिक या एसबेस्टस सीट का प्रयोग करना।

IV. यदि टीन के शीट का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका ढ़लान चारो ओर हो।

V. बाँस के खम्बों के आधार के लिए जमीन के अंदर कंक्रीट खूंटे का का प्रयोग।

1. छत को उड़ा ले जाने वाले झोपड़ी में जो बाँस से निर्मित है,

**(क)** बाँस के आधार खम्बों को बोरिक एसिड तथा वोरेक्स पाउडर से रसायनिक रूप से उपचारित करना ताकि वे सड़े नहीं ।

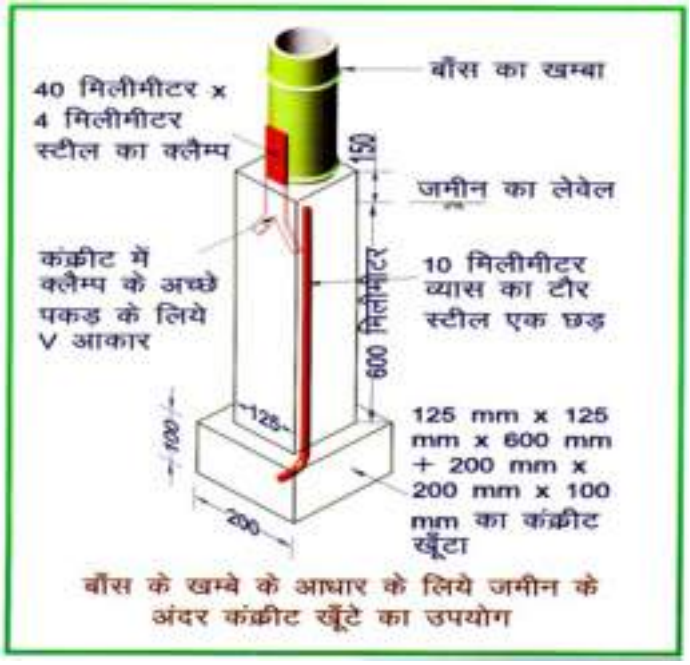

बाँस के खम्बे के आधार के लिये जमीन के अंदर कंक्रीट खूँटे का उपयोग

(ख) बाँस के कोनो के उपरी भाग को बाँस के टूकड़े से ही जकड़ देना।

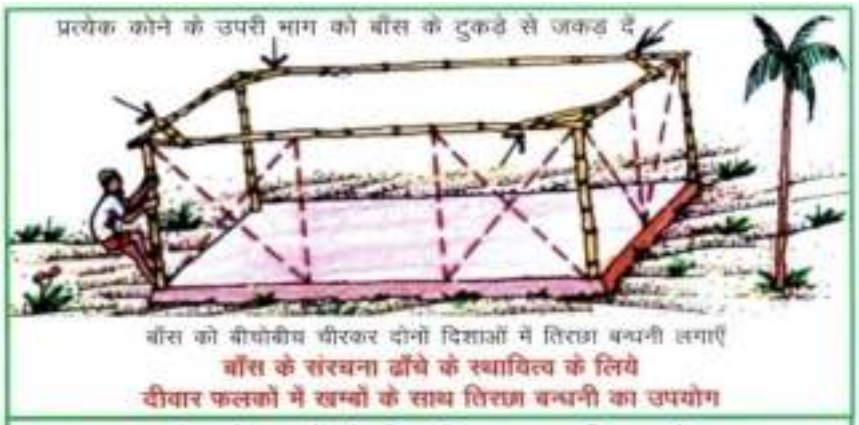


**बाँस के खम्बों के बीच तिरछा बन्धनी लगाएँ।**
**बाँसों को नायलन टेप अथवा GI तार से बाँधें।**

(ग) बाँस को बीचोबीच चीर कर दोनों दिशाओं में तिरछा बंधनी लगाना।

(घ) बाँस के खम्बों के बीच तिरछा बन्धनी लगाना।

(ङ) बाँसों को नायलन टेप अथवा जी॰आई॰ तार से बाँधना।

(च) 'जे–बोल्ट' के सहारे, पर्लिन के साथ, जस्ता स्टील चादर को जकड़ देना।

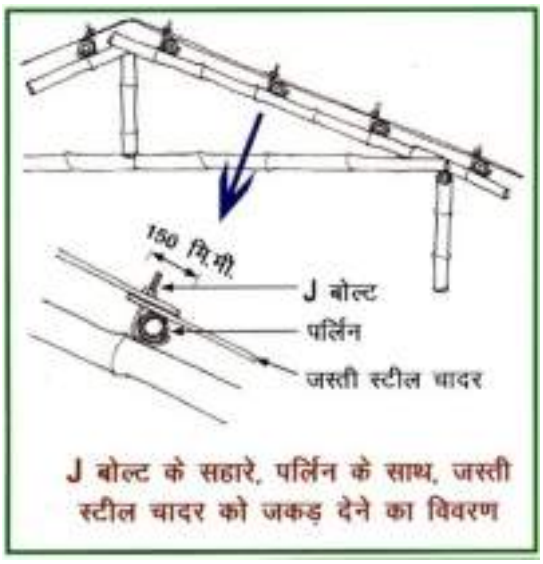


J बोल्ट के सहारे, पर्लिन के साथ, जस्ती स्टील चादर को जकड़ देने का विवरण

शीट को जकड़ने के लिये मरोड़वाले कील या J बोल्ट का उपयोग

**छत के GI चादर को अलकतरा वाशर के साथ J जे बोल्ट से जकड़ दें।**

(छ) छत के जी॰आई॰ चादर को अलकतरे वाशर के साथ 'जे–बोल्ट' के साथ जकड़ना।

2. खाद्यान का पर्याप्त भण्डार रखना।
3. जे॰सी॰बी॰/क्रेन से सम्बन्धित सूचना अद्यतन कर रखना।
4. तारपोलिन शीट की पर्याप्त मात्रा स्टॉक कर रखना।
5. यातायात का शीघ्र संचलन हो सके इस हेतु सारी व्यवस्था कर रखना।
6. अधिक गम्भीर स्थिति में हैम रेडियो को तैयार रखना ताकि दूरसंचार की व्यवस्था कायम रहे।

सभी स्केच श्रोत : बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰

अनुलग्नक–(56) शीतलहर (पाला) को आपदा श्रेणी में रखने के सम्बन्ध में

संचिका संख्या– 1प्रा0आ0–36/2002/4285/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 18/10/12

विषयः– शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2010–एन0डी0एम0 1 दिनांक–13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष /राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नरूपेण मानक निर्धारित किया गया है:–

(क) किसी क्षेत्र को शीत लहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायगाः–

(i) वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ii) वैसे क्षेत्र जहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।

राज्य में किसी जिले को शीत लहर /पाला से प्रभावित मानने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा।

केन्द्रीय दल के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का आकलन किया जायगा। शीत लहर (Cold Wave)/पाला (Frost) से प्रभावितों को ओलापात अथवा सूखा राहत के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता दिनांक–13.08.2012 के प्रभाव से देय होगी।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

18/10/12
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक – (57) पॉलीथीन शीट्स खरीदी के सम्बन्ध में

**अनुलग्नक– 07 (ख) (दृष्टव्य कंडिका 2.4g)**

पॉलिथीन शीटस के क्रय के संबंध में। पत्र

पत्रांक–1 प्रा0आ0–13/08...910 (50)...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर आयुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/ नालन्दा/ भोजपुर/ बक्सर/ सारण/
सिवान/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ सीतामढ़ी/
शिवहर/ पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/
वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/सहरसा/
सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/अररिया/ किशनगंज/
कटिहार/ मुंगेर/ लक्खीसराय/ खगड़िया/
बेगुसराय/ भागलपुर।

पटना–15, दिनांक– 25/6/09

विषयः पॉलीथीन शीट्स का क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पॉलीथीन शीट्स क्रय हेतु विभागीय पत्रांक 1495 दिनांक 13.06.08 द्वारा गत वर्ष डी.जी.एस.एण्ड.डी. से निबंधित फर्म/ सप्लायर की सूची भेजी गई है। इस वर्ष भी डी.जी.एस.एण्ड.डी. से निबंधित फर्म/सप्लायर की सूची की मांग विभाग द्वारा की गई है जो http://dgsnd.gov.in पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार पॉलीथीन शीट्स का क्रय निविदा कर की जा सकती है,– परंतु क्रय हेतु अधिकतम दर DGS&D के निर्धारित दर से अधिक नहीं होगा। गुणवत्ता भी DGS&D के मानकों के अनुरूप होगा।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

अनुलग्नक–(58) आरसेनिका युक्त जल श्रोतों की पहचान एवं चिह्निकरण :

| Sl. No | Blocks | Panchyats | Arsenic (as As, ppb) |
|---|---|---|---|
| 1 | Desri | Ufraul | 14 |
| 2 | | Aajampur | 31 |
| 3 | | Bhikhanpur | 15 |
| 4 | | Desri | 14 |
| 5 | | Dharampur Ram | 22 |
| 6 | | Dharampurramraan | 28 |
| 7 | | Jaffrabad | 14 |
| 8 | | Jahagirpur | 33 |
| 9 | | Jahagirpur Sham | 17 |
| 10 | | Rasalpur | 6 |
| 11 | | Rasalpur Haviv | 19 |
| 12 | Goraul | Kanhauli Dhanraj | 1 |
| 13 | | Katarmala | 1 |
| 14 | Hajipur | Afjalpur Dhobdhatti | 8 |
| 15 | | Andharvada | 4 |
| 16 | | Arra | 5 |
| 17 | | Bahuara | 4 |
| 18 | | Bisunpur Basant | 2 |
| 19 | | Chakunda Urf Milki | 3 |
| 20 | | Daulatpur Chandi | 8 |
| 21 | | Daulatpur Devariya | 5 |
| 22 | | Dighi west | 2 |
| 23 | | Dighikala Pachhimi | 4 |
| 24 | | Dighikala Purvi | 6 |
| 25 | | Dyalpur | 12 |
| 26 | | Gadai Sarai | 4 |
| 27 | | Gauspur Ijra | 1 |
| 28 | | Hilalpur | 9 |
| 29 | | Ismylpur | 12 |
| 30 | | Kanpura | 18 |
| 31 | | Kasipur Chakbibi | 8 |
| 32 | | Manua | 10 |
| 33 | | Pahetiya | 8 |
| 34 | | Panapur Langa | 7 |
| 35 | | Senduari | 4 |
| 36 | | Sultanpur | 6 |
| 37 | | Thathan Bujurg | 9 |
| 38 | | Vishunpur Baladhari | 6 |
| 39 | | Vishunpur Basant | 2 |
| 40 | Jandaha | Adalpur | 14 |
| 41 | | Arniya | 11 |
| 42 | | Badouiliya | 1 |
| 43 | | Bahsi Saidpur | 1 |
| 44 | | Basantpur | 6 |
| 45 | | Bijhrauli | 2 |
| 46 | | Borha | 1 |
| 47 | | Chand Sarai | 17 |
| 48 | | Dih Buchauli | 9 |
| 49 | | Hajrat Jandaha | 6 |
| 50 | | Hariprasad | 4 |
| 51 | | Jandaha | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | | Khopi | 9 |
| 53 | | Lakshmipur Barbatta | 7 |
| 54 | | Loma | 6 |
| 55 | | Mahipura | 6 |
| 56 | | Mahisaur | 9 |
| 57 | | Mansinghpur Bijhrauli | 7 |
| 58 | | Mohiudhipur Garahi | 7 |
| 59 | | Mukundpur Bhath | 4 |
| 60 | | Narikala | 2 |
| 61 | | Niri Khurd | 5 |
| 62 | | Pirapur | 5 |
| 63 | | Rasalpur | 1 |
| 64 | | Rasalpur Purusottam | 8 |
| 65 | | Saidmohammadpur Urf S | 5 |
| 66 | | Salha | 1 |
| 67 | | Soharthi | 6 |
| 68 | | Vishunpur Bedauliya | 7 |
| 69 | Mahua | Gauspur Chakmzahid | 1 |
| 70 | | Hasanpur Osti | 2 |
| 71 | | Mahua Mukunpur | 1 |
| 72 | | Phulwariya | 1 |
| 73 | | Rasulpur Urf Madhaul | 1 |
| 74 | | Samaspura | 3 |
| 75 | | Sherpur Chhatwara | 1 |
| 76 | | Sherpur Manikpuri | 1 |
| 77 | | Singhara Dakshin | 2 |
| 78 | | Tajpur Bujurg | 2 |
| 79 | Patehri Belsar | Belsar | 6 |
| 80 | | Chakgulamuddin | 6 |
| 81 | | Jarang Rampur | 6 |
| 82 | | Jatkauli | 4 |
| 83 | | Karneji | 13 |
| 84 | | Manora | 6 |
| 85 | | Mishrouliya | 3 |
| 86 | | Nagwa | 2 |
| 87 | | Shine | 8 |
| 88 | | Sohartha | 7 |
| 89 | Raghopur | Bahrampur | 130 |
| 90 | | Chaksingar | 28 |
| 91 | | Chandpura | 44 |
| 92 | | Fatehpur | 38 |
| 93 | | Jafrabad | 37 |
| 94 | | Jahagirpur | 31 |
| 95 | | Judawanpur Barari | 22 |
| 96 | | Judawanpur Karari | 43 |
| 97 | | Mallickpur | 23 |
| 98 | | Mohanpur | 35 |
| 99 | | Paharpur Pachhimi | 27 |
| 100 | | Paharpur Purvi | 27 |
| 101 | | Raghopur Pachhimi | 21 |
| 102 | | Raghopur Purvi | 35 |
| 103 | | Rampur Shyamchandra | 46 |
| 104 | | Rustampur | 54 |
| 105 | | Saidabad | 71 |
| 106 | | Saraipur | 16 |
| 107 | | Tersiya | 30 |
| 108 | | Virpur | 39 |
| 109 | Rajapakar | Baikunthpur | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 110 | | Barvari Barai | 7 |
| 111 | | Bel Kunda | 1 |
| 112 | | Bhlui | 5 |
| 113 | | Buzurg | 6 |
| 114 | | Gauspur | 2 |
| 115 | | Jatar Patti | 11 |
| 116 | | Lagurao Vilandpur | 10 |
| 117 | | Lagurawh | 2 |
| 118 | | Mirpur Patadh | 9 |
| 119 | | Narayanpur | 13 |
| 120 | | Narayanpur Bujurg | 6 |
| 121 | | Raja Pakar | 1 |
| 122 | | Rajapakar (South) | 8 |
| 123 | | Rajapakar (West) | 3 |
| 124 | | Rajapakar Dakshini | 16 |
| 125 | | Rajapakar Uttari | 13 |
| 126 | | Rampur Ratnakar | 30 |
| 127 | | Vakadpur | 6 |
| 128 | | Verai | 15 |
| 129 | | Vishunpur Balbhdra Urf | 6 |
| 130 | Sahdeibujurz | Chakfaiz | 11 |
| 131 | | Chakiyaj | 3 |
| 132 | | Chakjamal | 11 |
| 133 | | Chakthalay | 5 |
| 134 | | Cokpheck | 2 |
| 135 | | Marutpur | 2 |
| 136 | | Morutpur | 3 |
| 137 | | Murauatpur | 13 |
| 138 | | Naya Gaw Pachhmi | 17 |
| 139 | | Naya Gaw Purvi | 16 |
| 140 | | Nayaghar | 11 |
| 141 | | Pohiyar | 6 |
| 142 | | Pohiyarbujurz | 9 |
| 143 | | Rampur | 5 |
| 144 | | Sahdei | 4 |
| 145 | | Sahdeibujurz | 17 |
| 146 | | Salha | 21 |
| 147 | | Sulttanpur | 31 |
| 148 | | Toi Majrohi | 20 |
| 149 | | Wajitpur | 15 |
| **Total** | **9** | **149** | **1822** |

अनुलग्नक–(59) केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 118 अंतर्गत गति नियत्रंक **(Speed Governer)** लगाये जाने की बाध्यता

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

"अधिसूचना"

संख्या–परि0वि0– 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 (केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–290 (अ) दिनांक–15.04.2015 के आलोक में यह अधिसूचित किया जाता है कि :–

1. सभी परिवहन यानों में वाहन विनिर्माण द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाये जाने की बाध्यता होगी, जो समय–समय पर यथासंशोधित AIS : 018/2001 मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति का होगा।

**परन्तु, निम्न परिवहन** यान जो कि

(i) दोपहिया

(ii) तिपहिया

(iii) दोपहिया साईकिल

(iv) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसके बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ–साथ आठ यात्रियों से अधिक नही है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

(v) अग्निशामक

(vi) एम्बुलेंस

(vii) पुलिस यान

(viii) ऐसे यान जिन्हें केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत किया गया है कि, उनकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक नही है,

में गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता नही होगी।

**परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग**

(i) डम्पर

(ii) टैंकर

(iii) या, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं

(iv) या, वाहनों का कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

में विनिर्माता द्वारा या विनिर्माता के स्तर पर या व्यवहारी के प्रस्तर पर समय–समय पर यथासंशोधित AIS : 018/2001 के अनुरूप नियत की गई 60 किलोमीटर प्रतिघण्टा तथा स्कूल बस हेतु 40 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता होगी।

2. ऐसे परिवहन यान जो इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व निबंधित हुए हैं तथा जिसमें कंडिका (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत गति नियंत्रक (Speed Governer)

लगाने की बाध्यता है, ऐसे यानों के प्रचालनों द्वारा 31 जनवरी 2017 को या उससे पूर्व कंडिका (1) के प्रावधानों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट गति का गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता होगी।

3. परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित व संसूचित विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये गति नियंत्रक ही मान्य होंगे। वाहनों में लगाये जाने वाला गति नियंत्रक राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके।

4. गति नियंत्रक विनिर्माता एजेंसी को केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण अभिकरण

   (i) Automotive Research Association of India (ARAI)

   (ii) Central Institute of Road Technology (CIRT)

   (iii) International Centre for Automotive Technology (ICAT)

   (iv) Vehicle Research & Development Establishmen (VRDE)

   से Type Approval Certificate AIS : 018/2001 के अनुरूप प्राप्त करनी होगी। तथा विनिर्दिष्ट प्रकार के गति नियंत्रक यंत्र को विनिर्दिष्ट वाहन के लिए प्रमाणीकृत किया जाएगा, जिसका उल्लेख एजेंसी द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्गत परीक्षण प्रमाण पत्र में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मॉडल के लिए अधिकृत परीक्षण एजेंसी से अलग से परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। गति नियंत्रक (Speed Limiting Device) Electromagnetic Compatibility (EMC) जैसा कि AIS-004 (Part 3)/1999 ( समय–समय पर यथा संशोधित) के विशिष्टताओं के अनुरूप होगा।

5. उपर्युक्त कंडिका–4 के अनुसार गति नियंत्रक (Speed Governer) निर्माता कंपनी को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सियों/अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं गति नियंत्रक के मूल्य (प्रतिष्ठापन शुल्क सहित) के साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष आवेदन समर्पित करना होगा। विहित आवेदन पत्रों की जाँच कर समीक्षोपरांत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा गति नियंत्रक की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई भी गति नियंत्रक निर्माता कंपनी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं करेगी।

6. अनुमति प्राप्त विनिर्माता कंपनी द्वारा जिस जिले में अपने डीलर/वितरक नियुक्त किया जाएगा, डीलर वितरक के पूरा पता के साथ उसकी सूचना संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को दी जाएगी। डीलर/वितरक द्वारा वाहनों में निर्धारित मानक का Speed Governer लगाया जाएगा एवं प्रत्येक वाहन हेतु एक फिटमेन्ट सर्टीफिकेट जारी किया जाएगा।

7. वाहनों में Speed Governer लगाने के क्रम में निर्धारित मानक 100mm × 60mm का बारकोड युक्त स्टीकर सामने वाले वींडस्क्रीन के उपरीभाग के बायें तरफ 55mm का

वृत्ताकार में लगाया जाएगा जिसमें ट्रेडमार्क/विनिर्माता का प्रतीक चिन्ह, सीरियल नं0– आदि अंकित होगा।

8. गति नियंत्रक (Speed Governer) के विनिर्माताओं/प्राधिकृत एजेन्सियों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) रखना होगा, जिसमें वाहनों में लगाये जाने वाले Speed Governer का लेखा जोखा अंकित होगा।

9. गति नियंत्रक निर्माता कंपनी/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा फिटमेन्ट प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसकी प्रथम प्रति संबंधित जिला परिवहन कार्यालय हेतु द्वितीय प्रति वाहन के साथ एवं तृतीय प्रति निर्माता कंपनी के डीलर/वितरक कार्यालय में संधारित की जाएगी, जो किसी भी समय विभागीय अधिकारियों द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत की जा सकेगी।

10. वाहनों में लगाये जाने वाले Speed Governer से संबंधित विक्रय बिल एवं फिटमेन्ट सर्टीफिकेट डीलर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorization Signatory) द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

11. वाहनों में Speed Governer लगाये जाने के पश्चात फिटमेन्ट प्रमाण–पत्र एवं संबंधित वाहन के साथ वाहन स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक के समक्ष सील (मुहर) के लिए उपस्थित होना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके।

12. कंपनी द्वारा प्राधिकृत डीलर/वितरक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह वाहनों में लगाये गए Speed Governer की सूचना फिटमेन्ट प्रमाण–पत्र के साथ एन0 आई0 सी0, पटना एवं विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एन0 आई0 सी0 इसके लिए एक वाहन डाटाबेस पर एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करेगा।

13. ऐसे किसी यान, जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता है, का निबंधन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत यान में गति नियंत्रक (Speed Governer) नहीं लगाया गया हो।

14. अधिसूचना निर्गत करने के पश्चात गति नियंत्रक लगाने वाली एजेन्सी हेतु Eligibility Criteria निर्गत किया जाएगा।

15. स्पीड गवर्नर के संबंध में दिए गए निर्देशों पर परिवहन विभाग द्वारा समीक्षा कर समय–समय पर अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

16. एतद्संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0–1951 दिनांक –22.04.2016 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, इं0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0 डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ कार्यालय व्यवहार हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 06/विविध(स्पीड गवर्नर)–16/2016 41 पटना, दिनांक– 9/1/17

प्रतिलिपि– सभी राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश के परिवहन आयुक्त/सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 1, संसद मार्ग, परिवहन भवन, नई दिल्ली –110001/S.D. Banga, Secretary , Committee on Road Safety, R.No-222-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-11001: को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 9/1/17

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

9/1/17

अनुलग्नक –(60) सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रपत्र

**Most Immediate**

भारत सरकार
Government of India
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
Ministry of Road Transport & Highways
परिवहन अनुसंधान विंग
(Transport Research Wing)
आई.डी.ए. बिल्डिंग, जमनानगर हाउस
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110011
I.D.A. Building, Jam Nagar House
Shahjahan Road, New Delhi-110011

सत्यमेव जयते

KIRTI SAXENA
SENIOR ADVISER (TRW)
Telefax: 011-23389017

No.MR-17018/1/2014-TRW

**June 28, 2016**

**To,**

**The Director General of Police/IGs/ADG(Traffic)/SPs (All States/UTs and million plus cities)**

**Subject: Introduction of revised format for collection of road accident data.**

Sir,

This Ministry has been making continuous efforts to bring in uniformity and consistency in the data collection methods and formats being used across the country. In this regard, the 19-Table APRAD format presently in use for reporting of road accident data (calendar year-wise) by the States/ UTs to Transport Research Wing, Ministry of Road Transport & Highways is slightly modified incorporating a few items of current importance and a few road related aspects. Modifications have been made with merging of a few tables and deleting a few unnecessary items. The format has now revised into 17-Table format.

3.Police Deptt. of all States/U.Ts are requested to start using the enclosed revised format for reporting road accident data to Transport Research Wing of the Ministry of Road Transport and Highways w.e.f the calendar year 2016. The data/inputs for the calendar year 2016 may please be sent by the States/U.Ts to TRW by January end or beginning of February 2017as per the revised format.

4. The revised format may please be circulated to all Districts/ Police Thana and all concerned for recording/ reporting of road accident data. Inputs, if any, for further improvement of road accident data format may also please be sent to Transport Research Wing.

Encl: as above

Yours faithfully,

Kirti Saxena

**(Kirti Saxena)**

## ROAD ACCIDENT STATISTICS

**(For reporting to TRW, MoRTH)**

Statement containing particulars of Road Accidents in the State/UT ---------for the calendar year ----------

### Total Number Of Road Accidents Classified According To Month Of The Year

| Month | Type of Accidents | | | | | Number of persons involved | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fatal | GI | MI | NI | Total | Killed | Grievously Injured | Minor Injured |
| 1. January | | | | | | | | |
| 2. February | | | | | | | | |
| 3. March | | | | | | | | |
| 4. April | | | | | | | | |
| 5. May | | | | | | | | |
| 6. June | | | | | | | | |
| 7. July | | | | | | | | |
| 8. August | | | | | | | | |
| 9. September | | | | | | | | |
| 10. October | | | | | | | | |
| 11. November | | | | | | | | |
| 12. December | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |

**Note:**

**F : Fatal accidents**

**GI : Grevious Injury accidents**

**MI : Minor Injury accidents**

**NI : Non - Injury accidents**

### 2. Accidents Classified According To Area And Time

| Time | Urban | | | | | | | | Rural | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type of Accidents | | | | | Number of persons | | | Type of Accidents | | | | | Number of persons | | |
| | Fatal | GI | MI | NI | Total | Killed | Grievously Injured | Minor Injured | Fatal | GI | MI | NI | Total | Killed | Grievously Injured | Minor Injured |
| 06.00 to 9.00 hrs (Day) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.00 to 12.00 hrs (Day) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 to 15.00 hrs (Day) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 to 18.00 hrs (Day) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 to 21.00 hrs (Night) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 to 24.00 hrs (Night) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00.00 to 3.00 hrs (Night) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.00 to 6.00 hrs (Night) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 3. Accidents Classified According To Classification of Roads

| Classification of Road | Fatal | | Grievous Injury | | Minor Injury | | Non-Injury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Accidents | Killed | Accidents | Injured | Accidents | Injured | Accidents |
| 1. Expressways | | | | | | | |
| 2. National Highways | | | | | | | |
| 3. State Highways | | | | | | | |
| 4. Other Roads | | | | | | | |
| (Total Surfaced + Un surfaced) | | | | | | | |
| (a) Surfaced (b) Un surfaced | | | | | | | |

### 4. Accidents Classified According To Location *

| Location | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| 1. Near School/College/any other educational Institutes | | | | | | | |
| 2. Pedestrian crossing | | | | | | | |
| 3. Market Place | | | | | | | |
| 4. Near Office Complex | | | | | | | |
| 5. Near a Religious Place | | | | | | | |
| 6. Near Hospital | | | | | | | |
| 7. Residential Area | | | | | | | |
| 8. Encroached Area | | | | | | | |
| 9. Narrow bridge or culverts | | | | | | | |
| 10. Near Petrol Pump | | | | | | | |
| 11. Near Bus stop | | | | | | | |
| 12. Near or on Road under construction | | | | | | | |
| 13. Open Area | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

*** GPS to be indicated if available.**

### 5. Accidents Classified According To Type Of Junction And Traffic Control

| Type of Junction/ Traffic Control | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| **A). Type of Junction-Total** | | | | | | | |
| 1. T-Junction | | | | | | | |
| 2. Y-Junction | | | | | | | |
| 3. Four armed Junction | | | | | | | |
| 4. Round about Junction | | | | | | | |
| 5. Rail Crossings* | | | | | | | |
| **B). Type of Traffic Control-Total** | | | | | | | |
| 1. Traffic Light Signal | | | | | | | |
| 2. Police Controlled | | | | | | | |
| 3. Stop Sign | | | | | | | |
| 4. Flashing Signal/Blinker | | | | | | | |
| 5. Uncontrolled | | | | | | | |

*** Not to include rail collision accident data.**

## 6. Accidents Classified According To Weather Conditions

| Weather Condition | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| 1. Fine/Clear | | | | | | | |
| 2. Mist/ Foggy | | | | | | | |
| 3. Cloudy | | | | | | | |
| 4. Rainy | | | | | | | |
| 5. Snowfall | | | | | | | |
| 6. Hail/Sleet | | | | | | | |
| 7. Dust Storm | | | | | | | |
| 8. Others * | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

*** Specify only the name of other category of weather conditions.....**

## 7. Accidents Classified According to Type of Vehicles And Other Objects Involved

| Type of Vehicles Primarily Responsible | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Grievously Injured | Minor Injured |
| **(A) Motor Vehicles- Total** | | | | | | | | |
| 1. Motor Cycle/ Scooter | | | | | | | | |
| 2. Moped/Scootty | | | | | | | | |
| 3. Auto rickshaw | | | | | | | | |
| 4. Motor Car | | | | | | | | |
| 5. Jeep | | | | | | | | |
| 6. Taxi | | | | | | | | |
| 7. Bus | | | | | | | | |
| 8. Truck/Lorry | | | | | | | | |
| 9. Tempo | | | | | | | | |
| 10. Articulated Vehicle/Trolly | | | | | | | | |
| 11. E-Rickshaw | | | | | | | | |
| 12.Tractor | | | | | | | | |
| **(B) Non-Motorized Vehicles - Total** | | | | | | | | |
| 1. Cycle | | | | | | | | |
| 2. Cycle Rickshaw | | | | | | | | |
| 3. Hand drawn Vehicle | | | | | | | | |
| 4. Animal drawn Vehicle | | | | | | | | |
| **(C) Other Objects** | | | | | | | | |
| 1. Pedestrian | | | | | | | | |
| 2. Animal | | | | | | | | |
| 3. Tree | | | | | | | | |
| 4. Other Fixed Objects | | | | | | | | |
| **(D) TOTAL (A)+(B)+(C)** | | | | | | | | |

## 8. Accidents Classified According to Age of Vehicle

| Age of Vehicle (Year) | Number of Accidents | | | | | Number of persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| 1. Less than 5 | | | | | | | |
| 2. 5-10 | | | | | | | |
| 3. 10-15 | | | | | | | |
| 4. 15 & above | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

## 9. Accidents Classified According to Nature of Accident

| Nature of Accident | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| 1. Hit & Run | | | | | | | |
| 2. Head on Collision | | | | | | | |
| 3.Hit from Back | | | | | | | |
| 4. Hit from side | | | | | | | |
| 5. Hit fixed objects | | | | | | | |
| 6. Hit pedestrian | | | | | | | |
| 7. Overturning | | | | | | | |
| 8. Others | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

## 10. Accidents Classified According To Cause

| Causes of Accident | Number of Accidents | | | | | Number of persons | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Grievously Injured | Minor Injured |
| 1. Fault of Driver of Motor Vehicle | | | | | | | | |
| 2. Fault of Driver of Non-Motorized Vehicle | | | | | | | | |
| 3. Fault of Pedestrian | | | | | | | | |
| 4. Fault of Passenger | | | | | | | | |
| 5. Mechanical Defect in Motor Vehicle | | | | | | | | |
| 6. Engineering /Designing fault | | | | | | | | |
| 7. Defect in Road Condition | | | | | | | | |
| 8. Stray Animals | | | | | | | | |
| 9. Poor Light condition | | | | | | | | |
| 10. Other Causes * | | | | | | | | |
| 11. Causes not known | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |

*** Please specify only the name of other type of causes for e.g weather conditions, Ongoing road works etc.**

## 11. Accidents Classified According to Fault of Driver of Motor Vehicle

| Fault of Driver | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| 1. Consumption of Alco. or Drug | | | | | | | |
| 2. Exceeded Lawful Speed (Over speeding) | | | | | | | |
| 3. Jumping Red Light | | | | | | | |
| 4.Driving on wrong side | | | | | | | |
| 5. Jumping/Changing lanes | | | | | | | |
| 6. Improper Overtaking | | | | | | | |
| 7. Using Mobile Phones while driving | | | | | | | |
| 8. Asleep or Fatigued or Sick | | | | | | | |
| 9. Other improper actions | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |

## 12. Accidents Classified According To Type Of Victims , Age And Sex

| Victims | Persons Killed | | Grievously Injured | | Minor Injured | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| **(A) Victims (Drivers) - Total** | | | | | | |
| 1. Less than 18 years | | | | | | |
| 2 18-25 | | | | | | |
| 3. 25-35 | | | | | | |
| 4. 35-45 | | | | | | |
| 5. 45-60 | | | | | | |
| 6 .60 and Above | | | | | | |
| 7. Unknown Age | | | | | | |
| **(B) Victims (Passengers) - Total** | | | | | | |
| 1. Less than 18 years | | | | | | |
| 2 18-25 | | | | | | |
| 3. 25-35 | | | | | | |
| 4. 35-45 | | | | | | |
| 5. 45-60 | | | | | | |
| 6 .60 and Above | | | | | | |
| 7. Unknown Age | | | | | | |
| **(C) Total (A) + (B)** | | | | | | |

## 13. Accidents Classified According To Details Of Drivers

| Details of Drivers | Number of Accidents | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fatal | GI | MI | NI | Total |
| **(A) Driver's Age - Total** | | | | | |
| 1. Less than 18 years | | | | | |
| 2 18-25 | | | | | |
| 3. 25-35 | | | | | |
| 4. 35-45 | | | | | |
| 5. 45-60 | | | | | |
| 6 .60 and Above | | | | | |
| 7. Unknown Age | | | | | |
| **(B) Educational Quali. of Driver - Total** | | | | | |
| 1. Less than 8th Standard | | | | | |
| 2. Standard 8-10 | | | | | |
| 3. Standard 10 and Above | | | | | |
| 4. Qualification not known | | | | | |
| **(C) Type of Licence - Total** | | | | | |
| 1. Regular Licence | | | | | |
| 2. Learner's Licence | | | | | |
| 3. Without Licence | | | | | |

## 14. Accidents Classified According To Particulars Of Vehicle

| Particulars of Vehicles | Number of Accidents | | | | | Number of Persons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | Killed | Injured |
| **(A) Load - Total** | | | | | | | |
| 1.Overloaded/ Overcrowded | | | | | | | |
| 2. Load Protruding | | | | | | | |
| **(B) Vehicular Defect-Total** | | | | | | | |
| 1. Defective Brakes | | | | | | | |
| 2. Defective Steering/Axle | | | | | | | |
| 3. Punctured or Burst Tyres | | | | | | | |
| 4. Worn out Tyres | | | | | | | |
| 5. Other serious Mech. Defect | | | | | | | |

## 15. Accidents Classified According to Type of Persons Killed/Injured:

| Persons | Male | | | | | Female | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | GI | MI | NI | Total | F | GI | MI | NI | Total |
| **1. Pedestrian** | | | | | | | | | | |
| **2. Bycycles** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **3. Motor Cycles** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **4. Scooters** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **5. Mopeds** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **6. Auto Rickshaws** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **7. Cars, taxies Vans & LMV** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **8. Trucks** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **9. Buses** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **10 . Other Motor vehicles** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **11. Animal Drawn Vehicles** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12. Cycle Rickshaws** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **13. E-Rickshaw** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **14. Hand Carts & rickshaws** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **15. Non-wearing of Helmet** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **16. Non-wearing of seat belt** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Passengers | | | | | | | | | | |
| **17. Other Persons** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | |
| a). Drivers | | | | | | | | | | |
| b). Pedestrian + Passengers + other persons | | | | | | | | | | |

अनुलग्नक –(61) उद्योग से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रपत्र :

(उपलब्ध स्थिति की जानकारी)

| क्र. सं. | उद्योग का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या | मालिक/मुख्य कार्यकारी पदा. का नाम एवं मोबाईल संख्या | इकाई/उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का नाम एवं प्रकार | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | इकाई/उद्योग का प्रकार (लघु-उद्योग/मध्य लघु-उद्योग) | दैनिकता जिसमें इकाई कार्य कर रही है। | इकाई से सम्भावित खतरा (समुदाय के लिए) | इकाई से सम्भावित खतरा (कार्यरत कर्मी के लिए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

अनुलग्नक –(62) जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की सूची :

| जिला प्रशासन | | |
|---|---|---|
| पदनाम | दूरभाष | मोबाईल |
| प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत | 0621-2212103 | 9431603270 |
| जिला पदाधिकारी, वैशाली | 06224 - 272201 (O)<br>06224 - 272202 (R)<br>06224 - 272503 (R)<br>06224 - 272501 (Fax) | 9473191310 |
| अपर समाहर्ता<br>Email ID :-<br>adm.rev.vaishali@gmail.com | 06224-272319 (O) | 9473191311 |
| उप विकास आयुक्त<br>Email ID:- ddc-vaishali-bih@nic.in | 06224 - 272397 (O) | 9431818357 |

| अनुमंडल पदाधिकारी | | |
|---|---|---|
| Hajipur | 06224-272207 | 9473191312 |
| Mahanar | 06229-235250 | 9473191313 |
| Mahua | 06227-223214 | 9473191314 |

| पदाधिकारी | |
|---|---|
| Sri Birender Kumar ( SDC ) | 9661553312 |
| Smt. Reenu Kumari ( SDC ) | 9771443061 |
| Sri Zafar Alam ( SDC ) | 9931224449 |
| Sri Sumit Kumar ( SDC ) | 9431421248 |
| Smt Sayida khatun ( SDC ) | 8877923512 |
| District Transport Officer | 9431037111 |
| District Land Acquisition Officer | 8544412967 |
| District Supply Officer | 7739424072 |
| District Planning Officer | 9835475862 |
| District Welfare Officer | 9661631763 |
| District Minority Welfare Officer | 9525625496 |
| District Education Officer | 8544412079 |
| Deputy Election Officer | 9471003998 |
| Sub Election Officer | 9708344195 |
| District Sub Registrar Officer ( Hajipur ) | 9431492411 |
| Sub Registrar ( Mahnar ) | 9955795297 |
| Sub Registrar ( Mahua ) | 9931280103 |
| Sub Registrar ( Lalganj ) | 8540046714 |
| Treasury Officer ( Hajipur ) | 9473191315 |
| Treasury Officer ( Lalganj ) | 9473191316 |
| Treasury Officer ( Mahua ) | 9431831673 |
| District Agriculture Officer | 9431818744 |
| District Fishery Officer | 9473191536 |
| District Cooperative Officer | 9430440070 |
| District Information Officer | 9473192598 |

**अनुलग्नक – (63) पुलिस प्रशासन की संपर्क सूची :**

| पदनाम | दूरभाष | मोबाईल |
|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक, वैशाली | 06224–272100 | 9431822985 |
| **पुलिस स्टेशन** | | |
| नगर हाजीपुर | 06224–272100 | 9431822866 |
| औद्यगिक क्षेत्र | 06224–275183 | 9431822857 |
| बिदुपुर | 06229–253969 | 9431822876 |
| जुरावनपुर | 06229–241444 | 9431822865 |
| बेलसर ओ.पी | 06229–289004 | 9934703447 |
| सराय | 06224–256100 | 9431822863 |
| देसरी | 06229–230227 | 9431822868 |
| सहदेई | 06229–232088 | 9386562040 |
| महुआ | 06227–233206 | 9431822872 |
| जन्दाहा | 06227–231100 | 9431822870 |
| पातेपुर | 06227–253153 | 9431822869 |
| सदर हाजीपुर | 06224–272390 | 9431822878 |
| गंगा ब्रिज | 06224–266745 | 9431822864 |
| रूस्तमपुर | 06224–290127 | 9939833043 |
| राघोपुर | 06299–240199 | 9431822877 |
| करताहा | 06224–287100 | 9431822858 |
| लालगंज | 06224–238100 | 9431822874 |
| वैशाली | 06224–229100 | 9431822873 |
| भगवानपुर | 06224–246100 | 9431822862 |
| महनार | 06229–236426 | 9431822867 |
| गोरौल | 06227– 229697 | 9431822871 |
| राजापकर | 06227–284032 | 9431822861 |
| तिसियोता | 06227–252301 | 9431822860 |
| अजा॰/अज॰ पुलिस | 06224–275188 | 9431822875 |

**अनुलग्नक – (64) आपातकाल हेल्पलाईन संपर्क सूची :**

| HelpLine Number | Description |
|---|---|
| 100 | Police |
| 101 | Fire |
| 102 | Ambulance |
| 103 | Traffic Police |
| 104 | State level helpline for Health/ Hospital On Wheels |
| 108 | Disaster Management |
| 1033 | Emergency Relief Centre on National Highways |
| 1071 | Air Accident |
| 1072 | Train accident |
| 1073 | Road Accident |
| 1096 | Natural Disaster Control Room |
| 1551 | Kisan Call Center |
| 1717 | Weather Enquiry |
| 1904 | Indian Army Help Line |
| 1916 | Water Supply Complain |
| 1800-180-1104 | National Health Helpline |
| 9540161344 | Air ambulance |

**अनुलग्नक – (65) चिकित्सीय पदाधिकरियों की संपर्क सूची**

| प्रखंड का नाम | मोबाईल | प्रखंड का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|---|
| हाजीपुर | 9470003815 | जन्दाहा | 9470003812 |
| लालगंज | 9470003824 | पातेपुर | 9470003819 |
| वैशाली | 9470003823 | महनार | 9470003814 |
| बिदुपुर | 9470003816 | सहदीबुजुग | 9470003810 |
| भगवानपुर | 9470003817 | देसरी | 9470003808 |
| गोरौल | 9470003818 | राघोपुर | 9470003825 |
| महुआ | 9470003820 | पटेढी बेलसर | 9470003822 |
| राजापाकर | 9470003821 | चेहराकला | 9470003826 |

**अनुलग्नक – (66) प्रखंड अंचल पदाधिकरियों की संपर्क सूची**

| प्रखंड | मोबाईल | प्रखंड | मोबाईल |
|---|---|---|---|
| हाजीपुर | 9939290391 / 8544412942 | जन्दाहा | 8544412953 |
| लालगंज | 8544412943 | पातेपुर | 8544412955 |
| वैशाली | 8544412946 | महनार | 8544412948 |
| बिदुपुर | 9472946387 / 8544412941 | सहदेई | 8544412950 |
| भगवानपुर | 8544412940 | देसरी | 8544412947 |
| गोरौल | 8544412952 | राघोपुर | 8544412945 |
| महुआ | 8544412954 | पटेढी बेलसर | 8544412944 |
| राजापाकर | 8544412949 | चेहराकला | 8544412951 |

**अनुलग्नक – (67) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियो की संपर्क सूची**

| प्रखंड | पदाधिकारी का नाम | मोबाईल | प्रखंड | पदाधिकारी का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|---|
| हाजीपुर(पश्चिम) | नवनाथ मिश्रा | 8544412100 | सहदेही बुर्ज | जय प्रकाश | 8544412109 |
| हाजीपुर(पूर्वी) | श्रीशेखर | 9934264662 | देसरी | श्रीमती सुशिला कुमारी | 8544412098 |
| भगवानपुर | डॉ॰ रंजना | 8544412095 | चेराकला | जवाहर प्रसाद साह | 8544412097 |
| बिदुपुर | बिन्द महतो | 8544412096 | गोरौल | सुशील कुमार | 8544412099 |
| लालगंज | अरविन्द कु॰ तिवारी | 8544412102 | जन्दाहा | सफी आलम | 8544412101 |
| राघोपुर | राजेश्वर राय | 9507246269 | महुआ | श्री शत्रुधन प्रसाद सिंह | 8544412104 |
| पटेढी बेलसर | बी.डी. राम | 8544412102 | पातेपुर | श्री कृष्ण देव महतो | 8544412106 |
| वैशाली | प्रहलाद पंडित | 8544412110 | राजापाकर | अनिल कुमार यादव | 8544412108 |
| महनार | श्री प्रमोद कु॰ श्रीवास्तव | 8877722084 | | | |

**अनुलग्नक – (68) कार्यपाल अभियंताओं की संपर्क सूची**

| विभाग | मोबाईल | विभाग | मोबाईल |
|---|---|---|---|
| भवन | 9470086029 | जल संसाधन प्रमंडल (हाजीपुर) | 9473197207 |
| वैशाली रोड प्रमंडल | 9470001306 | बाढ़ एवं जल संसाधन प्रमंडल (लालगंज) | 9473197208 |
| ग्रामीण कार्य, हाजीपुर | 9431439932 | विद्युत आपुर्ति प्रमंडल | 9939863700 |
| ग्रामीण कार्य, महुआ | 9199598900 | विद्युत योजना | 7763818367 |
| ग्रामीण कार्य, महनार | 8986915155 | विद्युत संचरण | 9835076555 |
| स्थानीय क्षेत्र कार्यपाल पदाधिकारी–1(हाजीपुर) | 9334107013 | नलकूप प्रमंडल, वैशाली | 9431170822 |
| स्थानीय क्षेत्र कार्यपाल पदाधिकारी–2 (महनार) | 9431464126 | पीएचईडी, वैशाली | 8292178484 |
| जिला शहरी विकास अभिकरण | 9431088323 | सिचांई प्रमंडल | 9905217081 |
| तिरहुत नहर प्रमंडल(हाजीपुर) | 9470048175 | बाढ़ एवं जल (गंडक नदी) | 9431421952 |
| तिरहुत नहर प्रमंडल(गोरौल) | 9801833399 | | |

**अनुलग्नक – (69) प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी की संपर्क सूची :**

| क्र.सं. | प्रखंड | मोबाईल | क्र.सं. | प्रखंड | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हाजीपुर (सदर) | 9431005377 | 10 | जनदाहा | 9431005364 |
| 2 | हाजीपुर(ग्रामीण) | 9431005363 | 11 | पातेपुर | 9431005368 |
| 3 | लालगंज | 9431005365 | 12 | महनार | 9431005366 |
| 4 | वैशाली | 9431005371 | 13 | सहदेई बुर्जग | 9431005370 |
| 5 | बिदुपुर | 9431005361 | 14 | देसरी | 9431005376 |
| 6 | भगवानपुर | 9431005373 | 15 | राघोपुर | 9431005369 |
| 7 | गोरौल | 9431005362 | 16 | पटेढी बेलसर | 9431005372 |
| 8 | महुआ | 9431005367 | 17 | चेराकला | 9431005374 |
| 9 | राजापाकर | 9431005375 | | | |

**अनुलग्नक –(70) सहदेई बुजुर्ग प्रखंड बाल विकास पर्यवेक्षिका का संपर्क सूची**

| क्र॰ | महिला पर्य0 का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|
| 1 | बबीता कुमारी | 9431059572 |
| 2 | रोबिना बानो | 9472435050 |
| 3 | स्वीटी कुमारी | 9905496709 |

**महनार प्रखंड बाल विकास पर्यवेक्षिका का संपर्क सूची :**

| क्रमांक | पंचायत का नाम | महिला पर्य0 का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|---|
| 1 | महिन्दवारा | मीनु कुमारी | 8294644966 |
| 2 | करनौती | सपना भारती | 9525456400 |
| 3 | पहाड़पुर | मधु कुमारी | 9473137126 |
| 4 | लावापुर नारायण | रम्भा कुमारी | 9430051809 |
| 5 | नगर पंचायत | सरिता सिन्हा | 7870429350 |

**भगवानपुर प्रखंड बाल विकास पर्यवेक्षिका का संपर्क सूची :**

| क्र.सं. | महिला पर्यवेक्षिका का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|
| 1 | अंजू कुमारी | 7654105255 |
| 2 | ममता कुमारी | 9507734651 |
| 3 | मेहर अफरोज | 9934457918 |
| 4 | शिवांगी | 8507222726 |
| 5 | किरण कुमारी | 7352032349 |

**अनुलग्नक –(71) मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों की संपर्क सूची :**

| क्र.सं. | प्रखंड | मोबाईल | क्र.सं. | प्रखंड | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हाजीपुर | 9102011201 | 9 | जनदाहा | 9102011210 |
| 2 | लालगंज | 9102011203 | 10 | पातेपुर | 9102011209 |
| 3 | वैशाली | 9102011204 | 11 | महनार | 9102011214 |
| 4 | बिदुपुर | 9102011202 | 12 | सइदेई बुर्जुग | 9102011215 |
| 5 | भगवानपुर | 9102011207 | 13 | देसरी | 9102011216 |
| 6 | गोरौल | 9102011212 | 14 | राघोपुर | 9102011206 |
| 7 | महुआ | 9102011208 | 15 | पटेढी बेलसर | 9102011205 |
| 8 | राजापाकर | 9102011211 | 16 | चेराकला | 9102011213 |

अनुलग्नक –(72) प्रखंडवार आंगनवाड़ी सेविकाओं की विवरण :

| क्रमांक | प्रखण्ड | सेविकाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | हाजीपुर | 246 |
| 2 | लालगंज | 207 |
| 3 | गोरौल | 179 |
| 4 | चेहराकला | 120 |
| 5 | महुआ | 236 |
| 6 | बिदुपुर | 279 |
| 7 | देसरी | 85 |
| 8 | पातेपुर | 309 |
| 9 | महनार | 154 |
| 10 | पटेढ़ी बेलसर | 79 |

अनुलग्नक –(73) राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षक की संपर्क सूची

| क्र0 | प्रशिक्षक का नाम | संबंधित प्रखण्ड | मोबाईल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री चन्देश्वर राय | पातेपुर | 9939077066 |
| 2 | श्री अरूण कुमार | लालगंज | 9709407387 |
| 3 | श्री रमेश कुमार | बिदुपुर | 9430647820 |
| 4 | श्री हरिमोहन कमार | राजापाकर | 9934240137 |
| 5 | श्री कशवाहा कुमार पूर्णेन्दु | सहदेई बुजुर्ग | 8873217963 |
| 6 | श्री ध्रुव कुमार | महुआ | 9708988921 |
| 7 | श्री उमेश कुमार | जन्दाहा | 9631429178 |
| 8 | श्री ब्रज किशोर सिंह | भगवानपुर | 9738025420 |
| 9 | श्री अजीत कुमार | पटेढ़ी बेलसर | 9472432268 |
| 10 | श्री मुरारी कान्त प्रसाद | महनार | 9122522414 |
| 11 | श्री शशिभूषण चौधरी | गोरौल | 9934700724 |
| 12 | श्री संजय कुमार सिंह | वैशाली | 9934700724 |
| 13 | श्री उमेश कुमार चौधरी | हाजीपुर | 9430035700 |
| 14 | श्री सरोज सिंह | राघोपुर | 9431622801 |
| 15 | श्री रणवीर सिंह | देसरी | 9931699133 |
| 16 | श्री देवेन्द्र प्रसाद | चेहराकला | 9681255866 |

अनुलग्नक –(74) प्रशिक्षित होम गार्ड एवं नागरिकों की संपर्क सूची :

| Sl. No. | Name | Identity | Address | Phone | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasvant Kumar | HG 291385 | S/o Sri Ashok Singh, Vill: Fatehpur, PO=Radhopur, PS-Radhopur,Vaishali | 7654275809 7677004537 | |
| 2 | Arjun Singh | HG 291178 | S/o Sri Dhruv Singh, Vill: Shadulla pur PS: Ganga bridge , Vaishali | 8804325218 | |
| 3 | Sanjay Kumar Singh | HG 2748 | S/o Sri Hardev Singh, Vill: Ram daulli, PO: Vidhupur, Bazaar, Vaishali | 9955539053 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | Sudhir Kumar Singh | HG 2735 | S/o Late Sri Pasupati Singh Vill: Ram daulli, PO: Vidhupur, Bazaar,Vaishali | 9955539053 | |
| **5** | Dharm Singh | HG 291432 | S/o Sri Achutanand Singh Vill: Dumri PO: Naaganj, PS:Shadai Byjurg,Vaishali | 9608994071 | |
| **6** | Vinod Pasvan | HG 291088 | S/o Late Akshay pasvan Vill:Sultanpur,PS-Udhyogi Chaitra, Vaishali | | |
| **CIVILIAN** | | | | | |
| **1** | Kundan Ram | CIV | S/o- Sri Lal Dev Ram Add:- Shiv Nagar Lanka Tola P.O.+ P.S :-Jurabanpur ( Karari) | 7250647056 | |
| **2** | Shyam Nandan Ram | CIV | S/o- Sri Bhunas Ram Add:- Shiv Nagar (Purani) P.O.+ P.S :-Juraban pur ( Karari) | 9801272722 | |
| **3** | Subhas Kumar Ram | CIV | S/o-Sri Ram Udesh Ram Add:- Shiv Nagar Lanka Tola P.O.+ P.S :-Jurabanpur(Karari) | 7677490120 | |
| **4** | Sulindra Ram Gupta | CIV | S/o- Sri Ram Ishlok Ram Add:- Shiv Nagar Lanka Tola P.O.+ P.S :-Jurabanpur (Karari) | 7250440460 | |
| **5** | Sikandra Kumar | CIV | S/o Sri Jalal sahani Vill: Haspur, PS: Hasanpurgoda Prakhand , Mhanar | 9525864539 | |
| 6 | Shivchanra Sahani | CIV | S/o Sri Ramprashad Sahani Vill:Haspur, PS: Hasanpurgoda Prakhand , Mahanar | 9931998012 | |
| 7 | Anil Rai | CIV | S/o Sri Ajab Rai, PS:Bahrampur,PS:Rusum pur, P.O:-. Vaishali, Dist:- Vaishali | 7739447688 | |
| 8 | Vijay Rai | CIV | S/o Sri Nem Dhari, PS:Rusum pur, PO:-. Vaishali Dist:- Vaishali | 8002211583 | |
| 9 | Suraj Rai | CIV | S/o sri Mahendra rai, , PS:Rusum pur, P.O:- Vaishali Dist:- Vaishali | 9006523609 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chakeswar Rai | CIV | S/o Late Sri Sukhurai,<br>PS: Rusumpur, PO:-. Vaishali<br>Dist:- Vaishali | 9006252360 | |
| 11 | Ranvijay Kumar | CIV | S/o Permeswar Rai,<br>PS:Rusum pur, P.O:- Vaishali<br>Dist:- Vaishali | 8809206480 | |
| 12 | Mukesh Rai | CIV | S/o Sri Gannur Rai,<br>PS:Rusum pur, P.O:- Vaishali<br>Dist:- Vaishali | 900652360 | |
| 13 | Brij Mohan Rai | CIV | S/o Sri Permeswer Rai,<br>PS : Rusum pur, P.O:- Vaishali | 9525939474 | |
| 14 | Narm Desver Pd. Singh | CIV | S/o Sri Jagdish Prasad, ,<br>PS:Rusum pur P.S:-. Vaishali, | 9933484674 | |
| 15 | Satendra Kumar | CIV | S/o Sri Badri Prashad Singh,<br>Vill: Bekat pur, PO-Khushrup,<br>PS-Jurabanpur,Vaishali | 8873372809 | |
| 16 | Nand Kishore | CIV | S/o Sri Chinta Haran Rai,<br>Vill:Khalsa<br>PO-Vajeet Pur Sedab , Vaishali | 9931504389 | |
| 17 | Aditya Kumar Chanchal | CIV | S/o Sri Chandra Sekh Singh,<br>PO+Vill:Checher<br>Vidhupur,Vaishali | 8002564568 | |
| 18 | Ranjeet Kumar | CIV | S/o Sri Phralad Rai,<br>Vill: Raghupur,Vaishali | | |

अनुलग्नक –(75) प्रखंडवार विद्यालयों की शरण स्थलों सूची :

| Name of Block | Name of School | Name of Panchayat |
|---|---|---|
| Patedhi Belsar | UMS BELSAR HAT | BELSAR |
| Patedhi Belsar | GMS PATEDHA CHAK GULAMUDDIN | CHAKGULAMUDDIN |
| Patedhi Belsar | GMS JAGADISHPUR | JARANG RAMPUR |
| Patedhi Belsar | GMS KARNEJI | KARNEJI |
| Patedhi Belsar | GMS AFJALPUR | MAJHAULIYA AFJALPUR |
| Patedhi Belsar | GMS NAGWAN | NAGMA |
| Patedhi Belsar | GBS SINE | SAYEEN |
| Patepur | GMS AGRAIL | AGRAI |
| Patepur | GMS AJIJPUR CHANDE | AJIJPUR CHANDE |
| Patepur | NPS DIGHAFATAHPUR (SEKH TOLA) | ALINAGAR LEVDHAN |
| Patepur | UMS LODHAN | ALINAGAR LEVDHAN |
| Patepur | NPS BARDIHA TURKI (SC.) TOLA | BARDIHA TURKI |
| Patepur | NAV PS BARDIHA TURKI MUSHARI T | BARDIHA TURKI |
| Patepur | NPS KRISHNAVARA MUSAHAR TOLA | BAHUARA |
| Patepur | GMS CHAMPAPUR | AGRAI |
| Patepur | GMS DIGHA | ALINAGAR LEVDHAN |
| Patepur | UMS IMADPUR KANYA | KHOYAJPUR BASI |
| Patepur | CHARWAHA VID KRISHNAWADA | BAHUARA |

| | | |
|---|---|---|
| Patepur | GPS CHHAPRA | HARLOCHANPUR SUKKHI |
| Patepur | UMS MARUI | MARUI |
| Patepur | NPS MAUDAH CHATUR | MAUDAH CHATUR |
| Patepur | UMS NIRPUR | NIRPUR |
| Patepur | GPS NIRPUR HARIJAN | NIRPUR |
| Patepur | GMS MUKUNDPUR | SAIDPUR DUMRA |
| Patepur | GPS SHAIDPUR DUMRA | SAIDPUR DUMRA |
| Patepur | UMS SIMARWARA | SIMARWARA |
| Bidupur | UMS CHECHAR UTTRI | CHECHAR |
| Bidupur | GBS CHECHAR | CHECHAR |
| Bidupur | GMS JURAWANPUR GOPALPUR | JURAWANPUR |
| Chehrakala | GMS SEHAN | AKHTIYARPUR SEHAN |
| Chehrakala | NPS MOHAMMADPUR TURI | BASTI SARSIKAN |
| Chehrakala | UMS HIDYATPUR KATHARA | BISHUNPUR ARARA |
| Chehrakala | GMS BATHANA | CHEHARAKALA |
| Chehrakala | UMS CHHAURAHI | CHHAURAHI |
| Chehrakala | GPS TALSEHAN | CHHAURAHI |
| Chehrakala | NPS KAILA JALAPUR | KARHATIYA BUJURG |
| Chehrakala | GMS KARHATIA BUZURG | KARHATIYA BUJURG |
| Chehrakala | UMS MANSURPUR HALIA | MANSURPUR HALAIYA |
| Chehrakala | UMS SAHPUR KHURD | SAHPUR KHURD |
| Desari | GMS BHIKHAN PURA | BHIKHANPURA |
| Desari | GPS RASALPUR CHANDPURA | RASALPUR HABIB |
| Desari | GMS DESRI KANYA | DESRI |
| Desari | GMS DHARAMPUR RAM RAI | DHARAMPUR RAMRAI |
| Desari | GPS JAHANGIRPUR KURBA KANYA | JAHANGIRPUR SHAM |
| Desari | NPS JAHANGIRPUR SHAM | JAHANGIRPUR SHAM |
| Desari | GPS KHADAGPUR | AZAMPUR |
| Desari | GMS UFRAUL | UFRAUL |
| Desari | GPS ZAFRA BAD | JAFRABAD |
| Goraul | GMS GULJARBAG | SONDHO DULLAH |
| Hajipur | GPS HARAULI | ISMAILPUR |
| Hajipur | GPS ISMAILPUR | ISMAILPUR |
| Hajipur | GPS KARNPURA | KARNPURA |
| Hajipur | UMS NAVADA KALA | KARNPURA |
| Hajipur | GMS IMADPUR SULTAN | SAHDULLAHPUR SATAN |
| Hajipur | GMS SAHDULLAHPUR SATAN | SAHDULLAHPUR SATAN |
| Lalganj | GPS ATWARPUR SISAULA | AITWARPUR SISAULA |
| Lalganj | GMS JAGANNATH BASANT | KHARONA |
| Lalganj | GBS BEDAULI | SAHDULLAPUR |

| Name of Block | Name of School | Name of Panchayat |
|---|---|---|
| Lalganj | NPS GAISIN TOLA GHATARO | GHATARO CHATURBHUJ MIDDLE |
| Lalganj | GMS GHATARO | GHATARO CHATURBHUJ MIDDLE |
| Lalganj | GPS RAM NAGAR TOLA | GHATARO CHATURBHUJ DAKSHINI |
| Lalganj | NPS SAIDANPUR(KHANJAHACHAK) | SARARIYA |
| Lalganj | GPS SHYAMPUR PAKRI | LAKSHIMI NARAYANPUR |
| Lalganj | GMS PAURA | PAURA MADAN SINGH |
| Lalganj | GPS PURAINIA | PURAINIYA |
| Lalganj | NPS LAKHANSARAI TEJ SINGH | PURANTAND |
| Lalganj | GMS SIRSA BIRAN | SIRSA BIRAN |
| Lalganj | NPS SITAL BHAKURHAR (T.TOLA) | SHITALABH KURAHAR |
| Mahua | GPS VANARSI PUR | SHERPUR MANIKPUR |
| Mahua | NPS BHADVAS | BHADWAS |
| Mahua | GPS BHADVAS KANYA | BHADWAS |
| Mahua | NPS TARAURA (NEAR BHUJANGI RAI | MANGURAHI |
| Mahua | GPS BISHNUPUR MAGHAUL | FATAHPUR PAKRI |
| Mahua | NPS PAHARPUR GADAHIYA TOLA | BISHUNPUR HIRA RAM URF PAHARPU |
| Mahua | GPS CHAKKAJI NIJAM | PHOOLWARIYA |
| Mahua | GMS CHAND SARAI | FATAHPUR PAKRI |
| Mahua | GPS CHHATWARA RAIBHAN | SERPUR CHHATWARA |
| Mahua | GPS DAYALPUR | MANGURAHI |
| Mahua | GPS PAKRI | FATAHPUR PAKRI |
| Mahua | GPS FATAH PUR PAKRI | FATAHPUR PAKRI |
| Mahua | UMS FULWARIA PURBI | PHOOLWARIYA |
| Mahua | NPS FULWARIA CO. HALL | PHOOLWARIYA |
| Mahua | NPS GARJAUL PAHARPUR CO.HALL | BISHUNPUR HIRA RAM URF PAHARPU |
| Mahua | GPS ABBUCHAK GOPALPUR | SUPOL TARIYA |
| Mahua | GMS GORI GAMA | BISHUNPUR HIRA RAM URF PAHARPU |
| Mahua | NPS GORIGAMA DARGAH PAR | BISHUNPUR HIRA RAM URF PAHARPU |
| Mahua | GPS HAKIMPUR | JALALPUR GANGATI |
| Mahua | UMS HARPUR OSTI | HASANPUR OSTI |
| Mahua | GMS HASANPUR BHADAVAS | BHADWAS |
| Mahua | NPS HASANPUR OSATI PASVAN TOLA | HASANPUR OSTI |
| Mahua | NPS HIDAYAT PUR DIH | PHOOLWARIYA |
| Mahua | GPS JALALPUR GANGTI | JALALPUR GANGATI |
| Mahua | GPS KADIL PUR | GAUSPUR CHAKMAJAHID |
| Mahua | GMS KARIHO | TAJPUR BUJURG |
| Mahua | GMS MAHUA | MAHUA MUKUNDPUR |
| Mahua | GPS KHESRAHIA | SINGHARA DAKSHINI |

| Name of Block | Name of School | Name of Panchayat |
|---|---|---|
| Mahua | GPS KUSHAR KHAS | SAMASHPURA |
| Mahua | GPS LAXMI NARAYAN | GOVINDPUR |
| Mahua | GPS LAXMIPUR | LAKSHIMI NARAYANPUR |
| Mahua | GMS NIJHAMA | SERPUR CHHATWARA |
| Mahua | UMS MADHOPUR SINGHARA | TAJPUR BUJURG |
| Mahua | NPS SADAPUR MAHUA | MAHUA MUKUNDPUR |
| Mahua | NPS MAHUA SIHARAI WEST | MAHUA SINGH RAI |
| Mahua | UMS MAHUA SINGHRAI PASCHIM | MAHUA SINGH RAI |
| Mahua | GPS MAHUA SINGH RAI PURBI | MAHUA SINGH RAI |
| Mahua | GPS MAKSUDPUR TAJ | RAM CHANDRABHAN URF DAGRU |
| Mahua | GPS MANGURAIYA | MANGURAHI |
| Mahua | GMS AKHTIYARPUR | SHERPUR MANIKPUR |
| Mahua | GPS MILKI FATAHPUR | RAM CHANDRABHAN URF DAGRU |
| Mahua | GPS MIRJANAGAR MOKARRI | MIRJA NAGAR |
| Mahua | GMS MIRJA NAGAR | MIRJA NAGAR |
| Mahua | GPS MIRJANAGAR | MIRJA NAGAR |
| | GPS MOHAN PUR | SAMASHPURA |
| Mahua | GMS NILKANTHPUR | RAM CHANDRABHAN URF DAGRU |
| Mahua | UMS PARMAND PUR | SHERPUR MANIKPUR |
| Mahua | UMS PHULAR | JALALPUR GANGATI |
| Mahua | UMS DAMRU DIH | RAM CHANDRABHAN URF DAGRU |
| Mahua | UMS MADHAUL | RASULPUR URF MADHUAL |
| Mahua | UMS KHANPATTI | SUPOL TARIYA |
| Mahua | UMS RASALPUR MUBARAK | RUSULPUR MUBARAK |
| Mahua | GPS SADAPUR MAHUA | MAHUA MUKUNDPUR |
| Mahua | GMS MAHUA KANYA | MAHUA MUKUNDPUR |
| Mahua | GPS SAHDULLAH CHAK | FATAHPUR PAKRI |
| Mahua | UMS SAMASPURA | CAMASHPURA |
| Mahua | GPS SHERPUR | SERPUR CHHATWARA |
| Mahua | NPS BAHORI HAT | SHERPUR MANIKPUR |
| Mahua | NPS SHERPUR DALIT TOLA | SHERPUR MANIKPUR |
| Mahua | GPS MEGHPUR | SINGHARA DAKSHINI |
| Mahua | GPS SINGHARA KANYA | SINGHARA UTTARI |
| Mahua | GPS MUKUND PUR SINGHARA | SINGHARA UTTARI |
| Mahua | ADARSH GMS SINGHARA | SINGHARA UTTARI |
| Mahua | NPS SINGHARA TADHA | SINGHARA UTTARI |

| Name of Block | Name of School | Name of Panchayat |
|---|---|---|
| Mahua | GPS KUSHAR KHAS | SAMASHPURA |
| Mahua | GPS LAXMI NARAYAN | GOVINDPUR |
| Mahua | GPS LAXMIPUR | LAKSHIMI NARAYANPUR |
| Mahua | GMS NIJHAMA | SERPUR CHHATWARA |
| Mahua | UMS MADHOPUR SINGHARA | TAJPUR BUJURG |
| Mahua | NPS SADAPUR MAHUA | MAHUA MUKUNDPUR |
| Mahua | NPS MAHUA SIHARAI WEST | MAHUA SINGH RAI |
| Mahua | UMS MAHUA SINGHRAI PASCHIM | MAHUA SINGH RAI |
| Mahua | GPS MAHUA SINGH RAI PURBI | MAHUA SINGH RAI |
| Mahua | GPS MAKSUDPUR TAJ | RAM CHANDRABHAN URF DAGRU |
| Mahua | GPS MANGURAIYA | MANGURAHI |
| Mahua | GMS AKHTIYARPUR | SHERPUR MANIKPUR |
| Mahua | GPS MILKI FATAHPUR | RAM CHANDRABHAN URF DAGRU |
| Mahua | GPS MIRJANAGAR MOKARRI | MIRJA NAGAR |
| Mahua | GMS MIRJA NAGAR | MIRJA NAGAR |
| Mahua | GPS MIRJANAGAR | MIRJA NAGAR |
| Mahua | GPS MOHAN PUR | SAMASHPURA |
| Mahua | GPS KHIRA CHAK | SAMASHPURA |
| Mahua | NPS SHANKARPUR | GAUSPUR CHAKMAJAHID |
| Mahua | GPS NARSINGHPUR BAGAHI | RAM CHANDRABHAN URF |
| Mahua | GPS SINGHARA | SINGHARA DAKSHINI |
| Mahua | GPS BAWAN GHAT | SINGHARA DAKSHINI |
| Mahua | GMS SUPAUL | SUPOL TARIYA |
| Patepur | GMS BAKAR | BAKAD |
| Patepur | GPS CHANDPURA | BALI GAO |
| Patepur | GPS BELADAM URDU | GOVINDPUR BELA |
| Patepur | GMS BHAIRO KHERA | BHAIRO KHARA |
| Patepur | UMS BISHANPUR KOAAHI | ABABAKARPUR KOARI |
| Patepur | GPS BIJAYPURA | GOVINDPUR BELA |
| Patepur | GPS CHAKJADO | CHAKJADO |
| Patepur | UMS CHANDPUR FATAH URDU | CHANDPUR FATAH |
| Patepur | UMS DADHUA | DADHUA |
| Patepur | UMS KAWADIH URDU | BELA DARGAH |
| Patepur | NPS KAWA DIH | BELA DARGAH |
| Patepur | GPS LADHO | LADHO |
| Patepur | NPS LAKHNIPUR | MAUDAH BUJURG |
| Patepur | GMS MAHTHI | MAHTHI DHARAMCHAND |
| Patepur | GMS MALPUR | MALPUR |
| Patepur | GMS MAHEA | MALPUR |
| Patepur | UMS MOHAMMADPUR JUMMAN | CHANDPUR FATAH |

| Name of Block | Name of School | Name of Panchayat |
|---|---|---|
| Patepur | GMS PAHARPUR | LADHO |
| Patepur | UMS PRANPUR | NILODHKUNDPUR |
| Patepur | UMS NARSANDA | KHASRAHI |
| Patepur | GMS TISIAUTA | TISIAUTA DHARAMPUR |
| Sahdei Buzurg | GMS BAJITPUR KASTURI | BAJITPUR KASHTURI |
| Sahdei Buzurg | UMS CHAK JAMAL | CHAKJAMAL |
| Sahdei Buzurg | GMS CHAKEYAJ | CHAKFAIJ |
| Sahdei Buzurg | GMS SALHA | SALHA |
| Sahdei Buzurg | UMS GANIYARI | NAYAGAO PASCHIMI |
| Sahdei Buzurg | GPS MAJROHI RAGHUNANDAN | MAJROHI URF SAHRIYA |
| Sahdei Buzurg | UMS MURAUVATPUR HINDI | MUROBATPUR |
| Sahdei Buzurg | GMS NAYA GANJ | NAYAGAO PURVI |
| Sahdei Buzurg | GMS POHIYAR | POHIYAR BUJURG |
| Sahdei Buzurg | GMS SAHDEI BUZURG | SAHDEI BUJURG |
| Sahdei Buzurg | GMS SULTANPUR | SULTANPUR |
| Raghopur | GMS BIRPUR | BIRPUR |
| Raghopur | GMS CHAKSRINGAR | CHAK SINGAR |
| Raghopur | GMS CHANDPURA | CHANDPURA |
| Raghopur | GMS FATAH PUR | FATAHPUR |
| Raghopur | GPS JAGADISHPUR | MOHANPUR |
| Raghopur | GMS JAHANGIR PUR | JAHAGIRPUR |
| Raghopur | GPS JURAWANPUR BARARI | JURAWANPUR BARARI |
| Raghopur | GMS JURAWANPUR KARARI | JURAWANPUR KARARI |
| Raghopur | GPS KARMOPUR KANYA | JAFRABAD TOK |
| Raghopur | NPS MALLIKPUR JAIPRAKASH R K T | MALLIKPUR |
| Raghopur | NPS MALLIKPUR (V.PASWAN K TOLA | MALLIKPUR |
| Raghopur | GMS MOHANPUR | MOHANPUR |
| Raghopur | UMS PAHARPUR WEST | PAHARPUR PASCHIMI |
| Raghopur | GMS PAHARPUR | PAHARPUR PURVI |
| Raghopur | GPS PAHARPUR RAJGIR CH KA TOLA | PAHARPUR PURVI |
| Raghopur | GMS RAGHOPUR KANYA | RAGHOPUR PASCHIMI |
| Raghopur | NPS DHOBI TOLA MUSALIM | RAGHOPUR PURVI |
| Raghopur | UMS RAMPUR SHYAM CHANDRA | RAMPUR SHAYAMCHAND |
| Raghopur | GMS RAMPUR KARARI BARARI | JURAWANPUR BARARI |
| Raghopur | GMS RUSTAMPUR JALALPUR | RUSHTAMPUR |
| Raghopur | GMS SAIDABAD | SAIDABAD |
| Raghopur | GMS SAIFABAD | JAFRABAD TOK |
| Raghopur | UMS SARAIPUR | SARAIPUR |
| Raghopur | GMS TERASIA | TERASIYA |

अनुलग्नक –(76) पंचायत भवन के शरण स्थलों सूची :

| Name of Block | Name of Panchyat Bhawan | Name of Village | Panchyat Name |
|---|---|---|---|
| Patedhi Belsar | Manora | Manora | Manora |
| Patepur | Maudah Chatur | Maudah Chatur | Maudah Chatur |
| Patepur | Harlochanpur Sukki | Harlochanpur Sukki | Harlochanpur Sukki |
| Hajipur | Dighikala East | Dighikala East | Dighikala East |
| Chehrakala | Ababakarpur | Ward No-4 | Ababakarpur |
| Chehrakala | Mathana Milik | Mathama Milik | Mathama Milik |
| Chehrakala | Rasulpur Fatah | Rasulpar Fatah | Rasulpur Fatah |
| Chehrakala | Basti Sarsikan | Basti Sarsikan | Basti Sarsikan |
| Goraul | Kanhauli Dhanraj | Kanhauli Dhanraj | Kanhauli Dhanraj |
| Goraul | Bhualpur urf Bahadurpur | Bhualpur urf Bahadurpur | Bhualpur urf Bahadurpur |
| Goraul | Ismailpur | Ismailpur | Ismailpur |
| Goraul | Inayatnagar | Inayatnagar | Inayatnagar |
| Goraul | Kanhauli Bisanparsi | Kanhauli Bisanparsi | Kanhauli Bisanparsi |
| Goraul | Pirapur Mathura | Pirapur Mathura | Pirapur Mathura |
| Goraul | Goraul Bhagwanpur | Goraul Bhagwanpur | Goraul Bhagwanpur |
| Goraul | Bhanpur Warewa | Bhanpur Warewa | Bhanpur Warewa |
| Goraul | Mahammadpur Pojha | Mahammadpur Pojha | Mahammadpur Pojha |
| Goraul | Lodipur | Lodipur | Lodipur |
| Goraul | Rasulpur Korigawan | Rasulpur Korigawan | Rasulpur Korigawan |
| Goraul | Katarmala | Katarmala | Katarmala |
| Goraul | Rasalpur Turki | Rasalpur Turki | Rasalpur Turki |
| Goraul | Baksama | Baksama | Baksama |
| Goraul | Piroi urf Rasulpur Samsuddin | Piroi urf Rasulpur Samsuddin | Piroi urf Rasulpur Samsuddin |
| Lalganj | Rikhar | Rikhar | Rikhar |
| Lalganj | Basanta Jahanabad | Basanta Jahanabad | Basanta Jahanabad |
| Lalganj | Kartahan Buzurg | Katthan Buzurg | Katthan Buzurg |
| Lalganj | Anwarpur | Anwarpur | Anwarpur |
| Lalganj | Bhatauli Bhagwan | Bhatauli Bhagwan | Bhatauli Bhagwan |
| Mahua | Jahangirpur Salkhanni | Jahangirpur Salkhanni | Jahangirpur Salkhanni |
| Mahua | Laxminarayanpur | Laxminarayanpur | Laxminarayanpur |
| Patepur | Dabhaich | Dabhaich | Dabhaich |
| Patepur | Ladho | Ladho | Ladho |
| Patepur | Baligaon | Baligaon | Baligaon |
| Raghopur | Saraipur urf Diwantok | Saraipur urf Diwantok | Saraipur urf Diwantok |

अनुलग्नक – (77) मुखिया एवं सरपंचों की संपर्क सूची :

| क्र0 सं0 | प्रखंड | ग्राम पचायत का नाम | मुखिया का नाम | मोबाईल | सरपंच का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पातेपुर | भौरोखड़ा | श्री अनिता कुमारी | 9939716484 | श्रीमती चुनचुन कुमारी | 9955314246 |
| 2 | | चाँदपुर फतह | श्री अनिता कुमारी | 9939712359 | श्री नरेश राय | 9661872169 |
| 3 | | ह0 सुक्की | श्री सत्यानन्द पासवान | 9507393251 | श्री मिथलेश कुमार | 8084844987 |
| 4 | | डढुआ | श्री अन्न कुमार साह | 9631216093 | श्री शम्भु शंकर गुप्ता | 9546457830 |
| 5 | | मौदह चतुर | श्री सुन्देश्वर पासवान | 8809466092 | श्रीमती किरण कुमारी | 8678882150 |
| 6 | | मौदह बुजुर्ग | श्रीमती रेणु देवी | 7322924622 | श्रीमती रामदुलारी देवी | 9006525731 |
| 7 | | सिमरवाड़ा | श्रीमती आशा देवी–1 | 9162045338 | हलीमा खातुन | 9939716499 |
| 8 | | मंडई डीह | श्रीमती पारवती देवी | 9934974894 | शान्ति देवी | 9128413293 |
| 9 | | डभैच्छ | श्रीमती मीना देवी | 9939221603 | सुनीता देवी | 9006858005 |
| 10 | | निलो रूकुन्दपुर | श्री राजु चौधरी | 9934295803 | श्री धनेश्वर सहनी | 8292888454 |
| 11 | | तिसिऔता धर्मपुर | श्री मनोज चौधरी | 9631138464 | श्री राज मोहन राय | 7033005473 |
| 12 | | महथी धर्मचन्द | श्री विनोद कु. सहनी | 8292544280 | श्री शैलेन्द्र सहनी | 7654944478 |
| 13 | | बड़डीहा तुर्की | श्रीमती प्रेमशीला देवी | 9554861668 | श्रीमती रेखा देवी | 9971792994 |
| 14 | | नीरपुर | शबानाज | 8809722111 | नजमा खातुन | 8969224146 |
| 15 | | अ0 क्वाही | श्री गणेश पटेल | 9708860040 | श्री रामएकबावल राय | 9470782602 |
| 16 | | सैदपुर डुमरा | श्रीमती लिलु गुप्ता | 9939281027 | श्री जयमाला देवी | 9771358443 |
| 17 | | खेसराही | श्री मनोज कुमार | 9199346806 | श्री सिताराम साह | 9576811391 |
| 18 | | टेकनारी | श्री दिलिप कुमार | 8521072115 | सैयद एकवाल | 9939892397 |
| 19 | | लदहों | श्री पवन पासवान | 7366993171 | श्री बालदेवी राम | 9771355985 |
| 20 | | गो0 बेला | फिरोजा खातुन | 9546975562 | श्री सान्तनु साह | 9771355985 |
| 21 | | बलिगाँव | श्री संतोश सहनी | 9631323217 | श्री राजेश्वर ठाकुर | 9525259771 |
| 22 | | अग्रैल खूर्द | श्री विनोद साद | 9334290155 | श्री अरविन्द कुमार | 997318375 |
| 23 | | बेला दरगाह | श्रीमती रेणु देवी | 8294425595 | श्रीमती ललीता देवी | 8969372258 |
| 24 | | चकजादो | सदकीन फातमा | 9431091437 | कुरैसा खातुन | 9006663769 |
| 25 | | अ0 लेवढ़न | श्रीमती रेखा सहनी | 9631690144 | श्रीमती रामसती देवी | 9955414150 |
| 26 | | खे0 वस्ती | श्रीमती बवीता राय | 9234866808 | श्रीमती सुशीला देवी | 8434227692 |
| 27 | | बहुआरा | श्रीमती राधा देवी | 9431479625 | श्रीमती साधना कुमारी | 9973621807 |
| 28 | | राघोपुर नरसड़ा | श्रीमती ममता देवी–1 | 9939426816 | श्रीमती शान्ति देवी | 7759847920 |
| 29 | | मालपुर | श्री अभय कु. तिवारी | 7631962435 | श्री परमानंद राय | 9801274061 |
| 30 | | बकाढ़ | श्री ललीत राय | 9931467984 | श्री विजय कुमार राय | 9798256416 |
| 31 | | अ0 चाँदे | श्रीमती नूतन देवी | 9931612659 | श्रीमती रीना देवी | 9199061327 |
| 32 | | मरूई | श्री राज कुमार महतो | 9006175970 | श्री धर्मेन्द्र कुमार | 8578012887 |
| 33 | भगवानपुर | माँगनपुर | श्री रामाकान्त प्र. साह | 9905988797 | श्री महोदव साह | 7562845645 |
| 34 | | प्रतापटाँड पूर्वी | श्री राजेश कुमार | 9955686634 | श्री विद्यानंद सिंह | 9507362835 |
| 35 | | प्रतापटाँड पश्चिमी | श्री सुगन प्रसाद शाही | 9934816001 | श्री सत्यनारायण भगत | 9507923000 |
| 36 | | हरिवंशपुर बान्थु | श्रीमती मीरा देवी | 8521568753 | श्रीमती उर्मीला देवी | 9708818807 |
| 37 | | वफापुर बान्थु | श्रीमती मुजु देवी | 9472108757 | श्रीमती राधा देवी | 9507316192 |
| 38 | | किरतपुर राजाराम | श्रीमती रूमा देवी | 9504894376 | श्रीमती सुनिता देवी | 9934631156 |
| 39 | | सहथा | श्रीमती ममता देवी | 8757078403 | श्री राजनारायण साह | 9708869866 |
| 40 | | शाहमियाँ रोहुआ | श्री विनय साह | 9934045730 | श्री कृष्णवीर प्रसाद सिंह | 9708871873 |
| 41 | | मियाँ बैरो | श्री उषा देवी | 9934453051 | श्रीमती मीना सिंह | 8292959494 |
| 42 | | रघुनाथपुर ईमादपुर | श्री रामनरेश कुमार | 9973378591 | श्रीमती माधवी सलोनी | 8084955252 |
| 43 | | रतनपुरा | श्री गौड़ी शंकर पाण्डेय | 9155560727 | श्री राजन कुमार | 8809637763 |
| 44 | | हुसेना खुर्द | श्री शिव प्रसाद सुमन | 8002441524 | श्री रघुनाथ सिंह | 9576091655 |
| 45 | | करहरी | श्री विशाखा देवी | 9430648946 | श्रीमती शमीला देवी | 9934265544 |
| 46 | | जहाँगीरपुर पटेढ़ा | श्रीमती लीला देवी | 9771513049 | श्रीमती रीता देवी | 9534422465 |
| 47 | | मझौली महम्मदपुर बुजुर्ग | श्रीमती सरोज देवी | 9939414425 | श्रीमती चन्द्रा देवी | 9546801606 |
| 48 | | महम्मदाबाद | श्री सुनिल कुमार सिंह | 9835852525 | श्री रामबाबु राय | 9546801606 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | अकबरमलाही | श्री अमोद कु. पासवान | 9905354246 | श्री राजीव कुमार | 9708059525 |
| 50 | | अशोई लच्छीराम | श्री रामअयोध्या पासवान | 9835085897 | श्री बालेन्द्र पासवान | 9534980558 |
| 51 | | शंभुपुर कोआरी | श्रीमती इंदु देवी | 7070290080 | श्रीमती रेणु देवी | 7549994641 |
| 52 | | माधोपुर महोदत | श्री मंजु देवी | 9835651239 | श्रीमती सरिता देवी | 9708347570 |
| 53 | | माधोपुर राम | रिंकु देवी | 9709348748 | श्रीमती फुल कुमारी देवी | 9534289941 |
| 54 | बिदुपुर | सैदपुर गणेश | श्री कमल कुमार | 9430575711 | श्रीमती रेनु देवी | 9939337520 |
| 55 | | रहिमापुर | श्रीमती पूजा कुमारी | 8969777125 | श्रीमती इन्द्रा देवी | 9661933791 |
| 56 | | कंचनपुर | श्रीमती श्वेता | 9473425665 | श्रीमती कोशल्या देवी | 7277303099 |
| 57 | | रजासन | श्री अनुज कुमार सिंह | 9470028551 | श्री विनोद कुमार सिंह | 9470638438 |
| 58 | | माईल | श्रीमती सोनी देवी | 9934294671 | श्री सुरेन्द्रनाथ साह | 9939062955 |
| 59 | | दाउदनगन | श्री शिवशंकर भगत | 9934535790 | श्री राजकुमार भगत | 8873688850 |
| 60 | | खिलवत | श्रीमती अनिता देवी | 9973625322 | श्री वीरचन्द्र सिंह | 9934885963 |
| 61 | | बिदुपुर | श्रीमती मुन्नी देवी | 9852922303 | श्रीमती शिवपरी देवी | 9006632952 |
| 62 | | मझौली | श्री अजय कुमार यादव | 8294633750 | श्री पारसनाथ राय | 9939854828 |
| 63 | | चकठकुर्सी कुसियारी | श्री शिवनारायण राय | 9771335569 | श्री रवीन्द्र राय | 9934427793 |
| 64 | | चकसिकंदर कल्याणपुर | श्रीमती जुही प्रवीण | 9162999444 | श्रीमती रंजीता कुमारी | 9939635994 |
| 65 | | सहदुल्लहपुर धबौली | श्रीमती धर्मशीला देवी | 8002550390 | श्रीमती निर्मला देवी | 9973183125 |
| 66 | | शितलपुर कमालपुर | श्रीमती सुनीता देवी | 8873611435 | श्रीमती सविता देवी | 7250369109 |
| 67 | | अमेर | श्री विनोद चौधरी | 9934855675 | श्री शंकर भगत | 9199979872 |
| 68 | | नावानगर | श्रीमती मुजू देवी | 8272913414 | श्री देवेन्द्र दास | 9953689212 |
| 69 | | दिलावरपुर गार्वधन | श्रीमती पुनम देवी | 9801864611 | श्रीमती पूनम देवी | 8804628698 |
| 70 | | मजलीसपुर | दीपनारायण सिंह | 9572471344 | श्री नेतीलाल सिंह | 9097058845 |
| 71 | | चेचर | श्रीमती मीना देवी | 99314579182 | श्रीमती सुमिता कुमारी | 9905634611 |
| 72 | | मथुरा | श्रीमती मंजू देवी | 9162070490 | श्री लगनदेव सिंह | 9931299813 |
| 73 | | खानपुर पकडी | श्रीमती पारकली देवी | 9931573156 | श्रीमती मीरा देवी | 9631299813 |
| 74 | | कुत्तुबपुर | श्रीमती अनुराधा देवी | 9931006425 | श्रीमती उमा देवी | 9771077937 |
| 75 | | बाजितपुर सैदाद | श्रीमती विणा देवी | 9934496103 | श्री अमरेश कुमार | 9939875735 |
| 76 | | कथौलिया | श्री उमेश साह | 9199758018 | श्री प्रेम कुमार | 8969321756 |
| 77 | | जुड़ावनपुर | श्रीमती ममता देवी | 7484856490 | श्रीमती इंद्रा देवी | 9199460136 |
| 78 | जन्दाहा | बोरहा उर्फ रसलपुरगौस | श्रीमती अहिल्या देवी | 9430609075 | श्रीमती आशा वर्मा | 9472432769 |
| 79 | | बहसी सैदपुर | श्रीमती मीरा देवी | 9931238574 | श्रीमती रामदेनी देवी | 9199558423 |
| 80 | | मो0 गराही | रामप्रवेश पासवान | 9939262036 | श्री लखु राम | 8809484077 |
| 81 | | बसंतपुर | श्रीमती उर्मिला देवी | 9939461733 | श्री बच्चा बाबु सिंह | 9939486118 |
| 82 | | लक्ष्मीपुर ब्रहबट्टा | श्री राजनारायण राम | 9576098097 | श्री रामलाल राम | 7739679870 |
| 83 | | खोपी | श्रीमती ममता देवी | 9973303516 | श्रीमती पुष्पांजली देवी | 9199167009 |
| 84 | | अदलपुर | श्रीमती शैल देवी | 9939855874 | श्रीमती चाँदनी देवी | 9973498735 |
| 85 | | नाड़ी खुर्द | श्रीमती सुधा देवी | 9540102170 | श्रीमती सुनिता देवी | 9135760057 |
| 86 | | विशनपुर बेदौलिया | श्री भोला राय | 9939064029 | श्री ब्रजकिशोर प्रसाद | 9939103423 |
| 87 | | मानसिंहपुर विझरौली | श्रीमती पवंती देवी | 9934721595 | श्री गिरीश कुमार ठाकुर | 9931465255 |
| 88 | | लोमा | श्री धनराज राय | 9939278266 | श्रीमती भारती कुमारी | 9534531593 |
| 89 | | पीरापुर | श्रीमती सीमा देवी | 9934253671 | श्री रामसागर साह | 9934090274 |
| 90 | | रसलपुर पुरूषोत्तम | श्री चन्दु कुमार साह | 9006462889 | श्रीमती सरिता देवी | 8873714793 |
| 91 | | मुकुन्दपुर भाथ | श्रीमती सुनीता देवी | 8757333234 | श्रीमती रेणु देवी | 8757333234 |
| 92 | | सैद मोहम्मद उर्फ सलहा | श्रीमती पूनम देवी–2 | 9939855687 | श्रीमती शोभा कुमारी | 9931627525 |
| 93 | | हजरत जन्दाहा | श्री सत्यनारायण चौधरी | 9973317958 | श्री गामा सिंह | 9801499281 |
| 94 | | अरनियां | श्री विकाश कुमार | 9939934141 | श्री रामचन्द्र सिंह | 9801634660 |
| 95 | | चाँदसराय | श्री त्रिवेणी कु चौधरी | 9931627527 | श्री रवि कुमार | 9576995921 |
| 96 | | महिसौर | श्री रत्नेश कुमार सिंह | 9122011260 | श्री कमलेश राय | 9939064028 |
| 97 | | डीहबुचौली | श्रीमती गीता देवी | 9162296846 | श्रीमती सुगवा देवी | 9934411387 |
| 98 | | महिपुरा | श्री जय प्रकाश राय | 8676860612 | श्री जयमुरत राय | 8521135040 |
| 99 | | सोहरथी | श्रीमती रीना कुमारी | 9934413322 | श्रीमती पुष्पा देवी | 9934904233 |
| 100 | | हरप्रसाद | श्री विनोद कुमार | 9709784426 | श्री रामसेवक पासवान | 9955562146 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | सहदेई बुजुर्ग | बाजितपुर चकस्तुरी | श्री सकलदेव कुमार | 9570592805 | श्रीमती फुलझरिया देवी | 8292298902 |
| 102 | | चकजमाल | श्रीमती सरोज कुमारी | 8002500161 | श्री अतुल कुमार सिंह | 7079138754 |
| 103 | | चकफैज | श्री सुभाष कुमार | 9955060938 | श्री रामावतार पासवान | 9162556234 |
| 104 | | मजरोही उर्फ सहरिया | श्रीमती सुनैना देवी | 9931027651 | श्रीमती धर्मशीला देवी | 9939635795 |
| 105 | | मुरौवतपुर | श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह | 9546398023 | श्रीमती विभा देवी | 9534917725 |
| 106 | | नयागाँव पश्चिमी | श्रीमती मालती देवी | 7542009300 | श्री मदन मोहन कुमार | 9304420212 |
| 107 | | नयागाँव पूर्वी | श्री अनन्त कुमार | 9801236344 | श्री राम प्रवेश सिंह | 9939715787 |
| 108 | | पोहियार बुजुर्ग | श्रीमती संजु देवी | 9162928915 | श्री सुरेन्द्र पासवान | 9199068523 |
| 109 | | सहदेई बुजुर्ग | श्रीमती पिंकी देवी | 9934295756 | श्रीमती गीता देवी | 8757708018 |
| 110 | | सलहा | श्री राम प्रसाद राय | 9931082312 | श्री उमेश कुमार | 9570759605 |
| 111 | | सुलतानपुर | श्री सर्वेश कुमार सिंह | 8969789395 | श्रीमती सुषमा कुमारी | 9097898925 |
| 112 | चेहराकला | विशुनपुर अडरा | श्री पम्पी कुमार | 9835075052 | श्रीमती रींकू कुमारी | 9006529015 |
| 113 | | चेहराकला | श्री उमेश भगत | 9955677709 | श्री वकील राय | 9546491716 |
| 114 | | मंसूरपुर हलैया | श्री अशोक कुमार यादव | 9931006315 | मो महताब आलम | 9955658246 |
| 115 | | अबाबकपुर | श्री लालबाबू पासवान | 7781027827 | श्री प्रभु राम | 9525232451 |
| 116 | | मथना मिलिक | श्री विजय भगत | 9801409638 | श्री लालदेव भगत | 9955653767 |
| 117 | | खाजे चॉद छपरा | श्री दरोगा कुमार | 9835055222 | श्री पोषण राय | 7563841986 |
| 118 | | अख्तियार सेहान | श्री ब्रजेश कुमार | 9955556585 | श्री जितेन्द्र ठाकुर | 9939280848 |
| 119 | | शाहपुर खुर्द | श्रीमती रींकू देवी | 9955031738 | श्रीमती यशोदा देवी | 9631867731 |
| 120 | | करहटीया बुजुर्ग | श्रीमती करीना राय | 9934937369 | श्रीमती मीणा देवी | 8521224486 |
| 121 | | रसूलपुर फतह | श्री मिन्तु देवी | 9931044676 | श्रीमती मुन्नी देवी | 9939281348 |
| 122 | | छौराही | श्रीमती लालती देवी | 7079066219 | श्रीमती शोभा देवी | 9631735513 |
| 123 | | बस्ती सरसिकन | श्रीमती अर्चना कुमारी | 9470435521 | श्रीमती लीलू देवी | 9934336671 |
| 124 | देसरी | जफराबाद | श्री ओम प्रकाश सिंह | 9955400921 | श्री दीपनारायण पासवान | 939608200 |
| 125 | | उफरौल | श्रीमती पुनम कुमारी | 9546877966 | श्रीमती अंजली राय | 9934030572 |
| 126 | | देसरी | श्री दिलीप सिंह | 9966400788 | श्री रणवीर सिंह | 9931027833 |
| 127 | | घर्मपुर रामरा | श्रीमती इन्दु देवी | 9199385856 | श्रीमती रीना राय | 9534200996 |
| 128 | | जहाँगीरपुर शाम | श्री अवधेश कुमारी सिंह | 99349040 | श्री राम उदगार राय | 829217732 |
| 129 | | रसुलपुर हवीब | श्री सुेध कुमार ठाकुर | 7654934125 | श्री प्रयाग साह | 7033640098 |
| 130 | | आजमपुर | श्रीमती रीता देवी | 9939693734 | श्रीमती मुनीया देवी | 9546159586 |
| 131 | | भिखनपुरा | श्री महेन्द्र राम | 9931842557 | श्री रमेश राम | 9934721483 |
| 132 | वैशाली | अमृतपुर | श्री बबिता देवी | 9934912921 | श्रीमती अंजू कुमारी | 9934919575 |
| 133 | | भगवानपुर रती | श्रीमती झुन्नी देवी | 8521094933 | श्रीमती राजकली देवी | 9934912927 |
| 134 | | भागवतपुर | श्री अनिल राय | 9771664253 | श्री केशव सिंह | 9546086407 |
| 135 | | चकहल्दाद | श्री शम्भू कुमार राय | 8084654494 | श्री बसंत कुमार रितुराज | 9973253769 |
| 136 | | चिंतामणीपुर | श्रीमती गीता देवी | 9955407627 | श्रीमती मंजू देवी | 9934928501 |
| 137 | | दाउदनगर | श्री संजय कुमार | 9939080442 | श्री राजमंगल पंडित | 9939646308 |
| 138 | | फुलाढ़ | श्री जीयालाल कुमार | 9955634045 | श्री राधा देवी | 9162189198 |
| 139 | | जतकौली | श्री महेश कुमार नूतन | 9931903636 | श्री सत्येन्द्र कुमार रंजन | 9934758099 |
| 140 | | मदराना | श्रीमती कूरैशा खातून | 9546126699 | श्री अरूण ठाकूर | 9546791292 |
| 141 | | महम्मदपुर | श्री अशर्फी पासवान | 9973626225 | श्री लालदेव पासवान | 7261097855 |
| 142 | | मझौली | श्रीमती हीना प्रवीण | 9939701786 | श्री लालू ठाकुर | 9934090865 |
| 143 | | मतैया | श्री चतुर्भुज प्र. निराला | 9939854571 | श्री भुवनेश्वर चौधरी | 9570596526 |
| 144 | | रहिमपुर | श्रीमती रागीनी देवी | 9525416711 | श्री सिकन्दर कुमार | 9006287908 |
| 145 | | अबुलहसनपुर | श्रीमती अनिता देवी | 9931491535 | श्रीमती सरिता कुमारी | 9934428301 |
| 146 | | सलेमपुर | श्री महेश राम | 9931817376 | श्रीमती रेखा देवी | 9771962161 |
| 147 | | वैशाली | श्रीमती सुशीला देवी | 9934852013 | श्रमती मंजू देवी | 9973923474 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | महनार | महिन्दवारा | श्री राम शंकर चौधरी | 8002747546 | श्री अशोक कुमार दास | 9661935916 |
| 149 | | डेढ़पुरा | श्रीमती आशा देवी | 9934873609 | श्रीमती संजू देवी | 8226827259 |
| 150 | | करनौती | श्री राम लगन राम | 9931844747 | श्री शिव पूजन पासवान | 9709502408 |
| 151 | | सरमस्तपुर | श्रीमती चन्द्रकला देवी | 8084417192 | श्रीमती असमत परवीन | 8757383869 |
| 152 | | महम्मदपुर | श्रीमती ममता देवी | 993431739 | श्रीमती बिन्दु देवी | 9939693363 |
| 153 | | पहाड़पुर विशनपुर | श्रीमती संयोगिता देवी | 9934207618 | श्री गाँधी प्रसाद सिंह | 9801210323 |
| 154 | | चमरहरा | श्री अशोक कुमार सिंह | 9708232425 | श्री निलेश कुमार | 9955958936 |
| 155 | | वासुदेवपुर चंदेल | श्रीमती विभा शर्मा | 9431184640 | श्रीमती बिन्दा देवी | 9801846433 |
| 156 | | गोरीगामा | श्रीमती संगीता सिंह | 9931458159 | श्रीमती समीना देवी | 9939277634 |
| 157 | | लावापुर नारायण | श्रीमती मुन्नी देवी | 9939693422 | श्रीमती सविता देवी | – |
| 158 | | लावापुर महनार | श्री सर्वेन्द्र कुमार राय | 9801573275 | श्री विनोद राय | 9162230716 |
| 159 | | अललपुर हट्टा | श्री अशोक भगत | 9939693721 | श्री राम भजन साह | 9798700018 |
| 160 | | हसनपुर उत्तरी | श्रीमती सविता देवी | 9973318009 | श्री अर्जुन सिंह | 7739029170 |
| 161 | | हसनपुर दक्षिणी | श्री मुकेश कुमार सिंह | 7739652044 | श्री अरूण सिंह | 9199445198 |
| 162 | राजापाकर | बेरई | श्री मुकेश कुमार | 9430431917 | श्री विवेक सिंह | 9570897740 |
| 163 | | रामपुर रत्नाकर | श्रीमती उर्मिला देवी | 9525662497 | श्रीमती पूनम कुमारी | 8544218911 |
| 164 | | मीरपुर पताढ़ | श्रीमती गीता देवी 2 | 9798486290 | श्रीमती मीना कुमारी | 8002130293 |
| 165 | | नारायणपुर बजुर्ग | श्रीमती कुमारी रूमक्षुम | 9905917189 | श्रीमती मंझरिया देवी | 9507427281 |
| 166 | | लगुराँव विलन्दपुर | श्रीमती दिव्या राज | 9534428576 | श्री सुबोध कुमार साह | 9955965342 |
| 167 | | राजापाकर उत्तरी | श्रीमती मंजु देवी 1 | 9973127725 | श्री सिंगारी देवी | 9540051829 |
| 168 | | राजापाकर दक्षिणी | श्रीमती नजमा खातुन | 9973186223 | श्रीमती हमीदा खातुन | 9939861079 |
| 169 | | बैकुण्ठपुर | श्री अवधेश राय | 8084412586 | श्री ब्रजमोहन कु सिंह | 9006327387 |
| 170 | | भलुई | श्री कैलाश राय | 9973127676 | श्री नागेन्द्र राय | 7079572066 |
| 171 | | विशनपुर बलभद्र उर्फ गौसपुर | श्री सुबोध राम | 9734262199 | श्री नरेश पासवान | 7377083227 |
| 172 | | बखरी बराई | श्री शत्रुधन प्रसाद सिंह | – | श्री हरमंगल राय | 9934297029 |
| 173 | | जाफरपट्टी | श्री मुकेश कुमार | 99344111149 | श्री अमरनाथ भगत | 8051743920 |
| 174 | | बाकरपुर | श्रीमती नीलम भारती | 7488303060 | श्रीमती संजू देवी 2 | 9939278160 |
| 175 | पटेढ़ी बेलसर | साईन | श्री अरूण कुमार | 9931203448 | श्री मदन साह | 7763973381 |
| 176 | | करनेजी | श्री चतुर्भुज पासवान | 9431423609 | श्री चन्देश्वर दास | 7739681932 |
| 177 | | बेलसर | श्री रवि किशन | 9132683080 | श्री विरेन्द्र कुमार | 9431246860 |
| 178 | | सोरहत्था | श्रीमती इन्दु देवी | 9955102203 | श्री शम्भु राय | 9973510021 |
| 179 | | नगवाँ | श्रीमती संगीता देवी | 9934785703 | श्रीमती प्रमिला देवी | 7546000268 |
| 180 | | मिश्रौलिया | श्री रामप्रवेश महतो | 8809348704 | श्री रामजन्म पाण्डेय | 7739529340 |
| 181 | | मनोरा | श्रीमती नितु देवी | 7368055338 | श्रीमती गीता देवी | 8969643051 |
| 182 | | चकगुलामुद्दीन | श्रीमती सविता देवी | 9931422155 | श्रीमती पूसा कुमारी | 8809104559 |
| 183 | | जारंग रामपुर | श्री सुनील सिन्हा | 7352334601 | श्रीमती रीता देवी | 9973622320 |
| 184 | राघोपुर | तेरसिया | लालती देवी | 7654865913 | रंगु देवी | 9102791654 |
| 185 | | सरायपुर | सम्पतिया देवी | 9471437905 | उर्मिला देवी | 9955740217 |
| 186 | | जहाँगीरपुर | उदय राय | 9334358815 | श्रीनिवास सिंह | 9852725471 |
| 187 | | जफराबाद टोक | रिंकी देवी | 9472964521 | हरवंशु राय | 7277056458 |
| 188 | | रूस्तमपुर | फुलकुमारी | 8102379669 | रूपा देवी | 7277527871 |
| 189 | | सैदाबाद | धनवंती देवी | 9955700608 | संजय राय | 9006072742 |
| 190 | | बहरामपुर | शकुंतला देवी | 7033988039 | रीता देवी | 8873933732 |
| 191 | | मल्लिकपुर | उर्मिला देवी | 7759803595 | जमाला देवी | 9576565778 |
| 192 | | मोहनपुर | विनय भूषण | 9934806400 | अवधेश राय | 7325359714 |
| 193 | | रामपुर श्यामचंद | रविन्द्र बैठा | 8084952398 | शिवजी ठाकुर | 9308992576 |
| 194 | | फतेहपुर | वीरा देवी | 9973555428 | पूनम देवी | 9199257330 |
| 195 | | चांदपुरा | वीणा देवी | 7319996440 | विन्देश्वर दास | 9835857649 |
| 196 | | पहाड़पुर पश्चिमी | समता देवी | 7277813839 | बिन्दु देवी | 9504066435 |
| 197 | | पहाड़पुर पूर्वी | अमरजीत कुमार | 9852761762 | भुपेन्द्र राय | 9801594908 |
| 198 | | राघोपुर पश्चिमी | मुन्ना सिंह | 9504731608 | मुन्ना सिंह | 8083869287 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | | राघोपुर पूर्वी | मोना देवी | 9097634766 | रीता देवी | 7277880576 |
| 200 | | जुड़ावनपुर करारी | नीकू सिंह | 9214460006 | दुर्गा देवी | 9852805178 |
| 201 | | जुड़ावनपुर बरारी | किशोरी राउत | 7545969772 | जानकी देवी | 9504667308 |
| 202 | | चकसिंगार बरारी | लालबहादुर पासवान | 8102512590 | मोहन राय | 8292131474 |
| 203 | | वीरपुर पूर्वी | सरोज देवी | 9934207674 | नगिया देवी | 7654922889 |
| 204 | गोरौल | इनायतनगर | कुमारी लक्ष्मी गुप्ता | 9905850432 | रविन्द्र ठाकुर | 9631044278 |
| 205 | | कटरमाला | जानकी देवी | 8676955118 | रूबी कुमारी | 7281826892 |
| 206 | | लोदीपुर | बैद्यनाथ राम | 9955645406 | राजकुमार चौधरी | 8092889374 |
| 207 | | गोरौल भगवानपुर | शिव शंकर राय | 9835084016 | नागेंद्र दास | 8863869257 |
| 208 | | भुआलपुर उर्फ बहादुरपुर | शारदा देवी | 9631117472 | जैबून निशा | 9934999501 |
| 209 | | भानपुर बडेवा | रवि | 7294991411 | नुतन देवी | 7541020219 |
| 210 | | सोन्धो दुल्लाह | सुमित्रा देवी | 9576089824 | रोखसाना खातुन | 9955687114 |
| 211 | | महम्मदपुर पोझा | विकाश कुमार | 8002749688 | नीलम देवी | 7543027657 |
| 212 | | पिरापुर मथुरा | रामसागर सिंह | 8651487910 | मधु कुमारी | 952549515 |
| 213 | | इस्माईलपुर | आनन्द कुमार | 7739462468 | रंजित कुमार | 9473318065 |
| 214 | | बकसामा | मोहम्मद हासिम | 9430474508 | शशि कुमार | 8877745536 |
| 215 | | पिरोई समसुद्दीन | प्रमोद कुमार सिंह | 9708516311 | ललन किशोर सिंह | 9955678230 |
| 216 | | रूसुलपुर कोरीगांव | सुनिता कुमारी | 9939928089 | कान्ती देवी | 8229838828 |
| 217 | | रूसुलपुर तुर्की | गायत्री देवी | 8292935333 | संजू देवी | 9631464742 |
| 218 | | कन्हौली विशनपरसी | मनोज कुमार | 8434364822 | रामेश्वर दास | 9801195508 |
| 219 | | कन्हौली धनराज | सीमा कुमारी | 9955166067 | रेनु देवी | 990509775 |
| 220 | महुआ | रूसुलपुर उर्फ मधौल | श्री बालेश्वर साह | 9507894959 | श्री लक्ष्मण पंडित | 8292079480 |
| 221 | | मंगुरही | श्रीमती बबीता देवी | 7352259651 | श्रीमती सरिता सिंह सोनी | 9471656264 |
| 222 | | सुपौल टरिया | श्रीमती रूबी राय | 9939466024 | श्री शिवन ठाकुर | 9934947263 |
| 223 | | जहाँगीरपुर सलखन्नी | श्रीमती अनीता देवी | 9931457642 | श्रीमती सुरमंती देवी | 9525373663 |
| 224 | | फतहपुर पकड़ी | श्री विजय कुमार सिंह | 993936005 | श्रीमती रेणु देवी | 9835828272 |
| 225 | | समसपुरा | श्री राम नरेश साह | 9934210959 | श्रीमती रंजु देवी | 9507072257 |
| 226 | | शेरपुर छतवारा | श्री प्रमोद कुमार साह | 9631421500 | श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह | 8873036221 |
| 227 | | सिंघाड़ा उत्तरी | श्रीमती बेबी कुमारी देवी | 7033341699 | श्रीमती शहनाज खातून | 9708666710 |
| 228 | | सिंघाड़ा दक्षिणी | श्रीमती रूपतारा देवी | 9955546682 | श्रीमती शोभा दवी | 9473959068 |
| 229 | | गोविन्दपुर | विजय कुमार राय | 9939462554 | राम कृपाल सिंह | 9576403409 |
| 230 | | विशुनपुर हीराराम उर्फ पहाडपुर | श्री संजीत कुमार | 9430210762 | श्री नागेश्वर मिश्रा | 9931034666 |
| 231 | | फुलवरिया | श्री मुन्ना सरकार | 9162662460 | श्री आमोद कुमार | 8544219453 |
| 232 | | गौसपुर चकमहाहिद | श्रीमती रीता देवी | 7739086681 | श्रीमती अनीता देवी | 9934023720 |
| 233 | | रामपुर चन्द्रभानउर्फ डगरू | श्रीमती रंजु देवी | 8507469747 | श्रीमती उर्मिला देवी | 9931707396 |
| 234 | | हसनपुर ओस्ती | श्री विजय पासवान | 9430558386 | श्री धर्म दास | 9939461581 |
| 235 | | रूसुलपुर मोबारक | श्री दिनेशचन्द | 9934211283 | श्री प्रेम कुमार | 9934944014 |
| 236 | | शेरपुर मणिकपुर | श्री सुरेश प्रसाद सिंह | 9934779590 | श्रीमती जुली देवी | 9931897552 |
| 237 | | ताजपुर बुजुर्ग | श्री रघुनाथ पासवान | 8809780779 | श्रीमती शैल देवी | 756488340 |
| 238 | | मिर्जानगर | श्रीमती रिमझीम देवी | 8521305088 | श्रीमती राजकुमारी देवी | 9576788967 |
| 239 | | भदवास | श्री विनोद कुमार राय | 9934961394 | श्रीमती रेखा देवी | 9955256362 |
| 240 | | लक्ष्मीनारायणपुर | श्रीमती कंचनीया देवी | 9931554954 | श्री राजकुमार रजक | 9934359288 |
| 241 | | जलालपुर गंगटी | श्री बैधनाथ सिंह | 9472883171 | श्री सुमन कुमार | 8002754564 |

अनुलग्नक – (78) पंचायत समिति की संपर्क सूची :

| क्र॰सं॰ | प्रखंड | ग्राम पचायत का नाम | सरपंच का नाम | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महनार | महिन्दवारा | मो0 निजाम रजा | 99364996 |
| 2 | | डेढ़पुरा | श्री कामेश्वर सिंह | 7739414151 |
| 3 | | | श्रीमती संगीता कुमारी | 9934533770 |
| 4 | | करनौती | श्री विश्वनाथ पटेल | 961007200 |
| 5 | | | श्रीमती शीला देवी | 9162084222 |
| 6 | | सरमस्तपुर | श्री राजु कुमार चौधरी | 8873486654 |
| 7 | | महम्मदपुर | मो0 ताहिल | 9931159264 |
| 8 | | पहाड़पुर विशनपुर | श्रीमती पुतुल देवी | 9060790525 |
| 9 | | चमरहरा | श्रीमती इन्दु कुमारी | 93203302 |
| 10 | | वासुदेवपुर चंदेल | श्रमी पिंकि देवी | 9472882584 |
| 11 | | गोरीगामा | श्रीमती रामा देवी | 9905806002 |
| 12 | | लावापुर नारायण | श्रीमती वसंती देवी | 9973317667 |
| 13 | | लावापुर महनार | श्रीमती नीतू देवी | 9801236635 |
| 14 | | अललपुर हट्टा | श्रीमती नितू देवी | 9905555148 |
| 15 | | | श्री कुशेश्वरवर पासवान | 9955562167 |
| 16 | | हसनपुर उत्तरी | श्री खुशबू सिंह | 7261893181 |
| 17 | | हसनपुर दक्षिणी | श्रीमती अंजू देवी | – |
| 18 | | | श्री लालबाबू राय | 8521041369 |
| 19 | पातेपुर | भैरोखड़ा | श्रीमती मीना देवी | 9525800107 |
| 20 | | चाँदपुर फतह | श्रीमती आशा देवी | 9771076164 |
| 21 | | चाँदपुर फतह | श्री अमरसिंह पासवान | 9939829660 |
| 22 | | हरलोचनपुर सुक्की | श्री कृष्णमोहन भारती | 9973226048 |
| 23 | | हरलोचनपुर सुक्की | श्री कुमोद रंजन झा | 9135464148 |
| 24 | | डढुआ | श्रीमती रूबी कुमारी | 9931840566 |
| 25 | | मौदह चतुर | श्री रंजीत कुमार बैठा | 9934441724 |
| 26 | | मौदह चतुर | श्रीमती सुन्दर पटेल | 9939860970 |
| 27 | | मौदह बुजुर्ग | श्रीमती रेणु देवी | 9006327201 |
| 28 | | मौदह बुजुर्ग | श्री हरेराम पंडित | 9934779501 |
| 29 | | टेकनारी | श्रीमती कल्पना देवी | 7325089795 |
| 30 | | लदहो | श्री जगदेव राम | 7079431199 |
| 31 | | गोबिन्दपुर बेला | श्रीमती सुफिया नाज | 7739929584 |
| 32 | | बलिगाँव | श्रीमती पुनम कुमारी | 9430800018 |
| 33 | | बलिगाँव | श्रीमती रेणु देवी | 9525700644 |
| 34 | | अप्रैल खुर्द | श्रीमती गीता देवी | 7250448388 |
| 35 | | बेलादरगाह | मो0 फयाज अहमद | 9431651053 |
| 36 | | बेलादरगाह | मो0 शमसीर | 9546922624 |
| 37 | | अलीनगर लेवढ़न | श्री अजय कुमार साह | 9955186691 |
| 38 | | चकजादो | श्रीमती रीना देवी | 9934294952 |
| 39 | | चकजादो | श्री रेयाज अहमद | 9934919172 |
| 40 | | बहुआरा | श्रीमती प्रमीला देवी | 8002401053 |
| 41 | | बहुआरा | श्री नथुनी साह | 9199845428 |
| 42 | | खोआजपुर वस्ती | श्री गणेश राय | 9708757314 |
| 43 | | खोआजपुर वस्ती | श्रीमती रेखा देवी | 9955287924 |
| 44 | | नीरपुर | श्रीमती पुनम देवी | 9525920952 |
| 45 | | खेसराही | श्री मच्छु सहनी | 7352437681 |
| 46 | | अ0 क्वाही | श्रीमती कौशल्या देवी | 9931791803 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | | सैदपुर डुमरा | श्रीमती कलिंदी देवी | 7779933550 |
| 48 | | सिमरवाड़ा | मो0 सलाउद्दीन | 9931028148 |
| 49 | | सिमरवाड़ा | श्री राकेश कुमार साह | 8579897366 |
| 50 | | मण्डई डीह | श्रीमती शारदा देवी | 8252088417 |
| 51 | राजापाकर | बेरई | श्रीमती सुरमिला दवी | 8083349796 |
| | | रामपुर रत्नाकर | श्रीमती अनीता देवी | 9470752280 |
| 52 | | | श्री अवधेश कुमार शर्मा | 9931287490 |
| 53 | | मीरपुर पताढ़ | श्रमती गया देवी | 8084060096 |
| 54 | | नारायणपुर बजुर्ग | श्रीमती गीता देवी | 9835050714 |
| 55 | | लगुराँव विलन्दपुर | श्रीमती विभा देवी | 9507518825 |
| 56 | | | श्रीमती उरप्रमिला देवी | 7250031908 |
| 57 | | राजापाकर उत्तरी | श्रीमती शिला देवी | 7250142267 |
| 58 | | | श्रीमती ममता कुमारी | 9955445398 |
| 59 | | राजापाकर दक्षिणी | श्रीमती लजित देवी | 7277037295 |
| 60 | | बैकुण्ठपुर | श्री गणेश साह | 8651609843 |
| 61 | | भलुई | श्री संजय पासवान | 7352517342 |
| 62 | | विशनपुर बलभद्र उर्फ गौसपुर | श्री यदूनन्दन राम | 9801135411 |
| 63 | | बखरी बराई | श्री नागेन्द्र पं0 सिंह | 9771094005 |
| 64 | | | श्री विनोद पासवान | 9771074077 |
| 65 | | जाफरपट्टी | श्रीमती संजु देवी | 8406850275 |
| 66 | | | श्री प्रेम कुमार सिंह | 9973240215 |
| 67 | | बाकरपुर | श्री रामप्रवेश राय | |
| 68 | | | श्रीमती बुधनी देवी | |
| 69 | पटेढ़ी बेलसर | साईन | श्रीमती नेहा<br>श्री मुकेश सिंह | 9934780331<br>7366999919 |
| 70 | | करनेजी | श्री ओम प्रकाश दास | 9525358555 |
| 71 | | बेलसर | श्री कमल कुमार सिंह<br>श्री गजेन्द्र सिंह | 9852512931<br>9939447561 |
| 72 | | सोरहत्था | कुमारी नीलम | 8294243537 |
| 73 | | नगवाँ | श्री मिन्टु कुमार | 9006682899 |
| 74 | | मिश्रौलिया | श्रीमती मुन्नी देवी | 9852993102 |
| 75 | | मनोरा | श्रीमती फुलमति देवी | 8969371507 |
| 76 | | चकगुलामुद्दीन | श्रीमती फुला देवी | 9135739621 |
| 77 | | जारंग रामपुर | श्रीमती ललीता देवी<br>श्री अंजनी कुमार | 9955184112<br>9801629159 |
| 78 | गोरौल | इनायतनगर | शंकर राम | 9525131729 |
| | | | सावित्री देवी | 9162810046 |
| | | कटरमाला | चन्दन कुमार पासवान | 909748037 |
| 79 | | | ललीता देवी | 9835479664 |
| 80 | | लोदीपुर | रूबी कुमारी | 9835479664 |
| | | | चन्दन पांडे | 8873355030 |
| 81 | | गोरौल भगवानपुर | मोहन प्रसाद चौरसिया | 9430115501 |
| 82 | | भुआलपुर उर्फ बहादुरपुर | अजीत कुमार | 8229846889 |
| | | भानपुर बडेवा | मुन्ना कुमार | 9835818617 |
| 83 | | | ममता कुमारी | 8084818617 |
| | | सोन्धो दुल्लाह | राजनन्दन प्रसाद यादव | 9835268699 |
| 84 | | | नीलु दवी | 9523032512 |
| 85 | | महम्मदपुर पोझा | किरण देवी | 9507939667 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | | पिरापुर मथुरा | प्रेमा कुमारी | 9835865044 |
| 87 | | इस्माईलपुर | आशा देवी–सस | 8521728879 |
| 88 | | बकसामा | निन्दा कुमारी | 9631988387 |
| | | पिरोई समसुद्दीन | संजय प्रसाद सिंह | 9472013806 |
| 89 | | | मुकेश राय | 8002833219 |
| 90 | | रूसुलपुर कोरीगांव | राजेश पासवान | 9608754132 |
| | | रूसुलपुर तुर्की | सरिता देवी | 9709326172 |
| 91 | | | धर्मशाला देवी | 8873500806 |
| | | कन्हौली विशनपरसी | अविनाश कुमार | 7366992277 |
| 92 | | | मनीष कुमार | 8294828007 |
| 93 | | कन्हौली धनराज | मुन्नी देवी | 9473224737 |

**अनुलग्नक – (79) वर्षामापन यंत्र के निगरानी कर्मचारी की संपर्क सूची :**

| क्र0 | प्रखण्ड | पर्यवेक्षक का नाम | पदनाम | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वैशाली | श्रीमती सुनीता चौधरी | महिला प्रसाद पदाकिारी | 09798410523 |
| 2 | बिदुपुर | श्री त्रिलोकीनाथ राय | प्र0प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09470831904 |
| 3 | जन्दाहा | श्री शशि कुमार | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09934750110 |
| 4 | पातेपुर | श्री महेश प्रसाद गजरे | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09430491580 |
| 5 | महुआ | श्री पिन्टु कुमार | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09504572045 |
| 6 | गोरौल | श्रीमती पुनम देवी | प्र0प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09097137284 |
| 7 | सहदेई बुजुर्ग | श्री जयदीप कुमार | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09973211353 |
| 8 | हाजीपुर | श्री अरूण कुमार पटेल | प्र0प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09430491580 |
| 9 | लालगंज | श्री सत्येन्द्र कुमार | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09572694771 |
| 10 | पटेढ़ी बेलसी | श्री दिलीप कुमार सिंह | प्र0कृ0 पदाधिकारी | 09955337075 |
| 11 | चेहराकला | श्री उपेन्द्र कुमार | प्र0कृ0 पदाधिकारी | 09709681982 |
| 12 | भगवानपुर | श्री दीनेश प्रसाद गोरवाड़ा | प्र0प्र0कृ0 पदाधिकारी | 09676797945 |
| 13 | महनार | श्री लालबाबू राम | प्र0कृ0 पदाधिकारी | 09006044987 |
| 14 | राघोपुर | श्री अखिलेश कुमार | प्र0कृ0 पदाधिकारी | 09708947875 |
| 15 | देसरी | श्री सतीश कुमार | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09709529357 |
| 16 | राजापाकड़ | मे0 सलाउद्दीन | प्र0सा0 पर्यवेक्षक | 09308119954 |

अनुलग्नक – (80) बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए जिला में उपलब्ध संसाधनों की विवरणी (2016) :

| क्र0 | अंचल | सरकारी नावों की सं0 | निजी नावों की सं0 | महाजाल | टेंट | मेडिकेशन कीट्स | FRP बोट | इनफ्लेटेबल बोट | SDRF द्वारा प्रदत्त गोताखोर | NDRF द्वारा प्रदत्त गोताखोर | पोर्टेबल इमरजेंसी लाईट 3 बैटरीज | लाईफ जैकेट | मोटर बोट चालक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | राघोपुर | 49 छोटी 10 महोली 7 बड़ी | 51 छोटी | 2 | 20 | – | 1 | – | – | 20 | – | 65 | अशोक कुमार 9097862916 |
| 2 | हाजीपुर | 7 छोटी | – | 1 | – | – | – | – | 20 | 17 | – | – | – |
| 3 | पिपुपुर | 7 छोटी 2महोली | 9 बड़ी 20महोली इंजन युक्त | 1 | 20 | – | 1 | – | – | 20 | – | 25 | बैदनाथ सिंह 9931909951 |
| 4 | महनार | 4 छोटी | 19 | 1 | – | – | – | – | – | 10 | – | 04 | – |
| 5 | सकदेई | 4 छोटी | 6 बड़ी 4 छोटी | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 04 | – |
| 6 | देसरी | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
| 7 | जन्दाहा | 9 छोटी | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
| 8 | पातेपुर | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
| 9 | लालगंज | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – |
| 10 | वैशाली | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
| 11 | सेहरौली | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
| 12 | रोसड़ा | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – |
| 13 | एरौरीगेल | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| 14 | गोरौल | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – |
| 15 | महुआ | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| 16 | भगवानपुर | | | | | | | | | 6 | | | |
| 17 | जिला मुख्यालय | – | – | – | 60 | 2229 | – | 10 (1खराब) | – | – | 1 | 84 | वकील राय 7209110540 |
| कुल– | | 83 | 109 | 5 | 100 | 2229 | 2 | 10 (1खराब) | 20 | 187 | 1 | 202 (अधिकांश लाईफजैकेट का प्रयोग नहीं होता) | 3 |

नोट– (1) 10 इनफ्लेटेबल मोटर बोट में से 9 का फ्यूल एवं एअर पाईप चूहा द्वारा काट दिया गया है जबकि 1 का इंजन खराब है। मरम्मती हेतु कंपनी को पत्र लिखा गया है।

(2) वर्ष 2014 में 85 छोटी 20 महोली एवं 3 बड़ी नाव का क्रय हेतु टेण्डर हुआ। अंतिम आपूर्तिकर्ता द्वारा 38 छोटी, 12 महोली नावों की आपूर्ति की गई है, शेष की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

(3) अधिकांश लाईफजैकेट खराब चुका है जिसके कारण वह कार्यात्मक प्रतीत नहीं होता है। वर्ष 2011–12 के उपरांत जिला को लाईफजैकेट की आपूर्ति नहीं हुई है। वर्ष 2013 के बाद में लाईफजैकेट का उपयोग हुआ था।

अनुलग्नक –(81) प्रखंडों का नक्सा–

# Map of Raghopur Block

# Map of Bidupur Block

# Map of Hajipur Block

# Map of Mahnar Block

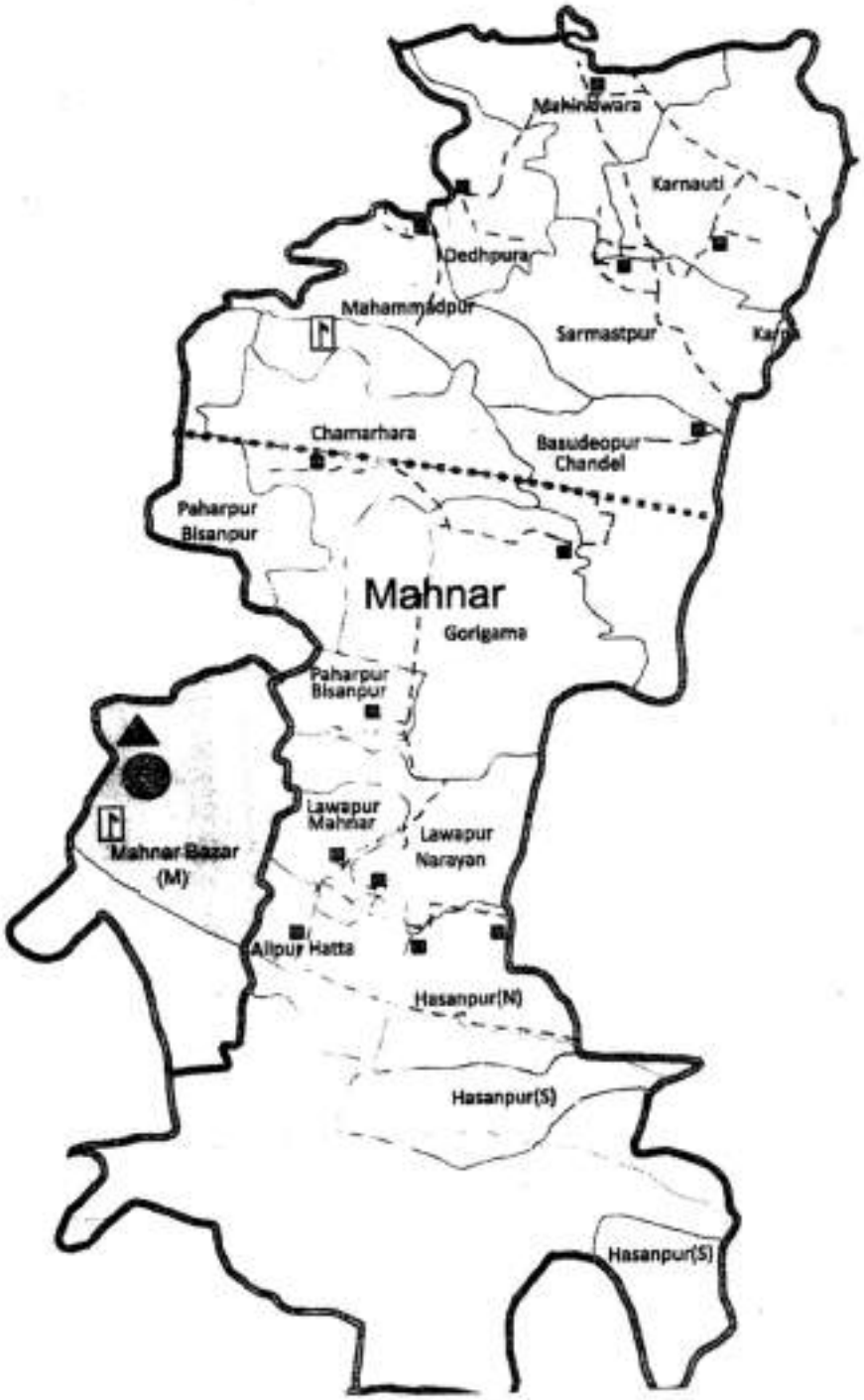

# Map of Desri Block

अनुलग्नक –(82)राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण :

| S/No. | Name of Each Equipment | AUTH | AVAIL | DEF |
|---|---|---|---|---|
| I | **CSSR EQUIPMENT** | | | |
| 1. | Generator Portable 2500 W Kerosene fuel | 78 | 65 | 13 |
| 2. | Chipping Hammer Bosch or eqpt. . 1050 W. Lmp 280/mte | 72 | 72 | - |
| 3. | Rotary rescue saw petrol driven (Partner or eqpt)100cc | 72 | 22 | 50 |
| 4. | Angle cutter (electric) Partner or epqt 2300 W 4500 – 5500 mm | 90 | 75 | 15 |
| 5. | Diamond tipoped blade (dia. 300 mm) for angle cutter | 90 | 80 | 10 |
| 6. | Composite blade Replacement for angle cutter (dia 300 mm) | 900 | 637 | 263 |
| 7. | Reciprocating saw (Hitachi, Dewalt or eqpt) 600 W 2600st/m | 72 | 60 | 12 |
| 8. | Reciprocating saw blade metal L – 150 mm 24 TPI | 720 | 720 | -- |
| 9. | Reciprocating saw blade Wood L 240 MM 5 TPI | 720 | 720 | -- |
| 10. | Circular saw (Hitachi/Dewalt or eqpt) 1800 w. 5500 rpm | 72 | 66 | 06 |
| 11. | Circular saw carbide tip blade dia 235 mm | 72 | 72 | - |
| 12. | Electric drill ( Bosch GBM 10 or eqvt) 420 W, 2200 rpm at no | 72 | 60 | 12 |
| 13. | Key hole saw complete set with 4 different sizes of saws | 72 | 65 | 07 |
| 14. | Electric drill bit set (complete set of 19 bits) | 72 | 26 | 46 |
| 15. | Rotary Hammer drill (Bosch GBH 2.24 or eqpvt) 620 W, 4850 | 72 | 66 | 06 |
| 16. | Rotary drill bit dia 200 mm, 10" long (SDS tpe of eqvt) | 72 | 65 | 07 |
| 17. | Ventilator and air tube with mortar length 7 MD 12" | 36 | 30 | 06 |
| 18. | Hydraulic jack 10 T (Gerpcruffe Sichenchrif GS/CE or eqvt) | 72 | 01 | 71 |
| 19. | Come along 1.5 T capacity with std length 1.5 M (Titan or eqvt) | 06 | 05 | 01 |
| 20. | Diamond tip replacement blade 12" for rotary rescue saw | 36 | 05 | 31 |
| 21. | Chipping Hammer Bits – flat (12"x18" dia: 19mm ) Bosch SDS | 18 | 16 | 02 |
| 22. | Chipping Hammer Bits Pointed (12"x18" dia: 19mm ) Bosch SDS | 18 | 16 | 02 |
| 23. | BA sets light weight with spare cylinders | 36 | 33 | 03 |
| 24. | Bullet chain saw | 18 | 15 | 03 |
| 25. | Distress signal unit | 216 | 180 | 36 |
| 26. | Portable shelters 10' x 14' | 36 | 30 | 06 |
| 27. | Portable shelters 10'x 23' | 36 | 35 | 01 |
| 28. | Power pack with unit tool | 18 | -- | 18 |
| 29. | PVC Suit | 36 | 34 | 02 |
| 30. | Ramset with matching foot pump | 18 | 15 | 03 |
| 31. | Inflatable Lighting Tower | 18 | 16 | 02 |
| 32. | Cordless Hammer drill | 18 | 15 | 03 |
| 33. | Drill bit set for cordless drill | 36 | 30 | 06 |
| 34. | Spare battery for cordless hammer drill | 36 | 30 | 06 |
| 35. | Gas cutter 450 mm (Heavy duty ) | 18 | 18 | -- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36. | Gas cutter/ regulator | 18 | 18 | -- |
| 37. | LPG Cylinder /Acetylene cylinder | 36 | 30 | 06 |
| [illegible] | Oxygen cylinder 30 – 35 Kgs | 36 | 30 | 06 |
| 39. | Rubber pipe Dupone type | 18 | 18 | -- |
| 40. | Air lifting bag set with ari cylinder | 06 | 05 | 01 |
| 41. | Combination Cutter With Spreader | 06 | 05 | 01 |
| 42. | Diamond chain saw | 06 | 06 | - |
| 43. | Hand Held Gas Detector | 12 | -- | 12 |
| 44. | Floating pump | 06 | 05 | 01 |
| 45. | Hammer drill concrete | 06 | 05 | 01 |
| 46. | Portable Light weight high Pressure Pump | 06 | -- | 06 |
| 47. | Multi cable winch | 06 | 05 | 01 |
| 48. | Portable generator set 10.5 KVA | 06 | 06 | -- |
| 49. | Victim location unit ( with breeching system) | 06 | 05 | 01 |
| 50. | Base station with essentials accessories (25 watts) | 24 | -- | 24 |
| 51. | Leak tester for testing respiratory eqpts | 01 | 01 | - |
| 52. | Thermal Imaging camera | 02 | 02 | - |
| 53. | Life Detector Type-I | 02 | 03 | - |
| 54. | Life Detector Type-II | 02 | 02 | - |
| 55. | Video camera with accessories | 03 | 03 | - |
| 56. | Petrol operated Wood/ Tree cutter | - | 04 | - |
| 57. | Portable Generator EU 701SN RDT | - | 05 | - |
| 58. | Water Jet blankets (8'x6') | 12 | | 12 |
| II | **MFR &AMBULANCE EQUIPMENT** | | | |
| 1. | Portable Ultra Sound Machine | 01 | - | 01 |
| III | **[illegible] EQUIPMENT** | | | |
| 1. | Teletector | 12 | 12 | - |
| 2. | Gm survey meter | 36 | 36 | - |
| 3. | Contamination monitor | 36 | 36 | - |
| 4. | Mini rod meter | 12 | 12 | - |
| 5. | Portable alpha contamination monitor | 06 | 07 | - |
| 6. | Electronic dosimeter | 279 | 276 | 03 |
| 7. | Beta gamma counting system | 02 | 01 | 01 |
| 8. | Alpha counting system | 01 | - | 01 |
| 9. | Micro survey paper/meter | 12 | 12 | - |
| 10. | Breathing apparatus set with spare cylinders | 12 | 12 | - |
| 11. | Integrated hood mask | 18 | 06 | 12 |
| 12. | Respirator (gas mask) with 2 canisters | 270 | 111 | 159 |
| 13. | Butyl rubber gloves (inner & outer) | 270 | 31 | 239 |
| 14. | NBC over boots | 270 | 107 | 163 |
| 15. | Water poison detection kit | 06 | 04 | 02 |
| 16. | Residual vapour detection kit | 06 | 06 | - |
| [illegible] | [illegible] colour detection paper | 270 | 253 | 17 |
| 18. | Personal decontamination kit | 270 | 98 | 172 |
| 19. | NBC first aid kit Type'A' | 24 | - | 24 |
| 20. | NBC first aid kit Type 'B' | 04 | - | 04 |
| 21. | Portable decontamination apparatus | 12 | 15 | - |
| 22. | Resuscitator | 36 | 18 | 18 |
| 23. | Portable gamma spectrometer | 01 | - | 01 |
| 24. | C W sampling kit | 08 | 08 | - |
| 25. | Decontamination | 06 | - | 06 |
| 26. | NBC suits permeable | 125 | 105 | 20 |
| 27. | NBC suits impermeable | 72 | 01 | 71 |
| 28. | Multi gas detector | 02 | - | 02 |
| 29. | 'A' level suits | 12 | 04 | 08 |
| 30. | Latex gloves (pairs) | 432 | 382 | 50 |
| | | | | |
| IV | **WATER RESCUE EQUIPMENT** | | | |

अनुलग्नक–(83) राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के पास उपलब्ध विभिन्न मशीन उपकरण

**LIST OF DISASTER MANAGEMENT EQUIPMENTS**

**Medical First Responder (MFR)**

## LIST OF DISASTER MANAGEMENT EQUIPMENTS
## Medical First Responder (MFR)

| क्र॰सं॰ | सामग्री का नाम | आवश्यकता | उपलब्ध | शेष की जरूरत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bite Sticks | 90 | 30 | 60 |
| 2 | Blood Pressure Cuff With Dial | 90 | 30 | 60 |
| 3 | Collar Stiff Neck Short | 144 | 48 | 96 |
| 4 | Collar Stiff Neck Regular | 144 | 48 | 96 |
| 5 | Collar Stiff No Neck | 144 | 48 | 96 |
| 6 | Collar Stiff Neck Paediatrics | 144 | 48 | 96 |
| 7 | Collar Stiff Neck Tall Imported | 144 | - | 144 |
| 8 | Pocket Mask (Cpr) (Microshield) | 90 | 30 | 60 |
| 9 | Dressing abdominal 7-12” | 72 | 24 | 48 |
| 10 | Gauze Dressing Vaseline | 216 | 72 | 144 |
| 11 | Glasses Eye Protection | 900 | - | 900 |
| 12 | Dressing multi trauma 12”x3” | 180 | - | 180 |
| 13 | Obstetrical Kit Disposable | 180 | 24 | 156 |
| 14 | Pen Light | 100 | 30 | 70 |
| 15 | Regular Oxygen Lsp # 170-02 Withlight Weight Cylinder (6”Ltrs) | 90 | 30 | 60 |
| 16 | Restrain Patient- 1pc 8”Strap | 144 | - | 144 |
| 17 | Restrain Patient- 2pc 8”Strap | 144 | - | 144 |
| 18 | Scissors Paramedical | 90 | 30 | 60 |
| 19 | Stethoscope | 90 | 30 | 60 |
| 20 | Sponge Sterile 4x4” | 10800 | 3600 | 7200 |
| 21 | Tape Dermical/Cloth 1” | 432 | 144 | 288 |
| 22 | Tape Dermical Cloth 2” | 648 | 216 | 432 |
| 23 | Wooden Spine Board Ful And Half With Velero | 90 | - | - |
| 24 | Kit Carrying Bag Nylon | 90 | 30 | 60 |
| 25 | Full Kit Bag Hard | 18 | 18 | - |
| 26 | Band Aid 1”X3”(Pkts) | 180 | - | 180 |
| 27 | Bandage Kling 6”(5m Roll) | 864 | 216 | 648 |
| 28 | Bandage Kling 3”(5m Roll) | 864 | 216 | 648 |
| 29 | Bandage Triangular 40”x40” | 864 | 288 | 576 |
| 30 | Cup Paper Hot/Cold 8 Ounce | 360 | - | 360 |
| 31 | Depressor- Tongue | 90 | 30 | 60 |
| 32 | Gloves Sterile Latex Medium | 1800 | 600 | 1200 |
| 33 | Gloves Sterile Latex Large | 5400 | 1800 | 3600 |
| 34 | Gloves Sterile Latex X Large | 5400 | 1800+790 | 2590 |
| 35 | Mask Oxygen Adult Non Re-Brether Universal Size | 180 | 60 | 120 |
| 36 | Mask Oxygen Paediatric Non Re-Brething Universal Size | 180 | 60 | 120 |
| 37 | Mask Universal Size | 1800 | 3000 | - |
| 38 | Oxygen Cannula Nasal | 90 | 30 | 60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Triage Ribbon Green (50m Roll) Tape | 72 | 24 | 48 |
| 40 | Triage Ribbon Red (50m Roll) Tape | 72 | 24 | 48 |
| 41 | Triage Ribbon Black(50m Roll) Tape | 72 | 24 | 48 |
| 42 | Triage Ribbon Yellow (50m Roll) Tape | 72 | 24 | 48 |
| 43 | Bandage Elastic 3” Ace (2.7 M) | 648 | 216 | 432 |
| 44 | Bandage Elastic 6” Ace (2.7 M) | 648 | 216 | 432 |
| 45 | Padded Board Splint (Wooden) Short | 180 | 180 | - |
| 46 | Padded Board Splint (Wooden) Medium | 180 | 180 | - |
| 47 | Padded Board Splint (Wooden) Large | 180 | 180 | - |
| 48 | Menkin Face Shield 100 Cc/Pkt | 54 | 18 | 36 |
| 49 | Bag Value Mask- Adult (Disposable) | 90 | 06 | 84 |
| 50 | Bag Value Mask- Child (Disposable) | 90 | 30 | 60 |
| 51 | Flexible Splint (Large/Medium/Small) | 216 | 216 | - |
| 52 | Peneumatic Spling Set | 36 | 36 | - |
| 53 | Portabe Suction Equipment | 02 | 01 | 01 |
| 54 | Mannual Suction Unite | 02 | 06 | - |
| 55 | Infantry Pack (Cpr Manikin) 05 Pcs With Lugs Pag | 06 | 06 | - |
| 56 | Sqiardrpm Plus (Cpr Mannikin) 05 Pcs | 06 | 06 | - |
| 57 | Ob Manikin | 01 | 06 | - |
| 58 | Stetho Scope | 25 | 30 | - |
| 59 | BP Apparatus Digital | 19 | 06 | 13 |
| 60 | BP Apparatus Mercury | 25 | 12 | 13 |
| 61 | Oxygen Cylinder 680 ltr. | 19 | 19 | - |
| 62 | Thermometer Digital | 78 | 24 | 54 |
| 63 | Otoscope & Nasal Speculum | 19 | 06 | 13 |
| 64 | Autoclave | 19 | 06 | 13 |
| 65 | Bag Value Mask Adult (Silicon) | 19 | 06 | 13 |
| 66 | Bag Value Mask Child (Silicon) | 19 | 06 | 13 |
| 67 | Bag Value Mask Infant (Silicon) | 19 | 16 | 13 |
| 68 | Sterilizing Drum | 19 | 06 | 13 |
| 69 | Torch | 78 | 24 | 54 |
| 70 | Glucometer | 19 | 06 | 13 |
| 71 | Emergency Tray With Lid SS | 19 | 06 | 13 |
| 72 | Tray With Lid SS | 38 | 12 | 26 |
| 73 | Artery Forceps Steraight | 76 | 24 | 52 |
| 74 | Artyry Forceps Curved | 114 | 36 | 78 |
| 75 | Cheatles Forceps | 19 | 06 | 13 |
| 76 | Kidney Tray SS | 38 | 12 | 26 |
| 77 | Urine Can SS | 38 | 12 | 26 |
| 78 | Bowl SS Small | 19 | 06 | 13 |
| 79 | Stretcher/Spine Board With Accessories | 147 | 147 | - |
| 80 | Laryngoscope | 38 | 12 | 26 |
| 81 | Plier 8” | 72 | 24 | 48 |
| 82 | Chisel for Concrete ½” | 72 | 24 | 48 |
| 83 | Chisel for Concrete 1” | 72 | 24 | 48 |
| 84 | Spades | 180 | 60 | 120 |
| 85 | Round Shovel 8x8” | 72 | 24 | 48 |
| 86 | Spade Shovel 12x10” | 72 | 24 | 48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Screw Driver Set | 72 | 24 | 48 |
| 88 | Hacksaw 12”Tubular With Blade | 72 | 24 | 48 |
| 89 | Hand Saw | - | 02 | - |
| 90 | Tin Snip 12” | 72 | 24 | 48 |
| 91 | Sledge Hammer 7kg | 144 | 35 | 109 |
| 92 | Sledge Hammer 10kg | 144 | 35 | 109 |
| 93 | File Flate 12” | 72 | 24 | 48 |
| 94 | Carpenter Hammer 3” | 144 | 48 | 96 |
| 95 | Extension Cord | 72 | 72 | - |
| 96 | Dust Mask | 1800 | 600 | 1200 |
| 97 | Mega Phone | 72 | 72 | - |
| 98 | Angle Cutter | 90 | 90 | - |
| 99 | Diamond Tipped Blade For Angle Cutter | 90 | 90 | - |
| 100 | Composite Blade For Angle Cutter | 900 | 900 | - |
| 101 | R.P. Saw | 72 | 72 | - |
| 102 | R.P. Saw Hlade For Mettle | 720 | 720 | - |
| 103 | R.P. Saw Hlade For Wood | 720 | 720 | - |
| 104 | Circular Saw | 72 | 72 | - |
| 105 | Circular Saw Carbide Blade | 72 | 72 | - |
| 106 | Electric Drill Machine | 72 | 24 | 48 |
| 107 | Key Hall Saw Complete Set | 72 | 24 | 48 |
| 108 | Electric Drill Bit Set | 72 | 24 | 48 |
| 109 | Rotary Hammer Drill | 72 | 72 | - |
| 110 | Hydrolic Jack | 18 | 18 | - |
| 111 | Come Along 1.5 T | 18 | 06 | 12 |
| 112 | Diamond Tip Replacement Blade 12” for R.P. Saw | 36 | 12 | 24 |
| 113 | Chipping Hammer Bits Flat | 18 | 12 | 06 |
| 114 | Chipping Hammer Bits Pointed | 18 | 12 | 06 |
| 115 | Safety Vest | 72 | 274 | +202 |
| 116 | Scene Tap 100m Roll | 72 | 02 | 70 |
| 117 | Hack Saw Replacement Blade 12”L | 72 | 24 | 48 |
| 118 | Ear Plug | 3600 | 1200 | 2400 |
| 119 | Knee Pad Cusion 1” | 144 | 144 | - |
| 120 | Heavy Duty Work Gloves | 144 | 48 | 96 |
| 121 | Fire Extinguisher 20 LBS | 72 | 72 | - |
| 122 | Tarpaulin 4”x4” | 144 | 144 | - |
| 123 | Tarpaulin 6”x6” | 144 | 144 | - |
| 124 | Nose Mask | 1800 | 600 | 1200 |
| 125 | Traffic Cones | 90 | 30 | 60 |
| 126 | Face Shield | 72 | 18 | 54 |
| 127 | Generator Portable 2500w Kerosene Fuel | 78 | 24 | 54 |
| 128 | Chipping Hammer Mdm Weight | 72 | 56 | 16 |
| 129 | Personal Diving Kit | 12 | 12 | - |
| 130 | High Pressure Breathing Air Compressor | 02 | 02 | - |
| 131 | Electric Blower | - | 06 | - |
| 132 | Whishel Set | - | 250 | - |
| 133 | Full Kit Bag Hard | - | 18 | - |
| 134 | Safety Helmet | 82 | 274 | 548 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Bullet Chin Saw | 18 | 18 | - |
| 136 | Inflatable Lighting Tower | 18 | 18 | - |
| 137 | Cordless Hammer Dril | 18 | 06 | 12 |
| 138 | Drill Bit Set For Cordless Srill | 36 | 12 | 24 |
| 139 | Spare Battery For Cordless Hammer Drill | 36 | 12 | 24 |
| 140 | Combination Cutter With Spreaders | 06 | 06 | - |
| 141 | Portable Light Weight High Pressure Pump | 06 | 06 | - |
| 142 | Multi Cable Winch | 06 | 06 | - |
| 143 | Generator Portable Set 10 Kva Silent Type | 06 | 02 | 04 |
| 144 | Video Camera With Accessories | 03 | 01 | 02 |
| 145 | Diamond Chain Saw With 16”Guide Bar And Chain | 06 | 03 | 03 |
| 146 | Replacement 16”Dia Diamond Tipped Blade | - | 36 | - |
| 147 | Chipping Hammer Heavy Duty | - | 18 | - |
| 148 | Chipping Hammer Heavy Duty Bit Flat | - | 02 | - |
| 149 | Chipping Hammer Heavy Duty Bit Pointed | - | 02 | - |
| 150 | Boat | - | 73+ (3 Trai..) | 76 |
| 151 | OBM | - | 73+ (3 Trai..) | 76 |
| 152 | Replacement 16”Diamaond Tipped Blade | - | 36 | - |
| 153 | Drill Bits For Rottary Hammer | - | 24 | - |
| 154 | Tower Light | - | 18 | - |

अनुलग्नक–(84) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना– 800001

विषय :– आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मुखिया एवं सरपंच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।
जिला :– वैशाली
दिनांक :– 10–11 मई, 2018

मास्टर ट्रनर्स की सूची

| क्र0 सं0 | प्रखण्ड का नाम | नाम (Name) | पदनाम (Designation) | पंचायत का नाम (Name of Panchayat) | मोबाईल नं0 (Mobile Number) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजापाकर | श्री कैलाश राय | मुखिया | मतुई | 9973127676 |
| 2 | राजापाकर | श्री नागेन्द्र राय | सरपंच | मतुई | 9931459165 |
| 3 | लालगंज | श्री मनोज कुमार | मुखिया | शीतल मधुटहर | 9832448865 |
| 4 | लालगंज | श्री दिग्विजय औरसिया | सरपंच | बसाता जहानाबाद | 9234688748 |
| 5 | पातेपुर | श्री दिलीप कुमार | मुखिया | टेकनारी | 8621072116 |
| 6 | पातेपुर | सैयद एकबाल | सरपंच | टेकनारी | 9939892397 |
| 7 | सहदेई बुजूर्ग | श्री राम प्रवेश सिंह | सरपंच | नवानौर चूरी | 6202675007 |
| 8 | सहदेई बुजूर्ग | श्री अनन्त कुमार | मुखिया | नवानौर चूरी | 9801236344 |
| 9 | भेहरा कलां | श्री विजय भगत | मुखिया | मधना मिश्रि | 9801409638 |
| 10 | भेहरा कलां | श्री लालदेव भक्त | सरपंच | मधना मिश्रि | 9955653767 |
| 11 | महनार | श्री राम भजन साह | सरपंच | अल्लीपुर हट्टा | 9798700018 |
| 12 | गोरौल | श्री रवि | मुखिया | मानपुर बड़ेवा | 7294991411 |
| 13 | गोरौल | श्री राज कुमार चौधरी | सरपंच | लोदीपुर | 8092889374 |
| 14 | राघोपुर | श्री विनय भूषण | मुखिया | मोहनपुर | 9934606400 |
| 15 | बिदुपुर | अजय कुमार यादव | मुखिया | मंडौली | 6294633750 |
| 16 | बिदुपुर | विनोद कुमार सिंह | सरपंच | रजासन | 9470636438 |
| 17 | हाजीपुर | प्रमोद कुमार राय | सरपंच | अपरघाड़ा | 7250140051 |
| 18 | हाजीपुर | आलोक चन्द्र राय | मुखिया | दौलतपुर देवरिया | 9470750079 |
| 19 | जन्दाहा | रत्नेश कुमार सिंह | मुखिया | महिसौर | 9122011260 |

| क्र0 सं0 | प्रखण्ड का नाम | नाम (Name) | पदनाम (Designation) | पंचायत का नाम (Name of Panchayat) | मोबाईल नं0 (Mobile Number) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | जन्दाहा | श्री गामा सिंह | सरपंच | जन्दाहा | 980149981 |
| 21 | महुआ | श्री राज कुमार रजक | सरपंच | लक्ष्मी नारायणपुर | 9934359288 |
| 22 | पटेढ़ी बेलसर | श्रीमती सीता देवी | सरपंच | जारंग रामपुर | 9973622320 |
| 23 | महनार | मुकेश कुमार सिंह | मुखिया | हसनपुर दक्षिणी | 7739652044 |
| 24 | वैशाली | बसंत कुमार ऋतुराज | सरपंच | चकअलहदाद | 9973253769 |
| | 17–18 मई 2018 (जो दिनांक 10–11 मई 2018 को अनुपस्थित थे) | | | | |
| 25 | भगवानपुर | श्री विद्यानंद सिंह | सरपंच | प्रतापटोंड पूर्वी | 9507362835 |
| 26 | भगवानपुर | श्री नरेश कुमार | मुखिया | रघुनाथपुर इमादपुर | 9431267119 |
| 27 | राघवपुर | श्री अवधेश राय | सरपंच | मोहनपुर | 9576799060 |
| | 17–18 मई 2018 (जो दिनांक 10–11 मई 2018 को अनुपस्थित थे) | | | | |
| 28 | वैशाली | श्री शम्भु कुमार राय | मुखिया | चकअलहदाद | 8084654494 |
| | 16–17 अगस्त 2018 (जो दिनांक 10–11 मई 2018 को अनुपस्थित थे) | | | | |
| 29 | देसरी | श्री दिपनारायण पासवान | सरपंच | जफराबाद | 9939608200 |
| 30 | पटेढ़ी बेलसर | श्रीमती सुनील सिन्हा | मुखिया | जरंगरामपुर | 7352334601 |
| 31 | पटेढ़ी बेलसर | श्री शम्भु राय | सरपंच | सोरहत्था | 9973610021 |
| 32 | देसरी | श्री सुबोध कुमार ठाकुर | मुखिया | रसुलपुर हबीब | 7654934125 |

20/8/18

**अनुलग्नक – (85) जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य :**

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत इनका विस्तृत उल्लेख है। आपदा का निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी कालखंड में इनको प्रदत्त शक्तियाँ तथा कृत्य को नीचे वर्गीकृत किया गया है।

**(क) आपदा निवारण एंव शमन काल धारा 30 की उपधारा –**

(v) विभिन्न जिलास्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जा आवश्यक हो ;

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ;

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा ;

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा ;

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा ;

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा ;

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जाँच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसी सन्निर्माण के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो निदेश दे सकेगा ;

**(ख) पूर्व तैयारी धारा 30 की उपधारा –**

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलाकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हो ;

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंद्ध विभागों या संबंद्ध प्राधिकारियों को जहाँ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा ;

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकत्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा ;

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुलभ बना सकेगा ;

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना का प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा ;

(xv) जिला स्तर पर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा ;

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना का अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें ;

(xviii) जिला स्तर पर संबंद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा ;

(ग) आपदा मोचन काल धारा 30 की उपधारा –

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा ;

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा ;

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा ;

अनुलग्नक – (86) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में संपर्क कार्यक्रम के आधार पर उपलब्ध संसाधन :

| प्रखण्ड | पंचायत | विद्यालय | महाविद्यालय | अस्पताल | पंचायत भवन | अन्य भवन | ऊँचा चबुतरा | ऊँची सड़क | ऊँचा चापाकल | संचार के साधन | सरकारी वाहन | नाव/मोटर वोट | जनवितरण दुकान | क्रेन | जे0सी0बी0 | मिड डे मील केन्द्र | ट्रैक्टर | टेन्ट हाउस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन्दाहा | महेसौर | 10 | – | 01 | 01 | 01 | – | & | | मोब. | – | – | 05 | – | 01 | 01 | 50 | – |
| | हजरत जन्दाहा | 10 | – | – | 01 | – | – | – | | मोब. | – | – | 05 | – | – | 07 | 01 | – |
| पटेढ़ी बेलसर | नगवां | 07 | – | 01 | – | 04 | – | – | | मोब. | 01 | 04 | 06 | – | – | 11 | 10 | – |
| राजापाकड़ | जाफरपट्टी | 12 | – | 01 | – | 01 | – | NH–103 | | मोब. | 01 | 14 | 03 | – | – | 07 | 14 | 04 |
| गोरौल | कटरमाला | 09 | – | – | 01 | 01 | – | NH 77 | | मोब. | 02 | – | 04 | – | – | 06 | 07 | – |
| सहदेई बुजुर्ग | सहदेई बुजर्ग | 07 | 01 | – | – | – | – | – | | मोब. | – | – | 06 | – | 01 | 07 | 60 | – |
| देसरी | जहाँगीरपुर धाम | 08 | – | 03 | – | 04 | 01 | – | 25 | मोब. | – | 04 | 03 | – | – | – | 20 | – |
| विदुपुर | सैदपुर गणेष | 06 | 01 | – | 01 | 01 | – | – | 10 | मोब | – | – | 03 | 02 | 10 | | 30 | – |
| लालगंज | बसंता जहानाबाद | 06 | – | – | 01 | 03 | – | – | – | मोब | – | – | 04 | – | – | 06 | 32 | – |
| महुआ | रसुलपुर मघौल | 07 | 01 | 01 | 01 | 02 | – | – | – | मोब | – | – | 07 | – | 02 | 05 | 25 | – |
| चेहरा कलॉ | मसुरपुर इलैया | 07 | – | 01 | 01 | 02 | – | – | – | मोब | – | – | 03 | – | 02 | 07 | 50 | – |
| भगवानपुर | कीरतपुर राजाराम | 04 | 01 | 01 | 01 | – | – | NH-77 | – | मोब | – | – | 05 | – | – | 04 | 50 | – |
| हाजीपुर | कर्णपुरा | 08 | – | 01 | 01 | 01 | 01 | – | – | मोब | – | 20 | 06 | – | – | 07 | 125 | – |
| महनार | हसनपुर दक्षिणी | 06 | – | 01 | – | – | – | SH93 | – | मोब | – | 01 | 06 | – | – | 06 | 20 | – |
| | अलीपुर हट्टा | 07 | – | 01 | 01 | 01 | 20 | SH 93 | – | मोब | – | 03 | 09 | – | – | 07 | 15 | 03 |

अनुलग्नक – (87) पंचायतों में उपलब्ध मानव संसाधन :

| प्रखंड | पंचायत | डॉक्टर | भूतपूर्व सैनिक | षिक्षक | नल मिस्त्री | बिजली मिस्त्री | नर्स | राजमिस्त्री | एन.सी.सी. | नागरिक सुरक्षा | नाविक | मैकेनिक | किसान सलाहकार | आषा | आंगनवाणी सेविका | विकास मित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन्दाहा | महेसौर | 01 | 05 | 46 | 04 | 02 | 01 | 50 | 40 | 50 | 10 | – | 10 | 08 | 08 | 01 |
| | हजरत जन्दाहा | 20 | 10 | 100 | – | 05 | 01 | 25 | – | – | – | 10 | 01 | 12 | 08 | 01 |
| पटेढ़ी बेलसर | नगवां | – | 10 | 40 | 01 | 02 | 01 | 100 | 10 | – | 10 | 06 | 01 | 08 | 07 | 01 |
| राजापाकड़ | जाफरपट्टी | – | 10 | 55 | 06 | – | 03 | 200 | 05 | – | 60 | 03 | 01 | 07 | 09 | 01 |
| गोरौल | कटरमाला | – | 10 | 40 | 10 | 10 | – | 100 | – | – | 100 | 10 | 01 | 14 | 15 | 01 |
| सहदेई बुजुर्ग | सहदेई बुजुर्ग | 01 | 05 | 35 | 10 | 12 | – | 50 | – | – | – | 10 | 01 | 08 | 08 | 01 |
| देसरी | जहाँगीर पुर धाम | – | – | 10 | – | 05 | 03 | 25 | – | – | 03 | – | 01 | 08 | 08 | 01 |
| विदुपुर | सैदपुर गणेष | – | 05 | 22 | – | – | – | 50 | – | – | – | 50 | – | 05 | 11 | 01 |
| लालगंज | बसंता जहानाबाद | – | 15 | 41 | 03 | 16 | 02 | 50 | – | – | 250 | 10 | 01 | 09 | 08 | 01 |
| महुआ | रसुलपुर मघौल | 04 | 02 | 35 | 01 | 04 | 01 | 20 | – | – | – | 10 | 01 | 12 | 11 | 01 |
| चेहराकलॉ | मसुरपुर इलैया | 06 | 01 | 30 | 05 | 02 | 01 | 50 | – | – | – | 10 | 01 | 06 | 07 | 01 |
| भगवानपुर | कीरतपुर राजाराम | 04 | 05 | 30 | 10 | 15 | 01 | 50 | 02 | – | 100 | 20 | 01 | 09 | 09 | 01 |
| हाजीपुर | कर्णपुरा | 06 | 15 | 35 | 20 | 20 | – | 200 | 10 | – | 150 | 10 | 01 | 25 | 14 | 01 |
| महनार | हसनपुर दक्षिणी | – | 20 | 20 | – | – | 01 | 10 | – | – | 10 | 02 | 01 | 05 | 05 | 01 |
| | अलीपुर हट्टा | – | 50 | 50 | 01 | 05 | 01 | 200 | 50 | – | 10 | 05 | 01 | 14 | 08 | 01 |

अनुलग्नक – (88) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में आपदा चिह्निकरण :

| प्रखंड | पंचायत | बाढ़ | भूकम्प | सुखा | चक्रवात | ओलावृष्टि | आग | औद्योगिक दुर्घटना | सड़क दुर्घटना | नीलगाय/सुअर | जल प्रदूषण | बिमारी | नक्सलबाद | डूबना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन्दाहा | महसौर | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | C,Fe,Ar | | ✓ | ✓ |
| | हजरत जन्दाहा | | ✓ | ✓ | | | बिजली एवं घरेलू आग | | ✓ | | Fe,F1, Ar | | | |
| पटेढ़ी बेलसर | नगवां | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | Fe | चेचक मलेरिया | | |
| राजापाकड़ | जाफरपट्टी | ✓ | ✓ | ✓ | | | बिजली | | ✓ | ✓ | Fe | | | |
| गोरौल | कटरमाला | ✓ | ✓ | ✓ | | | बिजली एवं घरेलू आग | | ✓ | ✓ | Fe | | | |
| सहदेई बुजुर्ग | सहदेई बुजुर्ग | ✓ | ✓ | ✓ | | | बिजली एवं घरेलू आग | | ✓ | ✓ | | | | |
| देसरी | जहाँगीर पुर धाम | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | चेचक | | |
| बिदुपुर | सैदपुर गणेश | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| लालगंज | बसंता जहानाबाद | कटाव | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| महुआ | रसुलपुर मघौल | | ✓ | ✓ | | | बिजली एवं घरेलू आग | | | | | | | |
| चेहरा कलॉ | मसुरपुर इलैया | | ✓ | ✓ | | | बिजली एवं घरेलू आग | | ✓ | ✓ | Fe | | | |
| भगवानपुर | कीरतपुर राजाराम | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| हाजीपुर | कर्णपुरा | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| महनार | हसनपुर दक्षिणी | ✓ | ✓ | ✓ | | | थ्रेसर | | ✓ | ✓ | Fe Ar | | | ✓ |
| | अलीपुर हट्टा | ✓ | ✓ | ✓ | | | बिजली एवं घरेलू आग | | ✓ | ✓ | Fe | फायलेरिया आँख | | ✓ |
| **कुल** | | **10** | **15** | **14** | **03** | **03** | **10** | **01** | **11** | **11** | **08** | **03** | **01** | **03** |

**मुख्य आपदाएँ** :भूकंप, सुखा, सड़क दुर्घटना, बाढ़, अग्नि, नीलगाय/सुअर और पीने का पानी आदि।

अनुलग्नक – (89) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में खतरा, उत्पन्न करने वाले कारक :

| बाढ़ | सूखा | आग | सड़क दुर्घटना | डूबना |
|---|---|---|---|---|
| बाया नदी | औसत से कम वर्षा | फुस का मकान | गाड़ी की संख्या बढ़ी | |
| | औसत से कम वर्षा | फूस का मकान, बिजली | अनियंत्रित गाड़ी, रोड पर वसावट, तीखा मोड़ | |
| | औसत से कम वर्षा | फूस का मकान | | |
| | औसत से कम वर्षा | फूस का मकान, फसल | | |
| बाया नदी | औसत से कम वर्षा | फसल, फूस का मकान, बिजली 11000 वोल्ट | | |
| बाया नदी/ अतिवृष्टि | औसत से कम वर्षा | फूस खाना बनाने में | पटना, मुजफ्फरपुर एन.एच. पर घेराबंदी करने के कारण | |
| गंगा सुरक्षा बांध | गेट खुलने से, औसत से कम वर्षा | बिजली 11000 वोल्ट फूस का मकान | तीखा मोड़ | |
| सड़क टूटना, गंगा नदी ओभर फ्लो | औसत से कम वर्षा | फसल में बीड़ी आदि | तीखा मोड़ | |
| गंडक, गंगा | औसत से कम वर्षा | | स्पीड ज्यादा, सड़क पर बसावट | |
| गंडक कटाव, तटबंध का टूटना | औसत से कम वर्षा | | बालू ढुलाई, सड़क कम चौड़ा | बच्चो की असावधानी |
| | औसत से कम वर्षा | असावधानी फूस का मकान | | |
| | औसत से कम वर्षा | फूस का मकान बनाने में | असावधानी, रफ्तार तेज, सड़क हादसा | |
| | औसत से कम वर्षा | | | |
| गंगा, गंडक नदी का मिलन स्थल गंगा/ गंडक | औसत से कम वर्षा | बीड़ी/थ्रेसर से | तीखा मोड़ के कारण | खरा घाट |
| गंगा नदी | औसत से कम वर्षा | असावधान, फूस का मकान | चौड़ाई कम एवं सड़क पर बसावट | खरा घाट |

अनुलग्नक – (90) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में संपर्क कार्यक्रम के आधार पर संवेदनशीलता :

| प्रखण्ड | पंचायत | बाढ़ | भूकम्प | सूखा | चक्रवात | ओलावृष्टि | आग | सड़क दुर्घटना | नीलगाय / सुअर | जल प्रदूषण | बिमारी | नक्सलबाद | डूबना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जन्दाहा | महसौर | डूबना / फसल | मकान | फसल पशु मानव | झोपड़ी छत फसल | X | झोपड़ी फूस | व्यक्ति | फसल | मानव | X | मानव संपति | आदमी |
| | हजरत जन्दाहा | – | मकान | मानव फसल पशु | झोपड़ी छत फसल | फसल | फसल झोपड़ी फूस | व्यक्ति | – | मानव | – | – | – |
| पटेढ़ी बेलसर | नगवां | – | मकान | मानव फसल पशु | – | – | – | – | फसल | मानव | मानव | – | – |
| राजापाकड़ | जाफरपट्टी | फसल | मकान | मानव फसल पशु | – | – | फसल | व्यक्ति | फसल | मानव | – | – | – |
| गोरौल | कटरमाला | फसल | मकान | मानव फसल पशु | – | – | संपति पशु | व्यक्ति | फसल | मानव | – | – | – |
| सहदेई बुजुर्ग | सहदेई बुजुर्ग | फसल | मकान | मानव फसल पशु | – | – | संपति फसल पशु | व्यक्ति | फसल | – | – | – | – |
| देसरी | जहाँगीर पुर | फसल | मकान | फसल पशु | – | – | फसल | | फसल | – | मानव | – | – |
| विदुपुर | सैदपुर गणेश | –रीब | मकान | फसलपशु | झोपड़ी | फसल | – | आबादी | – | – | – | – | – |
| लालगंज | बसंता जहानाबाद | कटाव | मकान | फसल पशु | – | – | – | व्यक्ति | फसल | – | – | – | – |
| महुआ | रसुलपुर मघौल | – | मकान | फसल पशु | – | – | मकान फूस | – | – | – | – | – | – |
| चेहराकलॉ | मसुरपुर इलैया | – | मकान | फसल पशु | – | – | झोपड़ी | व्यक्ति | – | मानव | – | – | – |
| भगवानपुर | कीरतपुर राजाराम | – | मकान | फसल पशु | – | – | व्यक्ति | फसल | – | – | – | – | – |
| हाजीपुर | कर्णपुरा | नीचला | मकान | – | झोपड़ी छत | फसल | – | – | – | – | – | – | – |
| महनार | हसनपुर दक्षिणी | फसल मवेशी | मकान | फसल पशु | – | – | झोपड़ीफसल | व्यक्ति | फसल | मानव | – | – | मानव |
| | अलीपुर हट्टा | फसल | मकान | फसल पशु | – | फसल | मकान मवेशी फूस | व्यक्ति | फसल | मानव | मानव | – | मानव |

अनुलग्नक – (91) सर्वेक्षण आधारित 5% पंचायतों में संवेदनशीलता, भवनो की प्रकृति (जातिवार एवं वर्गवार) :

| प्रखंड | जन्दाहा | जन्दाहा | पटेढ़ी बेलसर | राजापाकड़ | गोरौल | सहदेई बुजुर्ग | देषरी | विदुपुर | लालगंज | महुआ | चेहरा कलाँ | भगवानपुर | हाजीपुर | महनार | महनार | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पंचायत | महसार | हजरत | नगवा | जफरपट्टी | कटरमाला | सहदई बुजुर्ग | जहागीरपुर | सैदपुर गणेष | बसंता जहानाबाद | रसुलपुर मधौल | मसुरपुर इलैया | वीरतपुर राजाराम | कर्णपुरा | हसनपुर दक्षिणी | अलीपुर हट्टा | |
| पक्का | 600 | 750 | 500 | 500 | 1500 | 800 | 200 | 1500 | 1000 | 400 | 1500 | 700 | 800 | 300 | 500 | **11500** |
| मिश्रित | 360 | 250 | 150 | 400 | 600 | 200 | 150 | 625 | 500 | 179 | 500 | 600 | 400 | 1500 | 1000 | **7414** |
| कच्चा | – | 200 | – | 400 | 200 | 200 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 1500 | **2580** |
| फूस | 1500 | 300 | 250 | 300 | 2700 | 600 | 450 | 375 | 4000 | 100 | 1000 | 500 | 360 | 150 | 2000 | **14585** |
| जातिवर्ग | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य | 5000 | 6000 | 500 | 1700 | 500 | 3500 | 600 | 3500 | 1000 | 100 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 | 2500 | **28000** |
| पिछडा वर्ग | 5000 | 5100 | 8000 | 11220 | 12000 | 7140 | 6900 | 6000 | 13300 | 9000 | 6000 | 8000 | 5000 | 500 | 2500 | **105660** |
| अनु0जाति | 2500 | 2100 | 1500 | 3462 | 15000 | 1000 | 2100 | 1000 | 1000 | 3400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7500 | **35062** |
| कुल | **12500** | **13200** | **10000** | **16382** | **14000** | **11640** | **9600** | **10500** | **15300** | **12500** | **12000** | **12000** | **10000** | **6500** | **12500** | **178622** |

5 प्रतिशत पंचायत संपर्क कार्यक्रम के अर्तगत के पंचायतों फूस से बने मकानों की संख्या सर्वाधिक 14585 जो इस जिले को अग्नि और चक्रवात के प्रति संवेदनशील बनाता है। वहीं पक्के मकानों संख्या 11500 है, भवनों में भूकंपरोधी तकनीक का प्रयोग प्रायः नहीं होने के कारण भूकंप के प्रति भी यह जिला भी संवेदनशील है। इसी तरह 2580 कच्चे मकान भी भूकंप के प्रति संवेदनशील है। जिले के जातिगत संरचना जो इन पंचायतों में उभरकर आई उनमें अनुसुचित जाति की संख्या यद्यपि पिछड़ी जाति की तुलना में लगभग एक तिहाई है। इनकी यह संख्या अध्ययनरत पंचायतों को संवेदनशील बनाती है। जातिगत संवेदनशीलता की भयावहता और बढ़ जाती है। जब पिछड़ा वर्ग और अनुसुचित जाति की संख्या को हम जोड़ देते है।

+ + + + + +